

शूद्रों का प्राचीन इतिहास

शूद्रों का प्राचीन इतिहास

रामशरण शर्मा



राजकल्पना प्रकाशन
नवी दिल्ली एटना

मूल्य रु 175.00

प्रथम संस्करण 1992

© रामशरण शर्मा

प्रकाशक राजकमल प्रकाशन प्रा लि
1-बी नेताजी सुभाष मार्ग
नई दिल्ली-110002

सेजर टाइपस्ट्राइटर साकेत फोटोटाइप सैटर
शक्करपुर विस्तार दिल्ली 92

मुद्रक मेहरा ऑफसेट प्रेस
दरियागंज नई दिल्ली - 110002

आवरण नर्द्र श्रीवास्तव

SHUDRON KA PRACHEEN ITIHAS
History by R. S. Sharma —

ISBN 81 7178 212-4

अनुक्रम

भूमिका	9
उत्पत्ति	16
जनजाति से वर्ण की ओर	49
दासता और अशक्तता	88
मोर्दकानीन राज्यनियन्दण और सेविकाएँ	146
प्राचीन व्यवस्था का कमज़ोर पड़ना	176
रुचातरण की प्रक्रिया	220
साधारण और निष्कर्ष	278
ग्रन्थ सूची	301

आमुख

मैंने इस प्रिय पर्याप्त समय के दौरान एवं वर्ष पहले आग्रह किया कि तु मार्गीय विश्वविद्यालय के दिवस की कार्यव्यवस्था और पुस्तकालय की समुचित हुविधा के अभाव के कारण कोई उत्तीर्णीय प्रयत्न नहीं कर सकता। इस प्रिय पर्याप्त समय के दौरान और ओरियटल ऐड अप्लाईकेशन स्टडीज में दो विद्यालयों (1954-56) में पूछ किया गया जहाँ जाने के लिए पठना विश्वविद्यालय ने मुझे उनाहारन्दूर्वक अध्ययन अवस्था प्राप्त किया। यह पुस्तक मुष्यतमा मेरे उस शोधकार्य पर आधारित है जो सन् 1956 में प्राप्ति के लिए स्वीकृत हुआ था।

हों एक आर अल्फिन प्रो एवं डब्ल्यू देती, हों दी एन द्वे, हों जे ही एम डेरेट प्रो सी बान फुरस्हैमेनडार्क प्रो ही ही कोसदी, प्रो आर एन शमी और हों ए के बांडर और अनेक अन्य मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूँ। जिनसे मुझे इस कार्य में अनेक प्रकार की सहायता मिली है। हों एत ही बांटे ने मुझे जो बहुमूल्य सुझाव दिए हैं उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। अपने निय मित्र थे देवराज को मैं अवश्य धन्यवाद हूँ। जिनसी सहायता यदि प्रभावीयादन और अनुशीलक क्षर्य में नहीं दिनती तो पुस्तक के प्रकाशन में कुछ और गिरव हो जाए। हों ऊर्ज टाकुर का भी आभारी हूँ। जिन्होंने अनुक्रमीय तैयारी की है और प्रभावीयादन में भी ऐसी सहायता की है। सबसे बड़कर हस्ते मैं अपना सौम्यादय प्राप्त हूँ कि मुझे प्रो ए एन बैगम के साथ कार्य करने का अवसर मिला जिनके अग्रिमत वैद्युत मानाड छात्रों की वैदिक सततता के प्रति स्नेह और सुउद संकेत संर्वार्थन से इस प्रिय की रक्षण में बहु सहाय निभा है। इसमें तथ्य और निर्णय सदृशी जैसे अद्या अन्य तरफीयी अनिवार्यताएँ रह गई हैं, उनस्य दायित्व मैं अपने उपर सेपा है।

कि उसके समय वैसे पराश्रित दर्ग अब विद्यमान नहीं थे ।⁷

इसमें सदैह नहीं कि बहुत सी जाति पुरातन सामाजिक प्रथाएँ उत्तीर्णवीं शताब्दी में भी प्रचलित थीं । इंग्लैड के विकासोन्मुख औद्योगिक समाज और भारत के पुराने तथ पतनोन्मुख समाज के बीच की गहरी विषमता ने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित भारत के शिक्षित और बुद्धिजीवी दर्ग का व्यान आकर्षित किया ।⁸ उन्होंने महसूत किया कि सती प्रथा, आजीवन वैष्णव, बाल विवाह और सजातीय विवाह की प्रथा राष्ट्र की प्रगति में बाधक हैं । घृणीक ये प्रथाएँ धर्मशास्त्रों के बल पर चल रही थीं इसलिए यह अनुभव किया गया कि उनमें आवश्यक सुधार आसानी से लाए जा सकते हैं यदि यह सिद्ध किया जा सके कि वे सुधार धार्मिक ग्रन्थों के अनुसूत हैं । इस प्रकार सन् 1818 ई में रामभोड़ा राय ने सती प्रथा के विरोध में प्रकाशित अपनी प्रथम पुस्तिका (ट्रिवट) के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि शास्त्रों के अनुसार नारी के भोक्ष का सर्वोत्तम साधन सती प्रथा नहीं है ।⁹ इसी शताब्दी के पाँचवें दशक में स्मृति ग्रन्थों के आधार पर ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विष्वा विवाह का समर्थन किया ।¹⁰ सातवें दशक में आर्य समाज के साथापक स्वामी दयानन्द ने मूल सस्कृत ग्रन्थों के उद्धरणों का सकलन लत्यार्थ प्रकाश¹¹ के नाम से प्रकाशित किया । उनके जारीए उन्होंने विष्वा विवाह का समर्थन किया जन्म पर आण्डित जाति प्रथा के बहिष्कार की घायणा की¹² और शूद्रों को भी वेदाध्ययन का अधिकारी माना ।¹³ हर्ष मालूम नहीं कि आरम्भ में समाज सुधारकों को भ्यूर की समकालीन रचनाओं¹⁴ से कहाँ तक प्रेरणा मिली । उसने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि प्राचीन युग में यह विश्वास प्रचलित नहीं था कि चारों वर्णों की उत्पत्ति आदि मानव से हुई है ।¹⁵ हम यह भी नहीं जानते कि वेबर को उन रचनाओं का भी उन पर कोई प्रभाव पड़ा या नहीं जिनमें उसने ब्राह्मणों और सूत्रों के आधार पर वर्ण व्यवस्था का प्रथम महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया है ।¹⁶

1891 ई में जब सम्मति आयु विधेयक (एज ऑफ कर्सेंट विल) प्रस्तुत किया जा रहा था सर आर जी भडारकर ने एक प्रामाणिक पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें सस्कृत ग्रन्थों का उद्धरण देकर उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि वयस्क होने पर ही किसी लड़की का विवाह किया जाना धाहिए । दूसरी ओर बाल गणाधर तिलक ने जो विदेशी शासकों के विरुद्ध किसी भी हथियार का प्रयोग करने को तैयार रहते थे प्राचीन सदर्भग्रन्थों से उद्धरण प्रस्तुत करके इस विधेयक का विरोध किया ।¹⁷

आधुनिक सुधारों के समर्थन में प्राचीन ग्रन्थों का उद्धरण देने की प्रवृत्ति कितनी व्यापक थी इसका कुछ अनुमान आर जी भडारकर (1895) के इन शब्दों से किया जा सकता है प्राचीन बाल में लड़कियों का विवाह वयस्क होने पर किया जाता था अब उनका

विवाह उसके पूर्व ही हो जाता है तब विषया विवाह का प्रबलन था, अब वह विल्युत उठ गया है। विभिन्न जातियों के लोग उन दिनों साथ मिलकर खाते थे और इस बात पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन अब इन असत्य जातियों में इस प्रकार का कोई पारस्परिक संपर्क नहीं है।¹⁷

भारतीय विद्वानों ने समाज के पुराने रीति रिवाजों को इस ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि वे नए युग के लोगों को अधिक ग्राह्य हों, पर पश्चिम के लेखनों को यह बात छायिकर नहीं लगी है। सेनार्ट (1896) का कथन है कि अँगरेजी रण-ढंग में पले हिंदुओं ने जातिप्रथा की तुलना धूरोपवासियों में प्रचलित सामाजिक भेदभावों से की है, पर पश्चिमी सामाजिक वर्गों के साथ यदि उनमें कुछ समानता दीखती भी है तो बहुत कम ही।¹⁸ इसी प्रकार हापकिस (1881) का विचार है कि शूद्रों की रिधिति 1860 के पहले अपरीक्षे गृह दासों से भिन्न नहीं थी।¹⁹ हापकिस के इस भवत्य की समीक्षा करते हुए डिस्ट्रिक्ट (1896) ने कहा है कि शूद्रों की तुलना पुराने जमारों के दासों से की जानी चाहिए, न कि बाद में विकसित ऐतिहासिक तथ्यों के सदर्श में।²⁰

हापकिस द्वी आलोचना करते हुए केतकर (1911) की शिकायत है कि हिंदियों के प्रति बरते जानेवाले जातीय भेदभाव से प्रभावित होने के कारण धूरोपीय लेखक भारतीय जातिप्रथा का नाहक बढ़ा चढ़ाकर विचार करते हैं।²¹ केतकर, दत्त शुर्वं तथा अन्य नवीन भारतीय लेखकों की रपनाओं की मुख्य प्रवृत्ति यह है कि जातिप्रथा को इस रूप में विचित्र किया जाए कि वह नए दौरों में ढलकर वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बन सके।²² इससे यह आभास मिलता है कि प्राचीन भारतीय सामाजिक समस्याओं का अध्ययन अधिकतर सुषारादियों और कट्टरपरियों के बीच झांगड़े की पृष्ठभूमि में किया गया है। सुधार और राष्ट्रीयता की सशक्त प्रेरणाओं ने भारत के आर्थिक सामाजिक जीवन के बारे में निस्सदैह अनमोत्त रचनाओं को जन्म दिया है। किन्तु आशुनिक दृष्टिकोण के अनुसार जो कुछ बातें अठायिकर और कनुप्रिय लगतीं उनकी या तो उपेक्षा कर दी गई या उनकी ऐसी व्याख्या की गई जो सुकिसात नहीं सकती। उदाहरणार्थ, यह कहा गया है कि अशक्ताओं के कारण शूद्रों के सुख या कल्याण में कोई कमी नहीं जाई।²³

आर्थिक सामाजिक जीवन के अनुरूप पढ़ाउओं पर विशेष ध्यान देने की इस प्रवृत्ति के कारण प्राचीन भारतीय शूद्रों की रिधिति के बारे में ग्रंथों का सर्वथा अभाव है। धूरोपीय लेखनों द्वारा भी इस भूम्यत के उच्च वर्गों के अध्ययन पर ही केंद्रित रहा है। इस प्रकार स्वरूप ने ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच के सदर्श के जाड्यानों का वर्णन 188 पृष्ठों में किया²⁴ और हापकिस (1889) ने भी 'प्राचीन भारत में शासक जातियों की रिधिति' का विशद विवाह दिया है।²⁵ उत्तर शुर्वं भारत के सामाजिक संगठन पर फिक (1897) की

सराहनीय रचना भी मुख्यतया क्षत्रियों ब्राह्मणों और गहपतियों या सेठियों के वर्णन में ही सिमटी रही। तिन वर्णों की रिथति के प्रति इन लेखकों की अधिकारीता का कोई कारण नहीं हो सकता। सिवाय इसके कि उनकी दृष्टि स्वयं उनके अपने युग के प्रबल प्रमुख वर्ग के जीवन दर्शन से परिसीमित थी।

शूद्रों के बारे में प्रथम स्वतंत्र रचना थी एस शास्त्री (1922) का एक छोटा सा निबन्ध है जिसमें उन्होंने 'शूद्र' शब्द के दार्शनिक आधार की चर्चा की है²⁶ इसी विषय पर एक अन्य लेख में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि शूद्र वैदिक अनुष्ठान कर सकते हैं²⁷ घोषाल (1947) ने हाल के अपने एक निबन्ध में धर्मसूत्रों में शूद्रों के स्थान की विवेचना की है²⁸ इस विषय पर नवीनतम रचना रसीद लेखक जी एक इसिन ने (1950) की है²⁹ जिन्होंने धर्मशास्त्रों के आधार पर³⁰ सिद्ध किया है कि शूद्र गुलाम नहीं थे। शूद्रों के सब्द में एकमात्र प्रब्रह्म रचना (1946) सुविळात भारतीय राजनीतिन अबैडकर की है। यह शूद्रों के उद्भव के प्रश्न तक ही सीमित है³¹ लेखक ने पूरी साप्तरी अनुवादी³² से जुटाई है और इससे भी दुरी बात यह है कि उनके लेखन से यह आशास मिलता है कि उन्होंने शूद्रों को उच्च वश का सिद्ध करने का दृढ़ सकल्प लेकर अपनी यह पुस्तक लिखी है। यह उस मनोवृत्ति का परिवायक है जो हाल में नीची जाति के पढ़े लिखे लोगों में उत्पन्न हुई है। शाति पर्व के मात्र एक स्थल पर शूद्र पैजवन ढारा किए गए यज्ञ की धर्म को शूद्रों के मूलतया क्षत्रिय होने का पर्याप्त प्रभाण मान लिया गया है³³ लेखक ने विभिन्न परिस्थितियों की उस पेचीदगी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है जिसके कारण शूद्र नामक श्रमजीवी वर्ग बना। टमारे विषय से सबधित एक बहुत हाल की रचना (1957) में³⁴ प्राचीन भारत के श्रमिकों से सबधित छिटपुट सूझनाएं एकत्र की गई हैं किंतु इससे हमारी समझदारी में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती। इस पुस्तक का प्रधान उद्देश्य है प्राचीन भारत में श्रम सबधी अर्थशास्त्र के क्रियाकलाप की छानबीन करना। इस क्रम में लेखक ने पाया है कि पहले भी आज की तरह पारिश्रमिक बोर्ड मध्यस्थता सामाजिक सुरक्षा आदि की व्यवस्था थी। फलस्वरूप यह पुस्तक आधुनिकता से ग्रस्त है। इतना ही नहीं यह पुस्तक प्रधानतया कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर लिखी गई है, अपूर्ण है और इसमें ऐतिहासिक समझदारी का अभाव है।

प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना का उद्देश्य मात्र प्राचीन भारत में शूद्रों की रिथति का विस्तृत विवेचन करना ही नहीं बल्कि उसके ऐसे आधुनिक विवरणों का मूल्यांकन करना भी है जो या तो अपर्याप्त औंकड़ों के आधार पर अद्यवा सुधारकारी या सुधारविरोधी भावनाओं से प्रेरित होकर लिखे गए हैं। इसमें लगभग पाँच सौ ईं तक हुए शूद्रों के विकास को सुसबूद्ध और क्रमानुसार रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा।

इस ग्रथ की सामग्री के लिए मुख्यतः साहित्यिक श्रोतों पर निर्भर करना पड़ा है, जिनका या जिनके कुछ अशों का काल निर्धारण कठिन है। हमने साहित्यिक ग्रंथों का साधारणतया स्वीकृत कालक्रम अपनाया है किंतु जहाँ इस पर मतभेद है, वहाँ परपरा से विप्र रचनात्मिति अपनाने के बारे में हमने अपने तक प्रस्तुत किए हैं।

यद्यपि ये ग्रथ विभिन्न कालावधियों के हैं, फिर भी इनमें एक ही प्रकार के सूत्र और समरूप शब्दावली का ऐसा आधिक्य है कि इनके चलते समाज में हुए परिवर्तनों का पता लगाना कठिन है। इसलिए पाठभेदों पर पूरा ध्यान रखा गया है। इनमें से बहुतेरे ग्रंथों को टीकाकार की सहायता के बिना समझ सकना सभव नहीं है, किंतु टीकाकार अधिकतर अपने युग के विवारों को आरंभिक दृश्यों पर आरोपित कर देते हैं।

यह भी ध्यातव्य है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथों में ब्राह्मणों या दोनों की प्रभुता को प्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयास किया गया है और उनमें शायद ही कही शूद्रों के प्रति सहानुभूति की भावना है। यह दलील दी जाती है कि धर्मशास्त्र और अन्यान्य ग्रंथों के लेखक शूद्रों के शत्रु थे अतः प्रमाण की दृष्टि से इनका महत्व नहीं है³⁵ किंतु अन्य प्राचीन समाजों के विधिग्रंथों में भी भारतीय धर्मशास्त्रों की तरह ही वर्ग के आधार पर विधान बनाने का सिद्धात अपनाया गया है। दुर्भाग्यवश पर्याप्त औंकड़ों के अभाव में निश्चित रूप से यह बताना कठिन है कि धर्मशास्त्र के न्यायसूत्रों का कहाँ तक अनुपालन होता था।

चूँकि शूद्र श्रमिक वर्ग के थे अतः इस पुस्तक में उनसी माली हालत और उच्च वर्ग के लोगों के साथ उनके आर्थिक और सामाजिक स्वर्द्धों का स्वरूप निश्चित करने पर विशेष ध्यान रखा गया है। स्वाभाविक रूप से इसमें दासों की स्थिति का भी अध्ययन करना पड़ा है क्योंकि शूद्रों दो उनके सदृश भाना जाता था। अशूद्रों को सिद्धात शूद्रों की कोटि में रखा गया है और यही कारण है कि उनकी उत्पत्ति और स्थिति की भी चर्चा विस्तारपूर्वक की गई है।

शूद्रों की स्थिति में हुई प्रगति की सुधार व्याख्या और उसे सोदाहण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से जहाँ कही सभव हुआ है उसकी तुलना प्राचीन काल के उन समाजों और आदिकालीन लोगों की स्थिति में हुई उसी तरह की प्रगति के साथ की गई है जिनकी जानकारी मनवशास्त्रवेत्ताओं को प्राप्त है।

संदर्भ

- 1 विवादार्णवसेनु अनुवाद की भूमिका पृ IX इस शेष का अगरेजी से जर्मन भाषा में अनुवाद 1778ई में हुआ
- 2 इस्टीट्यूट्यूस ऑफ हिंदू सोसायिटी पृ XIX देखें एवल एशियाटिक सोसाइटी की प्रथम साधारण सभा (15 मार्च 1823) में छोलबुक का भाषण एटोज I पृ 12
- 3 वही 11 पृ 157 70
- 4 वही 11 पृ 157
- 5 जैसा मिल : 'दि हिन्दू औफ इंडिया' 11 पृ 166 । पृ 166 9 पृ 169 पाद टिप्पणी 1 ऐसा प्रतीत होता है कि मिल ने भारत के इतिहास में जो साधारणीकरण और सामान्य विवेदन प्रस्तुत किया उसका विटिंग इतिहासकारों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा
- 6 वही 1 पृ 34
- 7 वही पृ 107
- 8 जे सी थोर 'ब्राह्मणिक्य ऐड शूट' पृ 46 1902ई में एक पुराने भारतीय सेक्टर ने खेद प्रकट किया है कि ब्राह्मणों को यूरोपियन (आगल भारतीय) उद्योगपतियों से नीचे स्थान दिया गया
- 9 सं —जे सी थोर दि इंग्लिश वर्स्ट औफ रामसोहन राय' । प्रस्तावा पृ XVIII ॥ पृ 123 192
- 10 आर बी भडाकर कलेस्टेड वर्स्ट 11 पृ 498
- 11 स्वामी दयानन्द सरस्वती सत्यार्थ प्रश्नाल, चतुर्वं समुन्नास पृ 83 92, 113 122
- 12 वही तृतीय समुन्नास पृ 39 73 74
- 13 जे भूर औरिजिनल सरकृत टैक्सट्स' । सदन 1872
- 14 वही पृ 159 60
- 15 इडिसे स्टूडियन x 1 160
- 16 आर बी भडाकर 'कलेस्टेड वर्स्ट 11 पृ 538 83 'हिन्दू औफ चाइल्ड मैरीज पर जाली के निवाप की भडाकर दाढ़ की भई आलोचना भी देखें वही पृ 584 602
- 17 वही 11 पृ 522 23
- 18 एफिल सेनार्ट कर्स्ट इन इंडिया' पृ 12 13
- 19 ई डब्ल्यू हाप्पिस व्यूब्रिल रिलेशन ऑफ दि फोर कार्ट्स इन इन बनु पृ 102
- 20 हिलब्राट ब्राह्मणेनउण्डशूदाजन केस्टर्स्टूफ्ट क्लूर कार्ट वैनडोल्ड पृ 57
- 21 केलकर 'हिन्दू औफ कार्ट' पृ 78 पाद टिप्पणी 3
- 22 वही पृ 9 बेनकार बी पुस्तक 'हिंदू सोशल इस्टीट्यूशन में एपार्क्यन का प्राक्कथन इत और पुर्व की रचनाओं में अपेक्षाकृत अध्या ऐतिहासिक दृष्टिकोण लिखित हुआ है पर देखें इत पूर्व निर्दिष्ट भूमिका पृ VI
- 23 सरकार हिंदू सोशियालजी पृ 92 95 सुनीति सार के आधार पर देखें के वी रणसामी अध्यार इंडियन कैमरोर्सिप पृ 85
- 24 जे भूर औरिजिनल सरकृत टैक्सट्स । अध्याय IV
- 25 (जरनल ऑफ दि अपेरेक्टिव औरिएण्टल सोसायटी) बाल्टीमोर १३३ । पृ 57 376
- 26 वी एस शार्ची (इंडियन एटीव्हेरी) 11 पृ 137 9

- 27 वी एस भद्रावार्य 'दि स्टेटस ऑफ शू' इन एनशिएट इंडिया (विश्वमारती क्वार्टरली)
पृ 268 278
- 28 पू एन धोषाल (इंडियन कल्चर) xiv पृ 21 27
- 29 जी एक इलिन शूद्राज उण्ह स्कलाबेन इन डेन अल्टिनडिस्पेन गेसेतजबुवेन
(सोजेटवसेनडैफ़ 1952) 'वेस्टानक ड्रेवीय इस्तोरी से अनूदित 1950 स 2,
पृ 94 107
- 30 काणे ने शूद्रों के बारे में धर्मशास्त्र से जो उन्दरण सकलित किए हैं उनमें शूद्रों की स्थिति का
ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करने के लिए मूल्यदान सामग्री प्राप्त होती है।
- 31 अबेडकर हू वेयर दि शूद्राज ?
- 32 वही भूमिका पृ IV
- 33 यह ध्यान देने की बात है कि हाल के जातीय आदोलन में कई शूद्र जातियों ने क्षत्रिय होने का
दावा किया। दुसाये दुश्शासन के और खाले यदु के वशज होने का दावा करते हैं।
- 34 के एम शरण लेवर इन एनशिएट इंडिया
- 35 अबेडकर पूर्व निर्देश 114

उत्पत्ति

1847 ई में रोथ ने संकेत किया था कि शूद्र आयों के समाज से बाहर के रहे होंगे।¹ उस समय से सामान्यतया यह विचारणारा घनी आ रही है कि ब्राह्मणकालीन समाज का चौथा वर्ण मुख्यतया आर्येतर लोगों का था जिनकी वैसी स्थिति आर्य विनेताओं ने बना रखी थी।² सूरोप के गोराग और पश्चिमा तथा अमीका के गौरागेतर लोगों के बीच हुए सपर्व से साम्य के आधार पर इस विचारणारा की पुष्टि की जाती रही है।

यदि दास और दस्यु दोनों आर्येतर भाषा बोलनेवाले भारत के मूल निवासी हों³ तो उपर्युक्त विचारणारा के पक्ष में ऋग्वेद से प्रमाण प्रस्तुत करना सभव है। इस ग्रथ के अनेक सूतों में जिन्हें अथवैद में भी दुहराया गया है, आयों के देवता इद को दासों के विनेता के रूप में विवित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये दास मनुष्य ही रहे होंगे। वेदों में कहा गया है कि इद ने अथम दास वर्ण को गुफाओं में रहने को बाध्य कर दिया था।⁴ विश्व निपत्ति भी हैसियत से दासों को पराधीन बनाने का भार उनके ऊपर है,⁵ आर उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे इन दासों का विनाश करने के लिए तैयार रहें।⁶ ऋग्वैदिक स्तुतियों में बार बार इद से अनुरोध किया गया है कि वे दास जनजाति (पिश) का विष्वस करें।⁷ इद के बारे में यह भी कहा गया है कि उसने दस्युओं को सभी अच्छे गुणों से विचित रखा है और दासों को अपने वश में किया है।⁸

वेणु में दासों की अपेक्षा दस्युओं के विनाश और उन्हें पराधीन बनाने की चर्चा अधिक है। कहा गया है कि दस्युओं को मारकर इद ने आर्य वर्ण की रक्षा की है।⁹ स्तुतियों में उससे अनुरोध किया गया है कि वह दस्युओं से मुख करे ताकि आयों की शक्ति बढ़ सके।¹⁰ महत्व की बात है कि दस्युओं द्वी हत्या की चर्चा कम से कम बारह जगहों पर हुई है जिनमें से अधिकाश हत्याएँ इद के द्वारा ही बताई गई हैं।¹¹ इसके गिरीत यद्यपि दासों

की हत्या के अलग अलग प्रसंग भी आए हैं किंतु 'दासहत्या' शब्द कहीं नहीं मिलता है। इससे पता चलता है कि दास और दस्यु पर्यायवाची नहीं थे और आर्य दस्युओं का विनाश निर्मपतापूर्वक करते थे, पर दासों के प्रति उनकी नीति नरम थी।

आर्यों और उनके शत्रुओं के बीच जो सघर्ष हुए उनमें मुख्यतः शत्रुओं के किलों और दीवारों से धिरी बस्तियों को छाप्त किया गया। दासों और दस्युओं, दोनों ही के कब्जे में अनेक किलाबद्द बस्तियाँ थीं¹² जिनका सदृश भी सामान्यतया आर्यों के शत्रुओं के साथ जोड़ा जाता है।¹³ मालूम होता है कि घुमक्कड़ आर्यों की ओर्हिं दुश्मनों की बस्तियों में सधित सपत्नि पर तारी हुई थी और उन्हें हडपने के लिए दोनों में निरतर सघर्ष होता रहता था।¹⁴ उपासक की कामना रहती थी कि सभी ऐसे लोगों को भार दिया जाए जो यन् हवन आदि नहीं करते हैं और उन्हें भार देने के बाद उनकी सारी सपत्नि लोगों में बौंट दी जाए।¹⁵ दस्युओं को सपत्निशाली (धनिन) होने पर भी यन् न करनेवाला (अक्रतु) कहा गया है।¹⁶ दो ऐसे दासप्रमुद्रों का उत्तेज किया गया है जो धनलोतुप भाने गए हैं।¹⁷ कामना की गई है कि इद्ध¹⁸ दासों की शक्ति को क्षीण करें और उनकी एकत्रित सपत्नि लोगों में बौंट दें। दस्युओं के पास स्वर्ण और हीरा जवाहरत भी थे, जिनके चलते प्राय आर्यों का मन और भी ललच गया।¹⁹ किंतु आर्य जैमी पशुपालक जाति को मुख्यतया अपने दुश्मनों के पशुधन का अधिक लोभ था। तर्क दिया जाता है कि 'कीकट' (हरियाणा में रहनेवाली एक जनजाति) गाय रखने के अधिकारी नहीं हैं क्योंकि वे यज्ञ में गव्य (दुष्योत्सादित वस्तुओं) का उपयोग नहीं करते।²⁰ दूसरी ओर यह भी समझ है कि आर्यों के शत्रु उनके घोड़ों और रथों की अधिक महत्व देते थे। ऋग्वेद में एक कथा आई है कि असुरों ने राजर्णि दधीति के नगर पर कब्जा कर लिया था किंतु जब असुर लौट रहे थे तो इद्ध ने उन्हें धेरकर पराजित किया और उनसे मवेशी घोड़े तथा रथ छीनकर राजर्णि को वापस कर दिए।²¹

दस्युओं के रहन सहन के ढग से भी आर्य उनके बैरी बन गए। ऐसा लगता है कि आर्यों का पशुपालन पर आधारित जनजातीय और अस्थायी जीवनक्रम देशीय सत्सृति के स्थायी एवं शहरी जीवन से बेमेल था।²² आर्यों का जीवन प्रायानन्तरा जनजातीय जीवन था, जो यन् सभा समिति और विद्य जैसी विभिन्न सामुदायिक सम्प्रत्याओं के माध्यम से स्पष्टित हुआ है और जिसमें यन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। किंतु दस्युओं को यन से कोई सरोकार नहीं था। दासों के साथ भी यही बात थी क्योंकि इद्ध के बारे में बताया गया है कि वह दास और आर्य का विभेद करते हुए यनस्थल में आता था।²³ ऋग्वेद के सातवें मङ्गल का एक संपूर्ण सूक्त अपन्नुन्, अश्रद्धान्, अपशान् और अयन्यान् जैसे विशेषणों की शृंखला भाग्र है। इनका प्रयोग दस्युओं के लिए पुरजोर तौर पर यह सिद्ध करने के लिए किया गया है कि उनको यन पसद नहीं था।²⁴ इद्ध से कहा गया है कि वे यनपरायण आर्य

और यमविमुख दस्युओं के बीच अतर करें।²⁵ ‘अनिंद्र (इद्र को न माननेवाला) शब्द का प्रयोग भी कई स्थलों पर किया गया है,²⁶ और अनुमानत इससे दस्युओं, दासों और सभवत कुछ भिन्न भावावलबी आयों का बोध होता है। आयों के कथनानुसार दस्यु तिलस्मी जादू करते थे।²⁷ ऐसा मत अथवैद में विशेष रूप से व्यक्त किया गया है। यहाँ दस्युओं को पूरा-पिशाच के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इन्हें यन स्थल से भगाने की वेष्टा की गई है।²⁸ कहा जाता है कि ‘ओगिरस् मुनि के पास एक परम शक्तिशाली रक्षाकृष्ण (तार्बीज) या जिससे वे दस्युओं के किले घस्त कर सकते थे।²⁹ क्षेत्रवैदिक काल में उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी थीं, उनके कारण ही अथवैद में दस्युओं को दुर्दातमा के रूप में विचित्र किया गया है। अथवैद में कहा गया है कि ईश्वर के निंदक दस्युओं को बलिदेवी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए।³⁰ ऐसा विश्वास था कि दस्यु विश्वासघाती होते हैं वे आयों की तरह घर्ष कर्म नहीं करते और उनमें मानवता नहीं होती।³¹

आयों और दस्युओं के रहन सहन में जो अतर है, उससे आयों के ब्रत जिसका अर्थ सामन्यतया जीवन का सुनिश्चित ढांग होता है के प्रति दस्युओं की क्या दृष्टि थी इसका पता चलता है।³² यदि ब्रत और ब्रात जिसका अर्थ जनजातीय दत या समूह होता है, के बीच सध्य स्थापित करना सभव हो तो यह कहा जा सकता है कि ब्रत शब्द का अर्थ जनजातीय कानून या प्रथा है। दस्युओं को साधारणत अब्रत³³ और अन्यद्रत³⁴ कहा गया है। अपब्रत शब्द का प्रयोग दो स्थलों पर हुआ है जो प्राय दस्युओं और भिन्न भाव रखनेवाले आयों के लिए है।³⁵ ध्यान देने की बात है कि दासों के लिए इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग नहीं हुआ है जिससे मालूम होता है कि वे दस्युओं की अपेक्षा आयों के दौर तरीके अधिक पसद करते थे।

ऐसा लगता है कि आयों और उनके शव्युओं में रण का अतर था। आर्य, जो मानव (मानुषी प्रजा) कहे जाते थे और अग्नि वैश्वानर की पूजा करते थे कभी कभी काले रणवाले मनुष्यों (असिक्नीविता) की बस्तियों में आल लगा देते थे और वे लोग सर्पर्व किए दिना ही अपना सर्वस्य छोड़कर भाग खड़े होते थे।³⁶ आर्य देवता सोम को काले वर्ण के लोगों का हिंसक कला गदा है जो दस्यु होते थे।³⁷ इद्र को भी काले रण के राष्ट्रार्थों (त्वद्यमसिक्नीम्) से सर्पर्व करना पड़ा था।³⁸ और एक स्थल पर उन्हें पद्मास हजार काले वर्णवातों (कृष्ण) की हत्या का श्रेय दिया गया है जिन्हें साम्रण काले वर्ण का राष्ट्रस मानते हैं।³⁹ इद्र का असुरों की काली चमड़ी उपेड़ते हुए भी विजय किया गया है।⁴⁰ इद्र का एक दीतापूर्ण कर्य, जिसमा कुछ ऐतिहासिक आधार हो सकता है कृष्ण नामक योद्धा के साथ उनका मुद्द है। कहा जाता है कि जब कृष्ण ने अपनी दस हजार सेना के साथ अगुमती या ममुना पर देना गिराया तब इद्र ने भट्ठों (आर्द्धविशु) को संगठित किया और पुरोहित देव कृहस्ति

की सहायता से अदेवी विश के साथ मुद्द किया ।⁴¹ अदेवी विश का अर्थ साधण ने काले रग का असूर बताया है (कृष्णस्पा असूरसेना)। कृष्ण को श्याम वर्ण का आर्येतर योद्धा बताया गया है जो यादव जाति का था ।⁴² यह सभव मालूम पड़ता है, क्योंकि परवर्ती अनुश्रुति है कि इद्र और कृष्ण में बड़ी शत्रुता थी। ऐसा प्रसंग आया है जिसमें कृष्णार्थी के मारे जाने की चर्चा है जिसका अर्थ सशयपूर्वक साधण ने कृष्ण नामक असूर की गर्भवती पत्नियाँ बताया है ।⁴³ इसी प्रकार इद्र द्वारा कृष्णायोनि दासी के विनाश का भी उल्लेख है ।⁴⁴ साधण की उर्वर कल्पना ने उन्हें निकृष्ट जाति की आसुरी सेना (निकृष्ट जाती आसुरी सेना) माना है, किंतु विल्सन कृष्ण को श्याम वर्ण का घोतक मानते हैं। यदि विल्सन का अर्थ सही माना जाए तो यह स्पष्ट है कि दास काले रग के होते थे। किंतु हो सकता है कि उन्हें उसी प्रकार काले रग का कहा गया हो, जिस प्रकार दस्युओं और आर्यों के अन्य शत्रुओं को कहा गया है। उपर्युक्त प्रसंगों से निस्सदैह यद स्पष्ट होता है कि अग्नि और सौम के उपासक आर्यों को भारत के काले लोगों से मुद्द करना पड़ा था। ऋग्वेद में एक प्रसंग आया है जिसमें पुष्कुत्स का पुत्र 'त्रसदस्य' नामक दैदिक योद्धा काले रग के लोगों के नेता के रूप में वर्णित है ।⁴⁵ इससे यह स्पष्ट होता है कि उसने उन लोगों पर अपनी धाक जमा रखी थी।

यदि दस्युओं के सबध में प्रयुक्त अनास⁴⁶ शब्द का अर्थ नासादिहीन या विपटी नाकवाला किया जाए और दासी के प्रसंग में प्रयुक्त वृशशिप्र शब्द⁴⁷ का अर्थ वृषभ ओष्ठवाला' या उभरे ओठोवाला माना जाए तो यह मालूम पड़ेगा कि मुखाकृतियों की दृष्टि से आर्यों के शत्रु उनसे भिन्न प्रकार के थे।

ऋग्वेद में 'मृष्पवाक शब्द-का प्रयोग विभिन्न रूप में उ स्थलों पर हुआ है'⁴⁸ जिससे पता चलता है कि आर्यों और उनके शत्रुओं में बोलचाल की रीति भिन्न थी। यह दो स्थलों पर दस्युओं का विशेषण है ।⁴⁹ साधण ने इसका अर्थ विद्वेष्यपूर्ण वचन वाला किया है, और गेल्डनर ने इसे 'झूठ बोलनेवाले' का पर्याय माना है ।⁵⁰ इससे पता चलता है कि आर्यों और दस्युओं में कोई भाषाजन्य अतर था और दस्यु अपनी अनुवित वाणी से आर्यों की भावना को छोट पहुँचाते थे। अत आर्यों और उनके दुश्मनों के बीच मुद्द में यद्यपि मुख्य प्रश्न पशु, रथ और अन्य प्रकार की सपति को दबाल करने का रहता था, फिर भी जाति, धर्म और बोलचाल की रीति में अतर होने के कारण भी उनके समय कटु बने रहते थे।

यदि ऋग्वेद में दास और दस्यु शब्द के प्रयोग की आपेक्षिक मात्रा से कोई निकर्ष निकाला जा सके, तो जान पड़ता है कि दस्युण जिनकी चर्चा दीरासी बार हुई है स्पष्टत दामों से अधिक संख्या में थे जिनका उल्लेख इक्सठ बार हुआ है ।⁵¹ दस्युओं के

साथ युद्ध में अधिक रक्तपात दृष्टा। अपने विस्तार की आरम्भिक अप्रस्था में आयों को जीविकोपार्जन के लिए पशुधा की आकाशा रहती थी। इसलिए स्वभावतया उन्होने नगर जीवन और सगटित कृषि का महत्व समझा⁵² ऐसा जान पढ़ता है कि आयों के आने के पहले की नगर बस्तियाँ पूर्णत घस्त हो गई थीं। युद्ध में शत्रुओं से अपहृत यस्तुओं, यासकर मर्वेशियों के कारण सरदारों और पुरोहितों की शक्ति बड़ी होगी और वे 'विशु' से ऊपर उठे होंगे। शब्द में क्रमशः उन्होने समझा होगा कि पुरानी सत्सृति के किसानों से श्रमिकों का काम लिया जा सकता है और उनसे कृथिकार्य कराया जा सकता है। साथ ही अपनी जनजाति के लोगों से भी श्रमिकों का काम लेना उन्होने थीरे थीरे आरम्भ किया होगा।

आयों और उनके शत्रुओं के बीच तो संघर्ष चल ही रहा था आर्य जनजातीय समाज में भी आतंकिक द्वद्व विद्यमान था। एक युद्धगीत में 'मन्यु', —मूर्तिमान क्रोध से यादना की गई है कि वे आर्य और दास दोनों तरह के शत्रुओं को पराजित करने में सहायक हो⁵³ इद्र से अनुरोध किया गया है कि वे ईश्वर में आस्था नहीं रखनेवाले दासों और आयों से युद्ध करें ये इद्र के अनुयाइयों के शत्रु के रूप में वर्णित है⁵⁴ ऋग्वेद में एक स्थल पर कहा गया है कि इद्र और बृहुण ने सुआसु के विरोधी दासों और आयों का सहार कर उसकी रक्षा की⁵⁵ सज्जन और धर्मपरायण लोगों की ओर से दो मुख्य ऋग्वैकिक देवताओं, अग्नि और इद्र से प्रार्थना की गई है कि वे आयों और दासों के दुष्टापूर्ण कार्यों और अत्याचारों का शमन करें⁵⁶ क्योंकि आर्य खुद मानवजाति के मुख्य दुश्मन थे, जब आशदर्य नहीं कि इद्र ने दासों के साथ साथ आयों का भी विनाश किया होगा⁵⁷ विल्सन ने ऋग्वेद के एक परिच्छेद का जैसा अनुवाद किया है उसे यदि स्तीकार किया जाए तो उसमें इद्र की भरपूर प्रशस्ता की गई है क्योंकि उन्होने सप्तसिंषु (सात नदियों) के तट पर रासासों और आयों से लोगों की रक्षा की। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे दासों को अस्त्र शस्त्रविहीन कर दें⁵⁸

ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग छत्तीस बार हुआ है जिनमें से नीं स्थलों पर बताया गया है कि खुद आयों में भी आपसी मतभेद थे⁵⁹ शत्रु आयों की दस्तुओं के साथ एक स्थल पर चर्चा है और पाँच स्थलों पर दासों के साथ, जिससे यह पता चलता है कि आयों के एक समूह से दस्तुओं की अपेक्षा दासों का सबप अच्छा था। आयों के अपने आपसी संघर्ष में दास स्वभावत आयों के मित्र और सहयोगी थे। इसलिए आयों के समाज का जनजातीय आधार थीरे थीरे क्षीण होने लगा और आयों तथा दासों के विलयन की क्रिया ने बल मिला। ऋग्वेद के आरम्भिक शास्त्र में ऐसे पाँच प्रसाग जाए हैं, जिनसे पता चलता है कि आतंकिक संघर्षों की परपरा बहुत ही पुरानी थी।

आयों में बहुत पहले जो आत्मिक सद्धर्ष हुए थे, उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण [✓] 'दाशरथ' युद्ध है, जो ऋग्वेद में एकभाग्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। गेल्डनर के अनुसार ऋग्वेद मठल सात का तीसवाँ सूक्त, जिसमें इस युद्ध की घर्षा की गई है, प्रारंभिक बाल से सबैथित है।⁶⁰ दस राजाओं का मुख्य मुष्यमत ऋग्वेदकातीन आयों की दो मुख्य शाखाओं 'पूरुओं' और 'भारतों' के बीच हुआ था, जिसमें आर्यतर लोग भी सहायक के रूप में सम्प्रिलित हुए होंगे।⁶¹ ऋग्वेद का सुविष्यात नामक सुशासु भारतों का नेता था और पुरोहित वसिष्ठ उसके सहायक थे। इनके शत्रु थे पाँच प्रसिद्ध जनजातियों यथा 'अनु', 'हुशु', 'पु', 'तुर्वशस्' और 'पूरु तथा पाँच गौण जनजातियों यथा 'अलिन', 'पवय', 'भलानस्', 'रिव' और 'विशाणिन' के दस राजा। विरोधी गुट के सूत्रपार ऋषि विश्वामित्र थे और उसवा नेतृत्व पूरुओं ने किया था। दास काले राण के दोते थे।⁶² ऐसा प्रतीत होता है कि इस युद्ध में आयों की लघुतर जनजातियों ने अपना अलग अस्तित्व बनाए रखने का स्मरणीय प्रयास किया। पर सुशासु के नेतृत्व में भारतों ने पुरुषिण (रावी) के किनारे उन्हें पूरी तरह हरा दिया। इन पराजित आयों के साथ कैसा व्यवहार किया गया इसका कोई सकेत नहीं मिलता, किंतु अनुमान है कि उनके प्रति भी वैसा ही व्यवहार किया गया होगा जैसा आर्यतर लोगों के साथ किया गया था।

यह असभव नहीं कि इस तरह के और भी कई अतर्जातीय सद्धर्ष हुए हो जिनका काई वृत्तात हमें उपलब्ध नहीं। ऐसे सप्तवों के सकेत उन प्रसगों में मिलते हैं जिनमें आयों को देवताओं द्वारा प्रतिष्ठित द्रव्यों का भजक माना गया है। काणे ने ऋग्वेद से पाँच अश उत्तृत किए हैं जिनका ऐसा अर्थ लगाया जा सकता है।⁶³ आनिमुगीन ऋषि अर्थर्वण ने वर्णन के साथ हुए सभायण में यह दावा किया है कि मैं जो नियम बनाऊँगा उसका उल्लंघन कोइ भी दास जो आर्य से भिन्न हो नहीं कर सकता चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो।⁶⁴

प्यूर ने ऋग्वेद से ऐसे अद्वावन अश उत्तृत भिन्न हैं जिनमें आर्य समुनाय के सदस्यों की धार्मिक शत्रुता या उदासीनता की भर्त्सना की गई है।⁶⁵ इनमें से बहुत से परिव्येद ऋग्वेद के मूल भाग (मठल दो से आठ) में उपलब्ध हैं और उनसे पता चलता है कि आनिकाल में आयों की स्थिति कैसी थी। इनमें से कई अश उन अनुगार व्यक्तियों के विरुद्ध हैं, जिन्हें अरायपस्मृ⁶⁶ या अपृणत⁶⁷ कहा गया है। एक स्थल पर इद्र को समृद्ध व्यक्तियों (एथमानद्विदु) का समवत उन समृद्ध आयों का जिन्होंने उसकी कोई सेवा नहीं की थी दुश्मन बताया गया है।⁶⁸ दास और आर्य अपनी समति छिपाकर रखते थे, जिसके बलत उनका विरोध होता था।⁶⁹ कहा जाता है कि अग्नि ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए समतल भूमि और पहाड़ियों में स्थित समति को अपने कब्जे में कर लिया और अपनी प्रजा के दास तथा आर्य शत्रुओं को हराया।⁷⁰ इन अशों में यह बताया गया है कि जो आर्य

दुश्मन समझे जाते थे उनकी भी सपति (अनुमानत मवेशी) छीन ली जाती थी और उन्हें आर्यतर लोगों की भाँति कगाल बना दिया जाता था।

कई अनुच्छेदों में पणियों के रूप में विख्यात लोगों के प्रति सामान्यत शत्रुतापूर्ण भाव देखने को मिलता है।⁷¹ भूर ने उन्हें कजूस माना है।⁷² कैरिक इडेक्स के प्रणेताओं के अनुसार ऋग्वेद में 'पणि' शब्द उस व्यक्ति का घोटक है जो सपतिवान हो, परन्तु न तो ईश्वर की हव्य अर्पित करता हो और न पुरोहितों को दक्षिणा देता हो, फलत सहिता के रचयिताओं की घृणा का पात्र हो।⁷³ एक अनुच्छेद में उन्हें 'बेकनाट' या सूदखोर (?) चताया गया है जिन्हें इद्र ने पराजित किया था।⁷⁴ पणि यज्ञ करने के लिए सम्म मध्य और वैदेय (वरोल्ड) पाने के अधिकारी भी थे। इन तथ्यों से नात होता है कि वे आर्य समुदाय के ही सत्त्व थे।⁷⁵ हिलब्राट उन्हें पर्णियों से अभिन्न मानते हैं।⁷⁶ पर्णि दहे अर्थात् अश्वारोही और लड़ाकू सीधियन जनजातियों के विशाल समुदाय के अग।⁷⁷ कैरिक इडेक्स के प्रणेता समझते हैं कि यह शब्द इतना व्यापक है कि इससे आदिवासी या विद्वेषी⁷⁸ आर्य जनजातियों का भी बोध होता है।

जिन परिच्छेदों में पणियों को कजूस बताया गया है और साथारणत अनुदार व्यक्तियों की निंदा की गई है उनमें से कुछ दान लोभी पुरोहितों के इशारे पर लिखे गए होंगे। किंतु उनसे सामान्यतया पता चलता है कि अपने बाथवों का गला दबाकर भी सपति इकट्ठी करने की प्रवृत्ति कुछ आर्यों में पाई जाती थी। ऐसे लोगों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी एकत्रित सपति में से इद्र तथा अन्य देवताओं को यन में धनराशि अर्पित करें जिससे इस धन में किर दूसरों को कुछ हिस्सा मिल सके⁷⁹ और जनसमुदाय को बार बार सहभोज का अवसर मिले। पर तूट के धन का अधिकाश अश जब वे लोग अपने पास रखने लगे तो आर्थिक और सामाजिक विपर्यया का जन्म हुआ।

आर्यों के अन्य जनजातियों के साथ और उनके अतार जनजातीय सम्पर्कों के कारण सभाज विशुद्धत होता गया और जैसे जैसे पशुपालन की अपेक्षा कृषि जौर पकड़ती गयी सामाजिक वर्गों की स्थापना हुई। यद्यपि ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग आर्य⁸⁰ और दास⁸¹ के लिए हुआ है किंतु इससे किसी ऐसे श्रम विभाजन का संकेत नहीं मिलता जो पर्वती कल में सभाज के व्यापक वर्गीकरण का आधार हुआ। आर्य वर्ण और दास वर्ण दो वृहद जनजातीय समूह हैं जो सामाजिक वर्गों के रूप में विवरित हो रहे हैं। आर्यों के सदय में इसके पर्वाना प्रभाग हैं। सेनार्ट भी आलोचना करते हुए ऑल्डेनबर्ग ने ठीक ही कहा है कि ऋग्वेद में जाति (कार्स्ट) की चर्चा नहीं है,⁸² किंतु इस सकलन से आरम्भिक अवस्था में सामाजिक वर्गभेद के थीरे थीरे पनपने का आभास मिलता है। उसमें 'द्राविण शब्द का प्रयोग पढ़ह बार और 'क्षत्रिय' शब्द का प्रयोग नौ बार हुआ है। किर भी 'जन और

विश्व 83 जैसे शब्दों के बार बार दुहराए जाने और उनके रीतिरिवाजों से पता चलता है कि ऋग्वेदिक समाज जनजातीय था। हमें मातृपूर्ण नहीं कि जब आर्य भारत में पहली बार आए तो उनके पास दास थे या नहीं। कीथ का विवार है कि वैदिक युग के भारतीय प्रथानवया पशुधारी थे⁸⁴ कम से कम ऋग्वेद के आरभिक भागों में वर्णित आयों के बारे में यह सर्वोच्चीन है। मानव विज्ञान सबसी अनुसंधानों से पता चलता है कि कुछ पशुधारी जनजातियों भी दास रखती हैं, हालांकि अपेक्षित अर्थ में दासप्रथा का अधिक विकासित रूप कृदक जनजातियों में दिखाई पड़ता है⁸⁵

इसमें सदैर नहीं कि हड्पा समुदाय की शहरी आबादी में जो आर्थिक विश्वमता थी, वह लगभग वर्गभेद जैसी थी।⁸⁶ ह्योलर की रप है कि हड्पा और भेसोपोटामिया के निवासियों के बीच दास व्यापार भी हुआ करता था।⁸⁷ यह मानना युक्तिसंगत है कि हड्पा की शहरी आबादी का विकास निकटवर्ती देहातों के किसानों द्वारा अतिरिक्त कृषि उत्पादनों की आवृत्ति के बिना नहीं हो सकता था। सिंधु पाटी का राजनीतिक ढाँचा सुप्रेर के राजनीतिक ढाँचे जैसा माना गया है, जहाँ पुरोहित राजा आजाशील प्रजा पर सुगठित अफसरशाही के माध्यम से शासन करता था।⁸⁸ हमें मातृपूर्ण नहीं कि हड्पा समाज के विभिन्न वर्गों और लोगों के साथ दस्युओं और दासों का कैसा सबव्य था। जो भी हो, ऋग्वेदिक आयों के आने के पहले सैंथव सम्पत्ता प्रायः नष्ट हो दुकी थी। गगा की धाटी में आर्य ज्यों ज्यों पूरब की ओर बढ़ते गए, उन्हें सम्प्रदत्या ताँबे के हवियार रखने वाले लोगों का मुकाबला करना पड़ा, जो उस सौत्र के प्राचीन निवासी थे।⁸⁹ हो सकता है कि ताप्रपुण के अन्य लोगों की धौति ये लोग भी वर्गों में बैठे रहे होंगे।

लथ्य उपलब्ध न रहने के कारण हड्पा समाज के बचे खुये लोगों और आयों के बीच व्या आदान प्रदान हुए, यह कहना कठिन है। बाहे ये अनार्य जो भी हों ऋग्वेद से तो लगता है कि उनके धन को आयों ने अवश्य लूटा। युद्ध में अपहरण की गई सपत्नि से जनजाति के नेताओं का ऐश्वर्य और सामाजिक दर्जा अवश्य बढ़ा होगा और उन्होंने मवेशी और दासियों का दान कर पुरोहितों का सरक्षण किया होगा। ऋग्वेद की यानस्तुति से यह स्पष्ट है। इस प्रकार ऋग्वेद में रथ पर जाते हुए एक यजमान की 'यनवान्, दाता, और समाजों में सहस्र' के रूप में विचित्र किया गया है।⁹⁰

ऐसा प्रतीत होता है कि आयों के विस्तार के पहले दौर में बस्तियों और दस्युओं जैसे लोगों का विनाश इतना अधिक किया गया कि नए समाज में आयों के विलयन हेतु उत्तर-परिवर्षी भारत में बहुत कम ही लोग बच रहे होंगे, हालांकि बाद में उनके विस्तार के क्रमों में ऐसी स्थिति नहीं भी रही होगी। एक ओर तो बचे हुए लोगों में से अधिकांश लोगों और विशेषतः अपेक्षाकृत पिछड़े वर्ग के लोगों को दासता स्वीकार रुठनी पड़ी होगी तथा दूसरी

और आयों के समाज में 'विश्' की सहज प्रवृत्ति यही रही होगी कि निम्न वर्ग में वित्तपन करें। आर्य पुरोहितों और योद्धाओं की प्रगृहित प्राचीन समाज के उच्च वर्ग से भिन्न जाने वीरही होगी। दो ऐसे प्रसंग मिले हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि कुछ मामलों में आर्य के दुश्मनों को इस नए और गिरित समाज में ऊँचा दर्जा दिया गया था। एक स्थल पर कहा गया है कि इद्र ने दासों को आर्य में परिवर्तित किया।⁹¹ साथण की टीका के अनुसार उन्हें आयों के जीवन के तीर-तीरों सिखाए जाते थे। एक अन्य प्रसंग में घर्षा आई है कि इद्र ने दस्युओं को आर्य की उपाधि से विधित कर दिया।⁹² क्या इससे यह अनुमान किया जाए कि कुछ दस्युओं को आर्य की हैसियत देकर भिर उन्हें अपने आर्यविरोधी कार्यकलापों के कारण उससे विधित कर दिया गया होगा? इन तथ्यों के आधार पर हम अनुमान करते हैं कि वैरियों के बचे हुए पुरोहितों और प्रमुखों को आयों के नए समाज में उनके उपसुक्त स्थान (सभवत निम्नतर कोटि का) दिया गया होगा।

कहा गया है कि ब्राह्मणवाद आयों से पूर्व की सस्था है।⁹³ सारे पुरोहितवर्ग के विषय में यह कहना कठिन है। लैटिन फ्लामेन रोमन राजाओं द्वारा स्थापित एक प्रकार के पुरोहित पद का अधिकार है, जिसका समीकरण ब्राह्मण शब्द से किया गया है।⁹⁴ इस समानता के अतिरिक्त वेदकालीन भारत के अधर्वन पुरोहित और ईरान के अधर्वन की सुपरिवित समानता है। किंतु फिर भी एक प्रमुख आपति वा उत्तर देना शेष रह जाता है। कीथ का कथन है कि ऋग्वैदिक मान्यता और वैदिक देवताओं की अपेक्षाकृत बहुलता पुरोहितों के कठिन प्रयास और अपरिमित रामन्यवाद का परिणाम रही होगी।⁹⁵ इतना ही नहीं वेदों और महाकाव्यों की परपरा से पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं जिनसे पता चलता है कि इद्र ब्राह्मणधारी थे और उनका मुख्य दुश्मन वृत्र ब्राह्मण था।⁹⁶ इससे यह परिकल्पना पुष्ट होती है कि विकसित पुरोहित प्रथा आयों के पहले की प्रथा थी, जिससे निष्कर्ष निकल सकता है कि जो लोग पराजित हुए वे सभी दास या शूद्र नहीं बना लिए गए। अतएव यथापि ब्राह्मणवाद भारोपीय सत्था था फिर भी आर्य विजेताओं के पुरोहित वर्ग में अधिकाश विजित जाति के लोग लिए गए होने।⁹⁷ उनका अनुपात क्या रहा होगा यह चताने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, किंतु प्रतीत होता है कि आर्यपूर्व पुरोहितों को इस नए समाज में स्थान मिला था। यह सोचना गलत होगा कि सभी काले लोगों को शूद्र बना लिया गया था, क्योंकि ऐसे प्रसंग आए हैं जिनमें काले झरणियों की चर्चा है। ऋग्वेद में अश्विनी के सबध में जो वर्णन किया गया है उसके अनुसार उन्होंने काले वर्ण के (श्यावाय) कण्व को गोरवर्ण की स्त्रियां प्रदान की थी।⁹⁸ सभवत कण्व को कृष्ण भी कहा गया है⁹⁹ और वे इन सुप्त देवों को सबोधित सूर्तों (ऋग्वेद के घडल आठ सूक्त पद्यासी और त्रियासी) के द्रष्टा हैं। शायद कण्व को ही पुन ऋग्वेद के प्रथम मङ्गल में कृष्ण

ऋषि के रूप में विनियत किया गया है।¹⁰⁰ इसी प्रकार ऋग्वेद की एक ऋचा में गायक के रूप में वर्णित 'दीर्घतमसु' काले रंग का रङ्ग होगा अगर यह नाम उसे काले वर्ण के कारण मिला हो।¹⁰¹ यह महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद के कई अनुच्छेदों में वह केवल मातृमूलक नाम 'मापतेव' से ही चर्चित है। बाद की एक अनुशुश्ति यह भी है कि उसने उशिज से विवाह किया जो एक दास की लड़की थी और उससे काशीवत् उत्पन्न हुआ।¹⁰² पुन ऋग्वेद के प्रथम मठल में ऋषि दिवोदास को, जिनके नाम से ही ध्वनित होता है कि वे दास वश के थे,¹⁰³ नई ऋचाओं का रचयिता बताया गया है।¹⁰⁴ तथा दसवें मठल में उसके सूक्त बयालिस चौवालिस के लेखक अगिरस को कृष्ण कहा गया है।¹⁰⁵ चूंकि ऊपर बताए गए अधिकाश निर्देश ऋग्वेद के परवर्ती भागों में पड़ते हैं इसलिए यह स्पष्ट होगा कि ऋग्वैदिक काल के अतिम चरण में नवगठित आर्य समुदाय में कुछ काले ऋषियों और दास पुरोहितों का प्रवेश हो रहा था।

इसी प्रकार मालूम पड़ता है कि कुछ पराजित सरदारों को नए समाज में उच्च स्थान दिया गया था। दास के प्रमुखों—यथा बलबूथ और तरुक से पुरोहितों ने जो उपहार ग्रहण किया उसके चलते इन लोगों की बड़ी सराहना हुई और नए समाज में उनका दर्जा भी बढ़ा। दास उपहार प्रस्तुत करने की स्थिति में थे और उन्हें दानी समझा जाता था यह निष्कर्ष दश थानु के अर्थ से ही निकाला जा सकता है जिससे दास सज्जा का निर्माण हुआ है।¹⁰⁶ बाद में भी विलयन की प्रक्रिया चलती रही क्योंकि बाद के साहित्य में इस अनुशुश्ति का उल्लेख है कि प्रतदन दैवोदासि इत्रलोक गए¹⁰⁷ और ऐतिहासिक दृष्टि से इद्व आर्य आमणकारियों के नामधारी शासक थे।

प्राचीन ग्रथ इस तथ्य पर विशेष प्रकाश नहीं ढालते कि सामान्य आर्यजन (विश) और प्राचीन समाज के अवशिष्ट लोगों का आत्मसातीकरण किस प्रकार हुआ। सभवत अधिकाश लोग आयों के समाज के चौथे वर्ण में मिला लिए गए। किंतु पुरुष सूक्त को छोड़कर ऋग्वेद में शूद्र वर्ण का कोई प्रमाण नहीं है। हाँ ऋग्वैदिक काल के आरम्भ में दासियों का छोटा सा आलानुवर्ती समुदाय विद्यमान था। अनुभानत आयों के जो शत्रु थे उनमें पुरुषों के मारे जाने पर उनकी पलियों दासता की स्थिति में पहुँच गई। कहा गया है कि पुरुकुत्स के बेटे ब्रसदस्यु ने उपहार के रूप में पनास दासियों दी।¹⁰⁸ अथवैदिक के आरभिक अशों में भी दासियों के सब्य में प्रमाण मिलते हैं। उसमें दासी का जो वित्र उपभित दिया गया है उसके अनुसार उसके हाथ भीगे रहते थे, वह ओखल-मूसल कूटती थी।¹⁰⁹ तथा गाय के गोबर¹¹⁰ पर पानी छिड़कती थी। इससे पता चलता है कि वह घरेलू कार्य करती थी। इस सहिता में काली दासी का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है।¹¹¹ सदभों से पता चलता है कि आरभिक वैदिक समाज में दासियों से गृहकार्य कराया जाता था। दासी

शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है कि वे परागित दासों की विवरणी थीं।

गुलाम के अर्थ में दास शब्द का प्रयोग अधिकाशत् ऋग्वेद के परदर्ती भागों में पाया जाता है। प्रथम महात् में दो जगह¹¹², दशम महात् में एक जगह¹¹³ और अष्टम महात् में जो अतिरिक्त सूक्त (बालधिल्य) जोड़े गए हैं, उनमें एक जगह¹¹⁴ इसका प्रसंग आया है। इस प्रकार का एकमात्र प्राचीन प्रसंग आठवें महात् में पाया जाता है।¹¹⁵ ऋग्वेद में कोई दूसरा शब्द नहीं मिलता जिसका अर्थ दास लगाया जा सकता हो। इससे स्पष्ट है कि आरम्भिक ऋग्वेद काल में शायद ही पुरुष दास रहे होंगे।

उत्तर ऋग्वेद काल में दासों की सच्चा और स्वरूप के बारे में जो प्रसंग आए हैं उनसे केवल पुंथला सा वित्र उभरता है। बालधिल्य में सौ दासों की घर्षा आई है किन्तु गदहे और भेड़ की कोटि में रखा गया है।¹¹⁶ बाद के एक अन्य प्रसंग में आए 'दासप्रवर्गा' का अर्थ सपति या दासों का समूह किया जा सकता है।¹¹⁷ इससे यह स्पष्ट है कि ऋग्वेद काल के अत में दासों की सच्चा बढ़ रही थी। किंतु ऐसा कोई प्रमाण उपनिषद् नहीं है जिससे सिद्ध हो सके कि उन्हें किसी उत्पादन कार्य में लगाया जाता था। सभवत् उन्हें घरेलू नौकर की तरह रखा जाता था जिसका मुख्य कार्य अपने मालिक की सेवा करना था जो या तो सरदार या पुरोहित होते थे। सामान्यत ऐसे मालिक दीर्घतमसु के पास दास थे।¹¹⁸ इन दासों को मुक्त रूप से किसी के हाथ सौंपा जा सकता था।¹¹⁹ ऐसा प्रनीत होता है कि कोई व्यक्ति ऋण नहीं चुका पाता, तो उसे दास बना लिया जाता था।¹²⁰ पर ऋण में ऐसे नहीं शिए जाते थे क्योंकि सिक्के का प्रबलन नहीं था। वास्तव में 'दास नाम से ही प्रकट होता है कि वैदिक काल में दासता का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मुख्य था। दास जनजाति के लोग युद्ध में विजित होने पर भी दास के नाम से पुकारे जाते थे पर इससे उनकी गुलामी का बोय होता था।

दास कौन थे? साधारणत दासों और दस्तुओं को एक मान लिया जाता है। किंतु दस्तुहत्या शब्द के प्रयोग तो हैं, पर दासहत्या शब्द का प्रयोग नहीं मिलता आर्यों के अतर्जतीय मुद्दों में दासों को सहायक सेना के रूप में दिखाया गया है। अपद्रत, अन्यद्रत, आदि के रूप में उनका वर्णा नहीं किया गया है तीन स्थलों पर दास विशेष का उल्लेख किया गया है¹²¹ और सबसे बढ़कर तो यह कि एक सीधियन जनजाति—ईरानी दहे¹²² से उनको अभिन्न दिखाया गया है। इन सब तथ्यों से दासों और दस्तुओं का उत्तर स्पष्ट है। दस्तुओं और वैदिक आर्यों में समानता की बात बहुत ही कम आती है।¹²³ इसके विपरीत दास सभवत् उन मिश्रित भारतीय आर्यों के अधिभ दस्ते थे जो उसी समय भारत आए जब केसाइट बैशीलोनिया यहुंवे थे (1750 ई पू.)। पुरातात्त्विकों का अनुमान है कि उत्तर फारस से भारत की ओर लोगों का प्रस्थान या तो निरतर होता रहा अथवा उनका

आगमन मुख्यत दो बार हुआ था, जिसमें पहला आगमन 2000 ई पू के तुरत बाद हुआ था।¹²⁴ शायद इसी कारण आयों ने दासों के प्रति मेलमिलाप की नीति अपनाई और दिवोदास, बलबुध एवं तरुण जैसे उनके सरदार आयों के दल में आसानी से आत्मसात किए जा सके। अतर्जातीय संघर्षों में अधिकतर आयों के सहायक के स्वरूप में दासों के उल्लेख का भी यही कारण है। इससे लगता है कि गुलाम के अर्थ में दास शब्द का प्रयोग भारत के आर्येतर निवासियों के बीच नहीं, बल्कि भारतीय आयों से सबसे लोगों के बीच प्रचलित था। ऋग्वेद के उत्तरवर्ती काल में दास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होने लगा होगा जिससे न केवल मूल भारोपीय दासों के वशजों बल्कि दस्तु और रासास जैसे आर्य पूर्व लोगों और आर्य समुदाय के उन सदस्यों का भी बोध होता होगा जो अपने आतंरिक संघर्षों के कारण अकिञ्चनता या गुनामी की रितिंति में पहुँच गए थे।

यदि आयों की सख्त्या कम होती तो वे पराजित लोगों पर नए अत्यस्त्वयक उच्चवर्गीय शासक के स्वरूप में अपने को स्थापित करते जैसा कि हितियों (हिट्याइट), कसाइटों और भितत्री ने पश्चिम एशिया में किया था। किंतु ऋग्वैदिक प्रमाण इस बात के प्रतिकूल है।¹²⁵ न केवल पराजित लोगों की जन हत्या बल्कि कितनी ही आर्य जनजातियों की बरितायों का भी उल्लेख मिलता है।¹²⁶ फिर, भारत के बहुत बड़े हिस्से में आर्य भाषाओं के प्रचलन से भी यह अनुभान किया जा सकता है कि इन भाषाओं के बोलनेवाले बड़ी तादाद में आए थे। आगे चलकर बताया गया है कि उत्तर भारत की आशादी में वैश्यों के साथ साथ शूद्रों की सख्त्या बहुत अधिक थी किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वे आर्येतर भाषाएँ बोलते थे। दूसरी ओर, शूद्र के लिए यन में प्रयुक्त सबोधन से स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल में शूद्र आयों की भाषा समझते थे।¹²⁷ इस सबव्यय में महाभारत की एक अनुश्रुति महत्वपूर्ण है ‘ब्रह्मा ने वेद के प्रतीकस्वरूप सरस्वती का निर्माण पहले चारों वर्णों के लिए किया, किंतु शूद्र धनलिपा में पड़कर अलानाथकार में झूब गए और वेद के प्रति उनका अधिकार जाता रहा।’¹²⁸ वेदर की दृष्टि में इस कठिका से यह ख्यनित होता है कि प्राचीन युग में शूद्र आयों की भाषा बोलते थे।¹²⁹ सभव है कि कुछ स्वस्थानिक जनजातियों ने अपनी बोती के बदले आयों की बोलियों अपना ली ही, जैसे आयुनिक युग में बिहार की कई जनजातियों ने अपनी भाषा छोड़कर कुर्मली और सदाना जैसी आर्य चौलियाँ अपना ली हैं। किंतु उन्होंने जिन लोगों की भाषा अपनाई, उनकी अपेक्षा इन आदिवासियों की सख्त्या अवश्य कम रही होगी। आयुनिक युग में भी, जबकि आर्यभाषा बोलनेवालों को अपनी भाषा और संस्कृति का प्रसार करने के लिए अधिक सुविधाएँ प्राप्त हैं वे आर्येतर भाषाओं को नहीं मिटा पाए हैं। इन आर्येतर भाषाओं में कुछ तो अपनी सशक्त वर्णनशीलता सिद्ध कर चुकी हैं।

ऊपर बताए गए तथ्यों के आधार पर यह कहना दुर्साहस नहीं होगा कि आर्य बड़ी

तादाद में भारत आए। वैरी जनजातियों के साथ मिश्रण के बावजूद, आर्य सरदारों और पुरोहितों दी सम्मा बहुत कम रही होगी। कालज्ञम से आर्य जन जातियों के अधिकाश लोग पशुपालक और किसान बन गए, और कुछ लोग श्रमिक बन गए। पर ऋग्वेद काल में आर्थिक और सामाजिक विशिष्टीकरण की प्रक्रिया अत्यंत आरभिक अवस्था में थी। इस जनजातिप्रथान समाज में सैनिक नेताओं को अतिरिक्त अनाज या मदेशी प्राप्त करने के नियत और नियमित साधन प्राप्त नहीं थे, जिससे वे और उनके धार्मिक समर्थक अपना निर्वाह और समुन्नति कर सकते। यह समाज मुख्यतः धुम्रतू और पशुचारी था और इसमें कृषि अथवा एक जगह बसने की प्रधानता नहीं थी। अतएव अनाज की चर्चा दान के रूप में भी नहीं आई है और कर देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मुख्द में पराजित लोगों से उपहार के रूप में या सूटपाट से जो सपत्नि आर्य समुदायों को प्राप्त होती थी वही उनसी आमदनी थी और प्राप्त इस सपत्नि में भी उन्हें जनजाति के सभ्यों को हिस्सा देना पड़ता था।¹³⁰ ऋग्वेद में केवल बलि ही एक शब्द है जो एक प्रकार से कर का घोलक है। साधारणतया इसका तात्पर्य है देवता को अर्पित चढ़ावा¹³¹ किंतु इसका प्रयोग राजा को दिए गए उपहार के रूप में भी किया जाता है।¹³² अनुमान है कि बलि का भुगतान करना ऐव्यिक था¹³³ क्योंकि लोगों से इसकी वसूली के लिए कोई करवसूली संगठन नहीं था। जनजातीय राजा द्वारा अपने योद्धाओं और पुरोहितों को अनाज या भूमि के दान का दृष्टान्त नहीं मिलता। इसका कारण शायद यह था कि भूमि पूरे जनसमुदाय की सपत्नि थी। ऋग्वेदिक समाज एक प्रकार का समतावादी समाज था यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि पुरुष या स्त्री प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही वैत्येष प्राप्त करने का परपरासिद्ध अधिकार प्राप्त था¹³⁴ जो एक सो गायों के बराबर था।¹³⁵

सारांश यह कि ऋग्वेद एव अथर्ववेद में वर्णित समाज में गहरे वर्णभेद का अभाव था जैसा सामान्यतया प्रारभिक आदिम समाजों में देखने को मिलता है।¹³⁶ प्राप्त पुराणों में वर्णव्यवस्था की उत्पत्ति के विषय में जो अनुमान किए गए हैं वे उस स्थिति का ही उल्लेख करते हैं। इन अनुमानों के अनुसार त्रैता युग का आरभ होने तक न तो कोई वर्णव्यवस्था थी न कोई व्यक्ति लालची था और न लोगों में दूसरे की वस्तु चुरा लेने की प्रवृत्ति ही थी।¹³⁷ किंतु अति प्राचीन काल में भी सैनिकों नेताओं और पुरोहितों के मध्य उद्भव के साथ साथ खेतिहार किसान और हस्तकलाओं का व्यवसाय करनेवाले कारीगर या शिल्पी जैसे वर्गों का भी उद्भव हुआ। बुनकर (जुलाहे), चर्मकार बढ़ई और वित्रकार के लिए एक ही ढंग के शब्दों का प्रयोग उनके भारोपीय उद्भव का संकेत देता है।¹³⁸ रथ के लिए एक भारोपीय शब्द के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि भारोपीय लोग रथ का निर्माण करना जानते रहे होंगे।¹³⁹ किंतु ऋग्वेद में जहाँ पहले के अनेकानेक परिच्छेनों में बढ़ई के

कार्य की घर्ता हुई है, वहाँ रथकार शब्द का प्रयोग नहीं दिखाई पड़ता।¹⁴⁰ अद्वैट से संकेत मिलता है कि रथनिर्माता (रथकार) और यातुकर्म करनेवाले (कर्मार) को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसी ग्रन्थ के आर्थिक भाग में नवनिर्वाचित राजा पर्णमणि (पादपीपतादीज) से प्रार्थना करता है कि वह आसपास रहनेवाले कुशल रथ निर्माताओं और यातुकर्म करनेवालों के बीच उसकी स्थिति सुदृढ़ करने में सहायक हो। प्रार्थना का उद्देश्य शिल्पियों को राजा का सहायक बनाना है¹⁴¹ और इस दृष्टि से वे राजाओं, राजनिर्वाचितों सूतों और दलपतियों (ग्रामणी) के समकक्ष मातृम पड़ते हैं,¹⁴² जो सब राजा के आसपास रहते हैं और जो राजा के सहायक भाने जाते हैं।¹⁴³

स्पष्ट है कि आर्य समुदाय के सदस्य (विशु) ऊपर बताए गए शिल्पों का व्यवसाय करते थे और उन्हें किसी तरह हीन नहीं समझा जाता था। ऋग्वेद की एक पर्वती ऋचा में बढ़ई का वर्णन इस रूप में किया गया है कि वह सामान्यतया अपना काम तब तक झुककर करता रहता है जब तक उसकी कमर दूटने न लग जाए।¹⁴⁴ इससे आभास मिलता है कि उसका कार्य कठिन था पर इससे हमारे मन में उसके प्रति धृणा के भाव नहीं जगते हैं। वैदिक काल के सदर्भ में यह नहीं कहा जा सकता कि बढ़ई नीची जाति के थे या उनका अपना पृथक वर्ण था।¹⁴⁵ किंतु कर्मार, बढ़ई (तक्षन), चर्मसु¹⁴⁶, जुलाहे और अन्य लोग जिनका व्यवसाय ऋग्वेद में सम्मानजनक माना गया है और जिनका विशु के सम्मानित सदस्य भी आदर करते थे, पालि ग्रन्थों में शूद्र माने गए हैं।¹⁴⁷ सभव है कि आर्यतर लोगों ने भी स्वतंत्र रूप से इन शिल्पों को अपनाया हो¹⁴⁸ पर इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्य शिल्पियों के अनेक वशज जो अपने प्राचीन व्यवसाय में ही लगे रहे शूद्र समझे जाने लगे।

चतुर्वर्ण की उत्पत्ति के बारे में प्राचीनतम अनुमान ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में दर्जित सृष्टि सबसी पुरुकथा में पाया जाता है। समझा जाता है कि इस सहिता के दशम भड़त में यह विषय बाद में अतर्वेशित किया गया है। लेकिन उत्तर वैदिक साहित्य¹⁴⁹ में और गाथाकाव्य¹⁵⁰ पुराण¹⁵¹ तथा धर्मशास्त्र¹⁵² की अनुश्रुतियों में भी इसे कुछ हेरफेर के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति आदिमानव (ब्रह्मा) के मुँह से क्षत्रिय की उनकी भुजाओं से वैश्य की उनकी जोधो से और शूद्र की उनके पैरों से हुई थी।¹⁵³ इससे या तो यह स्पष्ट होता है कि शूद्र और अन्य तीन वर्ण एक ही वश के थे और इसके फलस्वरूप वे आर्य समुदाय के अग थे, अथवा इसके द्वारा विभिन्न जातियों को ब्राह्मणीय समाज में उत्पत्ति की कहानी के द्वारा मिलाने का प्रयास किया गया। पुरुषसूक्त ऋग्वेद के अंतिम अश में है¹⁵⁴ और इसे कालक्रम की दृष्टि से अधर्वैदिक युग के अंत का माना जा सकता है।¹⁵⁵ यह जनजातियों के सामाजिक वर्गों में विपटित होने का संदर्भित औचित्य प्रस्तुत करता है। श्रम का विभाजन ऋग्वैदिक काल में ही बाकी

विकसित हो चुका था। किंतु, यद्यपि एक ही परिवार के विभिन्न सदस्य कवि, गिषक और पाठक (पिसाई करनेवाले) का काम करते थे,¹⁵⁶ इससे कोई सामाजिक भेदभाव उत्पन्न नहीं होता था। पर अर्थवैदिक काल के अत में कायौं की भित्रता के आधार पर सामाजिक हैसियत में भी अतर किया जाने लगा और इस प्रकार जनजातियों द्वारा कुनबों का सामाजिक दण्डों में विघटन शुरू हुआ। मातृम होता है कि शूद्र या दासकर्म करनेवाले कुछ आर्य चतुर्थ वर्ण की श्रेणी में आ गए। इस अर्थ में चारों वर्णों की समान उत्पत्ति की कथा में सत्य का अश है। किंतु यह परपरा पूर्णतः सत्य नहीं मानी जा सकती। सभव है कि बाद में आर्य शूद्रों के वशजों की सख्त्या गगा की नई उर्वर धाटियों में बढ़ती गई हो। साथ ही वैदिक काल से लेकर आगे तक विभिन्न प्रकार के विभिन्न वर्णों के आर्यतर आदिवासी धेरे धेरे बड़ी सख्त्या में शूद्र वर्ण में सम्प्रलित किए गए।¹⁵⁷ वर्णों की समान उत्पत्ति के बारे में यही अर्थ ही परपरा से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि आर्यतर जनजातियों फिस प्रकार ब्राह्मणीय समाज में प्रवेश पा सकीं लेकिन यह कल्पना उपयोगी सिद्ध हुई। यह विभिन्न प्रकार के सोगों को मिलाने और उन्हें साथ ले चलों में सहायक हो सकीं और दूसिंह शूद्रों को प्रथम मानव के चरण से उत्पन्न माना गया है। इससे ब्राह्मणप्रधान समाज में उनकी गुलामों जैसी स्थिति को न्यायसिद्ध माना और बताया जा सका।

तीन उच्च वर्णों की सेवा करनेवाले सामाजिक वर्ण के रूप में शूद्रों का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया है? ऋग्वेदकालीन समाज में कुछ दास दासियों होती थीं जो घेरेलू नोकर के रूप में काम करती थीं पर उनकी सख्त्या इतनी नहीं थी कि उनको मिलाऊ शूद्रों का दास वर्ण बन पाता। समाज के वर्ण के रूप में शूद्रों का प्रथम और एकमात्र उल्लेख ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में आया है जिससी पुनरावृत्ति अथवैद के उत्तीर्णवें भाग में हुई है।¹⁵⁸ इसी भाग के दो अन्य परिच्छेदों में भी चार वर्णों का संकेत किया गया है। इसमें से एक परिच्छेद में दर्भ (धास) से प्रार्थना की गई है कि वह प्रार्थी को ब्राह्मण शत्रिय शूद्र और आर्य का प्रियपात्र बनाए।¹⁵⁹ यहाँ आर्य शब्द का प्रयोग प्राय वैश्य के लिए किया गया है। दूसरे परिच्छेद में देवों और राजाओं के साथ साथ शूद्र तथा आर्य दोनों के ही प्रियपात्र बनने की इच्छा व्यक्त की गई है।¹⁶⁰ मातृम होता है कि यहाँ देव ब्राह्मण के लिए और आर्य वैश्य के लिए प्रयुक्त हुआ है।¹⁶¹ हमें भ्यरण रखना है कि ये सभी परिच्छेद उत्तीर्णवें भाग में आए हैं जो बीसवें भाग को मिलाकर अथवैद के मुख्य सकलन का परिशिष्ट है।¹⁶² इसके पूर्व के एक परिच्छेद में ब्राह्मण राजन्य या शूद्र ढारा किए गए जातू टोने (या उनके ढारा बनाए गए ताबीज) का उल्लेख है और एक मत्र में बताया गया है कि प्रयोग करनेवाले को भी जातू का झटका लग सकता है।¹⁶³ यह परिच्छेद अथवैद के द्वितीय खण्ड (भाग आठ बारह) में है जिसके सबथ में विटने की राय है कि इसकी रचना स्पष्टतः पुरोहितों ने

की होगी।¹⁶⁴ इससे यह स्पेक्ट्रा मिलता है कि धर्मव्यवस्था का गिराव पुरीहितों के प्रभाव में हुआ। हमारे काम का केवल एक प्रसाग ऐसा है जिसे छिट्ठों के अनुसार अदरविद के आरणीक कात का कहा जा सकता है। इसमें ब्राह्मण, राज्य और पैश्य का उल्लेख हो हुआ है¹⁶⁵ किंतु शूद को छोड़ दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि अदरविद कात के अत में ही शूदों को समाज के एक वर्ण के रूप में विभिन्न किया गया है। इसी अवधि में उनसी उत्पत्ति के सबूत में पुछासूक्त में उल्लिखित उत्ति का समावेश 'ऋग्वे' के दशम मण्डल में किया गया होगा।

लोग जानता चाहते हैं कि घटुर्य वर्ण शूद को कहताने सामा। मातृम होता है कि जिस प्रकार सामान्य पूरोहीय शब्द 'स्तेव' और सस्कृत शब्द 'दास' विभिन्न जनों के नाम पर बने थे उसी प्रकार शूद शब्द उत्ति नामधारी परागित जनजाति के नाम पर बना था। इसा पूर्व धौधी शताब्दी में शूद नाम की जनजाति थी, यदोंकि डियोडोरस ने लिखा है कि सिक्किर ने आपुनिक सिंघ के कुछ इसाकों में रहनेवाली सोद्रई नामक जनजाति पर चढ़ाई की थी।¹⁶⁶ ग्रीक सेप्टक्टो ने जिन जातियों का उल्लेख निया है, उनका अतिरिक्त अतिप्राचीन कात में भी देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ एरिया द्वाय धर्मित अबस्तानोई (जिसे डियोडोरस ने सबस्ताई कहा है) को ऐतिहेय ब्राह्मण के अदर्षों का समरूप माना गया है।¹⁶⁷ इस ब्राह्मण में एक अवश्य रुजा की धर्मा है।¹⁶⁸ यही बात शूद जनजाति पर भी सामूहिती है और इस तरह संगमण ई पू 10 वीं शताब्दी की शूद जाति और धौधी शताब्दी की शूद जनजाति में साम्य देखा जा सकता है।

अदरविद के आरणीक भाग में शूदों के तीन उल्लेखों की इस दृष्टि से विवेचना की जा सकती है। छिट्ठों का कथन है कि ये अदरविद के प्रथम घड (भाग 17) में आते हैं जो परम लोकमूलक हैं और सभी प्रकार से उस सहिता का जात्यता अभिलाशाणिक अश है।¹⁶⁹ इनमें से दो सदमों में पुजारी चाहता है कि हर किसी को चाहे वह आर्य हो या शूद, यदी चूटी की सहायता से परखे ताकि जादूगर का पता चल जाए।¹⁷⁰ इस सबूत में ब्राह्मण या राजन्य का कोई उल्लेख नहीं हुआ है। अब प्रश्न यह है कि यहाँ आर्य और शूद दो सामाजिक वर्णों (वर्णों) के प्रतीक हैं या दो जनजातियों के। इनमें से उत्तरवर्ती कल्पना युक्तिसुक्त लगती है। पहले आर्य और दास या दस्यु के बीच जो विरोध रहता था वह अब बदलकर आर्य और शूद के बीच का हो गया। यह विशेष रूप से ध्यान देने धोये हैं कि ये निर्णय सामाजिक विभेद या अशक्तताओं का ऐसा आभास नहीं देते जो वर्ण की कल्पना में अतर्निहित है। उनकी तुलना उसी सटिता के एक अन्य परिच्छेद से की जा सकती है जिसमें आर्य और दास की धर्मा है और जिसमें पुरोहित या वहण ने यह दावा किया है कि उसने जिस मार्ग या अनुसरण किया है उसे कोई दास या आर्य विनष्ट नहीं कर सकता।¹⁷¹

ऋग्वेद में इसी तरह की अन्य ऋचाएँ भी आई हैं, जिनमें पुरोहित चाहता है कि वह अपने दुश्मन आर्यों और दासों या दस्युओं को परास्त करे। वैदिक ग्रथों में आए हुए सामाजिक सब्दों के प्रत्यक्ष निर्देशों का सही अर्थ लगाने में ब्राह्मण टीकाकार इसलिए सफल नहीं हो सके कि उनका व्यान सदा बाद में होनेवाली घटनाओं की ओर सगा रहता था। ऋग्वेद में आर्य और दास शब्दों का अर्थ ऐसे रूप में किया गया है, वह इस आशय का उदाहरण कहा जा सकता है। साध्य आर्य को प्रथम तीर्थ वर्णों का और दास को शूद्र वर्ण का मानते हैं।¹⁷² स्पष्ट है कि साध्य ने यह टीका बाद में समाज के बार वर्णों में विभक्त होने के आधार पर की, जिनका औचित्य वह सिद्ध करना चाहते हैं। इसी प्रकार यहाँ जिस अधर्वैदिक प्रसंग का विवेचन किया जा रहा है उसमें साध्य ने आर्य की व्याख्या तीन वर्णों के सदस्य के रूप में की है,¹⁷³ जिससे सहज ही शूद्र चौथे वर्ण के प्रतिनिधि हो जाते हैं। किंतु धर्मशास्त्रों में आर्य और शूद्र के प्रति जो दृष्टि अपनाई गई है, उसके आधार पर पहले के ग्रथों का सही अर्थ लगाना बहुत कठिन हो जाता है।

अथवैद के आरभिक भाग में शूद्र को जनजाति माना गया है। इस आशय का निष्कर्ष इसमें उपलब्ध तीसरे प्रसंग से भी निकाला जा सकता है जिसमें ‘तक्ष्मन्’ ज्वर से कहा गया है कि वह मुजवतों बलिहारों और महावृषों के साथ साथ कुलता शूद्र महिलाओं को भी ग्रसित करे।¹⁷⁴ मालूम है कि ये सभी जन उत्तरपूर्व भारत के निवासी थे,¹⁷⁵ जहाँ शूद्र जनजाति आभीरों के साथ रहती थी¹⁷⁶ जैसा कि यहाभारत में बताया गया है। एक अन्य ऋचा में भी इस इच्छा की पुनरावृत्ति की गई है कि ज्वर विदेशियों को ग्रसित करे।¹⁷⁷ इससे आशास मिलता है कि शूद्र महिलाओं का उत्तेष्ठ जिस सदर्भ में हुआ है वह अथवैदकालीन आर्यों के उस बैर भाव का बोतक है जो उनके मन में भारत के उत्तर पश्चिम भाग के विजातीय निवासियों के प्रति रहता था। अत यहाँ सम्बत शूद्र शब्द का अर्थ है शूद्र जाति की महिला। पैलाद शाखा की एक ऐसी ही ऋचा में शूद्रा की जगह दासी शब्द का प्रयोग हुआ है,¹⁷⁸ जिससे लेखक की राय में यह प्रकृत होता है कि ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। अत अथवैद के आरभिक भाग में जो शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है उसे वर्ण के अर्थ में नहीं, बल्कि जाति के अर्थ में लेना चाहिए, जो प्रसंग की दृष्टि से अधिक समीक्षीय मालूम पड़ता है।

महाभारत में आभीरों के साथ शूद्रों की चर्चा बार बार जनजाति के स्पष्ट में हुई है जिससे ईपू. दसर्वी शताब्दी की परपराओं का आभास मिलता है। इस महाकाव्य में शूद्र कुल का उत्तेष्ठ क्षत्रिय और वैश्य कुल के साथ हुआ है,¹⁷⁹ और शूद्र जनजाति का वर्णन आभीरों दरवों तुखारों पहलवों आदि के साथ हुआ है¹⁸⁰ तथा कुल एवं जाति के बीच स्पष्ट भेद दिखाया गया है। नकुल ने अपनी दिग्बिजय यात्रा के क्रम में जिन जातियों को

परापित किया, उनकी सूची में¹⁸¹ तथा राजसुध पद्म के अवसर पर मुहिष्ठिर को जिन लोगों ने उपहार प्रस्तुत किए उनकी सूची में¹⁸² भी शूद्र का उल्लेख जनजाति के स्वरूप में हुआ है। इनका कालक्रम निर्धारित करने के लिए समवत् एक और भारत युद्ध के समय विद्यमान शूद्रों और आभीरों तथा दूसरी ओर बाद में इस सूची में प्रक्षिप्त शाकों, तुखारों, १ पहलवों, रोमकों, चीनों और हूणों आदि जनों के बीच विभेद करना पड़ेगा।¹⁸³ भारतोपेतर स्थोत्रों से ऐसा कुछ पता नहीं चलता कि ईस्वी सन के पूर्व या पश्चात की कुछ आरंभिक शताब्दियों में शूद्रों और आभीरों का बाहरी देशों से भी कोई सबूत था। इस बात के समर्थक तथ्य शायद ही उपलब्ध हैं कि आभीर ईसा की आरंभिक शताब्दियों में भारत आए। मात्रूम् १ होता है कि भारत-युद्ध के समय वे जनजाति के स्वरूप में यहाँ रहते थे,¹⁸⁴ पर उस महायुद्ध के पश्चात जो अस्तव्यस्तता की अवधि आई उसमें वे पजाब में बिखर गए।¹⁸⁵ आभीरों के साथ शूद्रों का जो बार बार उल्लेख हुआ है उससे संकेत मिलता है कि वे पुरानी जनजाति के थे और युद्ध के समय सुखी एव सप्त्र थे। अद्यविदि के आरंभिक अश में शूद्र शब्द के जनजाति स्वरूप किए गए अर्थ के यह सर्वथा उपयुक्त है।

दूसरा प्रश्न यह है कि शूद्र आर्य थे या आर्य आगमन से पहले की जनजाति थे और यदि वे आर्य थे तो भारत में किस समय आए। शूद्र जनजाति के मानवजातीय कर्णीकरण (एथनोलॉजिकल क्लासीफिकेशन) के विषय में परस्पर विरोधी विद्यार व्यक्त किए गए हैं। पहले यह माना जाता था कि पहले पहले जो आर्य आए उनमें से कुछ शूद्र जनजाति के थे,¹⁸⁶ बाद में यह माना जाने लगा कि शूद्र आर्यपूर्व जनों की एक शाखा थे,¹⁸⁷ किंतु दोनों विद्यारों में से किसी के भी पश्च में कोई सबल प्रमाण नहीं है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सोचा जा सकता है कि शूद्र जनजाति का आयी के साथ कुछ सादृश्य था। शूद्रों की चर्चा हमेशा आभीरों के साथ हुई है,¹⁸⁸ जो आयों की एक दोती 'आभीरी' बोलते थे।¹⁸⁹ ब्राह्मणकान् में शूद्र आर्य की भाषा समझने में समर्थ थे, जिससे परोक्ष रूप में सिद्ध होता है कि वे आयों की भाषा जानते थे। इतना ही नहीं, शूद्र की आर्य-पूर्व लोगों द्वाया इविड, पुरिंदि शब्द आदि की सूची में कभी शामिल नहीं किया गया है। उन्हें बराबर उत्तर पश्चिम का निवासी माना गया है,¹⁹⁰ जहाँ आगे चलकर मुख्यतः आर्य ही निवास करते थे।¹⁹¹ आभीर और शूद्र सरस्वती नदी के निकट रहते थे।¹⁹² कहा जाता है कि इन लोगों के प्रति दैर भाव के कारण सरस्वती मठमूर्मि में विलीन हो गई।¹⁹³ ये सदर्भ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दृष्टिकोण के साथ सरस्वती उस प्रदेश की एक सीमा स्थिर करती थी जो आर्य देश कहलाता था। ऊपर 'दैर भाव का फ्याला दिया जा चुका है जो भारतीय 'दास शब्द का ईरानी पर्याय है किंतु शूद्र के लिए ऐसा लादात्म्य स्थापन कठिन है। यह मुझाव दिया जा सकता है कि ग्रीक कुद्रोस शब्द का समानार्थक है¹⁹⁴ जिसे होमर ने (ई पू-

दसर्वा-नर्वा शताब्दी) 'महान के अर्थ में प्रयुक्त किया है और इसका प्रयोग सामान्यतया मत्पर्लोके के प्राणियों के लिए नहीं, बल्कि देवतोकवासियों की विशेषता बताने के लिए किया गया है।¹⁹⁵ भारत में, बाद में, शूद्र शब्द अपमानसूचक माना जाने लगा, और उन लोगों के लिए व्यवहृत होता था जिनसे ब्राह्मण अप्रसन्न थे। इसके विपरीत होमरक्तालीन ग्रीस में 'शूद्र शब्द (कुद्रोस) प्रशस्तावाचक था। हम यह कह सकते हैं कि 'कुद्र' नामक एक भारोपीय जनजाति थी जिसकी शाखाएँ ग्रीस और भारत दोनों देशों में गईं। ग्रीस में इस शाखों को महत्व का स्थान मिला लेकिन इस जाति के जो लोग भारतवर्ष आए उन्हें उनके सहभाकर्मणकारियों ने हराकर अपने अपीन कर लिया। इस कारण ग्रीस में कुद्रों का ऊँचा स्थान हुआ और भारत में शूद्रों का नीचा। एक ही शब्द के विभिन्न सदर्भ में विपरीत अर्थ होते हैं जैसा कि असुर शब्द के उदाहरण से स्पष्ट है। भारत में असुर अनिष्टकर (शैतान) माना जाता है, किंतु उसके प्रतिस्पृष्ठ 'अहुर' को ईरान में देवता माना जाता है। भारत और ग्रीस में शूद्र शब्द का प्रयोग भेद भी इसी प्रकार का माना जा सकता है, किंतु उपरोक्त व्याख्या को तब तक निश्चयात्मक नहीं कहा जा सकता जब तक कि यह प्रमाणित न हो जाए कि 'कुद्रोस' ग्रीस की एक जनजाति थी। फिर भी ऊपर जितनी बातें कही गई हैं, उनके आधार पर यह सम्भव प्रतीत होता है कि दासों के समान शूद्र भी भारतीय जार्यवश के लोगों से सबैथित थे।

यदि शूद्र भारतीय आयों से सदब्द थे, तो वे भारत में कब आए? कहा गया है कि वे भारत में आनेवाले आयों के किसी आरम्भ के दल के थे।¹⁹⁶ किंतु चौकि ऋग्वेद में उनका उत्तेष्ठ नहीं हुआ है, इसलिए सम्भव है कि शूद्र उन विदेशी जनजातियों में से थे जो ऋग्वैदिक काल का अत होते होते उत्तर पश्चिम भारत में आई। पुरातत्व सबसी साक्ष्य के आधार पर ऐसा सम्भव मालूम होता है कि 2000 ई पू के पश्चात हजार वर्षों तक लोगों का भारत में आना जारी रहा।¹⁹⁷ इस परिकल्पना का समर्थन भाषाजन्य प्रभाषण से भी होता है।¹⁹⁸ अतएव अनुमान किया जाता है कि शूद्र ई पू दूसरे सहस्राब्द के अंत में भारत आए जबकि उन्हें धैदिककालीन आयों ने पराजित किया और धैदिक काल के उत्तरवर्ती समाज ने उन्हें चतुर्थ वर्ण के रूप में अपनाया।

यह जोर-देकर कहा गया है कि ब्राह्मणों के साथ दीर्घकाल तक सघर्ष करते रहने के फलस्वरूप क्षत्रियों को शूद्र की स्थिति में पहुँचा दिया गया और ब्राह्मणों ने अपने शत्रु क्षत्रियों को अतत उपनेयने (पड़ोपवीत सस्कार) के अधिकार से बचाया कर दिया।¹⁹⁹ महाभारत के शातिपव्व में वर्णित एकमात्र अनुश्रुति के अधार पर कि पैजवन शूद्र राजा था यह दावा किया जाता है कि शूद्र आरम्भ में क्षत्रिय थे।²⁰⁰ इस तरह की धारणा का कोई तथ्यगत आधार नहीं है। प्रथमत ऋग्वेद काल में क्षत्रियों का ऐसा वर्णन कही नहीं भिलता।

है जिससे पता चले कि उनका एक निश्चित वर्ण था तथा उनके कर्तव्य और अधिकार अलग थे। सपूर्ण जनजाति के लोग मुद्द और सार्वजनिक कामों के प्रबल्प को अपना कर्तव्य समझते थे। यह कुछ निम्ने चुने योद्धाओं का काम नहीं समझा जाता था। आरभ से ही विरक्षित हो रहे योद्धाओं और पुरोहितों के समुदाय ने जायी और आर्योंतर लोगों के साथ मुद्द में विश्व का मार्गदर्शन किया जौर उर्हे सहायता दी। ज्यों ज्यों समय बीतता गया सरदार और योद्धागण पुरोहितों द्वारा उदारतापूर्वक फैट-उपहार देने लगे और धार्मिक कर्मकाड़ जटिल होता गया, जिससे उस कर्मकाड़ का निष्पादन करनेवाले पुरोहितों और उन पुरोहितों को सरकार देनेवाले योद्धाओं की शक्ति सामान्य जन की शक्ति की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ी। दूसरे यथायि उत्तरवैदिक काल में, परशुराम और विश्वामित्र की कथाओं में पुरोहितों और योद्धाओं का सघर्ष घनित होता है, फिर भी इसका कोई प्रमाण नहीं है कि विवाद का विषय उपनयन था। जिसका निर्णय क्षत्रियों के विपक्ष में हुआ। उत्तरवैदिककाल के अत मृत्यि के आरभ हो जाने से किसानों से अनाज वसूल किया जाने लगा। इस वसूली में किसका कितना हिस्सा होगा इसे लेकर सरदारों और पुरोहितों में सघर्ष अवश्यमादी था। सघर्ष सामाजिक आधिपत्य को लेकर हुआ करता था, जिसके आधार पर विशेषाधिकारों का निर्णय होता था। हान के द्वेष में ब्राह्मणों के एकाधिकार के विषय में भी कुछ विवाद उठे और क्षत्रियों ने इसे चुनौती दी और उसमें सफल भी हुए। ऐसा जान पड़ता है कि अश्वपति कैकेयी और प्रवाहण जैवित सभवत ब्राह्मणों के अध्यापक थे।²⁰¹ मिथिला के क्षत्रिय शासक जनक ने उपनिषदीय वित्तन को आगे बढ़ाने में योगदान दिया तथा क्षत्रिय राजा विश्वामित्र न ब्रह्मविद् वा पद प्राप्त किया। उत्तर-पूर्व भारत में क्षत्रियों का विद्रोह गौतम बुद्ध और वर्द्धमा भगवान् के उपदेशों के रूप में अपनी धरम सीमा पर आया। उनके अनुसार समाज में प्रमुख स्थान क्षत्रियों का था और ब्राह्मण उसके बाद थे। इगड़ा इस प्रश्न को लेकर था कि समाज में प्रथम स्थान ब्राह्मणों को मिले या क्षत्रियों को। न तो उत्तर वैदिक ओर न भौर्य पूर्व ग्रन्थों में ही कहीं ऐसा संकेत है कि ब्राह्मण चाहते थे कि क्षत्रियों को तृतीय या चतुर्थ वर्ण में रखा जाए, या क्षत्रियों की यह इच्छा थी कि ब्राह्मणों की वह गति हो।

लौसरी बात ऐसा सोचना गलत है कि आरभ में उपनयन संस्कार का न होना शूद्रता का निश्चित प्रमाण माना जाता था। इस मामने में आज के न्यायालयों का निर्णय²⁰² उस समय की परिस्थितियों का योतक नहीं बन सकता, जब शूद्र वर्ण का उद्रुक्त हुआ। शूद्रों की उपनयन च्युत के अल उत्तर वैदिक कान के अत से पाया जाता है और तब भी शूद्रों की दासतासूदक एकमात्र अशक्ता के बन दही नहीं थी कि उन्हें योग्यता से विधित रखा गया इस तरह थी अन्य कई अशक्तताएँ थीं। आगे घलकर हम देखेंगे कि बात ऐसी नहीं थी कि

उपनयन नहीं होने के कारण आर्य शूद्र में परिवर्तित हो गए थे बल्कि आर्थिक और सामाजिक विषमताओं के चलते वे इस अधोगति में पहुँचे थे।

चौथी बात यह है कि शातिपर्व की इस अनुश्रुति की प्रामाणिकता को दृढ़तापूर्वक स्वीकार करना कठिन है कि पैजवन शूद्र था। उसे सुदासु से अभिन्न माना गया है जो भारत जनजाति का प्रधान था, और कहा जाता है कि दस राजाओं के युद्ध का यह सुप्रसिद्ध नायक शूद्र ही था।²⁰³ वैदिक ग्रन्थों में ऐसे तथ्य नहीं हैं जिनसे इस विचार की पुष्टि होती हो और शातिपर्व की अनुश्रुति को किसी अन्य घोत से, चाहे वह महाकाव्य हो या पुराण, बत नहीं मिलता है। इस अनुश्रुति के अनुसार शूद्र पैजवन यज्ञ करते थे। यह बात भी ऐसे प्रसग में आई है, जड़ों कहा गया है कि शूद्र पाँच महापञ्च कर सकते थे और दान दे सकते थे।²⁰⁴ यह निर्णय करना कठिन है कि यह अनुश्रुति सच है या झूठ, किंतु इसका उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि शूद्र यज्ञ और दान-पुण्य कर सकते थे। हम आगे यह देखेंगे कि ऐसा दृष्टिकोण शातिपर्व की उदारवादी भावना के अनुकूल था, और तब पैदा हुआ जब शूद्र किसानों की सख्त्या बढ़कर काफी हो गई। यह भी ध्यातव्य है कि परवर्ती काल में ब्राह्मण ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए जो उनका विरोध करता था, व्यापक रूप से शूद्र या वृथल शब्द का प्रयोग करने लगे थे। हमें मालूम नहीं कि शूद्र पैजवन के साथ भी ऐसी ही बात थी या नहीं। प्राय ऐसे कथनों का यह अर्थ नहीं कि क्षत्रिय और ब्राह्मण शूद्र की रिथति में दुँये गए थे बल्कि वे मात्र इतना संकेत देते हैं कि इन मान्य व्यक्तियों की उत्पत्ति शूद्रों से ई थी पासकर मातृकूल की ओर से।²⁰⁵

स्पष्ट है कि आर्य जनजातियों और उनकी संस्थाओं की ही तरह शूद्र जनजाति भी निक कृत्यों का निर्वाह करती थी।²⁰⁶ मलाभारत में शूद्रों की सेना का उल्लेख अब्द्यो विद्यो शूरसेनों आदि के साथ हुआ है।²⁰⁷ किंतु, जैसा कि हम जानते हैं, इससे पूरी नजाति क्षत्रिय वर्ण नहीं बन सकी और न उसके बर्ताव और विशेषाधिकार सुनिश्चित हो के। अतः इस सिद्धात में शायद ही काई बल है कि क्षत्रियों को शूद्र की रिथति में पहुँचा या गया था।

शूद्र शब्द का व्युत्पत्त्यर्थ निभालने के जो प्रयास हुए हैं वे अनिश्चित से लगते हैं और नसे वर्ण की समस्या सुलझाने में शायद ही कोई सहायता मिलती है। सबसे पहले देवात् द्र में बादरायण ने इस टिशा में प्रयास किया था। इसमें शूद्र शब्द को दो भागों में विभक्त र दिया गया है — ‘शुक् (शोक) और द्र जो द्रु धातु से बना है और जिसका अर्थ है डना।’²⁰⁸ इसकी टीका करते हुए शकर ने इस बात की तीन वैकल्पिक व्याख्याएँ की हैं; जानश्रुति²⁰⁹ शूद्र क्यों कहलाया (1) वह शोक के अन्तर दौड़ गया — वह एक निमग्न हो गया (शुबम् अभिदुद्राव) (2) उस पर शोक दौड़ आया — उस पर

सताप छा गया (शुचा वा अभिन्दुते) और (3) 'अपने शोक के मारे वह रैकव दौड़ गया' (शुचा वा रैकम् अभिद्राव)।²¹⁰ शकर का निष्कर्ष है कि शूद्र शब्द के विभिन्न अर्गों की व्याख्या करने पर ही उसे समझा जा सकता है, अन्यथा नहीं।²¹¹ बादरायण द्वारा शूद्र शब्द की व्युत्पत्ति और शकर द्वारा उसकी व्याख्या दोनों ही वस्तुत असतोषजनक हैं।²¹² कहा जाता है कि शकर ने जिस जानश्रुति का उल्लेख किया है, वह अथवदिद में वर्णित उत्तर परिचय भारत के निवासी महावृषों पर राज्य करता था। यह अनिश्चित है कि वह शूद्र वर्ण का था। वह या तो शूद्र जनजाति का था या उत्तर परिचय की किसी जाति का था जिसे ब्राह्मण लेखकों ने शूद्र के रूप में विक्रित किया है।

पाणिनि के व्याकरण में उणादिसूत्र के लेखक ने इस शब्द की ऐसी ही व्युत्पत्ति की है जिसमें शूद्र शब्द के दो भाग किए गए हैं, अर्थात् यातु शुच् या शुक् +र।²¹³ प्रत्यय 'र' की व्याख्या करना कठिन है और यह व्युत्पत्ति भी काल्पनिक और अस्वाभाविक लगती है।²¹⁴

पुराणों में जो परपराएँ हैं उनसे भी शूद्र शब्द शुच् यातु से सबख जान पड़ता है, जिसका अर्थ होता है सतत होना। कहा जाता है कि 'जो द्वित्र हुए और भागे, शारीरिक श्रम करने के अन्यस्त थे तथा दीन हीन थे उन्हें शूद्र बना दिया गया।'²¹⁵ किंतु शूद्र शब्द की ऐसी व्याख्या उसके व्युत्पत्त्यर्थ बताने की अपेक्षा परदर्ती काल में शूद्रों की स्थिति पर ही प्रकाश ढालती है। बोध्यों द्वारा प्रस्तुत व्याख्या भी ब्राह्मणों की व्याख्या की ही तरह काल्पनिक मालूम होती है। दुर्घ के अनुसार जिन व्यक्तियों का आद्वरण आतकपूर्ण और हीन काटि का था (लुदआचारा खुदाचाराति) वे सुद (समृद्ध—शूद्र) कहलाने लगे और इस तरह सुद (स शूद्र) शब्द बना।²¹⁶ आदि मध्यकाल के बौद्ध शब्दकोश में शूद्र शब्द शुद्र का पर्याय बन गया,²¹⁷ और इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि शूद्र शब्द शुद्र से बना है।²¹⁸ दोनों ही व्युत्पत्तियां भाषाविज्ञान की दृष्टि से असतोषजनक हैं, किंतु फिर भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनसे प्राचीन काल में शूद्र वर्ण के प्रति प्रबलित धारणा का आभास मिलता है। ब्राह्मणों द्वारा प्रस्तुत व्युत्पत्ति में शूद्रों की ददनीय अवस्था का विवरण किया गया है, किंतु बौद्ध व्युत्पत्ति में समाज में उनकी हीनता और न्यूनता का परिचय मिलता है। इन व्युत्पत्तियों से केवल इतना पता चलता है कि भाषा और व्युत्पत्ति सबसी व्याख्याएँ भी सामाजिक स्थितियों से प्रभावित होती हैं। हाल में एक लेखक ने शूद्र शब्द की व्युत्पत्ति इस रूप में की है— यातु 'श्वी (मोटा होना)+यातु 'दु (दौड़ना)। उसकी राय है कि इस शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो स्थूल जीवन की ओर दौड़े। अतएव उसकी दृष्टि में शूद्र ऐसा गैंवार है जो शारीरिक श्रम करने के लिए ही बना है।²¹⁹ यह बहुत ही अद्भुत बात है कि यहाँ दो यातुओं के मेल से 'शूद्र शब्द की उत्पत्ति की गई है और तब जब उसका कोई पुराना व्युत्पत्त्यात्मक आधार नहीं है। इस शब्द को लेखक जो अर्थ देना चाहता है वह शूद्रों

के प्रति केवल परपरावादी मनोवृत्ति को विनियत कर पाता है। उससे शूद्रों की उत्पत्ति पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता।

उत्पत्ति के समय शूद्र वर्ण की स्थिति दर्पनीय और उपेक्षित थी, यह बात अथवाद और अथवाद में वर्णित समाज के विवरण से शायद ही सिद्ध होती है। इस सहिताओं में कहीं भी न तो दास और आर्य के बीच और न शूद्र और उच्च वर्णों के बीच भोजन और वैवाहिक प्रतिबद्ध का प्रमाण मिलता है।²²⁰ वर्णों के बीच सामाजिक भेदभाव बतानेवाला एकमात्र पूर्वकालीन सदर्थ अथवाद में पाया जाता है जिसमें यह दावा किया गया है कि ब्राह्मण को राजन्य और वैश्य की तुलना में, किसी नारी का पहला पति बनने का अधिकार प्राप्त है।²²¹ और भी कहीं-कहीं ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की चर्चा की गई है, यथा कहा गया है कि उनकी गाय अथवा स्त्री को कोई हाथ नहीं लगा सकता। पर इस सब्द में कहीं शूद्र की चर्चा नहीं मिलती, क्योंकि प्राप्त उस समय यह वर्ण विद्यमान नहीं था। इसका कोई आधार नहीं कि दास और शूद्र अपवित्र समझे जाते थे और न ही इसका कोई प्रमाण मिलता है कि उनके सूजाने से उच्च वर्णों के लोगों का शरीर और भोजन दूषित हो जाता था।²²² अपवित्रता का सारा ढकोसला बाद में खड़ा किया गया, जब समाज कृपिप्रधान होने के बाद वर्णों में बैंट गया और ऊपर के वर्ण अपने लिए तरह तरह की सुविधाएँ और विशेषाधिकार माँगने लगे।²²³

शूद्र वर्ण के उद्भव के विषय में इस अध्याय का सारांश यह है कि आतंरिक और बाहरी सघनों के कारण आर्य या आर्य पूर्व लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है।²²⁴ चूंकि सधर्व मुख्यतया मदेशी के स्वामित्व को लेकर और बाद में भूमि को लेकर होता था अत जिनसे ये वस्तुएँ छीन ली जाती थीं और जो अशक्त हो जाते थे वे नए समाज में चतुर्थ वर्ण कहलाने लगते थे। फिर जिन परिवारों के पास इतने अधिक मदेशी हो गए और इतनी अधिक जमीन हो गई कि वे स्वयं संभाल नहीं पाते थे, तो उन्हें मजदूरों की आवश्यकता हुई और वैदिककाल के अंत में ये शूद्र कहलाने लगे।

यह मतव्य कि शूद्र वर्ण का निर्माण आर्य-पूर्व लोगों से हुआ था उतना ही एकाग्री और अतिरिजित भालूम पड़ता है, जितना यह समझना कि उस वर्ण में मुख्यत आर्य ही थे।²²⁵ वास्तविकता यह है कि आर्यिक तथा सामाजिक विषमताओं के कारण आर्य और आर्येतर दोनों के अदर श्रमिक समुदाय का उदय हुआ और ये श्रमिक आगे जाकर शूद्र कहलाए। साधारणतया मान्य समाजशास्त्रीय सिद्धात है कि वर्गविभाजन बराबर सजातीय असमानताओं से मूलतया संबद्ध होता है²²⁶ किंतु इस सिद्धात से शूद्रों और दासों की उत्पत्ति पर आशिक प्रकाश ही पड़ता है। बहुत सभव है कि दासों और शूद्रों का नाम क्रमशः इन्हीं नामों की जनजातियों के आधार पर रखा गया हो जो भारतीय आयों के निकट संपर्क

में रही हों। हैंकिन कालक्रम से आर्य-भूर्व आबादी के लोग और विपत्र आर्य भी इन वारों में शामिल हो गए होंगे। यह बहुत स्पष्ट है कि वैदिक काल के आर्तमिक लोगों में शूद्रों और दासों की जनसंख्या बहुत सीमित थी और उत्तरवर्ती वैदिक काल के अत से लेकर आगे तक शूद्र जिन अशक्तताओं के शिकार रहे हैं वे आदिवैदिक काल में विद्यमान नहीं थीं।

सदर्थ

- 1 आर ग्रीष्म शब्द अड डाइ ब्राह्मनेन साइटिप्ट डेर डोप्पेन नेंनर्नेंडिशन गेजेलशाफ्ट बर्लिन
I पृ 84
- 2 वैदिक इडेस्ट ॥ पृ 265 388 आर ही दत प हिंस्री औंक विविलिजेशन इन एनशिएट इंडिया I, पृ 2 सेनार्ट कास्ट इन इंडिया पृ 83 एन के दत ओरिजिन ऐंड ग्रीष्म औंक कास्ट इन इंडिया पृ 151 52 युर्वे कास्ट ऐंड कलास' पृ 152 2, ही आर भड़ाकर सम आस्पेक्टस औंक एनशिएट इंडियन कलास पृ 10
- 3 जे भूर् ओरिजिनल सास्कृत टेक्स्ट्स ॥ पृ 387 भूर का विवार है कि यह बताने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि वे आयों से भिन्न थे
- 4 ऋग्वेद II 12 4 वेनेन विवा व्यवना कृतानि यो दास वर्णमधर गुहाक' अथवेद XX 34 4
- 5 ऋग्वेद V 34 6—'पथावन्न नयति दासमार्य'
- 6 वही II 13 8—'रसरेताय दाव' साधण ने इसकी दीक्षा दासों के विनाश के रूप में की है विनु वैदिक इडेस्ट I 358 इसे दास का नाम मानता है।
- 7 ऋग्वेद II 11 4 VI 25 2 और X 148 2
- 8 वही, IV 28 4
- 9 वही III 34 9 —इसी दस्युन् ग्रार्य वर्णमावत अथवेद XX 11 9 (पिष्टाद सस्कारण में नहीं)
- 10 I 103 3 अथवेद XX 20 4
- 11 ऋग्वेद I 51.5-6 103 4 X 95 7 99 7 में दस्युता शब्द आया है दस्युपुन शब्द ऋग्वेद VI 16 10 में दस्युहन शब्द ऋग्वेद X 47 4 में दस्युत्तम् शब्द ऋग्वेद, IV 16 15 VIII 39 8 में आया है और वाजसनेश सोहिता XI 34 में उसकी पुनरुत्पृष्ठी की गई है आयों और दस्युओं में शत्रुता के बहु अन्य प्रसंग आए हैं यदा ऋग्वेद V 7 10 VII 5 6 और ऋग्वेद I 100 12, VI 45 24 VIII 76 11 77.3 में इद बी दस्युद्धा कहा गया है इद द्वाहा दस्युओं की हत्या के द्वारा ही प्रसंग अथवेद III 10 12 VIII 8.5 7 IX 2 17 और 18 X 3 11 XIX 46 2 XX 11 6 21 4 29 4 34 10 37 4 42.2, 64.3 78.3 में आए हैं और अन्य द्वाहा दस्युओं की हत्या के प्रसंग अथवेद में I. 7 1- XI 1 2 में आए हैं। अथवेद VI 32.3 में मन्त्रु को दस्युहा कहा गया है

- 12 ऋग्वेद I 103.3 II 19 6 IV 30 20 VI 20 10 31 4
 13 वही I 33 13 53 8 VIII 174
 14 वही IV 30 13 V 40 6 X 69 6
 15 वही 176 4 असम्प्रपत्य वेदन ददि सूरीशिवदो हते
 16 वही I 33 4
 17 वही VI 47 21
 18 वही VIII 40 6 वय तदस्य समृद्ध दसु इदिग विभजेष्ठि
 19 वही I 33 7 8
 20 वही III 53 14 कि ते कृष्णति की कटेषु गादो नाशीर तुर्हं न तपन्ति धर्मम्
 21 वही II 15 4
 22. स्वीतर दि इल्स सिविलिजेशन (सलीमेट वाल्यूम टु बैंक्रिज हिस्ट्री ऑफ इडिया I)
 पृ 90 91
 23 ऋग्वेद X 86 19 अथवेद XX 126 19
 24 ऋग्वेद VII 6 3
 25 वही I 51 8
 26 वही I 133 1 V 2 3 VII 18 16 X 27 6 X 48 7
 27 वही IV 16 9
 28 अथवेद II 14 5
 29 वही X 6 20
 30 वही XII 1 37
 31 ऋग्वेद X 22 8
 32 पी बी काणे दि वर्ड ब्रत इन दि ऋग्वेद जर्नल ऑफ दि बाये ब्राव ऑफ दि रायल
 एशियटिक सोसायटी न्यू सीरीज ३\IX पृ 12
 33 ऋग्वेद I 51 8 9 I 101 2 I 175 3 VI 14 3 IX 41 2 किंतु अप्रत शब्द का
 प्रयोग कहीं भी दास के लिए नहीं किया गया है
 34 वही VIII 70 11 X 22 8
 35 वही V 42 9 V 40 6 में अप्रत शब्द का अर्थ काला माना गया है
 36 वही VII 5 2 3 गैल्डर का अनुवाद बी बी लाल एन्ड एस्ट इडिया 9 पृ 88
 राणा मुर्झी III में हड्ड्या समृद्धि का अत शीघ्र अग्निकाढ़ में हुआ
 37 ऋग्वेद IX 41 1 2 जन्त कृष्ण आप लच साह्वाम्सो दास्युभवतम्
 38 वही IX 73 5
 39 वही IV 16 13 किंतु गैल्डर ने इस सदर्म में राक्षस का निक नहीं किया है
 40 वही I 130 8
 41 ऋग्वेद VIII 96 13 15 अथ द्राप्तो अशुभत्या उपस्ये धारयतल्वम् तिलिषाण विशो

अदोविष्टा चर्दित् दृहस्पतिना मुगेन्द्र ससाहे

42 बोसबी जनल आँक दि बन्धे ब्राव औंक दि रायल एशियाटिक सोसायटी बम्बई न्यू सीरीज
XXVII 43

43 ऋग्वेद I 101 1 'य कृष्णामानिरहन्त्यजिश्वाना

44 वही II 20 7 सवृहेन्द्र कृष्णयोनि पुरन्दर जोदासौरैपौद्दि 'सायण की टौका' किंतु
गेल्डनर का सुझाव है कि दासी में पुर अर्थात् है और कवि गर्भायान की बात सोचता है

45 वही VIII 19 36 37

46 वही V 29 10 सायण अनास भी व्याघ्रा वाणीदिहन (आस्यरहित) के अर्थ में करते हैं

47 वही VII 99 4

48 वही I 174 2 V 29 10 32 8 VII 6.3 18 13 चार स्थानों पर नहीं जैसा कि 'हू
देयर' में शून्य पृ 71 में है

49 वही V 29 10 VII 63

50 वही I 174 2

51 यह गिनती दिश्वबपु शास्त्री के दैरिक बोज पर आधारित है।

52 बौलर पूर्व निर्दिष्ट पृ 8 बौलर की राय है कि असम्य खानाबदीओं (अर्थात् आयों) की
चढ़ाई के कारण स्पष्टित कृषि विकार गई पर अभी तक ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं जिनके आधार
पर कहा जाए कि संप्रव शहरी सम्पत्ति के लोगों और आयों के बीच जमकर लड़ाई हुई

53 ऋग्वेद X 83 1 सादाम दासमायै त्वयायुजा सहस्रतेन सहसा सहस्रता , जो अथर्ववेद IV
32 1 जैसा ही है

54 ऋग्वेद X 38 3 देखें अथर्ववेद XX 36 10

55 ऋग्वेद VII 83 1 दासाव वृत्रा हतमार्याणि च सुदासम् इन्द्रावरुणावसावितम्

56 वही VI 60 6

57 वही VI 33.3 देखें X 102 3

58 ऋग्वेद VIII 24 27 'य क्रहादहसो मुवयोवार्यात् सतसिन्दुनु, वर्दर्दसस्य दुविनृष्ण नीनप
गेल्डनर इस परिचेद का अर्थ लगाते हैं कि इह ने दासों के अस्त्रों की आयों से विमुख कर
दिया

59 ऋग्वेद VI 33.3 60 6 VII 83 1 VIII 24 27 (विवादास्पद कठिका) X 38 3
69 6 83 1 86 19 102.3 इनमें से द्वारा निर्देशों को अवेदकर ने सही रूप में उद्धृत किया
है अवेदकर पूर्व निर्दिष्ट पृ 83 4

60 दैरिक ईडेक्स 1 356 द्यागद के ऊपर देखें पाद टिप्पणी 4

61 ऋग्वेद VII 33 2 5 83 8 दासविक मुद्द सुति ऋग्वेद VII 18 में है

62 आर ही मनुमदार और ए दी मुहसिनकर दैरिक एज पृ 245 अन्य आयों के प्रति ईरपाद के
कारण पूछओं को ऋग्वेद VII 18 13 में मृगवाच कहा गया है

63 दी दी काणे पूर्व निर्दिष्ट, (जनत आँक दि बाघे ब्राव औंक दि रायल एशियाटिक सोसायटी
बंदर्द न्यू सीरीज xxix 11

- 64 अथर्वद V 11 3 ऐप्लाद VIII 1.3 'नमे दासोनार्यो महीता द्रव्यं मीमांप यदहम् थरिष्ये
 65 जर्नल ऑफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी ऑफ ब्रेट ब्रिटेन एड आयरलैंड लन्ड न्यू सीरीज ॥
 पृ 286 294
 66 ऋग्वेद I 84 8
 67 वही VI 44 11
 68 वही VI 47 16 (जर्नल ऑफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी ऑफ ब्रेट ब्रिटेन एड आयरलैंड
 लदन न्यू सीरीज II पृ 286 294)
 69 ऋग्वेद VIII 51 9 यस्यार्य विश्व आर्यो दास शेवायिपा अरि इस अनुच्छेद पर साधन की
 टिप्पणी में और बाजसनेपि सोहिता XXXIII के एक ऐसे ही अनुच्छेद पर उक्त तथा महीयर यी
 टिप्पणी में भी दास को आर्य का विशेषण माना गया है किंतु गेल्डनर (ऋग्वेद VIII 51 9)
 आर्य और दास को दो अलग अलग सज्जा मानते हैं हर हारात में यह स्पष्ट है कि आर्यो का भी
 विशेष होता था
 70 ऋग्वेद X 69 6 समझ्या पर्वत्य वरूनि दासा वृश्चाण्यार्या जिगेय
 71 ऋग्वेद I 124 10-1823 IV 25 7 51.3 V 34 7 VI 13 3 53 6 7
 72 जर्नल ऑफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी ऑफ ब्रेट ब्रिटेन एड आयरलैंड लदन न्यू सीरीज ॥
 286 294
 73 वैदिक इडेक्स I पृ 471
 74 वही ऋग्वेद-VIII 66 10
 75 वैदिक इडेक्स I,472
 76 वही
 77 गीर्तसन ईएन पृ 243
 78 वैदिक इडेक्स I 472
 79 ऋग्वेद VII 40 6
 80 वही III 34 9
 81 ऋग्वेद I 104 2 III 34 9 'देवासो मन्यु दासस्य श्वमते न आवशन्त्सुविताय वर्णम्
 82 साइटशूफ्ट डेर थोर्येन ब्रेनर्लैंडेनोनेलशूफ्ट वर्ल्ड ॥ 272
 83 जन का उत्तेज सामग 275 बार और विशु का उत्तेज 170 बार हुआ है
 84 ही जे ऐस्टन दि कैम्ब्रिज हिन्दी ऑफ इंडिया पृ 99
 85 लैंटमैन दि ओरिजिन्स ऑफ सोशल इनइक्वलिटीज ऑफ दि सोशल क्लासेज , पृ 230
 86 चाइल्ड 'दि भोस्ट एनशिएट ईस्ट' पृ 175
 87 कौलर पूर्व निर्दिष्ट पृ 94
 88 मैके जर्ली इडस सिविनिजेश्चस पृ XII XIII
 89 लाल एनशिएट हॉडिया स 9 पृ 93
 90 ऋग्वेद II 27 12

- 91 ऋग्वेद VI 22.1 यथा दासान्योणि वृत्र करो विजन्तसुलूका नाहुयाणि
 92 ऋग्वेद X 49.3 आहं शूष्मास्य भविता दधर्येष न यो रर आर्यं नाम दस्यते
 93 पार्सियन एनशिएट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रॉडीशन पृ 306 8
 94 द्युमेनिल फ्लामेन ब्राह्मण अध्याय II और III एक अन्य निर्देश के लिए देखें पाल धिमे
 (साइटिशिप्स डेर द्यौवेन मेर्गेनलैंडेशेनगेजेनशाप्ट चर्टिन एन एफ 27 पृ 91 129)
 95 हे जे रैपान पूर्व निर्दिष्ट I 103
 96 ढक्कू रुद्रैन इन्द्राज फाइट अगेन्स्ट वृत्र इन दि महाभारत (एस के बेल्लकर कमेनोरेशन
 बाल्मी पृ 116 8) अर्मनिद कौसरी, भगवान बुद्ध पृ 24
 97 फोसदी (जर्नल ऑफ दि बायो ब्राव ऑफ दि रायल एक्षिप्याटिक सौसायटी बम्बई न्यू सीरीज
 XXII 35)
 98 ऋग्वेद I 117.8 किंतु सायग 'श्यावाय' को कुम्हरोगेष श्यामवर्णाय बताते हैं
 99 वही VIII 85.3.4 वही VIII 50.10 में भी कन्द का उल्लेख है
 100 वही I 116.23 देखें I 117.7 पार्सियन मानते हैं कि काञ्चवायन ही वास्तविक ब्राह्मण हैं
 डायनेस्टीज ऑफ दि कॉल एज पृ 35
 101 ऋग्वेद I 158.6 अबेकर हू वैपर दि शूद्राज ? पृ 77
 102 वैदिक इडेक्स I 366 शतपथ ब्राह्मण XIV 9.4.15 में एक ऐसी भाँ का वर्णन आया है
 जो काने रग के बालक की आवाया रखती है जिसे वद का ज्ञान हो
 103 वैदिक इडेक्स I 363 हिताराट का सुभाव
 104 ऋग्वेद I 130.10
 105 फोसदी (जर्नल ऑफ दि बायो ब्राव ऑफ एक्षिप्याटिक सौसायटी बम्बई न्यू सीरीज XXVI
 44)
 106 फोनिया विलियम्स सहस्रत इश्लिश तिक्कनटी देखें दास दास
 107 कौशलकि उप III 1 वैदिक इडेक्स में उद्धृत II 30
 108 ऋग्वेद VIII 19.36
 109 अथर्ववेद, XII 3.13.४४ XVII 37.3 यद्वा दास्याद्रहस्ता समत उलूखत मुसलम्
 कुम्हताप
 110 वही XII 4.9.४४ के एक ऐसे ही परिवेद XVII 16.9 में दासी शब्द के स्थान पर देखी
 तिग गया है
 111 अथर्ववेद V 13.8
 112 ऋग्वेद I 92.8 138.5 गेल्लनर के अनुवाद के अनुसार
 113 वही X 62.10
 114 वही VIII 56.3
 115 वही VII 86.7 हिताराट इसे संदिग्ध मानते हैं उन्होंने गवद दग से VII 86.3 में
 'कद्यविदू' योऽ दिया है जो हेत्र चाहिए VII 86.7 'साइटिशिप्स फ्लूर इडोलेगिज उड
 ईरोटिक साइफ्टस्ट्रु, III. 16

- 116 वही VIII 56 3 शर्त में गर्दमाना शतमूणोदतीना शत दासा अति सज 100 रुप्त सज्या हो सकती है
- 117 वही I 92 8 उवसिआपस्यां पश्चस्तुवीर्यं दासप्रवर्णं रथिमस्व बुध्यम्
- 118 वही I 158 5 6
- 119 वही X 62 10 'उदौ दासा परिवेष्टम्भू दिविष्टि गोपरिगता शुद्ध तुर्वदू च माप्ते
- 120 वही X 34 4
- 121 वही II 11 4 IV 28 4 और VI 25 2 दत्त स्टडीज इन हिन्दू सोशल पालिटी पृ 334 से एन दत्त का विचार है कि ऋग्वेद VI 25 2 में दासविश्व का जो उल्लेख हुआ है उसका तात्पर्य यह है कि दास को वैश्य कोटि में रखा गया है किंतु क्योंकि उस समय वैश्य समाज के एक वर्ग के रूप में नहीं थे इसलिए यहाँ विश्व को एक जनजाति विशेष माना जा सकता है
- 122 वही VI I 357 पाद टिप्पणी 20 जाति और भाषा की दृष्टि से दहे ईरानियों के बहुत निवट रहे होने किंतु यह बहुत स्पष्ट रूप से प्रणालित नहीं हो पाया है कही तिसम्मर ने हेठोडोट्स के दआई या दाराई : 126 को तूरानियन जनजाति का बताया है।
- 123 केफ़र एथोप्रासी इन एनक्षिप्ट इंडिया पृ 32 कहा गया है कि सामाजिक स्तर पर दास और आर्य का स्थान दस्यु भीलों से ऊपर था
- 124 स्तुअर्द्ध पिण्डाट एंटीक्वरी ग्रिल्ड XXIV सं 96 218 लाल पूर्व निर्दिष्ट विली स 9 पृ 90-91 लाल का कथन है कि दूसरी सहस्राब्दी ई पू के पूर्वार्ध में शाही दुप (आषुपिक बन्दुचिस्तान) में और दूसरी सहस्राब्दी ई पू के उत्तरार्ध में फोट मुनरो (अफगानिस्तान) में लोग झुड़ के मुड़ आए.
- 125 वैदिक इडेस्स ॥ पृ 255 पाद टिप्पणी 67 देखें वर्ण शब्द
- 126 आस सी मजुमदार और ए. डी मुसलकर पूर्व निर्दिष्ट ऋग्वैदिक जातियों के लिये देखें पृ 245 248 और उत्तर वैदिककालीन जातियों के लिए पृ 252 262
- 127 शतार्थ ब्राह्मण I 1 4 11 12
- 128 मध्यमारत शांति पर्व 181 15 'वर्णश्वलार एते हि देषा ब्राह्मी सरस्वती विहिता ब्रह्मणा पूर्वा लोभात्वज्ञानता यत्
- 129 वैदिक इडेश स्टुडियेन II 94 पाद टिप्पणी
- 130 आर एस शर्मा (जर्नल ऑफ दि विलर रिसर्च सोसायटी XXXVIII 434 5 XXXIX 418 9)
- 131 ऋग्वेद I 70 9 V 1 10 VIII 100 9
- 132 ऋग्वेद VII 6.5 X 173 6 बलिहात (कर देना)
- 133 वैदिक इडेश II 62 तिसम्मर के विचार
- 134 ऐसामूलर सेकेड नुस्स ऑफ दि इस्ट XLI 361 ऋग्वेद का अनुवाद V 61 8
- 135 वैदिक इडेश II 331
- 136 लैटैन पूर्व निर्दिष्ट पृ 5 12 में दिए गए उगाहरण उन्होंने पूर्वी भारत के नामांओं और

कूकियों में वर्णमेद के अभाव का भी उल्लेख किया है (पृ 11)

- 137 वायु पुराण I, VII 60 देखें, दीप निकाय अग्रजसुत 'वर्णात्रमव्यवस्थाश्च न वदासप्तसंकर न विभन्नति हि ते 5 न्योन्यत्रानुगृहणन्ति वैव हि
- 138 कर्त्ता छानिंग ए डिक्टनरी ऑफ सिलेक्टेड सिनोनिम्स इन दि ग्रिहिपल इडो यूरोपियन सेक्सेजेज चर्च (धर्मनु) के लिए देखें पृ 40 तुनाई के लिए पृ 408 तहनू के लिए पृ 589 90 और वैणीकार के लिए पृ 621 22 बाइल्ड फ़ि परीपस, पृ 86
- 139 बाइल्ड पूर्व निर्दिष्ट पृ 86 और 92.
- 140 क्रष्णेद IV 35 6 36 5 VI 32 1
- 141 अथर्वेद III 5 6 ये धोवानो रथकारा कर्माति ये मनीषिण उपस्तीन्यर्ण यथा त्वम् सर्वाभ्युपूर्णमितो जनान्
यहाँ ब्लूफील्ड के अनुवाद का अनुसरण किया गया है इटने ने ब्लूफील्ड जैसा ही अनुवाद प्रस्तुत किया है किन्तु उन्होंने साध्यण के विवारानुसार उपस्तीन्यु को प्रजा के अर्थ में लिया है साध्यण धीवान और मनीषिण को अलग अलग सला मानते हैं जिनका अर्थ भक्तुआ और बुद्धिजीवी किया गया है ऐप्प ग्रन्थ में धोड़ा सा पाठमेद है, ये तक्षाणो रथकारा कर्माति ये मनीषिण सर्वास तानूपर्ण रथयोपर्स्ति कृषु मेदिनम्' III 13 7
- 142 वैदिक इडेक्स, I पृ 247 सभवन वह असैनिक और ईनिक दोनों प्रकार के कायों के लिए गाँव का प्रधान था
- 143 अथर्वेद III 5 7
- 144 क्रष्णेद I 105 18
- 145 वैदिक इडेक्स I पृ 297
- 146 क्रष्णेद VIII 5 38
- 147 वैदिक इडेक्स II पृ 265 6
- 148 एक दि सोशल आर्मेनाइजेशन इन नार्थ ईस्ट व्हिडियो पृ 326 7
- 149 पचविंश ब्राह्मण V I 6 10 वाजसनैयि सहिता XXXI 11 सैतीरीय आरण्यक III 12 5 और 6
- 150 महाभारत XII 73 4 8
- 151 वायु पुराण I VIII 155 9 मार्क पृ अथवा 49 विष्णु पुराण I अथवा VI
- 152 वसिष्ठ धर्मसूत्र IV 2 वौषधान धर्मसूत्र I 10 19 5 6 देखें आपसम्बन्ध धर्मसूत्र I 1 17 यतु 1 31 यतु III 126
- 153 क्रष्णेद X 90 12
- 154 इटने हार्ड ओरिएटल सिरीज VII पृ CXLI VIII 895 898
- 155 अथर्वेद XIX 6 6
- 156 क्रष्णेद IX 112 3
- 157 जो डेनर्स (साइशूस्ट डेर डोप्पेन बेनर्सैड्हेनगोलेसाइट बर्लिन 1: 286)
- 158 अथर्वेद XIX 6 6

- 159 वही XIX 32 8 पैपलाद XII 4 8
 160 वही XIX 62 1 पैपलाद II 32 5
 161 हार्वर्ड ओरिएटल सिरीज VIII 1003 अथर्वद के अनुवाद पर हिटने की टिप्पणी XIX 62 1
 162 हिटने पूर्व निर्दिष्ट पृ 33
 163 अथर्वद X 13
 164 हिटने पूर्व निर्दिष्ट VII पृ CLV
 165 अथर्वद V 179 पैप IX 16 7
 166 भारतीय इन्वेजन और इंडिया पृ 293 एरेन सोगरोई (वही पृ 157) का उल्लेख करते हैं जो गलत ही समझा है भैविंडल ऐक्शिएट इंडिया ऐज डिस्कार्ड बाइ टालपी पृ 317 फिर टालपी ने सच्चत लिखा है (VI 20 3) कि लिंग्रेइ आर्केसिया के मध्य भाग में रहते थे जिसके अंतर्गत पूर्वी अफगानिस्तान का काफी बड़ा हिस्सा पड़ता है और जिसकी पूर्वी सीमा पर सिधु है
 167 एवं सी रायबौद्धी पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एनशिएट इंडिया पृ 255
 168 ऐतरेय ज्ञानशाला VII 21
 169 हार्वर्ड ओरिएटल सिरीज VII पृ CXLVIII और CLV
 170 अथर्वद IV 20 4 8 पैप VIII 6 8 तथाह सर्व पश्यामि यश्च शू उतार्य
 171 अथर्वद V 11 3
 172 ऋषेद की टीका II 12 4
 173 अथर्वद की टीका IV 20 4
 174 अथर्वद V 22 7 और 8
 175 मनुष्मदार और पुस्तकर पूर्व निर्दिष्ट पृ 258 9
 176 महाभारत VI 10 66 46 जहाँ प्रिटिकल एंडिशन आफ महाभारत में अपराह्ना की जगह अशुद्ध पाद अपराह्ना है शूद्रामीराय दरदा नाश्वीरा पशुमि सह
 177 अथर्वद V 22 12 14
 178 पैपलाद XIII 1 9
 179 वही II 29 8 9 पस्तव और बर्वर वा भी उल्लेख हुआ है वही II 29 15
 180 महाभारत VI 10 65
 181 वही VI 10 66
 182 वही II 47 7
 183 वही II 47 7 एवं आगे
 184 पी बनर्जी (जर्नल ऑफ दि विहार रिसर्च सोसायटी पटना x1 160 1)
 185 बुधप्रकाश (जर्नल आफ दि विहार रिसर्च सोसायटी पटना x1 255 260 3)
 186 वैवर (एसटीभूष्ट द्वारा डोयूचेन फैनन्साइडेशनगेजेलशाप्ट बर्लिन iv 301 पाद टिप्पणी 2)
 रीप वही बर्लिन 1, 84

- 187 फिक पूर्व निर्दिष्ट पृ 315 कीथ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, I 86 लैसेन हॉटेल आल्टरटुम्स्कुल, II 174 देखें वेवर, इंडिया स्टूडियोन XVII 85 86 और 255 तिम्हार देलेनी द्वारा उल्लिखित शूद्रों को ब्राह्मि से अधिक मानते हैं (अल्ट लैबेन पृ 435) किंतु ऐसे अनुमान का कोई आपार नहीं दीखता हापकिन्स, टिलिजन्स ऑफ इंडिया पृ 548 पाद टिप्पणी 3 मार्क्झेय पुराण अनुवाद पृ 313 14 पाद टिप्पणी पार्गिटर का मत है कि शूद्र और आमीर परपर सम्भिलित और सबद अदिम जाति के थे
- 188 महाभारत VI 10 45 और 46 65 और 66 महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण VII 19 7 में शूद्रभीर पाठ अशुद्ध भास्तु पड़ता है यह शूद्रभूष्ट होना चाहिए जैसा कि अन्य छत्तलिपियों में पाया जाता है (VII 19 7 पर पाद टिप्पणी) पतञ्जलि आन पाणिनिन ग्रन्थ I 2 72 6 पतञ्जलि के महाभाष्य में शूद्रों और आमीरों का एक साथ उल्लेख हुआ है
- 189 पी दी गुणे भविसपत्तग्रहा पृ 50-51 जामीरोकि के प्राचीनतम उदाहरण भरत के नाट्यशास्त्र में निभते हैं जो है सन् की दूसरी या दीसरी शताब्दी की रचना है ये स्पष्ट संस्कृत के बहुत निकट हैं
- 190 महाभारत की सूची लगभग उसी रूप में पुराणों में भी आई है जिसमें शूद्रों को आमीरों कालतोषको अपरातों पहलवों (जिन्हें आलोचनात्मक संस्करण VI 10 66 में गलत रूप में पल्लव कहा गया है) और अन्य लोगों के साथ एक जाति के रूप में विवित किया गया है। मार्क्झेय पुराण अध्याय 57 35 36 और पत्त्य पुराण अध्याय 113 40 भास्तु पड़ता है कि गुरु वाल में शूद्र जनजाति का अपना एक नियम राज्यवेत्र या जिसे रिष्यु पुराण (IV 24 18) में लौटाइ अनेति और अर्बुद राज्यवेत्रों के साथ सूचीबद्ध किया गया है दीक्षितार ने (गुरु पालिट्य पृ 3-4 में) सूर के रूप में जो घाठ प्रसन्नत किया है उसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि प्रथ में शूद्र राज्यवेत्र का स्पष्ट उल्लंघन है
- 191 स्मूर पूर्व निर्दिष्ट II 355 357
- 192 महाभारत II 29 9 शूद्रभीरणाश्वैव ये चाक्रित्य सरस्वतीपू
- 193 महाभारत (कल), IX 37 1 शूद्रभीरन् प्रति देवाद् यत नस्य सरस्वती
- 194 वैकरनीन इद्वायपर्वेनवे सितुगवेतिकै डेर कोन्गिलिश ब्रेस्ट्वेन अकैडेमी डेर विसेनगाप्टेन - 1918 410-411
- 195 दुश्मेश लिडेत ऐंड स्काट एंग्लिश लेक्सिकन ।
- 196 वेवर (साइटशूस्ट डेर डोयूचेन् मेर्नलैंडिशेनगेनरास्ट बर्लिन IV 301 पाद टिप्पणी 2) ऐप वही बर्लिन 1. 84
- 197 स्टुअर्ट ग्रिट पूर्व निर्दिष्ट JV स 96 218
- 198 दी बो दि संस्कृत सैखेज पृ 31
- 199 अंडेडर फूटोदर पृ 239
- 200 वही पृ 139-42 लैसेन ने इस तथ्य की ओर ध्यान जागृष्ट किया कि प्राचीन राजा सुदास् को महाभारत में शूद्र कहा गया है हॉटेल आल्टर । 969
- 201 कोसवी (जर्जन ऑफ दि बम्बे ब्रैब ऑफ दि राष्ट्र पुस्तकालय सोसायटी बम्बई न्यू सीरीज

XXIII 45)

- 202 अंडेडकर पूर्वोदृष्टि पृ 185 90
 203 वही पृ 139
 204 महाभारत XII 60 38-40
 205 ऐसे ब्रह्मियों की धर्मा भविष्य पुराण I 42 22 26 में कही गई है जिनकी मौं शूद वर्ण के किसी न किसी वर्ण की समझी जाती थी। यह सूची कई अन्य पुराणों और महाभारत पृ 70 में भी दी गई है
 206 आर एस शर्मा (जर्नल ऑफ दि विहार रिसर्च सोसायटी XXXVIII 435 7 XXXIX 416 7)
 207 महाभारत VII 66 देखें 19 7
 208 देवात सूत्र 13.34 मुण्डस्य तदनादर ऋत्याकृत् तदाद्यवण्ठ् सूच्यते
 209 छादोप्य उपनिषद् IV 2.3 में राजा के स्वयं में वर्णित
 210 शकर्त्तु कर्मद्री दु वैदांतसूत्र 13.34
 211 वही शूद अवधर्मार्थ सम्भावात् स्पदार्थस्य घासभवात्
 212 (इंडियन एंटीक्वरी बबई 1: 137 8)
 213 शुद्धेर दश्च II 19
 214 (इंडियन एंटीक्वरी बबई 1: 137 8)
 215 गायु पुराण I VII 158 शोचनतत्व परिवर्णासु ये रता निसोजसो अत्मवीर्यश्व
 शूद्रसामन्वयीन्तु स भविष्य पुराण I 44 23 एव आगे में कहा गया है कि शूद्रों को इसलिए
 शूद्र कहा जाता था कि उन्हें वैदिक ह्यान का भाज उचिष्ट प्राप्त होता था ये ते कुतेन्दुति प्राप्ता
 शूद्रासेनेह कीर्तिता
 216 दीप निकाय III 95 'सुदा स्वेच्छ अक्षर उपनिषदत्पू
 217 देखें शूद्र शब्द महाभूतपति
 218 (इंडियन एंटीक्वरी बबई 1: 138 9)
 219 सूर्योदात बीकट फलिया और पणि (एस के बेल्लकर कमेनोरेशन वान्यूम पृ 44)
 220 (इंडियन कल्डर कलकत्ता XII 179), एन एन धोष ने गलत कहा है कि आर्य और दास के
 बीच ऐसा प्रतिबन्ध ज्ञानेद द्वारा प्रभागित है।
 221 अथर्ववेद V 17 8 9
 222 दत्त ओरिजिन एड प्रोफेय आफ कास्ट सिस्टम पृ 20 और 62
 223 आजकल कई यूरोपीय समाजशास्त्री जैसे लूई द्वौ अपवित्रता ही के कारण वर्ण या जातिप्रथा को
 उदय मानते हैं पर किस आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति में अपवित्रता की भावना बढ़ी इस
 पर विवार करने का कास्ट नहीं करते
 224 जी जे हेल्ड 'एथनालास्नी ऑफ महाभारत पृ 89 95 वी एन दत्त स्टडीज इन इंडियन
 सोशल पालिटी पृ 28 30 अंडेडकर हू वैयर दि शूद्राज पृ 239
 225 वैदिक इंटेक्स II 265
 226 लैटमेन पूर्व निर्दिष्ट पृ 38

जनजाति से वर्ण की ओर

(लगभग 1000 ई पू से लगभग 600 ई पू तक)

उत्तरवैदिक साहित्य, जो शूद्रों की तात्कालीन स्थिति की जानकारी का एकमात्र साधन है, मुख्यतया जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त कर्मकाड़ से सदृशित है। इस मुग में हर सामाजिक या वैयक्तिक कार्य किसी उपरुक्त धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा हुआ था पर इन अनुष्ठानों में बहुपा सामाजिक विभेदों का ध्यान रखा जाता था।

कर्मकाड़ों का प्रचलन मुख्यतया कुरुपादाल देश में था, जहाँ उत्तरवैदिक साहित्य का अधिकांश भाग रखा गया था।¹ यह साहित्य सामान्यतया 1000 ई पू से 600 ई पू तक के काल से सबूद्ध है। इसमें सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों की कल्पना की गई है। कालक्रम के अनुसार सामाजिक विकास का पता उस बात से चलता है कि कौन सा पाठ किस विशेष समय का है। इस प्रकार कृष्ण यजुर्वेद साहित्य शुक्ल यजुर्वेद साहित्य से प्राचीन है² ब्राह्मण ग्रथों में शतपथ और ऐतरेय, जो वर्णों के पारस्परिक संबंध का महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हैं, अपेक्षाकृत नवीन हैं और पञ्चविंश एवं तैतिरीय प्राचीनतम हैं³ जैनिनीय ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण से भी बात का है,⁴ और उसी तरह कौशीतकि या शाङ्खायन ब्राह्मण भी⁵ कुछ मापतों में श्रौतसूत्र और ब्राह्मण ग्रथों के बीच विभेद करना कठिन है जैसे बोधायन श्रौतसूत्र बाद का ब्राह्मण ग्रथ माना जा सकता है।⁶ आपक्तव श्रौतसूत्र भी उतना ही पुराना मालूम पड़ता है।⁷ इनके अलिंगत अन्य प्रमुख श्रौतसूत्र (यथा आश्वलायन, कात्यायन शाङ्खायन लाट्यायन, द्राघायन और सत्याशाढ़) आठ सौ ई पू और पाँच सौ ई पू के बीच के माने गए हैं⁸ यद्यपि उनमें से अधिकांश छ सौ ई पू के बाद रवे हुए मालूम पड़ते हैं। अभी उपनिषदों की सट्टा दी सौ से अधिक हो गई है किंतु उनमें से केवल छ बुद्ध से पहले के माने जा सकते हैं।⁹ उत्तरवैदिक साहित्य के विभिन्न भागों से उपलब्ध सामग्री की जाँच करने में अलग अलग ग्रथों के वित्तिपय अशों के पारस्परिक तिथिर्थारण का भी ध्यान रखा दी गया।¹⁰ इतना ही नहीं हम देखते हैं कि ऋग्वेद और अथर्ववेद की अपेक्षा बाद की

- 202 अबेडकर पूर्वोद्धत पृ 185 90
- 203 वही पृ 139
- 204 महाभारत XII 60 38 40
- 205 ऐसे कठियों की चर्चा भविष्य पुराण, I 42 22 26 में की गई है जिनकी मौजूद वर्ण के किसी न किसी वर्ण की समझी जाती थी। यह सूची कई अन्य पुराणों और महाभारत पृ 70 में भी दी गई है
- 206 आर एस शर्मा (जर्नल ऑफ दि विलार रिसर्च सोसायटी XXXVIII 435 7 XXXIX 416 7)
- 207 महाभारत VII 6 6 देखें 19 7
- 208 वैदात सूत्र 1.3.34 शुगस्य तदनादर अदण्डात् तदाद्वयात् सूच्यते
- 209 छादोष उपनिषद्, IV 2.3 में राजा के रूप में वर्णित
- 210 शकर्स कर्मद्वी हु वैदातसूत्र 1.3.34
- 211 वही शू अवधवार्य साम्भावात् रुद्धार्यस्य घासम्भवात्
- 212 (इडियन एंटीक्वरी बबई, 1: 137 8)
- 213 शुचेर दश्व II 19
- 214 (इडियन एंटीक्वरी बबई 1: 137 8)
- 215 बायु पुराण I VIII 158 श्वोचन्तस्य परिवर्षात् ये रता निहोजसो अहरदीर्घस्व शूआस्तानवीन्तु स भविष्य पुराण I 44 23 एव आगे में कहा गया है कि शूद्रों को इसलिए शू कहा जाता था कि उन्हें धैदिक ज्ञान का महज उचिष्ट प्राप्त होता था ये तो शुद्रोंनु त्रापा शूद्रास्तेनेह कीर्तिता
- 216 दीघ निकाय III 95 'सुदा त्वेव अवधर उपनिषदत्तम्
- 217 देखें शुद्र शब्द महाब्युत्पत्ति
- 218 (इडियन एंटीक्वरी बबई 1: 138 9)
- 219 सूर्यकात कीकट फलिंग और पणि (एस के बेल्वल्कर क्षेमोरेशन वाल्पूप पृ 44)
- 220 (इडियन कल्चर कलकत्ता XII 179), एन एन थोष ने गलत कहा है कि आर्य और यास के बीच ऐमा प्रतिबप्य ऋग्वेद द्वारा प्रमाणित है।
- 221 अथवित् V 17 8 9
- 222 दत ओपिनिन एड प्रोथ आफ कास्ट सिस्टम पृ 20 और 62
- 223 आनंदकल कई पूरोपीय समाजशास्त्री जैसे लुई दूओ अपवित्रता ही के कारण वर्ण या जातिप्रथा का उदय मानते हैं पर किस आर्थिक और सामाजिक परिवर्षति में अपवित्रता की भावना बड़ी इस पर विधार करने का कारण नहीं कहते
- 224 जो जै हेल्ड एथनालाजी ऑफ महाभारत पृ 89 95 वी एन दत स्टडीज इन इंडियन सोशल पालिटी पृ 28 30 अबेडकर हूवेयर टि शूज पृ 239
- 225 धैदिक इडेक्स 11 263
- 226 लैटेमेन पूर्व निर्दिष्ट पृ 38

जनजाति से वर्ण की ओर (लगभग 1000 ई पू से लगभग 600 ई पू तक)

उत्तरवैदिक साहित्य, जो शूद्रों की तत्कालीन स्थिति की जाकारी का एकमात्र साधन है, मुख्यतया जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त कर्मकाड़ से सबधित है। इस युग में हर सामाजिक या वैयक्तिक कार्य किसी उपयुक्त धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा हुआ था पर इन अनुष्ठानों में बहुता सामाजिक विभेदों का ध्यान रखा जाता था।

कर्मकाड़ों का प्रचलन मुख्यतया कुरुपाचाल देश में था, जहाँ उत्तरवैदिक साहित्य का अधिकांश भाग रचा गया था।¹ यह साहित्य सामान्यतया 1000 ई पू से 600 ई पू तक के काल से सबृद्ध है। इसमें सामाजिक विकास के विभिन्न घटणों की कल्पना की गई है। कालक्रम के अनुसार सामाजिक विकास का पता उस बात से चलता है कि कोन-सा पाठ किस विशेष समय का है। इस प्रकार कृष्ण यजुर्वेद सहिता शुक्ल यजुर्वेद सहिता से प्रार्थन है,² ब्राह्मण ग्रथों में शतपथ और ईतरैय जो वणों के पारस्परिक संबंध का महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हैं, अपेक्षाकृत नवीन हैं, और यज्ञविश एवं तीर्तीय प्रार्थनात्म हैं³ जीविनीय ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण और ईतरैय ब्राह्मण से भी बाद का है⁴ और उसी तरह कौशीतकि या शाङ्खायन ब्राह्मण भी⁵ कुछ मापलों में श्रौतसूत्र और ब्राह्मण ग्रथों के बीच विभेद करना कठिन है जैसे कौशायन श्रौतसूत्र बाद का ब्राह्मण ग्रथ माना जा सकता है।⁶ आपत्तव श्रौतसूत्र भी उतना ही पुराना मालूम पड़ता है।⁷ इनके अतिरिक्त अन्य प्रमुख श्रौतसूत्र (यथा, आश्वलायन, कायायन, शाङ्खायन लाट्यायन, ब्राह्मायन और लत्यायन) आठ सौ ई पू और पाँच सौ ई पू के बीच के माने गए हैं⁸ परंपरे उनमें से अधिकांश छ सौ ई पू के बाद रखे हुए मालूम पड़ते हैं। अभी उपनिषदों की संख्या दो सौ से अधिक हो गई है, किंतु उनमें से केवल छ बुद्ध से पहले के माने जा सकते हैं।⁹ उत्तरवैदिक साहित्य के विभिन्न भागों से उपलब्ध सामग्री की जाँच करने में अतग अलग ग्रथों के वित्तिपथ अशों के पारस्परिक तिथिनिर्दारण का भी ध्यान रखना होगा।¹⁰ इतना ही नहीं हम देखते हैं कि ऋग्वेद और अथर्ववेद की अपेक्षा बाद की

सहिताओं और खासकर ब्राह्मणों में इच्छासूचक क्रियापद का प्रयोग कही अधिक हुआ है।¹¹ अतएव परवर्ती वैदिक साहित्य में बहुत से सदर्भ वस्तुत घटित तथ्यों के अभिलेख नहीं हैं, उनसे केवल वैचारिक स्थिति का पता चलता है। लेकिन उत्तरवैदिक काल की घटनाओं के प्रमुख ग्रन्थ श्रहभारत के विवरणात्मक अशों से घटनाओं के साम्य यदा कदा प्राप्त हो सकते हैं।¹²

चौंक वैदिक काल के बाद शूद्रों का वर्णन मुख्यतः अनुचर वर्ग के रूप में हुआ है, इसलिए उत्तरवैदिक काल में उनकी स्थिति का अध्ययन आरभ करने में उनकी आर्थिक दशा पर ध्यान देना होगा। एक आरभिक प्रसग में कहा गया है कि शूद्रों के पास मवेशी होते थे जिन्हें उच्च वर्ण के लोग यज्ञ के लिए पकड़ ले जाते थे।¹³ इस तथ्य की पुष्टि पूर्ववर्ती ब्राह्मणग्रन्थ के एक अन्य ऐसे प्रसग से होती है जिसमें बताया गया है कि शूद्र का जन्म उस समाज में हुआ जहाँ ईश्वर का अस्तित्व नहीं माना जाता था और यन का आयोजन भी नहीं होता था परतु उसके पास बहुत से मवेशी रहते थे (बहुपशु)।¹⁴ सभव है कि यहाँ उन शूद्रों का उल्लेख है जिनके बीच आर्य घर्म का प्रचार नहीं हुआ था और जिनके पशुपता पर यन करनेवालों की आँख लगी रहती थी।

कुछ ऐसे भी प्रसग आए हैं जिसमें शूद्रों के अनुचरजन्य कर्मों का उल्लेख है। जैमिनीय ब्राह्मण में कहा गया है कि शूद्र की उत्पत्ति प्रजापति के पाँव से हुई है और उसका कोई देवता नहीं है। गृहस्वामी उसके देवता हैं और उनका चरण पाषारकर ही उसे अपना जीवननिर्वाह करना है।¹⁵ दूसरे शब्दों में एक परवर्ती श्रीत के अनुसार उसे उच्च वर्ण के लोगों की सेवा करके अपना निर्वाह करता है।¹⁶ ऊपर जिन दो श्रीतों की चर्चा है उनमें पहलेवाले से यह भी सूचना मिलती है कि अश्यमेथ यज्ञ के परिणामस्वरूप पोषक वैश्य सपत्निशाली बनता था और कर्मठ शूद्र दक्ष कर्मकर्ता होता था।¹⁷ सभवत यह कर्मकर्ता शब्द का प्रयोग भाङ्गे के मजदूर के अर्थ में नहीं हुआ है इस अर्थ में कर्मकर शब्द वैदिकोत्तर साहित्य में प्रयुक्त होता है।¹⁸ उत्तरवैदिक काल में खेती का प्रवार अवश्य हुआ पर इतनी जर्मीन किसी परिवार के पास नहीं थी जिसके लिए उसे खेतिहर मजदूरों की आवश्यकता पड़े। अतएव शूद्र इस काल में खेत मजदूर के रूप में नहीं पाए जाते हैं। एक पूर्वकालीन उपनिषद् में शूद्र को 'पूर्वन या पोषक' कहा गया है¹⁹ जो ऐसी उपायि (पोषयिष्यु) है जिसका प्रयोग जैमिनीय ब्राह्मण में वैश्यों के लिए किया गया है।²⁰ इससे संकेत मिलता है कि वह जमीन जोतनेवाला था²¹ और समाज को पोषाहार प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्पादन कार्य में लगा रहता था। सभवतया अपने परिवार का पोषण वह पशुपालन और खेती से करता था, और इस काल के उत्तरभाग में वैश्यों की तरह वह भी उत्पादन का हिस्सा करों के रूप में चुकाता था।

किंतु यह धारणा कि शूद्र श्रमिक वर्ग के थे वई अन्य प्रसागों पर भी आधारित है। १ पुरुषमेष्ट यज्ञ में ब्राह्मण ब्रह्मात्र को, राजन्य राज्य को, वैश्य मरुत (कृषक समुदाय) को और शूद्र तप (शारीरिक श्रम) को बलि द्वाया जाना चाहिए²² यह समझा जाता था कि शूद्र श्रमसाध्य कार्य करनेवाले हैं। यज्ञ में बलि दिए जानेवाले लोगों की सूची में चारों वर्जों के पश्चात् विभिन्न प्रकार के पेशेवर लोगों का स्थान आता है, यथा, रथनिर्माता, बढ़ी, कुमकार, लोहार, सरांफ, चरवाहा, गड़ेरिया, किसान, मर्यानिर्माता, मछुआ और शिकारी। इन्हें वैश्य अथवा शूद्रों की कोटि में रखा जा सकता है। निषाद, किरात, पर्णक पौलकस और बैद²³ सभवतया शूद्र समझे जाते थे²⁴ इस सूची से पता चलता है कि शिल्पों की सच्चा बढ़ गई थी और लोग मानने लगे थे कि विभिन्न प्रकार के शिल्पी और मजदूर शूद्र थे। ऐसा लगता है कि शिल्पी जनजातीय सामाजिक इकाइयों के अभिन्न अंग थे। कुछ शिल्पी राजकीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, और अन्य कृषक समाज का काम ढालते थे।

शूद्र मजदूरों और उनके नियोजकों के बीच किस प्रकार का संबंध था? वैदिक इडेन्स के हेखकों का कथन है कि 'शूद्र' शब्द से दास का भी बोय होता था।²⁵ किंतु दासों की सच्चा बहुत कम थी। हमें यह भी पता चलता है कि अग ने विभिन्न देशों से दस हजार दासियों को बड़ी बनाया था और उन्हें अपने ब्राह्मण पुरोहित आत्रेय को सर्पर्पित किया था।²⁶ लगता है कि यह आँकड़ा अतिरिक्त और परपरागत है। इवेतकेतु के पिता आरुणि को इस बात का गर्व है कि उसके पास स्वर्ण, मवेशी, घोड़े दासियाँ, अमले और बंदियाँ हैं, किंतु वह पुरुष दास की चर्चा नहीं करता।²⁷ परपरा से यह बात चली जा रही है कि मुथिष्ठिर के विशाल राज्याभिषेक यन में ब्राह्मणों को दासियाँ अर्पित की गई थीं।²⁸ यह यज्ञ सभवत उत्तरवैदिक काल में हुआ था। इससे स्पष्ट है कि इस काल में शासक वर्ग और पुरोहित बड़े पैमाने पर दासियाँ रखते थे। यह इसलिए सभव था क्योंकि वैदिक सरदारों की विजयात्रा के कारण दिव्यों की सच्चा घटती जाती थी। मुद्द में विरोधी पक्ष के पुरुष मारे जाते थे और उनकी त्वियों को बड़ी सच्चा में दासीगत किया जाता था।

'दास' शब्द का उल्लेख ऐतरेव और गोप्य ब्राह्मणों²⁹ में हुआ है, किंतु गुलाम के अर्थ में नहीं। ध्यान देने की बात यह है कि निष्टु में³⁰ चाकर का काम करनेवालों (परिघरणकर्मी) की जो सूची दी गई है, उसमें कहीं भी दास का उल्लेख नहीं है यद्यपि 'चाकर' शब्द के दस पर्याय निए गए हैं। सभवतया दासों की सच्चा इतनी कम थी कि उस और लोगों का ध्यान ही नहीं गया होगा। स्वभावतया शूद्रों के बड़े पैमाने पर गुलाम के स्पष्ट में नियोजित किए जाने की सभावना नहीं रह जाती। इसलिए बोय का यह कथन वास्तविक रित्थिति का सकेत नहीं देता कि किसान पहले स्वयं अपना खेत जोतते थे, पर ब्राह्मणकाल में

उनकी जगह भूस्यामी लोग आ गए जो गुलाम भजदूरों के सहारे अपनी गृहस्थी सैमालने लगे ।³¹ ब्राह्मणकाल में कहीं भी इस प्रकार के भूखड़ों के होने का प्रमाण नहीं मिलता है लिक्षी घेती लोग अपने पर के सदस्यों की सहायता से न कर पाएं। अतएव उन्हें दासों अथवा कर्मकरों दी आवश्यकता नहीं थी। यह विद्याति वैदिकोत्तर काल में उपत्र हुई।

घेतों में काम करते हुए गुलामों का सर्वप्रथम प्रसंग श्रीतसूत्रों में आया है, जिसकी रचना वैदिक काल के अत और बाद में हुई थी। इन सूत्रों में से एक से हमें यह जानकारी मिलती है कि अब हल और पशुओं के साथ दो गुलाम भी दिए जाते थे,³² जिससे प्रतीत होता है कि गुलामों से हल जुतवाया जाता था और उनके भालिक उन्हें खुलेआम बेच सकते थे। किंतु बहुत से परिवर्तनों में जपीन और उस पर काम करनेवाले लोगों को उपहार में देने की प्रथा का विरोध किया गया है। इस प्रभार कहा गया है कि अश्वमेष यन में भूमि और उस पर काम करनेवाले लोग यशश्वल्क नहीं हो सकते थे (भूमिपुष्टवर्जम्)³³; यताया गया है कि एकाठ (एक दिन बाले) यन में भी भूमि और शूद्र उपहार में नहीं दिए जा सकते थे (भूमिशूद्रवर्जम्)³⁴ यो, वैकल्पिक रूप से कभी कभी शूद्र भी दिए जा सकते थे³⁵ दालांकि दीका के अनुसार ये शूद्र जन्मजात गुलाम ही होते थे³⁶ आत्मायन श्रीतसूत्र से इस आशय के दो प्रसंग उपलब्ध हैं। इनमें से एक में कहा गया है कि पुरुषमेष यज्ञ में भूमि और मनुष्य यनश्वल्क के रूप में दिए जाते थे³⁷ दूसरा प्रसंग स्पष्ट नहीं है, पर उससे सकेत मिलता है कि सर्वमेष यन में 'मनुष्य के साथ' भूमि भी दी जाती थी³⁸ इन प्रसंगों से वैदिक काल के अतिम घरण में और बाद में हुए एक नए सामाजिक विभास का आभास मिलता है। शूद्रों से कुछ व्यक्तियों (अधिकतर शासक सरदारों) के घेतों में गुलाम के तौर पर काम कराया जाता था और उन्हें भूमि के साथ उपहार के रूप में भी अर्पित किया जा सकता था यद्यपि आश्वलायन और कात्यायन श्रीतसूत्र के रचयिताओं को इससे आपत्ति थी।

कहा गया है कि वैदिक काल में शूद्र कृपिदास थे³⁹ कृपिदास (कम्मी) शब्द अपने भालिक भी भूमि में काम करनेवाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। कृपिदास एक भूखड़ का स्वामी होता था जिसके लिए वह अपने भालिक को कर चुकाता था और उसके घेतों में काम बरता था। पर उसे भूमि के साथ ही दूसरे मानिकों के नाम अतरित किया जा सकता था। शूद्र शब्द का यह जो अर्थ लगाया गया है वह सबद्ध प्रसंगों के विल्कुल अनुकूल नहीं है। प्रथमत वैदिक काल में भूमि का तिजी स्वामित्व बहुत ही सीमित था। स्वामित्व का तात्पर्य है सपत्नि का मुक्त क्रय विक्रय या हस्तातरण। किंतु सहिताओं में भूमिदान के दृष्टान्त नहीं है। छादोऽप्य उपनिषद् में एक उत्तरण के अनुसार पूरे गाव को राजा जानशुति ने रैख्य को दान किया था⁴⁰ दो परवर्ती ब्राह्मण ग्रंथों में एक अन्य दृष्टान्त मिलता है⁴¹

इन दृष्टांतों से हमें पता चलता है कि भूमि का अतरण कुटुंबों की सहमति से ही किया जा सकता था, किन्तु इस पर भी धरती हस्तातिरित होने से इनकार कर सकती है⁴² पूर्वकाल में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता, जिसमें भूमि के साथ शूद्र का भी दान किया गया हो। कुछ श्रीतसुनों में ऐसे दृष्टात मिलते हैं, किन्तु ये बाद के हैं और एक टीका के अनुसार ऐसे शूद्रों को जन्मजात गुलाम (गर्भदास) माना गया है,⁴³ न कि भूसबू घाकर या कृपिदास।

वैदिक काल में गुलामी या कृपिदासता की दृष्टि से, शूद्रों की स्थिति सुनिश्चित करना कठिन है। यद्यपि सदभौं से धारणा बनती है कि मजदूर वर्ग को शूद्र की सना दी जा रही थी, किन्तु भी सामान्यतया ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे किसी खास व्यक्ति के गुलाम या कृथिदास थे। स्पष्ट है कि जिस प्रकार भूमि पर समुदाय का सामान्य नियन्त्रण रहता था उसी प्रकार का नियन्त्रण श्रमिक वर्ग पर भी रखा जाता था। इस दृष्टि से शूद्रों की तुलना स्थार्टी के गुलामों से की जा सकती है। अतर इतना है कि उनके साथ उस हद तक बलप्रयोग नहीं किया जाता था और न उन्हें उस तरह तिरस्कृत ही किया जाता था।

यद्यपि परवर्ती वैदिक काल में 'विश्' का शिल्पी वर्ग शूद्र की स्थिति में पहुँच गया था किन्तु भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे सिद्ध हो सके कि वे जिन शिल्पों या कृपिकभौं से लगे हुए थे उनसे लोग घृणा करते थे। जहाँ तक कृपि का सवध है, तोगों के मन में निश्चित शवना थी कि इस कार्य में सहायता दी जाए और इसमें सलान रहनेवालों की प्रोत्साहा तथा सम्मान मिले। इसके लिए वे कई प्रकार के घरेलू कर्मकाड और तत्र भर करते थे⁴⁴ जहाँ तक शिल्प का प्रश्न है, चमड़े के काम के प्रति भी घृणा के प्रमाण नहीं मिलते⁴⁵ इससे यह आभास मिलता है कि कोई भी कार्य अपने स्वरूप के कारण अपवित्र नहीं माना जाता था और यही धारणा बाद में भी चलती रही। श्रीतस्त्र में एक विशेष प्रकार का अनुप्लान शिल्प कहलाता है जिसका अर्थ हस्तकीशल भी है।⁴⁶ परवर्ती वैदिक काल में शारीरिक श्रम के प्रति घृणा का अभाव था। इसकी तुलना ग्रीस में हुए समानातर विकास से की जा सकती है जहाँ हेसियोद से लेकर मुकरात तक (800 ई. पू. से करीब करीब 400 ई. पू. तक) जाभावना शारीरिक श्रम के पक्ष में थी।⁴⁷ परवर्ती वैदिक काल में शारीरिक श्रम के प्रति निष्ठा सम्भवत् पुराने सीधे सादे समाज से चली आ रही थी जिसमें राजा भी खेत जोतने के काम में हाथ बैठता था।⁴⁸ राजा जनक के इल चलाने की कथा प्रसिद्ध है।

उस काल के राजौतिक जीवन में भी शूद्रों की भूमिका उनकी स्थिति के अनुकूल महत्वपूर्ण ही जा पड़ती है। भारतीय आर्यों की राज्यव्यवस्था की निर्भाणावस्था में उन्हें राज काज में हाथ बैठाने का पर्याप्त अवसर मिला। ध्यान देने की बात यह है कि उन्हें राज्य के लगभग एक दर्जन उच्च कर्मवारियों के उप्रति निकाय में स्थान प्राप्त था,⁴⁹ जिन्हें

रत्निन् (रत्नाधिकारी) कहा गया है। इसकी तुलना बारह व्यक्तियों के उस पर्वद से की जा सकती है जो प्राचीन सैम्बन्ध, फ्रिजियन केल्ट्स आदि जैसी कई भारापीय जातियों की अति प्राचीन सत्त्वा थी 50 रत्निनों का घटावा अर्पित करने का समारोह सपत्र करने के लिए राजा को इनके घर जाना पड़ता था। रत्निनों की सूची से पता चलता है कि उनमें सभी वणों के लोग रहते थे 51 इनमें से दो रत्निन् रथकार और तत्कान्, जिनकी घर्षा विभिन्न ग्रथों में हुई है, 52 शूद्र वर्ण के शिल्पी वर्ग के थे। इनके घरों पर होनेवाले समारोहों में सभी प्रकार के धातु यज्ञशुल्क के रूप में विहित किए गए हैं, 53 जिससे पता चलता है कि वे अपने धातु सबधी कार्य और व्यवसाय के कारण महत्वपूर्ण थे। ऐसे ही बताया जा चुका है कि अथवैद में वर्णित एक राजा ने किस तरह कर्मार और रथकार की सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। किंतु वर्तमान सूची में कर्मार का स्थान तत्कान् ने से लिया है जो रथकार के साथ ही धातुकर्म और बैलगाड़ी के निर्माण सबधी सभी कार्यों के प्रभारी रहे होंगे और जिनके बिना सुदूरपूर्व में जायों का विस्तार और उनकी बस्तियों की स्थापना नहीं हो पाती। किंतु शतपथ ब्राह्मण में इन दोनों रत्निनों का कोई उल्लेख नहीं है और उनके बदले गोविकर्तन (शिवारी) और पालागल (सवादवाहक) का उल्लेख हुआ है 54 इन दोनों को भी शूद्र समझने के कारण पौजूद हैं। रत्न आदि अर्पित करने के समारोह के पश्चात राजा प्राप्यशिद्धत बरता था क्योंकि उसे यज्ञ के अनधिकारी शूद्रों को यज्ञ के सर्पक में लाने का दोषी समझा जाता था 55 सापण ने तो सेनानी को भी शूद्र रत्निन् माना है लेकिन उसकी यह स्थापना कपोलकल्पित लगती है 56 अधिक सभावना यही है कि यज्ञ के अनधिकारी शूद्रों का जो उल्लेख आया है, वह केवल पालागल और गोविकर्तन पर ही लागू है। पालागल शूद्र था, यह निष्कर्ष इस तथ्य से निकाला जा सकता है कि पालागल को शूद्र के रूप में सबैयित किया गया है 57 एक अन्य स्थान में पालागल शब्द मिथ्या दूत (अनृतदूत) के रूप में परिभाषित किया गया है 58 यहीं पालागल की जो विशेषता बताई गई है, आगे चलकर वह सर्वथा शूद्र के बारे में लागू होती है 59 गोविकर्तन, जिसका वर्णन शतपथ के अतिरिक्त कई अन्य सूचियों में भी रत्निन् के रूप में किया गया है, 60 सापण द्वारा नीच जाति (हीन जाति) का बताया गया है 61 सभवतया वह आखेटरक्षक और वन का प्रभारी था जो शूद्र रहा होगा। कीथ क्षत्रु को, जो रत्निन् था मूर्तिकार मानता है, 62 जिसका आशय यह हुआ कि वह भी शूद्र था। किंतु यह सदैहस्पद लगता है क्योंकि महाकाव्य में क्षत्रु का अर्थ प्रतिहार किया गया है, 63 और यह समझने का कोई विशेष कारण नहीं कि ब्राह्मणों में इसका प्रयोग मित्र अर्थ में किया गया है। रत्निनों में तत्कान् को अधिक अधिकार के साथ मूर्तिकार कहा जा सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि कुछ मामलों में शिल्पियों और कुछ में पशुपालकों तथा सदेशवाहकों (जो शूद्र वर्ण के थे) का इतना महत्व था कि राजसूय यज्ञ के

अवश्य पर राजा उनकी दोज करते थे ।

किंतु शूद्र रत्निनों की स्थिति पर और भी प्रकाश ढालना आवश्यक है । प्रथमत , उन्हें वर्ण नाम से निर्दिष्ट किया गया है जैसे ब्राह्मण, राजन्य और वैश्य रत्निनों को किया गया है ।⁶⁴ फिर, जहाँ तक प्रभाव, कृतित्व और प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, शूद्र रत्निनों के विछद्द पतला भारी रहा होगा और राजनीतिक अनुष्ठानों में उनकी उपस्थिति कानातर में भाव एक द्वौपचारिकता बनकर रह गई होगी । अलग-अलग सूचियों में शूद्र रत्निनों की सख्ता दो या तीन बताई गई है ।⁶⁵ किसी भी बात से यह पता नहीं चलता कि उनकी उपरिधिति से संपूर्ण शूद्र वर्ण का प्रतिनिधित्व हो जाता था, किंतु इतनी बात तो अवश्य थी कि इस समुदाय के कुछ लोगों को राज्यव्यवस्था में स्थान मिल गया था ।

जायसवात ने रत्नार्पण समारोह (रत्नावीषि) को महान सैवेयानिक परिवर्तन माना है, । व्योक्ति शूद्र की 'जो विजित गुलाम थे राजा बननेवाला व्यक्ति पूजा करता था ।'⁶⁶ इसना अर्थ यह हुआ कि विजित आर्यपूर्व जनों को आयों की राज्यव्यवस्था में जान-बूझकर ऊँधा दर्जा दिया गया था । किंतु आयों के राजनीतिक समाज में कम से कम दो शूद्र रत्निन्, रथकार और तक्षन् का स्थान विजितों को जान बूझकर उच्च स्थान देने की नीति के कारण नहीं था, बल्कि उसका आधार तो यह था कि वे दोनों ऐसी आये जनजातियों के मूल सदस्य थे जो उस समय तक वर्गों में बिघर गई थी । अथवदित में रथकार और कर्मार (जिसका स्थान अब तक्षन् ने ले लिया है) को स्पष्टत राजा के इर्द गिर्द रहनेवाले विशु के रूप में विचित्र किया गया है ।⁶⁷ धातुकर्म और रथनिर्भाण में उनकी नैपुण्यजन्म अपरिहार्यता के कारण भी प्राचीन समाज में उनका महत्व बढ़ गया होगा । इतना ही नहीं यह भी असभव नहीं कि इन शूद्र रत्निनों के कारण शूद्र वर्ण के अन्य वर्णों को भी परोद्ध रूप से महत्व मिल गया होगा ।

उस समय के राजनीतिक जीवन में शूद्रों के सहयोग का तथ्य पासे के खेल से भी स्पष्ट है जो राजसूय यज्ञ में एक तरह के धार्मिक कृत्य के रूप में विहित है । हमें इसके बारे में दो तरह के पाठ मिलते हैं । पूर्ववर्ती पाठ में, जो कृष्ण यजुर्वेद में उपलब्ध है, बताया गया है कि ब्राह्मण राजन्य, वैश्य और शूद्र गाय को दाव पर रखकर पासा खेलते थे और उसमें राजा जीतता था ।⁶⁸ परवर्ती पाठ में, जो शुक्ल यजुर्वेद में आया है, गाय के लिए हीनेवाली प्रतियोगिता में से वैश्य और शूद्र को हटा दिया गया है । इस जुए के खेल में राजा का सबधी (सजात) गाय को दाव पर रखता है और कार्यकारी पुरोहित (अर्घ्यर्तु) उसे राजा के लिए जीतता है ।⁶⁹ जान पड़ता है कि आध का यह जुआ मूलत जागातीय प्रथा थी जिसका आयोजन नेता की विचक्षणता और वाक्यावातुरी जाँघने के लिए किया जाता था । अत जनजातियों की ममेकता और समरूपता की पुरानी परपरा के ही कारण पासे के खेल

में सभी वर्णों को भाग लेने दिया जाता था। किंतु कलात्मक में इस प्रथा का स्वस्त्रप बदल गया और वैश्य तथा शूद्र को इस खेल से बहिष्कृत कर दिया गया। इतना ही नहीं, यह महत्व यी थात है कि पूर्वकाल में शूद्र भी एक प्रतिदोषी के रूप में इस खेल में भाग ले सकता था जो राजा के औपचारिक अधियेह की प्रारंभिक क्रियाओं में से एक थी।

राजसूय यन के एक अन्य समारोह में भी हमें शूद्र की चर्चा मिलती है, जिसमें यजमान प्रथमत ब्राह्मण को र्वर्ण प्रदान करता है और उससे दीर्घि खरीदता है, तब राजन्य को तीन तीर के साथ घनुष देकर काति खरीदता है, तत्पश्चात वैश्य को अकुश देता है और उससे पुष्टि प्राप्त करता है और अतत शूद्र को मापयात्र देता है जिससे दीर्घ आयु खरीदता है।⁷⁰ यहाँ वर्णभेद का वित्रण किया गया है। इससे पता चलता है कि वैश्य पशुपालन में लगे थे और शूद्र वृथिकर्म में। किर भी उन्हें राजा के सर्वकर्म में लाया गया है और यह भाना गया है कि वे राजा को दीर्घ आयु प्रदान करने में सहाय हैं।

सभवतया, शूद्र राजसूय यज्ञ के एक और समारोह से सबद्ध है, जिसमें नवाभिषिक्त राजा थो आकाश थी चारों दिशाओं में आरोहण करने को कला जाता है और पूर्व दिशा में ब्रह्म से, दक्षिण में शत्रु से, पश्चिम में विश से तथा उत्तर में फल वर्द्धसु और पुष्टम् से निवेदन किया जाता है कि वे राजा की रक्षा करें।⁷¹ जायसवाल का कथन है कि फल स्पष्टतया शूद्र का पर्यायवाची है।⁷² घोपाल इसे स्वीकार नहीं करते और वे इस समारोह को वैदिक राज्यव्यवस्था में तीन उच्च जातियों के प्रभाव का प्रतीक मानते हैं।⁷³ यह भी सुझाव दिया गया है कि फल शिल्पी वर्ग का घोलक है।⁷⁴ हमारी राय है कि वैदिक साहित्य में⁷⁵ फल शब्द का प्रयोग उसके शाश्वतक अर्थ में किया गया है न कि उसके पश्चातवर्ती गोण अर्थ 'परिणाम' के रूप में। अत यो सकता है कि वह शूद्र के उत्पादन कार्यों से सबृद्धि रहा हो। किंतु वर्द्धस (जिसका अर्थ है काति) के बारे में भी ऐसा ही नहीं कहा जा सकता। यहाँ तक पुष्टम् शब्द का सबध है, वह सामान्यतया वैश्यों से सबद्ध है, किंतु एक परिच्छेद में शूद्र को पूजण (पोषक) भी कहा गया है।⁷⁶ अत यह सुझाव दिया जा सकता है कि फलम् और पुष्टम् शब्द शूद्र के उत्पादन कार्यों का संकेत देते हैं और शूद्र से यह अनुरोध किया जाता है कि वह उत्तर दिशा में राजा की रक्षा करे।

हमें नात है कि मुरिंठिर के महाराजसूय यन में सभात शूद्रों को आमत्रित किया गया था।⁷⁷ ऐसा विरोधायक वक्तव्य कि उस अवसर पर यन का अनुशिक्षारी एक भी शूद्र उपस्थित नहीं था,⁷⁸ सभवतया उस प्रयास का परिचायक है जो शूद्रों को राजनीतिक सत्ता से बहिष्कृत करने के लिए किया गया था। जो भी हो, इतना ही स्पष्ट है कि कम से कम शूद्र वर्ण के कुछ लोग राज्याभिषेकों में भाग लेते थे।

शुक्ल और कृष्ण दोनों मजु सहिताओं में पाए जानेवाले एक मत्र के अनुसार⁷⁹

राजसूय यज्ञ के अवसर पर 'विशु' के बीच प्रतिष्ठापित राजा⁸⁰ अर्य और शूद्र के प्रति किए गए पाप के प्रायश्चित के लिए सूर्य से प्रार्थना करता है। पाणिनि⁸¹ को आधार मानकर, टीकाकार उच्चट और महीपर ने 'अर्य' शब्द की व्याख्या वैश्य के रूप में की है।⁸² इससे स्पष्ट है कि राजा भी दो निम्न वर्णों को सताने के लिए स्वच्छ नहीं था। यह स्थिति ऐतिहासिक ब्राह्मण में वर्णित रिथित से वित्तुल भित्र है,⁸³ जहाँ राजा की इच्छानुसार वैश्य को सताया और शूद्र को पीटा जा सकता है।

माना गया है कि अश्वमेय यज्ञ करने से याजक को सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होती है और कहा गया है कि शूद्र विश्वविजय के अभियान पर भेजे गए अश्व के साथ अस्त्र शस्त्र लेकर रक्षक के रूप में जाता था।⁸⁴ शूद्र अस्त्र चला सकता था, यह निष्कर्ष एक प्राचीन पीरच्छेद से भी निकाला जा सकता है, जिसमें लिखा गया है कि राजा के सहयोग से राजा, वैश्य के सहयोग से वैश्य, और शूद्र के सहयोग से शूद्र भारा जाता है।⁸⁵ महाभारत में दम्भाद्भव नाम के राजा की कथा है। वह प्रतिदिन सत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण के सशस्त्र सैनिकों को ललकारकर कहता था कि वे युद्ध करने में उसके समान बहादुर दर्जे।⁸⁶ युद्ध में भाग लेनेवाले विभिन्न नेताओं और लोगों की गणना करते हुए इस महाकाव्य में बताया गया है कि घारी वर्ण युद्ध में भाग लेते थे और इससे उन्हें 'याति आन' और भयांदा की प्राप्ति होती थी।⁸⁷ शूद्र भी सैनिक के रूप में कार्य करते थे यह तथ्य भी प्राचीन जनजातीय राज्यव्यवस्था के प्रभाव का परिचायक है। इस राज्यव्यवस्था में भी हर व्यक्ति शस्त्र ग्रहण कर सकता था।

यह भी ध्यान देने की बात है कि आयोगव जिसे टीकाकारों ने वैश्य महिला से उत्पन्न शूद्रपुन बताया है अश्वमेय यज्ञ में जागरूक कुत्ते जैसा काम करता है।⁸⁸ प्राय यह उस प्रथा की ओर संकेत करता है जिसमें आदिम जाति के लोगों को प्रहरी के रूप में बहाल किया जाता था। शतपथ ब्राह्मण में एक आयोगव राजा मरुत आविदित का अद्वितीय विवरण मिलता है। यह अश्वमेय यज्ञ करता है और मरुत उसके अगरक्षक आग्नि उसके प्रतिहार और विश्वदेव उसके समासद के रूप में कार्य करते हैं।⁸⁹ यह दृष्टात शूद्र राजा वा नहीं मालूम पड़ता यह सम्बलतया ब्राह्मणप्रथान राज्यव्यवस्था में ब्राह्मणेतर शासक को समाविष्ट करने का दृष्टात है। आयोगव शब्द की परिभाषा धर्मसूत्रों के पहले नहीं मिलती और यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि मरुत आविदित हीन जाति का राजा था।

अश्वमेय यज्ञ में ऐसी व्यवस्था थी कि रथकार का पर यज्ञ के अश्व और उसके रक्षकों का विश्रामरथान होगा।⁹⁰ इससे प्रकट होता है कि परवर्ती काल के अश्वमेय यज्ञ में भी रथकार को राजनीतिक महत्व प्राप्त था।

अश्वमेय यज्ञ का आयोजन घारी वर्णों को जीतने के उद्देश्य से किया जाता था, जिससे

मातृम होता है कि शासक आवश्यक समझता था कि समाज के सभी वर्णों की निष्ठा उसे प्राप्त हो ।⁹¹ एक अन्य परिच्छेद से भी ऐसी ही धारणा बनती है। इसके अनुसार राजसूय यज्ञ के अवसर पर पुरोहित राजा को दीक्षि, शक्ति, सतति और सुदृढ़ स्थिति की प्राप्ति में सफलता प्रदान करता है। ये गुण क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में पाए जाते हैं।⁹² इसी आशय का एक परिच्छेद तैत्तिरीय सहिता में मिलता है।⁹³ इसके अनुसार राजन्य को अग्न्यायानमन्त्र तीन बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसे योद्धा की निष्ठा के अतिरिक्त तीन अन्य वर्णों, यथा ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र की आज्ञाकारिता भी प्राप्त करनी होती है। इन बातों से पता चलता है कि इस युग में परवर्ती ग्राहों की तरह शूद्रों की आज्ञाकारिता स्वप्नसिद्ध ही थी। तैत्तिरीय क्राद्धम के एक अनुच्छेद से भी स्पष्ट है कि राजा के लिए यह अनिवार्य था कि वह उनका भी समर्थन प्राप्त करे। इस ग्रंथ से हम जान पाते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ने क्रमशः गायत्री, निष्ठुष्ट, जगती और अनुष्ठुष्ट घटों के जरिए पाचालनरेश दर्भ शातानीकि का सम्मान किया था।⁹⁴

सभी यजु सहिताओं में एक महत्वपूर्ण परिच्छेद आया है जिसमें अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह पुरोहितों योद्धाओं, वैश्यों और शूद्रों को प्रप्त प्राप्ति करे।⁹⁵ वाजसनेय सहिता में यह परिच्छेद वसोर्धारा कर्म की विधि के प्रसंग में आया है, जिसमें अग्नि को राजा के रूप में अभिधिकृत किया जाता है। इस अवसर पर कार्यकारी पुरोहित (अधर्यु) इस आशय का भवयात करता है कि याजक को सभी आधिकौतिक और आधिदैविक वर मिलें। यह स्पष्ट तो नहीं है किंतु इसे असभव नहीं कहा जा सकता कि यह कर्म राजा के लिए विहित है, जो अग्नि से प्रार्थना करता है कि वह उसकी सभी वर्णों की प्रजा को जिसमें शूद्र भी सम्मिलित है दीक्षित प्रदान करे।

राजनीतिक ढंग के वर्धकर्म में शूद्रों का सहयोग किए प्रकार का और किस हद तक हो इसमें कोई एकस्पता नहीं थी। कुछ मामलों में समारोह की गाण बातों में वर्ण के अनुसार अतर पड़ता था। स्वभावतया शूद्र को निम्नतम स्थान प्राप्त था। आप मामलों में शूद्र सहित सभी वर्ण समारोह में उसी प्रकार भाग लेते थे और समान आशीष की आशा रख सकते थे। जो भी हो धर्मशास्त्रों के नियमों से तुलना करने पर यह अ्यातव्य है कि उत्तरवैदिक काल में तीनों उच्च वर्णों के साथ शूद्रों को भी राजनीतिक सत्ता में कुछ हिस्सा मिल सका था।

किंतु इसका एक दूसरा पहलू भी है। इस काल में पहले ही यह प्रवृत्ति चल पड़ी थी कि शूद्रों को सामुदायिक जीवन में भाग लेने से बहिष्कृत किया जाए। इसीलिए अन्य तीन उच्च वर्ण के तोणों की भाँति शूद्र राजसूय यज्ञ के अवसर पर अभियेचन कर्म में भाग नहीं ले सकता था।⁹⁶ जायसवाल का भत है कि जन्य था जन्यमित्र, जिसे राजा को अभिधिकृत

करनेवाला चौथा व्यक्ति बताया गया है, जैरी जनजाति के सदस्य के रूप में शूद्र है⁹⁷, किंतु इस तरह का अर्थ प्रमाणहीन प्रतीत होता है। इस शब्द का वास्तविक अर्थ घाहे जो कुछ भी हो⁹⁸ इतना तो स्पष्ट है कि उपलब्ध साहित्य में कहीं भी इस शब्द का शूद्र से कोई संबंध नहीं है। यह भी कहा गया है कि राजसूय यन के अवसर पर तीनों उच्च वर्ण के लोग राजा से ईश्वर की पूजा के लिए स्थान माँगें।⁹⁹ इसमें शूद्रों को छोड़ देना इस सिद्धांत का स्वाभाविक परिणाम है कि शूद्र देवपूजक नहीं थे फिर भी यह राजनीतिक जीवन में उसके महत्व के घटते जाने का संकेत है।

शतपथ ब्राह्मण में कुछ ऐसे कर्मों का विषय है जो विश् (समुदाय) पर क्षत्र (शासनप्रभुत्व) का नियन्त्रण स्थापित करते हैं।¹⁰⁰ यहाँ शूद्र का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि प्राय यह निश्चित भाव लिया गया है कि उस पर राजा का नियन्त्रण था। एक दूसरे अनुच्छेद से भी ऐसा ही विचार व्यक्त होता है। इसके अनुसार ब्रह्म और क्षत्र विश् में सुस्थापित थे¹⁰¹ किंतु यहाँ भी शूद्र की चर्चा नहीं हुई है।

वाजपेय यन राजा की शक्ति बढ़ानेवाला यन था और उसमें शूद्र को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। एक ग्रन्थ के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इस यन में भाग ले सकते थे।¹⁰² किंतु दूसरे ग्रन्थों में वैश्यों को भी इस अधिकार से बचित कर दिया गया है।¹⁰³

तैतिरीय ब्राह्मण में एक छोटे समारोह के प्रसंग में संकेत मिलता है कि शूद्र को नागरिक भी हैसियत प्राप्त नहीं थी। अमावस और पूर्णमासी को होनेवाले दशपूर्णमास यज्ञ की विधिविशेष की व्याख्या करते हुए यह तर्क दिया गया है कि शूद्र अपने स्वामी के सामने उनकी आज्ञा लेकर ही कुछ कर सकता है, और जो कोई आज्ञा के बिना कुछ कर नहीं सकता, उसके साथ शूद्रवत व्यवहार किया जाए।¹⁰⁴ इससे पता चलता है कि शूद्र से यह उम्मीद थी कि वह अपने स्वामी के विरुद्ध नहीं बोलेगा। शूद्र पूर्णतया गुलाम समझा जाता था।

उत्तरवैदिक काल की राज्यव्यवस्था में जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, वह है वैश्य और शूद्र से विभेद करते हुए ब्राह्मण और क्षत्रियों को विशेष स्थान प्राप्त करने की प्रवृत्ति। घोषाल ने अनेक दृष्टांत देकर बताया है कि दो प्रभावशाली शक्तियों के रूप में ब्रह्म और क्षत्र का समाज में कितना महत्व था। उनमें परस्पर कितना विरोध था तथा उनकी राजनीतिक मिज्जता कितनी गहरी थी।¹⁰⁵ सहिताओं¹⁰⁶ और ब्राह्मण ग्रन्थों¹⁰⁷ में दो उच्च वर्णों की रक्षा के लिए प्रार्थनाओं का उल्लेख है। यदि इन निर्देशों का सूख्म विवेचन किया जाए तो दो परिणाम निकल सकते हैं। प्रथमत, उनमें से अधिकाश का उल्लेख परवर्ती साहित्य, खासकर शतपथ ब्राह्मण में ही हुआ है। दूसरा यह कि पूर्वकालीन ग्रन्थों में जहाँ साधारणतया दोनों उच्च वर्णों के आपस में मिले जुले रहने का संकेत मिलता है वहाँ बाद

के गथ वैश्य और शूद्र को अलग रखने का स्पष्ट संकेत देते हैं। शतपथ ब्राह्मण में साफ साफ बताया गया है कि वैश्य और शूद्र ब्राह्मणों और क्षत्रियों से धिरे हुए हैं¹⁰⁸ वही ग्रथ यह भी प्रमाणित करता है कि जो लोग न तो क्षत्रिय हैं और न ब्राह्मण वे अपूर्ण हैं।¹⁰⁹ पहले ही स्थान आकृष्ट किया जा चुका है कि बाद में राजसूय यज्ञ के जो वृत्तात आए हैं उनमें वैश्य और शूद्र को पाँता के खेल से छाँट दिया गया है।¹¹⁰ उसी राज्याभिषेक यज्ञ के समय में ऐतरेय ब्राह्मण का भत है कि ब्राह्मण को तो 'शब्र' से पहले स्थान मिलता है किंतु वैश्य और शूद्र उसके बाद ही आते हैं।¹¹¹ अत मातृम पड़ता है कि वैश्य को शूद्र के बराबर माने और उसे जनजीवन में स्थान न देने की धारणा पूर्वकालीन ग्रथों में तो परोक्ष थी किंतु बाद के ग्रथों में पूर्णतया स्पष्ट और प्रत्यक्ष हो गई।

उत्तरवैदिक काल के समाज में शूद्र के कार्य की समीक्षा ऐतरेय ब्राह्मण के एक ऐसे अनुच्छेद¹¹² की परीक्षा करके समाप्त की जा सकती है जिसके आधार पर कहा जाता है कि वेदकालीन राज्यव्यवस्था में शूद्र का स्थान सर्वथा गुलाम जैसा था। इस महत्वपूर्ण परिच्छेद के प्रसग और तात्पर्य का विश्लेषण करने से मातृम होता है कि इस तरह का विवार न्यायोदित नहीं है। कहा जाता है कि विश्वतर सौषद्मन नामक एक राजा ने पुरोहित कुल श्यापर्ण के बिना ही यज्ञ किया और उन पुरोहितों को यज्ञवेदी से उठा दिया। उनकी ओर से बोलते हुए उनके विद्वान नेता राम मार्गविय ने पुरोहितों के निष्कासन का इस आधार पर विरोध किया कि उसे इस बात की जानकारी है कि राजसूय यज्ञ के अवसर पर सोमरस के बदले राजा को क्या चाहा थाए।¹¹³ प्रसगार्थीन परिच्छेद में उसके शब्दों में कहा गया है कि राजा छारा विभिन्न प्रकार के आहार ग्रहण करने के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं और इस सिलसिले में यह भी जतलाया है कि क्षत्रिय राजा का अन्य तीन वर्णों के साथ कैसा सबूष पा। कहा जाता है कि यदि राजा सोम का पान करे जो ब्राह्मण का आहार है तो उसके वशज ब्राह्मण होंगे और उनमें ब्राह्मण के सभी लक्षण रहेंगे। वे प्रतिग्रह होंगे, सोमण्डी होंगे आजीविका की खोज करनेवाले होंगे और इच्छानुसार कहीं भी भेजे जाने योग्य (यथाकामप्राप्य) होंगे।¹¹⁴ यदि राजा दही खाए जो वैश्य का आहार है तो उसका वशज वैश्य होगा और उसमें वैश्य के सभी लक्षण होंगे। यह करदाता होगा दूसरे का भोज्य होगा और इच्छानुसार सत्ताया जा सकेगा। किंतु यहाँ हमारा विशेष प्रयोजन उन विशेषणों से है जिनसे शूद्र की रिक्ति का पता चलता है। यह भी कहा गया है कि यदि राजा पानी पिए जो शूद्र का आहार है तो वह शूद्र का पश्च करेगा और उसकी सत्तान में शूद्र के सभी लक्षण रहेंगे।¹¹⁵ वह (1) अन्यस्य प्रेत्य (ii) कामोत्पात्य और (iii) यथाकामव्यय होगा। कीर्थ ने प्रथम विशेषण का अनुवाद किया है 'दूसरे का लेजक' जो कही है। किंतु अन्य दो विशेषणों का उसने जो अनुवाद किया है वह सभी वही कहा जा सकता। उसने

दूसरे विशेषण 'कामोत्थाप्य' का अनुवाद किया है, ऐसा व्यक्ति जिसे 'इच्छानुसार हटाया जा सके'¹¹⁶ और हेग ने उसका अनुवाद किया है, ऐसा व्यक्ति जिसे स्वामी की इच्छानुसार निकाल बाहर किया जा सके।¹¹⁷ इस आधार पर कहा जाता है कि शूद्र की स्थिति उस रैयत के समान थी जिसे उसका मालिक किसी भी समय अपनी भूमि से निष्कासित कर सकता था।¹¹⁸ किंतु सायण ने इस शब्द की टीका करते हुए बताया है कि शूद्र को दिन या रात में किसी भी समय मालिक की इच्छानुसार काम करने के लिए उठाया जा सकता है।¹¹⁹ उसने जो अर्थ किया है वह बहुत कुछ समव प्रतीत होता है, क्योंकि 'उत्थापन का सीधा साधा अर्थ होता है—जगाना। प्राचीन सस्कृत में निकाल बाहर करने के लिए निर्वासन'¹²⁰ या 'निष्कासन' शब्द का प्रयोग हुआ है। तीसरे विशेषण 'यथाकामवद्य' का अनुवाद कीथ ने यह किया है कि 'मालिक की इच्छानुसार उसका वय किया जा सकता है।'¹²¹ किंतु सायण ने इसका अर्थ किया है कि यदि शूद्र अपने मालिक की मर्जी के विरुद्ध कोई काम करे तो उसका मालिक ब्रुद्ध होकर उसे पीट सकता है,¹²² सायण द्वारा किए गए अर्थ की 'निरुक्त' से भी पुष्टि होती है जिसमें तीन जगह तो वय का अर्थ 'जान से भार डालना' किया गया है,¹²³ पर पाँच जगह इसका प्रयोग 'बोट पहुँचाने या घायल करने के अर्थ में हुआ है।¹²⁴ अत डेग ने तीसरे विशेषण का जो अर्थ किया है, मनमाने ढग से पीटा जाने योग्य वह सही है।¹²⁵

बिना विचार ही लोगों ने इस गलत मत को मान लिया कि ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार मालिक अपनी मर्जी से शूद्र की जान से सकता है।¹²⁶ इसका निष्कर्ष यह निकाला गया कि वैदिक काल में उसका वैरदेय नहीं था अर्थात् उसकी जान लेने के बदले हजारों नहीं देना पड़ता था।¹²⁷ स्पष्ट है कि ऐसे विचार 'यथा कामवद्य' शब्द के सदिग्य अर्थात् वयन पर आधित है। इतना ही नहीं यद्यपि 'वैर' या वैरदेय के लिए प्रायः एक सौ गायें निर्धारित वीर गई थीं¹²⁸ किंतु भी न तो ऐसा कोई प्रस्तग मिलता है जिससे पता चले कि वर्ण के अनुसार इस राशि में अतर किया जाता था और न यही प्रमाण दिखाई पड़ता है कि किसी यास वर्ण की इस अधिकार से बचित रखा जाता था। मानव' वय (वैर हत्या) के पाप से मुक्त होने के लिए यह के रूप में प्रायशित करने की व्यवस्था भी थी¹²⁹ किंतु इसे भी वर्णमूलक विभेदों से मुक्त रखा गया है। अत यह स्पष्ट है कि उत्तरवैदिककालीन समाज में वर्णगत अतर इतना प्रबल और व्यापक नहीं था जितना कि यर्थसूत्रों के काल में हुआ जद सामाजिक भेदभाव इतना गहरा हो गया कि शूद्र को न्यूनतम वैरदेय अर्थात् दस गाय मात्र। पाने का ही अधिकार रह गया।

ऐतरेय ब्राह्मण के इस परिच्छेद को पुन देखें तो शूद्र के लिए प्रमुक्त दोनों विशेषणों के जो अर्थ दत्ताए गए हैं वे समव प्रतीत होंगे। पूरे वैदिक साइत्य में इस परिच्छेद के समान

दूसरा प्रस्तग नहीं है, जिसमें यह कहा गया हो कि शूद्र को उसका मालिक अपनी इच्छानुसार पर से निकाल बाहर कर सकता है और चाहे तो उसे कल्प भी कर सकता है।

ऊपर बताए गए दोनों विशेषणों के विभिन्न अर्थ वास्तविक स्थिति के घोतक हैं या नहीं यह सुनिश्चित कर पाना कठिन है। इसका कारण यह है कि ऐतरेय ब्राह्मण का सातवाँ भाग, जिसमें प्रसगाधीन परिच्छेद आया है, परवर्ती भाग है।¹³⁰ कोई आशदर्य नहीं कि किसी निष्कासित पुरोहित ने राजा का कृपापात्र बनने की दृष्टि से विभिन्न वणों पर लागू कुछ विशेषणों का प्रयोग किया हो। यह कम महत्व की बात नहीं कि ब्राह्मण को भी इच्छानुसार निर्वासन योग्य बताया गया है। ऐसी दशा में अन्य वणों की स्थिति का अनुमान तो सहज ही लगाया जा सकता है।

किंतु सारे विचार विमर्श के बाद भी परवर्ती वैदिककालीन राज्यव्यवस्था में शूद्रों की हीन स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारा उद्देश्य है उसकी यथासभव सुनिश्चित परिभाषा प्रस्तुत करना। यह पूर्णतया स्पष्ट है कि यद्यपि शूद्र अश्वमेष और राजसूय जैसे दो महत्वपूर्ण राजनीतिक ढंग के दण्डों के कतिपय समारोहों से सहबद्ध था किर भी, सभवतया वैदिक कात के अत तक, राजनीतिक जीवन से सबपित कमों से उसे अलग रखने की निश्चित प्रवृत्ति पनप द्युकी थी। कुछ दृष्टातों में वैश्य को भी शूद्र की स्थिति में रख दिया गया और उसे पुराने अधिकारों से विद्यत कर दिया गया।

कर्मकाठी साहित्य से भी शूद्रों की सामाजिक स्थिति की कुछ जानकारी मिल सकती है। द्युर्लभ के एक परिच्छेद में कहा गया है कि वैश्य और शूद्र की सृष्टि एक साथ हुई थी।¹³¹ यह पुनरुत्थान की उक्ति के प्रतिकूल है जिसमें वैश्य की सृष्टि शूद्र से पहले बताई गई है जिसके परिणामस्वरूप शूद्र को समाज में सबसे हीन स्थान मिला। किंतु वैश्य और शूद्र को एक ही सामाजिक कोटि में रखने की प्रवृत्ति कुछ कर्मकाठों में लक्षित होती है क्योंकि वे बताते हैं कि वैश्य शूद्र महिला का तथा शूद्र वैश्य महिला का पति बन सकता है।¹³² व्यग्रपूर्ण भाषा में कहा गया है कि शूद्र महिला का अर्थ पति अपनी उत्तरति की बात नहीं सोचता क्योंकि ऐसे विवाह से उसे विरकाल तक दरिद्र बने रहना ही है।¹³³ टीकाकारों ने अर्थ शब्द का अर्थ वैश्य किया है,¹³⁴ जिससे वैश्य और शूद्र महिला के बीच विवाह का प्रमाण मिलता है, किंतु वैदिक इडेन्स के लेखक इन प्रसगों को आर्य और शूद्र के अवैष्य सबप का दृष्टात मानते हैं।¹³⁵ अधिकाश मामलों में पाठ अर्थ है, अत टीकाकारों ने जो अर्थ लगाया है वह सही मालूम होता है। जो इगर्लिंग ने भी शतपथ ब्राह्मण के अनुवाद में अर्थ पाठ को ही ग्रहण किया है,¹³⁶ और इसका रूपातर वैश्य के स्वप में किया है। किंतु यह भी सभव है कि मूल पाठ में ही नई परिस्थितियों के अनुकूल उस वक्त कुछ परिवर्तन कर दिए गए होंगे जब उच्च वर्ण और शूद्र के बीच विवाह सबप को बुरा समझा

जाने लगा होगा। इस उपयारण के आधार पर कहा जा सकता है कि आर्य, और शूद्र अथवा बाद में शूद्र वर्ण में शामिल किए गए लोगों के दीव निर्वाय स्वप्न से विवाह-सबव्य स्थापित हो सकते थे। बाद में इस तरह का सबव्य दो निम्न वर्णों तक ही सिपटकर रह गया।

ब्राह्मण ग्रन्थों से पता चलता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों निम्न वर्णों के साथ — जिनमें शूद्र भी आ जाते हैं — अतर्जातीय विवाह कर सकते थे, जैसा कि वत्स और कवय के दृष्टात से स्पष्ट है।¹³⁷ वत्स को उसका भाई मेषातिथि शूद्र-पुत्र कहता था, जिससे प्रकट होता है कि प्राय इस शब्द का प्रयोग अपमानजनक शब्द के स्वप्न में नहीं होता था।¹³⁸ कहा जाता है कि वत्स ने आग पर निरापद चलकर अपना ब्राह्मणत्व प्रमाणित किया और इस प्रकार इस कलक को भिटाया। यह बताता है कि किसी व्यक्ति की सामाजिक मर्यादा उसके वश से नहीं, बल्कि उसकी योग्यता से निर्धारित होती थी।¹³⁹ कवय ऐतूम का जन्म दासी से हुआ था और यह दृष्टात सदिग्य मालूम पड़ता है। साथण का विवाह है कि उसके लिए 'दास्या पुत्र' का प्रयोग अपशब्द के स्वप्न में हुआ है।¹⁴⁰ यदि हम क्रृष्ण दीर्घतमसु की माँ उशिज के बारे में 'ब्रह्मदेवना'¹⁴¹ में दिए गए विवरण को अभीकार करें तो पद्मविनश ब्राह्मण¹⁴² में हमें इस दासी कन्या उशिज के विधिसम्मत विवाह का दृष्टात मिलेगा। पौराणिक अनुश्रुतियों से विदित होता है कि काषीवत्, जो ब्रह्मवादिन् था, दीर्घतमसु का पुत्र था और उसका जन्म राजा बलि की शूद्र दासी से हुआ था।¹⁴³ पुराण में उसे शूद्रदोनि का कहा गया है।¹⁴⁴ ऐतरेय ब्राह्मण के लेखक भगीदास के बारे में बताया गया है कि वह शूद्र था।¹⁴⁵ इस तथ्य के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं मिलता। जब तक कि उसके उपाधिनाम ऐतरेय का अर्थ यह न किया जाए कि वह इतरा का पुत्र था,¹⁴⁶ जिसका अर्थ होता है भ्रष्ट नीच या बहिष्कृत। किंतु यह बहुत खींच-तानकर लगाया गया अर्थ मालूम पड़ता है। एक परवर्ती ब्राह्मण ग्रन्थ में मुद्रित शैमि नामक क्रृष्ण और पुरोहित को शूद्र कहकर सबोधित किया गया है,¹⁴⁷ किंतु उसके माँ आप का कोई विवरण नहीं दिया गया है। मात्र इतना कहा गया है कि वह शैमि का वशज था और प्राय इसके सबव्य में यह विशेषण अपशब्द के स्वप्न में प्रयुक्त हुआ है। भविष्य पुराण में लगभग एक दर्जन ऐसे क्रृष्णियों के नाम गिनाए गए हैं जिनकी माँ शूद्र वर्ण की किसी न किसी शाखा की थी।¹⁴⁸ मामूली हेतुकेर के साथ यह सूची कई अन्य पुराणों और महाभारत में भी आई है।¹⁴⁹ इससे पता चलता है कि व्यास का जन्म मछुआइन से, पराशर का शवपाक भहिला से, दर्पिंजलाद का घडाल भहिला से वसिष्ठ का गणिका से और मुनिश्वेष्ठ मदनपाल का मल्लाहिन से हुआ था। इस तरह की सूची के औचित्य के विषय में ग्रन्थ के अंत में कहा गया है कि क्रृष्णियों नियो-धर्मात्माओं महात्माओं और स्त्रियों की दुश्वरिता का उद्गम

नहीं जाना जा सकता।¹⁵⁰ इन ऋशियों की कालानुक्रमिक रिथर्टि या उनके वास्तविक जीवनकाल के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किंतु यह सूची प्रमाणित करती है कि परवर्ती वैदिक काल में यह प्रथा थी कि ऋषि और पुरोहित शूद्रकन्या या दासी से विवाह करते थे। ऐसा जान पड़ता है कि राजा और प्रमुख भी शूद्र महिलाओं से विवाह करते थे। पालागती जो राजा की चौथी पत्नी थी और जिसका आदर सबसे कम होता था, शूद्र महिला थी।¹⁵¹

ऊपर के दृष्टात् बताते हैं कि शूद्र महिला से उच्च वर्ण के लोगों के विवाह को दुरा नहीं माना जाता था।¹⁵² सभवतया आरभ में वेदकातीन भारतीय और आदिवासी अपनी-अपनी जनजातियों में ही विवाह मबद्दल रखते थे।¹⁵³ जब जनजातियाँ छिन भिन्न हो गई और उनके सदस्य चार वर्णों में बट गए तब भी पुरानी प्रथा कुछ दिनों तक चलती रही। किंतु परवर्ती वैदिककाल में वर्ण का भेदभाव इतना प्रवल हो गया कि निम्न वर्णों के पुरुष और उच्च वर्णों की स्त्रियों के विवाह वी अनुमति नहीं दी जाती थी। यह धारणा भी चल पड़ी थी कि शूद्र महिलाएँ उच्च वर्णों के लोगों के लिए सुखभोग की दस्तु है। अत अपेक्षाकृत बाद के ब्राह्मण ग्रन्थों में अनुद्धृत छठ की तुलना शूद्र वैश्या से की गई है जो समान रूप से सुगम्य हैं।¹⁵⁴

इस अवधि में हमें चडात के प्रति घृणा के भाव भी दियाई पड़ते हैं। कहा गया है कि जिनका आचरण अच्छा होगा उनका पुनर्जन्म ब्राह्मण शक्तिवाय या वैश्य के रूप में होगा किंतु जिनका आचरण कुर्त्सित होगा वे कुते सूअर या चडात के घृणित गर्भ में उद्भूत होंगे।¹⁵⁵ ध्यान देने की बात है कि शूद्र वर्ण में जन्म लेना चडात की तरह अपवित्र (कपूयाम्) नहीं माना जाता था पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसे लोग अवाञ्छनीय जहर मानते थे। यह भी मालूम होता है कि चडात जो आत्म जाति के थे¹⁵⁶ निंदनीय आचरणवाले समझे जाने लगे थे। किंतु इस काल के आरामिक ग्रन्थों में चडात को पुरुषमेष्य यन की बलि समझा गया है¹⁵⁷ जिससे उसके अस्फूर्य होने का सकेत नहीं मिलता। परतु पौलकस को लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे।¹⁵⁸

जिस काल की हम यहाँ समीक्षा कर रहे हैं, उसके सामाजिक आचारशास्त्र के अनुसार शूद्रों में कुछ दुर्गुणों का आरोप किया गया था। हम देखते हैं कि आग्निरस गोत्रीय शुन शैप ने अपने पिता अजीगर्त की निदा करते हुए उसे शूद्र कहा, क्योंकि पिता ने पुत्र को तीन सौ गाएँ लेकर वर्ण यन के निमित्त पदार्थ के रूप में देव दिया था।¹⁵⁹ यद्यपि देव ने पुत्र को मुक्त कर दिया और पिता ने अपना कलक मिटाने के उद्देश्य से उसे सो गाएँ भी दीं फिर भी शुन शैप ने कटु शब्दों में उसकी भर्त्सना की। उसने कहा ‘तुम अभी भी शूद्रसुलभ नृशस्ता से मुक्त नहीं हो क्योंकि तुम्हारे अपराप का कोई समाप्तान नहीं।’¹⁶⁰ इससे पता

चलता है कि अजीगत्ते की तरह शूद भी घूमे रहने पर अपने बच्चों को देखने के लिए तैयार रहते थे। ऐसा समझा जाता था कि धन प्राप्ति के लिए वे अपने कुतुब के प्रति पाशविक और निर्यतापूर्ण आवरण कर सकते थे।

यह भी ज्ञातव्य है कि जब विश्वामित्र न शुन शेष को अपना दत्तक पुत्र बनाया और अपने सो बेटों में उसे प्रथम स्थान दिया तथा उसे ज्येष्ठाधिकार भी प्रदान किया, तब उनके पद्मासन ज्येष्ठ पुत्रों ने इस रिति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पिता को इस पर दीप आया और उन्होंने इन पुत्रों को शाप दिया कि उनके वशज अथ पुद्र, शबर, पुतिंद, मुतिंब, दस्यु और अतस् (जानिच्युत) की तरह हीनजाति के होंगे।¹⁶¹ आर्योंतर लोगों को ब्राह्मणकालीन समाज की निम्न कोटि में रखने के उद्देश्य से पुरोहितों ने निस पटुता से उनकी वशागती खोज निकाली है। उसका यह वृत्तात प्रारंभिक उदाहरण है लेकिन इससे यह भी स्पष्ट है कि अवश्या और विरोध करनेवाले पुत्रों को दस्यु और अतस् माना जाता था। सामन ने इस अनुच्छेद की टीका में चडात और निम्न कोटि की अन्य जातियों को भी सम्मिलित कर लिया है किंतु यूल ग्रथ में इसका उल्लेख नहीं है।¹⁶²

वारसनोदेरि साहिता में एक अनुपूरक सूत्र आया है जिसका प्रयोग अनेक सामयिक और धोतु वनों में किया जाता है। इस सूत्र में सभी वर्णों के साथ कल्याणीवार्दू के उपयोग की इच्छा वक्त की गई है।¹⁶³ इस आगाम पर यह कहा गया है कि सभी वर्णों को वेद के अध्ययन का अधिकार था।¹⁶⁴ किंतु 'कल्याणीवार्दू' शब्द वेद के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। टीकाकारों ने टीक ही इसे मधुर और शिष्य वदन माना है।¹⁶⁵ इससे व्यनित रोता है कि सभी वर्णों से बातवीत के क्रम में मैत्रीपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। किंतु शतष्य ब्राह्मण में रिति भित्र मानूप पड़ती है, क्योंकि एक समारोह विशेष के बारे में जो अनुदेश ऐए गए हैं उनमें विभिन्न वर्णों के लिए विभिन्न सबोधनों का प्रयोग हुआ है। इस प्रमाण क्रमशः ब्राह्मण, राजन्यवधु, वैश्य और शूद्र वर्णों के 'दृविष्कृत' की बुलाने के लिए एहि, आगाहि, आश्रव और आधाव शब्दों का प्रयोग किया गया है।¹⁶⁶ उत्तरवैदिक काल के सामाजिक संसर्ग में इस तरह के भेदभाव बहुधा दिखाई पड़ते हैं।

वैदिक काल के अत में जीवन के जो चार आश्रम बने उनमें आगे चलकर, केवल गार्हस्थ्य ही शूद्रों के लिए विलित किया गया। किंतु इस काल में ऐसे विभेद का कोई उल्लेख नहीं मिलता। छद्मेयोपनिषद् में चार आश्रमों का उल्लेख है लेकिन वर्णों के साथ उनके संबंध का कोई निर्णय नहीं मिलता।¹⁶⁷ इस तरह, अब हमारे सामने शूद्रों की शिक्षा का प्रश्न आ गया होता है, क्योंकि बाद के ग्रथ बताते हैं कि ब्रह्म धर्मशम में उनका प्रवेश नहीं हो सकता था जो उपनयन संस्कार से आरम्भ होता है। उपनयन का उल्लेख सर्वप्रथम अथवैद में हुआ है जहाँ उपाया गया है कि गुण सुवक को नए जीवन में प्रवेश कराते हैं

क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह गुरु के ही उदर से उत्पन्न हुआ है।¹⁶⁸ नवजीवन में प्रवेश करनेवाला ब्रह्मचारिन् कहलाता था, किंतु वह किस वर्ष का होता था इसका कोई संकेत नहीं मिलता। — आठण ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश दिया था कि उसे ब्रह्मवर्य धारण करना चाहिए, जिसके आधार पर यह अनुमान किया गया है कि बहुत दिनों तक उपनयन के बाले पुरोहितों और विद्वानों के परिवार तक ही सीमित था। बाद में सारे ब्राह्मण समुदाय में इसका प्रबार हुआ और फिर वहाँ से पूरे आर्य समुदाय में।¹⁶⁹ यदि उपनयन को गुरुकुल प्रवेश का प्रारंभिक बिंदु माना जाए तो यह सत्य सिद्ध होगा क्योंकि प्राचीन समाज में शिक्षा सामारणतया पुरोहितों के हाथ में थी। ब्रह्मचारिन् सामान्यतया ब्राह्मण होता था, यह बात विभिन्न स्रोतों से प्रभागित होती है।¹⁷⁰ किंतु यदि उपनयन की शुरुतना उस स्तरकार से की जा सकती है जो जनजाति के किसी पूर्ण वयस्क सदस्य के नए जीवन में विधिवत प्रवेश करने के समय होता है तो यह सही नहीं लगता। ऐसा अर्थ उस अनुश्रुति के आधार पर लगाया जा सकता है कि देवता भनुष्य और दानव ब्रह्मवर्य की अवधि अपने पिता प्रजापति के सरक्षण में बिताते थे जो उनके शिक्षक थे।¹⁷¹ इसका यह तात्पर्य नहीं कि आदिकालीन लोगों में पढ़ाई का व्यापक प्रथलन था। इससे केवल इतना संकेत मिलता है कि वैदिककालीन भारतीयों या आर्यपूर्व समुदायों के बीच एक सर्वभान्य प्रथा प्रचलित थी कि वयस्क जीवन में प्रवेश करने के पहले कुछ रीतियाँ निर्भाई जाएँ। यह ऐसा तथ्य है जिसकी आदिम जातियों में प्रचलित इसी प्रकार की प्रथा से पुष्टि होती है। गुरुकुल में इस तरह से प्रवेश करने की प्रथा का प्रसार ब्रात्यों में भी हुआ जिन्हें ब्रह्मवर्य धारण कराकर आयों के समाज में प्रविष्ट कराया जाता था।¹⁷²

प्राचीन ईरानियों में भी उपनयन जैसा प्रवेश स्तरकार प्रचलित था। पद्रह वर्ष की अवस्था में ईरानी पुरुष और स्त्री को पवित्र सूत्र धारण कराकर दीक्षित कराया जाता था और इस प्रकार अहुर मन्द के सप्रदाय में उनका प्रवेश होता था।¹⁷³ इसकी चर्चा करते हुए गाइगर ने कहा है कि यह एक पुरानी प्रथा थी जिसमें आगे चलकर हेरफेर और सुधार किए गए।¹⁷⁴ यह बात सर्वविदित है कि सामुदायिक जीवन में प्रवेश कराने की प्रथा स्पार्टनों में प्रचलित थी।¹⁷⁵ अत ऐसा माना जा सकता है कि वैदिककालीन भारतीयों में भी यह प्रथा प्रचलित थी। इस तरह शुरू में सभवतया विघटित आर्य जनजातियों के शूद्रजन भी उसी ढंग से उपनयन और ब्रह्मवर्य स्तरकार सप्तम करने के अधिकारी थे, जिस प्रकार कई अन्य धार्मिक कृत्य। सहितार्जों और ब्राह्मणों में ऐसे प्रसाग नहीं हैं जिनसे यह संकेत मिलता हो कि शूद्रों के लिए उपनयन स्तरकार वर्गित था।

धार्मानुष्ठान से हमें पता चलता है कि जानश्रुति जिसे रैक्ष ने प्राण और वायु का लाला कराया था शूद्र था।¹⁷⁶ किंतु अन्यत्र उसे परिचय उत्तर के निवासी महावृप

लोगों के प्रधान के स्वरूप में घित्रित किया गया है।¹⁷⁷ उसे या तो उस क्षेत्र में रहनेवाली शूद्र जाति के साथ संपर्क के कारण अथवा इसलिए कि ब्राह्मण समाज के बाहर के लोगों के लिए यह अपमानजनक शब्द प्रयुक्त होता था शूद्र कहा गया है।¹⁷⁸

जानशुति शूद्र नहीं भी हो, किंतु ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे प्रकट होता है कि शूद्र को किसी खास ढंग के आनाजन से बिल्कुल दंघित नहीं रखा जाता था। तैतिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि वैश्य ऋच्वेद से, सत्रिय यजुर्वेद से और ब्राह्मण सामवेद से उत्पन्न हुए थे।¹⁷⁹ इसका स्पष्ट अर्थ होता है कि अथवेद शूद्रों के लिए था। आपस्तम्ब श्रीतसूत्र में भी परोक्ष स्वरूप से यह बात दुहराई गई है। तात्पर्य यह कि शूद्रों के लिए परपरानिष्ठ वैदिक ज्ञान का अर्जन दर्जित था न कि अन्य प्रकार के अध्ययन। शतार्थ ब्राह्मण के कई अनुच्छेदों से भी यह धारणा बनती है। इन अनुच्छेदों में कहा गया है कि संपैरा, सूदखोर, मछुआ बहेलिया, सेलग निषाद असुर और गथर्व को पुरोहित शिक्षा देते थे, जिनमें से अधिकांश शूद्र वर्ण के थे।¹⁸⁰ वे इतिहास अथवेद, सर्पविद्या और देवजन विद्या सिखाते थे।¹⁸¹ छात्रों और अध्ययन के विषयों की सूची से मालूम होता है कि प्राचीन काल में ब्राह्मण कला और शिल्प से विमुख नहीं थे, पर बाद में इस प्रकार के सारे वर्षे शूद्र वर्ण को लिए गए कार्य क्षेत्र के अतर्गत आ गए। किंतु यह स्पष्ट नहीं कि ऐसी शिक्षा के साथ शूद्रों को साहित्य भी पढ़ाया जाता था या नहीं।

वैदिक वात के अत में यह धारणा घल पड़ी कि शूद्र को उपनयन और परिणामतया अध्ययन से विचित रखा जाए। इस तरह का आभास छादोग्य उपनिषद् के एक परिच्छेद से मिलता है जिसमें एक सुविख्यात छात्र दावा करता है कि उसने ब्राह्मण राजन् और वैश्य की गरिमा बढ़ाई है।¹⁸² किंतु एक अन्य स्थल पर छात्र चाहता है कि वह सारे वर्णों के लोगों का शूद्रों का भी प्रियपात्र बने।¹⁸³ परवर्ती काल के एक श्रीतसूत्र में शूद्रों के वहिष्मार का प्रथम स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसमें तीन उच्च वर्णों के उपनयन संस्कार के लिए उपयुक्त ऋतुओं का उल्लेख हुआ है।¹⁸⁴ इसमें स्पष्ट बताया गया है कि उपनयन, वैदाध्यन और अग्निस्थापन केवल उन्हीं लोगों के लिए फलदायक हो सकते हैं जो शूद्र नहीं हैं और बुक्खी में नहीं फैसे हैं।¹⁸⁵ एक अन्य ग्रन्थ में बताया गया है कि 'उपनीत छात्र' को शूद्र से बातचीत नहीं करती चाहिए।¹⁸⁶ यह भी दिहित किया गया है कि शूद्रों को घाषिए, जिन स्नातकों ने अपनी पाठ्यर्या पूरी कर ली हो मधुपुक्त प्रसारोह में वे उनके पैर घोरे।¹⁸⁷ यह कहना कठिन है कि दो श्रीतसूत्रों से लिए गए उपर्युक्त प्रसाग परवर्ती वैदिक काल की रिक्षियों का संकेत देते हैं। उन्हें उस काल के अत का बताया जाता है और सम्भव है कि वे वैदिक वात के पश्चात के हों भी, क्योंकि प्राचीन गृह्णसूत्र जो प्राचीन श्रीतसूत्र का समकालीन ग्रन्थ है बताता है कि रथकार को उपनयन का अधिकार प्राप्त

तो यह मालूम पड़ता है कि आरम्भ में पूरी जनजाति के लोग उपनयन करते थे, किंतु जैसे जैसे जनजाति वर्गों में बिखरती गई वैसे वैसे यह परमाणुकार और सम्मान का विषय बनता गया जिसे सपन कल्पे के लिए सपत्नि और उच्च सामाजिक हैसियत की आवश्यकता थी। उपायन के आधार पर ही विशिष्ट, लगभग गुन्ह वर्गों में लोगों का प्रवेश हो पाता था।¹⁸⁹ जिस प्रकार ईरान में हूँति वर्ग को यह अधिकार नहीं मिला था,¹⁹⁰ उसी प्रकार भारत में शूद्र वर्ण को इससे विचित रखा गया था। सेनार्ट का ख्याल है कि जनजातियों के बीच जनजाति के भीतर और अपने अपने गोत्र के बाहर विवाह करने की प्रथा प्रथमित थी। इस प्रथा के कारण बाद में जातिविभेद आया। उनके इस विवाह के आधार पर कहा जा सकता है कि सामुदायिक जीवन में दीयित कराने की प्रथा भी जनजातीय अवस्था की अवशेष थी। इसने बाद में तीन उच्च वर्गों में उपनयन का स्वप्न लिया, जिसके फलस्वरूप समाज में शूद्र को हीन स्थान प्राप्त हुआ।

बध्यपि उपनयन सास्कार से विचित हो जाने से शूद्र शिक्षा से भी विचित हो गए, फिर भी अभी हम जिस कालावधि पर विवाह कर रहे हैं उसमें इसका प्रभाव सम्बद्धतया बहुत नहीं पड़ा। उत्तर वैदिक भात में शिक्षा का स्वरूप कैसा था यह स्पष्ट नहीं और कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि उस समय लोग सामर थे।¹⁹¹ सभव है कि धात्रिय और वैश्य भी वेद के प्रति अपने कर्तव्य का निष्पादन अगर करते भी थे तो महज औपचारिक ढंग से।¹⁹² बाद के एक ग्रन्थ में बताया गया है कि साधारणतया छात्र मात्रोयोगपूर्वक वेद का अध्ययन नहीं करते थे वे केवल दियाना चाहते थे कि उन्होंने वेद का अध्ययन किया है।¹⁹³ उस समय शिक्षा मुख्यतया ब्राह्मणों का विषय थी। किंतु उपनयन का महत्व शिक्षा के अधिकार के अनावा कुछ और भी था। जो लोग उपनयन सास्कार के अधिकारी थे समाज में उनका स्थान ऊँचा था।

शूद्र को इस आधार पर उपनयन सास्कार की अनुमति नहीं थी कि यह वैदिक सास्कार है। किंतु वैदिक कान के धार्मिक जीवन से मालूम होता है कि शूद्र को हमेशा वैदिक सास्कारों से विचित नहीं रखा गया था। कई ग्रन्थों में यन के लिए रथकार द्वारा अग्निस्थापन का उल्लेप हुआ है।¹⁹⁴ जिसे वह वर्षा ऋतु में सपन कर सकता था।¹⁹⁵ सूर्यी में उसका स्थान चाथा है ब्राह्मण क्षमिय और वैश्य के बाद। जाग्यतायन श्रौतसूत्र में रथकार के स्थान में 'उपकुट' शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ है कोई निर्दित व्यक्ति किंतु, टीकाकारों ने इसका अर्थ लगाया है—बढ़ई (तक्षक)।¹⁹⁶ इससे पता चलता है कि यद्यपि बढ़ई की निकाई जाती थी फिर भी उसे यन में आने दिया जाता था। इस कोटि के एक अन्य व्यक्ति निषादों के सरदार (निषाद स्थपति) को भी वैदिक यन का अधिकार प्राप्त

।¹⁹⁷ किंतु उसका यन रुद्र पशुपति की प्रजा द्वारा पशुओं के शमन के लिए किया जाता था।¹⁹⁸ एक अन्य स्थल पर ऐसे ही एक सदर्भ में केवल निषाद की दर्ढ़ी हुई है।¹⁹⁹ किंतु नीकाकार का कथन है कि यह निषाद प्रमुख (स्थपति) का निर्देश करता है और उसका यह भी कहना है कि आपत्तस्त्र श्रीतस्त्र में वह ब्रैवर्जिक (प्रथम तीन वर्णों का) है।²⁰⁰ महाभारत में भी कहा गया है कि निषादपिपति ने यन सप्त्र किया।²⁰¹ ऋग्वेद के एक परिच्छेद में 'पवज्ञा' (पाँच व्यक्ति) के यज्ञ में भाग लेने का प्रसग आया है।²⁰² निरुक्त के अनुसार पवज्ञा शब्द का अर्थ है चार वर्ण और निषाद।²⁰³ ऐसा ऋग्वेदकाल के बारे में नहीं कहा जा सकता जैसा कि कभी कभी किया जाता है।²⁰⁴ ऋग्वेद में न तो निषाद शब्द आया है और न उस वक्त चार वर्णों की ही समुदित स्थापना हो सकी थी। स्पष्ट है कि 'पवज्ञा' शब्द से उन पाँच ऋग्वैदिक जातियों का बोध होता है जिनके सदस्य बिना किसी भेदभाव के आहुति घड़ते थे। किंतु यास्क ने जो अर्थ किया है उससे मालूम होता है कि उनके समय में शूद्र और निषाद (थर्मसूत्र में जिन्हें ब्राह्मण और शूद्र स्त्री से उन्नत वर्णसंकर माना गया है) यन में भाग ले सकते थे। अत इन प्रसगों से सिद्ध है कि निषादों को कभी कभी और निषाद प्रमुख को साधारणतया वैदिक यन का अधिकार मिला था। यह यताया गया है कि विश्वनिरु यन में यजक द्वे तान रात त्रय निषाद और वैश्य तथा राजन्य द्वे साथ ठहरना होगा।²⁰⁵ इससे मालूम होता है कि निषाद इस या से अप्रत्यक्ष रूप में सम्बद्ध थे।

जिन दो श्रेणियों के लोगों को यन करने का अधिकार दिया गया था उनमें से रथकार स्पष्टतया आर्य समुदाय के सम्मत थे किंतु निषाद आयेतर समुदाय के जान पड़ते हैं, और अपने गाँवों में रहते थे।²⁰⁶ महाभारत और विश्व पुराण में कई ऐसे प्रसग आए हैं जिनसे सिद्ध है कि निषाद श्याम वर्ण के थे।²⁰⁷ सभवतया निषाद जाति को ब्राह्मणप्रमुख समाज में अर्गाकृत करने के प्रयास में उन्हें वैदिक रीति से अपना यन सप्त्र करन की अनुमति दी गई थी जो विरोधाधिकार बाद में उनके प्रमुख भाव तक ही सीमित रहा। यह स्पष्ट है कि वैदिक काल के अत तरु रथकार और निषाद को यन करने का अधिकार था यद्यपि वे शूद्र वी कोटि में थे। अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यास्क ने 'पवज्ञा' शब्द दी जो व्याख्या दी है उससे पता चलता है कि उसके विद्यारानुसार तमाम शूद्र जाति को यह अधिकार प्राप्त था।

शूद्र कई धार्मिक सम्पादनों में भाग लेता था। इसका स्पष्ट निरिचत उल्लेख मिलता है। देवता के लिए हविश्व तैयार करने में वह तीनों वर्ण के लोगों के साथ कार्य करता था। किंतु उसे ग्रीष्म सूप में सदोषित किया गया है वह बताता है कि उसे ऐसे धार्मिक कार्य में सबसे विषय स्थान दिया गया था।²⁰⁸ इसी प्रस्तर अन्य वर्ण के लोगों के साथ वह सोमरस का

पान करता था और बमन करने पर उसे प्राप्तिरिपत करना पड़ता था ।²⁰⁹ दारीपुर कवय ऐतूर का लिख करते हुए हार्किंस ने बताया है कि शूद का बेटा धन्न में भाग लेता था और शूद एक सामाजिक स्पोषार विरोप में सोमरस पान करता था ।²¹⁰ विविच तथ्य है कि कठक सहिता के एक परिच्छेद में शूद्रों और मणिलाजों को सोमरस पान करने की अनुमति नहीं दी गई है ।²¹¹ किंतु यजुञ्जों के अन्य सामग्री में ऐसी बात नहीं पाई जाती । अत यस्यतया यह बात कठक सहिता में भाद्र में जोड़ी गई है, अपवा यह अधिक से अधिक काठक सम्बन्ध पान मात्र है ।

शूद था अन्य घोटे छोटे सस्कारों में भी भाग लेता था । यह 'ओदनसव ऊर्ध्वत द्वे' हुए भोजन के अर्पणकर्म में अन्य तीन वणों की भाँति भाग लेता था, किंतु भोज्य पार्वथ वर्ण के अनुसार भित्र हुआ करते थे ।²¹² इसी प्रकार, प्रथम फल के अर्पण का कार्य सभी वर्ण के लोग कर सकते थे ।²¹³

महाब्रत नाम से प्रसिद्ध अपाता कर्म में शूद्रों के लिए जो कर्तव्य निर्धारित हैं, वे तत्कालीन धार्मिक कृत्यों में शूद्र के भाग लेने के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं ।

इसके अनुसार शूद्र देवी के बाहर और आर्य देवी के भीतर रहते हैं । वे आपसा में घमड़े के लिए तड़ते हैं और आर्य की जीत होती है ।²¹⁴ कुछ ग्रन्थों में तो शूद्र वर्ण और आर्य वर्ण का स्पष्ट उल्लेख किया गया है ।²¹⁵ जहाँ 'अर्य शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ वैश्य से तात्पर्य है ।²¹⁶ दूसरी ओर जहाँ 'आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ तात्पर्य प्रथम तीन वर्ण के लोगों से है । कहीं कहीं आर्य के रथान पर द्राघण वा प्रयोग हुआ है, ।²¹⁷ जो शूद्र के विरोधी भास्तुप पड़ते हैं और यह विशेषता धैरिक काल के उपरात सामान्य रूप में पाई जाती है । वेद की एक अन्य कठिका जिसमें दोनों पर विशेष ध्यान दिया गया है बताती है कि न तो द्राघण और न शूद्र की बलि प्रजापति को घटाई जा सकती है ।²¹⁸ काजलनेत्रि सहिता के उत्तरार्द्ध के एक परिच्छेद में इस आशय का निर्देश लगता है कि द्राघण बलि के लिए आवश्यकता से अधिक श्रेष्ठ और शूद्र आवश्यकता से अधिक हीन है ।

जहाँ तक महाब्रत के अर्थ का प्रश्न है यह प्राय आपौं के बीच और आर्य तथा आर्येतर लोगों (जो शूद्र की स्थिति में पहुँच गए) के बीच पशु के लिए हुए सप्तवीं की याद दिलाता है । शादायन श्रान्तसूत्र में उल्लिखित है कि इस पुरातन और अप्रवलित रिवाज का परित्याग होना चाहिए ।²¹⁹ इससे प्रकट होता है कि महाब्रत जैसे पुराने धार्मिक कर्म में शूद्र उच्च वणों के लोगों के साथ भाग ले सकता था किंतु जब ऐसे कर्म अप्रवलित हो गए तब धार्मिक कर्म में उसका भाग लेना खत्म हो गया ।

उत्तर धैरिक काल में दाह सस्कार में भी शूद्रों का अपना स्थान था । यह निर्धारित था कि शूद्र के लिए भी समाधिलीला बनाया जा सकता है जो धुटना भर ऊँचा हो सकता

है। टीते की ऊँचाई में वर्ण के अनुसार अतर होता था।²²⁰

शूद्रों के विषय में कहा गया है कि अन्य समुदायों की भौति उनके भी अपने देवी देवता थे जिनकी वे पूजा करते थे। बृहदारण्यक उपनिषद में शूद्र को पूषन् कहा गया है जिससे आभास मिलता है कि वह शूद्रों का देवता है।²²¹ इसी प्रकार महाभारत में देवताओं के विकित्सक यमल अश्विनों को शूद्र माना गया है।²²² यह महत्वपूर्ण बात है कि रलहवीय महोत्सव में अश्विनों को सग्रहीत²²³ के साथ और पूषन् को भागदुष के साथ सबपित माना गया है।²²⁴ किंतु तैतिरीय ब्राह्मण में विश्वेदेवों और मठों (कृष्ण देवता) के साथ पूषन् वो भी वैश्यों से सबद्ध बताया गया है।²²⁵ इस तरह कहा जा सकता है कि विश्वेदेव परोक्ष रूप से शूद्र के भी देवता हैं। अनुष्टुभु, जो बाद का लोकप्रिय छद है शूद्रों²²⁶ और विश्वेदेवों²²⁷ का छद माना गया है। कहा गया है कि इस छद के पाठ द्वारा विश्वेदेवों में प्रजापति²²⁸ और इन्द्र तथा शूद्रों में पचात राजा दर्भशातानीकि ने प्रतिष्ठा पाई।²²⁹ अतएव इस प्रसाग में देवों के समाज में विश्वेदेवों का वही स्थान है जो मानवसमाज में शूद्रों का है।

शूद्रों के देवताओं में से पूषन् भेडों के देवता मालूम पड़ते हैं²³⁰ जिससे आर्य 'विश्' के पशुपालन कार्य पर प्रकाश पड़ता है। क्रवेद के अतिम भाग में अश्विनों के विषय में बताया गया है कि वे मनुष्य के लिए हल जोतकर बीज बोते थे और उन्हें आहार देते थे।²³¹ जिनसे 'विश्' के कृतिकर्म का पता चलता है। विश्वेदेव को 'विश्' का देवता माना गया है, क्योंकि वे बड़ी सख्ता में थे। यह तथ्य कि आर्य 'विश्' के जो तीनों देवता थे वही बाद में प्रत्यक्षत या परीक्षत शूद्र के भी देवता माने जाने लगे। इस बात का धोतक है कि 'विश्' के कुछ वर्ग शूद्र की स्थिति में पहुँच जाने पर भी अपने पुराने वैदिक देवताओं को ही मानते रहे।

कुछ ऐसे भी प्रमाण उपतब्य हैं जिनसे सिद्ध होता है कि आर्य और आर्य से भिन्न निम्न कोटि के लोग रुद्र पशुपति की पूजा करते थे जो आर्यपूर्व देवता प्रतीत होते हैं। शतरब्दीय में रुद्र की विभिन्न पूर्तियों (स्वरूपों) के अनुरूप भिन्न भिन्न हविष्य घटाते हुए समाज के सभी वर्गों को (रुद्रस्वरूप मानकर) नमस्कार किया गया है जिसमें सबसे पहले ब्राह्मण का तब राजन्य सूत और वैश्य का और उसके बाद विभिन्न प्रकार के शिलिप्यों और आदिवासी जनों का उल्लेख है। किंतु प्रथम तीन वर्णों का उल्लेख शुजुर्वद की केवल एक संहिता में हुआ है।²³² शूद्र का उल्लेख तो सामान्य रूप में एक भी संहिता में नहीं हुआ है किंतु शुजुर्वद की सभी संहिताओं की प्रस्तुत सूची में रथकारों कुलालों (कुम्भारों) कर्मारों निशादों पुणिष्ठों (मस्तुओं या बहेलियों का काम करनेवाले आदिम जाति के लोग) श्वनियों (कुत्ते को बिलानेवाले या कुत्ते पालनेवाले) और मृगयों (शिकारियों) को नमस्कार

किया गया है 233 मिन्हे चतुर्थ वर्ण में रखा जा सकता है। इनके अतिरिक्त लैतिरीय सलेता में धनुकारों और इयुकारों²³⁴ का वर्णन किया गया है, जो धनुष और तीर के निर्पाता कहे जाते हैं। इन दोनों को भी इरी कोटि में रखा जा सकता है।

ये शिल्पी और जनजाति के लोग अपने सरकार देवता के स्वप्न में रुद्र की पूजा करते थे।²³⁵ वेवर का मत है कि 'रुद्राध्याय उस समय का है जब विजित जनजातियों और ब्रात्यों या ब्राह्मणों में अग्रहीत आर्यों का प्रत्यक्ष विरोध दबा दिया गया था। किंतु आतंरिक संघर्ष बना हुआ था।²³⁶ उनका यह भी कहना है कि विभिन्न विश्रित जातियों का निर्माण आसानी से नहीं हो पाया, जिन लोगों को निम्नकोटि जातियों में रखा गया उन्होंने उस व्यवस्था का जोरदार विरोध किया।²³⁷ इससा यह अर्थ लगाया जा सकता है कि उच्च वर्णों के बढ़ते विशेषाधिकार के विरुद्ध संघर्ष के क्रम में आर्य जातियों के पराजित वर्ण और विजित जनजातियों के सदस्य आपस में घुनभिल गए जिसका अपरिहार्य परिणाम यह हुआ कि कुछ आर्य यथा रथकार और कर्मार, आर्योंतर देव रुद्र की आराप्ता करने लगे। यह व्यान देने योग्य है कि रत्नहवीषि समारोह में रुद्र को गोविकर्तन का देवता माना गया है जिसे मायण ने तिन कोटि की जाति का माना है।²³⁸ पहले बताया गया है कि रुद्र पशुपति निपादप्रमुख के देवता थे।²³⁹ अत इसमें कोई संदेह नहीं कि शृङ्गों के भी अपने देवी देवता थे जिनमें से कुछ आर्यों के थे और कुछ आर्योंतर थे। इस प्रकार सृष्टि की कहानियों में ब्राह्मणों का यह कथन कि शूद्र का अपना कोई देवता नहीं था²⁴⁰ वास्तविक स्थिति का विवरण नहीं करता। सृष्टि सबधी एक कथा से कम से कम यह पता लो चल जाता है कि दिन और रात शृङ्गों के देवता थे।²⁴¹ ब्राह्मणों के आप्यानों से स्पष्ट पता चलता है कि उन्होंने जान बूझकर शृङ्गों को पूजा और यज्ञ के अधिकार से वंगित रखने का प्रयास किया था। हालाँकि पहले वे अपने आर्य वधुओं के साथ पूजा में भाग लेते थे अथवा जादिम जनजाति के सदस्य के स्वप्न में अलग से भी यनादि में हाथ बैठाते थे।

शूद्र वैदिक यज्ञ में भाग लेते थे इसके समर्थन में जो विपुल प्रमाण है उसके विरोध में भी कुछ कम नहीं चलन अधिक ही प्रमाण है। बार बार यह कहा गया है कि शूद्र को यज्ञ का अधिकार नहीं था²⁴² क्योंकि वह जन्म से नीच है और वह यज्ञ हवन आदि करने के लिए अथम है।²⁴³ अग्निवयन अग्नि की स्थापना सबधी कर्म के बिना कोई वैदिक यज्ञ नहीं हो सकता है। कहा गया है कि इसका अर्थ है अग्नि को शूद्र से हटाना।²⁴⁴ किंतु सहिताओं में ऐसे प्रत्यक्ष कथन नहीं मिलते हैं कि शूद्र को वैदिक यज्ञ से बाटिष्ठृत कर दिया गया था। जिससे पता चलता है कि इस तरह की बात बाद में उठाई गई है। इतना ही नहीं उन सहिताओं में ऐसे अनेक लदर्द हैं जिनका लेता अर्थ निरासा जा सकता है। यज्ञ के लिए अग्निस्थापन के बारे में जो अनुदेश दिए गए हैं उनमें प्रथम तीन वर्णों की ही घर्षा दुई

है, ²⁴⁵ और ब्राह्मण ग्रंथों में उनके लिए अलग अलग ऋतुओं का विषयान किया गया है। इसमें रथकार को भी छाँट दिया गया है। इस विषय में कहा गया है कि अग्नि विश्वरूप है और उसके तीन आग हैं — ब्राह्मण, शत्रिय और विश् ²⁴⁶ यह भी बताया गया है कि राजन्य और विश् की उत्पत्ति यज्ञ अत ब्राह्मण, से हुई है।²⁴⁷ पुन इस बान पर जो जीर दिया गया है कि केवल प्रथम तीन वर्ण के लोग यज्ञ कर सकते हैं, और शूद्र यज्ञस्थल में प्रवेश नहीं कर सकता, ²⁴⁸ वह उपर्युक्त विवरणों के अनुकूल प्रतीत होता है।

सामान्य वैदिक यज्ञ से शूद्र को विचित रखने के अतिरिक्त उसे कठिपय विशेष कर्मों से भी अलग रखने की व्येष्य हो रही थी। यथा सोमया ब्राह्मण वैश्य और राजन्य के लिए ही विहित थे।²⁴⁹ अग्निहोत्र जो अग्नि का तर्पण है कोई आर्य ही कर सकता है जिसे टीकाकार ने तीन उच्च वर्णों का ही सदस्य माना है।²⁵⁰ यह विशेष रूप से कहा गया है कि अग्निहोत्र के लिए अपेक्षित दूष शूद्र न दुहे, ²⁵¹ क्योंकि ऐसी धारणा है कि शूद्र की उत्पत्ति असत्य से हुई है।²⁵² तदनुसार दूष के लिए पिट्ठी का पात्र (स्थली) किसी आर्य द्वारा ही तैयार किया जाना विहित है।²⁵³ किंतु यजुओं के वाज्ञानेत्री और तैतिरीय सहिताओं में ऐसे नियेष नहीं विहित किए गए हैं। यह तो केवल मैत्रायणी और कृष्णित्तम महिलाओं के अनुपूरक अश में मिलता है। काठक सहिता की इसी तरह की एक कड़िका में स्वराघात का अभाव है अत कहा जा सकता है कि यह बाद में सतिविष्ट की गई है। इतना ही नहीं अपस्तुव श्रोतुसूत्र जो अपने ढग का प्राचीनतम श्रेष्ठ माना जाता है, ²⁵⁴ एक विकल्प प्रस्तुत करता है कि शूद्र गाय दुहे सकता है।²⁵⁵ टीकाकार ने यह बताकर कि जब उसे अनुमनि दी जाए तब वह गाय दुहे सकता है अर्थ समन्वय का प्रयास किया है।²⁵⁶ इन बातों से पता चलता है कि अग्निहोत्र के लिए गाय दुहने के सबध में शूद्रों पर जो नियेष लगाया गया है वह सहिताओं के मूल अशों में सभवतया नहीं था। तैतिरीय ब्राह्मण के काल में ऐसा नियेष लगाया गया होगा।²⁵⁷

वैदिक बाल का अत होते होते कुछ कटु बातें भी प्रकट होने लगीं। शूद्र के शरीर से स्वर्ण होना और कुछ आचारिक अवसरों पर उसे देखना भी नियिद्व किया जाने लगा। यन के लिए अर्पित व्यक्ति को शूद्र से बोलने की भी अनुमति नहीं है।²⁵⁸ और 'उपनीत पर भी यही प्रतिबध लगाया गया है।²⁵⁹ शतपथ ब्राह्मण में विषयान है कि प्रदर्श्य समारोह (सोम सत्कार का आरभ) में याजक को महिला और शूद्र से संपर्क नहीं कराया चाहिए क्योंकि वे असत्य हैं।²⁶⁰ काठक सहिता के एक प्रसंग को छोड़ महिला को शूद्र के समतुल्य बताने का यह सबसे पुराना उदाहरण है आर यह ऐसी परिपाठी है जो बाद के ग्रंथों में यन कदा चार्यित है।²⁶¹ यह भी उपबध किया गया है कि जो महिला पुत्र की वापना से पूजा अर्चना कर रही हो उसके शरीर को कोई दृष्टल चाहे वह पुरुष हो या

स्त्री, नहीं छुए²⁶² बाद में यह वृथत शूद्र माना जाने लगा और उसे ब्राह्मणविरोधी कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है कि यदि यन्पात्र को बढ़ई छू दे तो आचार की दृष्टि से वह अपवित्र हो गया²⁶³ किंतु एक अन्य स्थल पर, यदि उस प्रथ का 'माध्यदिन' पाठ सही है तो तदनु को आरुणि के निमित्त मत्रोच्चार करते हुए पाया जाता है²⁶⁴ यह प्यान देने योग्य बात है कि शूद्रों का सपर्क न करने से सबृथित सारे निर्देश या तो शतपथ ब्राह्मण अथवा शैतसुक्रों में भिलते हैं, जिससे पता चलता है कि शूद्र को अपवित्र मानकर मानसिक अवसरों पर उसकी उपस्थिति और उसके शरीर के स्पर्श दर्शन आदि को निपिद्ध मानी थी बात वैदिक काल के अत में प्रयत्नित थी।

उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन में शूद्र के स्थान की समीक्षा करते पर मालूम पड़ता है कि 'रथकार और निषाद' के अतिरिक्त जो वैदिक यन में भाग से सकते थे शूद्र वर्ण के अपने देवता थे और शूद्र भी कठिपय वैदिक कथों में सम्मिलित हो सकता था। इसमें कोई संभेद नहीं कि अधिकाश मामलों में उसके भाग लेने का ढग ऐसा है जो समाज में उसकी हीन स्थिति का घोतक है। किंतु इस आधार पर उसे इस विशेषाधिकार से सर्वथा बचित नहीं रखा गया है। उसके बहिष्कार की प्रक्रिया जो प्राचीन ग्रन्थों में पहले से ही देखने में आती है वैदिक काल समाप्त होते होते अधिक तीव्र हो गई। मालूम होता है कि आर्थिक आर सामाजिक विभेदों के बढ़ने से जानाति के यन का स्वरूप ही क्रमशः बदल गया आर वह व्यक्तिसामेश बन गया जिसमें पुरोहितों को अधिक से अधिक दान नितो लगा। कालब्राह्म से यन उच्च वर्णों के परमाधिकार का विषय बन गया जिन्हें इसके लिए यनराशि खर्च करने की क्षमता थी। यह निष्कर्ष बृहदारण्यक उपनिषद् की शकर द्वारा लिखित टीका से निश्चाला जा सकता है,²⁶⁵ जिसमें उन्होंने बताया है कि ईश्वर ने वैश्यों का सृजन धन उपार्जित करने के लिए किया है जो यज्ञ करते का साधन है। इसी प्रकार महाभारत में सुधिरित कहते हैं कि कोई गरीब आदमी यज्ञ नहीं कर सकता, क्योंकि यन के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रयुक्त मात्रा में इकट्ठी करनी पड़ती है। उन्होंने यह भी कहा है कि यन करने की योग्यता राजाओं और राजकुमारों को हो सकती है न कि अकिञ्चनों और असहायों को।²⁶⁶ इसका आशय यह हुआ कि साधारणतया शूद्र यन के अवसर पर दान देने में असमर्थ था अत वह यन में भाग लेने में समर्थ नहीं था। धनी शूद्र को यन में भाग लेने देना अनुवित्त नहीं समझा जाता था क्योंकि उसके घर से आगे ग्रहण करना विहित था।²⁶⁷

यह भी दस्तील दी जाती है कि आदिम जातियों की मूर्तिपूजन प्रथा से ब्राह्मण धर्म की विशुद्धता को जिस खतरे की आशका उत्पन्न हुई उससे प्रथमत ब्राह्मणों को यह अनुभव हुआ कि मुक्त आर्य और परापीन वर्गों के बीच दुर्लभ दीवार खड़ी करना आवश्यक

है।²⁶⁸ लेकिन यह व्याप्ति बड़े सीधे-सादे किसी की है। स्पष्ट है कि यह उस गलत पारण पर आधारित है कि शूद्र पराजित जाति के ही लोग थे। ऋग्वेद अथवाद और बहुत से उत्तरकालीन वैदिक साहित्य के पुराने सदर्भों में भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है कि शूद्रों और ब्राह्मणों के बीच दीवार खड़ी करके ब्राह्मण धर्म की विशुद्धता की रक्षा की जाए। सभव है कि जो शूद्र पराजित आदिवासियों से आए थे, उन्हें वैदिक यन से विद्यत रखा गया हो, क्योंकि उनकी धार्मिक प्रथाएँ भिन्न थीं। किंतु इस तरह की रिथिति का यही एकमात्र कारण नहीं कहा जा सकता। शूद्रों के बहिष्कार के सभावित कारणों का उल्लेख हमने ऊपर कर दिया है।

वैदिक कर्मकाड़ के विश्लेषण से शूद्रों का जो वित्र उभरता है वह सुसागत और समनुरूप नहीं मालूम होता। आर्थिक दृष्टि से विश्लेषण करने पर पता चताता है कि जहाँ एक और वे मवेशी पालते थे और प्राय स्वतन्त्र किसान के रूप में अपना कार्य करते थे, वहाँ दूसरी ओर उन्हें घेरेलू नौकर, खेतिहार मजदूर और कुछ मामलों में गुलाम भी समझा जाता था। राजनीति के क्षेत्र में शूद्र राजिनों की बात मुनी जाती है, किंतु ऐसे भी वृत्तात मिलते हैं कि शूद्र और वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रिय से जुड़े थे। सामाजिक दृष्टि से यह सोचना अनुरुपुक्त हांगा कि भोजन और विवाह के विषय में शूद्र पर प्रतिबद्ध लगाए गए थे,²⁶⁹ किंतु कुछ ऐसे प्रभाण भी मिलते हैं जिनसे चढ़ाल परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें धूणा का पात्र समझा जाता था और उनमें कुछ दुर्गुणों का आरोप भी किया जाता था। धर्म के मामलों में शूद्रों को कुछ धार्मिक कृत्यों की अनुमति दी गई थी किंतु उन्हें बहुतेरे विशिष्ट कमों से तथा सामान्यतया वैदिक यन से विद्यत रखा गया था। यों कहें कि कीथ का यह कथन सही है कि सहिताओं और ब्राह्मण ग्रथों में शूद्र दी रिथिति अस्पष्ट है।²⁷⁰

उत्तर वैदिक काल में शूद्रों की रिथिति के सबव्य में जो उल्लेख है उनके अतर्विरोध की व्याप्ति अशत उन प्रसरणों के कालक्रम के आधार पर की जा सकती है। सापारणतया धार्मिक अनुष्ठान में, जो जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त था शूद्रों के सहभाग या सहयोग का निमेप केवल उत्तरकालीन ग्रथों में दिखाई पड़ता है। किंतु इसमें अधिकारों और असमर्थताओं का वर्णन साथ ही साथ किया गया है। इसका कारण यह बताया जा सकता है कि ज्ञा ज्यों जनजातीय समाज का विधटन हुआ और वर्णविभेद बढ़ते गए, त्यों त्यों शूद्रों दी अपनी जनजातीय विशेषताएँ बिलीन होती गई। आर्य जाति के सदस्य के रूप में शूद्र ने विभिन्न कमों में भाग लेने के अपने जनजातीय अधिकारों को उस समय भी कायम रखा जब उसे दास दी कोटि में रख दिया गया था।

इस अवधि में शूद्रों दी रिथिति के बारे में विशेष प्यातव्य दात यह है कि उस वर्ण के रथकर और तथन् जैसे शिल्पी वर्ग को खास ओहदा दिया गया था। प्राय काढ़ और पातु

कर्म के सापेक्षिक महत्व की दृष्टि से ही ऐसा किया गया होगा, क्योंकि उनके बिना वैदिक काल के लोगों वा विकास और विस्तार नहीं हो सकता था, और येती बाजी नहीं चल सकती थी। पहले कहा गया है कि तथान् लोहार प्रतीत होता है। वैदिक समाज में उसे महत्यपूर्ण स्थान प्राप्त था क्योंकि प्राचीन कृपक समुनाय में उसमा आदर होता था और वह राजा के पार्षद के रूप में भी कार्य करता था।²⁷¹

वैदिक इडेन्शन में प्रस्तुत और विभिन्न प्रथकारों²⁷² द्वारा स्वीकृत इस तथ्य को मानना सभव नहीं है कि आरभ में शूद्र कृपिदास थे और उनका जीवन असुरक्षित था किंतु बाद में क्रमशः उनसी असमर्थताएँ हटने लगी। इस तरह के तथ्य उन आद्यों के सबध में समीक्षी नहीं जैवते जो शूद्र की विधि में पहुंच गए थे। प्राचीन काल के युद्ध में आद्येतर लोगों को मिटा डालने की नीति अपाई गई थी किंतु इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि उस समय जिन लोगों को पराजित किया गया उन पर ऐसी असमर्थताएँ लाद दी गई। इसके विपरीत प्राचिया ठीक उल्टी मालूम पड़ती है। प्राचीन प्रसन्गों में बनाया गया है कि शूद्र सामुदायिक जीवन में भाग लेते थे किंतु उत्तरवर्ती प्रसंग उनके बहिष्कार का ही संकेत देते हैं। परिणामस्वरूप वैदिक काल का अत दोते होते जनाजातियों के प्राचीन अधिकारों को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। ये बार्ते इतनी प्रमुख और प्राय इतनी दमनात्मक हो गई कि उपनिषदों ने इनका विरोध किया। ब्रह्मदारण्यक उपनिषद²⁷³ में कहा गया है कि द्वादशोंक में चडाल और पालक्स भी हेय नन्ही समझे जाते हैं। वहाँ सभी भेदभाव मिट जाते हैं। छात्रण्य उपनिषद²⁷⁴ में कहा गया है कि जग्निलेन्द्र या १ के चारों ओर भूर्ये बच्चे उरी प्रकार बैठते हैं जिस प्रकार वे अपरी माँ को धेरकर बैठते हैं। अत चडाल की भी यन का आवश्यक पारी का अधिकार है। हम यह नहीं जानते कि जिन वर्ण के लोगों के द्वाय समता के प्राचीन आर्शा से प्रेरित थे। किंतु इसकी सभावना सर्वथा निरापार नहीं कही जा सकती। यह विचारणा उत्तर वैदिक काल के सुधारवाली आदोलन से आगे बढ़ी पर गृहसून और घर्मसूत्र के सकल अकर्ताओं ने विरोधी विचारणाओं को चालू रखा जिससे शूद्र वर्ण की अशक्तताएँ और भी बढ़ती गईं।

सदर्भ

1 विटानिज हिन्दी ऑफ इडियन निटरेवर । पृ 195 6 बीय हार्वर्ट ऑरिएटल सीरीज XVIII पृ XCIII बीय का वर्णन है कि तैतिरीय मतादत्तनी भी काठक मत्तावधि वाजसनेपि और शतपथ के मतावलियों वी भवि मष्यदेश के निवासी थे

2 वेवर इडियन निटरेवर पृ 86

- 3 वैकल्पिक अलटिश्योर ग्रामाटिक I पृ XXX XXXI कीथ टार्वर्ड
 आरिएट्ल सीरीज , XXV पृ 44
 4 कीथ पूर्व निर्दिष्ट XXV पृ 46
 5 विटरनिज पूर्व निर्दिष्ट I पृ 191
 6 बी के थोथ वेदिक एज पृ 235
 7 बीथ पूर्व निर्दिष्ट XVIII पृ XI I
 8 बी के थोथ पूर्व निर्दिष्ट पृ 470
 9 वही पृ 467
 10 यहाँ सामान्यतया भान्य प्राधिकारियों की राय का निर्देश देने के अलावा और कुछ कहना सभव
 नहीं है
 11 मैक्डानल ए वैदिक ग्रामर फार स्टूडेंस पृ 118
 12 एच सी रायचौधरी 'पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एनेशेट इंडिया पृ 78
 13 मैत्रायणि संहिता IV 27 और 10
 14 पञ्चविंश ब्राह्मण VI 111
 15 जैमिनीय ब्राह्मण I 68-69 शूद्रो अनुदूपठन्दा वेश्मपत्निदेवस लस्माद उपादावनेऽनेव
 निर्जिविषति
 16 सत्यागढ श्रौतसूत्र XXVI 17 शुद्रूषा शूद्रस्येनेषा वर्णनाम् किंतु यह किसी अन्य पूर्व
 श्रौतसूत्र में नहीं पाया जाता
 17 ऐ बा II 266 उत्थाता शूद्रोदक्ष कर्मकर्ता सम्बद्धतया अन्य ब्राह्मण प्रथों में ऐसी कोई
 विडिका नहीं है
 18 तैतिरीय ब्राह्मण III 11 10 3 में कर्मकर शब्द का प्रयोग क्रतिक पुरोहित के अर्थ में किया
 गया है न कि भाक्ते के मन्त्रात् के रूप में अन्य ब्राह्मण प्रथों में कर्मकर का कोई उल्लेख नहीं है
 19 बृहन्नारायण उपनिषद I 4 13
 20 वरी II 266
 21 मुख्यां ग्नानिएट इंडियन एनुक्रेशन पृ 158
 22 वानस्पति संहिता XXX 5 शतपथ ब्राह्मण XIII 6 2 10 तैतिरीय ब्राह्मण III 4 1
 1
 23 वानस्पति संहिता XXX 6 21 तैतिरीय ब्राह्मण III 4 2 17
 24 वैंक इडेल्स II पृ 267
 25 वरी
 26 ऐतरेय ब्राह्मण VIII 22 देशाद् देशात् समेकनानां सर्वात्मा आयुहित्याम्, दर्शयन्
 सद्गुणी आत्मेषो निष्कर्षय यह अध्याय इस प्रथ के उत्तर छाग का एक अंक है
 27 बृहन्नारायण उपनिषद VI 2.7 इसमें भूमि वी वी वर्च्य नहीं है
 28 महाभारत (मन्दस्तु सम्मान) II 33.52 अग के सूत राता कर्त्ता ने संगीत और ऐसी ही
 अन्य कन्त्राओं में प्रतिष्ठित ही भाग्यी दरी कन्दरैं समर्पित वी वी महाभारत (सन्तुष्ट
 सम्मान) VIII 38 7 18

- 29 ऐतरेय ब्राह्मण VI 18 19 शतपथ ब्राह्मण II 4 2 61
 30 वही III 5
 31 रैषान ऐतिव्य इस्त्री ओंक इंडिया I 128 तुलनीय धोनान हिस्टोरियोग्राफी एड
 अदर एसेज पृ 87 पाठ टिप्पणी 9
 32 सादूपा श्रौतसूत्र VIII 4 14 दासमिदुनी पान्धवालूपम् सीरम् ऐन्डिय
 33 आस्त्र श्रौतसूत्र X 10 10
 34 कात्यायन श्रौत सूत्र XXII 10
 35 वही XXII 11 शूदान वा दर्शनाविरोधाभ्याम्
 36 वही XXII 11 वी टीका न च विरोप पर्वगसस्य
 37 शायायन श्रौतसूत्र XVI 14 18 सहपुत्रपू च दीपते
 38 वही XVI 15 20 सहभूमि च दीपते टीका में 'सपुत्र च जोड़ा हुआ है
 39 वैदिक इडेक्स II पृ 389
 40 छात्रोंग उपनिषद IV 2 4 5
 41 ऐतरेय ब्राह्मण VIII 21 शतपथ ब्राह्मण XIII 7 1 15
 42 वही
 43 वात्यायन श्रौतसूत्र वी टीका XXII 11
 44 अथविवद III 24 VI 142 वाजसनैषि संहिता IV 10 शतपथ ब्राह्मण, I 6 1 1 8
 45 दास दि इकनमिक इस्त्री ओंक एनशिएट इंडिया पृ 139 40 एस के दास ने
 सगत निर्देशों का संग्रह किया है
 46 आश्वलायन श्रौतसूत्र VII 4.5 8 IX 10 11 11 2
 47 पास्ट एड प्रेसेन्ट से 6 पृ 1
 48 विदेश के जबक का दृष्टात
 49 जापसदाल लिंगु पोलिटी II 20
 50 वैडिक दि हिरोइक एज पृ 370
 51 धोनान हिस्टोरियोग्राफी एड अदर एसेज पृ 253
 52 ऐत्रियणि संहिता II 6 5 तत्त्वरथकार्योग्रहि आपस्ताम्ब श्रौतसूत्र XVIII 10 17
 सत्याग्राद श्रौतसूत्र XIII 4 8 यह व्यावर्त्य है कि तैतिरीय संहिता में रत्निन के इसी प्रशार के
 वर्जन में तथा और रथकार का उल्लेख नहीं हुआ
 53 वही सर्वायसानि दक्षिण
 54 शतपथ ब्राह्मण V 3 1 10 11
 55 वही V 3 2 2 4 इष्टपैतातियम् प्रविशत्पैताम् वा तप प्रविशति यदविजियानि यज्ञेन
 प्रसंगत्यप्यशिष्याक्षदा एतादृश्यज्ञेन प्रसन्नति शूदास्त्वाद्यात्मु सोप और रुद्र दद्य मित्र और वृत्तपति
 दो चदाया चदाकर प्रायशिकत करने का प्रावधान दो प्रतिमूल विदारों का सामन्तर्य करने के
 प्रयास जैसा लगता है इनमें से एक विचार प्राचीन है और एक नवीन जो यज्ञ में शूद्र के भाग
 लेने के संबंध में है राजा शूद्र के साथ साम्वारिक संबंध जोड़ सकता था विंतु इसके
 फलस्वरूप होनेवाले पाप को दूसरे घार्मिक संस्कार द्वारा हनाना पड़ता था यह उल्लेखनीय है

कि इसका उल्लेख न तो कृष्ण यतु प्रथों में और न शुक्लयतु प्रथों में हुआ है घोपाल हिंदू पञ्चिक लाइफ । पृ 133

- 56 शतपथ ब्राह्मण की टीका V 3 2 2, शूद्रन सेनान्यादीन्
57 शाखावत श्रीतसूत्र XVI 4 4 शतपथ ब्राह्मण XIII 5 2 8
58 आपस्तम्ब श्रीतसूत्र (गार्वीज एडिशन) XVII 10 26
59 दही VI 3 12
60 मैत्रायणि सहिता II 6 5 आ श्रीतसूत्र (गार्वीज एडिशन), XVIII 10 20 सत्यापाद श्रीतसूत्र XIII 4 8
61 शतपथ ब्राह्मण की टीका V 3 2.2.4
62 कीष पूर्व निर्दिष्ट XVIII पृ 120 वह शब्द अर्थात् नकाशी करना से यह अर्थ निकालने हैं
63 मोनियर विलियम्स सत्कृत इण्डियन डिक्शनरी देखें शूद्र शब्द साधन के अनुगार वह व्यक्तिय पत्नी का शूद्रजात पुत्र है
64 सहिताओं और ब्राह्मणों में रुलिनों की सूची का सकलन घोपाल ने हिस्टोरियोग्राफी एड अदर एसेज के पृष्ठ 249 के सामने के पृष्ठ पर किया है
65 एक सूची (मैत्रायणि सहिता II 6 5 IV 3 8) में उनकी सच्च्या तीन है और दो सूचियों में यह सच्च्या दो है (काठक सहिता XV 4 शतपथ ब्राह्मण V 3) अनीव बात यह है कि कृष्ण यतु के प्रथों में उनका उल्लेख नहीं हुआ है (तैतिरीय सहिता I 8 9 से ब्रा I 7 3)
66 जापतवाल पूर्व निर्दिष्ट ॥ पृ 21
67 अधर्ववेद III 5 6
68 वाराह श्रीतसूत्र III 3.3 24 तत्र पट्टोलीं विदीयन्ते ब्राह्मणो राजन्यो वैश्य शूद्र मैत्रायणि सहिता IV 4 6 आपस्तम्ब श्रीतसूत्र (गार्वीज एडिशन) XVIII 19 2 3 सत्यापाद श्रीतसूत्र XIII 6 29 30
69 वाजसनेयि सहिता X 29 शतपथ ब्राह्मण V 4 4 19 23 वैत्यायन श्रीतसूत्र XV 7 7 11 20
70 काठक सहिता XXXVIII 1 वाजसनेयि सहिता वपिष्ठल सहिता लैतिरीय संदिता और मैत्रायणि सहिता में इस अनुच्छेद को जोड़ा नहीं है किन्तु तैतिरीय ब्राह्मण II 7 9 1 और 2 में यह परिवर्तित रूप में आया है जिसमें दान और उसके फल का तो उल्लेख हुआ है पर चारों वर्णों का नहीं ओगस्त के स्वान में यहाँ वीर्यम् का उल्लेख हुआ है देखें सत्यापाद श्रीतसूत्र XXIII 4 21 जिसमें यह अनुच्छेद ओदनसव नैदेय के प्रस्ताव में आया है
71 फल और वर्धस वजसनेयि सहिता X 10 13 में दल और वर्धस तैतिरीय सहिता 1 8 13 में पुष्ट्यम् और फलपू मैत्रायणि सहिता 11 6 10 पुष्ट्यम् और वर्धस काठक सहिता XV 7 में आए हैं
72 पूर्वोद्धृत ॥ 29 पाद टिप्पणी 2
73 घोपाल हिन्दू एड एसेज पृ 264

- 74 एस वी डैक्टेशर इंडियन कल्चर ग्रूप एजेन्स भाग I पृ 11
 75 वैदिक इडेक्स II पृ 57
 76 बृहदारण्यक उपनिषद I 4 13
 77 महाभारत II 30 41 विश्वव्याप्ति ग्राम्याशुद्धारण्य सर्वानानयतोति च
 78 वही II 33 9 न तस्या सीनेपी शूद्र वरिवदासीत्र घावन
 79 वाजसनेयि सहिता XX 17 (सीनामणि यत के अवसर पर) यच्छूद्रे यदय यदेनस्वरूपा वय
 यदेकस्या पि धर्माणि तस्यावय जनमति तैतिरीय सहिता I 8 3 1 वाठक सहिता
 XXXVIII 5 देव्य शतपथ ब्राह्मण XII 9 2 3
 80 वाजसनेयि सहिता XX 9
 81 पाणिनीज ग्रामर III 1 103 अर्थ स्वामि वैश्ययो
 82 वाजसनेयि सहिता XX 17 वी टीका वैदिक इडेक्स में इसकी व्याख्या आर्य के अर्थ में
 वी गई है
 83 ऐतरेय ब्राह्मण VII 29 ऊपर पृ 59 60
 84 आपस्तम्भ श्रीतसूत्र (गार्वी सस्करण) XX 5 13 शत शूद्रा वस्थिन कात्यायन श्रीतसूत्र
 XX 50 ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में कुछ विद्वेष के घलते सत्यापाद श्रीतसूत्र औ
 आपस्तम्भ श्रीतसूत्र का लोकप्रिय सस्करण है में शूद्र वस्थिन को छोड़ दिया गया है
 सत्यापाद श्रीतसूत्र XIV 1 46
 85 तैतिरीय सहिता VI 4 8 तस्माद् एता रजानग् अशाखुदा नन्ति वैश्येन वैश्य शूद्रे शूद्रम्
 86 महाभारत V 94 7 अरित शशिद्विषिष्टो वा मधिष्ठो वा भवेदुपि शूद्रो वैश्य शशियो वा
 ब्राह्मणो वापि शत्वशूद्र
 87 नैशमन्तकर युद्ध देहाप्य प्रणालनम्, शूद्र विद्युतविप्राणा यम्य स्वर्यं यज्ञस्करण् महाभारत
 VIII 32 18 विटिकल एडिशन में विप्राणम् पूर्व के स्थान में वीराणम् पाठ आया है विनु
 उपर्युक्त में स के अनुवाद में भी आया है और अपिकु उपर्युक्त है
 88 कात्यायन श्रीतसूत्र XX 37
 89 शतपथ ब्राह्मण XIII 5 4 6
 90 वही XIII 4 2 17 अपस्तम्भ श्रीतसूत्र (गार्वी सस्करण) XX 5 18 कात्यायन
 श्रीतसूत्र XX 55 सत्यापाद श्रीतसूत्र XIII 1 47
 91 जैमि ब्राह्मण II 266 267
 92 ऐतरेय ब्राह्मण VIII 4
 93 तैतिरीय सहिता III 5 10 यनुभों के अन्य सप्तरों में समानातर पाठ नहीं है
 94 जैमि ब्राह्मण II 102 शायायन श्रीतसूत्र XIV 33 18 19 में यनी विचार कुछ भिन्न रूप
 में दुहराया गया है
 95 तैतिरीय स V 7 6 4 हच वैश्येषु शूद्रेषु मयि येहि स्वारूपम्, वाजसायि स
 XVIII 48 वाठक सहिता XL 13 मैत्रायणि सहिता, III 4 8 है स V 7 6
 शतपथ ब्राह्मण IX 4 2 14 में रूप नो येहि ब्राह्मणेविति कहा गया है जे गोतिंग मानते
 हैं कि अन्य तीन वर्ण अतर्विक्ति हैं अत इस परिवेद का अनुवाद करने में उनमा उल्लेख

कोष्ठक में किया है (सेकेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट खंड 238) किंतु इस प्रय में प्राय ब्राह्मणों द्वारा अपने पौरोहित्यजन्य दावे के हित में प्राचीन धार्मिक कृत्यों के नाम पर घोषणाजी करने का विशेष उदाहरण प्रस्तुत किया गया है

- 96 शतपथ ब्रा V 3 5 11 14 तैति ब्रा I 7 8 7 बाराह श्रीतसूत्र III 3 2 48
- 97 जायसवाल पूर्व निर्दिष्ट II पृ 25 आगे चलकर जायसवाल ने जो कहा है उसका अर्थ है कि बाद में जूद हमेशा अभियेक समारोह में भाग लेता हुआ जान पड़ता है किंतु जब तक हम अर्दीनपुराण जो सम्प्रयुग के आरम्भ की रखना है में वर्णित राज्याभियेक समारोह तक नहीं पहुँचते (अध्याय 218 18 20) तब तक इसका कोई प्रभाग नहीं मिलता
- 98 घोषाल पूर्व निर्दिष्ट पृ 265 66 और एस दी वैकटेश्वर पूर्व निर्दिष्ट, भाग I पृ 11 विभिन्न प्रकार के अर्थों के लिए देखें
- 99 ऐतरेय ब्राह्मण VII 20
- 100 शतपथ ब्रा I 3 4 15 II 5 2 6 देखें XII 7 3 15
- 101 वही XI 2 7 16
- 102 शात्रायण श्रीतसूत्र XVI 17 4 वैदिक इडेक्स II 256 में उल्लृत
- 103 बाराह श्रीतसूत्र III 1 1 1 घोषाल पूर्व निर्दिष्ट पृ 283 लेकिन शत्रिय के माथ वैश्य भी वाजपेय यज्ञ के छोटे छोटे सपारोहों से सबद्ध था (कात्यायण श्रीतसूत्र XIV 75)
- 104 तैतिरीय ब्राह्मण III 3 11 2 (भृत्यास्त्र की दीका सहित)
- 105 घोषाल हिंदू पञ्चिक लाइक 1 पृ 73 80
- 106 तैतिरीय संहिता XVIII 39 41 रुच संहिता XX 2
- 107 शतपथ ब्राह्मण III 5 2 11 III 6 1 17 18 IX 4 1 7 8
- 108 वही VI 4 4 12 13
- 109 वही VI 6 3 12 13
- 110 वही पृ 52.
- 111 ऐतरेय ब्राह्मण VIII 4 विश वैवास्मै तच्छौद्र च वर्णश्रु अनुवर्तमानी कुर्वन्ति
- 112 ऐतरेय ब्राह्मण VII 29
- 113 वही VII 27 8
- 114 प्लूर, हेग और वेदर ने इस शब्द का अर्थ किया है इच्छानुसार गमन करनेवाला, किंतु इस किया एवं का प्रयोग प्रेरणार्थक अर्थ में हुआ है (वैदिक इडेक्स II पृ 255) जिसे साधन ने घास्ता ही है
- 115 ऐ ब्रा VIII 29 अय यदि अट, दूराणा स यज्ञ शूद्रविस्तेन भक्षेन गिभिष्यसि शूद्रकल्पस्तै प्रजापामात्रनिवारे
- 116 चीप पूर्व निर्दिष्ट XXV पृ 315
- 117 ऐतरेय ब्राह्मण का अनुवाद पृ 485
- 118 घोषाल पूर्व निर्दिष्ट 1, पृ 148
- 119 सम्प्रदायी वाचक्याविरेन इत्यम् अवति तदानैपूर्व अपमू उत्पत्त्यते
- 120 एकीनि व्याकरण II 4 10

- 121 कीय पूर्व निर्दिष्ट XXV पृ 315
 122 वाय = कुपितेय स्वामिना ताइयो भवति इच्छामनन्तिकम्प
 123 III 11 V 16 और X 11
 124 III 9 IX 15 16 18 X 29
 125 हेग ऐतेरेय ब्राह्मण का अनुवाद पृ 485
 126 वैदिक इडेक्स ॥ पृ 256
 127 कीय कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया , ।, पृ 128 9 इत पूर्व निर्दिष्ट पृ 166 घोषाल हिंदू पञ्चिक साइक । पृ 167
 128 वैदिक इडेक्स ॥ पृ 331
 129 तैतिरीय ब्राह्मण I 5 9 5 6 III 4 1 7
 130 कीय हार्डे ओरिएटल सीरीज XXV पृ 29 वैदिक इडेक्स ॥ पृ 256
 131 वाजसनेयि सहिता XIV 30 मैत्रायणि सहिता II 8 6 काठक सहिता XVII 5 वात्यायन सहिता XXVI 24 तैतिरीय सहिता, IV 3 10 2
 132 शतपथ ब्राह्मण XIII 2 9 8 तैतिरीय ब्राह्मण III 9 7 3 वाजसनेयि सहिता XXIII 30-31
 133 वाजसनेयि सहिता XXIII 30 शूद्रा यदर्यजात्य न पोशाये धनापति मैत्रायणि सहिता III 13 । तैतिरीय सहिता VII 4 19 13 काठक सहिता (अस्वसेय) V 4 8 शाखा श्रौतसूत्र XVI 4 4 6
 134 वाजसनेयि सहिता XXIII 30 पर महीधर और उवट की टीका
 135 वैदिक इडेक्स ॥ पृ 391
 136 जे इग्लैंग सेफ़ेड बुक्स आफ दि ईस्ट xliv पृ 326
 137 कीय कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया । पृ 126
 138 पवर्विश ब्राह्मण XIV 6 6
 139 वही
 140 ऐतेरेय ब्राह्मण VII 19 सायण की टीका सहित
 141 वैदिक इडेक्स ॥ पृ 259 बृहदेवता IV 24 25
 142 पवर्विश ब्राह्मण XIV 11 17
 143 वायु पुराण ॥ 37 67 94
 144 आदि पर्वन् 98 25
 145 मुखर्जी पूर्व निर्दिष्ट पृ 52
 146 सायण के अनुसार वैदिक इडेक्स । पृ 121 122
 147 जैमिनीय उप ॥ 2 5 6
 148 वैदिक इडेक्स 42 22 26
 149 अनुसासन पर्वन् (कुब्ज सस्करण) 53 13 19
 150 वही 53 38
 151 शाखायन श्रौतसूत्र XVI 4 4

~

- 152 पुर्वे पूर्व निर्दिष्ट पृ 51
 153 कीथ पूर्व निर्दिष्ट । पृ 129
 154 शास्त्रायन ब्रा XXVII 1 अह ब्राह्मण शतपथ और ऐतरेय ब्राह्मणों के बाद का भान्ना जाता है
 155 उपनिषद् VI 10 7
 156 रुमायन I 58 10 11 जान पढ़ता है कि विक्रक जो स्थापत्यर्ण का था सम्बद्ध चड़ाल जावि का नेता था
 157 वाग्मस्तेषि सौहिला, XXX 21 हैतिरीय ब्राह्मण III 4 1 17
 158 वही 17 हैतिरीय ब्राह्मण III 4 1 14
 159 ऐतरेय ब्राह्मण VII 15 17 शास्त्रायन श्रीतसूत्र XV 24
 160 वही 17 नवायन श्रीगृन्मन्त्रायाद् असधेय त्वया कृतम्
 161 वही 18
 162 वही 18 की दीपा चण्डालदि रूपान् नीवगतिविशेषान्
 163 वाग्मस्तेषि सौहिला XLVI 2 यथेय वाच कल्पयनी यावत्तानि जनेभ्य ब्रह्म राजन्यस्याम् शूष्य धार्याप च स्वाय चारणय थे
 164 मुच्छी पूर्व निर्दिष्ट पृ 53
 165 उदट और भठीपर द्वारा प्रस्तुत वाग्मस्तेषि सौहिला XLVI 2 की दीपा
 166 शतपथ ब्राह्मण I 1 4 12
 167 उपनिषद् II 23 1 2 जी सी पाठेय दि ओरिंजिस ऑफ बुद्धिम्ब पृ 322 23 जी सी पाठेय का विचार है कि धार आश्रमों का सिद्धात बुद्धदेव के पहले नहीं था
 168 अद्विवेद XI 5.3
 169 अन्देकर एकुरेतन इन एनरिएट ईडिया पृ 10
 170 हैतिरीय सौहिला VI 3 10 योपय ब्राह्मण I 2 2 और 4 शतपथ ब्राह्मण XI 54 12
 171 बृहदारण्यक उपनिषद् V 2 1
 172 अद्विवेद XI 5 यवदित्त ब्राह्मण XVII 1 2 न्यूम्फील्ड की रुप है कि परिवर्तित ब्रात्य को शुद्ध ब्रह्मविनि बहा गया है अद्विवेद पृ 94
 173 वैदिक XVIII 9 और 54 9 स्टीगल अन्टर्रानिस्ट्वेस्कुन्डे III पृ 700 रेखा पृ 549 49 भी
 174 ग्रामर रिप्रिन्टइनेशन ऑफ ईस्टर्न ईरनिशस इन एनरिएट टाइप्स । पृ 58 9
 175 दामसल स्टीव इन एनरिएट ईर्स सोसायटी । पृ 272
 176 उपनिषद् IV 11 8 11 4
 177 ईम्प्रेस्य ब्रह्मा III 7 3 2 इसे ईम्प्रेस्य उप ब्रह्मा III 7 3 2 में नगदी ज्ञानदुत्तेय भी बता गया है और ज्ञानदुत्तेय ने वाम्पेय यात्रा गिया था (शताय ब्रह्मा V 11 5 और 7)
 178 रिप्रिन्ट दूर्व निर्दिष्ट । पृ 229 एट्रिप्पली 3

- 179 तैतिरीय ब्राह्मण III 129 2
 180 शतपथ ब्राह्मण XIII 4.3 7 13
 181 वही देवें छादोग्य उपनिषद्, VII 1 1
 182 छादोग्य उपनिषद्, VIII 14 1
 183 सत्या श्रौतसूत्र XIX 3 26
 184 वही XIX 1 4 XXVI 1 20
 185 वही XXVI 1 6
 186 द्राहा श्रौतसूत्र VII 3 14
 187 सत्या श्रौतसूत्र XIX 4 13
 188 बौद्धायण गृष्णसूत्र II 5 6
 189 गेन्ड एथनालाजी ओफ दि महाभारत पृ 241 2
 190 सेन्टर्ट वार्स्ट इंडिया पृ 118
 191 हापकिस मुख्यम् पूर्व निर्दिष्ट पृ 10 11 11 यत ही में हस्तिनापुर में हुई खुशाई में बन्द
 से औजार जो सुई की तरह नोकदार है प्राप्त हुए हैं जो नौ सौ से पाँच सौ ही पू के कहे
 जाते हैं किन्तु यह निश्चित नहीं है कि उनका प्रयोग लिखने के लिए किया जाता था
 192 हापकिस मुख्यम् वही पृ 339 40
 193 शाखायण गृष्णसूत्र II 7 21 25
 194 तैतिरीय ब्राह्मण I 1 4 8 आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्वीज सस्करण) V 11 7 कात्यायण
 श्रौतसूत्र I 9 सत्या श्रौतसूत्र III 1 वाराह श्रौतसूत्र I 1 1 4
 195 आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (किंतंड और गार्वीज सस्करण) V 3 19 कात्यायण श्रौतसूत्र IV
 179 81 सत्या श्रौतसूत्र III 2 वाराह श्रौतसूत्र I 4 1 1 वैद्यानस श्रौतसूत्र I 1
 आश्व श्रौतसूत्र II 1 13
 196 राष्ट्रकूमोपनीयवृत्तुपुरुष इत्युच्यते आश्व श्रौतसूत्र II 1 13 नारायण की दीका सहित
 197 आप श्रौतसूत्र (गार्वीज सस्करण) IX 14 12 सत्या श्रौतसूत्र XV 4 20 वाराह
 श्रौतसूत्र I 1 1 5 कात्यायण श्रौतसूत्र 112
 198 आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्वीज सस्करण) IX 14 11 सत्या श्रौतसूत्र XV 4 19 वाराह
 श्रौतसूत्र I 1 1 5
 199 सत्या श्रौतसूत्र III 1
 200 सत्या श्रौतसूत्र की दीका III 1
 201 महाभारत I 61 48
 202 प्रावेद X 53 4
 203 निष्ठक III 8 औपमन्यव निषाद शब्द को नियाद स्थपति मानते हैं निष्ठक III 8 के बारे में
 एकन्दस्वामी और महेश्वर के विचार
 204 मुख्यम् पूर्व निर्दिष्ट पृ 52 53
 205 जैमिनीय ब्राह्मण II 184 निषादेषु हैव ता वसेद ~ वैश्ये वा ह ता प्रात्युष्ये वा वसेद् राजनि
 हैव ता वसेद्, पर्वदिक्ष ब्राह्मण XVI 6 7 बौद्धीतिक ब्राह्मण XXV 15 आपस्तम्ब

- श्रौतसूत्र (गार्वीज सत्करण) XVII 26 18 लाद्यायन श्रौतसूत्र VIII 2 8
 206 लाद्यायन श्रौतसूत्र VII 2 8 की टीका में निषाद ग्राम का प्रसंग आया है
 207 शेफर एथनोग्राफी ऑफ एनशिएट इंडिया' पृ 10
 208 शतपथ ब्राह्मण I 1 4 11 12 आपस्तुम्ब श्रौतसूत्र (किलेंड सत्करण) I 19 9
 209 शतपथ ब्राह्मण V 5 4 9 चत्वारे वीर वर्णा, ब्राह्मणे राजन्ये वैश्य शूद्रो न हैतेषामेकश्वन भवति य सोम वभवति स यत् हैतेषामेकश्वित्साद् तस्याद्वैव प्रायशिवतति
 210 ऐतरेय ब्राह्मण II 19 हापर्किस रैलिजस आर्क इंडिया पृ 477
 211 काठक संहिता XI 10
 212 आञ्ज्यमन्थ ब्राह्मण पर्योमन्थ राजन्ये दधिमन्थ वैश्य उदमन्थ शूद्र सत्या श्रौतसूत्र XXIII 4 17 इस कठिका से शूद्रों की सापेष गरीबी का परिवय मिलता है
 213 आर्क श्रौतसूत्र II 9 7
 214 वात्या श्रौतसूत्र XIII 40-41 एव ब्रा V 5 14 सत्या श्रौतसूत्र λVI 6 28 शूद्रार्थी धर्मणि परिमण्डले व्यापच्छेते ज्यवत्यार्थ
 215 ऐफिनीय ब्राह्मण II 404 5 आर्यवर्ण शब्द काठक संहिता में आया है XXXIV 5 विंतु उसमें शूद्र वर्ण का कोई उल्लेख नहीं है
 216 शास्त्र श्रौतसूत्र XVII 6 1 2 लाद्यायन श्रौतसूत्र IV 3 9 5 6
 217 तैतिरीय ब्राह्मण I 2 6 7
 218 वाजसनेय संहिता λXX 22 अशूद्रा अब्राह्मोणास्ते प्राजापत्या
 219 शास्त्रायन श्रौतसूत्र XVII 6 1 2
 220 शतपथ ब्राह्मण XII 8 3 11 यह व्यात्यव्य है कि खक्षियों की समाप्ति सबसे ऊँची होती थी और उसके बाद ब्राह्मणों की
 221 बृहद्यारण्यक उप I 4 11 13
 222 हापर्किस उपिक माद्यालोगी पृ 168
 223 शतपथ ब्राह्मण V 3 1 8
 224 वही V 3 1 9
 225 तैतिरीय ब्राह्मण II 7 2 1 और 2
 226 तैतिरीय संहिता VII 1 1 4 5 पर्वतिश ब्राह्मण VI 1 6 11
 227 ऐफिनीय ब्राह्मण II 101 शास्त्र श्रौतसूत्र XV 10 1-4
 228 शास्त्रायन श्रौतसूत्र में प्राजापति की वर्णन नहीं है
 229 ऐफिनीय ब्राह्मण III 101
 230 दत्त पूर्व निषेष्ट, 60 61
 231 कथ्येद, I 117 21 यर्व यूक्तेऽस्मिन्न वपन्तेऽप्युहता भानुषय दसा
 232 ऐवयवी संहिता II 9 5
 233 वाजसनेय संहिता, XVI 27 काठक संहिता XVII 13 कौटिल संहिता XXVIII 3- मैत्रदयी संहिता II 9 5 तैतिरीय संहिता IV 5 4 2 कथ्य संहिता XVII, 4
 234 ऐवाद्येय संहिता IV 5 4 2.

- 235 वैदिक इडेकम ॥ पृ 249 50
 236 वेदर इडिपन लिटरेचर पृ 110 111
 237 वही
 238 शतपथ ब्राह्मण V 3 1 10
 239 उपर देखे पृ 71
 240 तैतिरीय सहिता VIII 1 1 पवर्णित VI 1 6 11
 241 वाग्सायि सहिता XIV 30 शतपथ ब्राह्मण VIII 4 3 12
 242 हैतिरीय ब्राह्मण III 2 3 9 कात्या श्रीतसूत्र I 5 देखे शास्त्र श्रीतसूत्र I 1 1 3
 आश्वलायन श्रीतसूत्र I 3 3
 243 हैतिरीय ब्राह्मण III 2 3 9
 244 शतपथ ब्राह्मण VI 4 4 9
 245 मैरवयणि सहिता III 4-5 III 2 2 तैतिरीय सहिता V 1 4 5 कात्या सहिता
 IX 4 और कपिष्ठल सहिता XXX 2 में केवल ब्राह्मण और राजन्य का उल्लेख हुआ है
 वैभव को भी होड़ दिया गया है
 246 शतपथ ब्राह्मण II 5 2 36
 247 वही III 2 1 40
 248 वैदिक इडेक्स ॥ 390
 249 वाग्सायन श्रीतसूत्र VII 105
 250 आपस्तान्व श्रीतसूत्र (गार्वीज सस्करण) VI 3 7 रुद्रदत की टीका सहित
 251 तैतिरीय ब्राह्मण III 2 3 9 10 कपिष्ठल सहिता XI VII 2 पैत्रायणि सहिता IV 1 3
 आपस्तान्व श्रीतसूत्र (गार्वीज सस्करण) VI 3 11 वैतायन श्रीतसूत्र XXIV 31 शास्त्र
 श्रीतसूत्र II 8 3 सत्या श्रीतसूत्र III 7
 252 आपस्तान्व श्रीतसूत्र (गार्वीज सस्करण) VI 3 12 असतो वा एष सभूतो पच्छाद्
 253 वैत्रायणि सहिता I 8 3
 254 आपस्तान्व श्रीतसूत्र (गार्वीज सस्करण) II भूमिका पृ XII
 255 वही VI 3 13 दुश्शाद वा
 256 आपस्तान्व श्रीतसूत्र VI 3 13 की रुद्रदतीय टीका
 257 तैतिरीय ब्राह्मण III 2 3 9 10
 258 शतपथ ब्राह्मण III 1 1 10 न शूर्णे सम्भावेत् द्वा श्रीतसूत्र VIII 3 14 सादूयायन
 श्रीतसूत्र III 3 15 16 के अनुसार यह शर्त सत्र यह के यानक पर भी लागू है सत्या
 श्रीतसूत्र X 2
 259 द्वा श्रीतसूत्र VIII 3 14 सत्या श्रीतसूत्र XXIV 8 16 में कहा गया है कि महिला के
 साथ भी ब्रह्मवार्ता की ब्रह्मवर्त्य धारण करने के पश्चात बातचीत नहीं करनी चाहिए
 260 शतपथ ब्राह्मण XIV 1 1 31 सत्या श्रीतसूत्र XXIV 1 1 3 में भी
 261 आर एस रमा (जर्नल ऑफ दि विलार रिसर्च सोसायटी XXXVI) 183 191
 262 शतपथ ब्राह्मण XIV 9 4 12

- 263 शतपथ ब्राह्मण L 1.3.12, अनुदर्शका चक्री 'स्टडीज इन हि ब्राह्मणाज पृ 127 पा' लिखी 2 ब्रक कथन है कि यह प्राचीन काल के उस विचार के घलते हुए होगा जिसके अनुसार दृश्यों को अपवित्र करने से वन के देवी देवताओं का तिरस्कार होता था
- 264 शतपथ ब्राह्मण II 3.1.31 कथव द्वारा निर्धारित पाठ में यह द्रष्टव्य है
- 265 I 4.12
- 266 न ते शक्या देहिण यदा प्राप्त पितामह बहूपकरण यहा नाना सम्भारविस्तय पार्थिवै राजपुत्रेवा शक्या प्रात्मुपतामह, नार्यन्यौरदगुणैकात्मपिरसहौ महाभारत (कुम्भ) XIII 164-23 (कल) XII 107-23 यह अनुच्छेद बहुत बाद का है किंतु इसे हम उत्तर वैदिक काल की परिस्थितियों का सूखक धारा सकते हैं
- 267 यो ब्राह्मणो राजन्यो वैस्यशूद्रो वा अतुर इव बहुपुष्टस्यातुतस्य गृहादाहृत्यादध्यात् पुष्टिकामस्य आपसाम्ब श्रौतसूत्र (गार्वी सक्षण) V 14.1 इसमें कोई संदेह नहीं कि विशेषण 'बहुपुष्ट' ब्राह्मण राजन्य और दैश्य पर भी लागू होता है किंतु शूद्र के भास्त्रे में यह विशेष महत्व का प्रतीत होता है जिसे अग्नि से निकाला हुआ कहा गया है
- 268 इण्डिन पूर्व निर्दिष्ट XII प्रस्तावना पृ XIII
- 269 इण्डिन कल्पना XII 183
- 270 ऐप्सन पूर्व निर्दिष्ट 4, 129
- 271 आर जी फर्वर्स मेटलरी इन एटिक्सटी' पृ 79
- 272 वैश्वक इडेक्स II पृ 390 इत ऑपिनिन एड श्रीय आफ कास्ट, पृ 101.5 दलदल्कर 'ठिंडू सोशल इस्टीट्यूशन्स पृ 288
- 273 वृहदारण्यक उपनिषद शक्ति भी दीक्षा सहित IV 3.22
- 274 उपनिषद V 24.4

दासता और अशक्तता

(लगभग ८ सौ ई पू से लगभग तीन सौ ई पू तक)

वेदों के बादवाले सुग में शूद्रों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए ब्राह्मण ग्रथों के अतिरिक्त बोद्ध और जैन ग्रथों का भी सहारा लिया जा सकता है। ये ब्राह्मण ग्रथ मुख्यतया धर्मसूत्र (विधिग्रथ) गृह्णसूत्र (परेलू कर्मकाड़ के ग्रथ) और पाणिनि के व्याकरण हैं। इन ग्रथों का कालक्रम मोटे तीर पर ही निर्धारित किया जा सकता है। काणे ने इस विषय से सबृहित नवीनतम रचना में सिद्ध किया है कि प्रमुख धर्मसूत्र लगभग ८ सौ तीन सौ ई पू के हैं।¹ इन सूत्रों में भावागत प्रयोग की जो स्वतन्त्रता दीख पड़ती है, वह पाणिनि के प्रभाव के पूर्णतया व्याप्त हो जाने के बाद सभव नहीं रही होगी² और पाणिनि का व्याकरण ई पू पाँचवीं शताब्दी के मध्य का माना गया है³ गौतम का विधिग्रथ जिसमें शूद्रों से सबृहित अधिकाश सूचनाएँ मिलती हैं धर्मसूत्रों में सबसे प्राचीन ग्रथ माना जाता है।⁴ किन्तु यह बतलाता है कि यद्वन की उत्तरति शूद्र स्त्री और सत्रिय पुरुष से हुई थी।⁵ बाद के धर्मशास्त्रों की ही तरह इसमें दैश्यों और शूद्रों के सहोन्त्रेख के कई दृष्टात मिलते हैं।⁶ इसमें सपूर्ण भारत में समान ढग के कानून चलाने का प्रयास⁷ गोवथ के लिए दण्डिगान⁸ और लगभग बीस वर्णसंकरों का वर्णन⁹ मिलता है। इन सब बातों से पता चलता है कि गौतम के विधिग्रथ में पीछे चलकर व्यापक सशोधन किए गए।¹⁰ अत सभव है कि इस ग्रथ में वर्णित समाज संबंधी सभी कानूनों से मीर्यपूर्व काल की स्थिति का आभास नहीं मिले।

आद्यों के देश आर्यावर्त के अत्तर्गत निस पर धर्मसूत्र लागू होनेवाले थे, पजाब विहार तथा हिमालय और मालवा की पहाड़ियों के बीच के भूक्षेत्र हैं।¹¹ किन्तु कानूनों के निर्माता वौघायन दक्षिण के निवासी थे। आपस्तब के बारे में यही बात निश्चयपूर्वक नहीं कही जा सकती क्योंकि उन्होंने उत्तर के निवासियों (उदीच्यों) में शबलित विशेष ढग की श्राद्ध प्रथा का उल्लेख किया है।¹² वरिष्ठ की विवारणारा सभवतया उत्तर पश्चिम भाग में फूली फली।¹³ प्रमुख गृह्णसूत्र जो प्राचीन भारतीयों के ऐनिक जीवन के बारे में

सर्वाधिक विश्वसनीय विवरण माने जाते हैं,¹⁴ ई पू छ सौ-तीन सौ के बताए गए हैं।¹⁵

बौद्ध ग्रन्थों में सुत्तों (वार्तालाप) के चार सग्रह, अर्थात् दीर्घ माझ्ज्ञान समुत्त और अगुन्त¹⁶ और साथ ही विनय प्रिटक¹⁷ सामान्यतया मोर्यपूर्व काल के माने जा सकते हैं। जातकों का बालनिर्धारण अधिक टेढ़ा काम है,¹⁸ क्योंकि इनकी गाथाएँ, जो र्घ्म से सबृद्धित हैं, सर्वाधिक प्राचीन काल की हैं। किंतु अतीत की कथाएँ भी, जो टिप्पणी के रूप में गय में निहित हैं, भौर्यपूर्व काल की कहीं जा सकती हैं। वर्तमान कथाओं में कहीं-कहीं भौर्यकालीन पीरीस्थितियों का चित्रण मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि वे बाद में जोड़ी गई हैं।¹⁹ यद्यपि अतीत की कथाओं के घटनास्थल भारत के पश्चिमी या मध्यवर्ती भाग के हैं फिर भी वर्तमान की अधिकाश कथाओं का घटनास्थल साकथी या राजगृह है।²⁰ इसके अतिरिक्त, जातक के तृतीय, चतुर्थ और पचम खण्ड सामायतया ऐसे खण्ड समझे जा सकते हैं जिनके वर्तमान रूप प्रथम और द्वितीय खण्डों की अधिकाश साधारण कथाओं के बाद के हैं।²¹

हाल में यह सुझाव दिया गया है कि 'जातक' समाज के ऐसे चरण के प्रतीक हैं जो सभवतया सातवाहन काल में व्यापार के अनुकूल था।²² किंतु छोंदी और ताबे की आहत मुद्राएँ तथा नार्थ बौद्ध पालिशड वैयर (उत्तरोत्तीय परिष्कृत कृष्ण पात्र) के मुग (लगभग छ सो दो सो ई पू.) की बहुत सारी लोह वस्तुएँ जो मिली हैं, उनसे स्पष्ट है कि नगर जीवन का भारभ²³ और व्यापार एवं वाणिज्य का विकास निश्चित रूप से बुद्धकालीन मुग में हो चुका था।²⁴ इनके अलावा यदि उद्योग और वाणिज्य विषयक कौटिल्य के नियम विविधम भौर्य काल के बारे में सब हैं तो उनसे यह धारणा बन सकती है कि उनसे पूर्वजात में ऐसे आर्थिक कार्यकलाप कुछ प्रगति कर चुके थे। फिर जातकों में दक्षिण भारत के व्यापार और वाणिज्य का उल्लेख विलेह ही है यद्यपि सातवाहनों के द्युम में उसके साथ रोमनों का सक्रिय सापकं था। जातकों में उन बहुतेरे सघों और व्यवसायों का भी उल्लेख नहीं है जो हमें सातवाहन काल में मिलते हैं।²⁵ चूंकि बुद्ध की जन्मकथाएँ ई पू दूसरी शताब्दी में ही सौंची और भारतू के चित्रों और मूर्तियों में दिखाई गई हैं, इसलिए उन्हें खासकर ऐसे देश में जहाँ प्राचीन धार्मिक परपराएँ मध्यकाल तक कला का आधार बनी रहीं कम से कम दो शताब्दी पहले का मानना चाहिए। इस प्रकार यद्यपि जातक गाथाओं और अतीतकालीन कथाओं से पता चलता है कि भौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले दो तीन शताब्दियों में विवरित कैसी थीं फिर भी अध्ययन की दृष्टि से जातकों के वे भाग जिनमें चढ़ालों का वर्णन किया गया है, बाद में जोड़े गए माने जा सकते हैं क्योंकि इन उपेक्षित लोगों के प्रति जातक में जो निर्भेश हैं उनकी पुष्टि भौर्यकाल से पूर्व के ब्राह्मण ग्रन्थों

से नहीं होती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि मनु ने वर्णसकर अर्थात् निश्चित जातियों की जो सूची दी है, उस प्रकार की सूची जातकों में नहीं मिलती है।

जैन ग्रंथों की कालावधि अधिक अनिश्चित है, क्योंकि उनका सपादन और अध्ययन उस रूप में नहीं हो पाया है जिस रूप में बौद्ध ग्रंथों का हुआ है। कहा जाता है कि जैन धर्मग्रंथों का सकलन सर्वप्रथम ई पू धौथी शताब्दी के अत या तीसरी शताब्दी के आरम्भ में किसी समय हुआ था।²⁶ किंतु इन ग्रंथों में चूंकि महावीर का जीवन वृत्तात है, इसलिए इनका उपयोग धौर्यकाल के पूर्व की स्थिति के लिए किया जा सकता है, जिससे वे काल की दृष्टि से बहुत दूर नहीं हैं।

इन साहित्यिक रचनाओं वी प्राभाषिकता पर अनेक प्रकार के मत व्यक्त किए गए हैं और ऐतिहासिक रचनाओं या पुरातात्त्विक अभिलेखों के अभाव में इन मतों की व्याख्या करना कठिन है। बौद्धग्रंथों के समर्थन की दृष्टि से ब्राह्मणग्रंथों की अवहेलना की भी मनोवृत्ति देखने में आई है।²⁷ कहा जाता है कि धर्मशास्त्रों में वर्णों को नियत ढाँचों में समाविष्ट करने का प्रयास सर्वथा कृत्रिम और आनुप्राणिक है।²⁸ इस मत के विरोध में तर्क दिया गया है कि अनेक धर्मसूत्रों में समान रूप से कही गई बातों का कुछ तथ्यात्मक आधार अवश्य होगा।²⁹ कहा जाता है कि ऐसा आरोप मध्यकालीन यूरोप के स्थिवारी लेखकों पर लगाया जाता था जिसका खड़न आधुनिक विद्वानों ने किया है।³⁰ किंतु ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणेतर ग्रंथों पर ही सर्वथा निर्भर करना उचित नहीं होगा। मौर्यकाल के पूर्व की सामाजिक स्थिति के यथार्थ विवरण के लिए सभी प्रकार के ग्रंथों के समन्वित अध्ययन को ही आधार बनाया जा सकता है।³¹ दुर्भाग्यवश ऐसा यथार्थ विवरण न तो 'कैविज द्विती औंक इडिया, खड ।³² और न दि एज औंक इपौरियल यूनिटी में ही उपलब्ध है। दूसरी पुस्तक में ई पू छ सौ से लेकर सन तीन सौ ई तक की कालावधि के साहित्यिक ग्रंथों में उपलब्ध सामग्री को एक जगह जुटाकर रखने का प्रयास तो किया गया है किंतु धर्मसूत्रों और गृह्णसूत्रों की बिल्कुल उपेक्षा कर दी गई है।³³

इन सभी स्रोतों द्वारा अनुप्राणित तथ्यों को ग्रहण करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। जहाँ इन ग्रंथों में मत साम्य नहीं है, वहाँ बोद्ध और जैन ग्रंथों में प्रस्तुत सामग्री को धर्मसूत्रों में नियमबद्ध बातों की अपेक्षा सामाजिक अवस्थाओं का विशेष परिवायक माना जाना चाहिए। किंतु इनमें से किसी भी रचना में शूद्रों और समाज के अन्य अशक्त वर्गों के विद्यारों का वर्णन नहीं किया गया है। धर्मसूत्रों में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर जोर दिया गया है तो बोद्ध और जैन ग्रंथों में शत्रियों के आधिपत्य की ओर झुकाव है। केवल छिटपुट छग से कहीं वही निम्न वर्गों के लोगों के प्रति थोड़ी बहुत सहानुभूति दिखलाई गई है। इनके अलावा धर्मसूत्रों से सामान्यतया उत्तर भारत की ही जानकारी मिलती है और बौद्ध तथा

जैन ग्रथ उत्तरपूर्वीय भारत की स्थिति पर प्रकाश ढालते हैं।

शूद्रों के बारे में कुछ प्रत्यक्ष जानकारी धर्मसूत्रों से, घोड़ी बहुत प्राचीन पालि ग्रन्थों से और उससे भी कम जैन ग्रन्थों से मिलती है। प्राय इतनी अल्प जानकारी के ही कारण फिक्ने ने तर्क दिया है कि केवल सैद्धांतिक विवादों को छोड़कर प्राचीन पालि ग्रन्थों में कोई भी ऐसी बात नहीं है, जिससे सिद्ध होता हो कि शूद्र चतुर्थ वर्ण के रूप में वस्तुत विद्यमान थे।³⁴ ओल्डनबर्ग ने ठीक ही इस विद्यार को सही नहीं माना है।³⁵ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनसे पता चलेगा कि किसी भी व्यक्ति को लोग उसकी जाति से जानते थे और जाति के आधार पर ही उसकी हैसियत स्थिर होती थी। जैसे, एक धनुर्धर की पहचान के लिए पूछा जाता था कि वह शक्ति है या ब्राह्मण, वैश्य अथवा शूद्र।³⁶ बुद्धदेव ने अपने धर्मोपदेश के एक सामान्य उदाहरण में कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति को यह जानकारी होनी चाहिए कि उसकी प्रियतमा शक्ति ब्राह्मण वैश्य या शूद्र वर्ग में से किस वर्ग की है।³⁷ टी डब्ल्यू रीज डेविड्स भी जो प्राय ब्राह्मणों के साक्ष्य को बिल्कुल अस्वीकृत कर देते हैं बताते हैं कि बौद्ध ग्रन्थों में वर्णित चार वर्णों की व्यवस्था सामाजिक तथ्य के अनुकूल है।³⁸ इन बातों से स्पष्ट है कि बौद्धग्रन्थों में शूद्रों को समाज का एक वर्ग माना गया है, यद्यपि इन ग्रन्थों में उनके स्थान और कृत्यों को उतना स्पष्ट नहीं किया गया है जितना ब्राह्मण (कर्मकाड) विधियों में। शूद्र सेवक वर्ण के थे, यह बात उत्तर वैदिककालीन ग्रन्थों से खनित होती है। किंतु इस युग में धर्मसूत्रों ने साफ तौर पर जोर देकर कहा कि शूद्र को तीन उच्च वर्णों की सेवा करके अपने आश्रितों का भरण पोषण करना है।³⁹ शूद्र को स्वतंत्र रूप से अपनी गृहस्थी चलानी पड़ती थी जिसके लिए उसे नाना प्रकार के व्यवसाय करने पड़ते थे। गौतम कहते हैं कि शूद्र यात्रिक शिल्पों का सहारा लेकर अपनी गुजर बसर करता था।⁴⁰ मातृम होता है कि शूद्र समुदाय के कुछ लोग बुनकर के रूप में कार्य करते थे तो कुछ लकड़ीरे लोहार चर्मकार कुम्भकार रगोर आदि थे। यद्यपि इन शिल्पों का उत्तेज प्राचीन पालि ग्रन्थों में हुआ है⁴¹ किर भी इन्हें अपनानेवाले वर्ण कौन कौन से थे इसका कोई संकेत नहीं किया गया है। गहपति⁴² सामान्यतया ब्राह्मणकालीन समाज के वैश्य से मिलता जुलता है और उसके बारे में एक जगह कहा गया है कि वह कला और शिल्प का व्यवसाय करके जीवननिर्वाह करता था।⁴³ यदि साधनसपन्न व्यक्ति गहपति हो सकता था तो सभद है कि दुर्द लोहार, जिसने गौतम बुद्ध तथा उनके अनुयायियों को शानदार भोजन कराया था⁴⁴ और सपत्र कुम्भकार सहलपुत्र जो पाँच सौ कुम्भकारी की दूकानों का भालिक था और जिनमें अनेकानेक कुम्भकार कार्य करते थे,⁴⁵ जैसे कुछ धनवान गिर्ल्सी गहपति थे। यह बात एक हजार लोहारों के गाँव के उस प्रधान के बारे में भी सत्य हो सकती है जिसने बैद्धिसत्त से अपनी कन्या का विवाह रचाया।⁴⁶ यद्यपि गहपति शब्द

का प्रयोग अब इस प्रकार के शिल्पियों के लिए किया जाता है, यह सम्भव है कि अपनी सपत्ति के बारें ही उनमें से कुछ लोग ऊँची जगह पा सके ।

हम यहाँ शिल्पी और शिल्पियों के इतिहास की गवेषणा नहीं कर सकते, वह अत्यंश शोध का विषय है । फिर भी यहाँ कुछ मूल बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है । शूद्र वर्ण के शिल्पी मोर्यपूर्व काल की कृषि अर्थव्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण अग थे । यातुरिशिल्पी न केवल बढ़ई और लोहारों के लिए कुलाड़ी, हथौड़ा, आरा और छेनी बनाते थे,⁴⁷ बल्कि खेती के लिए हल, कुलात और इसी प्रकार के अन्य औजार भी तैयार करते थे⁴⁸ जिससे किसान शहर के निवासियों के लिए अतिरिक्त खाद्यात्र उपजाने में भार्य हो सके । खुदाइयों से पता चलता है कि बौद्धकालीन किसान पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में लोहे के हथियारों का प्रयोग पहले पहल बड़े पैमाने पर करने लगे । पाति ग्राहों में लोहे के बने फाल की छर्चा है जिससे खेती होती थी । दक्षिण बिहार में लोहे की सबसे बड़ी खारें हैं जिसके कारण लोहे के काम में शिल्पियों की बहुत जरूरत थी । नगर जीवन⁴⁹ और उत्तरिशिल्प व्यापार एवं वाणिज्य जो उत्तरपूर्व भारत में पहली बार इस युग में दिखाई पड़ते हैं, शिल्पियों द्वारा प्रबुर वस्तु उत्पादन के द्वारा सम्भव नहीं हो पाते । मुख्य नगरों में शिल्पियों का सघ होता था और उनके प्रधान का राजा से विशेष सभ्य रहता था⁵⁰ कुछ शिल्पी तो राजा के घरेलू कामों में लगे रहते थे और इस तरह उन्हें राजा का सरकार प्राप्त था । पाणिनि व्याकरण की टीका के अनुसार इन्हें राजशिल्पी कहा जाता था इनमें राज नापित और राज कुलात (कुभकार) का उल्लेख विशेष रूप से हुआ है ।⁵¹ इसकी पुष्टि बाद की एक जातक कथा से भी होती है जिसमें राज कुभकार और राज मालाकार की छर्चा आई है⁵² सेट्रिघों और गठपतियों से भी कुछ शिल्पी जुड़े हुए थे । हमें पता चलता है कि एक सेट्री का अपना दर्जा (तुक्राकार) था जो उसके सरकार में रहता था और उसके घर का काम करता था⁵³ गठपति के बुनकरों का भी उल्लेख हुआ है जो उसके लिए कपड़े बुनते थे ।⁵⁴ किंतु अधिकाश शिल्पी प्राय ऐसे मालिकों से सबद्ध नहीं थे स्वतत्र शिल्पियों के दृष्टात के स्वप्न में बढ़इयों⁵⁵ और लोहारों⁵⁶ के गाँवों और नगरों में रहनेवाले शिल्पियों⁵⁷ का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है । सम्भवतया राजा शिल्पियों के प्रमुख को प्रश्रय देकर उनके माध्यम से शिल्पी ग्रामों पर अपना थोड़ा बहुत नियन्त्रण रखता था । जैसे हजार लोहारों के ग्राम का जेत्यक (प्रभान) राजा का प्रिय पात्र कहा गया है ।⁵⁸ गाँवों में बिखरे हुए शिल्पी परिवार जो कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे इस तरह के नियन्त्रण में नहीं थे । पाणिनि ने उन्हें ग्रामशिल्पियन् बताया है⁵⁹ पाणिनि के अनुसार बढ़ई दो प्रकार के होते थे, ग्रामतक्ष जो गाँव में अपने ग्रामक के घर जाकर रोजाना मजूरी लेकर काम बरतते थे और कौटतक्ष जो अपने घर पर ही रहकर काम करते थे⁶⁰ वह स्वतत्र शिल्पी था जो किसी

का काम स्वीकार करके उसके हाथ बैंधता नहीं था ।⁶¹ एक जातक गाथा में किसी भ्रमणशील लोहार का प्रसाग आया है जो कहीं भी कुलार जाने पर अपनी भाथी साथ लेकर चलता था ।⁶² शिल्पियों के अपने औजार होते थे और कुछ मामलों में तो उन्हें निर्माण सामग्री प्राप्त करने की स्वतंत्रता थी । हमें ऐसे ब्राह्मण बढ़ई का पता चलता है जो जगत से लकड़ी लाता था और गाड़ियाँ बनाकर अपना जीविकोपार्जन करता था ।⁶³ कुभकार के साथ भी यही बात रखी होगी, जिसे खिट्ठी और जलादन मुफ्त मिल जाते थे । दुनकरों और धातुकर्म करनेवालों के साथ यह स्थिति नहीं थी । लेकिन ये शिल्पी जिन लोगों की सेवा करते थे वे उनके मालिक नहीं होते थे, जैसी स्थिति ग्रीस और रोम में थी । वहीं दासों से शिल्पी का काम लिया जाता था⁶⁴ जो अपने मालिक की सेवा करते थे । सामान्य रूप में शिल्पियों पर राज्य का नियन्त्रण उन पर बेगार लगाने तक ही सीमित था । कर देने के बदले उन्हें भर्हीने में एक दिन राजा का काम करना पड़ता था ।⁶⁵ अन्यथा धर्मशास्त्रों से मालूम होता है कि जो शूद्र शिल्पियों और कारीगरों का काम करते थे, वे स्वतंत्र व्यक्ति थे । उनके लिए ये व्यवसाय तब विहित थे, जब वे सेवा करके अपना जीवनयापन नहीं कर पाते थे ।⁶⁶

लेकिन शूद्र समुदाय का अधिकाश सम्भवतया कृषि कार्यों में ही लगा रहता था । धर्मसूत्रों के अनुसार कृषि वैश्यों का विषय था⁶⁷ जो स्वतंत्र किसान थे और उपज का एक हिस्सा राज्य को कर के रूप में चुकाते थे ।⁶⁸ किंतु इस तथ्य से कि शूद्रों को जमीन की मालगुणार्थी नहीं चुकानी पड़ती थी पता चलता है कि वे भूमिहीन मजदूर थे । आपस्तव में कहा गया है कि शूद्र चरण पवारकर अपना गुजर बसर करते थे अत उन्हें करों से मुक्त कर दिया गया था⁶⁹ इससे आभास होता है कि जो शूद्र दास नहीं थे, उन्हें कर छुकाया पड़ता था । पर इस विधिग्राध की एक पुरानी पाइलिपि में पादावोक्ता शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है⁷⁰ अत अनुमान किया जाता है कि शूद्रों को कर से मुक्त बताने का औचित्य सिद्ध करने के अभिप्राय से उक्त शब्द बाद में सत्रिविष्ट कर दिया गया है । सामान्यतया शूद्रों के पास कोई कर योग्य भूसंपत्ति नहीं थी, इसलिए अधिकाश लोगों की दूसरों की जमीन में काम करना पड़ता था । मण्डिर निर्माण के एक परिच्छेद में चारों वर्णों के उपार्जन का वर्णकरण प्रस्तुत किया गया है जिससे यह विषय सुस्पष्ट हो जाता है । इससे हमें पता चलता है कि ब्राह्मण अपना जीवनयापन भिजा से सत्रिप तीर-यनुप के प्रयोग से, वैश्य यती गृहस्थी और पशुपालन से तथा शूद्र हैंसिया से फसल काटकर और उसे अपने कधों पर धहेंगा से ढोकर करता था ।⁷¹

प्रादीन पालि ग्रन्थों के अन्य प्रसागों में देत पर काम करनेवालों के रूप में शूद्रों की तो नहीं लेकिन दासों और कम्भकरों (भाड़े के मजदूर) की चर्चा है । इसमें सौहें की मुजाइशा

नहीं कि शूभिहीन शूद्र कम्पकर के रूप में काम करते थे। ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि अधिकाश दास शूद्र वर्ण के थे। यह शिक्षण 'सुदूर वा सुद दासो वा वाक्यघट से निःसाचा जा सकता है, जिसका प्रयोग बुद्धेव ने प्रथम तीन वर्णों की गणना कराने के बाद शूद्र भी रिथिति स्पष्ट करते की दृष्टि से किया था।⁷² 'सुद दासो वा का अनुवाद 'किसी व्यक्ति का गुलाम करना गलत होगा।'⁷³ यह महत्वपूर्ण वाक्यघट समानाधिकरण का स्पष्ट उदाहरण है और इसका तात्पर्य है शूद्र जो गुलाम हो। शरिय ब्राह्मण और सेतुटी को छोड़कर, गिर्वं अन्यत्र गुलामों का मालिक बताया गया है, यहाँ शूद्रों को गुलामों वा मालिक कैसे बताया गया, इसकी कोई व्याख्या नहीं। अतएव ओल्डेनवर्ग ने टीक ही यह शिक्षण निःसाचा है कि प्रसागाधीन विवरण शूद्र और दास में कोई अतर नहीं रखता है।⁷⁴ यह महत्वपूर्ण है कि शूद्रों को दास के साथ भित्ताने का प्रयास सबसे पहले प्राचीन पालि ग्रन्थ में किया गया था। कि धर्मशूद्रों में जिनसे यह शिक्षण परोग रूप में ही निःसाचा जा सकता है। कहीं भी योत्तर काल में जाकर मुनि और उदाहरण शब्दों में इस रिथिति का उल्लेख किया है।

दासता केवल शूद्र वर्ण के सास्यों तक ही सीमित नहीं थी। यहाँ तक कि ग्रामघेजक (ग्राम मुधिया)⁷⁵, भूतीण⁷⁶, ब्राह्मण, शरिय और उच्चकुल में उत्पन्न लोग भी इस रिथिति में पहुँच जाते थे।⁷⁷ किसी भी हालत में ऐसे लोगों की सज्जा अधिक नहीं रही होगी। अधिकाश दास बजदूर शूद्र वर्ण के होते थे।⁷⁸ क्रम फ्रम अपनी स्वयं की इच्छा और भय से उत्पन्न दासता⁷⁹ की उम्मीद उच्च वर्णों की अपेक्षा निम्न वर्णों से ही अधिक की जा सकती है। उदाहरणार्थ एक गाड़ीवारा वी कन्दा इसिदासी अपने पिता ढारा कर्ज न चुकाए जाने के कारण एक व्यापारी ढारा दासी के रूप में घर लाई गई थी।⁸⁰ किंतु जातकों में कहीं यह उल्लेख नहीं है कि दास मुन्द्र में बदी बनाए गए, जिससे पता चलता है कि इस अवधि में दासों की सज्जा कम थी।⁸¹

कुछ दासों यासकर महिलाओं, वो घरेलू कावों में नियोजित किया जाता था⁸² और अन्य लोग वृत्ति काय में लगाए जाते थे। दास और भाडे के बजदूर येतों के छोटे छोट टुकड़ों में भी काम करते थे⁸³ किंतु प्राय उन्हें बडे बडे भूखड़ों में काम करना पड़ता था। उत्तर वैदिक युग में लोगों के पास उतनी ही जमीन थी जितनी वे अपने घर के सदस्यों की मेहनत से संभाल सकते थे। पर अब गगा के नियते मैनानों में लोहे के फाल के उपयोग के कारण बड़े बड़े खेत कायम हुए। एक एक घर के पास इतनी अधिक जमीन आ गई जिसे वह अपनी मेहनत से नहीं जोत सकता था। इसलिए पहले पहल बुद्धकालीन युग में सम्पत्र घरों को देती चलाने के लिए दासों और रूम्परों की आवश्यकता पड़ी। प्राचीन पालि ग्रन्थों में वर्ष से कम ऐसे दो उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि मगध में दो

बड़े बड़े प्रक्षेत्र (फार्म) थे, जिनमें से हर एक का शेत्रफल एक हजार करीता (चिल्डर्स के अनुसार 8 000 एकड़ के करीब) था ।⁸⁴ एक अन्य कृषिक्षेत्र कासी में था, जिसकी जुताई पाँच सौ हलों से होती थी ।⁸⁵ इन सबके मालिक ब्राह्मण थे । एक ऐसा प्रसाग भी आया है, जिसमें एक ग्राम व्यापारी ने शहर के एक सौदागर के पास पाँच सौ हल जमा किए जिससे प्रकट होता है कि या तो उसके पास बहुत बड़ी भूसपदा थी या वह फाल खरीदकर गाँवों में बेचा करता था ।⁸⁶ हो सकता है कि पाँच सौ या हजार रुढ़ सर्वाएँ हो, किंतु इनसे चकवदी की प्रवृत्ति का पता तो चलता ही है । यह प्रवृत्ति तब अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई, जब मौर्यकाल में कृषि को राज्य के नियन्त्रण में ले लिया गया । स्पष्ट है कि बड़े बड़े प्रक्षेत्रों का काम पर्याप्त सर्वा में दासों और कम्पकरों के बिना नहीं चल सकता था ।

नियोजकों (मालिक) की तुलना में दासों और खेत मजदूरों की सख्ता कितनी थी, इसका अदाज लगाना मुश्किल है । ऐटिका के मामले में भी जहाँ ऑकड़े भौजूद हैं, स्वतंत्र व्यक्ति और दास की आवाजी के अनुपात के सबध में मतैक्य होना कठिन है ।⁸⁷ भारत में ऑकड़ों के अभाव के कारण इस सबध में कोई निश्चित जानकारी पा सकना और भी कठिन है । बाट के एक सुन्त में कहा गया है कि वैसे लोग बहुत कम हैं जो दास या दासियों को ग्रहण नहीं करना चाहते ।⁸⁸ ब्राह्मण⁸⁹ क्षत्रिय⁹⁰ और सेत्रिण तथा गृहपति⁹¹ दासों और मजदूरों को नियोजित करते थे इससे यह ब्राह्मणीय सिद्धात परिलक्षित होता है कि शूद्र तीन उच्च वर्णों की सेवा के लिए थे । धर्मसूत्रों के अनुसार ब्राह्मण एक दास को बदलकर दूसरा दास रख सकता था, किंतु उसे बेव नहीं सकता था ।⁹² इन बातों से पता चलता है कि दासता बड़े पैमाने पर प्रवतित थी, किंतु किसी भी हालत में इसकी तुलना ऐटिका की स्थिति से नहीं की जा सकती है जहाँ ई पू पाँचवीं शताब्दी में दासों की सख्ता कुल आवादी की एक तिलाई थी ।⁹³

धर्मसूत्रों से शूद्र वर्ण के रहन-सहन की स्थिति पर कुछ प्रकाश पड़ता है । गौतम ने कहा है कि शूद्र नौकर को चाहिए कि वह उच्च वर्ण के लोगों द्वारा उतार के गए जूते छाते, वस्त्र और घटाई का इस्तेमाल करे ।⁹⁴ जातक कथा से भी यही स्थिति प्रकट होती है । इस कथा में बताया गया है कि चूहे द्वारा काटकर विधड़े बनाए गए वस्त्र दासों और कम्पकरों के लिए होते थे ।⁹⁵ गौतम ने तो यहाँ तक बताया है कि भोजन का उच्छिष्ट (जूठन) शूद्र नौकरों के लिए रखा जाता था ।⁹⁶ आपलब धर्मसूत्र में छात्रों को यह उपर्योग दिया गया है कि उनकी धाती में जो उच्छिष्ट रह जाए उसे या तो फिसी अर्दीकित आर्य के निकट अथवा अपने गुरु के शूद्र नौकर के निकट रख दे ।⁹⁷ इसका स्पष्ट अर्थ हुआ कि शूद्र नौकर को जूठन खाना पड़ता था । हिरण्यसेनित्र गृहस्त्र से भी यह बात

पर निर्धारित किया जाता था। कम्मकरों की तुलना में दास अपने मालिक की सपत्ति समझा जाता था¹²¹ और उसे पैतृक' सपत्ति मानकर उसका बैटवारा भी किया जा सकता था।¹²² दासों की स्थिति सर्वथा गुलाम जैसी थी, यह उनके विभेदक विस्तर से प्रकट होता है। उनके सिर के बाल मुँडे रहते थे और उसमें एक चोटी रहती थी।¹²³ एक स्थान पर तो दासों के साथ कम्मकरों को भी सेट्रिंग की सपत्ति माना गया है।¹²⁴ इससे पता चलता है कि भाड़े के मजदूरों को भी दास बनाने की प्रवृत्ति थी। एक जातक कथा में बताया गया है कि दास अपने मालिक के ही घर में रह जाते थे, किंतु कम्मकर सध्या होने पर अपने अपने निवासस्थान को छते जाते थे।¹²⁵ स्पष्ट है कि भाड़े के मजदूर का जीवन कभी कभी दास से अधिक कठिन हो जाता था।¹²⁶ उसकी जीविका उतनी सुरक्षित नहीं समझी जाती थी, जितनी दासों या स्थाई घरेलू नौकरों की थी। गौतम ने नियम बनाया है कि यदि शूद्र काम करने में असम हो जाए, तो वह जिस आर्य के सरक्षण में रहा हो, उसे चाहिए कि उस शूद्र का भरण पोषण करे।¹²⁷ किंतु इस सिद्धात के अनुसुप्त व्यवहार नहीं किया जाता था, क्योंकि एक गाथा में बताया गया है कि लोग असर्वथ (जीर्णावस्था प्राप्त) नौकरों को हथिनी की तरह निष्कासित कर देते थे।¹²⁸

कम्मकर और भटक (मजदूर) में कुछ अतर दिखाई पड़ता है।¹²⁹ विनय पिटक में कम्मकर को भटक कहा गया है, जो आहतक है। पालि इगलिश डिक्शनरी के निर्माताओं ने 'आहतक' शब्द का अर्थ 'पिटा हुआ' किया है। इसका आशय यह हुआ कि कम्मकर ऐसा कार्यकर्ता है, जिसे पीटा जा सकता है। यह अर्थ आश्वर्यजनक संगता है और दास के बारे में भी इस तरह का उल्लेख नहीं हुआ है। प्राय 'आहतक' शब्द को सत्सृष्ट शब्द आहत का समानार्थी नहीं माना गया है।¹³⁰ बल्कि उसे 'आहत' शब्द से मिलाया गया है जिसका अर्थ होता है लिया हुआ, अधिकरण किया हुआ या लाया हुआ।¹³¹ इससे स्पेक्ट मिलता है कि कम्मकर अपने मालिक से विशेष रूप में सबद्ध रहते थे। मालिक के कच्चे में आने का कारण प्राय यह होता था कि वे या तो उसका कर्ज अदा नहीं कर पाते थे या उसकी जमीन पर चर्चे होते थे। उनकी स्थिति अर्द्धदास जैसी थी जिसे कभी कभी सपत्ति भी समझ लिया जाता था। इस प्रकार ऐसे विवार के समर्थन में शायद ही कोई प्रमाण मिलता है कि मौर्यपूर्व काल में कम्मकर स्वतंत्र मजदूर थे जो अपने काम और मजदूरी के बारे में सविद्या करते थे और विवाद उठ जाने पर उनकी मजूरी विशेषज्ञों द्वारा तय की जाती थी।¹³² इस विवार से भूतक की स्थिति अधिक स्पष्ट होती है जिसके साथ उसका मालिक गुलाम जैसा दर्तव नहीं करता था। भूतक की जीविका मजूरी, अर्थात् भूति पर चलती थी, जिसका उल्लेख पाणिनि ने सेवा की - दूसा कैवल मजूरी के अर्थ में किया है।¹³³ मातृप होता है कि भूतक को एक खास अवधि के लिए मजूरी पर रखा जाता था।¹³⁴ एक प्राचीन जैन ग्रन्थ के

अनुसार भूतक धार प्रकार के होते थे (1) निवासभयग, जो ईरीक मजूरी पर काम करते थे (2) जात्तभयग जो याना भर के लिए रखे जाते थे, (3) उच्चतभयग जो निर्णीत समय पर काम पूरा करने के टेके पर नियोजित किए जाते थे, (4) कवालभयग (धथा, झूमि यादनेवाले) जिन्हें किए गए काम के अनुशास में मुकाबल किया जाता था ।¹³⁵ टेके के मजदूर के रूप में कुछ शिलिंगों को भूतक नियुक्त किया गया होगा । बाद की एक जातक कथा में अनुबयित दास (अन्तनो पुरिस) जिससे अपने मालिक के पान के खेत की रखवाली करने को कहा जाता था और भूतक जिससे उसी काम के लिए देतन मिलता था और जो फसल का नुकसान होने पर मुआवजा (प्रतिकर) दुकाने का भागी होता था —के बीच विभेद किया गया है ।¹³⁶ एक गाथा में बताया गया है कि पुरिस को हमेशा वैसे व्यक्ति के हित का काम करना चाहिए, जिसके घर में उसे भोजन मिलता है ।¹³⁷ दासकम्परपोरिस' वाक्य खड़ से बोध होता है कि अनुबयित दास या तो भाड़े के मजदूर के रूप में कार्य करते थे या गुताम के रूप में और इन गिभिन्न प्रकार के मजदूरों में बहुत अतार नहीं था ।¹³⁸

मालिक और मजदूरों के पारस्परिक सबव्यस्था स्थिर करनेवाले नियमों से हमें शूद्रों की आर्थिक स्थिति का कुछ आकास मिल सकता है । शूद्रों के पहले वी अर्थव्यवस्था मूलतया कृषिप्रधान और पशुवारी थी । जमीन और पशुओं के असमान बैटवारे के कारण कुछ लोगों के पास जोत वी जमीन अधिक थी, और इसके लिए उन्हें मजदूरों की जलत थी । इस प्रकार बड़े गहरातियों के पास पशु भी बहुत अधिक थे, जिनके लिए उन्हें चरवाहे की जलत थी । ऐसी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पहले पहल मालिक और उसके कृषि मजदूर तथा चरवाहों के सबव्यस्था के विषय में कानून बने । आज्ञातद में कहा गया है कि यदि घेतिहर मजदूर काम छोड़ दे तो उसे शारीरिक दड दिया जाना चाहिए ।¹³⁹ इसी प्रकार के दड का विधान उस चरवाहे के लिए भी किया गया है, जो पशुओं को पालना छोड़ दे ।¹⁴⁰ इस विधान में यह व्यवस्था है कि ऐसी स्थिति आने पर भवेही किसी दूसरे चरवाहे मो दे दिए जाएं ।¹⁴¹ यदि चरवाहे वी लापरवाही से भवेशी को नुकसान पहुंचे तो इसके लिए वह जिम्मेदार ठहराया जाएगा ।¹⁴² गीतम ने इन प्रावधानों का कोई उल्लेख नहीं किया है किंतु उनके नियमानुसार यहि किसी व्यक्ति के पशु से किसी को नुकसान पहुंचे तो यथास्थिति उसका चरवाहा अथवा स्वय मालिक जवाबदेह होगा ।¹⁴³ इनमें से किसी भी नियम बनानेवाले ने चरवाहे या कृषि मजदूरों के प्रति मालिक के दायित्व की चर्चा नहीं की है । इस प्रनाल ये मजदूर अपने मालिकों की अपेक्षा अलाभकर स्थिति में थे ।

र्धमूल्यों द्वारा शूद्रों पर जो आर्थिक अशक्तताएँ लादी गई हैं, वे शूद्रों की आर्थिक स्थिति पर और भी अधिक प्रकाश डालती हैं । राजा ने महीने में एक दिन की अनिवार्य सेवा

प्रदान करने का जो भार शिल्पियों पर सीप रखा था उसकी भी चर्चा आई है। गौतम का कथन है कि कन्या के विवाह का खर्च वहन करने के लिए और शास्त्रविधित किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए कोई व्यक्ति शूद्र से छल या बल का प्रयोग करके उपया ले सकता है।¹⁴⁴ वैश्य क्षत्रिय और प्राय ब्राह्मण वर्ण के जो लोग, अपने अपने वर्ण, शर्म और आचार से छुत हों उनके साथ भी सामाजिक हैसियत के क्रम से, इस तरह का व्यवहार किया जा सकता था। किंतु यह तभी किया जा सकता था जब शूद्र उपलब्ध नहीं हों।¹⁴⁵ यह नियम, जिसके अधीन उच्च वर्ण के लोगों को शूद्र वर्ण से धन ऐठने की अनुमति दी गई है किसी अन्य धर्मसूत्र में नहीं मिलता। हाँ मुनुसूति में इसके समानातर व्यवस्था दिखाई पड़ती है।¹⁴⁶ हो सकता है कि इस तथ्य का समावेश बाद में किया गया हो जिससे ब्राह्मण मतावलियों की इस धारणा का आभास मिलता है कि शूद्र का भरपूर शोषण किया जाना चाहिए।

उत्तराधिकार विधि में शूद्र पत्नी से उत्पत्र पुत्र के हिस्से के बारे में विभेदपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। बौधायन के अनुसार दिभिन्न वर्णों की पत्नियों से सतान रहने पर चार हिस्से ब्राह्मण को तीन क्षत्रिय को दो वैश्य को और एक शूद्र के बेटे को मिलेगा।¹⁴⁷ वसिष्ठ ने तो ऐसी स्थिति रहने पर मात्र तीन उच्चवर्णों के पुत्रों को हिस्सा देने की व्यवस्था की है और शूद्र पुत्र को छोड़ दिया है।¹⁴⁸ उन्होंने दूसरों के मत का उद्धरण दिया है, जिसमें बताया गया है कि शूद्र पुत्र परिवार का सदस्य माना जा सकता है, किंतु उत्तराधिकारी नहीं।¹⁴⁹ यह ऐसा नियम है जिसे बौधायन ने¹⁵⁰ ऐसे निषाद तक ही सीमित रखा है जिसका पिता ब्राह्मण और माता शूद्र हो।¹⁵¹ गौतम ने ब्राह्मण के शूद्रपुत्र को उत्तराधिकार से बंदित करने का समर्थन बड़े ही स्पष्ट और जोरदार शब्दों में किया है। उनका मत है कि यदि कोई ब्राह्मण निस्सत्ता भर जाए, और उसे शूद्र पत्नी से उत्पत्र पुत्र हो तो वह कितना भी आवाकारी कर्यों न हो अपने मृत पिता की सपत्नि में से मात्र खोरिस योग्य राशि ही पाएगा।¹⁵² इससे प्रकट होता है कि धर्मसूत्र के लेखकों में से केवल बौधायन ने ब्राह्मण के शूद्र बेटे के निए हिस्से का प्रबन्ध किया है वसिष्ठ और गौतम तो इसके विरोधी ही रहे हैं। सभव है कि बौधायन में उदारता इसलिए रही हो कि उनका सबध दक्षिण भारत से था जहाँ ब्राह्मणदाद की जड़ें बहुत गहराई तरफ नहीं पहुँच पाई थी। इतना ही नहीं ऊपर जिन नियमों की चर्चा आई है उनसे पता चलता है कि वे केवल ब्राह्मण के शूद्रपुत्र के लिए थे। यह स्पष्ट नहीं होता कि उत्तराधिकार के ये नियम क्षत्रिय और वैश्य के शूद्रपुत्र पर भी लागू थे या नहीं यद्यपि सभावना इसी बात थी है कि वेसे ही नियम लागू होंगे। इस तरह का कोई भी समर्थक सास्य नहीं है जिसके आधार पर जाना जा सके कि नियम वस्तुत किस रूप में लागू थे। जो भी हो इन नियमों का प्रभाव बहुत कम शूद्रों पर ही पड़ा क्योंकि उच्च

वर्ण के लोगों के साथ शूद्र महिला के विवाह का प्रचलन बड़े पैमाने पर नहीं था।

मौर्य पूर्व काल में शूद्र की सामान्य अर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने में सेवि वर्ग के रूप में उनकी विशेषता पर खासतौर से ध्यान देना होगा जिसकी चर्चा प्रथमत इस अवधि में स्पष्ट रूप में की गई है। सेवा कार्य के चलते इस वर्ण में सजातीयता का बोध हुआ जो विजातीयता के भाव से प्रभावित थे। सेवि वर्ग के सदस्य के रूप में, वैश्य किसानों के साथ¹⁵³ शूद्र मुख्य उत्पादकों का कार्य करते थे, जिससे समाज के विकास की नींव सुदृढ़ होती थी। कृषि फज्जूरों के रूप में उन्होंने कोशल और मरण के घने जगलवाते क्षेत्रों को कृषियोग्य बनाने में सहायता पहुंचाई। इन क्षेत्रों के बारे में ग्रथों¹⁵⁴ में बताया गया है कि वे छोटे और बड़े टुकड़ों में बैठे थे, जिनमें दास और मजदूर खेती करते थे। आगे चलकर हम पाएंगे कि कौटिल्य ने यह नीति निर्धारित की थी कि नई बसितायों में परती जमीन को आवाद करने के लिए शूद्र मजदूर लगाए जाएं। इनके अतिरिक्त शिल्पियों के रूप में शूद्रों ने शिल्पविनान के विकास में योगदान दिया और बिक्री योग्य बहुत सी सामग्रियाँ बनाई। इनके चलने कई नगर बस गए, जहाँ कागिज्य और व्यापार होते थे।

किंतु उच्च वर्ण के लोग जो शूद्रों के नियोजक थी थे जिस ढग का जीवन व्यतीत करते थे, वैसा जीवन शूद्र नहीं बिता सकते थे। पालि ग्रथों में खतिय ब्राह्मण और गहपति को महासाल¹⁵⁵ कहा गया है जिससे प्रकट होता है कि दास पेस्त कम्पकर, पुरिस और भटक उतने सुधी नहीं थे। सभव है कुछ ऐसी शूद्र शिल्पी उत्पत्तिशील गहपति रहे हों किंतु उस समय की अर्थव्यवस्था वृद्धिप्रधान थी और अधिकाश जमीन ब्राह्मणों क्षत्रियों¹⁵⁶ तथा सेस्ट्रियों¹⁵⁷ के कब्जे में थी। अत अर्थिक शूद्रों को भजूरी पर ही जीवन बिताना पड़ता था और इस भजूरी की दर तय करने में उनका कोई हाथ नहीं रहता था। कहा गया है कि सुधी किसान या हस्तशिल्पी जिनके पास अपनी जमीन थी,¹⁵⁸ काफी बड़ी सज्जा में थे। यह बात वैश्य या गहपति वर्ण के सबवय में भले ही लागू होती हो किंतु शूद्रों पर लागू नहीं होती क्योंकि वे दूसरों के खेतों में काम करके अपना निर्वाह करते थे। उनकी यह स्थिति केवल उनके जन्म के चलते नहीं बल्कि गरीब परिवारों में जन्म लेने के चलते हुई थी। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के दावे को झुठलाने के लिए बीदों के तर्कसंग्रह में इस विषय पर स्पष्ट रूप से प्रकाश ढाला गया है। कहा गया है कि यदि कोई शूद्र घनी बन जाए तो वह अपने सेवक के रूप में न केवल दूसरे शूद्र को बरिक्ष क्षत्रिय, ब्राह्मण या वैश्य को भी नियुक्त कर सकता है।¹⁵⁹ सामान्यतया ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति की हीन सामाजिक अवस्था और उसकी सपन्न आर्थिक हिति के बीच असमानता तभी दूर की जा सकती है। जब समाज में उसे ऊँचा स्थान दिया जाए। बाद में ब्राह्मणों ने इस नीति का अनुसरण किया और वे बाहरी शासकों को शक्ति प्राप्तने लगे। इसलिए सभव है कि जो शूद्र सुधी सपन थे उन्हें

समाज में ऊँचा स्थान दे दिया गया हो।

उत्पादनकर्ता के रूप में शूद्रों की स्थिति तत्कालीन ग्रीक नगरों के दासों और गुलामों की स्थिति से मिलती जुलती है। सिद्धान्तत जिस प्रकार ग्रीक नागरिक अपनी गुलाम जनता से सेवा का दावा कर सकते थे, उसी प्रकार भारतीय द्विज और आर्य भी शूद्रों की श्रमशक्ति का दावा करते थे। समाज में श्रमशोषण की व्यवस्था को कायम् करने के लिए प्राचीन ग्रीस में नागरिकता के आपार पर समाज का गठन किया गया। नागरिकों को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार सौंपे गए और अनागरिकों से, जिनमें दासों की सख्ता अधिक थी ये सारे अधिकार छीन लिए गए। वे केवल अपनी श्रमशक्ति से नागरिकों की सेवा करते थे। इस प्रकार एक तरह से शूद्रों की तुलना यूनान के दासों से बीं जा सकती है। किंतु कई दृष्टियों से शूद्रों की आर्थिक स्थिति भिन्न थी। न तो शूद्र कृषि मजदूर और न शूद्र शिल्पी उस रूप में अपने मालिकों की कृषा पर पूर्णतया निर्भर थे जिस रूप में ग्रीक और रोम के दास अपने मालिकों पर निर्भर रहते थे। शूद्र के पास सपत्ति थी और यह स्थिति ग्रीस के दासों की स्थिति से भिन्न थी।¹⁶⁰ सपत्ति इतनी अधिक नहीं थी कि उस पर कर लगाया जाए फिर भी उस पर कुछ दायित्व तो रहता ही था। कानून के द्वारा उस पर यह दायित्व आरोपित किया गया था कि यदि उसका मालिक जो उच्च वर्ण का होता था, दुर्दिन में पड़ जाए तो वह अपनी बचत से उसका भरण पोषण करे।¹⁶¹ यह भी निर्धारित किया गया था कि वैश्य और शूद्र को घाहिए कि अपनी सपत्ति से मालिक के दुख दूर करे।¹⁶² दासभोग शब्द का प्रयोग बताता है कि दास भी सपत्ति के मालिक होते थे।¹⁶³ हालाँकि सपत्ति रखने के लिए उनके मालिक की सम्मति अपेक्षित रही होगी। प्रायः इन्हीं विभेदों के चलते राजव्यवस्था जो श्रम के मुख्य स्रोत के रूप में शूद्र वर्ग पर ही प्रधानतया निर्भर थी दासता की अपेक्षा उत्पादन का बहुत ही उपयोगी साधन साबित हुई। यद्यपि यह व्यवस्था ग्रीस की आवादी और क्षेत्र की अपेक्षा अधिक विशाल क्षेत्र और जनसंख्या में प्रचलित थी फिर भी यह कभी आवश्यक नहीं मानूम हुआ कि शूद्रों से उन्हीं स्थितियों में काम कराया जाए जिनमें दास या गुलाम काम करते थे।

इस काल में शूद्रों की राजनीतिक और कानूनी स्थिति उनकी आर्थिक स्थिति के प्रतिरूप मानूम होती है। उत्तर वैटिकनालीन राजव्यवस्था में उनका स्थान महत्वपूर्ण था लेकिन अब राजनीतिक संगठन में उनका कोई स्थान नहीं रह गया। आपस्तब के अनुसार राजा गाँवों और शहरों के प्रभारी अधिकारियों के रूप में केवल आर्यों अर्थात् प्रथम तीन वर्णों के सदस्यों की ही नियुक्ति कर सकता था।¹⁶⁴ उके अधीन काम करनेवाले निवाली पक्ति के अधिकारियों के लिए भी उसी प्रकार की योग्यता अपेक्षित थी।¹⁶⁵

आपस्तब में कहा गया है कि राजा का दरबार शुद्र और विश्वासी आर्यों से सुशोभित

रहना चाहिए जो राजा के पार्वद और न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे।¹⁶⁶ इन प्रसंगों में आर्य शब्द का अर्थ माना गया है प्रथम तीन वर्णों का सदस्य, और यह ठीक भी है।¹⁶⁷ किसी भी शूद्र को मात्र इस अर्थ में आर्य समझा जाता था कि पुन जन्म से सकता है।¹⁶⁸ किंतु यह सोचना गलत है कि इस काल में भी आर्य शब्द का प्रयोग जातीय भेदभाव का संकेत करता है।¹⁶⁹ यही कारण है कि पाणिनि¹⁷⁰ में आर्य कृत शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप में ऐसा व्यक्ति किया गया है जो मुक्त कर दिया गया हो।¹⁷¹ एक बौद्ध ग्रंथ में उल्लिखित है कि काष्ठोंजो और यवों के बीच आर्य वास और दास आर्य बन जाते हैं।¹⁷² इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि दास गुलाम की स्थिति में थे और उनकी तुलना में आर्य स्वतंत्र थे। इसलिए आर्य और शूद्र में राजनीतिक विभेद उसी प्रकार का मालूम होता है जैसा ग्रीस और रोम में नागरिकों और उनसे भिन्न लोगों के बीच व्याप्त था। चूंकि शूद्र को पराधीन माना जाता था, इसलिए उसे प्रशासन सबधी कार्य में लगाना उचित नहीं समझा गया। इससे प्रकट होता है कि उस समय में निम्न वर्ग के लोगों का राजकाज में कोई प्रभाव नहीं था। एक जैन ग्रंथ में ऐसे विभिन्न कोटियों के शत्रियों और ब्राह्मणों का उल्लेख हुआ है जो राजा की सभा में भाग लेते थे, किंतु उसमें गहपतियों (अर्थात् दैश्यों) या शूद्रों की कही कोई चर्चा नहीं थी गई है।¹⁷³ यद्यपि पाति प्रथों के अनुसार सेन्ट्रियों को प्रशासन सदृशी कुछ कार्य दिए गए होंगे क्योंकि वे राजा से सेन्ट्रियों का पाते थे¹⁷⁴ फिर भी ऐसा जान पड़ता है कि दैश्यों को भी सामान्यतया पार्वद नियुक्त नहीं किया जाता होगा। एक जातक कथा से हमें यह जानकारी मिलती है कि एक दर्जी के बेटे को भाडागारिक नियुक्त किया गया था,¹⁷⁵ किंतु ऐसे दृष्टात तो बहुत कम ही मिलते हैं।

कहा जाता है कि इस काल के अत्यत शक्तिसप्तन्न राजवंशों में से एक वश शूद्र उत्पत्ति का था और शूद्रों ने नियती गण धारी में सर्वोच्च सत्ता प्राप्त कर रखी थी।¹⁷⁶ ये विवरण केवल इसी हद तक वास्तविक माने जा सकते हैं कि ये नद शासकों को हीन कुल का बताते हैं। उनका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि राजनीतिक सत्ता शूद्र समुदाय के हाथ में चत्ती गई, क्योंकि कोई भी ऐसे तथ्य नहीं है जो प्रमाणित कार संके कि नद वश के उत्थान से शूद्रों द्वारा राजनीतिक अशक्तताएँ समाप्त हो गई।

जहाँ तक इस काल के गणतन्त्रीय शासन में उनकी भूमिका का प्रश्न है, यह ठीक ही बताया गया है कि 'संघगण की शासिका सभा पर क्षत्रिय अभिजात वर्ग का दबदबा था और इसे समाज में ब्राह्मणों और गहपतियों से भी उच्च स्थान प्राप्त था। फिर निम्नवर्गीय लोगों के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं'।¹⁷⁷ ग्रीष्म शर्मसूत्र के एक परिच्छेद के आधार पर जायसदाल ने बताया है कि शूद्र (नगर या राजधानी के) पोर का सदस्य हो सकता था। यह ऐसा नियम होता था जिससे राजा परामर्श लेता था।¹⁷⁸ यदि कभी यह मान लें कि पोर एक

निर्गमित निकाय था, तो शूद्र के सबथ में जायसवाल के पिचार की मस्करिन् भी टीका से पुष्टि नहीं होती, क्योंकि उन्होंने पीर की व्याख्या 'समानस्थानवासी' (एक जगह रहनेवाले) के रूप में की है।¹⁷⁹

जहाँ तक विधि न्यायालयों में गवाहों के रूप में उपस्थित होने का प्रश्न है बौधान्यन ने कुछ अपवादों को छोड़कर सभी वर्णों के सदस्यों को यह विशेषाधिकार दिया है।¹⁸⁰ उन्होंने उच्च वर्णों के विरुद्ध चल रहे मुकदमे में गवाही देने से शूद्र को विधित नहीं किया है। यह ऐसा उपब्रथा है जो वसिष्ठ के विधि ग्रन्थ में भी दियाई पड़ता है।¹⁸¹ गौतम ने बताया है कि शूद्रों को गवाही देने के लिए बुलाया जा सकता है, पर टीकाकारों की राय है कि ऐसा तभी हो सकता था जब अपेक्षित योग्यतावाले द्विज उपलब्ध न हों।¹⁸² यह स्पष्ट नहीं कि इसका सबथ द्विज के मुकदमों में इनकी गवाही से है या उनके अपने मुकदमे में। प्रायः इसका सबथ पूर्ववती स्थिति से है। किंतु वसिष्ठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक ही वर्ण के द्विज अपने वर्ण के लिए, भद्र शूद्र शूद्रों के लिए और निम्न कुल में उत्पन्न लोग वैसे ही लोगों के लिए गवाही दे सकते हैं।¹⁸³ भद्र शूद्र वे लोग थे जो अपने कर्तव्यों के सबथ में ब्राह्मण ग्रन्थों के उपदेशों का अनुसारण कड़ाई से करते थे। इससे पता चलता है कि भद्र शूद्रों के मुकदमे में अभद्र शूद्रों को गवाही के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था। इस प्रकार धर्मसूत्रों के बाद के लेखक अर्थात् गौतम और वसिष्ठ में यह प्रवृत्ति दियाई पड़ती है कि उच्च वर्णों के मुकदमे में शूद्र को गवाह नहीं रखा जाए। यह पता लगाने का कोई साधन नहीं कि इस प्रकार का भेदभाव रखा जाता था किंतु यह वर्ण विधान की भावनाओं के अनुरूप है, जिससे धर्मसूत्र भी प्रभावित थे। फिर भी यह व्यान ने योग्य है कि इस काल में ग्रीस में दासों के बयान के लिए उनके तलबों पर बेंत लगाकर और अन्य यातानाएं देकर प्रश्न पूछे जाते थे।¹⁸⁴ धर्मसूत्रों में अपराध स्वीकार कराने के लिए ऐसे निष्पुर कर्य विहित नहीं किए गए हैं।

गौतम ने बताया है कि विभिन्न जातियों के सदस्यों और कृषकों व्यापारियों, पशुपालकों महाजातों तथा शिल्पियों के सभ अपने अपने कार्य दी व्यवस्था अपने रिवाजों के अनुसार करते थे परतु शर्त यह थी कि ऐसे रिवाज धर्मसबधी नियमों का उल्लंघन न करते हों।¹⁸⁵ दूसरे शब्दों में शूद्रों के वे वर्ण जो शिल्पी या जातियों के आधार पर संघबद्ध थे अपने आतंरिक कार्यों को संभालने के लिए निजी नियमों का अनुसारण कर सकते थे। किंतु जब अन्य वर्णों के सदस्यों के साथ उनका दीवानी या फोजदारी मामला अतिर्गत हो जाता था तब वे राननी भेदभावों के शिकार हो जाते थे। पहले बताया जा चुका है कि दीवानी कानून के अतार्त ब्राह्मण पिता का शूद्र पुनः उत्तराधिकार के आधार पर या तो मामूली हिस्सा पाने अथवा कोई भी हिस्सा पाने का हक्कार नहीं था।¹⁸⁶

पाजदारी भाषणों में भी धर्मसूत्रों ने विधित शूद्रों को समानता नहीं प्रदान की है। गौतम के विषय के अनुसार यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय या वैश्य को गाती दे तो उस जुर्माना चुकाना पड़ेगा, किन्तु यदि वह शूद्रों को गाती दे तो उसे कोई भी सजा नहीं मिलेगी।¹⁸⁷ यदि शूद्र किसी द्विज की निंदा जान बूखकर आपराधिक शब्दों में करे या उस पर आपराधिक छग से प्रहार करे तो वह उस अग के विच्छेदन का भागी होता था जिससे उसने अपराध किया हो।¹⁸⁸ आपत्तव में तो स्वये, साफ शब्दों में कहा है कि यदि शूद्र किसी आधारावान आर्य को गाती दे तो उसकी जीभ काट ली जाए।¹⁸⁹ सप्रत लोगों को गलियाँ देने और झूट बोलने के पाप के लिए विहित किए गए प्रायशिकत में भी शूद्रों के प्रति ऐसे भाव रखा गया है। ऐसी स्थिति में शूद्र को सात टिन तक उपवास करने का विषय खिया गया है,¹⁹⁰ जबकि प्रथम तीन वर्षों के सदस्यों को केवल दूष तीखे भसाले और नम्र में तीन दिनों तक परहेज करने को कहा गया है।¹⁹¹ अत में आपत्तव और गौतम शर्मिष्ठ दोनों ही ने विहित किया है कि यदि बातचीत करने में या बैठो लेटने अथवा मढ़क पर चलने में शूद्र किसी द्विज की बराबरी करे तो उसे कोडे से पीटा जाना चाहिए।¹⁹²

परस्तीगमन सबसी विधियों में शूद्रों के लिए बहुत कठोर दड़ की व्यवस्था की गई है। आपत्तव में कहा गया है कि यदि कोई शूद्र किसी आर्य, अर्थात् प्रथम तीन वर्ष की किसी स्त्री के साथ अभिवार करे तो उसकी हत्या कर दी जानी चाहिए,¹⁹³ और यदि उस सभोग के फलस्वरूप कोई सतान उत्पत्त न हो तो प्रायशिकत करवाकर उस स्त्री को पवित्र बना लिपा जा सकता है।¹⁹⁴ पर उसी ग्रथ में यह भी लिखा है कि यदि कोई आर्य किसी शूद्र स्त्री के साथ वैसा ही अपराध करे तो उसे निर्वासित कर देना चाहिए।¹⁹⁵ चोरी के मामने में गतम के नियम के अधीन शूद्र के लिए मामूली जुर्माना विहित किया गया है पर किसी उच्च वर्ण का अपराधी होने की दशा में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई। इस प्रकार यदि किसी भी सपत्नि चुरान के लिए शूद्र को सपत्नि का जाठ गुना भूल्य चुकाना पड़ता था तो ब्राह्मण के लिए चौमठ गुना चुकाना विहित था।¹⁹⁶ यद्यपि यह कहा जा सकता है कि शूद्र अधिक जुर्माना चुकाने में असमर्थ थे, फिर भी नियम में यह परिकल्पना की गई है कि उच्च वर्णों के सदस्यों का आवरण भी ऊंचे दर्जे का होना चाहिए और उनसे यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वे चोरी करेंगे। यह बात उस उपब्रथ के अनुरूप है जिसमें विहित किया गया है कि जिस अधिकारी का प्रमुख कार्य चारी से रक्षा करना हो उसके पर पर केवल प्रथम तीन वर्षों के सदस्यों की ही नियुक्ति खिया जाना चाहिए।¹⁹⁷

जहाँ तरह इन आपराधिक कानूनों के तातू होने का प्रश्न है मण्ड्रम निकाय के एक पीठें में पता गया है कि परस्तीगमन ओर चोरी के भाषणों में अपराधी के लिए एक ही

निर्गमित निकाय था, तो शूद्र के सबथ में जापसवाल के पिचार की मस्करिन् की टीका से पुष्टि नहीं होती क्योंकि उन्होंने पौर की व्याख्या 'समानस्थानवासी' (एक जगह रहनेवाले) के रूप में की है।¹⁷⁹

जहाँ तक विषय न्यायालयों में गवाहों के रूप में उपस्थित होने का प्रश्न है बौधान्यन ने कुछ अपवादों को छोड़कर सभी वर्णों के सदस्यों को यह विशेषाधिकार दिया है।¹⁸⁰ उन्होंने उच्च वर्णों के विरुद्ध घल रहे मुकदमे में गवाही देने से शूद्र को विवित नहीं किया है। यह ऐसा उपबध है जो वसिष्ठ के विषय ग्रथ में भी दिखाई पड़ता है।¹⁸¹ गौतम ने बताया है कि शूद्रों को गवाही देने के लिए दुलाया जा सकता है, पर टीकाकारों की राय है कि ऐसा तभी हो सकता था जब अपेक्षित योग्यतावाले द्विज उपलब्ध न हों।¹⁸² यह स्पष्ट नहीं कि इसका सबथ द्विज के मुकदमों में इनकी गवाही से है या उनके अपने मुकदमे में। प्रायः इसका सबथ पूर्ववर्ती स्थिति से है। किंतु वसिष्ठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक ही वर्ण के द्विज अपने वर्ण के लिए भद्र शूद्र भद्र शूद्रों के लिए और निम्न कुल में उत्पन्न लोग वैसे ही लोगों के लिए गवाही दे सकते हैं।¹⁸³ भद्र शूद्र वे लोग थे जो अपने कर्तव्यों के सबथ में ब्राह्मण ग्रथों के उपदेशों का अनुसरण कर्डाई से करते थे। इससे पता चलता है कि भद्र शूद्रों के मुकदमे में अभद्र शूद्रों को गवाही के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था। इस प्रकार धर्मसूत्रों के बाद के लेखक अर्थात् गौतम और वसिष्ठ में यह प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है कि उच्च वर्णों के मुकदमे में शूद्र को गवाह नहीं रखा जाए। यह पता लगाने का कोई साधन नहीं कि इस प्रकार का भेदभाव रखा जाता था। किंतु यह वर्ण विधान की भावनाओं के अनुरूप है जिससे धर्मसूत्र भी प्रभावित थे। फिर भी यह ध्यान देने योग्य है कि इस काल में ग्रीस में दासों के बयान के लिए उनके तलवों पर बैंट लगाकर और अन्य यातनाएँ देकर प्रश्न पूछे जाते थे।¹⁸⁴ धर्मसूत्रों में अपराध स्वीकार कराने के लिए ऐसे निश्चुर कार्य विहित नहीं किए गए हैं।

गौतम ने बताया है कि विभिन्न जातियों के सदस्यों और कृपकों व्यापारियों पशुपालकों महाजनों तथा शिलियों के सघ अपने अपने कार्य की व्यवस्था अपने रिवाजों के अनुसार करते थे। परतु शर्त यह थी कि ऐसे रिवाज धर्मसबधी नियमों का उल्लंघन न करते हों।¹⁸⁵ दूसरे शब्दों में, शूद्रों के वे वर्ण जो शिल्यों या जातियों के आधार पर सघबद्ध थे अपने आतंरिक कार्यों को संभालने के लिए निजी नियमों का अनुसरण कर सकते थे। किंतु जब अन्य वर्णों के सदस्यों के साथ उनका दीवानी या फौजदारी मामला अतार्थस्त हो जाता था तब वे कानूनी भेदभावों के शिकार हो जाते थे। पहले बताया जा चुका है कि दीवानी कानून के अर्तर्गत ब्राह्मण पिता का शूद्र पुत्र उत्तराधिकार के आधार पर या तो मामूली हिस्सा पाने अथवा कोई भी हिस्सा पाने या हकदार नहीं था।¹⁸⁶

फौजदारी मामलों में भी धर्मसूत्रों ने विधित शूद्रों को समानता नहीं प्रदान की है। गौतम के विधान के अनुसार यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय या वैश्य को गाली दे तो उसे जुर्माना चुकाना पड़ेगा किंतु यदि वह शूद्रों को गाली दे तो उसे कोई भी सजा नहीं मिलेगी।¹⁸⁷ यदि शूद्र किसी द्विज की निंना जान बूझकर आपराधिक शब्दों में करे या उस पर आपराधिक ढग से प्रहार करे तो वह उस अग के विच्छेदन का भागी होता था जिससे उसने अपराध किया हो।¹⁸⁸ आपत्तव में तो रुखे, साफ शब्दों में कहा है कि यदि शूद्र किसी आचारवान आर्य को गाली दे तो उसकी जीभ काट ली जाए।¹⁸⁹ सभात लोगों को गालिमाँ देने और शूद्र बोलने के पाप के लिए विहित किए गए प्रायशिचत में भी शूद्रों के प्रति भेद भाव रखा गया है। ऐसी स्थिति में शूद्र को सात दिन तक उपवास करने का विधान किया गया है।¹⁹⁰ जबकि प्रथम तीन वर्षों के सदस्यों को केवल दूष, तीखे मसाले और नमक से तीन दिनों तक परहेज करने को कहा गया है।¹⁹¹ अत मैं आपत्तव और गौतम धर्मसूत्र दोनों ही ने विहित किया है कि यदि बातबीत करने में या बैठने लेटने अथवा सड़क पर घलने में शूद्र किसी द्विज की बराबरी करे तो उसे कोडे से पीटा जाना चाहिए।¹⁹²

परस्तीगमन सबधी विधियों में शूद्रों के लिए बहुत कठार दड़ की व्यवस्था की गई है। आपत्तव में कहा गया है कि यदि कोई शूद्र किसी आर्य अर्थात् प्रथम तीन वर्ष की किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो उसकी हत्या कर दी जानी चाहिए।¹⁹³ और यदि उस सभोग के फलस्वरूप कोई सतान उत्पन्न न हो तो प्रायशिचत करवाकर उस स्त्री को पवित्र बना लिया जा सकता है।¹⁹⁴ पर उसी ग्रथ में यह भी लिखा है कि यदि कोई आर्य किसी शूद्र रसी के साथ वैसा ही अपराध करे तो उसे निर्वासित कर देना चाहिए।¹⁹⁵ चोरी के मामले में गोतम के नियम के अधीन शूद्र के लिए मामूली जुर्माना विहित किया गया है पर किसी उच्च वर्ण का अपराधी होने की दशा में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई। इस प्रकार यह किसी भी सपत्नि चुराने के लिए शूद्र को सपत्नि का आठ गुना मूल्य चुकाना पड़ता था तो ब्राह्मण के लिए चौसठ गुना चुम्ना विहित था।¹⁹⁶ यद्यपि यह कहा जा सकता है कि शूद्र अपिरु जुर्माना चुकाने में असमर्थ थे, किर भी नियम में यह परिकल्पना की गई है कि उच्च वर्णों के सदस्यों का आचरण भी ऊंचे दर्जे का होना चाहिए और उनसे यह उम्मीद नहीं दी जानी चाहिए कि वे चोरी करेंगे। यह बात उस उपब्रथ के अनुरूप है जिसमें विहित किया गया है कि जिस अपिरुरी का प्रमुख कार्य चोरी से रक्षा करना हो उसके पद पर केवल प्रथम तीन वर्षों के सदस्यों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए।¹⁹⁷

जहाँ तक इन आपराधिक कानूनों के लागू होने का प्रश्न है गौतम नियम के एक परिच्छेद में कहा गया है कि परस्तीगमन और चोरी के मामलों में अपराधी के लिए एक ही

प्रवार का दड विहित है, घाहे वड किसी भी वर्ण का क्षो न हो।¹⁹⁸ जत वर्मसूत्रों में इससे सदृश्यत विभेदक नियमों पर बहुत गभीरता से विचार करना आवश्यक नहीं है। किंतु ग्राहणेतर ग्रथों से प्रकट होता है कि अपराध करनेवाले दासों, कम्पकरों और अन्य श्रमिक वर्गों को उनके मालिक शारीरिक दड देते थे। पीटने के भी दो उदाहरण मिलते हैं, जो दासियों के सबध में हैं।¹⁹⁹ एक में कार्य की उपेता का अपराध है,²⁰⁰ और दूसरे में बताया गया है कि दासी ने अपनी मजूरी अपने मालिक को नहीं लीटाई।²⁰¹ यद्यपि एक ऐसे दास का वर्णन मिलता है जिसे दुलार घार मिलता था और लिखना तथा हस्तशिल्प सीखने की अनुमति भी दी गई थी, किर भी उसे निरतर यह भव बना रहता था कि छोटी सी भी गलती होने पर वह पिटाई, कारावास, दो जाने और दास का भोजन खाने का पात्र माना जा सकता है।²⁰²

शारीरिक दड केवल दासों तक ही जो स्वाधीन नहीं थे, सीमित नहीं था। इनके साथ बीदू कथोपकथन में अधिकतर पेसरों और कम्पकरों का वर्णन इस रूप में किया गया है कि वे कोडों की मार से पीड़ित और भयभीत होकर आँसू बहाते हुए राजा का काम करते थे।²⁰³ जैन ग्रंथ के एक ऐसे ही उदाहरण से हमें पता चलता है कि प्रेत्यो (दूत या नीकर) को छड़ी मार-मारकर काम करने के लिए कहा जाता था।²⁰⁴ जब निर्णीष कामगारों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था, तब अपराधियों की रियति कैसे अप्ती रही हांगी? शूण्याङ्क के निम्नलिखित परिच्छेद का विषय ही यह है कि श्रमजीवियों के छोटे से छोटे अपराध के लिए भी उन्हें अत्यत कठोर दड दिए जाते थे 'कोई भी व्यक्ति (समय समय पर) धरेतू नीकरों अर्थात् दास या दूत या वेतनमोगी नोकर या अधीनस्थ (भागित्वभागिक)'²⁰⁵ अथवा आश्रितों को छोटे भोटे अपराध के लिए भी कठोर दड दे सकेगा अर्थात् उसके बाल नोचेगा, उसे पीटेगा या लोहे के शिकजों और बेडियों में ज़कड़ देगा काट में उसके पौँछ ढोक देगा, उसे कारा में बद कर देगा उसके हाथ और पौँछ को कड़ी में ज़ड देगा और उन्हें तोड़ देगा उसके हाथ या पौँछ या कान या नाक या ओठ या सिर अथवा चेहरे (?) को काट देगा²⁰⁶ उसकी टाँगें चीर देगा आँखें और दाँत निकाल लेगा, जीभ काट लेगा, उसे रस्सी से लटका देगा उसके ऊपर धोड़ दौड़ा देगा चाक पर घुमा देगा सूती पर चढ़ा देगा उसे चीर देगा उसके पाथों पर तेजाब उँड़ेल देगा गैंडासे से काट देगा उसे तिलह की दुम से या सौंड की दुम से बौंध देगा, किसी जगत में जला डालेगा कोओं और गिर्दों से उसकी बोटियां नोचवाएगा उसका खाना पीता बद कर देगा आजीवन कारावास में रख देगा तथा उसे ऊपर बताई गई किसी भी प्रवार की भीषण मृत्यु का शिकार बना देगा।²⁰⁷

उपर्युक्त अनुच्छेद व्यभिचारी व्यक्तियों के आवरण का वर्णन करता है जो जैन धर्म के

दायरे से बाहर थे, अत हो सकता है कि वार्ते बढ़ा घटाकर कही गई हो। किंतु यह निस्तेह बताता है कि मालिक न केवल अपने दासों को बल्कि अपने अपीन काम करोगते विभिन्न कोटि के श्रमिकों को विभिन्न प्रकार के क्षुर दड़ देता था। इस सब बातों से पता चलता है सेवि वर्ग के जो व्यक्ति अपराध करते थे, उन्हें शारीरिक दड़ देना असामान्य बात नहीं थी। हाँ शूद वर्ण के शिल्पियों द्वारा इस तरह नहीं सताया जाता था। ग्रीस में भी दासों को अपने छोटे भोटे अपराध के लिए शारीरिक दड़ भोगना पड़ता था, जबकि उसे पित्र व्यक्तियों के प्रति ऐसे अमर्याति व्यवहार नहीं किए जाते थे।²⁰⁸

सर्वप्रथम धर्मसूत्र विषि में ही विभिन्न वर्णों के लिए वैरदेय (हत्या करने के बदले हर्जाना) की विधियां दर्शनीयरित की गई हैं, यद्यपि वैदिक काल में ऐसा विभेद नहीं किया गया है। इनमें से तीन वैरदेयों में कहा गया है कि क्षत्रिय का वध करने पर अपराधी को एक हजार गायें देनी होगी और किसी शूद का वध करने के लिए केवल दस गायें देनी पड़ेंगी, किंतु गायों के साथ सौँड हर हालत में दिया जाएगा।²⁰⁹ बौद्धायन का मत है कि यह वैरदेय राजा को मिलेगा,²¹⁰ किंतु आपस्तव राजा के बदले ब्राह्मण का पश्च लेता है।²¹¹ किसी भी हालत में यह मारे गए व्यक्ति के सबधी को नहीं मिलेगा। हत्याजन्म पाप के प्रायशिक्षण के रूप में भी मारे गए व्यक्ति के वर्ण के अनुसार अलग था। गौतम के मतानुसार क्षत्रिय की हत्या करने के लिए अपराधी को उ वधों तक, वैश्य की हत्या के लिए तीन वधों तक और शूद की हत्या के लिए एक वर्ष तक इत्रिय निग्रह (ब्रह्मवर्षी) का व्रत धारण करना चाहिए।²¹² किंतु वरिष्ठ ने प्रायशिक्षण की इस तिरोधावधि को वैश्य की हत्या की दशा में तीन वर्ष तथा क्षत्रिय या शूद की हत्या की दशा में दो वर्ष बढ़ा दिया है।²¹³ किंतु सामविधान ब्राह्मण में जिसे बनेत इस अवधि की रचना मानते हैं²¹⁴ यद्यपि प्रथम तीन वर्णों के साथ्यों की हत्या के लिए समान प्रायशिक्षण विहित किया गया है किंतु भी शूद की हत्या के लिए निर्धारित प्रायशिक्षण वित्र ढग का है।²¹⁵ इससे पता चलता है कि वैरदेय के बारे में पहले शूदों और 'त्रैवर्णिकों' में विभेद किया गया। बाद में इसे पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया गया और वित्र वित्र वर्णों के सदस्यों की हत्या के लिए जुमनि की अलग अलग दरें विहित भी गई। अपिकाश धर्मसूत्रों में जो वैरदेय के नियम पाए जाते हैं, उनका कुछ आधार अवश्य होगा। वर्ग के अनुसार वैरदेय की अलग अलग दरें न केवल परवर्ती समाजों में बल्कि सुप्रसिद्ध हस्तुती सोहिता में भी पाई जाती हैं। किंतु शूद के मामले में इस विषि का अनुपालन कहीं तक और किन रीतियों से किया जाता था इसका अनुमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस विषय पर न्यायालय के निर्णयों का अभाव है।

आधुनिक जनतात्रिक विचारवालों को जो बात सर्वाधिक अशोभनीय और दुखद लगेगी वह यह है कि आपस्तव और बौद्धायन में शूद की हत्या करने के लिए वही

प्रायरियत निर्धारित है जो किसी राजहस, भास, मधुर, ब्राह्मणी बतख, प्रवलाक, कौवे, उत्त्व, घेदक, घृंदर, कुत्ते आदि की हत्या के लिए।²¹⁶ सभव है इस अतिवादी विवाह को, जिसके अनुसार शूद्रों की जान को किसी जानवर या विहिया की जान के बराबर ही महत्व दिया गया है²¹⁷ सभी ने मान्यता दी हो क्योंकि उन्हीं विषि प्रवर्तकों के अनुसार शूद्र की हत्या करने का वैरदेय दस गायें और एक साँड है²¹⁸ किंतु इसमें सदैह नहीं कि आरम्भिक ब्राह्मण ग्रण्यों में शूद्र की जान को बहुत कम महत्व दिया गया है।

इस प्रकार वैदिक काल के पश्चात जनजातीय समाज के स्थान पर पूर्णतया वर्ण पर आधारित समाज के आ जाने से शूद्र वर्ण के सदस्यों का प्रशासन में कोई स्थान नहीं रह गया। सभवतया उन्हें सभी तरह के प्रशासकीय पदों से बाधित कर दिया गया और छोटे भोटे अपराधों के लिए भी शारीरिक दड दिया जाने लगा। एक प्रकार से यह स्वाभाविक ही था क्योंकि वे साधारणतया जुर्माना नहीं धुक्का सकते थे। प्रायरियत के नियम और दडविधान के अनुसार शूद्रों के बारे में निर्धारित दड वस्तुत उच्च वर्णों द्वारा किए गए अपराधों के लिए विहित दड के अनुपात में बहुत अधिक था। किंतु इससे कम से कम यह आमास तो मिलता है कि शूद्र को जान और जापदाद के अधिकार थे।²¹⁹ जिस प्रकार ग्रीस में दासों की हत्या दड की समावना के बिना की जाती थी उस प्रकार शूद्र का वय नहीं किया जा सकता था।

मौर्यपूर्व काल में शूद्र की सामाजिक रियति में परिवर्तन हुए तथा उसकी दशा और भी बिगड़ गई। विषि प्रवर्तकों ने उस पुरानी मान्यता पर जोर दिया कि शूद्र की उत्पत्ति सृष्टिकर्ता के पाँव से हुई है²²⁰ और इस आधार पर उन्होंने सांति आहार विवाह और शिक्षा की दृष्टि से उस पर अनेक प्रकार की सामाजिक अशक्तताएँ आरोपित कर दी। इनके फलस्वरूप कई मामलों में तो उच्च वर्ण के लोगों ने आमतौर से और ब्राह्मणों ने यास्तौर से शूद्रों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। बीधायन ने यह विधान किया कि स्नातक को असूत रक्षी या शूद्र के साथ यात्रा नहीं करनी चाहिए।²²¹ गौतम के एक परिव्युक्त द्वी दीका में कहा गया है कि यहाँ स्नातक शब्द का आशय है ब्राह्मण या क्षत्रिय²²² जिससे मालूम होता है कि यह नियम वैश्य पर लागू नहीं था। किर, सफलता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नियम यह था कि सफलता के इच्छुक छात्र को स्त्री और शूद्र से बातचीत नहीं करनी चाहिए।²²³ शूद्र से मित्र वर्ण भी स्त्री (सभवतया उच्च वर्ण की) के शूद्रजात पुन (पतित) का सालवर्ष अवाञ्छनीय माना जाता था।²²⁴ इसका तात्पर्य स्पष्टतया यह था कि उच्च वर्णों के साथ शूद्र का सामाजिक सर्वकं कम हो जाए। यर्मसूतों में ऐसी प्रवृत्ति साक दियाई पड़ती है कि ब्राह्मण और शूद्र का सामाजिक विभेद बढ़े। आपस्तब और बीधायन का मत है कि यह कोई शूद्र अतिविधि के रूप में ब्राह्मण के घर आए तो उसे कुछ काम करने का भार सौंपना

चाहिए और जब काम संपत्र हो जाए तब उसे भोजन देना चाहिए।²²⁵ ब्राह्मण ने तो उसका सत्कार करे और न स्वयं खाना खिलाए, बल्कि ब्राह्मण का नीकर राजा के भड़ार से चावल लाकर उसे भोजन कराए।²²⁶ गौतम का विचार है कि ब्राह्मणेतर जाति को, यज्ञ का अवसर छोड़ अन्यथा ब्राह्मण का जटियि नहीं होना चाहिए,²²⁷ किंतु यन के अवसर पर भी वैश्य और शूद्र को ब्राह्मण का नीकर ही भोजन कराएगा।²²⁸ वैश्वेदेव यन के अवसर पर यदि घडात, कुत्ते और कौवे भी यज्ञ समाप्ति के समय उपस्थित हो जाएं तो उन्हें भी कुछ अश दिया जाएगा।²²⁹ मालूम होता है कि इस यज्ञ में अनेकानेक देवताओं को नैवेद्य अर्पित किया जाता था जिससे इसका साप्रदायिक और जनजातीय स्वरूप कुछ कुछ बना रहा और नए वर्गविभेद का उस पर बहुत असर नहीं पड़ा।

गौतम के मतानुसार यदि कोई शूद्र अस्ती वर्ष का बढ़ा हो तो उस शहर के रहनेवाले नाजवान वो उसके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए।²³⁰ इसका भलतब यह हुआ कि उसका आदर करने में उससी आयु का सम्मान किया जाता था, न कि अन्य गुणों का। इसकी तुलना में शूद्र के लिए यह बाध्यकारी था कि वह आर्य का आदर करे भले ही वह उप्र में उससे छोटा ही क्यों न हो।²³¹ धर्मसूत्रों में वर्ण के अनुसार बदना और अभिवादन के जो स्वरूप निर्धारित किए गए हैं, उनसे प्रकट होता है कि सभान में शूद्र कितने पराधीन थे। आपस्तव में बताया गया है कि ब्राह्मण अपनी दाढ़िनी बाँह को अपने कान के समानातर क्षत्रिय उसे अपनी छाती के स्तर तक वैश्य अपनी कमर तक और शूद्र उसे अपने पाँव की सीध में रखकर अभिवादन करे।²³² विभिन्न वर्णों के लोगों के क्षेम-कुशल और स्वास्थ्य के सबप में जिज्ञासा करने के लिए भिन्न भिन्न शब्द विहित किए गए हैं। क्षत्रिय के स्वास्थ्य की जिज्ञासा के लिए प्रयुक्त किया जानेवाला शब्द है अमानय और शूद्र के लिए आराध्य।²³³ यह भी बताया गया है कि किसी क्षत्रिय अथवा वैश्य का अभिवादन करने में लोगों को केवल सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए न कि उसके नाम का।²³⁴ इसना अर्थ हुआ कि मात्र शूद्र को उसके नाम से सबोधित किया जा सकता था। इस सबोधन की दृष्टि से द्विज वर्गों की स्थिति बहुत अच्छी थी। प्रादीन पालि ग्रन्थों में निम्न वर्गों के लोगों ने किसी क्षत्रिय को उसके नाम से या उत्तम पुरुष में सबोधित नहीं किया है।²³⁵ राजा उदय को गणमात हजाम पारिवारिक नाम से सबोधित करता है इस पर उसकी माँ बड़े रोप के साथ कहती है, इस नीव नापितपुत्र को अपनी स्थिति का इतना भी नान नहीं है कि वह मेरे बेटे को जो पृथ्वी का मालिक है और क्षत्रिय जाति का है ब्रह्मदत्त कहकर पुकारता है।²³⁶

यह विचार कि जिस भोजन को शूद्र ने छ टिया वह अपवित्र हो गया आर ब्राह्मण उसे ग्रहण नहीं कर सकता, सबसे पहले धर्मसूत्रों में मिलता है। आपस्तव के मतानुसार किसी

अशुद्ध ब्राह्मण या उच्च वर्ण के व्यक्ति द्वारा स्पर्श किया गया भोजन अपवित्र तो हो जाता है किंतु इतना अपवित्र नहीं कि उसे ग्रहण ही नहीं किया जा सके।²³⁷ लेकिन कोई अपवित्र शूद्र यदि उसे उठाकर लाए तो उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता।²³⁸ यही स्थिति उस आहार की है जिस पर किसी कुत्ते या पतित अथवा चड़ाल की कोटि के अपवात्र की नजर पड़े।²³⁹ एक अन्य नियम में कहा गया है कि यदि भोजन करते समय किसी ब्राह्मण को कोई शूद्र स्पर्श कर दे तो उसे भोजन रोक देना चाहिए, क्योंकि शूद्र स्पर्श के कारण वह अपवित्र हो जाता है।²⁴⁰ आपत्तब के इस कथन से तो उसकी कटृता और भी प्रकट होती है कि यदि कोई शूद्र विहित विधियों का अनुसरण भी करे तो भी उसके द्वारा लाया गया भावन शाद नहीं है।²⁴¹ किंतु 'शूद्रबर्जपू' शब्द जिसका अर्थ यह किया जाता है कि शूद्रों द्वारा अत्र ग्रहण करना निषिद्ध है पुरानी पाठुलिपि में नहीं मिलता।²⁴² इससे पता चलता है कि पहले ऐसा विचार प्रचलित नहीं था जब केवल अपवित्र शूद्र का अत्र ग्रहण करना वर्जित था। फिर भी धर्मसूत्रों में निर्विवाद रूप से ब्राह्मणों को आदेश दिया गया है कि वे किसी शूद्र का अत्र ग्रहण नहीं करें।²⁴³ हादत की टीकावाले आपत्तब धर्मसूत्र के एक अनुवर्ते²⁴⁴ में ब्राह्मण को अनुमति दी गई है कि नितात अभावशस्त्रता की स्थिति में वह शूद्र का अत्र ग्रहण कर सकता है किंतु शर्त यह है कि वह अत्र स्वर्ण और अग्नि को स्पर्श कराकर पवित्र बना लिया जाए और जैसे ही ब्राह्मण को कोई दैकलिपक जीविका मिल जाए वैसे ही वह शूद्र का अत्र ग्रहण करना छोड़ दे।²⁴⁵ गातम ने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई है। उन्होंने जीवननिर्वाह का साधन समाप्त हो जाने पर ब्राह्मण को शूद्र का अत्र ग्रहण करने की अनुमति देते समय²⁴⁶ यह कृष्ट दी है कि वह पशुपालक योतिहार मजदूर परिवार के परिवित व्यक्ति और सेवक से प्राप्त अत्र ग्रहण करे।²⁴⁷ किंतु गौतम उसे यह अनुमति नहीं देते कि वह शूद्र के व्यवसायों को अपाकर जीवननिर्वाह करे।²⁴⁸ इतना ही नहीं उन्होंने यह नियम भी बनाया है कि स्नातक (अर्थात् हृदत्त के अनुसार, ब्राह्मण या क्षत्रिय) को शूद्र का पानी तक नहीं पीना चाहिए।²⁴⁹ ऐसा नियम केवल गौतम ने ही बनाया है। कुछ मामलों में तो ब्राह्मण द्वारा शूद्र के अत्र के बहिष्कार सबूती नियमों को धमकियों और प्रायशित के आपार पर लागू कराया गया है। वसिष्ठ की दृष्टि में पूर्णतया योग्य ब्राह्मण वह है, जिसके उदर में शूद्र का एक भी दाना नहीं गया हो।²⁵⁰ ऐसे नियम के अनुसार स्वभावतया अपराधी ब्राह्मण यज्ञ का दान ग्रहण करने से विषय कर दिया गया होगा, जो उसकी आप का मुख्य साधन था। उन्होंने यह भी घोषित किया है कि यदि किसी ब्राह्मण के पेट में शूद्र का दाना हो और वह मर जाए तो उसका जन्म या लो ग्राम शूकर के स्पर्श में अथवा शूद्र के ही परिवार में होगा।²⁵¹ इतना ही नहीं यदि कोई ब्राह्मण शूद्र के अत्र पर पला हो तो वह नित्य वेद का पाठ और पूजा अर्वना क्यों न करे उसे स्वर्ण नहीं मिल

सकता। पुनः यदि वह शूद्र का अन्न खाकर स्त्री से सभोग करे तो उसके पुत्र शूद्र जाति के होंगे और युद्ध उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकेगी।²⁵² बौधायन का मत है कि यदि कोई व्यक्ति किसी शूद्र का अन्न ग्रहण करने या शूद्रस्त्रीगमन करने का अपराध करे तो उसके पाप का प्रायशिचत एक सप्ताह तक प्रति दिन सात बार प्राणायाम करने से होगा।²⁵³ इसी कर्म के लिए उन्होंने ऐसे प्रायशिचत की भी व्यवस्था की है कि प्रायशिचत करनेवाला उबाले हुए यव के दाने ग्रहण करने का समारोह आयोजित करे।²⁵⁴ किंतु ये प्रायशिचत इस काल की वास्तविक स्थिति के द्योतक नहीं माने जा सकते। पहला प्रायशिचत चतुर्थ प्रश्न में आया है जिसके बारे में एक मत यह है कि यह ई सन् की दसवीं शताब्दी का है,²⁵⁵ और दूसरे प्रायशिचत का उल्लेख तृतीय प्रश्न में हुआ है जो बुहलर के भतानुसार मूल रचना में पीछे चलकर जोड़ दिया गया है।²⁵⁶

थर्मसूत्रों से यह धारणा बनती है कि सामान्यतया आदर्श ब्राह्मण शूद्र का अन्न खासकर यदि शूद्र अपवित्र हो नहीं ग्रहण करते थे। लेकिन इस प्रतिबन्ध को लागू कराने के लिए जिस प्रायशिचत और थमकी का विषयान है, वह बाद में सन्निविष्ट किया गया मात्राम होता है। ऐसा कोई विषयान इस काल में सभवतया लागू नहीं था। यह स्पष्ट है कि शत्रिय और वैश्य पर ऐसा कोई भी प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था। वैश्वेदेव यज्ञ के अवसर पर प्रथम तीन वर्णों के स्तोर्णों की देख रेख में शूद्र भोजन सामग्री तैयार करता था।²⁵⁷ रसोई करते समय उसे बिल्कुल साफ सुधरा रहना पड़ता था, ताकि भोजन दूषित न होने पाए। इस प्रयोजन के लिए उसे हर महीने के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के आठवें दिन अथवा पूर्णमासी या द्वितीया तिथि को अपने सर के बाल दाढ़ी और शरीर पर के केश मुड़वाने पड़ते थे और नाखून भी कटवाने पड़ते थे। इसके अलावा उसे अपने शरीर पर वस्त्र धारण किए हुए स्नान भी करना पड़ता था।²⁵⁸ सामान्यतया यह उपबन्ध किया गया था कि आर्य की नौकरी करनेवाले शूद्रों को प्रति मास अपने बाल एवं नाखून कटवाने चाहिए। बौधायन के विचारानुसार उनके पानी पीने का ढग आयों के समान ही था।²⁵⁹ धार्मिक अनुष्ठान में अत्यधिक पवित्रता का ध्यान रखा जाता है लेकिन उसमें भी शूद्र को भोजन बनाने की अनुमति दी जा सकती थी। इससे पता चलता है कि उच्च वर्णों के स्तोर्ण जिनमें प्राय ब्राह्मण सम्मिलित नहीं थे सामान्यतया शूद्र द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण करते थे। बाद की भी एक जातक कथा में रसोइया के व्यवसाय के बारे में कहा गया है कि यह व्यवसाय गुलामों और भाड़े के मजदूरों को करना चाहिए।²⁶⁰ एक ऐसा दृष्टान्त मिला है जिसमें एक शत्रिय पिता अपनी दासी पल्ली से उत्पन्न पुत्री के साथ खाने से परहेज करता है। किंतु यह परिच्छेद बाद के एक जातक की वर्तमान कथा में आता है,²⁶¹ जिसे उस कालावधि का नहीं माना जा सकता। जिन आदेशों के अधीन अपवित्र व्यक्ति द्वारा स्पर्श किया गया भोजन

और खासकर याके जूठन का सपर्क तक करना निषिद्ध था तथा जिनके अपीन नियमों के उल्लंघन के लिए ढड़ दिया जाता था, वे प्राचीन पाति ग्रथों में देखे जा सकते हैं²⁶³ किंतु उनमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे सिद्ध होता हो कि वे खासकर शूद्रों के लिए बताए गए थे। ऐसा प्रायः इस कारणवश हुआ था कि प्राचीन भारोपीय प्रथा के अनुसार कुल के सभी सदस्य विशेष अवसरों पर सहभोज का आयोजन करते थे²⁶⁴ जिसका प्रमाण जनजातियों के बच्चों में विभक्त हो जाने के बाद भी बना रहा।

थर्मसूत्रों के वैवाहिक नियम वर्ण के आधार पर बने थे। विवाह के आठ प्रकारों का उल्लेख सर्वप्रथम इसी अवधि में मिलता है। इनमें से गार्यव और पैशाच (प्रलोभन देकर किया गया विवाह जिसमें सम्पत्ति घनित होती है) विवाह वैश्यों और शूद्रों के लिए विधिसंगत समझे जाते थे। बीधायन के अनुसार प्रथम कोटि का विवाह वैश्यों के लिए आर छिंतीय कोटि का विवाह शूद्रों के लिए विहित था²⁶⁵ इस विवाह का औद्यित्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने बताया है कि धूंकि वैश्य और शूद्र वृत्तिकर्म और सेवा में व्यस्त रहते थे इसलिए उनकी पत्नियाँ उनके नियमण में नहीं रह सकती थीं।²⁶⁶ इससे सकेत मिलता है कि निम्न वर्ण की महिलाओं को अपनी जीविका अर्जित करने के लिए नोकरी करनी पड़ती थी, जिससे वे अपेक्षाकृत अपने अपने पतियों से स्वतंत्र रहती थीं। उच्च बच्चों की महिलाएँ अपना जीविकोपार्जन करने में असमर्थ थीं अतः उन्हें अधिक जाश्रित बनकर रहना पड़ता था किंतु समाज में उनकी भर्यादा अधिक थी।

वैगाहिक सबध के रथायित्व का विवाह वर्ण की दृष्टि से किया जाता था। वसिष्ठ का मत है कि जितना ही ऊँचा वर्ण होगा वैगाहिक जीवन उतारा ही अधिक स्थाई होगा। इसी दृष्टि से विहित किया गया है कि यदि पति घर छोड़कर घला जाए तो ब्राह्मण या धनिय की पत्नी जिसे सतान हो पाँच वर्ष तक प्रतीक्षा करेगी। वैश्य की पत्नी चार वर्ष तक और शूद्र की तीन वर्ष तक राह देखेगी। यदि उसे सतान नहीं हो तो ब्राह्मण की रिधति में प्रतीक्षा की अवधि एक वर्ष घट जाएगी और धनिय वैश्य तथा शूद्र की प्रतीक्षा अवधि दो दो वर्ष कम हो जाएगी।²⁶⁷ इसके फलस्वरूप शूद्र की पत्नी को केवल एक वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस तरह के नियम से पुनः यह अर्थ निकलता है कि निम्न वर्ण की दिवार्दी अपेक्षाकृत अधिक स्वाधीन होती थी और उनका विवाह सबध आसानी से विघ्नेन योग्य था।

किंतु उच्च वर्ण के पति अपनी शूद्र पत्नियों के प्रति समान बर्ताव नहीं करते थे। वसिष्ठ का दर्शन है कि काली जाति की शूद्र पत्नी को सुख संभोग के लिए रथैल रखा जा सकता है²⁶⁸ पर उससे विवाह नहीं किया जा सकता।²⁶⁹ इसी ग्रथ के एक परिच्छेद में यह अनुमति दी गई है कि आर्य शूद्र जाति की महिलाओं से विवाह कर सकता है यदि उस विवाह में समुचित वेदमनों का पाठ न किया जाए। किंतु स्वयं वसिष्ठ इसे वाष्णीय नहीं

मानते, ²⁷⁰ क्योंकि इस तरह के विवाह से परिवार की मर्यादा का ह्रास होता है और शूद्र के पश्चात उस व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता। ²⁷¹ आपस्तव के मतानुसार यह श्रेयस्कर नहीं कि कोई द्वाष्टण शूद्र महिला का सभोग करे या कृष्ण वर्ण के व्यक्ति की नौकरी करे। ²⁷² आपस्तव और बोधायन, दोनों ने ही ऐसे व्यक्तियों के लिए शुद्धिकरण सस्कार विहित किए हैं जिनका शूद्र वर्ण की महिला के साथ सबव्य है। ²⁷³ किंतु बोधायन धर्मसूत्र के ये दोनों परिच्छेद द्वयुर्ध प्रभन में आए हैं जो बाद में जोड़े गए हैं, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है। अत ऐसे प्रायशित इस काल पर लागू नहीं माने जाने चाहिए। यह विचार कि शूद्र पल्ली वर्जनीय है, वसिष्ठ के एक पूर्ववर्ती नियम के प्रतिकूल पड़ता है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण तीन पत्नियाँ रख सकता है, क्षत्रिय दो, और वैश्य तथा शूद्र एक एक। ²⁷⁴ इसके द्वारा प्रथम दो वर्णों के लोगों को स्पष्ट अनुमति मिली हुई है कि वे शूद्र स्त्री से नियमित रूप में विवाह कर सकते हैं। अत सभव है कि यह विचार बाद में सत्रिविष्ट हुआ हो कि शूद्र पत्नियाँ केवल सुख सभोग के लिए अगीकृत की जाएँ। यह भी स्पष्ट है कि कोई सुखी सपन व्यक्ति कई पत्नियों का निर्वाह कर सकता है। इस प्रकार उच्च वर्णों में जहाँ बहुविवाह का चलन उनकी आर्थिक सपत्रता का परिचायक है वहाँ शूद्रों में एक विवाह की प्रथा ²⁷⁵ उनकी आर्थिक विपत्रता सूचित करती है।

यथपि नीच जातियों की स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति है, किंतु धर्मसूत्रों में इसके विपरीत क्रम के विवाह को बहुत हेद समझा गया है। ²⁷⁶ गोतम का मत है कि यदि कोई शूद्र अपनी जाति से भिन्न किसी महिला से पुत्र उत्पन्न करे तो उसे पतित समझा जाएगा। ²⁷⁷ इन्हीं विवाहों और सबधों के कारण अधिकतर प्राचीन विधिग्रन्थों में लगभग एक दर्जन भिन्नित (वर्णसकर) जातियों की उत्पत्ति का वृत्तात दिया गया है। इस प्रकार क्षत्रिय वर्ण की स्त्री से शूद्र द्वारा उत्पन्न सत्तान को 'क्षत्र' कहा गया है और वैश्य जाति की स्त्री से उत्पन्न सत्तान को 'मागण' कहा गया है। ²⁷⁸ द्वाष्टण स्त्री से उत्पन्न शूद्रपुत्र चडाल माना गया है। ²⁷⁹ गोतम के मतानुसार किसी शूद्र पल्ली से ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र द्वारा उत्पन्न व्यक्ति क्रमशः 'पारशव यवन' करण और शूद्र कहलाता है। ²⁸⁰ किसी शूद्र पल्ली से उत्पन्न द्वाष्टण पुत्र 'नियाद' कहलाता है। ²⁸¹ उसकी सत्तान जो किसी शूद्र स्त्री से उत्पन्न हो, 'पुलकस' कहलाती है और नियाद जाति दी स्त्री से किसी शूद्र द्वारा उत्पन्न पुत्र 'कुकुटक' कहलाता है। ²⁸² क्षत्रिय और शूद्र पल्ली के सभोग से उत्पन्न सत्तान 'उग्र' कहलाती है। ²⁸³ तथा वैश्य और शूद्र की सत्तान को रथकार माना गया है। ²⁸⁴ जातियों की उपर्युक्त सूची बताती है कि धर्मसूत्रों के मतानुसार शूद्र और उच्च वर्णों के लोगों के नीच अनुलोम वर्णों के क्रम में और प्रतिलोम (वर्णक्रम के विपरीत) सबधों को सकर जातियों के उद्भव का महान घोत माना गया है और इन्हीं में से अनेक को अदृत की श्रेणी

में रखा गया है। किंतु इनमें से अधिकतर सकर जातियों पिछँझी जनजाति की थीं जिन्हें मनमाने ढग से वर्णों से जैसे तैसे जोड़कर चातुर्वर्ण व्यवस्था में मिला लिया गया था।²⁸⁵ इतना ही नहीं, ऐसी व्याख्याओं के कारण कालक्रम से नई-नई जातियों बनी होगी क्योंकि आधुनिक काल में भी ऐसा हुआ है।²⁸⁶

यद्यपि पूर्वकालीन गृह्णसूत्रों में कहीं भी शूद्रों को दीशा सस्कार से विचित करने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, किंतु भी आपस्तब शर्मसूत्र से पता चलता है कि उसे उपनयन और वैग्राध्यन की अनुमति नहीं दी जा सकती है।²⁸⁷ किसी शूद्र और खाराकर चडात की उपरिथिति को वेदपाठ बद कर देने का पर्याप्त कारण माना गया है।²⁸⁸ ऐसी स्थितियों को बौधायना और गोतम दोनों ही, सभी प्रकार के अध्ययन के लिए बाधक मानते हैं।²⁸⁹ गातम तो यहाँ तक कहते हैं कि हमेशा एक ही शहर में नहीं पढ़ते रहना चाहिए।²⁹⁰ मस्करिन का र्याल है कि यह ऐसे शहर के बारे में कहा गया होगा जिसके निवासी मुच्यतया शूद्र हो।²⁹¹ केवल गोतम ने बताया है कि यदि कोई शूद्र वेद की ऋचाओं का पाठ करे तो उसकी जीभ काट सी जानी चाहिए और यदि वह उन ऋचाओं को स्मरण रखे तो उसके शरीर के दो टुकड़े कर दिए जाने चाहिए।²⁹² इस तरह के भीषण डड विषान में मनु की कट्टर मनोवृत्ति का आभास मिलता है अत यह सोचा जा सकता है कि इसे गौतम के विधि ग्रथ में बाद में जोड़ दिया गया होगा।²⁹³ किंतु यह स्पष्ट है कि इस काल में भी शूद्र को वेद की शिला देने का तीव्र विरोध किया जाता था।

आपस्तब के एक परिच्छेद में शूद्र को वेद पढ़ाने का समर्थन किया गया है जहाँ उन्हाने यह बताया है कि छात्र को चाहिए कि वेद पढ़ाने के लिए अपने गुठ को शुल्क दे वही उाकी यह भी स्पष्ट अनुमति है कि गुठ (शिक्षक) सभी परिरिथितियों में किसी उग्र अथवा किरी शूद्र से शुल्क ग्रहण कर सकता है।²⁹⁴ यह किसी प्राचीन स्थिति का परिचायक हो सकता है जब शूद्र को वैदिक शिक्षा के लिए अनुमति प्राप्त थी। किंतु आगे चलकर न केवल गोतम और वसिष्ठ ने बल्कि स्वय आपस्तब ने भी उसे इस सुविधा से विचित कर दिया। वेद विधि (धर्म) का स्रोत है और वसिष्ठ का भत है कि शूद्र धर्मसंबंधी कोई भी विषय जानने का पात्र नहीं है।²⁹⁵ स्पष्ट है कि ऐसे विवार का आशय यह था कि शूद्रों को उस विधि से सर्वथा अपरिवित रखा जाए जिससे वे शासित होते थे।

आपस्तब में कहा गया है कि रितयों और शूद्र अध्यक्षिण के परिशिष्ट का अध्ययन कर सकते हैं।²⁹⁶ इसके अतर्गत नृत्य सारीत और दैनिक जीवन से सबैयित कला और विद्या है।²⁹⁷ गातम के एक परिच्छेद की टीका करते हुए मस्करिन ने इसी तरह की शिक्षा का उल्लेख किया है। उन्होंने स्मृतियों से उद्धरण प्रस्तुत किए हैं जिनमें बताया गया है कि प्रियां को हरित प्रशिक्षण (पीलदानी) की शिक्षा दी जानी चाहिए।²⁹⁸ इन सबका

आशय यह हो सकता है कि शूद्रों को कला और शिल्प का प्रशिक्षण तो दिया जा सकता था, किन्तु उन्हें वेद के अध्ययन से विद्यत रखा गया था जो बहुत कुछ साहित्यिक शिक्षा के समान था। इस तरह धर्मसूत्रों ने शास्त्रीय शिक्षा, जो द्विज वर्णों तक ही सीमित थी और शिल्पशिक्षा जो शूद्रों के लिए अभिप्रेत थी— दोनों को पृथक करने का प्रयास किया। यह भी उल्लेख किया गया है कि वेद अध्ययन से कृषिकर्म में बाया पढ़ती है और कृषिकर्म से वेद के अध्ययन में²⁹⁹ स्वभावतया इस प्रकार के नियम से न केवल शूद्र बल्कि ऐसे वैश्य भी प्रभावित हुए जो स्वप खेती गृहस्थी करते थे। हम यह नहीं जानते कि व्यवहार में यह नीति कहाँ तक सफल हुई। बाद के एक जातक से जानकारी मिलती है कि दो चडालपुत्र तत्कालीन में शिक्षा पाने के लिए छद्म वेश धारण करके गए, किन्तु जब उन्होंने असावधानी से अपनी बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया तो वेद खुल गया और उन्हें सस्था से निकाल दिया गया³⁰⁰ लेकिन अन्य जातक कथाओं से पता चलता है कि विद्यालयों में सोदागरों और दर्जियों³⁰¹ तथा महुओं के भी पुत्र पढ़ने थे³⁰² इस प्रकार इस काल में भी शूद्र पूर्णतया शिक्षाप्राप्ति से विद्यत नहीं थे।

धर्मसूत्रों में शूद्र के लिए वेद का अध्ययन निषिद्ध था, जिसके फलस्वरूप वे यज्ञों और धार्मिक कृत्यों में भाग नहीं ले सकते थे, क्योंकि इनमें केवल वैदिक मन्त्रों का प्रयोग होता था। ग्राम्यतात्त्व गृहस्थूल के एक नियम³⁰³ का अर्थ इस प्रकार किया गया है कि शूद्र मपुर्णक समारोह के अवसर पर होनेवाले वेदमन्त्रों का पाठ सुन सकते थे³⁰⁴ इसी प्रकार जैमिनी ने एक प्राचीन गुरु बादरि का उद्धरण दिया है जिसमें कहा गया है कि चारों वर्णों के लोग वैदिक यज्ञ कर सकते हैं³⁰⁵ किन्तु उन्होंने बादरि के विचार का समर्थन नहीं किया है³⁰⁶ जिससे मातृम होता है कि वह भी उस सुग के कट्टर विद्यारों से प्रभावित थे। वैदिक यज्ञ के लिए शूद्र अग्निस्थापन नहीं कर सकता था³⁰⁷ वह किसी सस्कार का अपिकारी नहीं था³⁰⁸ वैदिक यज्ञ से उसका बहिष्कार इस सीमा तक कर दिया गया था कि कुछ धार्मिक कृत्यों में तो उसकी उपस्थिति वर्जित थी और उसे देखना भी मना था³⁰⁹ शूद्र सामान्यतया 'नम' का उच्चारण भी नहीं कर सकता था³¹⁰ इसका उच्चारण वह विशेष स्वर से अनुमति मिलने पर ही कर सकता था³¹¹ किन्तु गौतम ने कुछ ऐसे ऋषियों का उल्लेख किया है, जिन्होंने पाक यज्ञ (साधारण गृह कर्म) नाम से विदित कुछ छोटे छोटे यज्ञों की सूची बनाई है, जिनका सपादन शूद्र कर सकता है³¹² कोषायन ने अन्य आद्यायों का भी उल्लेख किया है जिन्होंने कहा है कि जल में निष्पञ्जन और स्नान सभी वर्णों के लिए यिहित है किन्तु मार्जन (मन्त्रों का उच्चारण करते हुए शरीर पर पानी छिड़कना) केवल द्विज का कर्तव्य है³¹³

मह तर्क दिया जाता है कि विभिन्न प्रकार के धार्मिक समारोह और यज्ञों का सपादन

नहीं करना शूद्र के लिए लाभकर ही था, क्योंकि उनके सपादन के दृष्टित्व से वह मुक्त था।³¹⁴ किंतु आधुनिक दृष्टि से जो बात उसके लिए लाभकर समझी जाती है वह उस काल के सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार अलाभकर थी, जिसके अनुसार यह न करनेवाले स्त्रीगों को समाज में हेय समझा जाता था।³¹⁵

गौतम ने यह नियम बनाया है कि शूद्र अपनी पत्नी के साग रहेगा।³¹⁶ हरदत्त ने एक अन्य टीकाकार का उद्धरण दिया है जिसने इसका अर्थ किया है कि शूद्र केवल गृहस्थ के रूप में जीवन व्यतीत कर सकता है, छात्र, आश्रमवासी या तपस्वी के रूप में नहीं।³¹⁷ मालूम होता है कि आगे चलकर ब्राह्मण के लिए सामान्यतमा चार, सत्रिय के लिए तीन, वैश्य के लिए दो तथा शूद्र के लिए एक आश्रम विहित थे।³¹⁸ हो सकता है कि बराबर ऐसी स्थिति नहीं रही हो, किंतु शूद्र के साथ जो भेदभाव रखा गया वह सगत ही मालूम होता है, क्योंकि यह कार्य ऐसा था जिसे वह एक गृहवासी के रूप में ही सपन कर सकता था।

किंतु शूद्र को श्राद्ध कर्म की अनुभति थी।³¹⁹ लेफिन गोतम और वसिष्ठ ने विहित किया है कि किसी संपिंड के जन्म या मरण से वह एक महीने तक अशौच में रहेगा।³²⁰ वसिष्ठ के मतानुसार ब्राह्मण, राजन्य और वैश्य के लिए यह अवधि कमश दस पद्ध और बीस दिन की होती है।³²¹ गौतम ने इम अवधि में से चार दिन सत्रिय के लिए और आठ दिन वैश्य के लिए घटा दिया है।³²² अशौच की सबसे लबी अवधि को मानने के कारण शूद्र दो भारी घटिनाई का सामान करना पड़ता था। अपनी जीविका उपार्जित करने में असमर्थ होने के कारण उसे अपने महान या मालिक की कृपा पर निर्भर रहने को बाध्य होना पड़ता था। हाल में भी देखा गया है कि मृत्यु के कारण हुए अशौच वी अवधि में गरीब शूद्र घर घर भीख भाँगता था। किंतु एक दृष्टि से उसकी स्थिति अच्छी थी, वह इतना अपवित्र नहीं समझा जाता था कि उच्च वर्णों का मुर्दा सूना उसके लिए बर्जित हो। वह ब्राह्मण के शव को भी शपशान घाट ले जा सकता था,³²³ और वहाँ यिता का स्पर्श कर सकता था।³²⁴

तीन उच्च वर्णों में से ब्राह्मण से यह आशा की जाती थी कि वह पूरी नियम निष्ठा से अपना धार्मिक कर्तव्य निभाएगा। बौधायन ने कहा है कि दाजा को चाहिए कि जो ब्राह्मण प्रात और सायकाल सध्यावदन नहीं करे, उससे शूद्र का कार्य कराए।³²⁵ जो ब्राह्मण शारीरिक श्रमवाली जीविका अपनाएगा वह ब्राह्मणत्व खो बैठेगा। बौधायन का मत है कि जो ब्राह्मण पशुपालन करे, व्यापार करके जीविका चलाए, शिल्पी अभिनेता सेवक या सूदूयोर का काम करे उसके साथ शूद्रवद्यु व्यवहार किया जाना चाहिए।³²⁶ गौतम इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि यदि कोई आर्य किसी आर्यतर (अर्थात् शूद्र) व्यक्ति का

व्यवसाय अपनाए तो वह उसी कोटि का बन जाएगा।³²⁷ इस परिचेद पर टिप्पणी करते हुए हरदत्त ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण होकर भी किसी आर्यतर व्यक्ति का पेशा अपनाए तो शूद्र को उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए। उनका यह मत भी है कि जो शूद्र किसी आर्य का काम करे, उससे आर्यतर व्यक्तियों का पेशा अपनानेवालों को धृणा नहीं करनी चाहिए। सामान्यतया ऐसी धृणा में कोई तथ्य तो नहीं दीख पड़ता, क्योंकि आर्यों का दर्जा ऊँचा था। फिर भी, ये नियम बताते हैं कि उच्च वर्णों के सदस्य, खासकर ब्राह्मण, शारीरिक श्रम सबथी व्यवसायों के प्रति धृणा का भाव रखते थे और यही कारण था कि जब उन्हें शारीरिक श्रम करके अपनी जीविका चलाने के लिए बाध्य होना पड़ता था, तब वे शूद्र समझे जाते थे।³²⁸ विनय/पिटक में कृषि व्यापार और पशुपालन को उच्च कोटि का काम माना गया है।³²⁹ जाहिर है कि यह वैश्य के कर्मों का उल्लेख करता है। दूसरी ओर बढ़ी और भग्नी का काम हीन कोटि का समझा जाता था।³³⁰ इसी ग्रथ में नलकार (बाँस का काम करनेवाला), कुभकार, पेसकार (बुनकर), चम्पकार और नहापित (हज्जाम), पाँचों के व्यवसाय को हीन कोटि का बताया गया है।³³¹ किंतु एक स्थान पर दुकार, नलकार, कुभकार और हज्जाम के कार्य को सामान्य शिल्प की सूची में रखा गया है,³³² जिससे पता चलता है कि पाँचवें व्यवसाय अर्थात् चर्मकार के व्यवसीय जो सभी लोग हेय समझते थे।

इन शिल्पों को समाज में कैसा दर्जा मिला था, उसका अलग अलग आकलन करने पर पता चलता है कि सामान्यतया कुभकार के कर्म को दुरा नहीं माना गया है।³³³ किंतु एक जगह दुनकर (ततुवाय) के काम को हीन कोटि का बताया गया है।³³⁴ मालूम होता है कि हज्जाम भी उपहास का पात्र होता था।³³⁵ इस प्रकार यद्यपि उपाल नाथक हज्जाम मिथु बन गया था, फिर भी मिथुणियाँ उसे ऐसे हीन कुल में उत्पन्न कहकर निर्दित करती थीं। जिसका पेशा सोगों के सिर की भालिश करना और गदगी को साफ करना है।³³⁶ इधर से मालूम होता है कि कुछ व्यवसायों को हीन कोटि का मानने की प्रवृत्ति प्रवर्तित थी। चौंकि ऐसे कार्य विभिन्न वर्ण के शूद्रों द्वारा किए जाते थे इसलिए कालक्रम में पूरे शूद्र वर्ण के पेशे को कलकित किया जाने लगा। दीय/निरङ्ग के एक परिचेद से यह बात स्पष्ट हो जाती है। जिसमें शूद्रों के कृत्यों का निर्धारण करने में लुद्दावार लुद्दावार ति वाक्याखड़ का प्रयोग किया गया है।³³⁷ इसका अर्थ यह हुआ कि शूद्र ये हैं जो शिकार और अन्य हीन कर्म द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं। एक जैन ग्रथ में भी वृप्त गृहदास (जन्मजात दास) और हीन कुल में उत्पन्न अपम व्यक्ति जैसे शब्दों का प्रयोग उसी रूप में किया गया है जिस रूप में कुत्ता, घोर छकेता ठग, मक्कर आदि को दुत्करण जाता है।³³⁸

प्राचीन पालि ग्रन्थों में पाँच हीन जातियों यथा घडान नेता³³⁹ देण रथकार और

पुक्षस जातियों की चर्चा बार-बार हुई है ।³³⁰ उन्हें नीच कुल³⁴⁰ और हीन जाति³⁴¹ का बताया गया है । हीन व्यवसायों, कार्यों और जातियों की गणना मूलत मौर्यपूर्व काल की मानी जाती है, क्योंकि बुद्ध अपने भिसुओं को निदेश देते हैं कि वे भिसुओं की पूर्व जाति, सिप्प, कम्म आदि का हवाला देकर उन्हें अपमानित न करें और इस प्रकार सध में भेदभाव उत्पन्न न करें ।³⁴²

बौद्ध ग्रंथों की अनेक हीन जातियाँ ब्राह्मणकालीन समाज के अद्युत वर्गों से मोटे तौर पर निलंती जुलती हैं । बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार चडाल और पुक्षस शूद्र वर्ण में सम्प्रिलित नहीं थे³⁴³ किंतु धर्मसूत्रों ने उन्हें निश्चित जातियों की सूची में रखा है, और इनमें शूद्र जातियों का खून मिला है । पतञ्जलि का कथन है कि पाणिनि ने चडाल और मृतप (शरों की रखवाली करनेवाला) को उन शूद्रों की कोटि में रखा है जो नगरों और गाँवों से बाहर रहते थे, जिनका स्पर्श हो जाने से ब्राह्मणों का कास्य पात्र सदा के लिए अपवित्र हो जाता था ।³⁴⁴

मूलत चडाल आदिवासी प्रतीत होते हैं । यह उनकी बोली से ही स्पष्ट हो जाता है³⁴⁵ एक जैन ग्रंथ में अन्य जनजातियों अर्थात् शबर, प्रविड, कर्लिंग गोड और गाथरों के साथ उनका उल्लेख किया गया है³⁴⁶ किंतु कालक्रम से चडाल अद्युत समझे जाने लगे । आपस्तब का मत है कि चडाल को सूना और देखना पाप है³⁴⁷ किंतु यह परिच्छेद उसके धर्मसूत्र की पहले की दो पाठुलिपियों में तभी मिलता,³⁴⁸ जिससे पता चलता है कि अस्पृश्यता प्राप्त मौर्यपूर्व काल के अत में आई । इसी प्रकार वा एक उपब्रथ गीतम के परवर्ती ग्रंथ में मिलता है कि यदि किसी चडाल के स्पर्श से शरीर अपवित्र हो जाए तो सभी वस्त्रों के साथ स्नान करके उसे पवित्र किया जा सकता है ।³⁴⁹

पाति ग्रंथों में चडालों को स्पष्टतया अद्युत बताया गया है । बाद के एक जातक में चडाल को अधमाधम कोटि का माना गया है ।³⁵⁰ चडाल का शरीर स्पर्श करके आनेवाली हवा दूषित समझी जाती थी³⁵¹ चडाल पर दृष्टि पड़ना अपशकुन माना जाता था³⁵² यही कारण है कि बनारस के एक सेंट्रु की लड़की चडाल को देखने पर अपनी ऊँर्खे धोने लगती है क्योंकि वे ऊँर्खे अधम व्यक्ति को देखने के कारण दूषित हो गई थी³⁵³ यदि चडाल भोजन या पेय सामग्री को देख ले तो उसे ग्रहण करना वर्जित था³⁵⁴ अोनवश भी उसका अन्न ग्रहण कर लेने पर लोगों को सामाजिक बहिष्कार का भागी बनना पड़ता था । कहा जाता है कि सोलह हजार ब्राह्मण अपनी जाति से इसलिए बहिष्कृत कर दिए गए कि उन्होंने अनजाने ऐसा अन्न ग्रहण किया जो शूद्र के जूठन के स्पर्श से दूषित हो गया था³⁵⁵ ऐसे ब्राह्मण का भी वर्णन आया है जिसने भूख की पीड़ा में चडाल का जूठा था लिया और अपनी जाति के लोगों की निंदा से बचने के लिए आत्महत्या कर ली³⁵⁶ एक

जातक कथा में बताया गया है कि जब चड़ाल शहर में प्रवेश करता है तब लोग उसे मार मारकर देहोश कर देते हैं।³⁵⁷ इसी प्रकार की कथा बाद के जैन ग्रन्थ में आई है। कहा गया है कि जब कामदेव की पूजा के अवसर पर बनारस के मातग नेता के दो बेटे गायक और नर्तक दल को लेकर पहुंचे तो उच्च जाति के लोगों ने उन्हें लाती और धण्डों से मारा और शहर से बाहर निकाल दिया।³⁵⁸ जो भी हो, जातक प्रसंगों से पता चलता है कि यद्यपि उच्च वर्णों के सभी लोग चड़ालों का अस्पृश्य समझकर धूण करते थे, किर भी ब्राह्मण उनसे विशेष नफरत करते थे।

जब ब्राह्मणप्रथान समाज में चड़ालों को सभवतया शिकारी और बहेतिया होने के कारण स्थान मिला तब उन्हें पशुओं और मनुष्यों के शव फेंकने का काम सौंपा गया। वे हमेशा शर्वों को हटाने और जलाने के काम³⁵⁹ से सबद्ध दीख पड़ते हैं।³⁶⁰ यह काम पण भी करते थे, जो चड़ाल कहलाते थे।³⁶¹ चड़ालों को कभी कभी सड़क पर झांडू लगाने के लिए कहा जाता था।³⁶² धर्मसूत्रों में चड़ाल को जल्लाद के रूप में विवित नहीं किया गया है, जो अपराधियों को फाँसी पर चढ़ाता है। जातक में उसे अपराधी को कोङ्गा मारने और उसका अगविच्छेद करनेवाला बताया गया है।³⁶³ कहा गया है कि जातक में जिस चौरपातक की चर्चा आई है, सम्बद्ध है कि वह चड़ाल हो।³⁶⁴ कुछ चड़ाल बाजीगारी और कलाबाजी का व्यवसाय करके अपनी जीविका चलाते थे।³⁶⁵ आज भी उत्तर भारत में पिछड़ी जाति के घुमकड़ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर यह पेशा करते हैं। चड़ाल दुष्पूर्ण और गदा जीवन व्यतीत करते थे। पालि ग्रन्थ में दी गई एक उपमा से पता चलता है कि जब चड़ाल के बच्चे फटा चिटा कपड़ा पहने हुए अपने हाथ में मिखापात्र लेकर गाँव या शहर में प्रवेश करते हैं, तब वे सिर सुकाए हुए आगे बढ़ते हैं।³⁶⁶ बाद के एक जातक से हमें मालूम होता है कि चड़ाल के पास एक जोङ्गा रगीन वस्त्र (जो अन्य लोगों से उसका विभेद कर सके) एक कमरबद जीर्ण शीर्ण वस्त्र और मिट्ठी का एक पात्र रहता था।³⁶⁷

साधारण बोलचाल की भाषा में वह व्यक्ति चड़ाल कहलाता था जिसमें कोई भी गुण न हो जो धर्म और नैतिक चरित्र से विहीन हो।³⁶⁸ किंक ने ठीक ही कहा है कि जातकों से प्रकट होता है कि चड़ालों का जो विद्रो उन्होंने किया है, उसमें व्यवहार और सिद्धात में बहुत अतर नहीं है।³⁶⁹ किंतु यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि चड़ालों के सबध में अधिकाश प्रसंग बाद के जातकों में खासकर चाथे खड में आए हैं अत वे मौर्यपुर्व दाल के अत अथवा उसके बाद के भी माने जा सकते हैं।

पुल्कस और पुकुस ऐसी आदिम जाति के जात होते हैं जो शिकार करके या चौस की वस्तुएँ बनाकर जीवनमापन करते थे।³⁷⁰ किंतु धीरे धीरे उन्हें ब्राह्मणकालीन समाज में खास खास ढण के कार्यों के लिए रख लिया गया यथा मंदिर और राजमहल से फूलों की

हठाना ।³⁷¹ फूल हठाने के लिए वे मदिर के प्राण में प्रवेश कर सकते थे, जिससे पता चलता है कि वे चड़ाल जैसे अथम नहीं माने जाते थे ।

वैष्ण एक दूसरी जनजाति थी जो शिकार और बाँस का काम करके निर्वाह करती थी ।³⁷² एक परवर्ती जातक में वेणुकार या वेलुकार का दर्जन आया है जो बाँस काटकर बोझा बनाने के लिए चाकू लेकर जगल जाता है, ताकि उसका व्यापार कर सके ।³⁷³ धर्मसूत्रों में वेणों की भी उत्पत्ति का अन्वेषण किया गया है । बौधायन का मत है कि वैष्ण वैदेहक पिता (वैश्य पिता और शत्रिय माता से उत्पत्त) और अब्द्ध माता (ब्राह्मण पिता और वैश्य माता से उत्पत्त) की सतति था ।³⁷⁴ इस प्रकार चड़ाल और पुल्कस की भाँति वैष्ण में शूद्र का रक्तसपर्क नहीं था । यद्यपि एक परवर्ती जातक में वेणी शब्द को चड़ाल के साथ कोष्ठबद्ध किया गया है,³⁷⁵ फिर भी ऐसा कोई प्रभाण नहीं मिलता जिससे यह पता चले कि वेणों को चड़ाल के समान अस्पृश्य समझा जाता था । विनय पिटक की टीका में स्पष्ट बताया गया है कि वैष्ण के रूप में जन्म लेने का अर्थ हुआ बढ़ई (तच्छक) के रूप में जन्म लेना ।³⁷⁶ जब वैष्ण और तक्षक शब्द समान अर्थबोधक हैं तब यह बात विवित लगती है कि जिस तक्षक को वैदिक समाज में ऊँचा दर्जा मिला हुआ था उसे बोद्ध ग्रथों में अथम जाति की कोटि में दियाया जाए ।

बोद्ध ग्रथों में रथकार को भी अथम जाति का माना गया है किंतु ब्राह्मण ग्रथों में उसकी सामाजिक हैसियत उच्च कोटि की ही रखी गई है । गृहसूत्र में उसके उपनयन का भी उपब्रथ किया गया है ।³⁷⁷ रीज डेविल्स का विचार है कि रथकार आदिम जाति के थे ।³⁷⁸ यह सही नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि वैदिक काल में वे आर्य विशु के अग थे । किंतु सभव है, बाद में कुछ आदिम जातियाँ रथकारों की पक्षि में मिला दी गई हों । परवर्ती जातक के एक अनुच्छेद³⁷⁹ के आधार पर यह सुझाव दिया गया है कि रथकार का ओहदा इसलिए गिर गया कि उसने चर्मकार का काम आरथ बर दिया ।³⁸⁰ किंतु रथकार भी राजा के रथ के पहिए बनाने में सलम्न रहता था ।³⁸¹ इतना ही नहीं यद्यपि चर्मकार का काम हीन कोटि का माना जाता था फिर भी वह अथम जातियों की सूची में नहीं रखा गया था । बोद्ध ग्रथों में रथकार को अथम जाति का मानने का एक कारण प्राय यह था कि बौद्धों को युद्ध से पृष्णा थी और रथकार युद्ध के लिए रथों का निर्माण करते थे । जो भी हो इतना तो स्पष्ट है कि वे चड़ाल और पुक्स के स्तर तक नीचे नहीं गिरे थे ।

बौद्धों ने हीन जातियों की जो सूची बनाई उसमें नेसादों को ऐसे सम्मिलित किया गया, इसकी व्याख्या करना बहुत कठिन नहीं है । यह धर्मसूत्रों में उनकी हीन रित्यति से मिलता जुलता है । वे स्त्री आर्यपूर्व जनजातियों में से थे जो नाटे कद के होते थे । उनका रग कोयले जैसा काला आँखें लाल³⁸² कपोत उभरे हुए नाक विपटी और बाल ताँबे के

रग के थे³⁸³ उनके सदय में विवित परपरा चली आ रही है कि वे देण राजा के तन से उत्तर हुए थे,³⁸⁴ जिसने मुनियों पर बहुत अत्याधार किए। इससे अनुमान किया जा सकता है कि उन्होंने ब्राह्मणवाद के विकास का विरोध किया था। जब उन्हें ब्राह्मणप्रथान समाज में समाविष्ट कर लिया गया तब भी निषाद मुख्यतया शिकारी ही बने रहे³⁸⁵ और अपने गाँवों में निलास करते रहे³⁸⁶ सभव है कि कुछ निषादों ने ब्राह्मणों के वर्ग में स्थान पा लिया हो। यद्यपि गोत्रों की किसी भी मानक सूची में निषाद गोत्र का उल्लेख नहीं है, किर भी पाणिनि के गणपाठ³⁸⁷ में निषाद गोत्र की चर्चा हुई है। ऐसा तभी सभव हुआ होगा, जब आदिवासी पुरोहितों में से कुछ को ब्राह्मणों का दर्जा दे दिया गया होगा या जब ब्राह्मण आदिम निवासियों के पुरोहितों के रूप में काम करने लगे होंगे³⁸⁸ इतना तो स्पष्ट है कि इस काल में निषाद उस दर्जे से नीचे अवश्य आ गए थे जो वैदिक समाज में उन्हें मिला था।

पालि ग्रन्थों में उल्लिखित कुछ हीन जातियों खासकर निषादों और चड़ालों को तो अवश्य ही असूत माना जाता था। सामूहिक रूप से अद्यूत अत्य या बाद्ध कहे जाते थे, अर्थात् वे लोग गाँव या नगर के बाहर रहनेवाले थे। गौतम ने अत्य को पापिष्ठ माना है³⁸⁹ वसिष्ठ ने भद्र शूद्रों और अत्ययोनियों के दीव अतोर करते हुए बताया है कि अत्ययोनि के लोग केवल अपने मुकुदमे में गवाह बनकर उपस्थित हो सकते थे³⁹⁰ आपस्तव दर्मसूत्र में अत शब्द का प्रयोग चड़ाल के प्रस्तग में हुआ है और उसमें बताया गया है कि वह गाँव के आविरी छोर पर रहता था³⁹¹ इसी सदर्भ में हरदत्त ने बाड़ों को, जिनके सामने वेदपाठ करना निपिद्ध था उग्र और निषाद कहा है³⁹² वसिष्ठ के पतानुसार अतावसाधिन् ऐसी जाति थी जिसकी उत्पत्ति शूद्र पुरुष और वैश्य स्त्री से हुई थी।³⁹³ बह्य गया है कि जो ब्राह्मण पिता अतावसाधिनों के साथ रहे या उस समुदाय की किसी स्त्री का समोग करे उसे जाति से दृष्टिशृकृत कर देना चाहिए।³⁹⁴ असूत साधारणतया गाँवों और नगरों के छोर पर अथवा अपनी बसितियों में रहते थे। उनका दिलगाव किन्तु प्राचीन आर्य बसितियों से जान बूझकर बाहर निकाले जाने की नीति के फलस्वरूप नहीं हुआ था। मालूम होता है कि आदिम जातियों के गाँवों की पूरी जावादी वो ब्राह्मणों ने अस्यूश्य घोषित कर दिया था।

पर्मसुत्रों में अस्यूश्यता की उत्पत्ति की जो व्याख्या की गई है उसे स्वीकार करना सभव नहीं है क्योंकि इसमें अस्यूश्य उसे कहा गया है जो शिवित्र जातियों से उत्पत्र हो। बताया गया है कि अपिकाश मामलों में अस्यूश्यों की उत्पत्ति बाद समुदायों के सर्वथा वित्तग और परपरारटित जीवन के परिणामस्वरूप हुई³⁹⁵ किंतु यह विचार तर्कसंगत नहीं लगता क्योंकि यह सामाजिक तथ्य मौर्यपूर्व काल में प्रकट हुआ तब बौद्ध धर्म का उद्भव

और विकास हुआ। यह भी कहा गया है कि जिन लोगों ने गोमास खाना जारी रखा, उन्हें अछूत करार दिया गया³⁹⁶ हो सकता है कि इस कारण आगे चलकर उनकी सख्ता बढ़ी हो, किंतु यह उनकी उत्पत्ति की व्याख्या नहीं मानी जा सकती, क्योंकि मात्र गौतम शर्मसूत्र³⁹⁷ को छोड़ कर्ही भी कुछ ऐसा नहीं दियाई पड़ता, जिससे पता चलता हो कि इस युग में ब्राह्मण समाज में गोमास खाना निषिद्ध था। यह भी तर्क दिया जाता है कि घृणा की जिस भावना से अस्पृश्यता का विकास हुआ, वह भारतीय आर्यों में मूलतया नहीं थी, बल्कि उसका प्रवेश द्रविड़ों के माध्यम से हुआ जिनके बीच दक्षिण में आज भी अस्पृश्यता की भावना प्रबल है।³⁹⁸ किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि ब्राह्मणप्रथान समाज में द्रविड़ों के आत्मसात्करण के पहले उनके द्वारा ब्राह्मणवाद के अगीकार के पहले दक्षिण में अस्पृश्यता प्रचलित थी। इसके विपरीत दक्षिण के विधिप्रवर्तक बौद्धायन ने तथा आपस्तव ने आहार और स्पर्श के विषय में शूद्रों के प्रति उतना कष्टर दृष्टिकोण नहीं अपनाया है, जितना धर्मसूत्रों के दो अन्य उत्तरक्षेत्रीय लेखकों ने अपनाया है। इसके अलावा पहले यह भी बताया गया है कि उच्च वर्ण के लोग जो आर्य होने का दावा करते थे, किस प्रकार कुछ शिल्पों और व्यवसायों को हेय समझते थे। अतत् यह निष्कर्ष निकलता है कि अस्पृश्यता की भावना का उद्भव कुछ व्यवसायों को अपवित्र मानने के सिद्धात के आधार पर हुआ है।³⁹⁹ किंतु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कुछ व्यवसाय क्यों अपवित्र माने जाएं?

अस्पृश्यता की उत्पत्ति का एक कारण आदिम जातियों का सस्कारहीन जीवन था क्योंकि वे मुख्यतया शिकारी और बहेत्रिए के रूप में जीवन बिताते थे और उनकी तुलना में ब्राह्मण समाज के लोग धातुकर्म और कृषि का ज्ञान रखते थे तथा नगरजीवन का विकास कर रहे थे।⁴⁰⁰ बौद्ध ग्रंथों में इन जातियों के हीन सस्कार और तञ्जन्य उनकी दुरवस्था का वर्णन इन शब्दों में किया गया है 'यदि वह मूढ़ इतनी लंबी अवधि के बाद मनुष्य की कोख में जन्म लेता भी है तो वह नीच जाति के घर जाता है जैसे चड़ाल, नेसाद वेण रथकार और पुहुस। इनका पुनर्जन्म धुमकड़ और अकिञ्चन के रूप में अभावप्रस्त जीवन दितारों के लिए होता है, इन्हें पेट भर भोजन और शरीर पर वस्त्र शायर ही मिल पाता है।⁴⁰¹ इससे पता चलता है कि इन अधम जातियों का जीवन बड़ा सकटमय था और इनकी हालत वैसे शूद्रों से कहीं बदतर थी जो दासों और कम्पकरों के रूप में नियोजित थे आर जीविका की दृष्टि से कुछ हद तक सुरक्षा का अनुभव करते थे। भौतिक जीवन की यह प्रियमता धुद ब्राह्मण समाज में बड़ रही घृणा की भावना के साथ उग्र होती चली गई। तत्कालीन ग्रीक समाज⁴⁰² की भाँति ही वैदिक काल के पश्चात्यार्ती समाज में शारीरिक श्रमग्राले आये और व्यवसायों के प्रति वृणा के भाव दियाई पड़ते हैं। उच्च वर्ण के लोग यात्राकर ब्राह्मण और क्षत्रिय थीरे थीरे उत्पादन कार्य से हाथ थीचने लगे और अपनी

स्थिति तथा कृत्यों के सबथ में वश-परम्परा का निर्वाह करने लगे जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके मन में न केवल शारीरिक श्रमदाते कार्यों के प्रति धृणा बड़ी, बल्कि वे उन्हें भी हेय समझने लगे जो इस तरह का कार्य करते थे।

आदिम जातियों की हीन सस्कृति श्रमसाध्य कार्य के प्रति बढ़ते हुए धृणा के भाव, और निषेध तथा अपविक्रता सबथी अतिप्राचीन विद्यारों की पृष्ठभूमि में अस्पृश्यता जैसी असाधारण भावना का उदय हुआ। यह खासकर घडात के कार्य के बारे में सत्य था जो शर्वों द्वारा निपटाता था और जिस कार्य को पुरुने विद्यार के लोग अपवित्र और धृणास्पद समझते थे। नतीजा यह हुआ कि लोग ऐसे व्यक्तियों का सग साथ छोड़ने लगे। आगे घलकर न केवल निशादों और पुन्कसों के ही, बरन घमड़े के व्यवसायियों और बुनकरों को भी अस्पृश्य माना जाने लगा। यों इस काल में यद्यपि चम्पकारों और पेसकारों का कार्य हेय समझा जाता था किर भी खुद उन्हें अस्पृश्य नहीं माना जाता था।

अतः हमें यह देखना है कि इस क्रल के धार्मिक सुधार आदेतनों ने शूद्रों की स्थिति को बहाँ तक प्रभावित किया। जहाँ तक धार्मिक उद्धार का सबथ है, बौद्ध धर्म ने न केवल चारों दणों के लिए अपना दरवाजा खोलकर उन्हें सब में प्रवेश करके भिषु बनने की अनुमति दी।⁴⁰³ बल्कि घडातों और पुकुसों को भी निर्वाण प्राप्त करने योग्य बताया।⁴⁰⁴ जब ढाकू अगुलिमाल को बौद्ध सप्राण्य में लिया गया तब उसने प्रसन्नतापूर्वक बहा ‘दस्तुत अब मैंह जार्य कुल में जन्म हुआ है।’⁴⁰⁵ इससे पता चलता है कि बादों ने अपने घटों में शूद्रों को जो प्रवेश दिया उससे जनजातियों के दीशा पाने के प्राचीन अधिकार उन्हें वापस निल गए। जिनसे वे ब्राह्मण समाज द्वारा वंचित कर दिए गए थे। किंतु जहाँ जनजातियों की जीवन दीक्षा उन्हें इस सासार के व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करती थी वहाँ यह नई दीक्षा उन्हें इस जीवन के कट्टों से ब्राण पाने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि देती थी।⁴⁰⁶

ज्ञान प्रदान करने में बौद्ध धर्म किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता था। बुद्धदेव कहते थे कि जिस प्रकार राजा या राज्यपत्र के स्वामी के लिए सारा राजस्व अपने ही हित में लगाना श्रेयस्कर नहीं है उसी प्रकार ब्राह्मण या श्रमण का सारे ज्ञान पर एकाधिकार कर लेना उचित नहीं।⁴⁰⁷ बुद्धदेव के विवारनुसार कोई भी व्यक्ति यहाँ वह किसी भी जाति का क्यों न हो अध्यापक बन सकता है। कहा गया है कि अध्यापक शुद्ध घडात या पुकुस क्यों न हो उसका हमेशा आदर किया जाना चाहिए।⁴⁰⁸ बौद्ध धर्म की मनोवृत्ति का एक प्रिश्य उदाहरण जानक कथा में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि एक ब्राह्मण ने घडात से जातू सीधा किंतु लज्जावश उसे गुठ नहीं स्वीकार करने के कारण वह जातू भूल गया।⁴⁰⁹ दूसरा उदाहरण एक बोधिसत्त घडात का है जिसने शास्त्रार्थ में पराजित अपने एक ब्राह्मण

शूद्रों जैसे गरीब लोग भौतिक साम्र की दृष्टि से सप की शरण लेते थे । वे भिक्खुओं के जीवन की कामना करते थे, जो अच्छा भोजन करके बाहर की हवा से बचकर आराम से विछान पर लेटते हैं ।⁴³¹

किंतु बौद्ध और जैन मठों के नियमानुसार यह इष्टकर नहीं समझा जाता था कि बहुत बड़े श्रमिक वर्ग को सप में लेकर सासारिक कर्तव्यों से विरत कर दिया जाए । कोई दास या ऋणी बौद्ध मठ में तब तक नहीं प्रवेश पा सकता था ।⁴³² जब तक कि दास का मालिक उसे दासत्व से मुक्ति न दे दे और ऋणी अपना ऋण-शोधन न कर दे । सप में प्रवेश करने के साम स्पष्ट थे । एक उपदेश धार्ता के क्रम में बुद्धदेव अजातशत्रु से धासतीर से पूछते हैं कि क्या आप ऐसे भूतपूर्व दास को, जो सप का सदस्य बन गया है, अपना दास मानेंगे और उसे पुा दास कर्म के लिए बाध्य करेंगे । राजा का उत्तर स्पष्टतया नकारात्मक है ।⁴³³ सभवतया इस प्रताग में ऐसे दास की चर्चा है जो स्वामी की अनुभावी से सप में दाखिल हुआ हो । जैन मठ में भी जिन लोगों के लिए प्रवेश वर्जित था, वे थे डैक्टा राजा के शत्रु, ऋणी, अनुयायी सेवक और ऐसे लोग जिनका बलात् धर्म परिवर्तन किया गया हो ।⁴³⁴

बाद और जैन धर्म ने तात्कालिक सामाजिक और आर्थिक सबपौ को स्वीकार करते हुए भी दासों की स्थिति सुधारने के कुछ दूसरे तरीके अपनाए । एक धर्मसूत्र ने केवल ब्राह्मणों के लिए मनुष्य का व्यापार वर्जित किया था ।⁴³⁵ किंतु वह भी दासों के बदले दासों का विनियम कर सकता था ।⁴³⁶ परं बौद्ध और जैन धर्मग्रंथों ने अपने साधारण अनुयायियों के लिए भी मनुष्य का व्यापार निषिद्ध किया है ।⁴³⁷ फिर भी एक बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है कि आर्य शिष्य दासों और कम्मकरों से समृद्ध बनते हैं ।⁴³⁸ इससे पता चलता है कि साधारण उपासक अपने दासों की सख्ता अन्य तरीकों से बढ़ा सकता था । भिक्खु दास नहीं रहते थे । जातक कथा के एक अनुच्छेद⁴³⁹ का यह अर्थ लगाया गया है कि भिक्खुओं के दास अपने बीमार मालिकों के लिए रुचिकर भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से नगर में जाते थे ।⁴⁴⁰ किंतु यह अर्थ उक्त परिच्छेद के गलत रूपातर के आधार पर किया गया है ।⁴⁴¹ इस परिच्छेद में दासों और मालिकों की चर्चा नहीं की गई है बल्कि ऐसे अन्य भिक्खुओं द्वा उल्लेख किया गया है जो अपने बीमार बयुओं की सुश्रूषा करते थे और जिन्हे ‘आवुसो शब्द से सबोधित किया जाता था । यह ऐसा शब्द है जो सामान्यतया भिक्खुओं के लिए प्रयुक्त होता है ।⁴⁴²

बाद और जैन धर्म ने अपने अनुयायियों में अपने कर्मचारियों के प्रति उदारता और दयालुता वी भावना जगाने का प्रयास किया । दीर्घ निकाल के एक परिच्छेद में यह आदेश दिया गया है कि मालिकों को चाहिए कि वे अपने दासों और कामगारों के प्रति भद्र व्यवहार करें उन्हें सामर्थ्य से बाहर कार्य नहीं दें । उन्हें भोजन और मजूरी दें अस्वस्थावस्था में

उनकी देखभाल करें, समय समय पर उन्हें मुट्ठी है, और अपने असाधारण सुखादु शोजन में से हिलता है। नौकर को भी चाहिए कि मजूरी से सहुष्ट रहे, ठीक से काम करे और अपने मानिक का नाम बनाए रखे।⁴⁴³ अशोक ने भी अपनी प्रगति को ऐसे अनुदेश दिए थे। जातक में भी कहा गया है कि यदि मालिक बोधिसत्त्व हो तो वह दास से अच्छा व्यवहार करता है।⁴⁴⁴ एक जैन ग्रथ में कहा गया है कि यन का समय न केवल सो सबपियों और राजाओं के लिए बल्कि दासों, दासियों, कम्पर्हरों और कर्मचारियों के लिए भी किया जाना चाहिए। इस तरह यह सुझाव दिया गया है कि ये दास, दासियों, कम्पकर आदि अपने मालिक से भरण पाणि के हकदार हैं।⁴⁴⁵

हमें इस बात का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है कि निम्नवर्गीय लोगों में अपर्धमी सप्रदाय के अपाजक्षीय अनुपायियों की सख्ता कितनी थी। शिल्पी समुदायों के बीच बौद्ध धर्म के कुछ अनुपायी अवश्य थे।⁴⁴⁶ आजीविक सप्रदाय कुम्भारों के बीच विशेष रूप से प्रबलित था और उनके बीच इसका विशेष आकर्षण था।⁴⁴⁷ सुधारवादी धर्मों ने कृषि तथा कुछ अश तक शिल्प व्यापार पर आधारित वर्ग व्यवस्था को मजबूत अवश्य किया, पर उन्हें निम्न वर्ग के लोगों की स्थिति में किती तरह कोइ मूलभूत परिवर्तन नहीं किया। बौद्ध मठों में ऐसे लोगों का अनुपात आर महत्व नगण्य भालूम होता है। प्राचीन बौद्ध धर्म में समता के सिद्धान का आलबन रहने पर भी अभिजात तत्र (तीनों प्रकार के, जन्म विद्या और वैभव) की ओर विशेष मुक्ताव था, जिसे परपरा की देन कहा जा सकता है।⁴⁴⁸ यह कहना तो अतिरिक्त होगा कि बुद्धदेव के प्रादुर्भाव से भारत के सामाजिक सघटन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा।⁴⁴⁹ किंतु बौद्धों ने उस वर्ग व्यवस्था के आधारभूत तथ्यों का शायद ही कभी चुलकर विरोध किया। जिसके अनुसार शूद्रों को सेवि वर्ग के अतर्गत रखा गया था। द्राक्षणों का यह दाया था कि वे अत्य तीन वर्णों से ब्रेष्ट हैं, किंतु गौतम बुद्ध ने इसका उड़न करते हुए बताया है कि जहाँ तक उद्भव का प्रश्न है, स्फिन्य उच्च है और शाश्वत निम्न। पर वे दैश्यों और शूद्रों की अपेक्षा न तो द्राक्षणों और न क्षणियों की ही ब्रेष्टता पर कोई आपत्ति करते हैं।⁴⁵⁰ बौद्ध धर्म के बीच यह बताने का प्रयास करता है कि मुक्ति की खोज में जाति का कोई महत्व नहीं।⁴⁵¹ इसाई धर्म की ही तरह इस काल के धार्मिक सुधार जादोलनों में भी दासता की बुनियाद पर कभी कोई आपात नहीं किया। उन्होंने शूद्रों की आर्थिक एव राजनीतिक अशक्तताओं को भी दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया। उलटे बौद्ध सम्बन्ध का दरवाजा गुलामों और कर्मद्वारों के लिए बद था, और बौद्ध धर्म कर्ज की उदायगी पर जोर देता था।

ऊपर के विचार विषय से पता चलता है कि वैदिक बात के परवात शूद्रों की स्थिति अस्पष्ट नहीं रह गई। इस काल में वे शैय जातीय अपिकारों से बिधा कर दिए गए और

आर्थिक, राजनीतिक सामाजिक तथा पार्मिक अशक्तताएं उनके सिर मढ़ दी गईं। तीनों उच्च वर्णों से उनमें स्पष्ट प्रभेद कर दिया गया, उन्हें वैदिक यन्, दीक्षा विद्या और प्रशासनीय पदों पर नियुक्ति से ध्यात रखा गया और सबसे बड़ी बात यह हुई कि उन्हें दास, कृपि भादूर और शिल्पियों के रूप में द्विजों की सेवा करने का भार सौंपा गया। इस सदृश में प्राचीन बौद्ध और जैन ग्रथों में निम्नवर्गीय लोगों का जो वित्र उभरता है, वह सारत भिन्न नहीं है। बौद्ध ग्रथों में चार-चार प्रथम तीन वर्णों के लोगों को धनवान्य से परिपूर्ण बताया गया है,⁴⁵² किंतु दासों शूद्रों और कम्मकरों की चर्चा भी नहीं की गई है। ऐसा उल्लेख मिनता है कि बुद्धदेव ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और गृह्यति उपासनों⁴⁵³ की सभाओं में भाग लिया था पर शूद्रों की सभा का कोई उल्लेख नहीं है।

ऐसा रुद्गा सतही होगा कि शूद्रों को यन कर्म और उच्च वर्णों की पथत से विलग रहने के पीछे केवल यही भावना थी कि धर्म कर्मों की पवित्रता और शुभिता दर्ती रहें।⁴⁵⁴ यह विशेष रूप से ध्यातव्य है कि इस तरह की भावना तभी पनपी होगी जब समाज के अनेक लोगों को पीड़ियों तक श्रमजीवी बने रहने की रिति में पहुँच दिया गया होगा और पारिणामस्वरूप उन्हें अपने कार्य के आधार पर अपवित्र मान लिया गया होगा। निम्नवर्गीय लोगों के शारीरिक श्रम के प्रति धृगा की इस भावना ने अतद अस्फूर्शता को जन्म दिया।

धर्मसूत्रों, खासकर वसिष्ठ और गौतम के धर्मसूत्रों में यह प्रवृत्ति दियाई पड़ती है कि पवित्रता भोजन और विवाह की दृष्टि से वैश्यों को शूद्र ही समझना चाहिए। यह ऐसी प्रक्रिया है जो समान रूप में बौद्ध ग्रथों में भी पाई जाती है। बुद्धदेव कहते हैं कि सदोषन सत्कार, उपगम और बर्ताव के विषय में वैश्यों और शूद्रों की अपेक्षा क्षत्रियों और ब्राह्मणों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।⁴⁵⁵ बाद के (सभवतया मौर्यकालीन) एक बौद्ध ग्रथ में गोप केवल क्षत्रियों और ब्राह्मणों के ही बताए गए हैं।⁴⁵⁶ जातक के एक प्रारम्भिक परिच्छेद में यह दावा किया गया है कि बौद्धों का जन्म वैश्य या शूद्र जाति में कभी नहीं होता है बल्कि उनका जन्म दो अन्य उच्च जातियों में होता है।⁴⁵⁷ किंतु यह परिच्छेद खास जातक का अश नहीं है और इसे बाद का माना जा सकता है। इसी प्रकार का विवाह जैन गुरुओं के जन्म के सबण में भी प्रकट किया गया है और यह माना गया है कि उनका जन्म नीच पतित, गरीब अकिञ्चन या ब्राह्मण परिवारों में कभी नहीं होता है।⁴⁵⁸ स्पष्ट है कि इस सूची में ब्राह्मण को शामिल करने का कारण धार्मिक धैरभाव है। किंतु सूची के शेष सात्य सामान्यतया निम्न वर्ण के कहे जा सकते हैं। वैश्यों को शूद्रों में मिलाने की प्रवृत्ति प्राप्त इस काल के अत की मातृभूमि होती है। इससे शूद्रों की सच्च्या बढ़ी होगी क्योंकि दरिद्र वैश्यों को इन शूद्रों की कोटि में रखा दिया गया होगा। किंतु ऐसा लगता है कि इस काल में वैश्यों की सामाजिक रिति पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी प्रकार सुधारवादी धर्मों ने भी

मोजूदा समाज व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया और शूद्रों की आर्थिक, राजनैतिक तथा कानूनी अशक्तताएँ पूर्वत बनी रहीं।

शूद्रों की अशक्तताओं और वर्णप्रथा के दौंचे को समझने के लिए बौद्धकालीन भौतिक परिवेश की समझ आवश्यक है। सोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग होने के कारण गगा के मैदान खेती के लायक बनाए गए और पहले पहल लोहे के फाल के उपयोग के कारण बड़े बड़े खेत कायम हुए। खेती की जमीन का बैटवारा असमान हुआ और कुछ लोगों के पास इतनी अधिक जमीन हो गई कि वे उसे अपो कुटुब की सहायता से नहीं जोत सकते थे। इसके लिए उन्हें श्रम की आवश्यकता थी जो दास और कम्पकर ही दे सकते थे। उल्लेखनीय है कि वैदिक साहित्य में 'कर्मकर शब्द का प्रयोग भाड़े के मजदूर के अर्थ में नहीं हुआ है, यह प्रयोग वैदिकोत्तर सूत्र साहित्य में होता है और पालि में कर्मकर को कम्पकर कहा गया है।

ऐती में श्रम की आवश्यकता केवल बड़े बड़े कृषकों और गृहपतियों को ही नहीं थी, बल्कि साधारण गृहस्थों को भी एकाध दास अथवा कर्मकर की जरूरत होती थी। कृषकों के कर देने के कारण महाजनपदों अथवा बड़े राज्यों का जन्म हुआ, जिनके अधिकारी दर्दा टैक्सों पर जीते थे और उत्पादन कार्य से मुक्त थे। उनकी सेवा और घरेलू काम के लिए भी दासों और कर्मकरों की आवश्यकता थी। ऐसे पुरोहित अथवा ब्राह्मण को भी सेवकों की आवश्यकता थी जो राजाओं और कृषकों के दान दक्षिणा से धनादूर्य बन गए थे। राजाओं के हथियार बनाने के लिए और कृषकों के औजार बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कामगारों की जरूरत थी। इस प्रकार खेती और कारीगरी को चलाने के लिए खेतिहार मजदूर और शिल्पी लगाए जाने लगे। उन्हें अपने श्रम के अनुरूप पारिश्रमिक नहीं मिलता था और उनकी मेहनत के फल का खासा छिस्सा उच्च वर्ग के लोगों को मिलता था।

इस प्रकार की सामाजिक सरदना को कायम रखने के लिए वर्गव्यवस्था का निर्माण किया गया। इसके अनुसार दासों कर्मकरों शिल्पियों और घरेलू सेवकों को शूद्र वर्ण की सना दी गई। उन पर भाँति भाँति की अशक्तताएँ इसलिए लादी गई ताकि वे उच्च वर्ण के लोगों दी अनवरत सेवा करते रहें अपने श्रम का यथेष्ठ भाग उनकी सुख सुविधा के लिए देते रहें, और उनके विरुद्ध किसी प्रकार का विरोध न करें। इन अशक्तताओं के प्रति शूद्रों की क्या प्रतिक्रिया हुई इसकी बहुत कम जानवारी मिलती है। किंतु इस मामूली जानकारी के आधार पर भी इस मत को स्वीकार करना कठिन है कि 'जीवनयापन के लिए भीयन सर्वथा नहीं चल रहा था और समाज व्यवस्था शातिपूर्ण ढग से चलती जा रही थी।⁴⁵⁹

वतिष्ठ धर्मसूत्र की एक कडिका में शूद्रों के निम्नलिखित लक्षण बताए गए हैं चुगली खाना असत्य बोलना निर्दयी होना उद्ग्रान्वेषण करना ब्राह्मणों की निंदा करना और उनके प्रति निरतर वैर भाव रखना।⁴⁶⁰ इससे यह सर्वत भिलता है कि शूद्र आमतौर से

तत्कालीन वर्णव्यवस्था के प्रति और खासकर आदर्श धर्मनेता द्वादशों के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। किंतु जैसा ऊपर बताया गया है, मालिक अपने दासों और मजूरों के प्रति अधिक कठोर रहता था।⁴⁶¹ दास और मजूर की कठोरता अपने मालिक के प्रति अपेक्षाकृत कम होती थी। दासों की काति का एकमात्र उदाहरण विनय पिटक में मिलता है,⁴⁶² और यह बड़े साधारण प्रकार की थी। कहा जाता है कि एक बार कपिलवस्तु के शाक्यों के दास काढ़ से बाहर हो गए और जगल में भिक्खुओं को खाना पहुँचाने के लिए गई हुई रियों के साथ छीना झपटी की तथा उनका स्तीत्व भग किया।⁴⁶³

निम्न वर्ग के लोग सामान्यतया विरोध का जो तरीका अपनाते थे वह था अपने मालिक का काम छोड़कर चल देना। यह स्थिति केवल कर के बोझ से दबे हुए गहपतियों की ही नहीं थी,⁴⁶⁴ बल्कि शिल्पियों और दासों का भी यही हाल था। बाद के एक जातक से हमें जानकारी मिलती है कि लकड़हारों की एक बस्ती को एक काम सपने करने के लिए पहस्ते ही भुगतान कर दिया गया था पर जब उन्होंने उसे पूरा नहीं किया तो काम पूरा करने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। किंतु तथाकथित 'प्राच्य वैराग्य भावना' से अपने भाष्य के भरोसे न बैठकर उन्होंने घुपचाप भजबूत नाव बनाई और अपने परिवार सहित रातोरात गगा नदी के रास्ते समुद्र में पहुँच गए और तब तक चलते रहे जब तक उन्हें एक उपजाऊ द्वीप नहीं मिला।⁴⁶⁵ काम छोड़कर भाग निकलना दासों के लिए आम बात थी। श्रीभट्टी रीज डिविड्स का यह कथन गलत है कि भगोडे दासों के उदाहरण नहीं मिलते।⁴⁶⁶ जातक में कम से कम दो ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि दासों ने भागकर मुक्ति पाई।⁴⁶⁷ यह भी कहा गया है कि भार्गे हुए दासों ने बौद्ध मठ में शरण ली।⁴⁶⁸ बाद के एक जातक में कहा गया है कि बलि के लिए रखे गए कुछ व्यक्तियों ने अपनी जान दबाने के लिए अत्याचारी मुरोहित को बताया कि वे जजीर में बैंधे रहकर भी उसका दास बनकर सेवा करने को तैयार हैं।⁴⁶⁹ इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ मायलों में दासों को कड़ियों में बाँधकर रखा जाता था ताकि वे भाग न निकलें। मवखलि गोसाल विषयक दोष्परपरा में आजीवक नेता को भगोश बताया गया है जो भले ही सत्य न हो⁴⁷⁰ पर इससे ऐसा सकेत तो मिलता ही है कि दास के भाग निकलने की सभावना रहती थी। एक जगह कहा गया है कि मालिक का नियन्त्रण नहीं रहने के कारण दास और कम्बकर अपनी सपत्ति के साथ भाग निकले।⁴⁷¹ इन उदाहरणों से पता चलता है कि सामान्यतया भजदूर वर्ग के लोग अपना कार्य छोड़कर भाग जाते थे और इस तरह तत्कालीन व्यवस्था के प्रति अपना रोष प्रकट करते थे। ग्रीस या रोम के दासों के विद्रोह जैसे दृष्टात नहीं मिलते हैं। किंतु शर्मसूत्रों में कहा गया है कि वर्णसंकर की स्थिति आने पर ब्राह्मण और वैश्य भी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र धारण कर सकते थे। क्षत्रियों को तो

हमेशा से यह अधिकार था ही।⁴⁷² यह तथ्य कि आपतकालीन रियति में तीन वर्णों के लोग ही शब्द धारण कर सकते हैं,⁴⁷³ यह सूचित करता है कि नियम बनानेवाले के मन में ऐसी आकस्मिक रियति की कल्पना रही होगी, जब शूद्र बलपूर्वक वर्ण की सामाजिकों को तोड़ने का प्रयास करेंगे। यद्यपि कपिलदस्तु के दासों की सामान्य क्रांति को छोड़, इस तरह के प्रयास का कोई दृष्टात् नहीं मिलता, फिर भी वर्सिष्ठ के नियम से पता चलता है कि उच्च वर्णों के लोगों को आशका थी कि शूद्रों पर जो अशक्तताएँ लादी गई हैं, उनके चलते कहीं वे व्यापक विद्रोह न कर दैठें।

सदर्थ

- 1 काणे 'हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र ॥ भाग । पृ XI अल्टिन रेस्टोरेंट पृ VII
मेयर बौद्धायन धर्मसूत्र और आपत्तव धर्मसूत्र को बुढ़े से यहले क्षय मानते हैं और दसिष्ठ धर्मसूत्र को ई पू. चौथी लकान्वी का बताते हैं हापकिंस । केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया । पृ 249
- 2 वीथ केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया । पृ 113
- 3 अग्रवाल इंडिया ऐज नोन टु पारिनि पृ 475
- 4 बुहलर सेकेन्ड बुम्स ऑफ दि ईस्ट ॥ पृ XLV काणे पूर्व निर्दिष्ट, पृ 13
- 5 गौतम धर्मसूत्र IV पृ 21 हापकिंस पूर्व निर्दिष्ट, पृ 240 पाद टिप्पणी । हापकिंस मानते हैं कि मह बैक्ट्रयन और अन्य एशियाई श्रीकों के बारे में है
- 6 गौतम धर्मसूत्र V पृ 41-42, पृ 45
- 7 बुहलर पूर्व निर्दिष्ट, पृ XLIX
- 8 गौतम धर्मसूत्र XXII पृ 18
- 9 वही IV पृ 16 21
- 10 वी के घोष (इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टर्स कलकत्ता पृ III) 6 7 11
- 11 हापकिंस पूर्व निर्दिष्ट । पृ 242
- 12 बौद्धायन धर्मसूत्र II 7 17 17 काणे पूर्व निर्दिष्ट, पृ 44
- 13 हापकिंस पूर्व निर्दिष्ट । पृ 249 50
- 14 विटरनिंज हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटोरेर । पृ 274
- 15 काणे पूर्व निर्दिष्ट ॥ भाग । पृ XI
- 16 ला हिस्ट्री ऑफ पालि लिटोरेर । पृ 30-33
- 17 वही पृ 15
- 18 टी डब्ल्यू आर डेविड्स बुद्धिस्ट इंडिया पृ 207. जातकों के प्राचीन तिथि निर्धारण के लिए देखें
- 19 ला पूर्व निर्दिष्ट : पृ 30 हापकिंस पूर्व निर्दिष्ट : पृ 260 पाद टिप्पणी । इस विषय का नवीनतम विवेचन ओ पाइजर के निवय दि प्राच्य ऑफ दि एट्रिज इन बुद्धिस्ट जातकाज (आर्द्ध ओरियेंटली प्राग xxii) पृ 238 9 में मिल सकता है

- 20 पाइजूर पूर्व निर्दिष्ट पृ 238 9
- 21 वही XXII 249 ई डब्ल्यू आर डेविस पूर्व निर्दिष्ट पृ 209
- 22 वी ढी कोसम्बी 'एन होटलशन दु दि स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री पृ 259 60
डेनियन एव एव हगल्स (जर्नल ऑफ दि अमेरिकन और इंडियन सोसायटी शाल्मीमोर LXXVIII) पृ 223-4
- 23 हस्तिनपुर और कठय (मध्या) में हुई हाल वी चुदाह के आधार पर कहा जा सकता है कि एक प्रभार के नगर जीवन का आरम्भ उसी ई पू के लगभग हो चुका था
- 24 इस विषय पर और भी अध्ययन करना है एन वी पी काल के पुरातात्त्विक अवधेंचे और प्राचीन पालि प्रथों की विषयवस्तु की तुलना से न बेवल इन साहित्यिक स्रोतों की तिथि दृढ़तापूर्वक निश्चित करने वी सहायता निलेगी बल्कि मौर्य पूर्वकालीन भौतिक जीवन का भी ज्ञान बढ़ेगा और हम उसे अच्छी तरह समझ भी पाएंगे
- 25 नीचे देखें अध्ययन VI
- 26 जैकोबी 'सेकेड बुस्स ऑफ दि ईस्ट' XXII प्रस्तावना पृ XLIII मनुष्यदार और पुस्तकर 'दि एज ऑफ इंडियन यूनिटी पृ 423 चार्टरेटियर (उत्तरा, प्रस्तावना पृ 32 और 48) उन्हें ई पू तीन सी और ईस्टी सन के आरम्भ होने के बीच के काल का बताते हैं
- 27 ई डब्ल्यू रीज डेविस 'आपनागढ़ ऑफ दि बुद्ध' पृ 286
- 28 सेनट कास्ट इन इंडिया पृ 101 लेखक की टिप्पणी पृ ५ सेनसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया 1901 पृ 546 से लेखक का उद्घाटन बैस ने इधनोश्रावी पृ 11 पर दिया है
- 29 वे वी रास्वामी अध्यगार आसेक्टस ऑफ सोशल एंड पोलिटिकल सिस्टम ऑफ मनु पृ 56 देखें हापरिस पूर्व निर्दिष्ट पृ 293 4
- 30 के वी रास्वामी अध्यगार इंडियन बैमोलिज्म पृ 48
- 31 अभा तक इन प्रथों का अध्ययन छिटपुट दृष्टि से किया गया है जाती वे हिंदू लोग ऐड कस्टम तथा काणे के हिस्ट्री ऑफ दि वर्षशास्त्र में विविध प्रथों की विषयवस्तु को बालक्रम से नहीं रखा गया है पालि प्रथों के आधार पर फिक रीज डेविस आर मेहता और ए एन बैस के जो प्रथ प्रस्तावित हुए हैं उनमें भी वही त्रुटि है जे सी जैन के लाइफ एज डिपिक्टेड इन दि जैन कैनन में भी सभी सामग्री को एवं चित्र करके रख दिया गया है पर सभय और स्थान का ध्यान नहीं रखा गया है कुछ प्रामली में कालम्बानुसार विषय रखने के प्रयास हुए हैं किंतु भारतीय वर्ण व्यवस्था सबसी रखनाओं में ब्राह्मणों वर्ग विद्वार ही नहीं किया गया है
- 32 प्राचीन बैम रास्वामी और धर्मसूत्र से क्रमत जिन सामाजिक स्थितियों वा दता चला है उन्हें अलग अलग अध्यायों (VIII IX) में लिखा गया है
- 33 मनुष्यदार और पुस्तकर पूर्व निर्दिष्ट अध्ययन XXI
- 34 फिक दि सोलाल आर्गेनाइजेशन ऑफ जार्म ईस्टर्न इंडिया पृ 314 दत औरिगन एंड दि ग्रोथ ऑफ कास्ट, पृ 268 9
- 35 (साइटीशिप डेर डोयवेन बैर्गेनलैंडिसेन गेजेतमास्ट) ॥ पृ 286
- 36 मद्धिम निकाय । पृ 429
- 37 दीप निराय । 193 मध्डिम निकाय ॥ पृ 33 और 40
- 38 डेविस बुद्धिस्ट इंडिया पृ 54

- 39 आपस्तब धर्मसूत्र I 11 7 गौतम धर्मसूत्र X पृ 54-57
 40 शिल्पद्वृतिश्व X 60
 41 मेहना प्री बुद्धिस्त इंडिया पृ 194 204
 42. इन्हे जैन प्रथों में गामावाई कहा गया है
 43 अगुलर निकाय III पृ 363 शिष्याधिद्वाना
 44 दीप निकाय II 126
 45 उदासग पृ 184
 46 जात III 281
 47 वही V 45
 48 मेहना पूर्व निर्दिष्ट पृ 198 9
 49 दीप निकाय II 147 सावित्रि ऐसे बड़े बड़े शहरों की सज्जा बीह थी और उनमें से छ इतने
 महत्वार्थी समझे जाने थे कि उन्हें बुद्ध के महानिर्वाज का स्थल माना गया
 50 शीघ्रती रीज डेविडस 'कैफियत हिन्दूओंक इंडिया I पृ 206
 51 शाणिनि व्याकरण की वृत्ति VI 2 63
 52 जात V 290 और 292
 53 वही VI 38
 54 गहणतिकस्त तदूवायेहि जात III 258 9 स्पष्ट है कि ऐसे गहणति शाय उनसे व्यापार
 सामग्री व्य उत्पादन करते थे
 55 जात IV 159
 56 वही 281
 57 कैफियत हिन्दूओंक इंडिया I 208
 58 जातक III 281
 59 वैदिक इंडिया 2.62
 60 शाणिनि व्याकरण V 4 95
 61 शाणिनि व्याकरण भाष्य V 4 95
 62 जात VI 189
 63 वही IV 207
 64 दीप निकाय I, 51 में गृह दासों के शिल्प का निर्णय किया गया है किंतु इससे गृहसेवा का संकेत
 प्रिय सद्वता है जात IV 16 एक अन्य प्रस्ताव में दासों और नौकरों के बारे में बदाया गया
 है कि उन्हें कोई व्याकरण व्यापार में सहाय हुए था
 65 गौतम धर्मसूत्र X 31 वित्त धर्मसूत्र XIX 28 शिल्पिनो मासि मास्यकैक कर्म कुरु
 66 गौतम धर्मसूत्र X 53 55 पोशात 'इंडियन कल्चर XI V पृ 26
 67 गौतम धर्मसूत्र X 47 आपस्तब धर्मसूत्र II 11 28 1 फरत व्य दीप के साथ
 68 दसिष्ट धर्मसूत्र I 42
 69 आपस्तब धर्मसूत्र II 10 26.5 दूदाश्व पाद्यवनेता
 70 वैदायिणि सीदिता बुद्धर के वर्णकरण के अनुसार
 71 अद्विष्ट निकाय II 180 बुद्धस्त सप्तनाम् असितव्यभोगेषु
 72 दीप निकाय I 104
 73 दी इन्हूं रीज डेविडस सेफेड बुस्त ऑफ दि बुद्धिस्त II पृ 128
 74 (शाइटर्स्ट डेर डोप्यूनेन मैनलैन्ड्वेनोगेतरलास्ट, II) पृ 286 इत पूर्व निर्दिष्ट, पृ 272
 एन के दत्त लिखते हैं छि बैठ साहित्य में गुलामों को कर्म थी दूर नहीं कहा गया है सेफेन

- वर्तमान उदाहरण से स्पष्टतया विषयीत तथ्य का संकेत मिलता है
- 75 जात I पृ 200
 - 76 वही VI पृ 389
 - 77 बदोपाध्याय स्लेडरी इन एनटिएट हाइड्रा (कलकत्ता रिव्यू 1930 से 8 पृ 254)
 - 78 ओस 'सोशल ऐड रूल इकानपी आफ नार्दें हाइड्रा' II पृ 423
 - 79 जात , VI पृ 285 (गाया) विनय पिटक IV पृ 224
 - 80 जी यी नक्सेकेर पाति डिक्कानरी ऑफ प्रापर नेमा I पृ 323 देखें इसिदार
 - 81 फिक पूर्व निरिट पृ 308
 - 82 दासी भार पाणिनि व्याकरण VI 142 सूपाड़म्, II 148 जात , III पृ 55 98 99
 - 83 'फ्रिज हिस्ट्री ऑफ हाइड्रा' I 207 विनय पिटक I 240 देखें सूपाड़म्, II 1 1. जो बड़े और छोटे दोनों प्रकार के खेतों का हवाला हैते हैं जात V पृ 413 शाक्य और कोलियों के दास और कम्मकर खेतों की सिंचाई करने में लगाए जाते हैं
 - 84 जातक III 293 IV पृ 276
 - 85 सुतनिपात I 4
 - 86 जात II पृ 181
 - 87 वेस्टरनब्र दि स्लोव टिस्टम्स ऑफ ग्रीक ऐड रोमन एटिकिल्डी पृ 8 9
 - 88 सुतनिपात V 472
 - 89 जात IV पृ 15 पठिङ्गम निकाय II पृ 186
 - 90 जात , V पृ 413
 - 91 विनय पिटक I पृ 243 272 II पृ 154
 - 92 आपस्तव धर्मसूत्र I 7 20 15 बहिष्ठ धर्मसूत्र II 39 गौतम धर्मसूत्र VII 16
 - 93 वेस्टरनब्र पूर्व निरिट पृ 9
 - 94 गौतम धर्मसूत्र X 58 जीर्णन्युपानचाच्रदासा कूचीनि.
 - 95 जात० I 372 (वर्तमान कथा)
 - 96 गौतम धर्मसूत्र X 59
 - 97 आपस्तव धर्मसूत्र I 1.3 40 उज्ज्वला की दौका सहित अतर्थिने वा शून्य
 - 98 हिरण्येश्वर गृहसूत्र I 2 8 1 2 (सेक्रेट नुक्स ऑफ दि ईस्ट अनुवाद)
 - 99 अग्रवाल पूर्व निरिट पृ 114
 - 100 विनय पिटक IV पृ 272 दरम् एव स्थिय दासान वा कम्मकरान वा पादभञ्जन वा पादीपक्त्वे वा आसित्तम्
 - 101 विनय पिटक I पृ 220
 - 102 आपस्तव धर्मसूत्र II 4 9 11 कामपात्मान जार्या पुत्र बोपठध्यात्र लेव दासकर्महरम्
 - 103 जातक I पृ 355 (दर्मान कथा) दासकर्मकरापि नो सातिभासोदन भुजेति कातिकदत्य निवारेति
 - 104 अग्रवाल निकाय I पृ 145 कण्जक जोनन दिव्यों
 - 105 वही I पृ 451 459
 - 106 वही III पृ 406 7
 - 107 वही VI पृ 372
 - 108 जात I पृ 475 II पृ 139 III पृ 325 406 444 परेस भर्ति

कल्पाकि कीन जीवति

- 109 जात III पृ 326
- 110 जात III 130 नगरद्वारे विविधिता मासके गहन्या
- 111 'पानि इगलित डिक्शनरी' देखे मासक शब्द
- 112 एस के चक्रवर्ती 'एनडिएट इंडियन न्युमिसमेटिक्स' पृ 56
- 113 हार्नर दि बुक ऑफ दि डिसिप्लिन I (अनुवाद सोकेड बुक्स ऑफ दि बुक्स्ट्रॉप में आई वी हार्नर का किया हुआ है, X पृ 71 2)
- 114 चौस पूर्व निर्दिष्ट II पृ 428
- 115 जातक III पृ 446 50 अपापि कामा न अलम् बहूहि पि न तत्परि
- 116 सूय I 4 2 18
- 117 दीप निकाय I पृ 141 अनुत्तर निकाय II पृ 207 8 III पृ 37 IV पृ 266 393
- 118 गौतम धर्मसूत्र XX 4
- 119 जात III पृ 300
- 120 कैबिन इस्ट्री ऑफ इंडिया I 203 याद हिष्यणी 8 में उद्धृत निर्देश इस विद्यार का समर्थन नहीं करते
- 121 सुतानिपत 769 ओदैया छ्व 6 उत्तर III 17 सूयाडम्, II 7 1
- 122 गौतम धर्मसूत्र XXVIII 13
- 123 जातक VI 135
- 124 वही II 129
- 125 जात III पृ 445 अत्तनो वसनद्वान गत्या
- 126 ऐप्सन कैबिन इस्ट्री ऑफ इंडिया I पृ 205
- 127 गौतम धर्मसूत्र λ पृ 61
- 128 जातक III पृ 387 यावतार्हासति पासोदावद एव पवीणति अद्वापाये जहन्ति
- 129 भत्तक के रूप में भी निधा गया है
- 130 पाति इगलित डिक्शनरी यह व्युत्पत्ति उपर्युक्त ग्रथ आहतक में अगीजूत की गई है
- 131 आहितक (अर्थात बषण रखा गया) शब्द की वैकल्पिक व्युत्पत्ति व्याकरण के सिद्धान्त के अनुसार आद्य नहीं है
- 132 बद्योपाध्याय इकानामिक लाइक ऐंड प्रोड्रेस इन एनडिएट इंडिया पृ 94
- 133 पाणिनि व्याकरण I 3 36 III 2 22
- 134 वही V 1 80
- 135 दार्ढण IV पृ 271 अभ्येष्युरि वी टीमा
- 136 जातठ IV पृ 276 8
- 137 जात VI पृ 426 यसेव धो भुजेय नैय तसेव अत्य पुरितो घोय्य
- 138 जातठ IV अनुत्तर निम्नय I पृ 206 निनय दिट्क I पृ 240
- 139 अपस्तव धर्मसूत्र II 11.28 2.
- 140 वही, 3
- 141 वही 4
142. वही 6
- 143 गौतम धर्मसूत्र XII 16-7
- 144 गौतम धर्मसूत्र XXVII 24 इरदत की दैश्म ऊहित इव्वदान विवाहीतिष्ठर्देष दर्भतवसयोगे

च शूद्रत्

- 145 वही XVIII 25 हरदत की टीका सहित अन्यत्रापि शूद्राद् बहुपशीहीन्कर्मण
 146 भनु XI 13
 147 गौणापन धर्मसूत्र II 2 3 10
 148 वसिष्ठ धर्मसूत्र XVIII 47.50
 149 वही XVII 38 शूद्रापुत्र एव पट्ठो भवतीत्याहुरित्येते दायाद्वान्यदा
 150 गौणापन धर्मसूत्र II 2 3 32
 151 वही II 2 3 10
 152 गौतम धर्मसूत्र XXVIII 37 शूद्रापुत्रोप्यनपत्यस्य शुश्रूषुवेत्तभेत् वृत्तिष्ठूलपन्तवासिदिपिना
 153 वही X 42 गौतम ने यह नियम बनाया है कि वैश्य और शूद्र को अपनी मैडनत से ही आय प्राप्त करनी चाहिए, निर्विष्ट वैश्यशूद्रयो
 154 कोसबी एनशिएट कोसल ऐड माय (जर्नल ऑफ दि बाबे ब्राच ऑफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी बाबे XXVII) पृ 195 201
 155 अगुत्तर निकाय IV पृ 239 जात I पृ 49 इस शब्द का शान्तिक अर्थ है बड़े प्रकोष्ठदाला बिहार में आज भी घनी अंतियों का सकेता करने के लिए सामान्य बोलचाल में इसी आशय के मुहावरों का प्रयोग किया जाता है
 156 फिक पूर्व निर्दिष्ट पृ 119 गौतम के अनुसार (X 5 6) कृषि व्यापार और सूदखोरी ब्राह्मण के लिए विधिसंगत है किन्तु शर्त यह है कि वह ये काम स्वयं न करे
 157 फाइजर पूर्व निर्दिष्ट (आर्कोव ओरियेंटलनी प्राग XXII) पृ 238 265
 158 रीज डेविल्स बुधिस्ट इंडिया पृ 102
 159 मनिश्रम निकाय II पृ 84 85
 160 वेस्टरमन्न पूर्व निर्दिष्ट पृ 16 क्लीट के कृथिदास को अपवाद माना गया है जो ऐसी संपत्ति धारण कर सकता था जिसमें भहिता दासियों के दहेज सबसी अधिकार को सुरक्षित रखा गया था
 161 गौतम धर्मसूत्र X पृ 62 3
 162 वसिष्ठ धर्मसूत्र XXVI 16 खत्रियो बहुवीरेण तरेदापदमात्मन घनेन वैश्यशूद्रौ
 163 विनय पिटक III पृ 136
 164 आपस्तव धर्मसूत्र II 10 26 4 श्रामेषु नगरेषु च आर्योऽसुधीन् सत्यशीलान् प्रजापुत्रये निरप्यात्
 165 वही II 10 26.5
 166 वही II 10 25 12 13
 167 आपस्तव धर्मसूत्र की हण्डतीय टीका II 10 25 13
 168 हार्षविंस रेत्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया I पृ 240
 169 वही
 170 पाणिनि ग्रामर IV 1 30
 171 अग्रवाल पूर्व निर्दिष्ट पृ 79
 172 शीघ्र निकाय II पृ 149
 173 सूक्ष्माङ्गुष्ठ, III 19
 174 फाइजर पूर्व निर्दिष्ट (आर्कोव ओरियेंटलनी प्राग XII) पृ 261
 175 जातक IV पृ 43

- 176 रायदौरी पूर्व निर्दिष्ट पृ 71
 177 धोपाल दि कास्टीट्रॉफुशनल निमित्तिस ऑफ सप गण इन दि पोस्ट वेट्रिक पॉर्टियड
 (इंडिशन कल्पवर कलकत्ता ११) पृ 62
 178 जयसवाल पूर्व निर्दिष्ट II पृ 69 70
 179 गैतम धर्मसूत्र चैटीका VI 10
 180 बैष्णवन धर्मसूत्र I 10 19 13 चत्तारो वर्ण पुत्रिण साहिण सु
 181 वैसिष्ठ धर्मसूत्र XVI 29 सर्वेषु सर्वे एव वा
 182 गैतम धर्मसूत्र XIII 3 मस्करिन और हरदत की अपि शूद्र की व्याख्या
 183 वैसिष्ठ धर्मसूत्र XVI 30 शूद्राणाम् सत् शूद्राश्वान्त्यनामन्त्ययोनय
 184 वैस्तरण धर्म निर्दिष्ट पृ 17
 185 गैतम धर्मसूत्र XI पृ 20 21
 186 पैथे पृ 100 1
 187 गैतम धर्मसूत्र XII पृ 11 13 हाद्यगत्तु क्षत्रिये पचाशत् तदर्थ वैश्ये न शूद्रे प्रिंवित्
 188 वही १ शूद्रो द्विजानीनतिसन्नायाभिलत्य दाप्तप्राचुर्याभ्याम् गोचो यैनोपहन्यात्
 189 आपस्तव धर्मसूत्र II 10 27 14 जिह्वाचेदा शूद्रस्य आर्यपूर्णार्थिकम् अन्नोशत्
 190 वही I 9 26.५ यह गतिनाओं के लिए भी विहित है
 191 वही I 9 26.३
 192 वही II 10 27 15 वाचि पथि शम्भायामासन इति सम्प्रभवते दण्डताडनम् गैतम धर्मसूत्र
 XII 7
 193 आपस्तव धर्मसूत्र II 10 27 9 वय शूद्र आर्याम्
 194 वही II 10 27 10
 195 वही II 10 27 8 नाश्य आर्य शूद्रायाम्
 196 गैतम धर्मसूत्र १ 15 16 अष्टपाय स्तेयित्वित्य शूद्रस्य द्विगुणोत्तराणीन्तराणम्,
 प्रतिवर्णम्
 197 आपस्तव धर्मसूत्र II 10 26 6 8
 198 मन्दिम निकाय II पृ 88 एव सन्ते इने चत्तारो वर्णा सुपसमा होन्ति
 199 रैसन ईविज्ञ हिन्दी ऑफ इंडिया I पृ 205
 200 वही
 201 जाता I पृ 402
 202 वही I पृ 451
 203 पठिक्षम निकाय I पृ 344 दण्ड तन्त्रिता भय तन्त्रिता अस्तुमुखा ठदमाना परिम्पानि
 करोति समुत्त निकाय I पृ 76 अमुत्तर निकाय II पृ 207 8 II पृ 172
 दीप निकाय I पृ 141
 204 सूयगडम् I 5 2.5
 205 सेकेंड बुक्स ऑफ दि ईस्ट xliv पृ 374 पाद टिप्पणी 9 वह व्यक्ति निसे उस उत्पादन
 (वृत्ति का) का छठा भाग प्राप्त होता है जिसके लिए उससे मजूरी पर काग कराया गया है
 206 वही 375 पाद टिप्पणी 1 देयगव्याहिय और अगच्छाहिय शब्दों का अनुवाद करना जैकोबी की
 ट्रूटि से कठिन है
 207 सूयगडम् II 2 20 जैकोबी का अनुवाद सूयगडम् II 2.63 'सेकेंड बुक्स ऑफ
 ईस्ट XVI, पृ 374 5 जा विय से बहिरिया परिसा भवे त जहादासे इ वा पेसे ह वा भय

- ए इ वा पाइत्ते इ वा कम्पकरए इ वा चोगुरिसे इ वा ऐसि यि यण अत्रयरसि अहलहुर्गीसे
 अवराहीसि सप्तमैव गणुय दण्ड निवलेह तं जहाम दण्डेह इम मुण्डेह इम तजेह इम तालेह
 इम अदुयबन्धनं कोह इम नियतबन्धनं कोह इम हहिबन्धनं कोह इम चारबन्धनं कोह इम
 नियतनुपल सकोषियमोडिय कोह इम हयचित्र कोह इम पायचित्रम् कोह इम कण्णचित्रह
 कोह इम भक्तजोह सीसमुहचिन्य कोह वैयचर्चाहियम् अग्वचाहियम् पक्षासोडिग वरेह
 इर्व नयपुण्याडिय कोह इम दसपुण्याडियं वसपुण्याडियं जीमुपाडिय ओतम्बियं कोह घनिय
 कोह घेतिय कोह सूलाइयं कोह सूलभित्रय कोह खारवतिय कोह वञ्च्छवतियम् कोह
 सीहपुच्छिय कोह वसपुच्छियग कोह दर्वाणदूद्यग काणणिपसखावियग भत्तपाणनिरुद्यग इम
 जवज्ञीवं वहबन्धनं कोह इम अत्रयरेन असुभेण कुमारेण मारेह
- 208 वेस्टरपत्र पूर्व निर्दिष्ट पृ 17
- 209 बौधायन धर्मसूत्र I 10 19 । आर 2 आपस्तव धर्मसूत्र I 9 24 ।-4 गौतम धर्मसूत्र
 XXII पृ 14 16
- 210 बौधायन धर्मसूत्र I 10 19 ।
- 211 आपस्तव धर्मसूत्र I 9 24 । हरदत्त वी टीका सहित
- 212 गौतम धर्मसूत्र XXII 14 16
- 213 वसिष्ठ धर्मसूत्र XX 31 33
- 214 सामूहिक्यान ब्राह्मण (इट्रोडक्षन) पृ X
- 215 वही I 75 6
- 216 आपस्तव धर्मसूत्र I 9 25 13 बौधायन धर्मसूत्र I 10 19 6
- 217 यह जानने योग्य है कि साम विधान ब्राह्मण । 77 में शूद्र की हत्या के लिए वही प्राप्तिवत
 विहित किया गया है जो गाय को मारनेवाले के लिए विहित है
- 218 पीछे पृ 109
- 219 पीछाल पूर्व निर्दिष्ट (इडियन कल्चर कलकत्ता XIV) पृ 27
- 220 वसिष्ठ धर्मसूत्र IV 2 बौधायन धर्मसूत्र I 10 19 5 6
- 221 बौधायन धर्मसूत्र II 3 6 22
- 222 गौतम धर्मसूत्र IX 1 वी टीका (सेवेड बुक्स ऑफ हिईस्ट II पृ 216)
- 223 बौधायन धर्मसूत्र IV 5 4 देखें भारद्वाज गृहसूत्र III 6 कैरिक सूत्र III 4 24
- 224 गौतम धर्मसूत्र IV 27 असरानाराय च शूद्रात् पश्चित्कृति
- 225 आपस्तव धर्मसूत्र II 2 4 19 शूद्रमस्यागतम् शूद्रोवेदागतस्त कर्मणि निषुन्यात्, बौधायन
 धर्मसूत्र II 3 5 14
- 226 आपस्तव धर्मसूत्र II 2 4 20 ब्राह्मणों के लिए राजा के भड़ार में इस प्रयोजन वी सामग्री
 रखी जाएगी
- 227 गौतम धर्मसूत्र V 43
- 228 वही V 45 अन्यान् शूद्रै सहानृशसार्थम्
- 229 आपस्तव धर्मसूत्र II 4 9 5 बौधायन धर्मसूत्र II 3 5 11 वसिष्ठ धर्मसूत्र XI 9
- 230 गौतम धर्मसूत्र VI 10
- 231 वही VI 11 अवरोपार्व शूद्रेण
- 232 आपस्तव धर्मसूत्र I 2 5 16
- 233 आपस्तव धर्मसूत्र I 4 14 26 29 गौतम धर्मसूत्र V 41-42
- 234 आपस्तव धर्मसूत्र I 4 14 23 सर्वनामा दिवयो राजन्यवैश्यो च न नामा

- 235 फिक पूर्व निर्दिष्ट पृ 83
 236 जातक III पृ 452
 237 आपस्तव धर्मसूत्र, I 5 16 21
 238 वही I 5 16.22
 239 वही I 5 16.30 हरदत वी दीना सहित
 240 वही, I.5 17 1
 241 वही I 6 18 13 सर्ववर्णना स्वप्तमें वर्तमानाना भोक्तव्य शूद्रवर्णनिष्ठेके
 242 आपस्तव धर्मसूत्र प्रस्तावना पृ III बुहलर के वर्गीकरण के अनुसार पादुलिपि जी
 पृ 2
- 243 वही II 8 18 2 बौधायन धर्मसूत्र II 2.3.1 बौसिष्ठ धर्मसूत्र XIV 2-4
 244 आपस्तव धर्मसूत्र I 6 18 14 तस्यापि धर्मोपनतत्त्व
 245 वही I 6 18 15
 246 गौतम धर्मसूत्र XVII 5 दृष्टिरूपेनात्तरेण शूद्रात्
 247 वही XVII 6 पशुपालसेवकर्त्त्वकुलसंगवकार्यपैठ्यपरिचारक। भोज्याज्ञा
 248 गौतम धर्मसूत्र VII 22
 249 वही IX 11
 250 बसिष्ठ धर्मसूत्र VI 26
 251 वही VI 27 29
 252 वही
 253 बौधायन धर्मसूत्र IV 15
 254 वही III 6 5
 255 हुत्या दि बौधायन धर्मशास्त्र इट्रोडक्षन पृ IX
 256 वही
 257 निरुक्त III 16 ब्राह्मण और ब्रूष्ठल के वैषम्य पर निरुक्त में जोड़ दिया गया है
 258 आपस्तव धर्मसूत्र II 2.3.1.4 आर्योदिष्टिता वा शूद्रा सरकार स्य जाद की पादुलिपियों में
 यह परिच्छेद नहीं फिलता (जैसा कि बुहलर के वर्गीकरण से प्रतीत होता है) स्पष्ट है कि जाद में
 इसे हटा दिया गया ताकि शूद्रों को जो जन बनाने से फिल्डुल बढ़िश्वृत कर दिया जाए
 259 वही II 2.3.6.8
 260 बौधायन धर्मसूत्र I 5 10 20 (हुत्या के वर्गीकरण के अनुसार) यह परिच्छेद उस पादुलिपि
 में नहीं फिलता, जो कि दक्षिण से श्राव द्वारा हुई है और उत्तर की पादुलिपि वी अपेक्षा अधिक मीलिक
 है (दि बौधायन धर्मसूत्र इट्रोडक्षन पृ VIII)
 261 जावक V 293
 262 वही IV 145 6
 263 फिक पूर्व निर्दिष्ट पृ 47
 264 सेनार्ट पूर्व निर्दिष्ट पृ 182 3
 265 बौधायन धर्मसूत्र I 11.20 13
 266 अप्यत्रितकलज्ञा हि वैश्यशूना भवन्ति कर्वणशुशुप्तापिकृतवात् बौधायन धर्मसूत्र I 11.20
 14 15 बुहलर का अनुवाद हि वैश्य और शूद्र अपनी पत्नी का बहुत अध्यान नहीं रखते थे सबद्ध

- परिच्छेद का सही अर्थ नहीं बताता है (सेकेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट XIV 207)
- 267 वसिष्ठ धर्मसूत्र XVII 78
- 268 वही XVIII 18 निष्ठक XII 13 कृष्णवर्णा या रामा रमणायैद न पर्माय
- 269 वही धोषाल पूर्व निर्दिष्ट (इंडियन कल्चर कलकत्ता XIV) पृ 22
- 270 वसिष्ठ धर्मसूत्र I 25 26 शूद्रामाये के मतवर्जनम् लद्वत्, तथा न कुर्यात्
- 271 वही I 27 अतो हि शूद्र कुलापर्क्ष प्रेत्य चास्वर्गा प्राचीन जर्मन लोगों में यह प्रथा प्रचलित थी कि यदि कोई दासतर व्यक्ति दास पत्ती से विवाह कर लेता था तो वह भी दास बन जाता था लैटैन दि ओरिजिन ऑफ दि इनडिकलिटी ऑफ दि सोशल कलासेज पृ 282
- 272 आपस्तब धर्मसूत्र I 9 27 10 11
- 273 वही I 9 26 7 27 11 बौधायन धर्मसूत्र IV 2 13 6 5 6
- 274 वसिष्ठ धर्मसूत्र I 24 बौधायन (I 8 16 1 4) ने ब्राह्मण को चार पत्तियाँ क्षत्रिय औं तीन वैश्य शो दो और शूद्र औं एक पत्ती रखने की अनुमति दी है
- 275 वसिष्ठ औं बौधायन दोनों ने शूद्र के लिए एक पत्ती की अनुमति दी है हालोंकि वसिष्ठ ने वैश्य के लिए भी एक ही पत्ती की अनुमति दी है
- 276 सिक पूर्व निर्दिष्ट पृ 51 इस समय में हामान्यतया जातियों में समोत्र विवाह प्रचलित था
- 277 गौतम धर्मसूत्र IV 27
- 278 बौधायन धर्मसूत्र I 9 17 7
- 279 वही वसिष्ठ धर्मसूत्र XVIII 1
- 280 गौतम धर्मसूत्र I 7 21 बौधायन धर्मसूत्र II 2 3 30
- 281 वही II 2 3 29 गौतम धर्मसूत्र IV 16 वसिष्ठ धर्मसूत्र XVIII 8
- 282 बौधायन धर्मसूत्र I 9 17 13 14
- 283 वही I 9 17 5
- 284 वही I 9 17 6
- 285 सिक पूर्व निर्दिष्ट पृ 9
- 286 छोटा नागपुर में इस तरह वी कई जनजातियों हैं और पूर्वी नेपाल में भी इस तरह वी कुछ जातियों हैं
- 287 आपस्तब धर्मसूत्र I 1 1 6 अशूद्राणाम् अदुष्टकर्मणामुपायनम् वेदाध्ययनमान्यायैय फल गन्ति व कर्मण
- 288 वही I 3 9 9 शाखायन धर्मसूत्र IV 7 33
- 289 बौधायन धर्मसूत्र I 11 21 15 गौतम धर्मसूत्र XVI 19
- 290 गौतम धर्मसूत्र XVI 46
- 291 तत्र शूद्रादिभूषिष्यते अनध्याय
- 292 गौतम धर्मसूत्र XII 4 6 उनहरणे जित्वा मेद धारणे शहीर मेद-
- 293 वही VIII 270 272
- 294 आपस्तब धर्मसूत्र I 2 7 19 21 सर्वदा शूद्र उन्होंने वाचार्यर्थस्थाहरण धर्माभित्ये के
- 295 वसिष्ठ धर्मसूत्र XVIII 14 न शूद्राय भर्ते दधात् न चास्योपरिशेष्मम्
- 296 आपस्तब धर्मसूत्र II 11 29 11 12 हरदत्त की दीक्षा सहित
- 297 सेकेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट II पृ 169
- 298 गौतम धर्मसूत्र IV 26

- 299 वैद कृष्णविनाशाय दृष्टिवेदविनाशिनी बौद्धायन धर्मसूत्र 1.5 10 30
 300 जातक कथा IV 391 2
 301 वही IV 38
 302 वही III 171
 303 अश्वलायन गृहसूत्र I 21 12 (जिवेद्रम संस्करण) I 24 12 15 (सेकेड बुस्स और दि
 ईस्ट अनुवाद)
 304 हारपित श्लोक रितेश और दि पौर चास्ट्रस इन मनु पृ 86 पाद टिप्पणी 1
 305 जैमिनी भीमासा सूत्र VI 1 25 27
 306 वही VI 1 33
 307 आपस्तव धर्मसूत्र I 1 1 6
 308 वसिष्ठ धर्मसूत्र IV 3 शूद्रप्रियतासस्तरावै विद्यायने
 309 पारस्तक गृहसूत्र II 83
 310 गौतम धर्मसूत्र X 64
 311 वही
 312 गौतम धर्मसूत्र X 65
 313 बौद्धायन धर्मसूत्र II 4 7 3
 314 दत पूर्व निर्दिष्ट पृ 175
 315 दत ने इस तथ्य को अपनी पुस्तक के श्रृंग 177 78 में एक तौर पर स्वीकारा है
 316 गौतम धर्मसूत्र X 55
 317 गौतम धर्मसूत्र बी टीका X 55 नाश्रमान्तरा प्राविरिति
 318 ऐसमूलर दिहिर्वट लेक्यर्म पृ 343
 319 गौतम धर्मसूत्र X 53
 320 वही XIV 2 4 वसिष्ठ धर्मसूत्र IV 30
 321 वसिष्ठ धर्मसूत्र IV 27 29
 322 गौतम धर्मसूत्र XIV 2 4 दूसरों के मदानुसार वैश्य के लिए अनुचित वी अवधि आये महीने
 रखी गई थी (वही)
 323 आर एल मित्र इडो एरियस II पृ 131 2.
 324 अश्वलायन गृहसूत्र (सेकेड बुस्स और दि ईस्ट अनुवाद) IV 2 19 21 यहाँ प्रयुत शब्द
 बृत्तत है
 325 बौद्धायन धर्मसूत्र II 4 7 15
 326 वही I 5 10 24 वसिष्ठ धर्मसूत्र II 27
 327 गौतम धर्मसूत्र X 67 आर्यानार्योव्यतिशेषे कर्मण साम्यम्
 328 जातकों में शारीरिक श्रम करके अपना जीवन निर्वाङ करनेवाले ब्राह्मणों के उदाहरण मिलते हैं
 329 विनय पिटक IV 6
 330 वही विनय पिटक अट्टवथा पृ 439 में कोट्ककम्भ्य शब्द वी व्याज्ञा तत्त्वम् कम्भ के
 रूप में की गई है विनु हार्नर ने इसका अनुवाद भादारणात के वाम के रूप में किया है सेकेड
 बुस्स और दि ईस्ट XI पृ 175
 331 विनय पिटक IV 6
 332 दीप निकाय I 51
 333 बोस पूर्व निर्दिष्ट II 460
 334 लापक कम्भ जातक I 356

- 335 जातक III 452 53
 336 कसवतो मलमज्जनो निहीनजच्चो विनय पिटक IV 308
 337 दीप निकाय III 95
 338 आपारगमुत II 418 दीप निकाय I 92 3
 339 मादिग्राम निकाय III 169 78 II 152, 183-4
 340 वही
 341 विनय पिटक II 6 देखें अगुत्तर निकाय II 85 समुत्त निकाय I 93
 342 विनय पिटक IV 4 11
 343 समुत्त निकाय I 102, 166 सूयगडम्, 19 2 3 फ़िक पूर्व निर्दिष्ट पृ 20 30
 344 पाणिनि II 4 10 महाभाष्य I 475 सूक्ष्माणापनिरवसितानाम्
 345 जातक IV पृ 391 2
 346 सूयगडम् (सेकेड बुद्ध औफ दि ईस्ट अनुवाद) II 2 27
 347 आपस्तब धर्मसूत्र II 1 2 8
 348 वैत्रायणी संहिता बुहलर के वर्गीकरण (पूर्वोदृत इट्रोडक्शन पृ III) के अनुसार पादुलिपि जी पृ 2 3
 349 गौतम धर्मसूत्र XIV 30
 350 जातक IV 397
 351 वही III 233
 352 वही IV 376 390 1
 353 वही
 354 वही IV 390
 355 वही IV 387
 356 वही II 82 84
 357 वही IV 376 391
 358 उत्तराध्ययन सूत्र दीका 13 पृ 185a जैन लिखित पूर्व निर्दिष्ट ग्रन्थ पृ 144 में
 उद्धृत
 359 रामायण I 58 10
 360 घवघृक चडाला जातक दीका III 195
 361 अहंग दसाओ 65
 362 जातक IV 390
 363 वही III 41 129
 364 बोत पूर्व निर्दिष्ट II पृ 439
 365 वही पृ 439 440
 366 अगुत्तर निकाय IV पृ 376 कलोपिलत्यो नन्तिकवासी गाम वा निगम वा पवित्रन्तो
 मीचयित थोवा उपदृठपैता पवित्रति
 367 जातक IV पृ 379
 368 अगुत्तर निकाय III पृ 206
 369 फ़िक पूर्व निर्दिष्ट पृ 318
 370 पालि ग्रन्थों में इसका कोई संकेत नहीं है। फिरु मनु (X 49) और विष्णु (XVI 9) ने शिकार
 को उनका वेश विहित किया है
 371 जातक III 195 देखें फ़िक पूर्व निर्दिष्ट पृ 321

- 372 चोस पूर्व निर्दिष्ट II पृ 454 5
 373 जातक IV पृ 251
 374 बौद्धायन धर्मसूत्र 19 17 12
 375 जातक V पृ 306
 376 सेक्षण बुक्स ऑफ डि बुद्धिस्ट्स, XI पृ 173 जातक V पृ 306 वेणवन्ति नि
 तच्छब्दनामाति
 377 भारद्वाज गृहसूत्र, I 1 दसन्ते ब्राह्मणपुरीत वर्ष रथकार शिशिरे वा बौद्धायन गृह्णा-सूत्र
 II 56 II 85 जैमिनी भीमासा सूत्र, VI 1 50
 378 रीज डेविल्स डायलाग्स ऑफ डि बुद्ध I पृ 100
 379 जातक VI 51 देखें पतवत्तु अठकथा III 1 13
 380 चोस पूर्व निर्दिष्ट II पृ 456
 381 अगुत्तर निकाय I पृ 111 113
 382 महाभारत XII 59 102 3
 383 दत्त पूर्व निर्दिष्ट पृ 107
 384 महाभारत XII 59 99 101 ला पूर्व निर्दिष्ट पृ 100 भी सी ला का कथन है
 कि ये निषेध ये न कि निषाद फिरु महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण में स्पष्टतया निषाद
 शब्द का उल्लेख हुआ है
 385 जातक II पृ 200 VI पृ 71 170
 386 वही VI पृ 71
 387 पाणिनि IV 1 100
 388 कोसवी (जर्वन ऑफ डि अमेरिकन ओरियेटल सोसायटी बाल्टीमोर LXXV 44) यह
 इस धारणा पर निर्भर है कि निषाद गोत्र ब्राह्मणीय गोत्र था जो संदिग्ध है
 389 गौतम धर्मसूत्र IV 28 एक अन्य स्थान पर गौतम ने कहा है कि अत्यों को अपवित्र वस्त्र दिए
 जाने चाहिए (XIV 42)
 390 वसिष्ठ धर्मसूत्र XVI 30
 391 आपहात धर्मसूत्र 13 9 15
 392 वही I 3 9 18
 393 वसिष्ठ धर्मसूत्र XVIII 3
 394 गौतम धर्मसूत्र XX 1 देखें XXIII 32
 395 (माडन रिच्यु दिसेबर 1923) पृ 7 12 13 अवेडकर डि अनटचेन्स अथाय IX
 अवेडकर ने इस विवार को और भी विकसित किया है
 396 अवेडकर पूर्व निर्दिष्ट अथाय X
 397 गौतम धर्मसूत्र XXII 13 में गोदथ को मामूली अपराध बताया गया है निसका शीघ्रन
 प्रापविक्त से किया जा सकता है
 398 दत्त पूर्व निर्दिष्ट पृ 106 7 पृ 31
 399 पुर्वे काल ऐड क्लाय पृ 159
 400 फिर पूर्व निर्दिष्ट पृ 324
 401 मङ्गिम निकाय III न साभी अत्रस्त यानस्त बत्यस्त यानस्त पृ 169 70 अगुत्तर
 निकाय II पृ 85
 402 (पास्ट ऐड प्रेनेट स 6)
 403 मङ्गिम निकाय I पृ 211 II पृ 182 84 संयुक्त शिल्प 1 99 विनय पिट्टर ॥

- पृ 239 अगुल्लर निकाय IV पृ 202 देखें महिलाम निकाय III पृ 60-1 पृ
 384 दीप निकाय III पृ 80 98
 401 जातक III पृ 194 IV पृ 303
 405 महिलाम निकाय II पृ 103 अरियाय जातिया जातो
 406 टापस्तन स्टडीज इंडॉ एन्ड शेषट्रीक सोसायटी II पृ 238
 407 दीप निकाय I पृ 226 30
 408 जातक IV पृ 200
 409 वही
 410 जातक III पृ 233
 411 दस कु पृ 45 पूर्वोदय जैन ग्रन्थ में उद्धृत पृ० 229
 412 उत्तरा XII
 413 आयाराग्नुत्त II 1 2 2
 414 विनय पिटक III 1815 IV पृ 80 177
 415 सुत निपात 137 और 138
 416 मलमेकेरा डिक्शनरी ऑफ पालि प्राप्तर नेम्स I पृ 174
 417 पिक पूर्व निर्दिष्ट पृ 77 79
 418 बोस पूर्व निर्दिष्ट II पृ 285 पाद टिप्पणी I
 419 हिंस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर की विधि में दी गई सूची के आधार पर सम्पृक्ति II पृ 504 16
 420 वही II पृ 501 504 508 516
 421 जैन लाइफ एन डिपिस्टिड इन जैन कैननस पृ 107
 422 बोस पूर्व निर्दिष्ट II पृ 485
 423 दाणाग X 712 परिकुना रोगिणोदीआ रोसा और अणाडिता पवन्जना
 424 सूयगड़म् II 2 54
 425 वही I 7 25
 426 विनय पिटक I पृ 74 76 कारभेदनो चोरो चोरो कसाहनो धत्ताण्डकप्पो
 इणायिको दासो हर मामने में कहा जाता है पलायिता भिक्षुम् पव्वीजतो होति
 427 दीप निकाय I 51 हक्करोहा अस्सरोहा दासकुन्ता आलारिङ्ग कप्पका नहापका सूदा
 मालासारा रुक्का पेत्ताकारा
 428 वही I 60 दासो कम्पको पुञ्जुदायी पच्छा निशाती विकरपटिस्तावी बनापदारी पिय दादी
 मुख्ल्लोकको
 429 वही I 60 61
 430 दीप निकाय I 61 करमको गहपदिको कार कारको रासि बद्दको
 431 विनय पिटक I पृ 77 समष्टा सम्पुत्तिया सुभोगनानि भुग्निला निवारेमु सम्पन्नि
 सपन्नि
 432 दीप निकाय I 5
 433 वही I पृ 60
 434 दाणाग III 202 जैन पूर्व निर्दिष्ट पृ 194
 435 आपस्त्र घर्मसूत्र I 7 20 11 12
 436 वही I 7 20 15 भनुप्याणा च भनुदी वसिष्ठ घर्मसूत्र II 39
 437 अगुल्लर निकाय II 208 केसावग्नि उवासग पृ 51

- 438 अगुत्तर निकाय V 137 दासकम्मकरपोरिसेहि ददूडति
 439 जातक III पृ 49
 440 बोस्प पूर्व निर्दिष्ट II पृ 414
 441 जातक III अनुवाद 33 मूल 48
 442 वही
 443 दीघ निकाय III पृ 191
 444 जातक I पृ 451
 445 आयाराम्भुत 1 2 5 1
 446 मलस्तेकथा पूर्व निर्दिष्ट, I 876 77 जैसे लोहार चुद
 447 वैशम हिस्ट्री ऐड डाक्ट्रिन्स ऑफ आजीविकाज, पृ 134
 448 ओल्डेनबर्ग चुद पृ 155 9
 449 फिक पूर्व निर्दिष्ट पृ 32
 450 दीघ निकाय I पृ 91 98
 451 फिक पूर्व निर्दिष्ट पृ 31
 452 अगुत्तर निकाय IV पृ 239 संयुक्त निकाय IV 239 जातक I पृ 49
 453 अगुत्तर निकाय III पृ 307 एव आगे
 454 दत्त औरीजिन ऐड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया पृ 133 इस अवधि में भी शूद वैश्वदेव
 यह के अवसर पर उच्च वर्णों के लिए भोजन तैयार करते थे
 455 मङ्गलम निकाय II 128 देखें II 147 एव आगे
 456 सुत निषात 314 15
 457 जातक I 49 देखें ललितविस्तर 1 20
 458 अन्त कुलेसु वा पन्त तुच्छ दरिद्र किदिग घिक्काण "माहण कल्पसूत्र II 17
 तुल 22
 459 बद्योपाध्याय पूर्व निर्दिष्ट पृ 302 309 10
 460 वसिष्ठ धर्मसूत्र, VI 24 दीप्तिरमसूया चाहत्य ब्राह्मणदूषणम्, पैशून्य निर्दयत्व च जानीयात्
 शुद्धनवाणम्
 461 ऊपर देखें पृ 104 9
 462 विनय पिटक IV पृ 181 2
 463 वही IV पृ 181 2, साकियदासका अवरहा होन्ति 'साहित्यनियो अङ्गित्यमितु च
 464 जातक V पृ 98 99
 465 जातक IV 159 फैब्रिन हिस्ट्री ऑफ इंडिया I पृ 210
 466 वही I पृ 205
 467 जातक I पृ 451 2, 458
 468 विनय पिटक I पृ 74 6
 469 जातक VI पृ 134
 470 वैशम पूर्व निर्दिष्ट पृ 37
 471 जातक VI 69 (वर्तमान कथा)
 472 वैद्यायन धर्मसूत्र II 2 4 18 आत्मजागे दर्शसदर्गे "वसिष्ठ धर्मसूत्र III 21 25
 दर्शसदर्गे शब्द पातुति 'थी' में आया है, जिसे पुहर ने चतुर महत्वपूर्व माना है (पंसन्ध
 धर्मसूत्र ग्रन्थावना पृ 5) अन्य पातुतिरियो में दर्शसदर्गे और दर्शसकरे पन है
 473 वैस्त्रेद दि स्त्रेव गिस्टमा ऑफ ईंट्रीक ऐड रोपन लैटिस्टटी पृ 37 ग्रीक्ये और रोमनों
 के पुढ़ में दासों से बेटा कर कर्म नहीं निया जाता था

मौर्यकालीन राज्यनियन्त्रण और सेवि वर्ग (लगभग तीन सौ ई पू से दो सौ ई पू तक)

मौर्यकाल में शूद्रों की स्थिति के अध्ययन का मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्धशास्त्र है और इसके पूरक हैं बैगस्थनीज की रिपोर्ट के कुछ अश तथा अशोक के उल्कीर्ण सेष। किंतु प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास के किसी प्रश्न को लेकर उतना विवाद नहीं हुआ है जितना सभवतया अर्धशास्त्र की तिथि और प्रामाणिकता के सबध में हुआ है।¹ एक और जो आदार शब्दों में कहा जाता है कि यह रघना घटगुप्त के भवी कौटिल्य की है, तो दूसरी ओर इसे सर्वथा अस्वीकार करते हुए रघना को है। सन की पहली या तीसरी शताब्दी का माना जाता है। इस विवाद के पूरे अश को दुरहाना तो सभव नहीं है किंतु कुछ विद्यार्थों को यहाँ उद्धृत करना आवश्यक जान पड़ता है। विरोध करनेवालों के तर्कों की सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि उनका स्वरूप नकारात्मक है। अर्धशास्त्र के जल में उल्लिखित पथ से स्पष्ट है कि यह रघना उस व्यक्ति की है जिसने न वश का नाश किया² और यह ऐसी ऐतिहासिक परपरा है जो बाद के ब्राह्मण और जैन ग्रन्थों में भी मिलती है। यह पथ इस दृष्टि से भी विरोध महत्वपूर्ण समझा जाता है कि धर्मसूत्रों और स्मृतियों के लेखकों के सबध में ऐसे जीवनव्याप्ति सबधी लेख अन्यत्र नहीं मिलते। इतना ही नहीं, किसी भी ग्रन्थ से कोई वैकल्पिक सूचना नहीं मिलती कि कौटिल्य किसी अन्य काल के थे।

एक लेख में कुछ नए आधार प्रस्तुत करके बताया गया है कि अर्धशास्त्र ई सन की पहली से लेकर तीसरी शताब्दी तक की रघना है।³ कहा जाता है कि कौटिल्य ने जब ज्ञान का वर्गीकरण किया तब प्रत्यक्ष विज्ञान दर्शन से अलग होने लगा था। अलग होने की यह प्रक्रिया ईस्वी सन की आरम्भिक शताब्दियों की कही जा सकती है।⁴ किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि कौटिल्य ने शिक्षा की जिन मुख्य शाखाओं का, अर्थात् कल्प (कर्मकाड़)-व्याकरण और निरूक्त का उल्लेख किया है वे मौर्यपूर्व काल में अध्ययन के विषय थे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अर्धशास्त्र में दर्शनशास्त्र की लोकायत शाखा का जो उल्लेख हुआ है उससे उक्त ग्रन्थ का रघनाकाल बाद का नहीं कहा जा सकता।⁵ सभवतया लोकायत शाखा

बुद्ध से पहले की है,⁶ और इतना तो निश्चय ही है कि यह मीयों से पहले की है, क्योंकि प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख है।⁷

यह भी तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ के अकलन में राजनीति विद्वान् की दीर्घकालीन परपरा का आभास प्रिलिप्त है जिसका विकास कई सौ वर्षों में हुआ होगा।⁸ स्वयं कौटिल्य ने इस बात को स्वीकार किया है और अपने विषय के दस पूर्ववर्ती विद्वानों का उल्लेख किया है।⁹ मौर्यपूर्व काल में इस तरह की दीर्घकालीन परपरा थी जो धर्मसूत्रों से तिढ़ है। एक आकलन के अनुसार आपत्तव धर्मसूत्र का 1/15 उत्पादन धर्मसूत्र का 1/12 ग्रौतम धर्मसूत्र का 1/6 और लक्ष्मण धर्मसूत्र का 1/5 भाग अर्थविषयक है।¹⁰ इससे पता चलता है कि अर्थ की महता बढ़ रही थी, और उसकी चरम परिणति कानूनित्य के स्वतंत्र ग्रंथ अर्थशास्त्र के स्वप्न में हुई।

यह भी कहा जाता है कि अतिशयता को छोड़ने और मध्यम मार्ग अपनाने की अर्थशास्त्रीय नीति मध्यात्म विभाग जैसे दार्शनिक ग्रंथ में भी पाई जाती है।¹¹ यह ग्रंथ ई सन की तीसरी शताब्दी का बताया जा सकता है। किंतु मध्यम मार्ग का सिद्धान्त जिसे मैत्रिय पटियाला कहा जाता है उतना ही पुराना है जितना विनय पिटक ग्रंथ।¹² इसमें बुद्धदेव ने अपने प्रथम प्रवर्षन में ही अपने अनुयायियों को बताया है कि वे सन्यास और वित्तास जैसे दो चरम विद्वाओं का परित्याग करें।

अतः यह कहा गया है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन सामाजिक पद्धति और राजनीतिक संस्थाओं के जिस तरह के सबशों का उल्लेख हुआ है वे मैगस्थनीज की रिपोर्टों और अशोक के उत्तरीण लेखों में किए गए वर्णन से कहीं अर्थिक विकसित हैं और उनसे ई सा की प्रथम और तृतीय शताब्दी के बीच के काल की विशिष्टता का बाध होता है।¹³ किंतु इस विचार का समर्पक मास्य नगण्य सा है। अर्थशास्त्र में उत्पादन के सभ्यों का प्रमुख तथ्य यह है कि अर्थिक व्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर राज्य का बहुत बड़ा नियन्त्रण था। कौटिल्य के अनुसार राज्य व्यापार उद्योग और खान का नियन्त्रण तो कठता ही है, गार्हीय प्रक्षेत्रों (सामी) का अधिकार दासों और कर्मकर्तों से काम कराने के साथ ही इस कार्य के लिए लोगों बढ़ादों और मिट्टी खेदनेवालों से भी काम लेता है।¹⁴ स्त्रीबो ने मैत्रियनीज की रिपोर्ट से जो अंत उद्भूत किए हैं, उनसे भी इस बात के प्रमाण गिलते हैं। एसा पता चलता है कि राज्य के बड़े बड़े अधिकारी न केवल नदियों की निगरानी और सिल्वर की देखभाल करते थे, बल्कि जमीन की पैमाली भी करते थे और जमीन से सबैदू परोन्तु अर्थात् लकड़ियाँ बउद्दों बोहारों और दानों में काम करनेवालों पर भी नार रखते थे।¹⁵ किंतु अर्थशास्त्र में सामाजिक व्यवस्था की जो रूपरेखा निर्धारित की गई है वह इसी ग्रंथ के दौरे पर निर्धारित है।

अर्थशास्त्र की राज्य व्यवस्था की खास विशेषता यह है कि वह सभी प्रकार के प्राधिकारों में राज शासन को आगे बढ़ाना चाहती है,¹⁶ और प्रजा को लगभग तीस विभागों के माध्यम से शासन के अस्तित्व का अनुभव करना चाहती है। यह मौर्य साम्राज्य की आम नीति भी जिसका पता मुख्यतया अशोक के उल्लिङ्ग लेखों से चलता है। अशोक ने धर्मप्रचारक के रूप में काम किया था और उसके पास मुसाखित अधिकारीतत्र था। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि राज्य की, राज के रूप में, सर्वव्यापी सत्ता के तौर पर स्थापित करने की भनोवृत्ति सिक्दर के साम्राज्य में भी प्रकट हुई और उस साम्राज्य का पतन होने पर जो यूनानी राजतत्र आया, उसने भी इस व्यवस्था को अपनाया।¹⁷ इस प्रकार मेगस्थनीज की रिपोर्ट से उद्घरण देकर स्ट्रेबो ने ठीक ही भारत के मजिस्ट्रेटों की गुलना यूनानी मिस्त्र ^३ ऐसे ही अधिकारियों से की है।¹⁸ कौटिल्य का दावा है कि उसने तत्वानीन राज्यों में प्रचलित शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया है।¹⁹ अत उसने जिस राजतत्र की स्थापना की उससे उस मुग की व्यापक चेनना का आभास मिलता है।

किंतु इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि बहुत से अन्य ग्रंथों में तरह अर्थशास्त्र में भी परिवर्तन किए गए होंगे। अतएव समस्या है कि इस ग्रंथ के लातिक अशों में किए गए परिवर्तन का पता कैसे लगाया जाए।²⁰ किर भी, अब सामान्यतया यह भाना जाता है कि अर्थशास्त्र में प्रस्तुत मौर्यकाल के सम्बरणात्मक तथ्य हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि द्वितीय अधिकरण सबसे द्वावीन है। प्रस्तुत अध्याय में द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ अधिकरण से अधिक सामग्री ली गई है, बाद के अधिकरणों का उतना उपयोग नहीं किया गया है।

यद्यपि सुदूर दक्षिण को छोड़ प्राय संपूर्ण भारत पर मौद्यों का शासन आया हुआ था और यद्यपि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में व्यापक भौगोलिक पृष्ठभूमि का खण्डन रखा है, फिर भी इसमें जिन शातों की चर्चा आई है वे सभी तथा उत्तर भारत में विद्यमान परिस्थिति को ही प्रतिविवित करती हैं। जहाँ तक सर्कीर्ण और स्थानीय गीतियों से दूर हटकर सार साम्राज्य की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए अर्थशास्त्र में बताए गए उपायों का प्रश्न है उन्हें पूरे साम्राज्य में लागू किया जा सका होगा किंतु आर्थिक कार्यकलायों पर नियन्त्रण रखने या परती जमीन को जोतने के राबू में दी गई हिदायतें साम्राज्य के निकटवर्ती इलाकों तक ही सीमित रही होगी।

शूद दर्श के कृत्यों का निस्पत्त करने में कौटिल्य ने धर्मशास्त्र के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है। उनका कहना है कि शूद का निर्वाह द्विजों की सेवा से होता है।²¹ किंतु वे शिलिंगों नर्तकों जमिनेताओं जादि का व्यवसाय करके भी अनना निर्वाह करते हैं।²² ये व्यवसाय स्पष्टतमा स्वतंत्र थे और इनमें द्विजों की सेवा करना आवश्यक नहीं था।

कौटिल्य ने धर्मसूत्र की जिस पारिभाषिक शब्दावली को प्रयोग किया है, उससे यह ^{२०} प्रतीत होता है कि शूद्रों को अपनी जीविका के लिए पूर्णतया उच्च वर्ण के मालिकों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसका आमास उसके जनपदनिवेश सभी नियमों से मिलता है। कौटिल्य का कथन है कि सौ से लेकर पाँच सौ परिवारों की बस्तियाँ बसाने में एक बस्ती से दूसरी बस्ती की दूरी दो या चार भील की होनी चाहिए और उसके निवासी मुख्यतया शूद्र और कर्षक ही होने चाहिए।²³ विद्वानों ने शूद्र और कर्षक शब्दों का छब्द समास (शूद्रकर्षक प्रायम्) माना है,²⁴ और इस तरह उनके अनुसार शूद्र किसान नहीं थे, किंतु कुछ लोगों ने शूद्र शब्द को कर्षक का विशेषण माना है।²⁵ इस वाक्यखण्ड का अर्थ लगाना इसलिए कठिन हो गया है कि इसका प्रयोग अर्थशास्त्र में कहीं अन्यत्र नहीं हुआ है। अर्थशास्त्र पर जो टीकाएं उपलब्ध हैं उनमें जनपदनिवेश प्रकरण का समावेश नहीं है। एक स्थल पर कर्षक को कर्मकर अर्थात् भाड़े का भजदूर माना गया है²⁶ किंतु सभवतया यहाँ इस शब्द को ऐसे अर्थ में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। सभव है कि शूद्र से दास कर्मकरों का ओर कर्षक से वैश्य किसानों का बोध होता हो।

कौटिल्य के अनुसार राज्य को चाहिए कि नई बस्तियों में भूमि को कृषि योग्य बनाकर करदाताओं को जीवन धर के लिए दे दे²⁷ मात्रम होता है कि यह बदोवस्त कृषकों के हाथ किया जाता था जो राज्य को कर घुकाने के लिए जिम्मेदार थे। किंतु इन्हें जमीन रखने का अधिकार निर्धारित अवधि के लिए दिया जाता था जो बात सभवतया पुराने गाँवों के कृषकों (प्राय वैश्यों) पर लागू नहीं थी। कृषकों को अनाज, मदेशी और रुपए देने का उपदेश किया गया है²⁸ उन्हें इस उम्मीद पर ऐसी सुविधा दी गई थी कि वे स्वेच्छया राज्य को कर घुकाएंगे। दूसरे यह कि कृषकों को यह सुखा सभवतया नहीं मिली थी कि भूमि उनकी बनी रहेगी। कौटिल्य ने बताया है कि यदि बस्तियों में कृषक अपना कार्य ठीक से नहीं करें तो उन्हें अपनी भूमि से निकाल दिया जाए और भूमि वैदेहक या ग्रामभृतक को कृषि हेतु दे दी जाए।²⁹

नई बस्तियों में शूद्र को कृषि के अलावा अन्य कारों में लगाया जा सकता था। कहा गया है कि नई बस्ती जिसके निवासी मुख्यतया शूद्र (अवर वर्णप्राय) होने हैं, निश्चित रूप से फस देने वाली होती है और उसमें राज्य द्वारा आरापित सभी भारों को वहन करने की समता रहती है।³⁰ नवद्विका के अनुसार 'भेग' शब्द के अर्थ से पता चलता है कि शूद्रों द्वारा न केवल खेती में लगाया जाना था, बल्कि उनसे भार दोने और किला बनाने का काम भी लिया जाता था।³¹ यह भी कहा गया है कि शूद्रों की बम्ती भी एक लाभ यह था कि उसकी जनसंख्या अधिक होती थी।³² नई जमीनों को जोतकर खेती करने तथा पूर्वकर्त्ता खेतों का पुनर्घटार करने के लिए शूद्रों को घनी आलदीजाते खेतों से मैगाया जाता था,

अथवा दूसरे राज्यों से उन्हें वहाँ आ जाने के लिए प्रेरित किया जाता था ³³ कहा गया है कि जनपद में निम्न वर्ण की जाबादी अधिक होनी चाहिए ³⁴ इन सारी जातों से पता चलता है कि देश में शूद्रों की जनसंख्या काफ़ी थी। देश में मुख्यतया वैश्य कृषि का कार्य करते थे, अतएव शूद्र भूराजस्व और अन्य व्यवमार चुकाने के लिए मुख्यतया दायी नहीं रहे होंगे, जैसा कि धोकाल ने सुझाव दिया है ³⁵ नई बस्तियों के किसान शूद्रों के समान बेगारी से मुक्त नहीं थे क्योंकि जनपदनिवेश प्रकरण में कौटिल्य ने बताया है कि राजा को चाहिए कि अत्याचारी विष्टि (बेगार) से किसान की रासा करे। ³⁶

अधिकारा शूद्र, पड़ले ही की तरह कृषि मजदूरों और दासों के रूप में काम करते रहे। धर्मसूत्रों से ज्ञात होता है कि दासों को घरेलू कार्यों में लगाया जाता था। कौटिल्य ही एकमात्र और प्रथम ज्ञानशाल लेखक हैं, जिनसे पता चलता है कि दासों को बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन कार्य में लगाया जाता था ³⁷ प्राचीन पालि ग्रन्थों में तो बड़े बड़े प्रक्षेत्रों (फार्मो) के केवल तीन उदाहरण मिलते हैं, किंतु भीर्यकाल में ऐसे अनेक प्रक्षेत्र थे जिनमें दास और भाड़े के भजदूर सीधे सीताध्यक्ष (कृषि अधीक्षक) के अधीन रहकर काम करते थे। वह इन लोगों को कृषि के उपकरण और अन्य साधन देता था और कृषिकर्म के लिए बढ़ई, लोहार तथा अन्य शिलिंगों की सेवाएँ प्राप्त करता था ³⁸ मेगस्थनीज के विवरण से भी इस तथ्य की मोटे तौर पर पुष्टि होती है। उसने ऐसे अधिकारियों का उल्लेख किया है जो भूमि सब्यी धर्थों और शिलिंगों की निगरानी करते थे ³⁹ एरियन ने कृषि अधीक्षकों की चर्चा की है ⁴⁰ जो प्राय सीताध्यक्ष का काम करते थे। स्ट्रेबो का कहना है कि गङ्गेरिए और शिकारियों की एक तीसरी जाति थी जो खानाबदोश का जीवन दिताती थी और खेतों से उगली जानवरों तथा पक्षियों को भगाने के लिए राजा से अनाज के रूप में भत्ता पाती थी। ⁴¹ ये खानाबदोश आदिवासियों (सर्पशानादिवा अर्थात् सौंप या अन्य जीवों को पकड़नेवाले) से मिलते जुलते मातृम होते हैं। ⁴² सीताध्यक्ष उनसे कृषि सब्यी काम लेते थे। ⁴³ इस तरह भीर्य साम्राज्य दासों, कर्मकरों, शिलिंगों और आदिवासियों का, जोकि स्पष्टतया शूद्र वर्ग के थे बहुत बड़ा नियोजक था। इस दृष्टि से इस काल का कृषि उत्पादन संगठन ग्रीस और रोम के संगठन से कुछ हड तक निलंता जुलता था।

कौटिल्य ने बताया है कि यदि (श्रमिकों के अभाव के कारण) खेतों की बोआई नहीं हो पाए तो खेत उा लोगों को पटे पर दे दिए जाएं जो आधी उपज देकर उनकी जुताई करें। ⁴⁴ जो व्यक्ति केवल शारीरिक श्रम करके जीवनयापन करते थे (अर्दात कर्मकर) उनके पास स्वभावतया खेती के आवश्यक उपकरण यथा बीन और बैल नहीं रहते थे। ऐसे व्यक्ति यदि उपज का चतुर्धारा अथवा पदमाश लेना स्वीकार करते थे तो उन्हें राज्य की ओर से बैत और बीज दिए जाते थे। ⁴⁵ कौटिल्य ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि

बटाईदारों को बाहिए कि स्वयं कोई कठिनाई न सहकर जितना अधिक राजा को दे सकते हों, दिया करें ।⁴⁶ किंतु उन्होंने कठिनाइयों का कोई संकेत नहीं दिया है। मालूम होता है कि बटाईदारों को कुछ कड़ी शिर्षाली जमीन दी जाती थी जिसके लिए उन्हें राज्य को कुछ भी नहीं चुकाना पड़ता था ।⁴⁷ बटाईदार दो प्रकार के होते थे —एक वह जो उपज का आया हिस्सा रखता था और दूसरा वह जो 1/4 या 1/5 हिस्सा रखता था। प्रथम कोटि के बटाईदार को भृत्यामिन् जैसे टीकाकर ने 'ग्राम्य कुटुंबिन्' के रूप में विचित्र किया है ।⁴⁸ दुर्गानिवेश (राजधानी का निर्माण) प्रकरण के सिलसिले में कौटिल्य ने बताया है कि कुटुंबिनों को राजधानी की सामा पर बसाया जाना चाहिए, ताकि वे खेती भव्यी कार्य कर सकें और अन्य व्यवसायों की जरूरतें पूरी कर सकें ।⁴⁹ कहा गया है कि वे फूलवारियों, बनों, सब्जी के दागानों और शान के खेतों में⁵⁰ काम करें और दिए गए अधिकार के अनुसार पर्याप्त अर्थ तथा दूसरे प्रकार का सौदा आदि एकत्रित करें। इस प्रस्तग में टी० गणपति शास्त्री ने 'कुटुंबिन्' शब्द की व्याख्या करते हुए बताया है कि वह निम्नतम वर्ण का व्यक्ति था (वर्णविराणम्),⁵¹ पर शामा शास्त्री ने उसे कामगरों का परिवार बताया है ।⁵² इस प्रकार कुटुंबिन सभवतया शूद्र बटाईदार और कृषि मजदूर थे। इस शब्द का ऐसा प्रयोग अस्वाधाविक-सा लगता है, क्योंकि अधिकाश भ्रातों में 'कुटुंबिन्' का अर्थ केवल परिवार का प्रधान किया गया है ।⁵³ किंतु प्रस्तग से ऐसा मालूम पड़ता है कि यहाँ इसका विशेष अर्थ लगाया गया है ।

सभवतया पुरुनी बस्तियों में उच्च दण्डों के मालिक बहुत-से शूद्रों, कृषि मजदूरों, दासों और शिल्पियों को काम देते थे। कृषकों से कर उगाहने का प्रभारी गोप कहलाता था और उससे कहा जाता था कि वह हर गाँव के निवासियों की कुल सख्ता और समाज में उत्पादन कार्य करनेवाले विभिन्न वर्ग, जिनकी सख्ता आप दर्जन थी के लोगों अर्थात् कर्मक (फिसान), गोरक्षक (घटवाहा या पशुगन रखनेवाला) वैदेहक (व्यापारी), काठक (शिल्पी) कर्मकर और दासों की कुल सख्ता लिखकर रखे ।⁵⁴ मालूम होता है कि इस सूची में दो निम्न दण्डों के लोग हैं, जिनमें से प्रथम तीन वर्ग वैश्य वर्ण के हैं और शेष तीन शूद्र वर्ग के। मेगस्थनीज ने इस प्रस्तग में उत्पादन करनेवाली जातियों को नहीं गिनाया है। कौटिल्य के वैश्य कर्मक जहाँ सामान्यतया मेगस्थनीज द्वारा वर्णित खेतिहारों से मिलते जुलते हैं,⁵⁵ वहाँ वैश्य व्यापारी और शूद्र शिल्पी तथा श्रमिक मेगस्थनीज की तीसरी जाति से मिलते हैं जो व्यापार करते हैं बर्तन बेचते हैं और शारीरिक श्रमदाले कार्य में नियोजित होते हैं⁵⁶ मेगस्थनीज ने यह भी बताया है कि इनमें से कुछ सोग कर चुकाते हैं और राज्य की कुछ विहित सेवाएँ करते हैं⁵⁷ इस विवरण का प्रथम भाग सभवतया व्यापारियों के सब्द में है और दूसरे भाग में शिल्पियों और श्रमिकों की चर्चा की गई है।

अर्थशास्त्र में शूद समवतया करदाता की कोटि में नहीं रखा गया है, किंतु गोप को उनकी भी सच्चा लिखकर रखनी होती थी⁵⁸ जिन गाँवों के सोग कर का गुणतान करते थे उनमें ऐसे लोगों की सूची रखनी पड़ती थी जो राज्य को नि भुल्क श्रम (विष्ट) प्रदान करते थे⁵⁹ अर्थशास्त्र के एक परिष्ठेद की टीका करते हुए भद्रस्वामिन् ने बताया है कि एक प्रकाश के गाँव ऐसे थे जहाँ से कर के बदले श्रमिकों वी मुफ्त आपूर्ति होती थी और उन गाँवों के निवासी किता आदि का निर्माण करने के लिए रहते थे।⁶⁰ टी गणपति शास्त्री ने ढीक ही कहा है कि इस सारह का काम कर्मकरों द्वारा किया जाता था⁶¹ क्योंकि दासों और कर्मकरों का वर्ग हमेशा देगार करने का भागी समझा जाता था।⁶² इन बातों से पता चलता है कि शूद्रों को कर से मुक्त रखा गया था और उनसे सामान्यतया कृषि मजदूरों और दासों का काम कराया जाता था तथा उनकी कोई स्वतंत्र जीविका नहीं थी।

कौटिल्य ने उन पशुपालकों की वैवनस्थिति की जानकारी दी है जिन्हें राज्य के पशु अधीक्षक के सामान्य नियन्त्रण के अधीन बहाल कर रखा था।⁶³ उन्होंने इन लोगों की मजूरी धी का दरवां भाग नियत किया है, किंतु इनके कार्य के बारे में वे विशेष रूप से सतर्क हैं।⁶⁴ पशुपालकों के उत्तरदायित्व पर जोर देते हुए कौटिल्य ने बताया है कि यदि घरवाहे की गलती के कारण भवेशी खो जाए तो उसे शारीरिक दड भी दिया जा सकता है।⁶⁵ इन्हीं कठोर सजा, जिसका उल्लेख मोर्णपूर्वकालीन विधिग्रन्थों में नहीं किया गया है या तो पशुपारा को अधिक आर्थिक महत्व दिए जाने के कारण या बौद्ध और जैन धर्मों के उपदेश के कारण अथवा दोनों ही कारणों से निर्धारित की गई थी। कठोर सजा का जो भी कारण हो, इतना साप्त है। के मोर्णकाल तक असमान भूमि वितरण और असमान पशु वितरण उत्पादन सबधों के अभिन्न अग बन गए थे। इसलिए भूस्वामियों और दर्टाईदारों तथा खेत मजदूरों के बीच और पशुस्वामियों तथा घरवाहों के बीच, सबपर निर्धारित करने के लिए अर्थशास्त्र तथा विधिग्रन्थों में नियम बनाए गए।

अब हम अर्थशास्त्र के उस साम्य का विश्लेषण करें जो शिल्पियों के नियोजन, नियन्त्रण और मजूरी के बारे में है और जिससे शूद्रों वी सामान्य स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। कृषि कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए राज्य की ओर से जिन शिल्पियों को नियोजित किया जाता था उनकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है। बहुत से अन्य शिल्पियों को राज्य की ओर से बुराई⁶⁶ घनन,⁶⁷ भडारपालन⁶⁸ आयुधनिर्माण⁶⁹ घातुकर्म⁷⁰ आदि में लगाया जाता था। पहले बुनकर जैसे शिल्पी गृहपति के अधीन काम करते थे किंतु बाद में राज्य उन्हें भारी सच्चा में नियोजित करने लगा था।⁷¹ ओजार प्राय शिल्पियों का अपना ही रहता था, किंतु कच्चा मात्र राज्य की ओर से निया जाता था। कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि इनमें से किन्हीं भी शिल्पों में दासों को लगाया जाता था। उन्हें खनन कार्य भी नहीं

करने दिया जाता था और यह काम कर्मकर से कराया जाता था।⁷² घ्यातव्य है कि ग्रीस और रोम की खानों में भी दासों से काम लिया जाता था।

किंतु राज्य द्वारा शिल्पियों का नियोजन मुख्यतया राजधानी और प्राय महत्वपूर्ण नगरों में ही सीमित था, जहाँ शिल्पी पर्याप्त सख्ता में रहते थे। दुर्ग निवेश विधान से पता चलता है कि शिल्पी राजमहल के उत्तर में रह सकते थे, और मजदूरों के शिल्पिसंघों तथा अन्य लोगों को राजधानी के विभिन्न कोणों में आवासस्थान दिए जाएंगे।⁷³ यह भी कहा गया है कि जो शूद्र और शिल्पी उन्हीं और सूती वस्त्र, बौंस की चटाई, चमड़ा कवच, हथियार और म्यान बनाते हैं उन्हें राजमहल से पश्चिम की ओर निवासस्थान दिया जाना चाहिए।⁷⁴ सभवतपा इमें से कुछ लोग सूत्राध्यक्ष के अपीन⁷⁵ और कुछ शास्त्रागार अधीक्षक के अधीन कार्य करते थे।⁷⁶ मेगस्थनीज ने बताया है कि शास्त्रनिर्माता और जहाज बनानेवालों को राजा से मजदूरी और रसद मिलती थी और वे केवल उसका काम करते थे।⁷⁷ इनके जलावा, ओद्योगिक शिल्प से सबधित प्रत्येक बात की देख-भाल के लिए नगर में पाँच व्यक्तियों की एक कमेनी बनाई गई थी।⁷⁸ इनसे पता चलता है कि राज्य का नियन्त्रण और शिल्पियों का रोजगार मुख्यनयन नगरों तक ही सीमित था। किंतु मेगस्थनीज ने यह भी बताया है कि सकड़हारे बढ़इयों लोहारों और खनिकों के कारों की निगरानी राज्य के उच्च अधिकारी करते थे।⁷⁹ इसका अर्थ यह हुआ कि नगर से बाहर रहनेवाले शिल्पियों पर किसी न किसी छग का सामान्य नियन्त्रण रखा जाता था।

अर्थशास्त्र प्राचीनतम् भारतीय ग्रन्थ है जिसमें मालिकों (नियोजकों) और मजदूरों (नियोनितों) के आपसी संबंध के बारे में सामान्य नियम दिए गए हैं। शिल्पियों को विवाद का कारण माना गया है और दाढ़कररक्षणपूर्ण प्रकरण में इनसे बचने के बहुत से उपाय बताए गए हैं। शिल्पियों के लिए यह आवश्यक है कि वे समय स्थान और काम के स्वरूप के विषय में किए गए करार की पूर्ति करें। सकटों और आपदाओं को छोड़ अन्यथा चूक होने पर न केवल उनकी मजूरी का चौथा भाग जब्त कर लिया जाएगा, बल्कि उन्हें मजूरी की दुगानी राशि जुर्माने के रूप में चुकानी होगी और उनकी चूक के चलते जो घाटा होगा, उसे भी पूरा करना पड़ेगा।⁸⁰ काम के सिलसिले में अनुदेशों का उल्लंघन करने पर मजूरी जब्त कर ली जाएगी और उसका दुगुना जुर्माना लिया जाएगा।⁸¹ जो सेवक किसी ऐसे काम के पूरा करने में टालभटोल करेगा जिसके लिए उसे पहले ही भुगतान कर दिया गया है वह 12 पश्च जुर्माना चुकाने का भागी होगा और उसको तब तक काम करते रहना पड़ेगा जब तक काम पूरा न हो जाए।⁸² किंतु यदि वह अपने चूते के बाहर के किन्हीं कारणों के चलते भाव करने में असमर्थ हो तो उससे ऐसा जुर्माना नहीं लिया जाएगा।⁸³ दूसरी ओर यीटिल्य ने शिल्पियों के सरकार संबंधी कुछ विनियम भी विहित किए हैं। तदनुसार जो कोइ

शिल्पियों के काम का दर्ता पटाकर या सामानों की खरीद विक्री में बाधा ढ़लकर उन्हें अपनी उपित कमाई से विभिन्न करने का प्रयास करेगा, उस पर एक हजार पण जुर्माना लगाया जाएगा।⁸⁴ अपने मजदूर से काम न लेनेवाले मालिक से 12 पण जुर्माना लिया जाएगा।⁸⁵ और यदि वह पर्याप्त कारण के बिना काम लेने से इकार करे तो माना जाएगा कि काम कराया गया है।⁸⁶ कौटिल्य ने सपबद्ध शिल्पियों को एक विशेषाधिकार प्रदान किया है। उन्हें अपनी सविदा के निष्पादन के लिए जो अवधि स्वीकृत की गई हो, उसके अतिरिक्त और भी सात रातों की मुहल्तत दी जाएगी।⁸⁷

जहाँ तक मजदूरी नियत करने का प्रश्न है, कौटिल्य ने इसके लिए एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि काम की किस्म और उसमें लगनेवाले समय को प्लान में रखकर मजूरी नियत की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया है कि शिल्पियों सभी तर्जों विकितसंकी रसोइयों और अन्य कामगारों को उतनी ही मजूरी मिलेगी जितनी अन्यत्र काम में लगे इसी प्रकार के लोगों दो मिलती है अथवा जितनी विशेषता नियत करे।⁸⁸ सेवकों को बादे के अनुसार मजूरी मिलेगी किन्तु यदि मजूरी का निर्णय पहले नहीं किया गया हो तो कृपक को (अर्थात् कृषि मजदूर को) उपज का 1/10 भाग पशुपालक को मक्खन का 1/10 भाग और व्यापारी को बिक्री से हुई आमद का 1/10 भाग मिलना चाहिए।⁸⁹ राजा की धूमि में उपजाई गई फसल का 1/4 या 1/5 भाग पाने के हकदार बटाई कृषि मजदूरों और फसल का 1/10 भाग पानेवाले सामान्य कृषि मजदूरों में विभेद किया गया है।

कौटिल्य के अनुसार मजूरी सबस्थी विवादों का निपटारा गवाहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष के आधार पर किया जाता था। यदि ऐसे साक्ष उपलब्ध नहीं होते थे तो नियोजक से पूछनाड़ को जानी थी।⁹⁰ विवाद के सिलसिले में कर्मचारी की जौंघ नहीं की जाती थी जिससे स्पष्ट है कि मालिक का अपराध सिद्ध करना कठिन था। किन्तु यदि यह पाया जाता था कि उसने मजूरी का भुगतान नहीं किया है तो मालिक को या तो मजूरी की राशि का दस गुना अधवा 6 पण जुर्माना किया जाता था। इसके अतिरिक्त मजूरी का दुर्विनियाग करने पर 12 पण या मजूरी की रकम का पौंच गुना जुर्माना किया जाता था।⁹¹ इन नियमों के आधार पर हमें मजूरी की दो विभिन्न दरों का पता घलता है अर्थात् 3/5 पण या 2 3/5 पण। इस तरह मालूम होता है कि श्रमिक की ऐनिक मजूरी 3/5 पण से लेकर 2 2/5 पण तक थी। एक स्थान पर कौटिल्य ने बताया है कि इन उपबद्धों के अतिरिक्त कृषि मजदूरों को 1 1/4 पण मासिक मजूरी मिलनी चाहिए। अर्थशास्त्र में उच्च वर्ग से नियुक्त उच्च अधिकारियों के वेतन और निम्न वर्ग के शिल्पियों के वेतन में बहुत बड़ा अतर दिखाय गया है। तबसे अधिक वेतन की व्यवस्था क्रठिव्य अध्यापक, मन्त्री पुरोहित, सनापति आदि के लिए की गई है और उन्हें प्रति मास अद्वालीस हजार पण वेतन मिलता था।⁹² इनसे नीचे की

पैकिं के अधिकारियों के लिए घौबीस हजार, बारह हजार या आठ हजार पण की सिफारिश की गई है,⁹³ किंतु शिल्पियों के लिए एक सौ बीस पण की ही अनुशासा है⁹⁴ फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि वर्द्धक के लिए, जो मुख्य बढ़ई होता था, विकित्सक और सारथी की भौति दो हजार पण का वेतन रखा गया है⁹⁵ ग्रामभृतक (ग्राम अधिकारी)⁹⁶ और गुप्तवरों के मार्गदर्शक सेवक पर भी विचार किया गया है और प्रथम को पाँच सौ पण तथा द्वितीय को दो सौ पण वेतन दिया गया है⁹⁷ चतुर्थदो और द्वितीयों के प्रभारी सेवकों विविध कार्य करनेवाले कामगरों, राजपुरुषों के अनुघरों, अगरस्कों और स्वतंत्र मजदूरों को जुआने के लिए अल्पतम वेतन 60 पण की तिफारिश की गई है⁹⁸ मान लिया जाए कि यह मुग्तान मासिक आधार पर किया जाता था तो सामान्य मजदूर के लिए इसकी दर प्रतिदिन दो पण होती हैं। किंतु ऐसे भी मजदूर थे जिन्हें केवल 20 पण की मासिक मजूरी दी जाती थी। पहले जो 3/5 पण प्रतिदिन की दर से वेतन दिखाया गया है उससे महीने की मजूरी 18 पण आती है।

समाज में सबसे कम मुग्तान शिल्पियों और वेतनभौगियों को किया जाता था, किंतु हमें उनके रहन सहन के स्तर का स्पष्ट ज्ञान नहीं झो सकता क्योंकि पण की क्रयशक्ति की जानकारी नहीं मिल पाती है। कौटिल्य ने बताया है कि राज्य की सेवा करनेवाले दातों और कर्मकरों दो अपने निर्वाह के लिए भडार के अधीक्षक से खुदी मिलनी चाहिए।⁹⁹ इन्हें देने के बारे जितनी खुदी बच जाए वह रोटी पकानेवाले रसोइयों को दी जाए।¹⁰⁰ सभव है कि ये रसोइए दात रहे हों क्योंकि भौद्यपूर्व काल में इन्हें रसोई के काम में लगाया जाना था। जहाँ तक वैकृत मदिरा को निपटाने का प्रस्तुत है कहा गया है कि यह दासों और कर्मकरों को मजूरी के रूप में दी जानी चाहिए, क्योंकि उनका काम हीन ढग का है।¹⁰¹ कौटिल्य ने सामान्य आर्य और शूद्र के आहार में विभेद किया है। आर्य को राशन के रूप में एक प्रस्तु शुद्ध चावल, 1/61 प्रस्तु नमक 1/4 प्रस्तु शोरबा और 1/64 प्रस्तु मक्खन या तोत मिलना चाहिए, और अवर को चावल और नमक तो उतनी ही मात्रा में मिलना चाहिए किंतु शोरबा 1/6 प्रस्तु जौर नेत की मात्रा आर्य के लिए अनुशासित मात्रा भी आपी होनी चाहें।¹⁰² उसके लिए मक्खन की पिफारिश नहीं की गई है। इस प्रस्तु में अवर का उर्ध्व है नीय जाति का व्यक्ति (निकृष्टाम) जो शूद्र होता है। किंतु आर्य को उच्च वर्गों का सामान्य सदस्य माना गया है¹⁰³ उच्च कोटि के आयो यथा राजा रानी और सेनाध्यमों के लिए और अधिक मात्रा में राशन की व्यवस्था भी गई है।¹⁰⁴ इन बातों से स्पष्ट है कि शूद्रों को हीन कोटि का भोजन दिया जाता था।

ऐसा छात होता है कि आर्य कात में शूद्रों की आर्यिक रियति में बहुत-से परिवर्तन हुए। पहली बार शूद्रों को जमी तक कृषि मजदूर थे राज्य की भूमि में बटाईदारी भी

दी जाने लगी। किंतु कृष्ण-उत्पादन के लिए राज्य की ओर से शूद्रों को बहुत बड़े पैमाने पर दासों और श्रमिकों के रूप में नियोजित किया जाता था। ऐसे दर्जे के लोग या तो खास यास किसानों के अधीन अथवा स्वतंत्र रूप से काम करते थे और गाँवों में रहते थे। उनसे धर्मसूत्र काल की अपेक्षा बड़े पैमाने पर कर्वा (दिगार) ली जाती थी, हालांकि उक्त कालावधि में यह मुख्यतया शिलिपियों तक ही सीमित रही गई थी।¹⁰⁵ यह बात अब इतनी व्यापक हो रही थी कि सरकारी सेवक का एक वर्ग जो विश्वदैपक कहलाता था, लोगों से नि शुल्क सेवा कराने की मुन में लगा रहता था।¹⁰⁶ यद्यपि समाज में शूद्र द्वे मजदूर और शिल्पी के रूप में सबसे कम भजूरी दी जाती थी, किंतु भी सम्भव है कि भजूरी की दर नियत हो जाने से उनकी दशा सुपरी हो। किंतु प्राय उनके रहन सहन के स्तर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता।

कौटिल्य ने स्पष्ट शब्दों में यह नहीं कहा है कि शूद्रों को उच्च प्रशासकीय पद नहीं दिए जाएँ जबकि धर्मसूत्रों में ऐसा विषयन किया गया है। किंतु राजा और उच्च शासकीय पद धारण करने के लिए भौगोलिक योग्यता की जो सूची उन्होंने बनाई है, उससे पता चलता है कि ये पद तीन उच्च वर्णों के लिए विशेष रूप से सुरक्षित रखे गये थे। उन्होंने बताया है कि हीन जाति के किसी बली राजा की अपेक्षा लोग अच्छे कुल के राजा की आज्ञा मानेंगे भले ही वह कमजोर वर्षों न हो।¹⁰⁷ अतएव उनकी राय है कि राजा को उच्च कुल में उत्पन्न होना चाहिए।¹⁰⁸ उनका कथन है कि जिस प्रकार चडातों का जलाशय केवल उनके उपयोग के लिए होता है उसी प्रकार नीच कुल में उत्पन्न राजा नीच जाति के लोगों को ही सरसंपान देता है, न कि आयों को। नीच कुल में उत्पन्न राजा के प्रति कौटिल्य को जिती घृणा थी उससे पता चलता है कि वे किसी शूद्र माँ से उत्पन्न राजा के अधीन सेवा करने के अभी तैयार नहीं हुए होंगे। अत यह सम्भव नहीं लगता कि भोयों की उत्पत्ति शूद्र जाति से हुई हो जैरात कर्म कर्ही कहा गया है।¹⁰⁹ यह प्राय निश्चित है कि चद्रुका सत्रिय समुदाय के मोरिय वश के थे।¹¹⁰

अर्थशास्त्र में अमात्यों का सर्वांग अधिकारियों का सबसे ऊँचा सर्वांग भाग गया है। इसी सर्वांग से पुरोहित मत्री समाहर्ता सत्रियाता, अनु पुर के प्रभारी अधिकारी राणपूत और दो दर्जन से भी अधिक विभागों के अधीक्षक नियुक्त किए जाते हैं।¹¹¹ किंतु कौटिल्य और उनके द्वारा उद्दृत अन्य विद्वानों ने अमात्यों की योग्यताओं के बारे में जो सामान्य मानदण्ड निर्धारित किया है, वह है उच्छे कुल में जन्म लेना। यह बात दिभित्र रूपों में व्यक्ति की गई है यथा 'जिसका पिता और पितामह अमात्य हो, जो अभिजन और जानपदोभिजात हो।'¹¹² यह सदिग्द है कि इस तरह का मानदण्ड रहने पर शूद्रों के प्रवेश की कोई गुजाइश रही हो। अरस्तू ने बताया है कि आभिजात्य परपरागत समृद्धि और

गुणोत्तर का समन्वित रूप है¹¹³ —ऐसा गुण तो शूद्रों में विरल ही होगा। मेगस्थनीज ने ऐसे व्यवसाधिक पार्षदों और कठनीयारकों का उत्तेज किया है जो कम सत्या में छोते हुए भी मरकार के उच्च कार्यपालक और न्यायपालक पदों पर एकाधिकार रखे हुए थे।¹¹⁴ उन्होंने बताया है कि अंतिम और अतिथनवान व्यक्ति राज काज के सचालन में भाग लेते थे, न्याय व्यवस्था करते थे और राज के साथ परिषद में बैठते थे।¹¹⁵ इनकी जाति विलुप्त भिन्न थी, यह तथ्य इस नियम से स्पष्ट होता है कि वे अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकते थे, अपने व्यवसाय या व्यापार को छोड़ दूसरा ग्रहण नहीं कर सकते थे और एक से अधिक कारबार नहीं चला सकते थे।¹¹⁶ इन बातों से स्पष्ट है कि निम्न जाति के लोगों के लिए उच्च आधिकारिक पदों पर पहुंचने के मार्ग बट थे।

शूद्रों को जासूसी का कार्य दिया जाता था जो मौर्य प्रशासनतत्र का महत्वपूर्ण अग था। कौटिल्य ने बताया है कि अन्य लोगों के साथ साथ शूद्र महिलाओं को घुमक्कड़ जासूस के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।¹¹⁷ यह भी कहा गया है कि जो स्नान के लिए पानी लानेवाले, मालिक करनेवाले, शप्पाकार, हज्जाम प्रक्षापन सामग्री निर्माता पानी भरनेवाले सेवक, कत्कार, तार्क और गायक के रूप में नियोजित हैं उन्हें राजा के अधिकारियों के व्यक्तिगत धरित्र पर नजर रखनी चाहिए।¹¹⁸ स्पष्ट है कि इसमें से अधिकांश लोग शूद्र होते थे। भूत्य के रूप में काम करते हुए वे निरतर अपने मालिक के सपर्क में रहते थे अत उन्हें अपने भालिक के व्यक्तिगत धरित्र पर गिरोह करने का सबसे अच्छा साधा माना गया था। इतना ही नहीं कौटिल्य का मत है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों द्वा जिनमें कृषक पशुपालक और जगती जातियां भी हैं, दुश्मनों की गतिविधि जानने के उद्देश्य से जासूस नियुक्त किया जाना चाहिए। यह ऐसा उपबय है जिसमें शूद्र भी आ जाते हैं।¹¹⁹ निम्न जाति के लोग सवादवाहक के रूप में भी काम करते थे क्योंकि कौटिल्य ने बताया है कि यद्यपि सवादवाहक असूत होते हैं फिर भी वे मृत्युदण्ड के पात्र नहीं हैं।¹²⁰

विरोध महत्व की बात यह है कि अर्थशास्त्र में शूद्रों को सेना में बहाल करने का उपबय लिया गया है। शर्मसूत्रों से तो ऐसी धारणा बनती है कि सामान्यतया केवल शत्रिय और आपातिक स्थिति में केवल ब्राह्मण तथा वैश्य शत्रु धारण वर सकते हैं। सेना दो राज्य का अनिवार्य अग बताते हुए कौटिल्य ने यह भी स्पष्ट कहा है कि परपरानुसार वह सेना सर्वोत्कृष्ट है, जिसमें केवल शत्रिय सिपाही हो।¹²¹ किंतु उन्हें ब्राह्मण सेना पसद नहीं है, जिसे प्रणाम और अनुनय विनय करके रिङ्गाया जा सकता है।¹²² दूसरी ओर, वह वैश्यों और शूद्रों की सेना पसद करते हैं, क्योंकि उसमें लोगों की सम्भा अधिक होती है।¹²³ किंतु यह सदिग्दर्श है कि इन दो निम्न वर्णों के सदस्य इन काल में वस्तुत सैनिक के रूप में नियुक्त किए जाते थे। मेगस्थनीज ने साफ साफ कहा है कि कृषक (जो सामान्यतया

पैरेय होते थे) सैनिक सेवा से मुक्त रखे गए थे और सेना उनकी रक्षा के लिए रहती थी ।¹²⁴ श्रीराम और स्ट्रेबो, दोनों ने ही बताया है कि शांगत में सहायू लोगों की पाँचवर्षी जाति थी और उनके निर्वाड़ का खर्च राज्य बढ़न करता था ।¹²⁵ अशोक के स्मय के उत्कीर्ण लेखों में 'भटमयेसु' शब्द के प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता जा सकता है कि सैनिकों का भी एक वर्ग था ।¹²⁶ मेगस्थनीज से हमें जानकारी मिलती है कि सेना का एक अनुभाग (डिवीजन) ऐसा था जो विविध प्रकार के कार्य, यथा वायवृद वादक, अश्वपाल, मिस्त्री या उसके सहायक कल काम करने के लिए आदमी भेजता था ।¹²⁷ श्रीराम ने भी उन सेवकों की चर्चा की है जो न केवल सैनिकों की सेवा करते थे, बल्कि घोड़े हाथी और रथों की भी देवयात्र करते थे ।¹²⁸ सभवतया स्थायी सेना में शूद्रों को शूल्यों और अनुबर्द्धों के रूप में भाल किया जाता था, न कि सैनिकों के रूप में किंतु कौटिल्य के नियम से संकेत मिलता है कि आपातिक स्थिति में शूद्रों को सेना में बहाल किया जा सकता था । नई बस्तियों में वागुरिक, शबर, पुर्लिंद तथा चडाल जैसी जनजातियों को आतंरिक प्रतिरक्षा का भार सौंपा जाता था ।¹²⁹

विधि और न्याय के प्रशासन में कौटिल्य ने वर्णविद्यान का सिद्धात अपनाया है । उनके अनुसार पतित चडाल और हीन व्यवसाय करनेवाले अपने अपने समुदायों के दीवानी मामलों को छोड़ अन्यत्र गवाह नहीं बन सकते हैं ।¹³⁰ उन्होंने यह भी बताया है कि नौकर अपने मालिक के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है ।¹³¹ उसी प्रकार बधक मजदूर और दास अपने मालिक की आर से करारपत्र निष्पादित नहीं कर सकता है ।¹³² कौटिल्य ने इस बात का भी विधान बताया है कि विभिन्न वर्णों के लोगों को न्यायालय किन रूपों में चेतावनी दे सकता है । सबसे कड़ी चेतावनी शूद्र के लिए विहित की गई है जिसे स्परण करा देना है कि गलत बयान देने पर उसे किन्तने बुरे दैविक और भोतिक परिणाम भुगतने पड़ेंगे ।¹³³ इस विषय में न्यायालय शूद्र को केवल जुर्माना और सेवा के लिए आवश्यक कर मात्र है । तीनों-उच्च वर्णों के सोंगों के बारे में ऐसी किसी बात का कोई उल्लेख नहीं है ।¹³⁴ इस उपबध के तुरत बाद एक और उपबध है जिसमें कौटिल्य ने गलत बयान देनेवाले गवाहों के लिए 12 पर्णों का जुर्माना विहित किया है ।¹³⁵ इससे यह आभास मिलता है कि दठ का विधान प्राय शूद्र गवाह के लिए ही विहित था । मेगस्थनीज ने लिखा है कि गलत बयान देने के लिए सिद्धांश गवाहों के अग काट लिए जाते थे ।¹³⁶ हो सकता है कि यह दण्डविधान या तो नीच जाति के लोगों अथवा किसी खास सेवा के लोगों के लिए विहित किया गया हो ।

दठ देने के सबथ में कौटिल्य ने धर्मसूनों के वर्णविभेदों को माना है । तदनुसार यदि चारों वर्णों और भ्रतावसायिनों (अशूद्रों) में से हीन जाति का कोई व्यक्ति उच्च जाति के किसी व्यक्ति की निंगा करे तो उसे अप्रिक जुर्माना चुकाना होगा, और यदि हीन जाति के

किसी व्यक्ति को उच्च जाति वाला बदनाम करे तो उसे कम जुर्माना देना होगा।¹³⁷ अर्थशास्त्र में यह नियम भी दिया गया है कि शूद्र जिस अग से ब्राह्मण पर प्रहार करे, वह अग ही काट लिया जाए।¹³⁸ हमें संदेह है कि यह परिचेद कौटिल्य के ग्रन्थ का है क्योंकि यह मनु के अतिवादी विचार से पिलता है। कौटिल्य ने एक दूसरा नियम यह भी बनाया है कि यदि कोई धनिय किसी आरक्षित ब्राह्मण भहिला का गनन करे तो उसे उच्च से उच्च अर्थदड दिया जाएगा, वैश्य की सपनि छीन ली जाएगी और शूद्र को दटाई में लेपेटकर जिंदा जला दिया जाएगा।¹³⁹ आर्य स्त्री का अवैध समोग करनेवाले स्वणक को मृत्यु दड मिलेगा और भहिला के नाक कान काट लिए जाएंगे।¹⁴⁰ यह आश्चर्य की बात नहीं कि शूद्रों और श्वपाकों को ऐसे कठोर दड दिए जाते थे, क्योंकि श्वपाक जाति की भहिला के साथ अवैध समागम के लिए भी कौटिल्य ने अपराधी को दागने और निष्कामित करने की सजा विहित की है।¹⁴¹

कौटिल्य ने कुछ प्रकार के भोजन-पान के सबध में जो नियेष किए हैं, वे सभी जमान लूप में सभी वर्णों पर लागू नहीं होते। अल यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को निषिद्ध भोजन-पान में सम्मालेत होने के लिए प्रेरित करे तो उपे प्रथम कोटि के अपराध का दड दिया जाएगा धनिय के सबध में यही अपराध होने पर बध्यम कोटि का वैश्य के विरुद्ध होने पर प्रथम कोटि के अपराध का दड और शूद्र के विरुद्ध होने पर 54 पण का अर्थदड दिया जाएगा।¹⁴² गबन या दुर्विनियोग के मामले में सबसे कड़ी सजा भूत्यों पे बारे में निर्धारित की गई है। यदि कोई अधिकारी या किरानी इस तरह का अपराध करे तो उस पर जुर्माना किया जाएगा किंतु सेवक को ऐसे मामले में शारीरिक दड दिया जाएगा।¹⁴³

दायविधि में कौटिल्य ने वर्णों के बीच प्राचीन विभेद माना है। अतर्मित्रित (वर्णसकर) जानियों से उत्पत्र पुत्र यथा सूत मागध ब्रात्य और रथकार अपना हिस्सा पाने के हक्कदार तभी है जब पैतृक सपत्नि प्रुत्र मात्रा में हो।¹⁴⁴ कौटिल्य ने यह भी व्यवस्था की है कि जो पुत्र ऊपर बताए गए पुत्र से हीन कोटि के हो उन्हें कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा किंतु वे अपने निर्वाह के लिए सबसे बड़े पुत्र पर निर्भर कर सकते हैं।¹⁴⁵ स्वाभाविक ही है कि इसके अनुसार आजोगुव, बत्ता नियार्प पुत्कस और चडाल हिस्सा पाने से विचित रखे गए हैं। लेकिन पारशव (अर्थात् शूद्र भहिला से ब्राह्मण द्वारा उत्पत्र पुत्र) की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है। कह गया है कि यदि कोई ब्राह्मण सत्तानविहीन हो तो उसकी पैतृक सपत्नि में एक तिडाई हिस्सा उसके पारशव पुत्र को मिलेगा¹⁴⁶ और शेष दो हिस्से या तो उसके जीवित सापिंडों को अथवा, उनके अभाव में उसके गुरु या शिष्य को मिलेंगे।¹⁴⁷ इससे संकेत मिलता है कि यदि ब्राह्मण पिता को सत्तान न हो तो शूद्र पत्नी से भी उत्पत्र पुत्रों को पर्याप्त हिस्सा मिलेगा। यदि किसी ब्राह्मण को बारे जातियों की पत्नियों से पुत्र हो तो उनके

लिए कौटिल्य ने सपत्ति के बैंटवारे में धर्मसूत्र का सिद्धात अपनाया है।¹⁴⁸ उन्होंने इस सिद्धात का विस्तार शत्रिय और वैश्य पिता की तीन या दो जातियों की पनियों से उत्पन्न पुत्र तक किया है, किंतु दूर हालत में शूद्रपुत्र को लघुतम हिस्सा दिया गया है।¹⁴⁹

अर्थशास्त्र में दासों की स्थिति को व्यान में रखते हुए शूद्र की नागरिक हैसियत के प्रश्न पर सावधानी से विचार करने की जावश्यकता है। धर्मसूत्रों के लेखकों की तरह कौटिल्य ने आर्य को स्पष्टतया स्वतंत्र घोषा है और कहा है कि किसी भी स्थिति में आर्य को दास नहीं बनाया जा सकता।¹⁵⁰ इसके परिणामस्वरूप उन्होंने नियम घोषणा किया है कि जो शूद्र जन्मजात दास न हो, वर्यस्क नहीं हुआ हो और आर्यप्राण (आर्य से उत्पन्न) हो उसका रिश्तेदार यदि ऐसे शूद्र को देवे या बथक रखे तो उसे 12 पण जुर्माना किया जाएगा तथा इस तरह के कार्य से जितने भी लोग सबढ़ होंगे उन सबको कठिन दड दिया जाएगा।¹⁵¹ इससे व्यनित होता है कि शूद्र पल्ली से उत्पन्न तीन उच्च वर्णों के पुत्रों को खरीद या बथक के जरिए दास नहीं बनाया जा सकता था।¹⁵² प्राय उन्हें न्यायदड, युद्धबदी और ऐचिक दामता आदि के जरिए इस स्थिति में लाया जाता था।¹⁵³ इसी प्रसंग में कौटिल्य ने युद्ध में दौरी बनाए गए आर्यप्राण को दास बनाए जाने का हवाला दिया है।¹⁵⁴ अतएव उनके नियम में स्पष्ट घोषणा है कि तीन उच्च वर्णों के अवयस्क शूद्रपुत्रों को छोड़ दीये वर्ण के अन्य सदस्यों को दास बनाया जा सकता था। इन घोषणाएँ शूद्रों में भी जिनकी सत्त्वा अवश्य ही छोटी रही होंगी दास बनाने के लिए विहित किया गया जुर्माना अल्पतम है, अर्थात् 12 पण, जो वैश्य शत्रिय या ब्राह्मण के मामले में क्रमशः बढ़ता जाता है।¹⁵⁵

किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में, यथा धरेतू सकट या जुर्माना अधवा ऋण का भुगतान करने में अक्षम रहने पर आर्य का भी जीवन बथक रखा जा सकता था।¹⁵⁶ जहाँ तक इन बथक रखे गए लोगों (आहितकों) का सबध है, कौटिल्य ने कई उदार नियम घोषणा की है। यह विशाल किया गया है कि रिश्तेदार बथक रखे गए व्यक्तियों को यथाशीघ्र विमुक्त करा लैंगे। उसे अपवित्र कार्य करने के लिए नहीं कहा जाएगा। यदि बथक रखी गई किसी महिला का भालिक नगा होकर स्नान करते समय उसे किसी कार्य के लिए अपने पास बुलाएगा अधवा उस महिला का शीतहरण करेगा या गानी देगा अधवा भारे पीटेगा तो वह ऐसी महिला का बथक मूल्य घोने का हकदार नहीं रह जाएगा और महिला स्वतंत्र मुक्त हो जाएगी। बथक रखी गई किसी युवती पर बलात्कार करने की दशा में उसके मालिक का न केवल क्रयमूल्य जब्त हो जाएगा बल्कि वह युवती को कुछ रकम शुल्क के रूप में देगा और शुल्क की दुगुनी राशि सरकार को चुकाएगा। यदि परिवारिका के रूप में बथक रखी गई दासी के साथ उसका मालिक समानाम करे तो उसे प्रथम दौटि का दड दिया जाएगा। इसी प्रसंग में यहा गया है कि यहि किसी उच्च वर्ण के परिवारक के प्रति हिन्दात्मक प्रयोग किए

जाएँ तो उसे भाग जाने का अधिकार होगा।¹⁵⁷ इससे स्पष्ट है कि समवतया आहितक भी उच्च वर्ण के थे। दुर्भाग्यवश, उपर्युक्त परिच्छेद के अनुवाद में शामा शास्त्री ने दास और आहितक के बीच भेद नहीं करके दोनों के लिए मनमाने था से 'दास' शब्द का प्रयोग किया है।¹⁵⁸ किंतु कौटिल्य के कई कथनों से जाहिर होता है कि दास और आहितक दो भित्र कोटियों के कर्मचारी थे। उन्होंने विहित किया है कि दास और आहितक द्वाधि किए गए करारपत्र अवैध घोषित कर दिए जाने चाहिए।¹⁵⁹ उन्होंने यह भी बताया है कि राजा को देखना चाहिए कि लोग अपने दासों और आहितकों के दावों पर अध्याय देते हैं।¹⁶⁰ कौटिल्य ने यह भी विहित किया है कि जो औरतें अपने आप को किसी दास, परिवारक (सेवक) या आहितक के प्रति समर्पित करें, उनका वध कर दिया जाए।¹⁶¹ इन सभी मामलों में शामा शास्त्री ने माना है कि आहितक दास से भिन्न थे। वे या तो बधक रखे गए मजदूर थे या भाड़े के मजदूर।¹⁶² चूंकि दसकर्मकरकल्प के अध्याय में आहितकों को दासों जैसा ही समझा गया, इसलिए आहितकों पर लागू होनेवाले नियम दासों पर भी लागू माने गए हैं।¹⁶³ किंतु उपर्युक्त विश्लेषण बताते हैं कि कौटिल्य के ये नियम बधक रखे गए दासों पर लागू होते थे जो अधिकाशतया आर्य वर्ण की महिलाएँ होती थीं। उपर्युक्त नियमों से यह भी प्रकट होता है कि सामान्य दासों को उसका मालिक पीट सकता था और उसे गालियों दे सकता था तथा गंदे कार्य करने के लिए भी कह सकता था।

कौटिल्य के अनेक नियम जो दासों की मुक्ति के बारे में हैं, मात्र दासता की स्थिति में पहुंचा दिए गए आर्यों पर लागू होते हैं। नियम बताता है कि जिसने अपने को बेव लिया हो, उसके बेटे को आर्य (स्वतत्र) समझना चाहिए।¹⁶⁴ कोई व्यक्ति अपने मालिक के कार्य में विज्ञ ढाले बिना अर्जन करके और अपने पूर्वजों की सपत्ति विरासत में प्राप्त करके अपना क्रयमूल्य चुका सकता है और इस प्रकार अपना आर्यत्व पुन व्यक्त कर सकता है।¹⁶⁵ युद्ध में बढ़ी बनाया गया आर्यप्राण मुक्ति मूल्य चुकाकर मुक्त हो सकता है।¹⁶⁶ समुचित मुक्ति मूल्य पा लेने के बाद किसी दास को आर्य नहीं मानने पर 12 पन जुर्माना किया जाएगा।¹⁶⁷ ऐसे सभी मामलों में आर्यत्व की पुन व्यक्ति का प्रश्न केवल उन्हीं लोगों के लिए उठ सकता है जो पहले से ही आर्य रहे हों। शूद्रों के लिए यह प्रश्न नहीं उठ सकता। उपर्युक्त उपबध अधिक से अधिक तीन उच्च वर्णों के उन पुत्रों पर लागू हो सकेंगे, जो शूद्र माताओं से उत्पन्न हुए हों।

कौटिल्य ने परार्थीनता से मुक्ति के लिए दो अलग-अलग शब्दों का प्रयोग किया है। आर्यों के लिए 'आर्यत्वम् शब्द प्रयुक्त हुआ है। किंतु जब आर्यतर गुलार्मी को मुक्त करने का प्रसंग आया है तब 'अदास' शब्द का प्रयोग किया गया है। उदाहरणस्वरूप यह बताया गया है कि यदि कोई मालिक अपनी दासी से बच्चा पैदा करे तो मौं और बच्चा दोनों

ही मुक्त समझे जाएंगे।¹⁶⁸ यदि ऐसी कोई भी अपने परिवार के भरण पोषण के विचार से दास बने रहने का ही निश्चय करे तो उसकी मौं, भाई और बहन को मुक्त कर दिया जाएगा (अदासा स्पु)।¹⁶⁹ मातृम होता है कि ये दास गुलाम तो नहीं रह जाते थे, किंतु आर्य नहीं बन सकते थे। प्राचीन पालि ग्रंथों में दासों की दासत्व मुक्ति के लिए 'भुजीस',¹⁷⁰ शब्द का प्रयोग हुआ है और स्पष्ट रूप से यह बता दिया गया है कि केवल यदनों में ही आर्य दास बन सकता है, और दास आर्य बन सकता है।

यह कहना कठिन है कि क्षयमूल्य घुकाकर मुक्ति पाने का नियम आर्येतर दासों पर भी उसी रूप में सागू था, जिस रूप में वह आर्य दासों पर था। प्राय मूल्य घुका देने पर भी शूद दासों का मुक्त किया जाना उनके मालिक की इच्छा पर निर्भर था। किंतु कभी कभी उन सोगों को भी मुक्ति मिल जाती थी, क्योंकि यह विहित किया गया है कि जिस दास या दासी को एक बार उन्मुक्त करा दिया जाए उसे बेघने या बधक रखने पर 12 पण जुर्माना देना होगा। किंतु यदि कोई इच्छापूर्वक दास बने तो ऐसा जुर्माना नहीं किया जाएगा।¹⁷¹ मातृम होता है कि सामान्य दास भी सपत्नि अर्जन कर सकता था और उसका मालिक थन से उसे वित नहीं कर सकता था।¹⁷² स्वभावतया इस सपत्नि से उसे अपनी मुक्ति में सशापता मिलती थी।

दासों के प्रति किए जानेवाले बर्ताव को विनियमित करने के लिए कौटिल्य ने कुछ नियम बनाए हैं जो शूद दासों तथा उच्च वर्ण के दासों पर भी सागू होते हैं। उन्होंने बताया है कि जो दास आठ वर्ष से कम उम्र का हो और सगा सबधी विहीन हो, उसे हीन वपसायों में नहीं लगाया जा सकता और न उसे विदेश में बेया या बधक रखा जा सकता है।¹⁷³ इसी प्रकार किसी गर्भवती दासी को प्रसव की व्यवरथा के बिना बेचा या बधक नहीं रखा जा सकता है।¹⁷⁴ पुनः, मालिक बिना किसी कारण के अपने दास को कैद में नहीं रख सकता।¹⁷⁵ जनपदनिवेश सबधी अध्याय में यह आदेश दिया गया है कि राजा को धाहिए लोगों को बाध्य करे कि वे अपने दासों और आदितकों के दावे पर ध्यान दें।¹⁷⁶ यह तथ्य अशोक द्वारा बार बार दिए गए उन अनुदेशों से मिलता है जिनमें कहा गया है कि दासों और सेवकों के प्रति दयालुतापूर्ण व्यवहार किया जाना धाहिए।¹⁷⁷

कौटिल्य के उदार नियम अधिकाशतया आदितकों और भूतपूर्व आर्य दासों पर लागू थे, जिनकी सत्त्वा निश्चय ही कम रही होगी। उनमें से कुछ ही नियम सामान्य दासों की बड़ी सत्त्वा पर लागू होते थे, जो शूद थे। इस तथ्य पर ध्यान न देने के कारण यह गलत निष्कर्ष निकाला गया है कि कौटिल्य के विद्यान परोक्ष रूप से दासता का उन्मूलन करते हैं अथवा उनकी नीति ऐसी है कि उनका देश स्वतंत्र व्यक्तियों का देश बन जाए।¹⁷⁸ उनके उदार नियम से मुख्यतया यह जान पड़ता है कि वे आर्येतर या शूद दासों की अपेक्षा भूतपूर्व

आर्य दासों की स्थिति बचाने के लिए चिंतित थे। यह स्वाभाविक है, क्योंकि भालूम होता है कि कौटिल्य ने सास्य, परस्त्रीगमन और दाय सबधी विधियों में शूद्र और उच्च वर्णों के बीच भेद रखा है।¹⁷⁹ यद्यपि कौटिल्य ने धर्मशास्त्रों की भाँति आर्य और शूद्र के बीच स्पष्ट विभेद नहीं किया है, फिर भी उन्होंने आहार सामग्री देने के विषय में आर्य और अवर के बीच स्पष्ट विभेद किया है¹⁸⁰ और इसमें कोई संदेह नहीं कि 'अवर' शब्द का प्रयोग शूद्र के लिए किया गया है।

दासता के बारे में कौटिल्य ने अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से नियम बनाए है, जैसा कि धर्मसूत्रों में नहीं पाया जाता। इससे यह पता चलता है कि मौर्यकालीन भारत में दासों की सज्जा पर्याप्त थी। मैगस्थनीज का उद्धरण देते हुए एरियन ने बताया है कि कोई भी भारतीय दास नहीं रखता था।¹⁸¹ किंतु ओनेसिक्रितोज के विवरण से इस उक्ति में बहुत अवर आ जाता है। स्ट्रेबो ने ओनेसिक्रितोज को अधिक विश्वसनीय और मैगस्थनीज की झूठा बताया है।¹⁸² ओनेसिक्रितोज ने बताया है कि मौसिकैनो देश—जिसमें आषुनिक सिंप का अधिकाश भाग शामिल था—के निवासियों में दास नहीं रखने की विद्यित्र प्रथा थी।¹⁸³ उसका कथन है कि वे लोग दासों के बदले नवपुत्रकों से काम लेते थे, जिस प्रकार क्रीटवासी स्कैमियोर्टाई¹⁸⁴ और लैसिडिमोनिया के लोग गुलामों को रखते थे।¹⁸⁵ इससे पता चलता है कि मौसिकैना में भी ऐसा कर्ग था जो पूरे समाज की गुलामी करता था और किसी खास व्यक्ति के अधीन नहीं था। इस प्रथा से ब्राह्मण काल के उस सिद्धात की पुष्टि होती है जिसके अनुसार दास और भाड़े के मजदूर बनकर शूद्र तीन उच्च वर्णों की सेवा करते थे।

आमतौर पर इस तरह का कोई संकेत नहीं मिलता कि मौर्यकाल में शूद्रों की नागरिक और आर्थिक स्थिति में कोई मूलभूत परिवर्तन हुआ। मौर्यकाल से पहले उन पर जो राजनीतिक और कानूनी अशक्तताएँ लादी गई थीं वे भुख्यतया बनी रहीं। अशोक ने अपने चतुर्थ स्तम्भ आदेश में राजुक को बताया है कि अपने प्रभार के अधीन रखे गए जनपद में वह व्यवहार समता और दृढ़ समता लागू करे।¹⁸⁶ इन दोनों शब्दों का निर्वचन 'न्याय सबधी कार्यवाहियों में निष्पक्षता' और 'दृढ़ में निष्पक्षता' किया गया है।¹⁸⁷ किंतु प्राचीन विधियों में वर्ण पर आण्वित भेदभावों को देखते हुए कह सकते हैं कि उपर्युक्त शब्द आदर्शवादी शासकों द्वारा ऐसे भेदभावों को छोड़ने के प्रयास के सूचक हैं। यह नीति वस्तुतया किस प्रकार और कहाँ तक लागू की जाती थी यह स्पष्ट नहीं होता है। समवतया दीर्घकालीन पूर्वांग्रहों के चलते यह नीति सफल नहीं हो सकी। इतना ही नहीं, चूंकि उपर्युक्त राज्यादेश 238 ई पू.¹⁸⁸ में निर्भत हुआ जबकि उसका राज्यकाल समाप्त हो रहा था इसलिए उसकी मृत्यु से बहुत पहले शायद ही उस आदेश को कार्यान्वित किया गया होगा।

इस प्रकार इस निर्णय से केवल ब्राह्मणों की शत्रुता भड़ी होगी और निम्न वर्ष के लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचा होगा।

मुख्यतया आर्यिक और राजनीतिक प्रस्तुतों से सबद्ध ग्रथ के स्पष्ट में अधिशत्र शूद्रों की सामाजिक स्थितियों पर उतना प्रकाश नहीं ढालता, जितना घर्मसूत्र ढालते हैं। किंतु इसमें शूद्रों की विवाह प्रथा और उनकी मठिलाऊओं की स्थिति की विशद वर्चा की गई है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि आही जानेवाली लड़की को पाणिग्रहण सम्भार से पहले तक अस्तीकार कर देना तीन उच्च वर्णों में मान्य समझा गया है, किंतु शूद्रों में यह मान्यता सभोग के पूर्व तक दी गई है।¹⁸⁹ मह भी कठा गया है कि प्रथम चार प्रकार के अनुमोदित विवाहों में तलाक की अनुमति नहीं है,¹⁹⁰ जिससे अविवाहित होता है कि गायर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच विवाह में इसकी अनुमति दी गई है। पहले बताया जा चुका है कि गायर्व और पैशाच विवाह वैश्यों और शूद्रों में प्रवलित था¹⁹¹ जिससे पता चलता है कि वे लोग विवाह के बधन को तोड़ना आसान समझते थे। कौटिल्य ने यह भी बताया है कि अनुमोदित दण के विवाहों के लिए पिता की सहमति अपेक्षित थी, और अनुमोदित दण के विवाहों के लिए माता की भी सहमति लेना आवश्यक था।¹⁹² इससे परोक्ष रूप में यह सिद्ध होता है कि निम्न वर्णों में मातृप्रथानाता के कई तर्फों के बने रहने के कारण उनके दोच स्त्रियों का कुछ स्थान था।

कौटिल्य ने जो उपर्युक्त नियम बनाए हैं वे प्राचीन घर्मसूत्रों में नहीं दिखाई पड़ते। किंतु विभिन्न वर्णों के प्रवासी पतियों की पतियों के लिए कौटिल्य ने प्रतीक्षा की अवधि प्राय वही रखी है जो वसिष्ठ द्वारा निर्धारित है और इसके लिए अल्पतम अवधि शूद्र की पत्नी के लिए विहित है।¹⁹³ ये सभी निषेधालाएँ बताती हैं कि शूद्रों में विवाह का बधन उतना प्रबल नहीं था जितना उच्चवर्णों में, जिनकी महिलाएँ पुरुषों पर अधिक निर्भर रहती थीं।

कहा गया है कि कौटिल्य ने विवाह के लिए सङ्कों की उम्र 16 वर्ष और लड़कियों की 12 वर्ष निर्धारित की है,¹⁹⁴ जो ब्राह्मण से भिन्न जातियों के लिए और खासकर ऐसे श्रमजीवी वर्ग के लिए है जो शीघ्र ही सत्तान पाने के इच्छुक रहते हैं।¹⁹⁵ वह उपबध जिस प्रसंग में आया है उसे ध्यान में रखते हुए ऐसा सोचना उचित नहीं लगता। दूसरी तरफ, ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि यह उपबध निम्न वर्णों पर दी लागू होगा। इसलिए भाना जा सकता है कि यह उपबध चारों वर्णों के लिए उनकी श्रेष्ठता के क्रम में आधरण का मानदण्ड स्थापित करता है।

कौटिल्य ने बताया है कि अभिनेता खिलाड़ी, गायक महुआ शिकारी पशुपालक आसवक और ऐसे ही अन्य लोग साधारणतया अपनी औरतों के साथ धूमते थे।¹⁹⁶ उच्च वर्णों की मठिलाऊओं के साथ ऐसी बात नहीं थी। उनमा कार्यकलाप बैदल घर तक सीमित

हता था। शूद्र वर्ण की महिलाएँ इसलिए घर से बाहर जाती थीं कि उन्हें अपने परिवार के झुजारे के लिए खेतों और चरणगाहों में काम करना पड़ता था। कौटिल्य ने नियम बनाया है कि ब्राह्मणों और पश्चुपालकों की स्त्रियों पर अपने पति द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी का दायित्व रहेगा।¹⁹⁷

सामान्यतया इस काल में जातियों में समोत्र विवाह प्रचलित था। परिवर्न का कहना है कि किसान शिल्पियों के वर्ग में और शिल्पी किसानों के वर्ग में विवाह नहीं कर सकते थे।¹⁹⁸ किंतु कौटिल्य की दाय विधि और वर्णसंकर जातियों के बारे में उनके द्वारा तैयार की गई अतराल नामक सूची से स्पष्ट है कि कुछ विवाह उच्च वर्ण के लोगों और शूद्रों के बीच भी हुए थे। उन्होंने निषाद, पारशव, चढाल, पुल्कस, स्वपाक, खता, आयोगव, कुटक (धर्मसूत्रों में कुकुटक) रथकार, वैष्ण आदि की उत्पत्ति के विषय में ब्राह्मणकालीन सिद्धांत की ही पुनरावृत्ति की है।¹⁹⁹ कौटिल्य ने कहा है कि वैष्ण और रथकार के कार्य समान ढंग के थे।²⁰⁰ उन्होंने यह भी बताया है कि इन वर्णसंकर जातियों के लोगों को अपनी ही जातियों में विवाह करना चाहिए।²⁰¹ राजा को देखना चाहिए कि ये लोग अपना अपना ही व्यवसाय करें।²⁰² उन्होंने बताया है कि राजा इस व्यवस्था को मान्यता दे और उसके अनुसार प्रजा को चलाए।²⁰³ यह भी निर्धारित किया गया है कि पैतृक संपत्ति में सभी संकर जातियों के हिस्से समान होंगे।²⁰⁴ उनका मत है कि चढालों को छोड़कर संकर जातियाँ (अतराल) शूद्र का पेशा अपनाकर अपना निर्वाह कर सकती हैं।²⁰⁵ अतएव केवल चढाल को धृणित जाति माना गया है और बौद्ध सूची के रथकारों, वैष्णों, पुकुसों और नेसादों को छोड़ दिया गया है।

पहले बताया गया है कि पाणिनि ने सम्भवतया चढालों को शूद्र वर्ण में समिलित किया है। किंतु कौटिल्य उन्हें शूद्र नहीं मानते।²⁰⁶ उन्हें चतुर्वर्ण व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार कौटिल्य का मत है कि चढालों और जगली जातियों को पशु और पक्षियों को नुकसान पहुंचाने के लिए उस रुपि का आधा दण दिया जाएगा जो धार वर्णों को वैसे ही पशुओं और पक्षियों को नुकसान पहुंचाने के लिए दिया जाता है।²⁰⁷ धार वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अतावसादिनों की जाति का उल्लेख किया है,²⁰⁸ जो सम्भवतया चढालों के समान ही थे क्योंकि वे भौव के बाहर इमशान के निकट रहते थे।²⁰⁹ यह विवित किया गया है कि यदि चढाल किसी आर्य महिला को छू दे तो उस पर 100 पण का जुर्माना किया जाएगा।²¹⁰ इससे यह अर्थ निकाला जा सकता है कि यदि वह किसी शूद्र महिला का स्पर्श करे तो उसे ऐसा कोई दण नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार चढाल जिस तालाब के पानी का प्रयोग करता हो उसे कोई दूसरा अपने उपयोग में नहीं ला सकता है, जिससे स्पष्ट है, चढालों का पानी नहीं चलता था और उन्हें जलग रखा जाता था।²¹¹

इसलिए कोई सदेह नहीं कि घडालों को अमृत माना जाता रहा। किंतु अन्य सकर जातियों यथा पारशवों और निवादों के बारे में यही नहीं कहा जा सकता। क्योंकि कौटिल्य ने नियम बनाया है कि यदि ब्राह्मण पिता को कोई दूसरी सतान न हो तो उसके पारशव पुत्र को हिस्सा मिलेगा।²¹² अर्थशास्त्र में घडाल के नए व्यवसाय का उल्लेख किया गया है। उसे बीच गाँव में पापिनी औरत को कोड़े मारने के लिए बुलाया जा सकता है।²¹³ उससे यह भी कहा जा सकता है कि जो पुरुष या भृहिता भिग्र भित्र प्रकार से आत्महत्या करें, उनकी लाश को रस्ती से चौपकर सङ्क पर धरीटता हुआ से जाए।²¹⁴

कौटिल्य ने शूद्रों की धार्मिक रिधति के बारे में कुछ जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि यदि कोई व्यक्ति देवता या पूर्वजों को अर्पित भोजन बौद्ध और आजीविक जैसे वृप्तत सन्धार्णी को खिलाए तो उस पर 100 पण का जुर्माना किया जाएगा।²¹⁵ शामा शास्त्री ने वृप्तत को शूद्र माना है, किंतु यह परिच्छेद वस्तुतया शूद्रों का नहीं बल्कि तपसियों का उल्लेख करता है, जिन्हें ब्राह्मणों ने मनमाने ढग से शूद्र करार दिया था। फिर भी अशोक तपसियों का आदर जाति का विचार किए बिना करता था। कहा जाता है कि एक अवसर पर यब अशोक के मरी ने इस कार्य के लिए उसभी निया की तब उसने उत्तर दिया कि जाति का विचार विवाहों और निमत्रणों में किया जाना चाहिए न कि शम्म के पालन में।²¹⁶

कौटिल्य के एक नियम से ऐसा सम्बव दिखाई पड़ता है कि कुछ शूद्रों को धार्मिक और शैसिक सुविधाएँ प्राप्त थीं। अमात्यों के धरित्र की जाँच के लिए कुछ रीतियाँ विहित करते हुए उन्होंने ऐसा तरीका बताया है जिसके जरिए यह जाँच की जा सकती है कि धार्मिक विश्वास के कारण राजाज्ञा की अवहेलना करने की प्रवृत्ति तो उसमें नहीं है। राजा को घाहिए कि उस पुरोहित को बर्खास्त कर दे जो आदेश हाने पर किसी अनिषिकारी को वेद पढ़ाने से अधवा यज्ञ के अनिषिकारी (अयान्यायजनाप्यापने) द्वारा किए जानेवाले यज्ञ में भाग लेने से इकार करे।²¹⁷ बर्खास्त पुरोहित को कोशिश करनी चाहिए कि अदर्शी राजा को उखाड़ केंकने के लिए अमात्यों का समर्थन प्राप्त करे। यदि अमात्य इस धार्मिक दुर्बलता का शिकार नहीं बर्ने तो समझना चाहिए कि वे सच्चित्र हैं।²¹⁸ इस परिच्छेद में जयमण्डला ने अयान्य शूद्रापुत्र बताया है।²¹⁹ अत इस नियम से यह सम्बव जान पड़ता है कि उच्च वर्णों के शूद्रापुत्र राजा के कहने पर यज्ञ का सपादन और विद्याध्ययन भी कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि मौर्यकाल में राजा पूर्ण शक्तिसपत्र होता था। किंतु सामान्य रिधति का ज्ञान कौटिल्य के दूसरे कथन से होता है जिसमें उन्होंने बताया है कि यदि यज्ञ का सपादन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया जाए जिसे शूद्र पल्ली हो, तो उस यज्ञ का महाव घट जाता है।²²⁰ इसलिए उन्होंने हिदायत की है कि ऐसे पुरोहित को स्थान नहीं मिलना

भौर्यकाल में राज्य की ओर से शूद्रों को बड़े पैमाने पर गुलाम, मजदूर और शिल्पी के रूप में नियोजित किया जाता था। यद्यपि इनकी मजूरी निर्धारित थी, फिर भी इनकी आर्थिक दशा सकटपूर्ण थी। चूंकि राज्य की ओर से की जाने वाली खेती के लिए पर्याप्त दाम और कर्मकर उपलब्ध नहीं थे। इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि राजकीय भूमि बटाईदारों को पट्टे पर दी जाए। ये बटाईदार प्राप्त निम्न वर्ग के होते थे। दूसरी बात यह मातृम होती है कि राज्य के धनी आबादीवाले क्षेत्रों से शूद्रों को मैंगाकर उन्हें नई भूमि में कृषिकार्य में संगाया जाता था। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शूद्रों के प्रति पुराना भेदभाव बना रहा, किंतु ऐसा लगता है कि कौटिल्य ने उच्च वर्गों के लोगों के शूद्रापुत्रों को अनेक रियायतें दी थीं। वे दास नहीं बनाए जा सकते थे, उन्हें पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल सकता था,²²² और विशेष परिवितरण में वे वैदिक यज्ञ और देवाध्ययन के अधिकारी हो सकते थे। किंतु अधिकाश शूद्रों की पुरानी अशक्तताएं बनी रहीं।

अर्थशास्त्र से हमें निम्न वर्गों के सामान्य आचरण की झलक मिलती है। यह बताता है कि इस वर्ग के लोग जिस स्थिति में रहते थे, उससे वे विलुप्त खुश नहीं थे। कौटिल्य ने अपराधियों और सदिग्यों की जो सूची दी है उसमें बहुतेरे ऐसे लोग हैं जिनकी जातियों और व्यवसायों को समाज में हीन माना जाता था (हीनकर्मजातिम)। उन्हें हत्यारा, ढकैत या कोपों और निषेपों के दुर्विनियोग का दोषी समझा जाता था।²²³ कौटिल्य का विचार है कि चोरी या सेंधमारी होने पर गरीब औरतों और अपराधील नौकरों की भी जाँच करनी चाहिए।²²⁴ उन्होंने यह भी बताया है कि यदि मालिक की हत्या हुई हो तो उसके सेवकों की परीक्षा करके यह जानना चाहिए कि मालिक ने उनके प्रति कोई हिंसापूर्ण या निर्यतापूर्ण व्यवहार तो नहीं किया है।²²⁵ इससे प्रकट होता है कि कभी कभी घोरतू नौकर अपने मालिक की जान लेने का प्रयास करता था। कौटिल्य ने यह भी विहित किया है कि जब कोई शूद्र अपने को ब्राह्मण कहे देवताओं की संपत्ति चुराए या राजा का बैरी हो तो विवैली दवाओं का प्रयोग करके उसकी ऊँचें नष्ट कर दी जाएं या उससे आठ सौ पण जुर्माना वसूला जाए।²²⁶ इससे पता चलता है कि पुरोहितों और राजसत्ताधारियों के प्रति कुछ शूद्र बैरभाव रखते थे। एक ऐसा भी प्रसंग आया है जो पारशव के राजविद्रोहात्मक कार्यकलाप के सबथ में है। उसकी राज्यविरोधी गतिविधियों के दमन के लिए वर्णी उपाय किए जाएं जो किसी राज्यविरोधी मरी के लिए किए जाते हैं। कला गया है कि राजा को घाहिए कि सदिग्य व्यक्ति के परिवार में झगड़ा संगाने के लिए खुफिया बहाल करे, ताकि अतत सरकार उसे फैसी पर लटका सके।²²⁷ उपर्युक्त प्रसंग बताते हैं कि शूद्र वर्ण के सास्त्रों वा मुस्तव अपने मालिक के प्रति अच्छ नहीं था। चूंकि उस समय उनकी प्रतिक्रिया

ब्यक्त करने का कोई शांतिपूर्ण तरीका नहीं था, इसलिए कभी कभी वे अपनी प्रतिक्रिया छैफ्टी, सेंष्मारी, मंदिर की सपति की घोरी, मालिक की हत्या ब्राह्मणों के आडबर पर प्रहार और राज्य के प्रधान के प्रति विद्रोह जैसे आपराधिक कार्यकलापों के रूप में करते थे। ये कार्य उनके मन में व्याप्त असतोष के प्रतीक थे। किंतु एक भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता, जिससे पता चल सके कि उन सोगों ने सगाठित होकर विद्रोह किया था। इस सबथ में भीर्दकाल की परिस्थितियाँ प्राचीन काल की परिस्थितियों से कुछ अच्छी थीं। अर्यशास्त्र में शूद्रों के सगाठित विद्रोह का मुकाबला करने के लिए वैसी कोई व्यवस्था नहीं मिलती जिसका आभास धर्मसूत्रों की कुछ कठिकाओं में पाया जा सकता है। दूसरी ओर, शूद्रों को सेना में भर्ती करने के लिए कौटिल्य का तैयार होना उस विश्वास भावना का परिचायक है जो समझौता और निश्चुर नियन्त्रण की उनकी दुहरी नीति से उत्पन्न हुई थी।

सदर्थ

- 1 मनुष्यार और पुसलकर दि एन ऑफ इंडीयल यूनिटी पृष्ठ 285 6 में इस विषय के सदर्थ ग्रन्थों का निर्देश है आर० पी० कांगते 'दि कौटिलीय अर्यशास्त्र' (बर्ड 1964) द्वारा आर० ट्रैटमैन कौटिल्य द्वै दि अर्यशास्त्र (साइडेन 1971) में सदर्थ ग्रन्थों की और भी बड़ी सूची है
- 2 अर्यशास्त्र XV 1
- 3 वी कल्यानोव 'डेटिंग दि अर्यशास्त्र' (23वीं इटनेशनल कॉम्प्रेस ऑफ ओरिएंटलिस्ट्स में सौविषयक प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रस्तुत निवाप) पृ 40-54
- 4 वही पृ 44-45
- 5 वही पृ 45
- 6 आर गार्ड हेस्टिंग्स एनसाइक्लोपेडिया ऑफ रिलिजन द्वै एंडिक्स VIII पृ 138 इन्द्रवन आइनकुहर्ड इन फी हॉडेनकुण्डे पृ 126
- 7 दीप निकाय I पृ 130 मङ्गलम निकाय II पृ 165
- 8 कल्यानोव पूर्व निर्दिष्ट पृ 46
- 9 अर्यशास्त्र I, 2, 8
- 10 के० वी० रणसामी अव्यग्र इंडियन कैमोलिज्म पृ 50
- 11 कल्यानोव पूर्व निर्दिष्ट पृ 48
12. विनय रिटक I 10 समुत्त निकाय V 421
- 13 कल्यानोव पूर्व निर्दिष्ट पृ 52.
- 14 अर्यशास्त्र II 14
- 15 मैकिडल एनशिएट हॉडिया एंज डिस्ट्रिब्यूश बाइ नेगास्थनिज द्वै एंडियन, पृ 86
- 16 अर्यशास्त्र III 1
- 17 के ए नैलकठ शास्त्री एयल पावर इन एनशिएट हॉडिया (दि प्रोसीडिंग्स ऑफ दि इंडियन हिस्टोरिकल कॉम्प्रेस 1944) पृ 46

- 18 फ्रैंडल एनरिएट हीडिया ऐज डिस्काइब इन क्लासिकल लिटोरेर पृ 53
- 19 अर्धशास्त्र II 10
- 20 कल्पानोव पूर्व निर्दिष्ट पृ 54 टमस आर० ट्रोटमैन ने कम्प्यूटर की सहायता से अपनी पुस्तक कोटिल्य ऐंड दि अर्धशास्त्र' में दिखाया है कि विभिन्न अधिकरणों के अलग अलग लेखक हैं (पृ 168 187)
- 21 अर्धशास्त्र 13 'शूद्रस्य द्विजातिशुश्रुता वार्ता' वाक्यखण्ड में वार्ता शब्द का प्रयोग तीन व्यवसायों, यथा कृषि पशुपालन और व्यापार के अर्थ में नहीं किया गया है जैसा कि शामा शास्त्री (अनुवाद पृ 7) ने माना है वहाँ इसका प्रयोग जीविका के अर्थ में किया गया है (शृणुगला जर्नल ऑफ ओरियिटल रिसर्च मध्यस) XX 11
22. अर्धशास्त्र 13
- 23 अर्धशास्त्र II 1 'शूद्रकर्कप्राय बुत्तशतावर पवशत्कुलपर ग्राम क्रोशद्विषेषसी मानमन्योन्यरु निवेदयेत्'
- 24 काई जे सोराजी सम नोट्स ऑन दि अध्यक्षप्रबाहर बुक II ऑफ दि कौटिल्यम् अर्धशास्त्रम्, अर्धशास्त्र II 1 में शूद्रकर्कप्रायम्, जे जे जे पापर 'इस अल्लिनीरिस्त्रे बुक काम वेट उड़ स्टार्टलेन' अर्धशास्त्र II 1 का अनुवाद
- 25 दी गणपति शास्त्री का अर्धशास्त्र का संस्करण I, पृ 109 शामा शास्त्री का अर्धशास्त्र का अनुवाद II 1
- 26 दी गणपति शास्त्री की अर्धशास्त्र के शूद्रकर्कप्रकल्प शब्द की टीका III 13
- 27 अर्धशास्त्र II 1 दी० गणपति शास्त्री के अर्धशास्त्र के संस्करण में ऐकमुठिकिनि शब्द का अर्थ एक व्यक्ति किया गया है (I 111) और शामा शास्त्री (अनुवाद) ने इसका अर्थ अज्ञावन किया है
- 28 अर्धशास्त्र II 1
- 29 यही
- 30 तस्य चातुर्वर्णमिनिवेत्तं सर्वभोगसहस्रादवरदर्थप्राया श्रेष्ठसी बाहुल्यात् मुवलात्य अर्धशास्त्र VII 11 नववेदेक्ष (पृ 33) में अवर्वद्यग्राय की व्याख्या शूद्रप्रय के रूप में दी गई है
- 31 नदवीका पृ 33 कर्विनायारथनुर्दिकरणादिविद्योग, तदोग्यत्वादित्यर्थ
32. अर्धशास्त्र, VII 11
- 33 अर्धशास्त्र II 1 परदेहापवाहनेन स्वदेशाभिष्यन्दवमनेन दा
- 34 अर्धशास्त्र VI 1 अवर्वद्यग्राय
- 35 पौषात हिंदू रैत्यू सिस्टम पृ 55
- 36 अर्धशास्त्र, II 1
- 37 यही, II 24
- 38 यही
- 39 फ्रैंडल एनरिएट हीडिया ऐज डिस्काइब बाद मेगास्टनिज ऐंड शीपन', पृ 86 छड 34
- 40 फ्रैंडल एनरिएट हीडिया ऐज डिस्काइब इन क्लासिकल लिटोरेर पृ 53 पाद टिप्पणी 4
- 41 यही, पृ 48 छड 41
42. फ्रैंडल ऑफ दि बैंड इन्वेंट ऑफ दि ग्राम एशियाटिक सोसाइटी बर्ट्स XI (II) पृ 143 एट्समैन के अनुसार रश्युर्वर्क स्पष्टाक और अन्य सोंग दे दृष्टा सर्पशाळादिक शब्द और अन्य सोंग दे

- 43 अर्थशास्त्र II 24
 44 अर्थशास्त्र II 24
 45 वही II 24 भद्रस्वामिन् की दीका पूर्व निर्दिष्ट पृ 137
 46 अर्थशास्त्र II 24
 47 वही अन्यत्र कृत्त्रैरेष्य
 48 (जर्नल ऑफ दि बिहार ऐड उडीसा रिसर्च सोसायटी पटना XII) पृ 137
 49 अर्थशास्त्र II 4 कर्मान्तकक्षेत्रदरोन वा कुटिलिनम् सीमानम् स्थापयेत्
 50 अपने अनुवाद में शामा शास्त्री ने बताया है कि ये काम उन्हें सौंपि गए दे किंतु इस बात वा
 सम्बन्धन करने के लिए प्रथम मैं बोई तथ्य नहीं मिलता
 51 दी गणपति शास्त्री का अर्थशास्त्र का संस्करण I पृ 130
 52 शामा शास्त्री का अर्थशास्त्र का अनुवाद पृ 54
 53 पीछाल पूर्व निर्दिष्ट पृ 200 पाद टिप्पणी 2
 54 अर्थशास्त्र II 35
 55 मैक्रिडल एनशिएट इंडिया ऐज डिस्काइब्ल बाइ मेगास्थनिज ऐड एरियन पृ 83 84
 खड 33
 56 मैक्रिडल एनशिएट इंडिया ऐज डिस्काइब्ल इन क्लासिकल लिटोवर पृ 53 स्ट्रो पूर्व
 निर्दिष्ट खड 16
 57 वही
 58 अर्थशास्त्र II 35
 59 वही
 60 अर्थशास्त्र II 15 एतावन्तो विष्ट्रिविकरा दुग्धादिकर्मोपयोगिभि (जर्नल ऑफ दि बिहार
 ऐड उडीसा रिसर्च सोसायटी पटना xii) पृ 198
 61 दी गणपति शास्त्री पूर्व निर्दिष्ट I पृ 344
 62 अर्थशास्त्र II 15 दासकर्मकर्वर्गश्च विष्टि
 63 अर्थशास्त्र II 29
 64 वही III 13
 65 वही II 29 स्वप्नम् हन्ता धातयिता इर्ता हारयिता च दथ्य
 66 अर्थशास्त्र II 23
 67 वही II 12
 68 वही II 15
 69 वही II 18
 70 वही II 17
 71 वही II 23
 72 वही II 12
 73 वही II 4
 74 अर्थशास्त्र II 4 तत परपूर्णासूचयेणुवर्गवर्गश्चावरणकारव शूदात्वं परिवमम् दित्तमधिवसेयु
 75 वही II 23
 76 वही II 18
 77 मैक्रिडल एनशिएट इंडिया ऐज डिस्काइब्ल इन क्लासिकल लिटोवर, पृ 53 स्ट्रो पूर्व
 निर्दिष्ट खड 46
 78 मैक्रिडल एनशिएट इंडिया ऐज डिस्काइब्ल बाइ मेगास्थनिज ऐड एरियन' पृ 87 खड 34

- 109 वी एन दत स्ट्रीज इन ईंडियन सोशल पालिटी पृ 185 7 जायसवाल मनु
 ऐड यात्रावलम्ब पृ 171
 110 रायचौधुरी पालिटिकल हिस्ट्री ऑफ एनशिएट इंडिया' पृ 267
 111 अर्थशास्त्र 18 और 9
 112 वही
 113 अरसू पालिटिक्स , पृ 163
 114 मैक्रिडल एनशिएट इंडिया ऐज डिस्काइब बाइ मेगास्टरिनज ऐड एरिपन , पृ 85 खड 33
 115 वही पृ 138 खड 56
 116 वही पृ 85 6 खड 33
 117 अर्थशास्त्र I 12
 118 वही
 119 वही
 120 अर्थशास्त्र I 16 अन्तावसाधिनोप्यवद्या
 121 वही
 122 अर्थशास्त्र IX 2
 123 वही बुलसार वा वैश्यकूद्रबलभिति
 124 मैक्रिडल पूर्व निर्दिष्ट पृ 83 84 खड 33
 125 वही पृ 217 एरिपन खड 12 एनशिएट इंडिया ऐज डिस्काइब इन क्लासिकल
 लिटरेचर पृ 53 स्ट्रैटो खड 47
 126 एक डिक्ट ऑफ अशोक 4 (शाहबाजगढ़ी) I 12
 127 मैक्रिडल पूर्व निर्दिष्ट पृ 88 खड 34
 128 वही पृ 217 खड 12
 129 अर्थशास्त्र II 1
 130 वही III 1
 131 वही
 132 वही III 1
 133 वही III 11
 134 वही अन्यावादे दरचानानुबन्ध शामा शास्त्री ने जो अनुवाद किया है (पृ 200) उसमें
 अनुबय शब्द को छोड़ दिया गया है
 135 अर्थशास्त्र III 11
 136 मैक्रिडल पूर्व निर्दिष्ट पृ 70 खड 27
 137 अर्थशास्त्र III 18
 138 वही III 19
 139 वही IV 13 ब्रह्मन्यामगुप्तायाम् खत्रियस्योत्तम सर्वस्वप् वैश्वस्य शूऽ कटाग्निना दद्वेत
 140 दी गणपति शास्त्री ने इस अनुवाद को शामा शास्त्री से भिन्न ढंग का बताया है जहाँ
 गणपति शास्त्री ने लिखा है स्वपाकस्यार्थगमने वय (II 181) वहा शामा शास्त्री
 शूऽश्वपाकस्य भार्यागमनवय (अर्थशास्त्र IV 13 पृ 236) लिखते हैं दी गणपति
 शास्त्री ने आर्य शब्द का प्रयोग टीक ही किया है जो घूनिख वी पाइलिपि में भी पाया जाता है
 (अनुवाद पृ 264)
 141 अर्थशास्त्र IV 13

- 142 वही
 143 वही II 5
 144 वही III 6
 145 वही
 146 वही
 147 वही
 148 वही III 6
 149 वही
 150 वही III 13
 151 वही III 13 उद्दासवर्जनार्थप्राणमप्राप्तव्यवहार शूद्रम् विकल्पाशान नयतस्वगतस्य द्वादशपणी
 दठ
 152 जापसदाल पूर्व निर्दिष्ट पृ 242
 153 अर्धशास्त्र (III 3) में कुल मिलाकर दास बनने के नी स्रोत बताए गए हैं हो सकता है कि अन्य
 प्रकार का भी दासत्व रहा हो
 154 अर्धशास्त्र III 13
 155 वही
 156 वही III 13 अथ वार्यमाधाय कुलबन्धनतूर्याणामापदि निष्ठ्यम् विधिगम्यवाल साहाय्यदातारं वा
 पूर्वम् निष्ठ्याणैत्
 157 अर्धशास्त्र III 13 सिद्धमपचारकस्याधिप्रजातस्य अपव्रमणम्
 158 शामा शास्त्री का अनुवाद पृ 206
 159 अर्धशास्त्र III 1
 160 वही II 1
 161 वही IV 13
 162 शामा शास्त्री का अर्धशास्त्र का अनुवाद III 1 और II 1
 163 जापसदाल पूर्व निर्दिष्ट पृ 209
 164 अर्धशास्त्र III 13 आत्मविकल्पिण प्रजामार्या विद्यात्
 165 वही III 13
 166 वही
 167 वही
 168 वही III 13 सपादृकम् अदासम् विद्यात्
 169 वही III 13 गणपति शास्त्री के अनुसार
 170 पति इग्निश दिव्यनारी देखे मुनिसस्त
 171 अर्धशास्त्र III 13
 172 वही
 173 वही
 174 वही
 175 वही
 176 वही II 1
 177 राह इडिक्स और अर्टेक 9 (ग्रिनर) I 4 वितर इडिक्स और अर्टेक II (ग्रिनर) 1.2
 178 जापसदाल पूर्व निर्दिष्ट, पृ 209 वे एव दत पूर्व निर्दिष्ट पृ 184 187
 179 ऊपर हैं पृ 161 2

- 180 अर्थशास्त्र II 15 हुलनीय अर्थशास्त्र में आर्य और नीव के बीच भेद अर्थशास्त्र I 14
 181 मैकिडल पूर्व निर्दिष्ट पृ 211 3 खण्ड 10
 182 वही पृ 18 19
 183 मैकिडल एनग्रिएट इंडिया एज बिस्कोइड इन कम्पनीसिकल लिटरेचर पृ 58 स्ट्रेचे
 खण्ड 54
 184 गुलामों की तरह वे भी भूमि से सबद्ध हैं
 185 मैकिडल पूर्व निर्दिष्ट पृ 41 स्ट्रेचे खण्ड 34
 186 फिलर इंडिस्ट्रीज ऑफ अशोक 4 (दिल्ली टोपरा शिलालेख) I 15
 187 कारपस इसक्रिप्शनम् इंडिकैरम् I 125
 188 वही इंट्रोडक्शन पृ XXXVI
 189 अर्थशास्त्र III 15 विवाहानानु त्रयणाम् पूर्वेषां वर्णानाम् पाणिप्रहणात्सद्मपावर्त्तनम् शूद्रणां
 च प्रकर्मणा दी गणपति शास्त्री ने प्रकर्मण बताया है (II पृ 92) उन्होंने इसे
 योनिशात्मवद्दोकृत्य अर्थात् लड़की का बौमार्य भग बताया है शामा शास्त्री के विवाह के अर्थ
 में इसके अनुसाद से कोई अर्थ नहीं निकलता।
 190 अर्थशास्त्र III 3
 191 उपर देखें पृ 116
 192 अर्थशास्त्र III 2
 193 वही III 4
 194 वही III 3
 195 के दी रास्तामी अव्यगर पूर्व निर्दिष्ट पृ 66 पाद टिप्पणी 5
 196 अर्थशास्त्र III 4 तालाप्वारणमत्यवन्यकलुब्धिगोपालक शौष्ठिकानामन्येषाम् च
 प्रसूष्टस्त्रिकाणाम् पथ्यनुसरणमदोष
 197 वही III 11 स्त्री वा प्रतिश्रविणी पतिवृत्तम् अणम् अन्यत्र गोपालकार्यसीलिकेष्य
 198 (इयन ऐटीकरेंट बम्बई V) पृ 92
 199 अर्थशास्त्र III 7 बौद्धित्य ने द्वातों की नई परिभाषा की है जो उनके भवानुसार द्वारो द्वारों में
 से किसी वर्ण के पतित पुठों द्वारा निभ वर्ण की घटिता से उत्तर पुत्र है
 200 अर्थशास्त्र III 7 बर्भणा वैच्छो रथकार
 201 वही दी गणपति शास्त्री द्वारा एक अनुच्छेद के दिए गए पाठ के आधार पर यह अर्थ किया
 गया है (II 44) शामा शास्त्री ने दूसरे ढण की व्याख्या की है जिससे पता चलता है कि
 सजातीय विवाह केवल वैच्छ तक ही सीमित थे
 202 वही III 7 पूर्वविरपापित्तम् वृत्तानुवृत्तम् च स्वर्यर्थन् स्वापयेत्
 203 वही III 7
 204 वही
 205 वही III 7 दी गणपति शास्त्री II 44 के अनुसार
 206 वही III 7
 207 वही IV 10 चण्डानारण्यवराणामर्ददण्ड
 208 वही III 18
 209 वही II 4
 210 वही III 20
 211 वही I 14

- 212 वही III 6
- 213 वही III, 3 इन अदिम जातियों की कूरता के कारण इस कार्य के लिए घड़ालों को विशेष रूप से बुना याहा होगा
- 214 अर्धशास्त्र IV 7 रम्जुना पड़े, शामा शास्त्री ने धातयेत्स्वप्नमात्मान का अनुवाद किया है दूसरों से आत्महत्या करवाना जो सही नहीं मालूम पड़ता
- 215 वही III 20
- 216 पी एल नरसू दि एसेन्स ऑफ मुद्रिज्म पृ 137 से उद्धृत
- 217 अर्धशास्त्र I 10
- 218 वही
- 219 (अर्नल ऑफ ओरिपटल रिसर्च मद्रास XXII) 32 टी गणपति शास्त्री ने अचान्य का अर्थ वृचलीपति अर्थात् शूद्र स्त्री का पति किया है (I 48)
- 220 अर्धशास्त्र III 14
- 221 वही अदोष स्पत्तुमन्मोक्षम्
- 222 यह रथकार और पारशव तक सीमित थी
- 223 अर्धशास्त्र IV 6
- 224 वही
- 225 वही, IV 7 दण्डस्य हृयमदर्थं दृष्ट्वा वा तस्य पौरीबारकजन वा दण्डपाठशादति भार्गत्
- 226 अर्धशास्त्र IV 10 शूद्रस्य ब्राह्मणवादिनो देवद्रव्यमवस्तुणो राजद्विष्टभादिशतो द्विनेत्रभेदिनश्च योग्यनेनान्यतमप्तशतो वा दण्ड ब्राह्मणवादी शूद्र को देव सपति चुरानेवाले या राजा के बैरी व्यक्ति से भिन्न मानने का कोई औपचार्य नहीं दीखता जैसा कि शामा शास्त्री ने इस अनुच्छेद के अनुवाद में किया है (अनुवाद पृ 255)
- 227 वही V 1 टी गणपति शास्त्री की टीका के आधार पर

प्राचीन व्यवस्था का कमजोर पड़ना (लगभग दो सौ ई पू से लगभग दो सौ ई सन)

इस काल में शूद्रों की स्थिति की अधिकाश सीधी जानकारी मनु के विग्रह से प्राप्त हुई है जो सामान्यतया दो सौ ई पू से दो सौ ई सन तक की मानी जाती है।¹ मनु ने ब्रह्मवर्त (सरस्वती और दृष्टिकोश के बीच का प्रदेश)² और ब्रह्मर्विदेश (कुछ भूत्य, नदियाँ और शूरसेन की समतल भूमि) को पवित्र माना है।³ इस आधार पर सुशाव दिया गया है कि अपेक्षाकृत इस छोटे प्रदेश में ही विग्रह का उद्भव हुआ और सर्वप्रथम उसे प्रायिकृत माना गया।⁴ इस तरह का विचार यद्यपि सम्भव है किंतु किसी भी तरह आवश्यक नहीं है और हो सकता है कि मनुस्मृति का प्रमाण अधिक व्यापक क्षेत्र पर पड़ा हो।

मनु ने जिस प्रकार की ब्राह्मणकालीन धोर कहरता का परिवर्य दिया है उससे उनके ग्रथ में प्रस्तुत प्रमाण का मूल्यांकन करना कठिन हो गया है। किंतु शूद्रों की स्थिति से सबृहित परिच्छेद का विश्लेषण पतञ्जलि के महाभाष्य, भास के नाटक⁵ और बौद्धग्रन्थों, यथा मिर्तिदपञ्चो (प्रश्न) दिव्यवदान, महावस्तु और सहस्रुङ्खरीक से प्राप्त जानकारी के आधार पर किया जा सकता है।⁶ जैन ग्रथ द्वावदान भी, जिससे शिल्पियों के सबृह में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, इसी काल का कहा जा सकता है।⁷ इस काल के स्मृतिमूलक और सकलित्यत लेख भी शूद्र समुदाय की स्थिति पर पूर्ण प्रकाश ढालते हैं।

कतिपय प्राचीन पुराणों में कलियुग के जो वर्णन मिलते हैं वे प्राय इसी युग का सकेत करते हैं⁸ जबकि वर्ण के आधार पर विभाजित ब्राह्मण समाज की नींव अपर्याप्ति सम्प्रदायों के कार्यकलाप और बैकटीरियन ग्रीक शक पार्थियन और कुपाणों जैसे विदेशियों की चढ़ाई के कारण हिल गई थी। अशत अशोक की बौद्धों की समर्थक नीति और अशत इन नए लोगों के आगमन के चलते ब्राह्मण समाज पर जो आघात हुआ उससे मनु ने उसे बचा रखने की जी तोड़ कोशिश की है, और इसके लिए उन्होंने न केवल शूद्रों के विछद कठोर दड़ का विघ्न किया है, बल्कि बाहरी हत्तों को वर्णसमुदाय में समाविष्ट करने के उद्देश्य से उनकी समुदित वशावली भी बनाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने तलवार (दड़) की शक्ति की जो अत्यधिक महिमा बताई है उसका भी अभिप्राय यही है।⁹

मनु ने इस पुराने सिद्धात को दुहराया है कि ईश्वर ने शूद्रों को आदेश दिया है कि वे उच्च जातियों की सेवा करें।¹⁰ राजा को चाहिए कि वैश्य को आदेश दे कि वह व्यापार करे, रुपए का लेन देन करे खेती करे या भवेशीपालन करे और शूद्र को यह आदेश दे कि वह तीन उच्च वर्णों की सेवा करे।¹¹ आपदृष्टर्म के अध्याय में मनु ने यह भी कहा है कि शूद्र ब्राह्मण की सेवा करे, जिससे उसके सभी उद्देश्य पूरे होंगे।¹² ऐसा नहीं होने पर वह क्षत्रिय की सेवा करे, अथवा किसी थनी वैश्य की भी चाकरी करके अपना जीवन निर्वाह करे।¹³ इस सबध में 'अपि' (भी) शब्द पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे ध्वनित होता है कि वैश्य शायद ही शूद्र का मालिक होता था।¹⁴ इससे यह भी पता चलता है कि आपतकाल में शूद्र की सेवा मुख्यतया ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए सुरक्षित रहती थी। एक अन्य स्थान पर मनु ने विहित किया है कि राजा मावणानी के साथ वैश्यों और शूद्रों को बाध्य करे कि वे अपने नियत कार्य किया करें क्योंकि यदि वे दोनों वर्ण अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएंगे तो सारे सत्तार में गडबड़ी फैल जाएगी।¹⁵ इस परिच्छेद का विशेष महत्व है क्योंकि यह किसी भी प्राचीन ग्रन्थ में नहीं मिलता। इस तरह के विषयान से सामाजिक आर्थिक सकट का आभास होता है। कुछ पुराण से भी इस बात की पुष्टि होती है, जिसमें कहा गया है कि इस काल में क्षियों भी हल जोतती थीं।¹⁶ मनु के एक नियम की जा टीका कुल्लुक ने की है उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुछ ऐसे हासोन्मुख किसान और व्यापारी थे जिन्हें राजा ने अपना गुप्तचर बहाल कर रखा था।¹⁷ मनु का दूसरा नियम है कि जिन शूद्रों को जीवन निर्वाह में कठिनाई हो, वे देश के किसी भी भाग में (अर्थात् म्लेच्छों के देश में भी) बस सकते हैं।¹⁸ इस नियम से ऐसे सकट का संकेत मिलता है जिसका प्रभाव उत्पादन करनेवाली जनता पर गमीर रूप से पड़ा था। वैश्यों और शूद्रों से काम कराने का सुझाव देने की आवश्यकता मनु को इसलिए पहीं होती ही थी कि विदेशी आक्रमणों के कारण सामाजिक विप्लव गमीर रूप धारण कर चुका होगा। प्राय जब मौर्यों के कठोर शासन का अंत हुआ तब वैश्यों और शूद्रों को उनके विहित कर्तव्यों की सीमा बाँध रखना और भी कठिन हो गया।

उपर्युक्त निर्देशों से यह भी पता चलता है कि वैश्यों और शूद्रों के कार्यों में पड़नेवाले अतार क्रमशः मिटते जा रहे थे। मनु ने विहित किया है कि यदि आपतकाल में वैश्य के लिए अपने व्यवसाय से भरण पोषण करना कठिन हो तो उसे शूद्रों के व्यवसाय अपनाने चाहिए, अर्थात् द्विजों की सेवा करके जीवनयापन करना चाहिए।¹⁹ क्लिलिदपञ्चों के एक प्रश्न से भी इस बात की पुष्टि होती है जिसमें कृषि व्यापार और पशुपालन वैश्य और शूद्र जैसे सामान्य जन के कार्य माने गए हैं,²⁰ और इन दोनों वर्णों के कार्यों का अत्तम से कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

यद्यपि वैश्य को शूद्र के निकट बताने की प्रवृत्ति चल पड़ी थी फिर भी कोई ऐसा

प्रमाण नहीं मिलता जिससे पता चले कि शूद्र स्वतंत्र स्वरूप से जीविकोपार्जन करते हैं। सामान्यतया वे भाड़े के मजदूर और गुलाम के रूप में नियोजित होते रहे, क्योंकि मनु ने उस पुराने नियम को ही दुरहाया है कि शिल्पी, धार्मिक और शूद्र, जो शारीरिक श्रम करके अपना निर्वाह करते हैं, कर घुकाने के बदले महीने में एक दिन राजा का काम करें।²¹ उन्होंने एक नया नियम बनाया कि वैश्य (अतिरिक्त) कर के रूप में अपने गलते का 1/8 हिस्सा घुकाकर और शूद्र शारीरिक श्रम लगाकर आपतकालीन स्थिति को संभाले।²² इस प्रसाग में कुल्लुक ने जो दार शब्दों में कहा है कि बुरे दिनों में भी शूद्रों पर कर नहीं लगाए जाएं,²³ मनु ने शूद्रों को करों से विमुक्ति दी है, जिसकी पुष्टि शिल्पियों से होती है। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि हर गाँव के अपने दास या दासी, भटक और कर्मकर होते हैं, जिन्हें करों से मुक्त रखा जाता था।²⁴ अतः शूद्र को राज्य का कर घुकानेवाला किसान नहीं बताया गया है और यह स्थिति वैश्यों से भिन्न मालूम होती है। राजा के अध्यविध कर्म की चर्चा करते हुए मेधातिथि ने व्यापार, कृषि, सिंचाई, खनन वस्तीविहीन जिलों की बदोवस्ती, वनों की कटाई आदि का उल्लेख किया है,²⁵ किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि राज्य अपनी पहल पर दासों और कर्मकरों को कृपिकर्म में नियोजित करता था जैसा भौर्यकाल में होता था। महाबस्तु में प्राप भुखिया का वर्णन आया है जो खेत का काम देखने के लिए तेजी से जा रहा है। किंतु यह पता नहीं चलता है कि वह इस कार्य का सपादन राजा की ओर से करता था।²⁶ मालूम होता है कि अलग अलग मातिक शूद्रों से कृषि मजदूर का काम करते हैं। पतञ्जलि ने एक ऐसे भूस्वामी का निक्रि किया है जो एक जगह बैठकर भाड़े के पैंच मजदूरों द्वारा की जानेवाली जुलाई का निरीक्षण करता है।²⁷ मनु ने किसान मातिक के नीकरों की भी चर्चा की है।²⁸ उनका कथन है कि कृषक को अपनी पारिवारिक सपत्नि के बैंटवारे में ब्राह्मणपुत्र के लिए एक अतिरिक्त हिस्सा बनाकर रखना चाहिए।²⁹ स्पष्ट है कि यह ब्राह्मणों के अधीन रहनेवाले कृषि मजदूरों का द्वाला देता है।

यद्यपि मनु ने इस विचार की पुनरावृत्ति की है कि शूद्रों को शिल्पियों का व्यवसाय तभी अपनाना चाहिए जब सीधे उच्च दण्डों की सेवा से उनकी जीविका नहीं चल सके,³⁰ फिर भी मालूम होता है कि इस काल में शिल्पियों की सड़ा तो काफी बढ़ी ही, उनकी परिस्थिति में भी सुधार हुआ। यह बात बड़ियों, लोहारों, गधियों जुलाहों, सुनारों और चर्म व्यवसायियों द्वारा बीच मिलुओं को उपहारस्वरूप दी गई अनेक गुप्ताओं, स्तम्भों पट्टों, ताबूतों आदि से प्रमाणित होती है।³¹ इनके अतिरिक्त उल्कीर्ण लेखों में रगसाजों, घातु और हाथी दाँत के काम करनेवालों, जीहरियों मूर्तिकारों और मछुओं के भी कार्य दिखाई पड़ते हैं।³² गधियों और कुछ हद तक स्वर्णकारों को बार बार उदार उपासक कहा गया

है, जिससे लक्षित होता है कि शिल्पियों के कई भूमूल दर्द बन गए थे। यद्यपि गोधियों की तरह जुलाहों की चर्चा दानपञ्चों में बार-बार नहीं मिलती फिर भी शुद्धिति में उपलब्ध प्रभाव से ज्ञात होता है कि शिल्पियों के स्वप्न में उनका स्थान महत्वपूर्ण था, क्योंकि कहा गया है कि वे ग्यारह पल का भुगतान करें और छूक होने पर बारह पल दे³³ स्पष्ट है कि ये कर जुलाहों द्वारा तैयार किए गए सामान पर वस्तु वे स्वप्न में लिए जाते थे। प्राय मधुरा³⁴ और अन्य नगरों में उत्पन्न वस्त्रों के व्यापार में इन जुलाहों की खूब चलती थी। उल्कीण लेखों से पता चलता है कि अधिकांश शिल्पी मधुरा और पश्चिमी दक्षन द्वीप में सीमित थे जहाँ रोम के साथ बढ़ते हुए व्यापार से उन्हें अपना विकास करने का अवसर मिलता था।

पुरालेख बताते हैं कि शिल्पी अपने प्रणानों के अपीन संगठित थे जो प्राय राजा के प्रिय पात्र होते थे। हमें आनंद के उपहार की भी बात सुनने में आई है, जो श्री शतकर्णि के शिल्पियों का प्रमुख था³⁵ किंतु साहित्यिक प्रभाव बताते हैं कि पूर्व काल की अपेक्षा इस काल में शिल्पियों के सघ बहुत बड़े पैमाने पर बने थे। महावस्तु ने एक सूची में 11 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख किया है यथा मालाकार, कुमकार, बड़ई, धोबी, रगेज, पात्र निर्माता, स्वर्णकार, जौहरी, शखसीयी वस्तु निर्माता, आसुथिक और रसोइया—जो अपने अपने प्रणानों के अपीन काम करते थे³⁶ इसी स्रोत से राजगृह के अस्तदण्ड श्रेणियों का उल्लेख मिलता है जिसके अतर्गत स्वर्णकार, गधी, जौहरी, सेती, आटा पीसनेवाले आदि भी हैं। इस सूची में फल, कद, आटा और चीनी के विक्रेता भी शामिल हैं³⁷ स्वर्णकार और जौहरी का उल्लेख दोनों ही सूचियों में हुआ है और मालूम होता है कि इस काल में लगभग दो दर्जन शिल्पी सघ वर्तमान थे³⁸ यह भी ध्यान देने योग्य है कि शिल्पी सधों की दूसरी सूची जातकों में वर्णित सूची से बिल्कुल भिन्न है³⁹ यद्यपि शिल्पियों की प्रिपुकि राजा करता था,⁴⁰ फिर भी सम्भव है कि शिल्पी सधों की सज्जा बढ़ने से शिल्पियों पर राज्य का सीधा नियन्त्रण कमजोर पड़ गया हो। विशेष महत्व की बात यह है कि अद्यशत्क में भी उतने प्रकार के शिल्पी नहीं दिखाई पड़ते जितने इस अवधि में देखने में आते हैं। महावस्तु में छत्तीस प्रकार के कामगारों की एक सूची दी गई है जो राजगृह नगर में रहते थे⁴¹ यह सूची व्यापक नहीं मालूम होती क्योंकि इसके ऊत में कहा गया है कि सूची में जितने कामगारों का उल्लेख हुआ है, उनके अतिरिक्त और भी कामगार थे⁴² किलिदझरे में इससे भी लदी सूची दी गई है, जिसमें लगभग 75 प्रकार के व्यवसाय गिनाए गए हैं जो अधिकतर शिल्पियों के थे⁴³ बौद्धों की सूचियों के बहुत से शिल्पियों की चर्चा एक जैन प्रथा में भी हुई है, जिसमें 18 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख हुआ है और एक यास बात यह है कि इस प्रथा में दर्जियों बुनकरों और रेशम बुनकरों को भी जारी शिल्पी बताया गया है⁴⁴ इससे प्रकृट होता है कि जैन इन शिल्पों को हीन नहीं मानते थे।

इन शिल्पियों की सूची का विस्तरण करने पर पता चलता है कि इस काल में कई नए शिल्पों का विकास हुआ। दीया/निरूपय में दिए गए संगमग्रंथ दो दर्जन शिल्पों⁴⁵ के मुकाबले हमें अलिदण्डहो में पाँच दर्जन शिल्पों की चर्चा मिलती है। इनमें से आठ शिल्प यातुर्कर्म सबधी हैं,⁴⁶ जिनसे अच्छी प्रगति का पता चलता है। ऐसा जान पड़ता है कि वस्त्र-निर्माण, रेशम तुनाई⁴⁷ एवं अस्त्र शस्त्र और विलास सामग्रियों⁴⁸ के निर्माण में भी अच्छी प्रगति हुई थी। इन सब बातों से पता चलता है कि इस काल के शिल्पियों ने ताकनीकी और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

ये शिल्पी अपने ग्राहकों से उस रूप में नहीं जुड़े थे, जिस प्रकार दास और कर्मकर अपने मालिकों से सबूद्ध थे। इस तरह पतंजलि से हमें जानकारी मिलती है कि बुनकर (जुलाहे) स्वतंत्र रूप से अपना काम करते थे⁴⁹ दास और कर्मकर तो भोजन और वस्त्र पाने के उद्देश्य से काम करते थे, किंतु शिल्पी अपना काम करके मजदूरी पाने की आशा रखते थे⁵⁰

मनु ने कई ऐसे विषय दनाए हैं जिनसे शूद्रों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने वर्ण के अनुसार ब्याज की भिन्न भिन्न दरें निर्धारित की हैं यह पुराना नियम था⁵¹ वर्णों के अनुसार ब्याज की दरें क्रमशः दो तीन, चार या पाँच प्रतिशत होनी चाहिए⁵² नासिक के उत्कीर्ण लेख से पता चलता है कि जब ठप्पे बुनकर सध के पास जमा किए जाते थे, तब उनके द्वारा चुकाए जानेवाले ब्याज की दरें प्रति मास एक से लेकर 3/4 प्रतिशत तक होती थीं⁵³ ऐसा कोई प्रभाण नहीं मिलता कि शूद्र के रूप में उन्हें ब्याज की उत्तम दरें चुकानी पड़ती थीं। सनातन परपरा के एक आमुनिक समर्थक ने ब्याज के इस वर्गीकरण को इस आधार पर उचित बताने का प्रयास किया है कि यह उदाहरण लेनेवालों की सामाजिक सेवाओं के अनुपात को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है,⁵⁴ जिसका अर्थ है कि शूद्रों द्वारा की जानेवाली सेवाएँ नगण्य सी थीं। किंतु वास्तविकता यह है कि अपने उत्पादन कार्य द्वारा वे वैश्यों के साथ पूरे सामाजिक ढाँचे को कामय रखे हुए थे। हो सकता है कि मनु का ब्याज सबधी विषय अमल में नहीं लाया गया हो किंतु ब्याज वसूलने में प्राय ब्राह्मणों के प्रति कुछ नरमी बरती जाती थी और शूद्रों को अपना क्रण छुककर ही मुक्त होना पड़ता था।

मनु का विचार है कि शूद्र को सपति जमा नहीं करने देनी चाहिए, क्योंकि इससे वह ब्राह्मणों को सताने लगेगा⁵⁵ कहा गया है कि इस तरह की निषेधाला खुद शूद्रों को सबोधित अतिरिक्त मतव्य (अर्थवाद) है,⁵⁶ किंतु ऐसे विचार के लिए मूल ग्रंथ में कोई आधार नहीं है। इस निषेधाला की तुलना अग्रेजी प्रार्थनाग्रंथ के उस प्रबोधन वाक्य से भी की जाती है जिसमें गरीब को कहा गया है कि उसके पास जो कुछ भी हो, उसी से वह

सतुष्ट रहे।⁵⁷ चूंकि प्रसागायीन परिच्छेद आपतकाल सबथी अध्याय में आया है, अत यह बौद्ध भिशुओं या विदेशी शासकों के सबय में कहा गया होगा, जिन्हें शूद्र ही माना जाता था। जो भी हो, दाय विधि से स्पष्ट है कि शूद्रों की सपत्ति होती थी।⁵⁸ यह निष्कर्ष भनु द्वारा दुहराए गए उस पुराने नियम से भी निकाला जा सकता है, जिसके अनुसार वैश्यों और शूद्रों को घन से अनुदान द्वारा अपनी विपत्ति का निराकरण करना चाहिए।⁵⁹

भनु के अनुसार रूपए जिस व्यक्ति के पास जमा किए जाएँ, उसकी एक योग्यता यह होनी चाहिए कि वह आर्य हो।⁶⁰ शूद्र स्पष्ट ही उस योग्यता से वचित है। किंतु इस सन की दूसरी शताब्दी में सातवाहन के राज्य में रूपए कुम्भारो, तेल मिल के मालिकों⁶¹ और बुनकरों⁶² के पास भी जमा किए जाते थे। यह प्रथा बौद्ध उपासकों में प्रचलित थी, जो भिशुओं को परिधान देने और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपए जमा करते थे। ब्राह्मण धर्मावलब्दी भी इन प्रथाओं का अनुसरण करते थे, क्योंकि ऐसा अभिलेख भिला है जिससे पता चलता है कि हुविष्क के राज्यकाल (लगभग 106-138 ई.) में एक प्रमुख ने मधुरा के आटा व्यापारी सघ के पास एक नियम घनराशि जमा की थी, जिसके ब्याज से प्रतिदिन 100 ब्राह्मणों को खिलाया जाता था।⁶³ इन प्रथाओं से भी सिद्ध होता है कि शिल्पकार सघ बनाकर स्वतंत्र रूप से काम करते थे। स्पष्ट है कि वे जमा की हुई इस घनराशि से अपने तिए कच्चा माल और उपकरण (औजार) खिरीद सकते थे और उत्पादित सामग्री को बेचने से हुई आय से उक्त राशि का ब्याज चुका सकते थे।

भनु ने विहित किया है कि ब्राह्मण अपने शूद्र दास के सामान को निर्भयतापूर्वक जब्त कर सकता है, क्योंकि उसे सपत्ति रखने का अधिकार नहीं है।⁶⁴ जायसवाल का विचार है कि इसके द्वारा सभवतया बौद्ध सघ की सपत्ति जब्त करने की क्रिया को कानूनी मान्यता दी गई है, क्योंकि सघ के पास अपार सपत्ति इकट्ठी हो गई थी।⁶⁵ किंतु यह नियम सभवतया उन शूद्रों पर ही लागू होता है जो दास के रूप में काम करते थे। भनु का मत है कि क्षत्रिय भूखा क्यों न रह जाए, वह किसी पुण्यात्मा ब्राह्मण की सपत्ति हरण नहीं कर सकता, लेकिन वह किसी दस्यु या अपने विवित कर्तव्य से च्युत होनेवाले लोगों की सपत्ति हड्डप सकता है।⁶⁶ इससे पता चलता है कि जो क्षत्रिय और वैश्य अपने अनिवार्य धार्मिक कृतियों की अवहेलना करते थे, उनकी सम्पत्ति हरण कर ली जा सकती थी। ऐसी स्थिति में शूद्रों को सुरोक्षित नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि भनु ने नियम बनाया है कि चूंकि शूद्र को यन से कोई सहेकार नहीं है, इसलिए यज्ञ करनेवाले द्विज यन के लिए अपेक्षित दो या तीन सामग्री उससे ले सकते हैं।⁶⁷ इन सभी नियमों से मालूम होता है कि भनु ने शूद्रों को आर्यिक दृष्टि से हीन बनाकर रखने का प्रयास किया है।

मौर्योंतर काल में कामगारों को दी जानेवाली मजूरी और निम्न वर्ग के लोगों के

जीवन निर्वाह की सामान्य रिति का कुछ आभास मिलता है। एक बात में मनु ने कौटिल्य के सिद्धात का अनुसारण किया है और बताया है कि मनूरी पर रखा गया चरवाहा मालिक की सहमति से दस गायों में से सबसे अच्छी एक गाय को दुह ले सकता था।⁶⁸ इस मामले में मनु भाड़े के मजदूर के प्रति कौटिल्य की अपेक्षा अधिक उदार मालूम पढ़ते हैं,⁶⁹ क्योंकि उन्होंने मजदूर को सबसे अच्छी गाय का दूध से जाने की अनुमति दी है। मनु ने चरवाहे के जिम्मे रखी गई गायों के प्रति उसकी जिम्मेदारी पर भी जोर दिया है, और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके विभिन्न कर्तव्यों का उल्लेख भी किया है।⁷⁰ बिंदु उन्होंने यह नहीं कहा है कि यदि कोई मवेशी खो जाए तो उसके चरवाहे को कोड़े से पीटा जाए, जैसा कि आपस्तव में बताया गया है, अथवा उसे मृत्यु की सजा दी जाए, जैसा कि कौटिल्य ने कहा है। मनु ने एक नया प्रावधान बनाया है जिसके अनुसार गाँवों के चारों ओर सगभग घार सौ हाथ चौड़ा क्षेत्र और नगरों के चारों ओर इसका तिगुना क्षेत्र चरागाह के लिए रखा जाए। यदि इस क्षेत्र के अतर्गत किसी के बाड़ा रहित प्लाटों में कोई मवेशी भटककर घला जाए और उसकी फसल को नुकसान पहुँचाए तो उसके लिए चरवाहे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।⁷¹ इस तरह इस स्मृतिकार ने चरवाहों के हितों को कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान की है।

यह बताते हुए कि शूद्रों का काम ब्राह्मणों की सेवा करना है उन्होंने विहित किया है कि शूद्रों का निर्वाह व्यय तय करने में उनकी योग्यता, काम और आश्रितों की सज्जा का छ्याल किया जाना चाहिए।⁷² उन्होंने गौतम के उस अनुदेश को दुहराया है कि इन सेवकों को जूठन और पुराने कपड़े तथा विस्तर दिए जाने चाहिए। किंतु उन्होंने यह भी बताया है कि इन्हें अनाज के कण भी दिए जाएं।⁷³ ये नियम स्पष्टतया उन शूद्रों के पारिश्रमिक का निर्देश देते हैं जो परेतू नौकर का काम करते थे। मनु ने कहा है कि राजा की सेवा में नियोजित दासियों और दासों की मनूरी समय और स्थान को ध्यान में रखकर तय की जानी चाहिए।⁷⁴ उन उत्कृष्ट और अपकृष्ट कार्यकर्ताओं को एक पण से लेकर उ पण तक दैनिक मनूरी मिलनी चाहिए।⁷⁵ इसके अतिरिक्त उनके लिए भोजन और वस्त्र आदि का भी प्रबल नियम किया जाना चाहिए जो उनके ओहदे के अनुसार भिन्न भिन्न किसम के हो सकते हैं।⁷⁶ यह स्पष्ट नहीं है कि उत्कृष्ट और अपकृष्ट शब्द उच्च और नीच वर्णों के द्योतक हैं, जैसा कि एक अन्य प्रसग में अर्थ लगाया गया है।⁷⁷ किंतु पलजलि से हर्मे विदेश होता है कि एक ओर कर्मकरों और भूतकों की मनूरी और दूसरी ओर पुरोहितों तथा अन्य लोगों की मनूरी में बहुत बड़ा अंतर था। इस प्रकार जहाँ पुरोहितों को मनूरी के स्वप्न में गायें दी जाती थीं, वहाँ कर्मकरों और भूतकों को प्रतिदिन $\frac{1}{4}$ निष्क⁷⁸ अर्थात् महीने में $7\frac{1}{2}$ निष्क मिलते थे। कहा गया है कि निष्क और कार्यापण का मूल्य बराबर होता था।⁷⁹

किंतु यदि इस कथन को स्वीकार किया जाए तो किसी कामगार की दैनिक मजूरी $\frac{1}{4}$ पण होगी, जबकि मनु के लगभग समकालीन प्रमाण बताते हैं कि श्रमिक की न्यूनतम मजूरी एक पण और अधिकतम मजूरी छ पण होती थी। अर्थशास्त्र में कामगार की दैनिक मजूरी $\frac{3}{5}$ पण से लेकर $2\frac{2}{5}$ पण तक बताई गई है, जो एक और धार के अनुपात में है,⁸⁰ किंतु इन स्रोतों के आधार पर पण की आपेक्षिक क्रयशक्ति का आकलन समव नहीं है।

श्रमिकों की कार्यस्थिति को विनियमित करने के बारे में मनु ने जो उपबथ किए हैं वे कौटिल्य के उपबथ जितने व्यापक नहीं है। किंतु कौटिल्य की ही तरह उन्होंने लापरवाह मजदूर के प्रति कठा रुख अपनाया है। भाडे का मजदूर जोकि स्वस्थ रहते हुए भी अहकावश, समझौते के अनुसार अपना कार्य सपादन नहीं करेगा, उस पर आठ कृष्णाल का जुर्माना लगाया जाएगा और उसे कोई मजूरी नहीं दी जाएगी⁸¹ किंतु जो मजदूर अस्वस्थता के कारण अपना काम नहीं कर सकेगा और स्वस्थ होने पर उसे पूरा कर लेगा वह अपनी अनुपस्थिति की लबी अवधि के लिए मजूरी पा सकेगा।⁸² दूसरी ओर, यदि स्वस्थ होने पर वह अपना काम पूरा नहीं करेगा तो उसे उस अवधि के लिए भी मजूरी नहीं चुकाई जाएगी जिसमें उसने काम किया हो।⁸³ इससे पता चलता है कि यदि अस्वस्थता के कारण गजदूरों को काम छोड़ना पड़ता था तो उन्हें कोई ढढ नहीं दिया जाता था। हैकिन शर्त यह थी कि वे बादा करें कि धगा होने पर काम पूरा कर दें अथवा दूसरों से पूरा करवा दें। नियोजकों से मजदूर के हितों की रक्षा के लिए मनु ने और कोई अन्य नियम नहीं बनाए हैं, जैसे अर्थशास्त्र में मिलते हैं। उनके द्वारा प्रयुक्त एक उपमा से पता चलता है कि सेवक को अपनी मजूरी पाने के लिए ऐरपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी।⁸⁴

मातृम होता है कि नगरों में मजूरों के लिए अलग मुहल्ले होते थे। एक बौद्ध ग्रन्थ में भूतकल्पीयी (सभवतया राजगृह में) की धर्वा जाई है, जहाँ द्वाष्टण और गृहस्थ (सभवतया वैश्य) भाडे के मजदूर ठीक करने जाते थे।⁸⁵ एक अन्य स्रोत में दीरेद्वीपीयी और नगर के सुसम्पन्न व्यक्तियों के पिलासपूर्ण भवनों के बीच तुलना की गई है।⁸⁶ सभवतया यह दीरेद्वीपीयी और भूतकल्पीयी एक जैसी थीं, जिनमें मजूरी पर निर्वाह करनेवाले गरीब रहते थे। हमें तीन ऐसे भूतकों की जानकारी मिलती है जो धनी व्यक्तियों के घर के आसपास की गदगी साफ करते थे और उसी घर के निकट फूस की झोपड़ी में रहते थे।⁸⁷ पतञ्जलि ने भार द्वार बताया है कि वृक्षत अर्थात् शूद्र का घर केवल एक दीवाल का होता था (कुइप)।⁸⁸ इससे मातृम होता है कि उसके घर में मिट्टी या ईट की प्राय एक ही दीवाल होती थी और शेष तीन भागों में फूस के टाट लग रहते थे। यह भी सभव है कि यहाँ 'कुइप'⁸⁹ शब्द झोपड़ी का घोतक हो।

भूतक अपने जीवं शरीर अस्त व्यस्त बाल और मैते कुदैते कपड़े से पहवाना जाता

या,⁹⁰ योंकि शुद्ध वस्त्र धारण करनेवाले को दिन भर प्रतीक्षा करने के बाद भी भूतकवीयी में रोजी नहीं मिल सकती थी⁹¹ मनु ने धरेतु नौकरों के स्पष्ट में नियोजित शूद्रों के भोजन और पोशाक का कुछ वर्णन किया है। इस सबथ में उन्होंने केवल गौतम के पुराने उपबधों को दुहराया है और उनका विश्वेषण किया है। इसके अनुसार मालिक को चाहिए कि अपने शूद्र नौकर को उसकी दोग्यता, परिश्रम और परिवार के आकार की दृष्टि से समुचित निर्वाह व्यथ दे⁹² उसे जूठन, खुद्दी जीर्ण-शीर्ण वस्त्र और पुराने विस्तर दिए जाने चाहिए⁹³ अतिरिक्त यह में यह वर्णन आया है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण और गणपतियों की क्षेमतागी पत्नियाँ स्वादिष्ट रोटियाँ और मास खाती हैं, लेकिन इस प्रस्तुति में शूद्रों की पत्नियों का कोई जिक्र नहीं हुआ है⁹⁴

मौर्योत्तर काल में शूद्रों और वैश्यों के बीच आर्थिक भेदभाव मिटते जा रहे थे, पर शूद्र मुख्यतया अलग भूस्तमियों के खेतों में कृषि मजदूर वा काम कर रहे थे। पूर्व काल की अपेक्षा शिल्पी अधिक स्वच्छ होकर अपना काम करते थे। इन शिल्पियों की १ केवल सख्या बढ़ी थी और उनमें विविधता आई थी, बल्कि उनके उच्चतम भविष्य के लक्षण भी दिखाई पड़ने लगे थे। मनु के विधान, जिनके द्वारा शूद्रों पर नई आर्थिक अशक्तताएँ आरोपित की गई थीं प्राय प्रभावहीन हो गए थे। किंतु शूद्र समुदाय के रहन-सहन की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन का आभास नहीं मिलता।

मनु ने मौर्योत्तरकालीन राज्य व्यवस्था में शूद्रों की स्थिति के बारे में विशद सूचना दी है। उन्होंने विहित किया है कि स्नातक को शूद्र शासक के देश में नहीं रहना चाहिए⁹⁵ इससे स्पष्ट सकेत मिलता है कि उस काल में शूद्र शासक होते थे। किंतु ये शासक चतुर्थ वर्ण के नहीं मालूम होते हैं, क्योंकि उस काल के राजनीतिक इतिहास में इनकी कोई घर्षा नहीं है। ये प्राय ग्रीक, शक, पर्यायन और कुशाण शासकों का निर्देश देते हैं जो बौद्ध धर्म और वैश्व धर्म के अनुयायी थे और जिन्हें मनु ने ऐसा पतित क्षत्रिय बताया है जो ब्राह्मणों से परामर्श न लेने और बताए गए वैदिक कृत्यों के सपादन में धूक के कारण शूद्रत्व की स्थिति में पैदूच गए थे⁹⁶ पुराण में कलियुग के जो वर्णन आए हैं, उनमें बताया गया है कि शूद्र राजा अश्वमेष यह⁹⁷ करते थे और ब्राह्मण पुरोहितों में यजन करते थे⁹⁸ कलि शासकों का हवाला देते हुए विष्णुपुराण में कहा गया है कि विभिन्न देशों के लोग इन शासकों में मिल जाते थे और उनका अनुसरण करने लगते थे⁹⁹ सभव है यह बात विदेशी मूल के शासकों के बारे में कही गई हो। वे अपथर्मी सप्रदायों के अनुयायी थे,¹⁰⁰ जिसके चलते उनके प्रति मनु की वैरभावना और भी तीव्र रही होगी। ब्राह्मणों और इन शासकों में सपर्क नहीं बढ़ने पाए, इसके लिए मनु ने इन शासकों के राज्यों में स्नातकों का बसना निषिद्ध माना है। उन्होंने यह भी विहित किया है कि ब्राह्मणों को क्षत्रिय जाति के अलावा किसी भी

राजा का उपहार नहीं ग्रहण करना चाहिए।¹⁰¹ स्पष्ट है कि ये सारे नियम इस उद्देश्य से बनाए गए थे कि ब्राह्मण विदेशी शासकों को मान्यता न दें। किंतु धीरे-धीरे यह उत्कर्त वैरभावना घटने लगी और उनके प्रति सहिष्णुता बढ़ने लगी। अतः विदेशी शासकों को हीन कोटि के ही सही लेकिन क्षत्रियों की मान्यता दी गई।

इस काल के कुछ ऐसे बौद्ध भी भिलते हैं जो नीच जाति के शासकों की अच्छा नहीं मानते। भिलिंदपश्चो बताता है कि जिस व्यक्ति का जन्म नीच जाति में हुआ हो और जिसकी पशापत्परा हीन हो, वह राजा बनने योग्य नहीं है।¹⁰²

मनु ने विहित किया है कि राजा को ऐसे सात या आठ मन्त्री नियुक्त करने चाहिए, जिनके पूर्वज राजा के निष्ठावान अधिकारी रहे हों, जो अस्त्र शस्त्र के संपालन में निपुण हों, जो सम्राट् परिवार के हों और अनुभवी हों।¹⁰³ स्पष्ट है कि शूद्र शायद ही इतनी योग्यतावाला होगा।

मनु ने घेतावनी दी है कि जिस राज्य में शूद्र विधि (कानून) का व्यवस्थापन करे और राजा देखता रहे, उस राज्य की दिक्षिति वैसे ही गिरती जाती है, जैसे दलदल में फैसी गाय नीचे की ओर धूंसती जाती है।¹⁰⁴ ऐसे नियम प्राप्त उन बर्बर शासकों के राज्यों का निर्देश करते हैं जिन्होंने न्याय प्रशासन या अन्य प्रशासनिक कृत्यों के संपादन के लिए कुछ शूद्रों को नियुक्त किया होगा। किंतु मनु जोर देकर कहते हैं कि ऐसा ब्राह्मण भी जो मुख्यतया अपनी जाति के नाम पर (अर्थात् अपने की केवल ब्राह्मण बताकर) ही जीवनयापन करता है, विधि का प्रीवेन कर सकता है, पर शूद्र किसी भी दशा में न्यायाधीश (पर्मप्रवक्ता) नियुक्त नहीं किया जा सकता।¹⁰⁵ टीकाकारों का मत है कि आवश्यक होने पर क्षत्रियों की नियुक्ति न्यायाधीश के संप में की जा सकती है,¹⁰⁶ हेतुकिं टीका में वैश्यों का उल्लेख नहीं हुआ है। यह मनु के विचार के अनुकूल जान पड़ता है, जिसके अनुसार क्षत्रिय ब्राह्मण के बिना और ब्राह्मण क्षत्रिय के बिना उत्तरि नहीं कर सकते। किंतु भिल जुलकर रहने पर वे इस लोक और परलोक में भी सुखी रह सकते हैं।¹⁰⁷ प्राप्त ब्राह्मणप्रशान राज्यों में सभी प्रशासकीय और न्याय सबधी पदों पर प्रथम दो दणों का एकाधिकार था।

मनु ने उस पुराने सिद्धात को दुहराया है जिसके अनुसार धारों वर्णों के सदस्य और अष्टूरा अपने अपने समुदायों के मुकदमों में गवाह बन सकते हैं।¹⁰⁸ किंतु उन्होंने बताया है कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो गृहस्थ और पुत्रवान हैं और देश के रहनेवाले हैं, वादी द्वारा बुलाए जाने पर गवाही दे सकते हैं।¹⁰⁹ कुरुक्ष की राय में यह बात दीवानी अर्थात् क्रण आदि से सबधीत मुकदमों में लागू होती है।¹¹⁰ मनु का यह नियम पहले के नियमों की अपेक्षा अवश्य ही सुपर्य हुआ है, जिसके अनुसार उच्च वर्णों के सदस्यों के मामले में शूद्रों को गवाह के रूप में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई है। जहाँ तक मानवानि,

हमला, जारकर्म और घोरी के मामले का प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बुलाया जा सकता है, भले ही उसमें दीवानी मुकदमे के लिए अपेक्षित योग्यता हो या नहीं।¹¹¹ यदि योग्य गवाह उपलब्ध न हो तो मनु ने चाकरों और सेवकों को भी गवाह बनने की अनुमति दी है।¹¹² मनु ने गाँवों के बीच होनेवाले सीधा विवादों के मामलों के लिए वर्ण विभेद नहीं किया है, गवाहों वी जाँच ग्रामीण समूह के समझ होती थी।¹¹³ जिन लोगों को मनु ने गवाहों के रूप में (खासकर दीवानी मामलों में) उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी है, वे हैं शिल्पकार, कलाकार और नर्तक।¹¹⁴ कुल्लूक ने ऐसे नियेष को इस आधार पर उचित बताया है कि ये लाग बराबर अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं और घूस देकर इन्हें अपने पक्ष में किया जा सकता है।¹¹⁵ मनु के अनुसार जन्मजात गुलामों को भी गवाही देने की अनुमति नहीं है।¹¹⁶

मनु ने अभिसाध्य देने के पहले विभिन्न वर्णों के लोगों को देवावनी देने के पुराने नियम को दुहराया है।¹¹⁷ यदि कोई शूद्र गत्त साध्य दे तो वह भारी पाप का भागी होगा,¹¹⁸ और उसे भयानक दैवी यातनाएँ भोगनी होंगी।¹¹⁹ किंतु उन्होंने बताया है कि न्यायाधीश को चाहिए कि ब्राह्मण को सत्यनिष्ठा की, क्षत्रिय को रथ की या जिस पशु की सवारी वह करता हो उसकी और वैश्य को अपनी गाय अज्र और स्वर्ण की शपथ दिलाएँ और शूद्र को इस आशय की कि सभी रिष्टिकर पापों का अपराप उसके माथे ढेंगा।¹²⁰ किंतु यह बड़ा अर्थपूर्ण है कि मनु ने शूद्र गवाह के लिए कोई विशेष राजदण्ड विहित नहीं किया है। उन्होंने यह सागान्य सिद्धात निरूपित किया है कि शूद्री गवाही देने पर राजा तीन नीच वर्णों के लोगों को जुर्माना और निर्वासा का दड़ दे सकता है, लेकिन ब्राह्मण को केवल निर्वासित ही करेगा।¹²¹ इसी प्रकार, ब्राह्मण शारीरिक दड़ के भी भागी नहीं हैं। यह दड़ केवल तीन नीच वर्णों के लोगों को ही दिया जा सकता है।¹²² इसलिए इन दृष्टियों से शूद्र को क्षत्रिय और वैश्य के साथ समान स्तर पर रखा गया है।

यह विहित किया गया है कि राजा को वादियों के मुकलमों को उनके वर्णक्रम से ग्रहण करना चाहिए।¹²³ विधि का व्यवस्थापन करने में उसे हर जाति के रीति रिवाजों का ध्यान रखना चाहिए।¹²⁴ मनु भद्र लोगों के आवरण को विधि का स्रोत मानते हैं¹²⁵ और जैसा कि ई सन की 17वीं शताब्दी के एक टीकाकार ने बताया है भद्र शूद्रों की प्रथा भी इसका स्रोत है।¹²⁶

पुराने विधिनिर्माताओं की तरह मनु न्याय के प्रशासन में वर्णविभेद की भावनाओं से प्रेरित हैं जिसका शूद्रों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यदि कोई क्षत्रिय किसी ब्राह्मण की मानहानि करे तो उसे सौ पण और इसी अपराध के लिए वैश्य को एक सौ पचास या दो सौ पण का जुर्माना किया जाएगा किंतु शूद्र को शारीरिक दड़ दिया

जाएगा।¹²⁷ यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की मानवानि करे तो उसे क्रमशः 50, 25 या 12 पण का जुर्माना किया जाएगा।¹²⁸ यह ध्यान देने की बात है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र का अपशब्द कहे तो उसके लिए 12 पण का जुर्माना विहित किया गया है, व्योकि गौतम धर्मसूत्र में ऐसी स्थिति के लिए किसी भी जुर्माने का उपब्रथ नहीं किया गया है।¹²⁹

सापारणतया मनु न उच्च वर्णों के लोगों के प्रति अपराध करनेवाले शूद्रों के लिए बहुत कठोर दड विहित किए हैं। यदि कोई शूद्र किसी द्विज की गाली देकर अपमानित करे तो उसकी जीध काट ली जाएगी।¹³⁰ द्विज (द्विजाति) शब्द केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए प्रयुक्त हुआ है, व्योकि किसी शूद्र द्वारा किसी वैश्य को दुर्व्ववन कहे जाने पर यह दड देना स्पष्टतया निषिद्ध है।¹³¹ मनु ने यह भी विहित किया है कि यदि कोई शूद्र द्विज के नाम और जातियों भी चर्चा तिरस्कारपूर्वक करे तो दस अगुल लबी गर्भ लाल लोहे की काँटी उसके मुँह में ढूँस दी जाएगी।¹³² यदि वह उद्डला के साथ ब्राह्मणों को उनका कर्तव्य सिधाए तो राजा उसके मुँह और कान में गर्भ तेल ढलवा देगा।¹³³ जापसवाल की राय है कि ये नियम एर्पन्धार करनेवाले विद्वान शूद्रों, अर्धांश बौद्ध या जैन शूद्रों और उस तरह के अन्य शूद्रों के लिए बनाए गए हैं जो उच्च वर्णों के साथ समानता का दावा करते हैं।¹³⁴ स्पष्ट है कि ये नियम मनु के उन राजनीतिक विरोधियों के प्रति उद्दिष्ट हैं जो सुस्थापित व्यवस्था का निराकरण करते हैं।¹³⁵ यह कहा कठिन है कि इस कानून का प्रवर्तन कहाँ तक हुआ। समवतया वे कठुरपथी के प्रलाप थे और उन पर शायद ही अमल किया गया होगा।¹³⁶

प्रहार और इसी प्रभार के अन्य अपराधों के मामले में शूद्रों के लिए विहित दड बहुत कठोर थे। ऐसा उपब्रथ किया गया है कि अत्यज (नीच जाति) जिस अग से उच्च जाति (ब्रेष्ठ) का कश पहुँचाए वह अग काट लिया जाएगा।¹³⁷ महीं कुलतूक ने अत्यज का अर्थ शूद्र किया है,¹³⁸ जो पूर्वकाल के ऐसे ही नियम से मिलता है।¹³⁹ 'ब्रेष्ठ' शब्द से ब्राह्मणों का दोष होता है जब कि तीन उच्च वर्ण के लोगों का जैसा कि कहाँ कहाँ समझा गया है।¹⁴⁰ एट श्लोक में मनु ने बताया है कि जो कोई अपना हाथ या छाँटी उठाएगा उसका हाथ काट लिया जाएगा, जो दोष में आकर पैर से मारेगा उसका पैर काट लिया जाएगा।¹⁴¹ समवतया यह भी ब्राह्मणों के प्रति शूद्रों द्वारा किए जानेवाले अपराध का संकेत करता है। आगे यह भी विहित किया गया है कि यदि 'अपकृष्टज' (नीच कुल में जन्मा कोई व्यक्ति) उसी स्थान पर बैठने का प्रयास करे जिस पर उच्च जाति का कोई व्यक्ति (उकृष्ट) बैठा हो तो उसका धूतङ्ग दाग कर उसे निवासित कर दिया जाएगा अथवा राजा उसके धूतङ्ग में घाव करवा देगा।¹⁴² 'अपकृष्टज' शब्द शूद्र के लिए और 'उकृष्ट'

ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त हुए हैं।¹⁴³ इसी प्रकार यदि अहकारवश कोई शूद्र किसी ब्राह्मण पर धूके तो राजा उसके दोनों होठ कटवा देगा, यदि वह उस पर पेशाब कर दे तो उसका लिंग और यदि उसके सामने गड़ी हवा छोड़े तो उसकी मुदा कटवा देगा।¹⁴⁴ यदि शूद्र ब्राह्मण का बाल पकड़कर खींचे तो राजा बेहिचक उसके हाथ कटवा देगा। उसे ऐसी ही सजा ब्राह्मण के पैर, दाढ़ी, गर्दन और अट्टकोश पकड़कर घसीटने के लिए दी जाएगी।¹⁴⁵ मनु ने ब्राह्मणों को जान बूझकर कष्ट पहुँचानेवाले नीच शूद्र के लिए एक सामान्य दड का विषयान किया है, जिसके अनुसार राजा आतक फैलाने के लिए कई प्रकार के शारीरिक दड दे सकता है।¹⁴⁶ ब्राह्मणों को कष्ट पहुँचाने का अर्थ उसे शारीरिक दुख देना या सपत्ति चुरा लेना किया गया है।¹⁴⁷

ऊपर बताए गए अधिकाश नियम ब्राह्मणों के प्रति अपराध करनेवाले शूद्रों के लिए बनाए गए हैं। विधिग्रथ में इन नियमों के मात्र लिखे रहने से भी यह पता चलता है कि उच्चतर और निम्नतर वर्णों के बीच सबव्य बहुत तनावपूर्ण था। यह सुनिश्चित करने का शायद ही कोई प्रमाण मिलता है कि ये नियम अमल में लाए जाते थे। किंतु महावर्तु से जानकारी मिलती है कि भाङ्डे के मजदूरों से काम कराने के लिए उन्हें कठिन से कठिन शारीरिक यातनाएँ दी जाती थीं। इस ग्रथ से ज्ञात होता है कि कुछ लोग इन मजदूरों को बेड़ियों और जजीरों में जकड़वा देते थे और आदेश देकर कितनों के हाथ पाँव छेदवा देते थे तथा उनकी नाक, मास नसों, बौंहों और पीठ को पाँच या दस बार विरवा देते थे।¹⁴⁸ सदृश्यमंपुड़रीक में कहा गया है कि एक सप्रत परिवार का नवव्युक्त काठ की बेड़ियों में जकड़ दिया गया था।¹⁴⁹ अतएव यह बहुत आश्वर्य की बात नहीं कि शूद्र अपराधियों को शारीरिक दड दिए जाते थे। किंतु यह सदिग्ध बना हुआ है कि मनु के ददविषयन उन पर असररश लागू किए जाते थे।

एक ही कोटि भी जातियों के लोगों के आपस में लड़ जाने पर कठोर दड विहित नहीं हैं। कहा गया है कि जो अपनी समकक्ष जाति का घमङ्गा उथेहे था उसका धून बहाए, उस पर सो पण जुर्माना किया जाएगा जो मासपेशी काटे उसे छ निष्क और जो हड्डी तोड़ दे उसे निर्वासित किए जाने की सजा दी जाणगी।¹⁵⁰ राघवानद की राय है कि यह नियम शूद्र द्वारा शूद्र पर प्रहार करने का संकेत है।¹⁵¹

मनु ने हत्या के पाप का प्रायशित चाद्रायण व्रत द्वारा विहित किया है जिसकी अवधि मारे गए व्यक्ति के वर्ष के अनुसार घटती बढ़ती है। ब्राह्मण की हत्या करने पर तीन वर्ष का व्रत विहित किया गया है और शूद्र की हत्या के लिए $2\frac{1}{4}$ महीने का।¹⁵² शूद्र की हत्या करने पर मनु के अनुसार दस गाय और एक साँड़ का वैरदेय चुकाना पड़ता है,¹⁵³ जेसा कि पुराने विधिग्रथों में भी पाया जाता है। मनु ने यह भी बताया है कि इस जुर्माने का

मुगतान ब्राह्मण को किया जाएगा।¹⁵⁴ इसी प्रकार पूर्वकाल के विधिर्निर्भाताओं की भाँति उन्होंने शूद्र का वय करने के लिए वही द्रवत विधित किया है जो छोटे छोटे पशु एवं पक्षियों को मारने के लिए विधित है।¹⁵⁵ ये उपवय निस्सदेह बताते हैं कि मनु शूद्र के जीवन को बहुत तुच्छ समझते थे। किंतु विस्मय की बात यह है कि हत्या के सबूत में मनु के एक नियम में वर्णिभेद की कोई चर्चा नहीं दिखाई पड़ती। यदि सत्य बोलने से किसी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के वय की सभावना हो तो मिथ्या वचन बोला जा सकता है और उस पाप के लिए सरस्वती को चठ चढ़ाकर प्राप्तशिवत किया जा सकता है।¹⁵⁶ मनु ने यह भी स्पष्ट किया है कि नारी, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय का वय करना मामूली अपराध है, जिसके लिए अपराधी को जातिच्युत कर दिया जाता है।¹⁵⁷ किंतु इस नियम का एकमात्र उद्देश्य ब्राह्मण के जीवन की महत्ता पर जोर देना है।

मनु का विचार है कि वर्ण जितना ही ऊँचा हो चोरी का अपराध उतना ही भारी होगा। शूद्र का यह अपराध लघुतम अपराध भाना गया है,¹⁵⁸ क्योंकि यह समझा जाता है कि घोरी का अभ्यास उसके लिए सामान्य बात है।

दायविधि में मनु ने ब्राह्मण के शूद्र पुत्र की सपत्नि का दसवां भाग देने के पुराने नियम का समर्थन किया है, अगर उसे उच्च जातियों की पलियों से पुत्र नहीं भी हो।¹⁵⁹ यहाँ उस पुराने विचार को भी दुहराया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य का शूद्रपुत्र कोई भी हिस्सा पाने का हकदार नहीं है। उसका पिता उसे जो दे दे वही उसका हिस्सा बन जाता है।¹⁶⁰ शूद्र को नातेदार तो माना जा सकता है किंतु उत्तराधिकारी नहीं।¹⁶¹ जहाँ तक शूद्रों में हिस्से देने का प्रश्न है, उहें सौ पुत्र क्यों न हों सब के हिस्से बराबर होंगे।¹⁶² इस प्रकार केवल उच्च जाति के लोगों के शूद्र पुत्रों को हिस्सा मिलना निरिवत नहीं था। सामान्यतया शूद्र वर्ण के सदस्यों को सपत्नि का अधिकार प्राप्त था। एक अन्य विधान से भी यह निष्ठर्ण निकाला जा सकता है, जिसके अनुसार राजा¹⁶³ को चाहिए कि जिस किसी वर्ण के सदस्यों की सपत्नि चोरों ने चुरा ली हो उन्हें वह सपत्नि अवश्य वापस दिला दे।

मनु के जारकर्म सदधी नियमों में शूद्र महिला के प्रति उतना विभेद नहीं किया गया है जितना शूद्र पुरुष के प्रति। यदि कोई ब्राह्मण अपने से तीन छोटे बच्चों की किसी अरुसित महिला का गमन करे तो उसे पाँच सौ पण जुर्माना किया जाएगा किंतु किसी अत्यज महिला के प्रति इसी तरह का अपराध किए जाने पर जुर्माना बढ़ाकर एक हजार पण कर दिया जाएगा।¹⁶⁴ यदि कोई क्षत्रिय या वैश्य किसी रक्षित शूद्र महिला के साथ सभोग करे तो उसके लिए भी जुर्माने की गिरि उतनी ही होगी।¹⁶⁵ यदि कोई ब्राह्मण किसी वृथली के साथ रात बिताए तो वह भिशाटन पर निर्वाह करके और प्रतिदिन धर्मग्रथों का पाठ करके तीन वर्ष में उस पाप को दूर कर सकेगा।¹⁶⁶ यद्यपि अधिकाश नियम ब्राह्मणों के नैतिक पतन

को रोककर उसकी पवित्रता को असुण बनाए रखने के लिए हैं, जिसे स्पष्ट है कि मनु शूद महिला के सतीत्व की भी रक्षा करना चाहते हैं। यह उनके रिदात के अनुकूल है कि घारों वजौं भी महिलाओं की रक्षा की जानी चाहिए।¹⁶⁷

किंतु मनु का यह नियम कि सोनों को दूसरे की स्त्री से बातचीत नहीं करनी चाहिए, शूदों के शुउ वजौं पढ़ा, अभिनेताओं और गायकों पर लागू नहीं होता बदोकि वे अपनी पत्नियों से प्रच्छन्न कर्म (विरदा, कुटनी आदि का काम) कराकर शिर्षांक करते हैं।¹⁶⁸ इतना ही नहीं, जो कोई इन स्त्रियों और किसी मातिक की अधीनस्थ दासी से बातचीत करे उसे मानूली अर्थात् घुकाना पड़ेगा।¹⁶⁹ इस कोटि में शौद और जैन भिसुणियों को भी रखा गया है,¹⁷⁰ क्योंकि उन्हें प्राय नीच जातियों से शिषुक किया जाता था और भिसुणियों की तरह उन्हें भी शूद मानकर हेष दृष्टि से देखा जाता था।¹⁷¹ मनु ने जारकर्मी शूद पुष्ट के लिए अत्यत कठोर दण्ड विधित किया है। जो शूद द्विज जाति की किसी अदृश्यत महिला का समागम करे, यह अपराप करनेवाले अग और अपनी सारी सतति से घुत कर दिया जाएगा और वह ऐसा अपराप किसी रक्षित महिला के साथ किया जाएगा तो उसे अपना सर्वत्र और अपनी जन भी गंया देती पड़ेगी।¹⁷² यहाँ द्विज (द्विजाति) शब्द प्राय ब्राह्मण का सक्रिय देता है, क्योंकि नीच के दो नियमों में ब्राह्मण महिला के साथ सत्रिय और वैश्य द्वारा किए गए अपराप के दण्ड का विवरण किया गया है।¹⁷³ किंतु यदि ये दोनों किसी रक्षित ब्राह्मणी, जो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण की पत्नी हो के प्रति अपराप करे तो इन्हें भी शूद की तरह दण्डित किया जाएगा अथवा सूखी धास की आग जलाकर उसमें जला दिया जाएगा।¹⁷⁴ स्मरणीय है कि ऐसे मामले में कौटिल्य ने केवल शूद अपरापी के लिए जलाकर मार डालने का दण्ड विधित किया है।¹⁷⁵ वसिष्ठ ने हत्रिय और वैश्य अपरापियों के लिए भी इसी तरह के दण्ड का प्रावधान किया है।¹⁷⁶ मनु के एक परिचेद का यह अर्थ समाप्त जाता है कि इस तरह के मामले में शूद को भूत्पुण्ड दिया जाएगा।¹⁷⁷ चूंकि जारकर्मी शूद के लिए भूत्पुण्ड का समर्पन सामान्यतया अन्य स्रोतों से भी होता है अतः मनु का यह प्रावधान निभ्रभावी नहीं रहा होगा।

दासता के सबध में मनु के नियम शूद की नागरिक हैसियत पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं। कौटिल्य का मत है कि आर्य भाँ था बाप का शूद पुत्र दास नहीं बासाया जा सकता है। किंतु यद्यपि मनु ने शूद पुत्रों को परिवार की सतति में हिस्सा पाने का अधिकार दिया है, फिर भी उन्होंने इस प्रथा का कोई हवाला नहीं दिया है। सर्वप्रथम उन्होंने ही यह सिद्धात निष्पत्ति किया कि दासता शूद के नीचन का शाश्वत रूप है। किंतु यह केवल ब्राह्मणों और शूदों के सबध पर लागू होता है। मनु कहते हैं कि शूद खरीदा हुआ हो या नहीं, उसे दास बनाना ही होगा, क्योंकि परमात्मा ने उसका सृजन ब्राह्मण की सेवा के लिए किया है।¹⁷⁸ बाद के

श्लोक में उन्होंने बताया है कि शूद्र भोगाधिकार से मुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि भोगाधिकार उसमें अतर्जात है।¹⁷⁹ शूद्र की तुलना में द्विज जातियों के सदस्य की दास नहीं बनाया जा सकता है। यदि कोई ब्राह्मण किसी द्विज जाति के लोगों को दास के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य करे तो राजा उसे ४ सौ पण जुर्माना करेगा।¹⁸⁰ इस सबध में कौटिल्य ने जुमनि की वर्गाकृत योजना बनाई है। सबसे अधिक जुर्माना ४८ पण है, जो ब्राह्मण को दास बनाने के लिए किया जा सकता है।¹⁸¹ मनु ने इन विभेदों का कोई निर्देश नहीं दिया है, पर तीन उच्च वर्णों के लोगों को दास बनाने के अपराध के लिए कहीं अधिक जुमनि का उपबध किया है।

मनु के विधिग्रन्थ में भी सभी शूद्रों को दास नहीं माना गया है।¹⁸² शूद्र और दास के बीच कानूनी भेदभाव को मनु ने स्पष्ट रूप से मान्यता दी है और दासी (शूद्र के दास की दासी) से उत्पत्र शूद्र के देटे की चर्चा की है।¹⁸³ इस प्रकार यद्यपि दास की बहाती सामान्यतया शूद्र वर्ण से की जाती थी फिर भी कभी शूद्र भी दास रखते थे। किंतु शूद्र और उसके दास के बीच अतार उतना व्यापक नहीं था जितना द्विज और उसके दास के बीच था। मनु का मत है कि यदि पिता की अनुमति मिले तो दासी से उत्पत्र शूद्र का पुत्र पैतृक सपत्नि में हिस्सा पा सकता है।¹⁸⁴ किंतु द्विज के ऐसे ही पुत्र के लिए उपबध नहीं किया गया है। फलस्वरूप, मनु के उपर्युक्त नियम से जान पड़ता है कि दास को सपत्नि का अधिकार था। कुलसूक्ष्म ने मनु के एक परिच्छेद की जो टीका थी है उसके अनुसार जब मालिक विदेश गया हो तब उसके कारोबार सबव्या लेन देन में दास उसके परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जिसे उसका मालिक रह नहीं कर सकता है।¹⁸⁵ किंतु एक अन्य स्थल पर मनु ने इसे अस्वीकार किया है और कहा है कि वास्तविक स्वामी से मित्र किसी व्यक्ति द्वारा की गई द्वितीय अमान्य घोषित कर दी जाती है।¹⁸⁶ पहले बताया गया है कि सक्षम गवाहों के नहीं प्रस्तुत होने पर दास और नीकर भी गवाही दे सकते हैं। इन बातों से पता चलता है कि दासों को भी कानून की दृष्टि से कुछ हैसियत प्राप्त थी। कुछ दृष्टि से परेत् दासों को परिवार का रादस्य माना जाता था। मनु ने परिवार के प्रधान को आदेश दिया है कि वह अपने माँ बाप, बहन पुत्रवधू, भाई भली, पुत्र, पुनी और दास से वाद विवाद नहीं करे।¹⁸⁷ उन्होंने इसका कारण बताया है कि भली और पुत्र गृहपति के शरीर के अग हैं,¹⁸⁸ पुत्री दया की पात्र है और दासों का वर्ग उसकी अपनी छाया है। इसलिए मनु का कहना है कि यदि ये लोग गृहपति का अनादर भी करें तो भी उसे शातिपूर्वक उनके साथ रहना चाहिए।¹⁸⁹ क्या इसका यह अर्थ लिया जाए कि पुरानी पारिवारिक एकात्मकता अस्थायी रूप से शिथित पड़ गई थी? यह अजीब बात लगती है कि यह विधिनिर्भाता मालिक को कहे कि दासों द्वारा किया गया अनादर सहन कर से।

किंतु दासों और भाड़े के मजदूरों को नागरिकों की भाँति अधिकार प्राप्त नहीं थे। यह

निष्कर्ष मालवा और शुद्रक गणराज्यों में उस समय की स्थितियों से निकाला जा सकता है। पाणिनि के एक परिच्छेद की टीका करते हुए पतञ्जलि ने बताया है कि शुद्रकों और मालवों के बेटे तो क्रमशः सौप्रक्षय और मालव्य कहलाते हैं, पर उनके दासों और मजदूरों के बेटों पर यह बात लागू नहीं होती।¹⁹⁰

शूद्रों की राजनीतिक सह विधिक स्थिति के बारे में मनु अधिकतर पुराने विधिनिर्माताओं की राह पर चलते हैं। उनके नए नियमों में से कुछ नियम विदेशी शासकों और बाह्य धर्म के अनुयायियों के विरुद्ध हैं, जिन्हें अपमान की भावना से शूद्र कहा गया है और कुछ नियम खास शूद्र के लिए ही हैं। जो नियम शूद्रों के लिए ही हैं, वे भी मृत्युतया ब्राह्मणों के प्रति अपराध करनेवाले शूद्रों से ही सबोधित हैं, किंतु इस सबधर्म में भी शूद्रों के प्रति मनु की घोर भेदभाव की नीति का कोई उत्तेजनीय प्रभाव लकित नहीं होता। उन्होंने शूद्र की हत्या के लिए न केवल वेरदेय का पुराना नियम रख लिया है, बल्कि शूद्र को गाली देनेवाले ब्राह्मण के लिए 12 पण का जुर्माना भी विहित किया है। यह ऐसा प्रावधान है जिसे हम पूर्व के विधिग्रंथों में नहीं पा सकते। यह महत्वपूर्ण है कि इस काल के अतिम भाग में सातवाहन शासक गौतमी पुत्र शातकर्णि (ई सन् 106-130) ने दावा किया है कि उन्होंने ब्राह्मणों और शूद्रों (अवरों) को समझा दुःखकर वर्ण व्यवस्था की गड़बड़ी को दूर किया और पुन चातुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित की।¹⁹¹ वर्णों का यह नया व्यवस्थापन ब्राह्मण शासकों ने क्षणियों के विरोध में किया था,¹⁹² क्योंकि ये क्षत्रिय प्राय बाहर के शासक वश के थे।

शूद्रों की सामाजिक स्थिति के बारे में मनु के नियम बहुत हद तक पुराने विधिनिर्माताओं के विद्यार्थी की पुनरुक्ति लगते हैं। किंतु उन्होंने शूद्रों के प्रति कुछ नए भेदभाव भी बनाए हैं। उन्होंने सुष्टि-रचना की पुरानी कथा दुहराई है, जिसमें शूद्र का स्थान सबसे नीचे है।¹⁹³ मनु ने चारों वर्णों के प्रति किए जानेवाले अभिवादन (प्राय जैसा ब्राह्मण करते थे) की रीति की निर्धारक विधियों को भी दुहराया है।¹⁹⁴ किंतु उन्होंने यह भी बताया है कि जो ब्राह्मण सही ढग से अभिवादन का उत्तर नहीं दे उसे विद्वतजन कभी अभिवादन नहीं करें, क्योंकि वह शूद्र के समान है।¹⁹⁵ पतञ्जलि बताते हैं कि अभिवादन का उत्तर देने में शूद्रों के सबोधन का ढग गैरशूद्रों से भिन्न था। शूद्रों को सबोधित करने का स्वरूप तेज नहीं होना चाहिए। 'भो शब्द का प्रयोग राजन्य या वैश्य के सबोधन में किया जाता था, शूद्र के सबोधन में नहीं।'¹⁹⁶ अत व्याकरण के नियमों में भी वर्ण विभेदों के आभास मिलते हैं। मनु का नियम है कि यदि कोई शूद्र सी वर्ष का हो जाए तो उसका ज्यादर किया जा सकता है।¹⁹⁷ किंतु यह नियम शूद्रों की बहुत सीमित सम्भ्य पर ही लागू हुआ होगा।

मनु ने बच्चों के नामकरण सस्कार में भी वर्ण का विभेद किया है, जिससे स्वभावतया शूद्रों की हीनता झलकती है। उनका मत है कि ब्राह्मण का नाम मगलसूचक, क्षत्रिय का नाम

बलसूचक, वैश्य का नाम धनसूचक और शूद्र का नाम रिंदासूचक होना चाहिए।¹⁹⁸ इसी के अनुपूरक के तौर पर उन्होंने बताया है कि चारों वर्णों की उपाधि क्रमशः सुखवाचक (शमी) सुरक्षावाचक (वमी) समुत्त्रिवाचक (भूति) और सेवावाचक (दास) होनी चाहिए।¹⁹⁹ इसके प्रमाण नहीं मिलते कि यह परिपाठी व्यापक रूप से प्रचलित थी, किंतु नामों के सबै में मनु के नियमों से जान पड़ता है कि नीच वर्ण के लोग ब्राह्मणवालीन समाज में सामान्यतया धृणा के पात्र थे। इस प्रकार शूद्र के लिए प्रयुक्त 'वृथल' शब्द अपमानजनक माना जाता था। पाणिनि के समास सबै नियम का उदाहरण देते हुए पतञ्जलि ने बताया है कि 'दासी के सदृश (दस्या सदृश)' और 'वृथती के सदृश (वृथत्या सदृश)' पद गाली हैं²⁰⁰ जिनका अर्थ यह हुआ कि शूद्र और दास समाज में गर्हित माने जाते थे। वृथल को चोर की कोटि में रखा गया था और दोनों के प्रति ब्राह्मणप्रधान समाज वैरभाव रखता था।²⁰¹ यह भी जानकारी मिलती है कि वृथल, दस्यु और चोर धृणा के पात्र समझे जाते थे।²⁰²

शूद्र की सगत ब्राह्मण को दूषित करनेवाली समझी जाती थी। मनु ने बताया है कि जो ब्राह्मण भद्रजनों की सगत में रहता है और सभी नीच लोगों का परित्याग करता है, वह प्रतिष्ठित बन जाता है, किंतु इसके विपरीत आवरण करने पर वह भ्रष्ट होकर शूद्र की स्थिति में पहुँच जाता है।²⁰³ उन्होंने इस प्रावधान को पुन उद्धृत किया है कि स्नातक को शूद्रों के साथ नहीं धूमना-फिरना चाहिए।²⁰⁴ मनु ने प्राचीन नियम को पुन उद्धृत किया है कि यदि वैश्य और शूद्र, किसी ब्राह्मण के घर अतिथि बनकर आएं तो उन्हें कृपापूर्वक नीकरों के साथ खोजन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।²⁰⁵ मनु का नियम है कि स्नातक को शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए।²⁰⁶ स्नातक को जिनका अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, उनकी लबी सूची में लोकार्ण निषाद अभिनेता, स्वर्णकार टोकरीनिर्भाता, शिकारी कुत्ते पालनेवाला शोणिडकी (शराब चुलाने और बेवनेवाले), धोबी और रगेज शामिल किए गए हैं।²⁰⁷ यह भी कहा गया है कि राजा का अन्न खाने से स्नातक का तेज शीण होता है, शूद्र का अन्न खाने से विद्या (ब्रह्मवर्चसु) का, स्वर्णकार का अन्न खाने से आयु का और वर्मावर्कर्त्तिन (वर्मकार) का अन्न खाने से यश का इस होता है।²⁰⁸ यह बड़े अवरज की बात है कि शूद्र समुदाय के विभिन्न वर्णों के अन्न के साथ ही राजा का अन्न भी स्नातक के लिए अकल्याणकारी बताया गया है। मनु ने यह भी बताया है कि शिल्पियों का अन्न खाने से स्नातक सत्तानविहीन होता है धोबी का अन्न खाने से उसका बल घटता है और गण तथा गणिका (विश्या) का अन्न उसे परतोक से छुत करता है।²⁰⁹ यदि वह अनजाने इन लोगों में से किसी का अन्न खाए तो उसे तीन दिन अदस्य उपवास करना चाहिए, किंतु यदि उसने जान बूझकर इनका अन्न ग्रहण किया हो तो उसे एक कठिन

प्रायश्चित, जिसे 'कृष' कहते हैं, करना चाहिए।²¹⁰ मालूम होता है कि इन सभी प्रसगों में प्राय स्नातक का अर्थ है, वेद पठनेवाला ब्राह्मण वर्ण का छात्र। यदि इन प्रतिबधों को लागू किया जाए तो परिणाम होगा नीच जातियों और शिक्षित ब्राह्मणों के बीच सभी प्रकार के सामाजिक संपर्क को निपिद्ध करना। मनु ने विधित किया है कि पौर्णिमा ब्राह्मण को शूद्र का, जो श्राद्ध नहीं करते, सिद्धात्र कभी नहीं खाना घाहिए। किंतु यदि उसके निर्वाढ़ के अन्य सभी साधन लोप हो जाएं तो वह शूद्र से उतना कछ्वा अत्र से सकता है जिससे एक रात गुजारी जा सके।²¹¹ असामान्य स्थिति में ये नियम मान्य नहीं हैं। मनु ने श्रेष्ठ भूतियों के कई दृष्टात् प्रस्तुत किए हैं, जिन्होंने आपतकात् में निपिद्ध अत्र ग्रहण किया।²¹² भूखे विश्वामित्र, जो अच्छे और दुरे में विभेद कर सकते थे, चढ़ात से प्राप्त कुत्ते की रान खाने को रीपार थे।²¹³ सामान्य स्थिति में साधारणतया शूद्र का अत्र स्वीकार्य था। मनु का नियम है कि कोई व्यक्ति उस शूद्र का अत्र खा सकता है, जो उसका बटाईदार हो, उसके परिवार का मित्र हो उसका धरवाहा हो, उसका दास और उसका हजाम हो।²¹⁴ पताजलि में हमें सूचना मिलती है कि बढ़ियों, थोवियों और लौहारों ने जिस थाली में भोजन किया हो, उसे अच्छी तरह साफ करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है।²¹⁵ इससे पता चलता है कि उच्च वर्णों और शूद्र समुदाय के इन वर्णों के बीच भोजन करने कराने की प्रथा थी। शूद्र का जूठा खाना महापाप समझा जाता था। कहा गया है कि जिसने औरतों और शूद्रों का जूठा खा लिया हो उसे सात दिन और सात रात तक जी का घोल पीकर अशुद्धि का निवारण करना चाहिए।²¹⁶ प्राय यह नियम ब्राह्मण के लिए है। इसी प्रकार जो ब्राह्मण शूद्र का जूठा हुआ पानी पी ले, उसे कुश ढालकर तीन दिनों तक उबाला गया पानी पीकर अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए।²¹⁷ मनु के नियम शूद्रों के आहार पर कुछ प्रकाश ढालते हैं। द्विज को चाहिए कि यदि वह सुखाया हुआ मास जमीन में उगा हुआ कुकुरमुत्ता और कोई ऐसा मास खा ले जिसके बारे में वह नहीं जानता हो कि मास किस जीव का है अथवा मास किस कसाईखाने से लाया गया है, तो उसे चाद्रायण व्रत रखना चाहिए।²¹⁸ इसी प्रकार यदि कोई द्विज मासभक्षी प्राणी सूअर, ऊँट, मुर्गा, कौआ, मनुष्य और गदहे का मास खा ले तो उसे अति कठिन व्रत, जो 'तप्तकृष्ण' कहलाता है रखना चाहिए।²¹⁹ यदि इन प्रसगों में द्विज को प्रथम तीन वर्णों का सदस्य माना जाए तो इसका अर्थ होगा कि शूद्र सभी प्रकार का मास खाने के लिए स्वतंत्र थे। मनु के एक परिच्छेद की टीका में कुल्लूक ने बताया है कि सदसुन और अन्य निपिद्ध कद खाकर शूद्र ऐसा अपराध नहीं करता कि उसे जातिच्युत कर दिया जाए।²²⁰ इससे मालूम होता है कि सदसुन, प्याज और अनेक प्रकार के मास नीच वर्ण के लोगों के वैष्ण आहार माने जाते थे।

अनुमान है कि वैश्यों और शूद्रों के विवाह की रीति उच्च वर्णों से भिन्न थी। मनु ने

विधिनिर्माताओं के मत उद्धृत किए हैं, जिनके अनुसार प्रथम चार प्रकार के विवाह, अर्थात् ब्राह्मण, दैव, आर्ष और प्राजापत्य ब्राह्मण के लिए विहित हैं, राजस सात्रिय के लिए और जासुर वैश्य तथा शूद्र के लिए²²¹ उन्होंने यह भी बताया है कि ब्राह्मण 'जासुर' और 'गायर्व' विवाह को भी अपना सकते हैं, सात्रिय भी जासुर, गायर्व और पैशाच विवाह अपना सकते हैं और वही पद्धतियाँ वैश्य तथा शूद्र के लिए भी हो सकती हैं²²² इस तरह शत्रिय के लिए राजस पद्धति से विवाह करने का नियम बनाकर उन्हें केवल वैश्य और शूद्र से अलग किया गया है। किंतु यहाँ प्रायः मनु का मुख्य उद्देश्य है ब्राह्मणों को अन्य तीन वर्णों से अलग करना। जहाँ तक दो नीच वर्णों का सबध है, वास्तविक स्थिति मनु द्वारा उद्धृत विवरण, जो आदिपर्व में भी आया है,²²³ से स्पष्ट होती है, जिसमें कन्या का जासुर विवाह (खरीदकर विवाह करना) सामान्यतया वैश्यों और शूद्रों में प्रचलित था। मनु का विवाह है कि 'जासुर और पैशाच' पद्धति से विवाह कभी नहीं करना चाहिए²²⁴ कुल्तूक ने अपनी टीका में बताया है कि यह नियम ब्राह्मणों और शत्रियों पर लागू होता है²²⁵ जिससे पता चलता है कि विवाह की ये दोनों पद्धतियाँ खासकर दो नीच वर्णों के लिए अभिप्रेत थीं।

मनु के स्त्री घन सबधी नियम विवाह की पद्धतियों के अनुसार मित्र-मित्र हैं। कहा गया है कि यदि जासुर राजस और पैशाच पद्धति से विवाहिता स्त्री सतानहीन मर जाए तो स्त्री-घन उसके मां बाप को, अर्थात् उसके माता पिता के परिवार को मिलेगा न कि उसके पति के परिवार को, जैसा कि प्रथम द्वारा और गायर्व रीति के विवाह में होता है।²²⁶ इससे पता चलता है कि वैश्य और शूद्र द्वारा अपनाई गई वैवाहिक पद्धतियों में यात्रुकुल का महत्व था।

मनु निश्चयपूर्वक कहते हैं कि जो विवाह वैदिक मत्रों द्वारा सपन्न कराए जाते हैं, उनमें नियोग नहीं हो सकता।²²⁷ चौंकि ये मत्र शूद्रों के विवाह में नहीं पढ़े जाते,²²⁸ इसलिए यह स्पष्ट है कि नियोग मुख्यतया शूद्रों तक ही संमित था। यह निष्कर्ष मनु द्वारा आगे बताए गए अन्य विवरण से भी निकाला जा सकता है जिसमें उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि विषवा विवाह और नियोग को शास्त्रों के जानकार द्विज पशुजन्य प्रथा मानते हैं।²²⁹ जाती का विवाह है कि नियोग और विषवा विवाह के सबध में मनु के विवाह परस्पर विरोधी हैं,²³⁰ क्योंकि कुछ परिच्छेदों में वह इनका समर्थन करते हैं और कुछ में उनकी निंदा करते हैं। किंतु यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि मनु ने नियोग और विषवा विवाह का समर्थन शूद्रों के लिए किया है और तीन उच्च वर्णों के सबध में उन्होंने इनकी निंदा की है, तो इन परिच्छेदों का समाधान आसानी से मिल जाएगा। शूद्रों में उपर्युक्त प्रथाओं के बलन से यह पता चलता है कि महिलाएँ अपने समुदाय में दूसरों पर बहुत निर्भर नहीं थीं।

एक वर्ण के साथ दूसरे वर्ण के विवाह के सबव में मनु ने पुरानी उक्ति उद्भूत की है जिसमें उच्च वर्ण के लोगों को नीच वर्ण की महिला से विवाह की अनुमति दी गई है।²³¹ लेकिन उन्होंने यह भी बताया है कि यदि द्विज अपने वर्ण और अन्य छोटे वर्णों की महिला से विवाह करे तो इन पलियों की वरीयता, हैसिपत और निवास का निर्णय वर्णों के क्रम से किया जाएगा।²³²

मनु इस विचार को आपसद करते हैं कि ब्राह्मण या शत्रिय की प्रथम पत्नी कोई शूद्र महिला हो। उन्होंने बताया है कि प्राचीन कथा में इसका कोई पूर्वादाहरण नहीं मिलता है।²³³ प्राय उच्च वर्णों के लोगों की शूद्र पत्नी का दर्जा बहुत नीचे रहता था। पतजलि हर्षे सूचित करते हैं कि दासी और वृत्पती उच्च वर्ण के लोगों के भोग विलास के लिए होती थी।²³⁴ मनु का कथन है कि जो द्विज शूद्र कन्या से विवाह करते हैं वे तुरत अपने परिवार और बच्चों को पंक्तिच्युत करके शूद्र बना देते हैं।²³⁵ कुल्लूक का मत है कि यह नियम तीनों उच्च वर्णों पर लागू होता है।²³⁶ अपने कथन के समर्थन में मनु ने कई प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। अत्रि का विचार है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र कन्या से विवाह करे तो उसे जाति से बाहर कर दिया जाए। शौनक कहते हैं कि पुत्र उत्पत्र होने पर शत्रिय का भी यही हाल होना चाहिए और भृगु का कथन है कि यदि वैश्य को केवल शूद्र स्त्री से पुत्र उत्पत्र हो तो उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाए।²³⁷ किंतु मनु ब्राह्मण द्वारा शूद्र महिला के समानाम का धोर विरोध करते हैं। उक्ति राय है कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु के उपरात नरक में जाएगा। यदि उसे शूद्र पत्नी से सतान उत्पत्र होगी तो वह ब्राह्मण नहीं रह जाएगा।²³⁸ और शूद्र से भिन्न कोई सतान नहीं रहने पर उसका परिवार शीघ्र नष्ट हो जाएगा।²³⁹ क्योंकि किसी ब्राह्मण के लिए उसका शूद्र बेटा जीवित रहने पर भी मुर्दे के समान है। यही कारण है कि वह पारशव कहलाता है।²⁴⁰ जो व्यक्ति वृश्चिक का अपरपान करता है उसकी सौंस से दूषित बनता है और उससे पुत्र उत्पत्र करता है उसके लिए कोई प्राप्यशिवत नहीं हो सकता।²⁴¹ इस सदर्थ से स्पष्ट है कि यह नियेष केवल ब्राह्मण के लिए था।²⁴²

मनु ने पुरानी वर्णसकर जातियों, यथा निषाद²⁴³ पारशव उग्र आयोगव शतु, चडात, पुकुस,²⁴⁴ कुकुटक, श्वपाक और वैण²⁴⁵ का उल्लेख किया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी उत्पत्ति वर्णों के अतर्मिश्रण से हुई है। उन्होंने इस तरह उत्पत्र नई जातियों की एक लंबी सूची दी है। ब्राह्मण—उग्र की बेटी से आवृत अम्बद की बेटी से आभीर और आयोगव जाति की स्त्री से यिखण को उत्पत्र करता है।²⁴⁶ इतना ही नहीं आयोगव महिला से दस्यु द्वारा सैरप्र वैदेहक द्वारा मैत्रेयक और निषाद द्वारा मार्गव या दाश उत्पत्र होता है जो कैवर्त भी कहलाता है।²⁴⁷ चडात वैदेहक महिला से पादुसोपाक

को और नियाद आहिंडक को जन्म देता है।²⁴⁸ वैदेहक जाति की स्त्री से नियाद कारावर उत्पन्न करता है और वैदेहक कारावर स्त्री से अश्व को तथा नियाद स्त्री से मेद को जन्म देता है।²⁴⁹ नियाद स्त्री चड़ाल से जो पुत्र उत्पन्न करती है वह अत्यावसायिन् कहलाता है जिसे वे लोग भी पृणा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वह चातुर्वर्ण्य पद्धति से बाहर (बाष्प) है।²⁵⁰ मनु यह भी बताते हैं कि सूत वैदेहक चड़ाल, मागध, शत्रू और आयोगव इन्हीं जातियों की स्त्री से ऐसी सत्तान उत्पन्न करते हैं जो और भी अधिक हेय तथा अपने पिता से भी अधिक अर्थम समझी जाती है, और उसे वर्णव्यवस्था से बाहर रखा जाता है।²⁵¹ उनका यह भी कहना है कि बाष्प और हीन (निन दर्घ के सोग) उच्च जातियों की महिलाओं से पद्ध प्रकार की नीच जातियाँ उत्पन्न करते हैं।²⁵² मनु ने इन जातियों का नाम नहीं दिया है, लेकिन जान पड़ता है कि वे ऊपर दी गई सूची के ही अतर्गत हैं।

उपर्युक्त जातियों में उनके व्यवसायों के आधार पर अतर किया जाता था।²⁵³ चड़ाल, शशपाक और अत्यावसायिन् अपराधियों को फौसी देने का काम करते थे और उन्हें अपराधियों के वस्त्र बिछावन और आमूल्यण दे दिए जाते थे।²⁵⁴ नियाद मछली पकड़कर अपना निवाह करते थे और मेद, अश्व घट्टगु और चुचु का काम जगली जानवरों का शिकार करना था।²⁵⁵ शत्रू, उग्र और पुक्कुर विवर में रहनेवाले जलुओं को पकड़ने और मारनेवाले बताए गए हैं।²⁵⁶ स्पष्ट है कि ये सभी लोग पिछड़ी जातियों के थे जो ब्राह्मणप्रधान समाज में मिला लिए जाने पर भी अपना व्यवसाय करते रहे। मनु बताते हैं कि कुछ सकर जातियों ने महत्वपूर्ण शिल्पों को अपनाया। आयोगव ने लकड़ी का काम शुरू किया²⁵⁷ और दिग्वण तथा कारावर ने चमड़े का²⁵⁸ एव पादुसोपाक ने बैंत के कार्द का पेशा अपनाया।²⁵⁹ मार्गव या दाश नाविक के पेशे द्वारा जीविका अर्जित करते थे और आर्यवर्त के निवासी उन्हें कैवर्त कहते थे।²⁶⁰ वेण ढोल पीटनेवाले थे,²⁶¹ और सैरप्र को शृंगार तथा अपने मालिक की सुश्रूषा में निपुण समझा जाता था। सैरप्र यद्यपि गुलाम नहीं थे फिर भी वे गुलाम की चौति ही रहते थे अथवा जानवरों को फँसाकर गुजर बसर करते थे।²⁶² मैत्रेयक के बारे में कहा गया है कि वह सुरीली आवाजवाला था और सुबह होने पर घटी बजाता था तथा महापुरुषों के प्रशस्तिगान में लगा रहता था।²⁶³

उपर्युक्त दण की कुछ नीच जातियों का उल्लेख एक बौद्ध ग्रन्थ में भी हुआ है। कहा गया है कि बुद्ध या बैपिस्त के अनुयायियों का चड़ालों, कौकुटिकों (मुर्गीपालकों) सकरियों (सुअर बधिकों), शौडिकों (मदिरा विक्रेताओं),²⁶⁴ मार्सिकसों (कसाइयों) मौष्टिकों (मुफेबाजों) नट नर्तकों (अभिनेताओं और नर्तकों) झल्लों और मल्लों (कुशीबाजों) से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा।²⁶⁵ बौद्ध यर्मावलब्दी इन लोगों से पृणा करते थे क्योंकि वे

निर्दयी और अनैतिक कार्य करनेवालों के साथ रहते थे ।

अधिकाश सकर जातियाँ, जिनका उल्लेख मनु ने किया है, असूत थीं । निषादों, आयोगाओं, भेदों, अद्वीतीयों, मदुमुओं, मदशुओं, ब्रात्राओं, पुक्कसों, पिण्डवणों और देवों के कृत्यों का उल्लेख करके मनु ने कहा है कि उन्हें गाँवों के बाहर बड़े बड़े वृक्षों, चैत्यों (कब्रगाहों) शभशानों अथवा पहाड़ों और उपवनों में बसना चाहिए²⁶⁶। इससे पता चलता है कि ये जातियाँ ब्राह्मणों की बस्ती से बाहर रहती थीं । चड़ात और श्वपाक तो अवश्य ही गाँव से बाहर रहते थे । जिस पात्र में उन्हें भोजन कराया जाता था उसे सदा के लिए केंक दिया जाता था । उनकी सपति मात्र कुत्ते और गदहे थे, वे दूटी फूटी धालियों में खान खाते थे, लोहे के गहने पहनते थे और मृत व्यक्तियों के कपड़े धारण करते थे तथा एक जगह से दूसरी जगह धूमते रहते थे²⁶⁷। उन्हें रात को शहरों और गाँवों में जाने की अनुमति नहीं थी । यहाँ ये दिन में ही काम कर सकते थे²⁶⁸। मनु ने बताया है कि चड़ालों और श्वपाकों को पहचान के लिए राजशासन द्वारा निर्धारित विस्तृत धारण करना चाहिए²⁶⁹। रायवानद की इस व्याप्ति के समर्थन में तत्कालीन कोई प्रमाण नहीं मिलता कि चड़ालों के ललाट या किसी अन्य अग पर कोई विस्तृत दाग दिया जाए । प्राय चड़ालों और श्वपाकों को कहा गया था कि वे कुछ खास दग की पोशाक पहनें ताकि अन्य लोगों से उनमें स्पष्ट अंतर रहे²⁷⁰। वे विवाह में ब्रह्मण, उघार आदि का व्यवहार अपनी जाति के लोगों को छोड़ दूसरों के साथ नहीं कर सकते थे । मनु का आदेश है कि उच्च वर्णों के लोग इन्हें अपने हाथ से अब्र भी नहीं दें²⁷¹।

किंतु मनु विशेषतया यह चाहते हैं कि ब्राह्मणों और असूतों के बीच कोई संपर्क ही नहीं रहे । उन्होंने विहित किया है कि स्नातक को (जो सामान्यतया ब्राह्मण होता है) चड़ालों, पुक्कुसों अत्यों और अत्यावसायिनों के साथ नहीं रहना चाहिए²⁷²। श्राद्धकर्म करते समय ब्राह्मण पर जिनकी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए वे हैं चड़ाल श्रामसूअर मुर्गा कुत्ता आदि²⁷³। मनु ने यहाँ तक कहा है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी चड़ात या अत्य महिला का समागम करे या उसका अब्र ग्रहण करे तो वह ब्राह्मणत्व खो देगा । किंतु यदि यह जान-बुझकर ऐसा करे तो वह भी चड़ाल या अत्य की स्थिति प्राप्त करेगा²⁷⁴। इससे यह अर्थ निकलता है कि ब्राह्मणेतर जातियों और चड़ालों के बीच ऐसे संबंध को निर्दीय नहीं माना जाता था ।

मनु अस्पृश्यों और सकर जातियों को शूद्र मानते थे या नहीं यह स्पष्ट नहीं होता । उन्होंने खुलेआम कहा है कि वर्ष चार है ।²⁷⁵ इससे यह निष्कर्ष निकल सकता है कि सकर जातियों को शूद्र वर्ण में शामिल कर लिया गया था । उनकी उत्पत्ति संबंधी कथाओं से पता चलता है कि लोगों में ऐसी धारणा थी कि उनकी धर्मनियों में शूद्र का रक्त है ।

मनुस्कृति में एक स्थल पर कुल्लूक ने अत्यज को शूद्र के रूप में विचित्रित किया है²⁷⁶ किंतु मनु ने 'अत्यज' शब्द का प्रयोग चडाल के अर्थ में किया है²⁷⁷ सूत, वैदेहक, चडाल, माण्य, क्षत्रु और आयोगव जैसी मिथित जातियाँ 'बाह्य' समझी जाती हैं, जिन्हें टीकाकारों ने चातुर्वर्ण से बाहर का माना है²⁷⁸ मनु ने परत्तीगमन के अपराध का दण्ड विदित करते हुए शूद्र और अत्यज में²⁷⁹ तथा सास्य-विधि में अत्यावसापिन् और शूद्र में विभेद किया है। किंतु पतञ्जलि ने निरवसित शूद्र को चडाल और मृतप बताया है तथा उच्च वर्णों के लिए उसके भोजन पात्र का उपयोग वर्जित माना है²⁸⁰ इससे पता चलता है कि ये असूत शूद्र समझे जाते थे। मनु ने इन शूद्रों के लिए 'अपपात्र' (अर्थात् वे लोग जिनके पात्र का व्यवहार नहीं किया जा सकता) शब्द का प्रयोग किया है²⁸¹ इस तरह मालूम होता है कि सकर जातियों और अधूरों को हीन शूद्रों की कोटि में रखा जाता था और उनके अलग निवास पिछड़ी सस्कृति और प्राचीन धार्मिक सप्रदाय के आधार पर साधारण शूद्रों से उनमें विभेद किया जाता था।

मनु ने शूद्रों के अन्त्र, उनकी संगत और उनकी महिलाओं के बहिष्कार के बारे में जो नियम बनाए हैं, वे मुख्यतया ब्राह्मणों पर लागू हैं।²⁸² पतञ्जलि के महाभाष्य में हमें ब्राह्मण और वृषल के बीच इसी प्रकार का सामाजिक विभेद देखने में आता है। ब्राह्मणों के दोनों उजले हैं तो वृषल के काले²⁸³ ब्राह्मण को ऊँचा स्थान मिलता है तो वृषल को नीचा²⁸⁴ कोई व्यक्ति वृषल और दासी के साथ अवैष्य और कुत्सित कर्म कर सकता है किंतु उसे ब्राह्मणी के साथ भद्रतापूर्ण बर्ताव करना होगा।²⁸⁵

भद्रकर का कहना है कि वृषलों का समुदाय ऐसा था जिसमें आर्यसमुदाय के छाँचे पर द्यारो वर्णों के लोग सम्मिलित थे।²⁸⁶ किंतु साधारणतया वृषल शूद्र के समान थे। इसलिए जहाँ धर्मसूत्रों में स्नातक से कहा गया है कि शूद्रों के साथ यात्रा नहीं करे, वहाँ मनु उसे बताते हैं कि वृषलों के साथ यात्रा नहीं करे।²⁸⁷ उन्होंने ब्राह्मण और वृषली के बीच सपर्क की भर्तीना उस प्रसंग में की है जहाँ उन्होंने ब्राह्मण और शूद्र के बीच सभी सपर्कों पर रोक लगाई है।²⁸⁸ यथापि महाभाष्य में कही भी वृषल शब्द शूद्र का स्पष्ट सकेत नहीं देता,²⁸⁹ फिर भी वृषली और दासी की समान हैंसियत²⁹⁰ और वृषल की सर्वविदित दण्डिता से पता चलता है कि वृषल की स्थिति शूद्र से अच्छी नहीं थी।²⁹¹ 'शूद्र' शब्द की तरह 'वृषल' शब्द का भी प्रयोग व्यापक अर्थ में बर्बर और अपधर्मी दोनों को समाविष्ट करते हुए किया जाता था। किंतु आमतौर पर वृषल को चतुर्थ वर्ण का सदस्य बताया गया है और यही कारण है कि महाभाष्य में ब्राह्मण और वृषल के बीच जो विषमता दिखाई गई है, वही विषमता ब्राह्मण और शूद्र में भी मानी जानी चाहिए।

मनु ने पुरानी नियेयाङ्ग की पुनरावृत्ति की है जिसके अनुसार वैद का अध्ययन द्विज

तक ही सीमित था।²⁹² इनकी तुलना में शूद्रों को 'एकजाति' अर्थात् एक बार जन्म लेनेवाला कहा गया है।²⁹³ आर्य का पहला जन्म अपनी माँ से होता है किंतु दूसरा जन्म मूँज के मेखलास्त्रबधन से होता है।²⁹⁴ इसलिए कोई द्विज, जो वेद न पढ़कर दूसरे व्यवसायों में लग जाता है वह शूद्र समझा जाता है और उसकी सतान की भी वही गति होती है।²⁹⁵ जब वेद की पढाई हो रही हो, तब वहाँ शूद्र को कभी नहीं रहने देना चाहिए।²⁹⁶

इस नियम के होते हुए भी, सुनने में आता है कि कुछ अध्यापक शूद्र को पढ़ाते थे। मनु ने विधान फ़िया है कि शूद्र को पढ़ानेवाले या शूद्र से पढ़ानेवाले ब्राह्मण को श्राद्ध में आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए।²⁹⁷ यह स्पष्ट नहीं है कि शूद्र शिक्षक या शान्त्र अपर्याप्ती समझे जाते थे। अध्यापक से जिन दस प्रकार के लोगों को शिक्षा मिल सकती थी, उनमें शुश्रूषु का नाम आया है जिसका अर्थ कुल्लूक ने नौरुर (परिचारक) किया है²⁹⁸ और इससे सभवतया शूद्र का निर्देश होता है।

किंतु सापारणतया ऐसा जान पड़ता है कि शूद्रों को शिक्षा से विभिन्न रखा गया था। वरिष्ठ की भाँति मनु ने भी आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति शूद्र को परापर्श नहीं दे और न उसे कानून की व्याख्या करके समझाए।²⁹⁹ इस उपबध को उन्होंने यह नियम बनाकर सबल कर दिया है कि जो कोई इसके प्रतिकूल कार्य करेगा वह उस व्यक्ति के साथ ही असरुत नरक में जाएगा, जिसे उसने शिक्षा दी है।³⁰⁰

धर्म के क्षेत्र में शूद्र वैदिक धर्म के अधिकार से विभिन्न ही रहे।³⁰¹ कहा जाता है कि शूद्र जातिव्युत नहीं हो सकता वह सस्कार पाने योग्य नहीं है और उसे आर्यों के धर्म का अनुसरण करने का कोई अधिकार नहीं है।³⁰² द्विज को चाहिए कि धार्मिक अनुष्ठानों में अपनी शूद्र पत्नी को शरीर क न करे।³⁰³ यदि वह मूढ़तावश ऐसा करेगा तो उसे बड़ाल की भाँति धृणित समझा जाएगा।³⁰⁴ सभवतया यह नियम ब्राह्मणों से सबैयित है। यह भी विहित किया गया है कि ब्राह्मण यज्ञ के लिए अपेक्षित किसी भी वस्तु की याचना शूद्र से न करे। यदि वह ऐसा करेगा तो अगले जन्म में बड़ाल होगा।³⁰⁵

किंतु ब्राह्मणों का एक वर्ग ऐसा भी था जो शूद्रों के धार्मिक अनुष्ठान में सहायक का काम करता था। मनु के कथनानुसार जो ब्राह्मण शूद्र से धर्म लेकर अग्निहोत्र करें उन्हें ब्रह्मवादिन् (विद्पाठी) शूद्रों के ऋत्विष्य कहकर निर्दित करते हैं और अनानी मानते हैं।³⁰⁶ मनुस्मृति के एक परिच्छेद की टीका करते हुए कुल्लूक ने बताया है कि शूद्र ओटे-मोटे घरेलू धर्म (पाकयज्ञ) कर सकते हैं।³⁰⁷ हमें भास से ज्ञात होता है कि देवताओं की पूजा शूद्र बिना मत्रों के ही करते थे।³⁰⁸ मनु कहते हैं कि यदि गुणी शूद्र भद्रजनों जैसे आचरण करें तो वे प्रशस्ता के पात्र हैं, किंतु उन्हें वेदों का पाठ किए बिना ही ऐसा करना चाहिए।³⁰⁹

उन्होंने यह नियम भी बनाया है कि शूद्र तीन उच्च वर्णों की तरह अपने पूर्वजों का तर्पण कर सकते हैं। इस प्रस्तुति में उन्होंने कहा है कि सुकातिन् शूद्रों के पितर हैं और वसिष्ठ उनके पूर्वज हैं³¹⁰ इन तथ्यों से पता चलता है कि मनु ने शूद्रों को कुछ धार्मिक अधिकार दिए हैं जो उन्हें मौर्य या मौर्यपूर्व काल में प्राप्त नहीं थे।

मनु ने चारों वर्णों के लिए एक ही आचार सहिता विहित की है। उन्हें अहिंसा और सत्य का पालन करना चाहिए, घोरी नहीं करनी चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, इच्छाओं का दमन करना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष से बचना चाहिए और केवल अपनी पत्नियों से सतान उत्पत्ति करना चाहिए³¹¹ किंतु धार्मिक दृष्टि से वे स्त्रियों और शूद्रों को समाज का अत्यत अपवित्र अग मानते हैं। चाद्रायण व्रत करनेवालों को इनका बहिकार करना चाहिए³¹² उन्होंने इन लोगों के शुद्धिकरण के लिए कम कठिन धार्मिक सस्कार विहित किए हैं³¹³ शूद्र को मर्हीने में एक बार बाल मुँडवाकर अपने आपको शुद्ध रखना चाहिए और घर में जन्म और मृत्यु होने की दशा में वैश्यों की भाँति शुद्धिकरण सस्कार का पालन करना चाहिए।³¹⁴ किंतु उन्होंने प्राचीन विधिनिर्माताओं के इस विचार का समर्थन किया है कि वैश्य की अशोच अवधि 15 दिन की और शूद्र की एक मर्हीने की होगी।³¹⁵ उन्होंने यड़ भी बताया है कि अशोच की अवधि के अत में ब्राह्मण पानी का स्पर्श करके शक्तियं अपनी सवारी के पशु और अस्त्रों को सूकर वैश्य अपना अकुश या अपने बैलों की नाथ (नाक में लगी रस्सी) सूकर तथा शूद्र अपनी लाठी सूकर पवित्र हो सकता है।³¹⁶ मनु ने यह नियम भी बनाया है कि ब्राह्मण के शव को शूद्र नहीं ढोएगा, क्योंकि शवरूप में भी शूद्र के स्पर्श से दूषित हो जान पर उसे स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती।³¹⁷ इस प्रकार वे ब्राह्मण और शूद्र में मर्हने के बाद भी विभेद करना नहीं छोड़ते।

यदि पुराणों में आए कलियुग के वर्णन को भौयोंतर काल में प्रचलित स्थितियों का कुछ संकेत देनेवाला माना जाए,³¹⁸ तो यह स्पष्ट होगा कि शूद्र खुलेआम वर्तमान सामाजिक व्यवस्था की अवहेलना करते थे। शूद्रों की ज्यादती का वर्णन कूर्मपुराण में किया गया है राजा के मूढ़ शूद्र अधिकारी ब्राह्मणों को अपना स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं और उन्हें पीटते हैं। राजा बदलती हुई परिस्थितियों के कारण कलियुग में ब्राह्मण का अनादर करते हैं और ब्राह्मणों के बीच शूद्र उच्च पदों पर आहोन होते हैं। ब्राह्मण जिन्होंने वेद का अत्य अध्ययन किया है और जो कम भाग्यशाली और शक्तिशाली हैं फूलों अलकरणों और अन्य भाग्यशाली वस्तुओं से शूद्रों का सम्मान करते हैं। इस प्रकार सम्मानित किए जाने पर भी शूद्र ब्राह्मणों की ओर देखता तक नहीं है। ब्राह्मण शूद्रों के घरों में प्रवेश करने का साहस नहीं करता और उनका अभिवादन करने का अवसर पाने के लिए उनके दरवाजे पर खड़ा रहता है। ब्राह्मण जो अपने जीवनयापन के लिए शूद्र पर निर्भर रहते हैं, उनकी सवारी के

धारों और इस उद्देश्य से खड़े रहते हैं कि उनका गुण बखान कर सकें और उन्हें वेद पढ़ा सकें।³¹⁹ कुछ इस तरह कर ही वर्णन महापुण्ड्र में भी है और यह भविष्यवाणी की गई है कि श्रुति और स्मृति का धर्म बहुत शिथिल हो जाएगा और वर्णश्रम धर्म नष्ट हो जाएगा। इसमें यह कोभ भी प्रकट किया गया है कि लोग वर्णसकर होंगे, शूद्र ब्राह्मणों के साथ बैठेंगे, खाएंगे और उनके साथ यज्ञादि करेंगे तथा भ्रोव्यार भी करेंगे।³²⁰ कायुपुण्ड्र और ब्रह्माड्युपुण्ड्र में कहा गया है कि कलियुग में शूद्र ब्राह्मणों जैसा और ब्राह्मण शूद्रों जैसा कर्म करते हैं। इन पुराणों से पता चलता है कि शूद्र का सब आदर करते हैं और राजा का आश्रय छूट जाने के कारण ब्राह्मणों को अपनी जीविका के लिए शूद्रों का भरोसा करना पड़ता है।³²¹

सभवतया उपर्युक्त विवरण मौर्योत्तरकालीन परिस्थितियों का निर्देश करते हैं। ऐसा नहीं मालूम होता कि वे अशोक के राज्यकाल पर लागू हैं, क्योंकि अशोक को बौद्ध धर्मविलब्धी होने पर भी ब्राह्मणों के प्रति अनुदार नहीं बताया जा सकता, जैसा कि पुराणों में कहा गया है। यथापि कलियुग के वर्णन का समावेश ई सन 700-800 में किया हुआ बताया जाता है,³²² फिर भी इससे पहले के मौर्योत्तर काल का सकेत मिलता है। इस वर्णन के कुछ परिच्छेद विल्कुल वही हैं जो उससे पहले के वर्यु और ब्रह्माड्युपुण्ड्र में पाए जाते हैं।³²³ ई सन की पाँचवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के एक उत्कीर्ण लेख में पत्तव शासक सिंहवर्मन् के बारे में कहा गया है कि वह कलियुग के पापों से धर्म को बचाने के लिए सतत उद्यत रहता है।³²⁴ इसके आधार पर कहा जा सकता है कि कलियुग की कल्पना बहुत पुरानी नहीं है।³²⁵ जैसा पहले बताया जा चुका है श्लेषों का उत्तेज और कलियुग के विवरण में निर्दिष्ट विभिन्न लोगों के अतर्मिश्रण मौर्योत्तर काल की परिस्थितियों के बहुत अनुकूल हैं। पुराणों में कही गई बात कि विदेशी शासक ब्राह्मणों को जान से मार डालेंगे और दूसरों की पत्नी तथा सपत्नि का अपहरण कर लेंगे, सामान्यतया हस्त काल में लागू होती है।³²⁶ और यह कुण्डपुण्ड्र में वर्णित ऐसे ही आरोपों के अनुसृप है।³²⁷

कलियुग के वर्णन को जो ब्राह्मणों द्वारा शिकायत और भविष्यवाणी के रूप में किया गया है, केवल कपोलकल्पना कहकर टाला नहीं जा सकता।³²⁸ उससे ब्राह्मणों की उस दयनीय स्थिति का आभास मिलता है, जो ग्रीकों, शकों और कुशाणों के कार्यकलापों का परिणाम थी। सभव है उनके आक्रमणों के कारण शूद्रों की स्थिति में परिवर्तन हुआ हो और वे उठ खड़े हुए हों। उनमें पहले ही से अस्तोष उबल रहा था। स्वभवतया वे ब्राह्मणों के दुश्पन हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके प्रति विभेदमूलक नियम बनाए थे। यह सामाजिक उथल-पुथल कब तक और देश के किस भाग में होती रही, इसका निर्धारण करना औंकड़ों के अभाव में कठिन है। किंतु जान पड़ता है कि अपर्याप्त शूद्र राजाओं के प्रति ब्राह्मणों के

बैरमाव का कारण यह था कि ये राजा शूद्रों से भाईचारे का व्यवहार रखते थे। दास और भाड़े के मजदूर के रूप में शूद्रों की पराधीनता शक और कुपाण शासकों की विदेश नीति से कम हुई होगी, क्योंकि वे वर्णों में विभाजित समाज का आदर्श निपाने के लिए बाध्य नहीं थे।

मौर्योत्तर काल में समाज की स्थिति सम्बवतया वैसी ही थी जैसी भिन्न में पुराने साम्राज्य के पतन के बाद थी। इस काल में कुछ दिनों तक आम जनता पुरोहितों और अभिजातों से लड़ती रही और सुस्थापित व्यवस्था पर चोट करती रही। मनु के नियम मौर्य साम्राज्य का पतन होने पर सामने आनेवाले विघटनकारी तत्वों से निपटने के लिए बनाए गए थे न कि अशोक के कार्यों को प्रभावशून्य बनाने के लिए। शूद्रों को गुलाम बनाकर रखने पर जो उन्होंने जोर दिया है उसकी आवश्यकता इसलिए हुई कि वे काम करने से इकार करते थे। उन्होंने राजा को आदेश दिया है कि वह वैश्य और शूद्र को अपना-अपना कर्म करने के लिए बाध्य करे,³²⁹ जिससे प्रकट होता है कि सामान्य जन को दो उच्च वर्णों के साथ अपना हित जुड़ा हुआ नहीं दिखाई देता था। मनु का कथन है कि राजा को वर्ण-धर्म कायम रखना चाहिए, क्योंकि जो राज्य वर्णों के अतर्मिश्रण से दूषित होता है, वह अपने निवासियों सहित विनष्ट हो जाता है³³⁰ अर्थात् सुस्थापित व्यवस्था नष्ट हो जाती है। ये आदेश सामान्यतया ई सन की तीसरी शताब्दी में रोम साम्राज्य द्वारा जारी किए गए आदेशों के समान थे, जिनमें विभिन्न व्यवसाय के लोगों को अपने-अपने व्यवसायों से लगे रहने को कहा गया है। किंतु मनु ने कुछ धार्मिक अनुशासित और दड का भी विधान किया है। शूद्र यदि अपना कर्तव्य नहीं करेगा तो उसका जन्म धैलाशक (कीट-पतग खाकर रहनेवाले पिशाच) के रूप में होगा,³³¹ और यदि वह निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य निभाएगा तो अगले जन्म में उच्च वर्ण में पैदा होगा³³²

मनु ने शूद्रों के शत्रुवत व्यवहार से बचने के बहुत से उपाय बताए हैं। कौटिल्य के विपरीत उन्होंने विहित किया है कि राजा को ऐसे देश में बसना चाहिए जहाँ के निवासी मुख्यतया आर्य हो³³³ क्योंकि जिस राज्य में शूद्रों का बहुमत होगा (शूद्र भूषिष्ठ), वह तुरत नष्ट हो जाएगा³³⁴ मनु ने राज्य के सरकार का भार उन लोगों तक ही सीमित रखा है जो आर्यों की तरह रहते हैं³³⁵ उन्होंने यह भी बताया है कि जो आर्योंतर व्यक्ति (अर्थात् शूद्र) आर्यों के वित्त धारण करते हों, उन्हें कौटा समझकर तुरत हटा देना चाहिए³³⁶ सकर जातियों (अधिकतर शूद्रों) को खास तौर से आर्यों से भिन्न माना जाता था और वे निर्देशी तथा उप्र स्वभाव के लेते थे।³³⁷ मनु के ये सभी कथन शूद्रों के प्रति उनके पूर्ण अविश्वास और ताज्जन्य शूद्रों के शत्रुवत व्यवहार (जो विदेशी आक्रमण के समय विशेषतया देखने में आता था या जिसकी उस वक्त खासतौर पर आशका रहती थी) से बचने की

वित्ता के अनुसर प ही हैं । मनु ने जब यह कहा है कि यदि क्राति के फलस्वरूप तीन उच्च वर्णों को अपना कर्तव्य करने में बाधा उपरिथित हो तो उन्हें शत्रु ग्रहण करना चाहिए, तब उनके मन में सभवतया ऐसी स्थिति की कल्पना रही होगी 338 कलियुग के अत में विद्यमान परिस्थितियों के वर्णन के प्रस्तुति में वायुपुराण के अतर्गत प्रभिति (माधव के अवतार) के कामों की चर्चा दी गई है, जिसने ब्राह्मणों की सशत्र सेना बनाई और अनेक प्रकार के लोगों, यथा भ्लेच्छ तथा वृष्टल, का विनाश करने के लिए प्रस्तावन किया 339 यह एक और ब्राह्मणों और दूसरी और शूद्रों तथा विदेशी शासकों के बीच हुए भीषण संघर्ष का हल्का संकेत है । यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि वृष्टल सुख्यापित व्यवस्था को तोड़नेवाले माने जाते थे, रक्षा करनेवाले नहीं 340 मनु ने ब्राह्मणों के प्रति अपराध करनेवाले शूद्रों के लिए दड़ का जो बृहत विधान किया है उसका मुख्य कारण यह कहा गया है कि सुशिक्षित शूद्रों के विरुद्ध उनके मन में वैर की भावना थी 341 किंतु उन्होंने जो नियम बनाए हैं उन्हें समग्र रूप से देखने पर पता घनता है कि वे सामान्य शूद्रों के प्रति भी कम वैर भाव नहीं रखते थे ।

प्राचीन काल में मुख्य विभेद शूद्र और तीन उच्च वर्णों में था । यद्यपि मनु ने भी इस विभेद को माना है किंतु भी उनके ग्रथ से प्रकट होता है कि कानूनी उपदधों, भोजन और विवाह के मामले में वैश्यों को शूद्र के निकट साने की प्रवृत्ति उनमें बहुत अधिक थी । इस तरह की स्थिति का कारण प्राय यह था कि बहुत बड़ी तादाद में वैश्य शूद्र बनाए जा रहे थे । विष्वपुराण में कहा गया है कि कलियुग में वैश्य कृषिरूप और व्यापार छोड़ देंगे और दासत्व प्रथा एवं यात्रिक शिल्पों को अपनाएंगे 342 और शूद्र जातियों का बाहुत्य होगा । 343

मनु के एक परिच्छेद से स्पष्ट होता है कि परपरागत वैश्य वर्ण क्रमशः विलीन होता जा रहा था । उनके अनुसार ब्राह्मण में सत्त्व गुण और क्षत्रिय में रजस् गुण 344 तथा शूद्रों और भ्लेच्छों में तमस् गुण होता है (मध्यमा तामसी गति) जो पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार प्राप्त होता है 345 इस क्रम में वैश्य की चर्चा तक नहीं हुई है । इससे संकेत मिलता है कि वैश्य शूद्र समुदाय में विलीन होते जा रहे थे ।

हापर्किंस ने बताया है कि मनु के कुछ नियमों से एक और दो उच्च वर्ण और दूसरी और दो नीच वर्णों के बीच दुश्मनी का आभास मिलता है 346 इनके बीच होनेवाले संघर्ष से मातृप होता है कि उच्च वर्णों का नेतृत्व ब्राह्मण और निम्न वर्णों का नेतृत्व शूद्र कर रहे थे । पूर्वकाल में भी शूद्रों और अन्य वर्णों के बीच संघर्ष का आभास मिलता है । किंतु मौर्योत्तर काल में इस संघर्ष ने उग्र रूप धारण कर लिया । मनु के सबध में एक रथना में बताया गया है कि भारतीय पद्धति पर निर्भित समाज में आर्थिक विशमता और वैमनस्य विरल ही सभव थे 347 किंतु मनु के ग्रथ में वर्णों के बीच जिस तरह का सदप दिखाया

गया है, उससे इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है। मनु ने सप्ट शब्दों में कहा है कि शूद्र को यह इकट्ठा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वह ब्राह्मणों को दुख देता है। 348

किंतु मनु के शूद्रविरोध के आधार पर यह कहना उचित नहीं होगा कि मोर्योंतर काल में शूद्रों की स्थिति की अधिकतम अवनति हो चुकी थी। इस शूद्रविरोध को ऐसा अतिवारी उपाय भानना चाहिए जो नई शक्तियों के उद्भव से समाज के पुराने ढाँचे को टूटने से बचाने के लिए बाधनीय था। मनु के विधिग्रन्थ में भी शूद्रों की स्थिति में हुए उन बहुतेरे परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है, जो ब्राह्मणों के विच्छद उनके सर्वर्ष, नए-ए-लोगों के आगमन और कल्प एवं शिल्प के विकास के परिणाम थे।

इस तथ्य के बावजूद कि मनु ने शूद्रों की दासता की बार बार चर्चा की है, वे अब उस पैमाने पर दास और मजदूर नहीं थे जिस पैमाने पर वे भौर्यपूर्व और शोर्य काल में थे। हमें किसी वैयक्तिक या राजकीय प्रक्षेत्र (फार्म) की सूचना नहीं मिलती है जिसमें दास या भाड़ के मजदूर काम करते हों। प्रायः शौर्यों के राजकीय प्रक्षेत्रों में काम करनेवाले दास और भाड़ के मजदूर कर चुकानेवाले कृपक बनते जा रहे थे। मनु ही प्रथम लेखक हैं जिन्होने सप्ट शब्दों में शूद्र को बटाईदार माना है³⁴⁹ और यह ऐसा तथ्य है जिसका निष्कर्ष केवल वौटिल्य के अर्थशास्त्र से निकाला जा सकता है। अर्थशास्त्र में बटाईदार (अद्वसीतिक) को उत्पादन का केवल 1/5 या 1/4 हिस्सा दिया गया है, किंतु मनु ने उसके लिए उत्पादन का जाधा भाग (अर्द्धिक) रखा है।³⁵⁰ मातृम् होता है कि न केवल बटाईदारों का हिस्सा बढ़ा दिया गया था, बल्कि उनकी संख्या भी बढ़ी थी। अर्थशास्त्र में वेतनभोगी अधिकारियों की व्यवस्था है, किंतु मनु ने इनके बदले अधिकारियों की एक वर्गीकृत सूची प्रस्तुत की है, जिन्हें पारिश्रमिक के रूप में जमीन दी जाती थी।³⁵¹ कृषिकर्म में लगे दासों की कोई चर्चा नहीं रहने के कारण हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि वे शूद्र बटाईदारों और भाड़ों के मजदूरों द्वारा जोते जाते थे। प्रायः किसी दूसरे काल में शूद्रों की संख्या इतनी अधिक नहीं थी। बहुतेरी आदिम जातियों और ब्राह्म तत्त्वों को मिलाने के उद्देश्य से मनु ने वर्णसकर दी कल्पना से अपने पूर्ववर्ती प्रथकरणों की अपेक्षा अधिक काम लिया है। अधिकाश सकर जातियों को शूद्र जाति में मिला दिया गया जिसके लिए उनके आनुवशिक कर्तव्य आधार माने गए।³⁵² किंतु ऐसा नहीं भासूम् होता कि जिस प्रकार पुराने शूद्र दासों और भाड़ों के मजदूरों के रूप में बहाल फिर जाते थे, उस प्रकार इन नए शूद्रों की बड़ाती होती थी। उन्होंने अपने पुराने व्यवसायों को अपनाया और सभवतदा उन्हें देती के नए तरीके सिद्धाएँ।³⁵³ जिससे वे क्रमशः करदाता किसान बने। हो सकता है मनु का दसवाँ अध्याय जिसमें वर्णसकर का विशद वर्णन है चौथी पौदर्वी शताब्दी का हो। इस प्रकार एक और

तो आदिम जातियाँ ब्राह्मणकालीन समाज से सभ्य जीवन का ज्ञान प्राप्त करके लाभान्वित हुई और दूसरी ओर ब्राह्मणकालीन समाज को भी उत्पादनकर्ताओं की सख्त्या बढ़ाने के कारण अपनी आतंरिक कमजोरियाँ दूर करने का अवसर मिला।

शिल्पियों के नए संघ बनने और नए नए हस्तशिल्पों का उदय होने से उस काल के नेवल आर्थिक जीवन में, बल्कि शूद्रों की स्थिति में भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।³⁵⁴ सर्वशक्तिसप्त्र भोर्य साम्राज्य का पतन हो जाने पर इन संघों के जरिए शिल्पियों को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता मिली, जिससे उनकी हैसियत भी कुछ बढ़ी। यह बात इन शिल्पियों द्वाय बौद्धों को दिए गए अनेकानेक दान के पुरालेखों से प्रमाणित होती है। कुछ राजाओं की आर्थिक नीति से भी शूद्रों की स्थिति सुधारने में परोक्ष रूप से सहायता पहुँची। शक राजा रुद्रदामन, जो वर्णाश्रित समाज का समर्थक था,³⁵⁵ दावा करता है कि उसने अपनी प्रजा से बेगारी कराए बिना सुदर्शन झील की मरम्मत कराई।³⁵⁶ यह उन शूद्र दासों और मजदूरों के लिए अवश्य ही वरदान सिद्ध हुआ होगा, जिनसे सामाज्यताया कर्वा (बिगार) ली जाती थी।

नए हस्तशिल्पों और शिल्पी संघों के उदय के साहित्यिक प्रभाव को सिक्का सास्य और विदेशी लेखकों की रचनाओं में वर्णित रौप तथा भारत के बीच के व्यापारसंबंध के सास्य के साथ देखा जा सकता है। यह व्यापार ईस्टी सन की प्रथम दो शताब्दियों खासकर सातवाहन काल में अपने चरम उत्कर्ष पर था।³⁵⁷ व्यापार के ऐसे विकास के फलस्वरूप व्यापारिक बदरगाहों³⁵⁸ और देश के भीतर के भी कुछ अन्य नगरों में जातिजन्य कटुना अवश्य घटी होगी जिससे निम्न वर्ण के लोगों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ होगा।

इस काल में विदेशियों के आगमन से वर्णव्यवस्था का बद्धन शिथिल पड़ा। ग्रीकों शकों और पर्थियनों की सख्त्या भले ही बड़ी नहीं रही हो पर कुपाणों के समय की अनेक प्राप्त वस्तुएँ, यथा सिक्के टेराकोटा (मृण्मूर्तियाँ) और मूर्तियाँ, जो सपूर्ण उत्तरी भारत में मिली हैं बताती हैं कि वे पर्याप्त सख्त्या में आए थे। स्वभावतया इससे तत्कालीन आबादी बिखरी होगी और नई नई बस्तियाँ बसी होंगी और इस तरह ई सन की पहली शताब्दी में लोगों में गतिशीलता आई होगी। चूंकि जातिप्रथा मुख्यतया स्थिर जीवन पर निर्भर होती है, इसलिए इन जातीय विस्तरों से उच्च वर्णों के विशेषाधिकारों की दुनियाद कमजोर हुई होगी और शूद्रों की स्थिति पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा होगा।

इसी प्रकार शूद्र की कानूनी और राजनीतिक स्थिति में भी हमें कुछ सुधार दिखाई पड़ते हैं। शूद्र को गाती देने के कारण ब्राह्मणों को दडित करने का जो विधान मनु ने बनाया है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है,³⁵⁹ क्योंकि धर्मसूत्रों के अनुसार ब्राह्मण इस कार्य के लिए दड का भागी नहीं था। पुनः गोतमी पुत्र शातकर्णि ने अवरों का समर्थन प्राप्त करने की

आवश्यकता महसूस की है,³⁶⁰ जिससे पता चलता है कि इसन की दूसरी शताब्दी में उन्हें कितना महत्व दिया जाता था।

अत थे, मनु ने वसिष्ठ को शूद्र का जनक बताया है, जिससे उसकी अच्छी सामाजिक और धार्मिक स्थिति का बोध होता है³⁶¹ शूद्रों की धार्मिक स्थिति सुधरी थी, इसका आधास इस तथ्य से भी होता है कि वे नामधेय सत्कार सप्त्र कर सकते थे³⁶² यह सुधर कुपाण शासकों के उदार धार्मिक दृष्टिकोण के कारण भी हुआ होगा। कट्टर ब्राह्मणवाद का समर्थक होने के बजाय वे मुख्यतया शैव और बौद्ध थे तथा निम्न वर्गों के प्रति उनका दृष्टिकोण अच्छा था। सातवाहन के राज्यों में भी ऐसी ही बातें हुई होंगी, जहाँ इसन की पहली और दूसरी शताब्दियों में निस्तदेह बौद्ध धर्म का बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव था।

शूद्र की स्थिति में परिवर्तन के इन लक्षणों से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जिस पुराने समाज ने उन पर अनेकानेक अशक्तताएँ लादकर उन्हें गुलाम बना रखा था, वह विलीन होने लगा था और उसकी जगह ऐसा नया समाज पनप रहा था जिसने उन्हें बेहतर स्थान दिया था। परिवर्तन की इस प्रक्रिया को गुप्तकाल में और अधिक बढ़ावा मिला। 'मुगात' शब्द के बार-बार प्रयोग से उन मूल्यों के विनाश का सकेत मिलता है जो प्राचीन समाज के आधार थे। इस प्रकार जन्म की वर्णाश्रम का आधार मानने की बात कुछ दिनों के लिए क्षीण हो गई। विदेशी आक्रमणकारियों के आघरण का वर्णन प्रस्तुत करते हुए विज्ञुयुग्म में भविष्यवाणी की गई है कि इन विदेशी शासकों के समय में लोगों को धन के ही आधार पर ओहदा मिलेगा, सपत्ति ही धर्म का साधन बनेगी और दान ही धर्म का मूल होगा³⁶³

सदर्भ

- 1 बुहतर 'सेक्स बुस्स ऑफ दि ईस्ट' XXV प्रस्तावना पृ CXIV-CXVIII बुन्दीय ज्ञायसदान मनु एंड यादवन्य १ 25 32, को। 'हिंस्री ऑफ एर्साव' II पृ XI केतकर क्य यह तर्क कि यह रचना ई पृ 272 320 (हिंस्री ऑफ कास्ट पृ 66) की है तुलित नहीं सान्ता
- 2 पृ. II 17
- 3 वही II 19
- 4 जोहाटेन इसकिस रितेशम ऑफ प्लेट कम्प्लेक्स इन मनु में उद्दृत पृ 4-5
- 5 मनुस्थार और पुस्तकर 'दि एस ऑफ ईंग्लैंडन यूनिटी पृ 261 अस को ई पू ऐचर्ची य थैटी इटाव्ही य इनने क्य अटिकर्दी विचार साम्बन्धितया स्वीकार नहीं किय जाता है अस की नियंत्रण है पू इसरी या टैसरी इटाव्ही रखी जा सकती है

- 6 एवं कर्न 'सेकेड बुस्त औफ दि ईस्ट XXI प्रस्तावना पृ XXI धूकि
सदूपर्मपुण्डरीक का थीनी भाषा में अनुवाद सबसे पहले है सन की तीसरी शताब्दी में हुआ
अत यून रखना है सन की दूसरी या पहली शताब्दी की भी कही जा सकती है एन दत
सदूपर्मपुण्डरीक प्रस्तावना पृ XVII
- 7 जैन लाइब्रेरी एन डिपिस्टेड इन दि जैन फैन्स, पृ 38 इस पुस्तक में यहाँ यदनो
महारो पहलवो आदि द्वा उच्चेष्य हुआ है (158) जिससे मातृप पड़ता है कि यह व्रद्ध मीर्योत्तर
कात की रखना है
- 8 हाजर स्टडीज एन दि पुराणिक रेकर्ड्स आन हिंदू राहदास ऐड कस्टम्स पृ 208 10
- 9 यनु VII 13 30
- 10 वही I 91
- 11 वही VIII 410
- 12 वही X 123 तुलनीय IX 334
- 13 वही X 121 2 धर्मिन वायुपराष्य वैश्य द्वारे निजीविषेत्
- 14 हापकिस दि युनुअल रिलेशन आफ दि फोर कास्ट्स एक्सिंग हु भानव घर्मास्त्र पृ 83
- 15 यनु VIII 418
- 16 युग पुराण पृ 167
- 17 कुल्तूक ने यनु VII 154 में अरे 'पञ्चवर्षम् शब्द का अर्थ पौंच प्रकार का गुतवर विद्य है
जिसके अर्थात् 'कर्वक धीणवृत्ति और कागिनक धीणवृत्ति थी है हापकिस पूर्व
निर्दिष्ट पृ 69 हापकिस ने इस शब्द का अर्थ यन्त्री साप्राञ्य नार सपति और सेना विद्या
है जिसु पवर्वा को राज्य के पौंच तत्व मानना जो सामान्यतया सात याने जाते हैं उचित नहीं
जैवता
- 18 यनु II 24
- 19 वही X 98
- 20 मिलिद पृ 178 अवसेसान युपुवेस्मुदाने क्लसिविन्ज्ञा गोरक्षा करणीया
- 21 यनु VII 138
- 22 वही X 120
- 23 यनु वी टीका X 120 न तु तेष्य आपयषि करो ग्राह
- 24 मिलिद पृ 147
- 25 यनुसृति वी टीका VII 154 हापकिस पूर्व निर्दिष्ट पृ 70-71 हापकिस की राय है
कि ऊटविषयक रूप हैं राज्य के सात तत्त्वों की याद दिलाता है जिसु अष्टविषय कर्म और सदाग
में कोई साम्य नहीं है
- 26 महावस्तु I पृ 301
- 27 महाभाष्य II पृ 33
- 28 यनुसृति VIII 243 शूलानामलानालेविकस्य तु
- 29 वही IX 150
- 30 वही X 99 और 100
- 31 लूडर्स लिस्ट स 53 54 68 76 95 331 345 381 495 857 986 1006
1032 1051 1061 1177 1203-4 1210 1230 1273 1298 तुलनीय
(इडियन कल्चर कनफर्म XII) पृ 83 85

32. वही स 32, 53-4 345 857 1005 1092 1129
 33. धर्मकोश I भाग III पृ 1927 व्याख्यासप्रह स्लेषप्रकरण पृ 1727 8
 34. महाभाष्य I पृ 19
 35. लूडर्स लिटर स 346
 36. महाबल्तु, II पृ 463 78
 37. वही III पृ 442 एवं आगे
 38. वही II पृ 463 78 और III पृ 442 एवं आगे के आधार पर सम्पूर्ण इनमें से बहुत से कारीगर छोटे भोटे व्याख्याएँ थे
 39. (गृहिण वल्लभ कलनक्ता XIV) पृ 31 32.
 40. 'पतञ्जलि ओन पणिनीज ग्रामर' II 11
 41. महाबल्तु, III पृ 442 3
 42. वही
 43. भिर्लिंद पृ 331
 44. पञ्चवणा I 61
 45. दीप निकाय I, 50
 46. भिर्लिंद पृ 331 सुब्रत, सन्त्र तीस तिपु, लोठ बहु अय मणिकार
 47. पञ्चवणा I 61
 48. भिर्लिंद पृ 331
 49. 'पतञ्जलि आन पणिनीज ग्रामर' I 4 54
 50. 'पतञ्जलि आन पणिनीज ग्रामर' III 1 26 तथा यदे तदास कर्मकर्त्त नामेतेषि स्वभूत्यर्थमेव प्रवर्तते भक्त वेतनपृ च सत्यमहे
 51. दीपिष्ठ धर्मसूत्र II 49 ने आया इसी प्रकार का एक नियम बाद में अतिरिक्त किया गया मात्रम् पढ़ता है क्योंकि यह अन्य दीन पर्याप्तों में नहीं मिलता है
 52. मनुस्मृति VIII 142 विष्णु के समानात्मक अनुव्योद (VI 2) की जो दीक्षा कृष्णपीठेत तथा अन्य दीक्षायारों ने की है उसके अनुसार तथा मनुस्मृति और अन्य स्मृतियों के अनुसार यह नियम ऐसे ही क्षणों पर लागू होता है दिनके हिए कोई प्रतिश्रूति नहीं ही जाती ही मुहलर पूर्व निर्दिष्ट XIV पृ 15
 53. लूडर्स लिटर, स 1133
 54. के बी रास्तापी अध्यगत आस्ट्रेक्यूस ऑफ दि प्रैलिटिकल एंड सोशल सिस्टम ऑफ
 मनु पृ 148
 55. मनुस्मृति X 129
 56. के बी रास्तापी अध्यगत अपेक्षात्व पृ 120
 57. केलकर 'हिन्दू और काट' पृ 98
 58. मनुस्मृति I 1A 157
 59. वही I 1 34
 60. वही, VIII 179
 61. लूडर्स लिटर स 1137
 62. वही, स 1133
 63. (उत्तरी-भूमि के इनकार और इन्हीं १११) इमरिजन ने १० मनुष्य ग्रन्थ है रूपिकरा देने वही द्वारा १२.

- 64 भनुसूति VIII 417
 65 जायसदात 'भनु ऐंड यामवल्य' पृ 171
 66 भनुसूति XI 18
 67 वही XI 13
 68 वही VIII 231
 69 कॉटिल्य ने बरसाठे के लिए दूष का केवल 10वाँ हिस्सा रखा है किंतु यह नहीं बताया है कि उसे सबसे अच्छी गाय दुहनी चाहिए.
 70 भनु VIII 229-44
 71 वही VIII 237 8
 72. वही X 124
 73 वही X 125
 74 वही VII 125
 75 वही VII 126
 76 वही
 77 फौरे देखो पृ 191 2
 78 पतञ्जलि जौन पाणिनीज प्रामार I 3 72.
 79 वी एस अश्वात दीड़या ऐज जौन दु पाणिनी प० 236 7
 80 ऊपर देखें पृ 155
 81 भनुसूति VIII 215
 82. वही VIII 216
 83 वही VII 217
 84 वही VI 145
 85 गौवेल और गैल 'दिव्यावदान' पृ 304
 86 सूक्ष्मपुंडरीक अव्याय IV प० 76
 87 वही IV पृ 78 कटपलिकुविवायाम् सेकेड चुक्स आक दि 'ईस्ट' में दिया गया इस वाक्य शब्द का अनुवाद एही मातृम पड़ता है यह एडगर्टन की बुद्धिस्त हस्तिक्षिप्त सत्यत डिव्यवानरी में नहीं आया है
 88 पतञ्जलि जान पाणिनीज प्रामार I 2. 47 और VI 3 61 कुद्धीपीपूरुत वृथलकुलमिति
 89 'कुद्धी शब्द' 'कुद्धी शब्द' का गलत पाठ है (मोनियर विलिपन्न सम्मृत इण्डिश डिव्यवानरी) और कुद्धीपी कुद्धी का एक रूप हो सकता है
 90 दिव्यावदान पृ 304 स्फटित पुठला रुठकेशा यलिनवस्त्रनिवसना एडगर्टन को सदिह है कि पुठला शब्द अज्ञुद है अत उन्होने पुठला की जगह पठया शब्द का सुझाव दिया है (रेखे स्फटित बुद्धिस्त हस्तिक्षिप्त सम्मृत डिव्यवानरी) किंतु वर्तमान पाठ से अधिक अव्याय अर्थ निकलता है
 91 दिव्यावदान पृ 304
 92 भनुसूति X 124
 93 वही X 125 तुलनीय V 140
 94 गिलिद प० 68
 95 भनुसूति IV 61 न शूद राज्ये निवसेत
 96 वही X 43 44 वृप्तलत्व गता लोके

- 97 मत्स्य पुराण 144 43a ब्रह्मांड पुराण II 31 67b वायु पुराण 58 67a में गलत पाठ
 'नाशवमेपेन' है जो ब्रह्मांड पुराण के 'चाशवमेपेन' के स्थान में आया है हाजरा पूर्व निर्दिष्ट,
 पृ 206 पादटिष्ठणी 59
 98 बूर्ज पुराण अध्यय 30 पृ 304
 99 विष्णु पुराण IV 24 19
 100 ब्रह्मांड पुराण II 31 41 राजान् शूद्रभूपिता भावधानार्थं प्रदर्शकम्
 101 मनुस्मृति V 84
 102 गिलेद पृ 358
 103 मनुस्मृति VII 54
 104 वही VII 21
 105 वही VIII 20
 106 कुल्लूक एपवानद ऐड नदन आन मनु VIII 20
 107 मनुस्मृति IX 322
 108 वही VIII 68
 109 वही VIII 62
 110 कुल्लूक आन मनु VIII 62
 111 मनुस्मृति VIII 62 और 69 कुल्लूक की दीक्षा सहित
 112 वही VIII 70
 113 वही VIII 254
 114 वही VIII 65
 115 कुल्लूक आन मनु VIII 65
 116 मनुस्मृति VIII 66 कुल्लूक की दीक्षा सहित अप्यर्थीन की व्याख्या गर्वशात् (वही) के स्पष्ट में
 की गई है
 117 वही VIII 88
 118 वही
 119 सप्तवत् मनुस्मृति (VIII 89 101) में न्यायदीत इष्ट एवं तथाम उपदेश दूर गवाह की
 संदर्भेतत् है
 120 मनुस्मृति VIII 113
 121 वही VIII 123
 122 वही VIII 12+5
 123 वही VIII 24
 124 वही VIII 41
 125 वही II 6
 126 के ही रैसानी अप्यगा एवज्ञम् पृ 155 6
 127 मनुस्मृति VIII 267
 128 वही VIII 263
 129 गौतम एवज्ञम् XII 13
 130 मनुस्मृति VIII 270
 131 वही VIII 272
 132 वही VIII 271 "अती इष्ट वी अक्षय कुल्लूक वे इष्टा और अन्य वी है इन्द्रु
 एवज्ञम् इष्ट इष्ट वी इष्टा वे इन्द्रु इन्द्रु हैं"

- 133 मनुसृति VIII 272
 134 जापसदान मनु ऐंड यात्रावलम्ब पृ 150
 135 के वी रागवानी अव्यग्र 'आस्ट्रेक्स ऑफ दि पोलिटिकल ऐंड सोशल सिस्टम ऑफ
 मनु पृ 132
 136 बैशप बहरऐट बाज हीडिया पृ 80
 137 मनुसृति VIII 279
 138 कुल्लूक ऑन मनु, VIII 279
 139 गौतम पर्मसूत्र XII 1 यह नियम अर्थशास्त्र में भी आया है
 140 बुहलर पूर्व निर्दिष्ट XXV 303
 141 मनुसृति VIII 280
 142 वही VIII 281
 143 कुल्लूक आन मनु, VIII 28 ये पा और गोविंदराज कुल्लूक से सहमत हैं (बुहलर पूर्व
 निर्दिष्ट XXV 303)
 144 मनुसृति VIII 282
 145 वही VIII 283
 146 वही IX 248
 147 कुल्लूक आन मनु IX 248
 148 महादस्तु, I 18 सेनार्ट ने हस्तिनिगढादिभ शब्द भाना है किन्तु बेली इसे हण्यो पढ़ते हैं जो
 पाठ दिव्यावदान पृ 365 और 435 में देखी के अर्थ में आया है (सिफेड बुस्त ऑफ दि
 ईस्ट XVI 15 पाठ टिप्पणी 2) मैथिली में हाहीगोरही शब्द काठ वी देखी के अर्थ में
 प्रयुक्त होता है
 149 सद्यर्थपुण्डरीक पृ 289
 150 मनुसृति VIII 284
 151 बुहलर पूर्व निर्दिष्ट पृ 304
 152 मनुसृति XI 127 तुलनीय 129 131
 153 वही XI 129 31
 154 वही XI 131
 155 मनु XI 132 141 यह नियम मनु और अन्य विधिनिर्माताओं द्वारा विहित धर्म और
 पर्मनिरोक्ष दणों के बीच विवरण का सक्रेत देता है क्योंकि फिसी शूद्र वी हत्या करने पर
 पर्मनिरोक्ष विधि में दस गाय और एक सौँड के बैरदेय का दण विहित किया गया है
 156 मनुसृति VIII 104 5
 157 वही XI 67
 158 वही VIII 337 38
 159 वही IX 151 154
 160 वही IX 155
 161 वही IX 160
 162 वही IX 157
 163 वही VIII 40
 164 वही VIII 345
 165 वही VIII 343

- 166 वही XI 179
 167 मनुस्मृति VIII 359
 168 वही VIII 361 2
 169 वही VIII 363
 170 वही
 171 जायसवाल पूर्व निर्दिष्ट पृ 167 8
 172 मनुस्मृति VIII 374
 173 वही VIII 375 6
 174 वही VIII 377
 175 अर्थशास्त्र IV 13
 176 विशिष्ट धर्मसूत्र XXI 2 3
 177 मनुस्मृति VIII 359 कुल्लूक की दीका सहित प्रयुक्त शब्द अब्राहम' है जिसका अर्थ कुल्लूक ने शूरू किया है
 178 वही VIII 413 शूरूतु कारपेदद्वय द्वौतपकोतमेव वा दास्यमेव ठे सुष्टोसो ब्राह्मणस्य स्वयम्भुवा
 179 वही VIII 414 न स्वागिन्द्र निष्पृष्ठे इपि शूद्रो दास्याद्विमुच्यते, निर्वाचन हि तत्त्वस्य कस्त्रमात् तमपोहनि मेणादियि ने इसे अतिरजना अर्थात् अर्थवाद मानता है किंतु इस बात से सम्बन्धिता मनु की अरेणा दीकाकार के सम्पर्क की विद्यतियों का अधिक परिवर्त्य मिलता है
 180 वही VIII 412
 181 अर्थशास्त्र III 13
 182. जी एक इलियन ने इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विवार किया है शूद्राज उठ स्वत्वेवन इन डेन एलटिक्सिडवेन गेसेताबुर्केन (सोजेतिसेनसेफ्ट मेजेलसेफ्टसिसेनसेफ्टलिसो एस्ट्राइलुग 1952 स 2) पृ 105 108 देखें सेनार्ट पूर्व निर्दिष्ट पृ 103
 183 मनुस्मृति, IX 179 दास्या वा दासदास्या वा य शूद्रस्य सूनो षष्ठेत
 184 वही
 185 वही VIII 167 यहा अध्ययोन शब्द का अर्थ कुल्लूक ने दास किया है
 186 वही VIII 199
 187 वही IV 180
 188 वही IV 184
 189 वही IV 185
 190 नैततेशा दासे वा भरति कर्मकरे वा पतञ्जलि औन पाणिनीज ग्रामर IV 1 168 तुलनीय कविराज औन पाणिनि V 3 114 इद तर्हि छौद्रकाणामपत्य, भालवानामपत्यमिति अत्रापि छौद्रमय मालव्य इति
 191 पिण्डित कुटूब विवेदनस विनिवितित धातुदण सकरस दासिष्ठीपुव मुदुमायि का नासिक गुफा उत्तर्व्य सेष, उ ले 115 6 ढी सी साकार सिलेक्ट इस्टिफ्लस I 197
 192 वही
 193 मनुस्मृति 1 31
 194 वही II 127
 195 वही II 126
 196 पतञ्जलि औन पाणिनीज ग्रामर VIII 2 82 83 शो एनन्यविद्या वा

- 197 मनुसृति II 137 तुलनीय गीतम् जो घोषित करते हैं कि अस्ती वर्ष की अवस्था हो जाएगी पर शूद आदर का पात्र हो जाता है
 198 मनुसृति II 31
 199 मनुसृति II 32 शर्मवद्भादणस्य स्पादान्तो रक्षसमचितपु, वैश्वस्युषित्सुकं शूद
 प्रेष्यसुकम् कुल्लूक ने टीका भी है कि ये उपाधियाँ क्रमशः शर्मनु, वर्णनु, शूति और दाहोनी चाहिए
 200 पठजलि आन पाणिनीज ग्रामर VI 2 11
 201 वही II 2 11 और III 2 127
 202 वही V 3 66 तुलनीय वही III 1 107 8
 203 मनुसृति IV 245
 204 वही IV 140 किंतु उन्होंने शूद के स्थान में दृष्टल शब्द का प्रयोग किया है
 205 वही III 112
 206 वही IV 211
 207 वही IV 215 16
 208 वही IV 218
 209 मनुसृति IV 219 बाठकाङ्ग प्रगत हन्ति बल निर्गेतकस्य च शण्ड गणिकाङ्ग च सोकेष्य
 परिकृन्ति
 210 वही IV 222
 211 वही IV 223
 212 वही X 106 8
 213 वही X 108
 214 मूल ग्रथ में सबपवाक क सर्वनाम नहीं आया है किंतु कुल्लूक ने इस अनुधेद का अर्थ लगाया है कि यह बैवल किसी के अपने सेवको पर लागू होता है यह मनु की भावना के अधिक निकट मानूम पड़ता है बनिस्तव इसके कि इसका अर्थ किया जाए सभी बटाइदार आदि मनुसृति IV 253 सेकेन्ड बुक्स ऑफ दि ईस्ट XXV 168 में आर्थिक शब्द का अनुवाद लेवरर हा टिलेज (जौतदार श्रमिक) गलत हुआ है पठजलि वै महाभाष्य में धरवाड़े को आर्थी बताया गया है
 215 पठजलि आन पाणिनीज ग्रामर II 4 10
 216 मनुसृति XI 153
 217 वही XI 149 कुल्लूक की टिप्पणी सहित
 218 वही XI 156
 219 वही X 157
 220 वही X 126
 राधवानद ने इसके साथ 'कसर्वेषाना रखना' भी शामिल किया है
 221 वही III 24
 222 वही III 23
 223 आरिपर्व अथाय 67 11
 224 मनुसृति III 25
 225 मनुसृति III 25 पर टीका कुल्लूक यह भी बहते हैं कि राक्षस पढ़ति से विवाह वैश्यों और शूद्रों के लिए भी विहित किया गया है

- 226 मनुस्मृति IX 196 ७ कुल्लूक की टीका सहित
 227 वही IX 65
 228 वसिष्ठ पर्वसूत्र I 25
 229 मनुस्मृति IX 66 अय द्विग्राहि विद्वामि पशुषमो विग्रहित
 230 जाली हिंदू ला ऐड कस्टम पृ 155
 231 मनुस्मृति III 13
 232 वही IX 85
 233 वही III 14
 234 पतञ्जलि आन पणिनीज ग्रामर, II 3 69 और L 2. 43
 235 मनुस्मृति III 15
 236 मनुस्मृति की टीका III 15
 237 मनुस्मृति III 16 कुल्लूक की टीका सहित
 238 मनुस्मृति III 17
 239 वही III 64
 240 वही IX 178
 241 वही III 19
 242 वही III 17 19
 243 पतञ्जलि औंन पणिनीज ग्रामर, IV 2 104 'जूनाङ्क राक इसकियास ऑफ चार्डवाप्स्ट्रु' I 1 11 सरकार, 'सिलेक्ट इसकियास' I 172, इस काल में भी हम निशादों के देश के बारे में सुनते हैं
 244 मनुस्मृति (XII 55) में बताया गया है कि ब्रह्मण की हत्या करनेवाला चढ़ाल या पुकुस के गर्भ में उद्भूत होगा
 245 मनुस्मृति X 8 9 12, 16 18 19 इस समय तक कुछ पुराणी जातियों आनुवांशिक बन चुकी थीं क्योंकि हमें निशादों और चढ़ालों के बैटों की सूचना मिलती है (पतञ्जलि औंन पणिनीज ग्रामर IV 197)
 246 मनुस्मृति X 15
 247 वही X 33 34
 248 वही X 37
 249 वही X 36
 250 वही X 39
 251 वही X 26 29
 252 मनुस्मृति X 31 प्रतिकूलं वर्तमानं बद्धा शाष्ट्रेणनुभुन् हीना हीनान्नसूपन्ते वर्णान् पवदहैव ए अपनी टीका में कुल्लूक ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि ऐसी कुल जातियों हीस थीं हो सकता है कि यह बद की बत ही
 253 वही X 40
 254 वही X 56 39 तुनचैय महावातु, II 73
 255 मनुस्मृति X 48
 256 वही X 49
 257 वही X 48
 258 मनुस्मृति X 36 49 प्रसंगवत्त इससे पश्च बनता है कि दोन ब्रैटेंयों के स्मैने पश्च

- चर्मकार शिष्यगण और बाहुदार के लिए घनडे का काम महत्वपूर्ण शिल्प बन गया था
- 259 वही X 37
 260 वही X 34
 261 वही X 49
 262 वही X 32
 263 वही X 33
 264 कर्न सेक्ट दुसरे औफ दि ईस्ट XXI 438 इस शब्द का अनुवाद जो बकरी का मास बैठने वाले वसाई के रूप में किया गया है वह उपमुक्त नहीं मानूम पहला है
 265 सदृष्टिपुढ़ीक पृ 180 1 311 2 इस सूची में आजीविक निषेध और लोकायतिक भी सम्मिलित हैं देखें देस पूर्व निर्दिष्ट II 463-4 गोवींशिक और उसके शिष्य संहायक का उल्लेख 'महावस्तु' II 125 में हिया गया है
 266 मनुस्मृति X 49 50
 267 वही बालचरित II 5 अविभारक VI 5 6 पुस्तकर मास-ए स्टडी पृ 358 और 391
 268 मनुस्मृति X 54 55
 269 वही X 55 विहिति राजशासने
 270 कुल्लर सेक्ट दुसरे औफ दि ईस्ट XXV 415 पादटिथणी 55 बोस पूर्व निर्दिष्ट II पृ 437 ऐषातिथि इन विन्हों को कुलाडी बसुना आदि के रूप में देखते हैं जिनका प्रयोग अपराधियों का दष करने में किया जाता था और जिन्हें कथे पर दोष जाता था गोविंदराज उन्हें छढ़ी आदि बताते हैं और सर्वानन्दात्मण उन्हें लोहे का गहना मोर के पछ आदि बताते हैं
 271 मनुस्मृति X 53 54 कुल्लूक का कथन है कि यह नीकरों के माध्यम से करना चाहिए
 272 वही IV 79
 273 वही III 239
 274 वही II 276
 275 वही X 4
 276 वही VII 279
 277 वही IV 6 नाद के श्रद्धों के अनुसार अत्यन शब्द से रजक कर्मकार नर कुछ कैवर्ति मिल और मेद का बोध होता है के वी राग्यामी अध्यग्र ने सभआस्पेक्ट्स औफ दि हिंदू ब्यू औफ लाइफ अकार्डिंग दु धर्मशास्त्र पृ 115 6 में पराशर और अवि को उद्धृत किया है
 278 मनुस्मृति X 29 31 ऐषातिथि गोविंदराज और कुल्लूक की टीका
 279 मनुस्मृति VIII 385
 280 पटनालि औन पाणिनीज प्रामार II 4 10 ऐर्मुके पात्र सस्कोरेणापि न शुष्प्ति ते निरालसिता
 281 मनुस्मृति X.51
 282 महावस्तु I 188 ज्ञानशण और शूद्र शब्दों का प्रयोग महावस्तु की पूरी आवादी का बोध कराने के लिए हिया गया है
 283 पटनालि आन पाणिनीज प्रामार II 2 8, 11
 284 वही II 2, 11
 285 वही I 3 55

- 286 घडाकर सम आसेक्ट्स ऑफ एनशिएट इंडियन कल्चर पृ 51 और 54
 287 मनुस्मृति IV 140
 288 वही III 19
 289 ऐस के बोस (इंडियन कल्चर कलकत्ता II) पृ 596 7
 290 पठन्ति ऑन पाणिनीज ग्रामर II 3 69 और I 2 48
 291 वही I 2 47 और VI 3 61
 292 मनुस्मृति II 165
 293 वही X 4
 294 वही II 169 70
 295 वही II 163 देख II 172 X 110 भताया गया है कि लड़कियों और शूद्रों का 'उपनयन' औपचारिक समारोह के बिना ही किया जाता था राजस्वार्पी अध्ययन पाठ्यिकल ऐड सोशल आसेक्ट्स ऑफ ट्रिस्टम ऑफ मनुस्मृति पृ 145 मिन्हु इसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता
 296 मनुस्मृति IV 99 और 108
 297 वही III 156
 298 वही II 109
 299 वही IV 80
 300 वही IV 81
 301 पठन्ति ऑन पाणिनीज ग्रामर IV 1 93
 302 मनुस्मृति X 126
 303 वही IX 86
 304 वही IX 87
 305 वही XI 24
 306 वही XI 42-43
 307 वही XI 126
 308 प्रतिष्ठा III 5
 309 मनुस्मृति X 127
 310 वही III 196 198 मनुस्मृति VIII 140 में वसिष्ठ को विदिनिष्ठान कहा गया है और मनुस्मृति I 35 में उन्हें दस प्रजापतियों में से एक कहा गया है
 311 वही X 63 ।
 312 वही XI 224
 313 पठन्ति ऑन पाणिनीज ग्रामर II 1 1 वही V 139 पठन्ति दस और चार्चा के एक ही फँटे में रखदे हैं
 314 मनुस्मृति V 140
 315 वही V 83
 316 वही V 99
 317 वही V 104
 318 हनुमा दूर्वा दूर्वा पृ 208 10
 319 दूर्वा दूर्वा अध्ययन 30 पृ 304 5
 320 दूर्वा दूर्वा अध्ययन 272, 46 7 दूर्वा अध्ययन

- 321 वायु पुराण अध्याय 58 38-49 ब्रह्माड पुराण भाग II अध्याय 31 39-49
 322 हाजरा पूर्व निर्दिष्ट पृ० 178
 323 वही पृ० 174 5 इन पुराणों में कलिपुग से सबौधित वर्णनवाले अता को हाजरा ने ई सन 200 275 का माना है
 324 (एप्रिलिया हैंडिका कलकत्ता और दिल्ली VIII) उत्तीर्ण लेख स 15 I 10 कलिपुग दोषवस्त्र धर्म उद्धरण नित्य सत्रद्वास्य
 325 पार्सिटर का विचार है कि कलिपुग आत्मपूढ़ के समय से प्रारम्भ होता है किंतु एक युग के अंत में (युगान्ते) कलिपुग के पापों का वर्णन प्रायः उस दुर्व्यवस्थापूर्व काल का संकेत करता है जो धौर्य साम्राज्य के पलन और गुप्त साम्राज्य के उत्थान के बीच आता है
 326 जायसदात हिन्दी ऑफ हैंडिया (ई सन 150 350) पृ० 151 2
 327 वही पृ० 46 युग पुराण 95 एवं आगे युग पुराण में जो वित्र खींचा गया है वह श्रीक विजय के परिणाम के लिए अधिप्रेत है इसके बारे में दार्त को संदेह है दार्त 'दि ग्रीक्स इन बैनिया ऐड हैंडिया पृ० 456
 328 हिन्दू पैगड़ों ने असीरिया के पलन का वर्णन करने में इसी तरह की साहित्यिक शैली अपनाई थी
 329 मनुस्मृति VIII 418
 330 वही X 61
 331 वही XII 72
 332 वही IX 337
 333 वही VII 69 वहा गया है कि देश को अनविलम्ब होना चाहिए टीकाकारों (नारद स्मृति और नद) ने इस शब्द का अर्थ लगाया है जातियों के मिश्रण जैसे दूशणों से भुक्त (सेकेड बुस्स आफ दि ईस्ट XXV 227)
 334 टीकाकारों की ये व्याख्याएँ कि इनसे शूद्र न्यायाधीशों या प्रशासी अधिकारियों की श्रमुखता का संकेत मिलता है निराधार घलूम पड़ती है
 335 मनुस्मृति IX 253
 336 वही IX 260
 337 वही X 57 8
 338 मनुस्मृति VIII 348 शास्त्र द्विजातिभिर्शाश्च धर्मो यत्रोपचारयते द्विजातीना घ वर्णना विलवे कालकारिते वसिष्ठ धर्मेन्द्रूत्र में भी इस विधान की घर्वा है किंतु इतने स्पष्ट शब्दों में नहीं (III 24 25)
 339 पाटिल कल्चरल हिन्दी प्राम दि वायु पुराण , पृ० 74 75 में उद्भृत लेखक का विचार है कि यह वर्णन गुप्तकाल के पहले भी ईद्वी सन् की आराधिक शताब्दियों का है (पृ० 128)
 340 मनुस्मृति VIII 16 दृशो हि चावान धर्मस्तस्य य कुच्छते घलम् वृक्षत त विदुरेवास्तमादृष्टम् न लोपयेत् ज्ञातिपर्व में भी यह विधान दुहराया गया है किंतु प्राचीन ब्राह्मण श्रेणी में इसका उल्लेख नहीं है
 341 जायसदात मनु ऐड यानवल्य पृ० 91 92
 342 विश्वपुराण VI 1 36
 343 वही VI 1 51 शूद्रप्रायास्तथा वर्णा भविष्यन्ति कलौयुगे
 344 मनुस्मृति XII 46 8
 345 वही XII 43
 346 हार्यकिंस प्ल्युअल रिलेशन ऑफ दि फोर कास्ट्स इन मनु पृ० 78 तुलनीय पृ० 82
 347 के वी राजसामी अध्यार धूर्व निर्दिष्ट पृ० 151 2 उन्होंने स्वीकार किया है कि कभी कभी 'नीतिकालों' ने लक्षणियों की वित्ती उदाहरण है (पृ० 159)

- 348 मनुसूति X 129
 349 वही IV 253
 350 अर्थशास्त्र II 23 मनुसूति IV 253 अर्थशास्त्र में बटाईदारों को राज्य से जमीन मिलने की व्यवस्था है किंतु मनु में इन्हें व्यक्ति विशेष से जमीन मिलती है
 351 मनु VII 119 यहाँ हमें सामतवाद का महत्वपूर्ण आभास मिलता है
 352 के दी रागत्वादी प्रव्यगर पूर्व निर्दिष्ट पृ 108
 353 बोसबी 'जर्नल ऑफ दि अमेरिकन ओरिएंटल सोसायटी (बाल्टीमोर LXIV) पृ 41
 354 स्वतंत्र हस्तशिल्पों का प्रबलन सामान्यतया मध्यकालीन यूरोप के सामतवादी समाज की महत्वपूर्ण विदेशता भानी जाती है
 355 छड़दामन का जूनांगढ़ का शिलालेख (एक इतिकथन) I 1 9
 356 वही I 16
 357 वर्षभिंगटन 'दि कार्पर्स बिट्डीन दि रोमन एम्पायर ऐंड इंडिया पुस्तक में इस समस्या पर विचार किया गया है हाल के पुरातात्त्विक प्रमाण के लिए देखें बीलर रोम वियाड दि इपीरियल फ्रटियर्स अध्याय 12 13
 358 बीलर पूर्व निर्दिष्ट पृ 151 टलेमी ने समुद्र के किनारे के सौतेह नगरों को वाणिज्य बैंद्र बताया है
 359 मनुसूति VIII 268
 360 वासिष्ठीपुत्र पुलुमादि का नासिक गुण उत्कीर्ण लेख 11 5 6 (दी सी सरकार सिलेक्ट इसकिषास I 197)
 361 मनुसूति II 196 198
 362 वही II 30-1
 363 विष्णु पुराण IV 24 21 24 तत्तत्त्वादै एवाभिजनहेतु धनमेवासेष्यमहितु दानमेव धर्महितु आद्यतैव सामुत्पहेतु शुलनीय मुग पुराण 95 112.

खपातरण की प्रक्रिया

(लगभग दो सौ पाँच सौ ई सन)

इस काल में शूद्रों की स्थिति के अध्ययन के लिए मुख्य स्रोत है विष्णु, यानवल्क्य नारद, बृहरण्ति और कात्यायन वी सृतियों।¹ इनमें यानवल्क्य सृति सार्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती है, क्योंकि दाद में घलकर उत्तर भारत में यही प्रमाण के रूप में अपनाई गई। गुप्तकाल में हुए सामाजिक विकासक्रम जिस वास्तविकता के साथ इसके प्रावधानों में प्रतिफलित हुए हैं वह शायद अन्य किसी भी सृति में नहीं। इस सृति में शूद्रों के विरुद्ध मनुसृति में किए गए अतिवारी प्रावधानों को या तो खड़ित कर दिया गया है या उनसी अवहेला कर भी गई है और इसमें ब्राह्मणों के लिए भी दागने (अकन) और देश से निकालने (निकासन) का दण्ड विहित किया गया है।²

कां सृतिकार निस क्षेत्र के थे इस विषय में हम यात्र अनुमान कर सकते हैं। यानवल्क्य सभ्यतया भित्तिला के थे।³ नारद नेपाल के प्रतीत होते हैं।⁴ अन्य सृतिकार भी उत्तर भारत के रहनेवाले हो सकते हैं क्योंकि उनसी सृतियों में जैरी स्थितियाँ विवित हैं वैसी मुख्यतया उत्तर भारत में ही पाई जाती हैं।

इन सृतियों में धर्मसूत्रों के वर्वन का विस्तार किया गया है और बहुपा शु ते श्लोक उतारे गए हैं।⁵ नई जानकारी केवल पानातरों से निकाली जा सकती है जिनका प्रत्यक्ष समय हमारे आलोच्य विषय से हमेशा नहीं है। पर प्रायश्चित राङ और सस्ताराङ वही कर्त्ता विस्तार से दिए गए हैं उनसे शूद्रों की पार्थिक अवस्था का पला गत्ता है।

सृतियों में लक्षित सत्य कभी कभी महाभारत और पुराणों के सृति प्रकरणों से अनुसार्थित और अनुपूरित होते हैं। हापर्किस का मत है कि महाभारत का उपरेशात्मक अश अविकृत दो सौ ई पूरे और दो सौ ई के बीच जोड़ा गया थोड़ा है।⁶ यह बात शातिपर्व के कई श्लोकों के विषय में सत्य प्रतीत होती है क्योंकि वे टीक वैसे ही शु में भी फिलते हैं। हापर्किस की अपनी मान्यता है कि बढ़ता बढ़ता अनुशासनपर्व शातिपर्व से अलग होकर दो सौ घार सौ ई के बीच पृथक पर्व के रूप में माय हुआ।⁷ पुराणों

में आए सृति-अश का कोई निर्देश इसा से पूर्व नहीं मिलता है⁸ विष्णु⁹ मार्कण्डेय¹⁰ भविष्य¹¹ और भगवत्¹² पुराणों के वर्ण एवं सबधी अध्याय मोटे तार पर गुरुकाल के माने जा सकते हैं।

इस काल के सृतिग्रन्थों की एक खास विशिष्टता है वैष्णव मत की ओर झुकाव। यह विशेष रूप से विष्णु सृति, वृहस्पति सृति¹³ विष्णु पुराण¹⁴ और ऋत्यु पुराण¹⁵ में लगित है। सभवतया कृष्ण की उपासना और वैष्णव मत के प्रभाव के कारण ही विचार में वह उपरता आई है जो महागाथा काव्य महाभारत में व्यापक रूप से प्रतिफलित होती है।¹⁶ जैसा कि आगे बताया जाएगा वैष्णव भावना के उदय से शूद्रों के प्रति ब्राह्मणों के दृष्टिकोण में उदारता आई और उन्हें धर्म के सेत्र में सीमित ही सही पर सुनिश्चित अधिनार मिले।

कालिदास और शूद्रक की कृतियों से जो जानकारी मिलती है वह भी सृतियों की भावना के अनुसर है। कालिदास ने वर्णश्रम के आर्थ का प्रतिपादन किया है,¹⁷ और यह बात शूद्रक के विषय में भी कही जा सकती है।¹⁸

शूद्रों वीरियत के बारे में बौद्धग्रथ लक्ष्मवतार सूत्र और वज्रदूर्वी में भी कुछ जानकारी मिलती है। पहला ग्रथ 443 इस्वी के पूर्व सकलित किया गया है,¹⁹ किंतु द्वितीय ग्रथ की निधि निश्चित नहीं है। यह मौर्योत्तर काल के विष्णुप्रोत्तर की रचना नहीं प्रतीत होती क्योंकि चीनी यात्री इतिहास ने इनकी कृतियों की जो सूची दी है उसमें इसका उल्लेख नहीं है।²⁰ 973 981 ई के बीच किया गया इसका चीनी अनुवाद बौद्ध नैयायिक धर्मकर्त्ति द्वारा किया गया बताया जाता है जो सर्वथा सभव है कि पाँचवीं शताब्दी इस्वी में हुए थे।²¹ वज्रदूर्वी में मनुस्मृति के श्लोक उद्घृत हैं जिससे इसका परवर्णी हाना सिद्ध होता है। मुख्य मुख्य दोष और जैन टीका ग्रथों²² में भी जो सभवतया आलोच्य कान के हैं, हमारे अप्येय विषय की प्रासादिक घर्याएँ आई हैं।

कामदक के नीतिसार भरत के नाट्यशास्त्र²³ यात्स्यायन के कामसूत्र²⁴ नमर्हसेह के अमरकोश और वराहमिहिर की दृष्टि सहित²⁵ जैसे तकनीकी ग्रन्थों से भी इस काल में शूद्रों वीरियत के विषय में कानी जानकारी मिलती है।

हनुमार्च एवरात्र और विष्णुप्रांतर पुराण के प्रतिमाविलान विषयक शास्त्रों में भी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। पहला ग्रथ तो गुरुकाल में रचा गया प्रतीत होता है²⁶ लेन्ड दूसरा ग्रथ गुरुतोत्तर कान में सम्प्रति जन पड़ता है और गोप साध्य के रूप में उपदेशी सिद्ध हो सकता है।

उल्कीर्ण लेखों में वर्ण के रूप में शूद्रों का उल्लेख नहीं है किंतु ब्रह्मदी निसानों और घारीगरों का बार बार उल्लेख हुआ है और कारीगरों के संघ की भी घर्या है। उम्मे हमें

शूद्रों की आर्थिक स्थिति में हुए परिवर्तनों का स्वरूप पता सगाने में सहायता मिलती है।

इसी काल में हमें यह सुपरिचित सूत्र वाक्य सुनने को मिलता है कि शूद्र का कर्तव्य है अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना।²⁷ मनु की भौति ही यह दावा किया गया है कि शूद्र को विशेषतया ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए।²⁸ शातिपर्व में एक रुज्जा का दावा है कि उसके राज्य में शूद्र किसी विद्वेष के बिना सम्मक स्वरूप से अन्य तीनों वर्णों की सेवा और परिचर्वा करते हैं।²⁹

अनुशासनपर्व में कहा गया है कि शूद्र भजदूर (कर्मकर) हैं,³⁰ और यदि शूद्र न हों तो भजदूर न होंगे।³¹ इसमें सेठ नहीं कि शूद्रों का बहुत बड़ा भाग भजदूरी कराता था वर्योंकि भजदूरी के ग्यारहों पर्याय अमरकलेश में शूद्र वर्ग में आए हैं।³² इसी तरह भजदूरों और सेवकों की विविध कोटियों के नाम भी इसी वर्ग में गिनाए गए हैं। इसमें भूत्यों (विदानार्जियों) के चार नाम हैं, वाहकों के दो नाम कुलियों के दो नाम और भूत्यों के ग्यारह नाम हैं।³³

नारद और वृहस्पति ने भूत्यों को तीन कोटियों में रखा है एक सेना में काम करनेवाले, दूसरे कृपिकर्म करनेवाले और तीसरे एक जगह से दूसरी जगह भार ढोकर ले जानेवाले।³⁴ इनमें प्रथम को उत्तम, द्वितीय को मध्यम और तृतीय को अधम कर्मकर माना गया है।³⁵

यद्यपि कुली और वाहक अधम कोटि के भजदूर माने गए हैं किंतु भ्रष्टियों में उनका महत्व कम नहीं प्रतीत होता क्योंकि उनके कर्म के बारे में बहुत से नियम इस काल के विधिग्रन्थों में दिए गए हैं। वाहकों का नियोजन मुख्यतया सौनागर (वाणिक) करते थे और ये वाहक सौपे गए माल के लिए जवाबदेह होते थे बशर्ते कि माल की हानि का कारण राजा और दैव (भाग्य) न हो।³⁶ विभिन्न अवस्थाओं में काम अथूरा छोड़ने के कारण उनके लिए विभिन्न ढंगों का विद्यान है। नारद ने कहा है कि जो वाहक माल को लक्ष्यस्थान पर पहुँचाने का कारार करके ढोने से इकार कर दे, वह अपनी भजदूरी का घटा भाग हर्जाना देगा।³⁷ यदि सामान ले जाने का समय आ जाए और वह तब इधर उधर करे तो उसे भजदूरी का दूना हर्जाना देना पड़ेगा।³⁸ यानवल्प्य ने भी इस नियम का समर्थन किया है।³⁹ किंतु परवर्ती सृतिकारों के अन्य प्रावधानों के अनुसार यदि वाहक कार्य आरम्भ करके दीय में ही छोड़ दे तो वह अपनी भजदूरी का सातवां हिस्सा छुकाएगा और यदि आषा रस्ता जाकर छोड़े ता पूरी भजदूरी छुकाएगा।⁴⁰ नियोजक की ओर से करार भग होने पर वाहक को भजदूरी छुकाने जा नियोजक का दायित्व उतना कठा नहीं प्रतीत होता है। नारद ने कहा है कि यदि सौनागर भाड़ा तय करके गाड़ी या ढोर से काम न ले तो वाहक को भाड़े का चीया हिस्सा दिलाया जाएगा और यदि उसे रास्ते में छोड़ दे तो पूरा भाड़ा दिलाया जाएगा।⁴¹

यह नियम भारवाही गाड़ी और पशु के मालिकों के लिए, और पूर्ण सभवतया उन वाहकों के लिए है जो स्वयं मालिक और चालक भी हैं, न कि उन मनुष्यों के लिए जो पशु की भाँति स्वयं अपने ऊपर माल ढोते हैं। फिर भी इसका प्रतिस्थानी नेपाली पाठ, जो शुद्ध पाठ माना जाता है,⁴² बताता है कि यदि नियोजक की गलती से वाहक कार्य रोके तो वाहक को उतनी मजदूरी दिलाई जाए जितना काम उसने सफल किया हो।⁴³

कृषि मजदूरों और चरवाहों को मिलनेवाली मजदूरी के बारे में हमें कुछ जानकारी प्राप्त है। याज्ञवल्क्य, नारद और कात्यायन ने उन्हीं दरों को दुहराया है जिनका विषयन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। इसके अनुसार कर्वक (कृषि मजदूर) को फसल का दसवाँ भाग, गोपालक (चरवाहे)को धी का दसवाँ भाग और पैकार के भारवाहक को विक्री मूल्य का दसवाँ भाग वेतन मिलना चाहिए।⁴⁴ यह व्यवस्था परपरागत प्रतीत होती है, और गुप्तकाल में मजदूरी में जो परिवर्तन हुए, उनका विचार इसमें नहीं किया गया है। ये परिवर्तन शातिपर्व और नारद एवं वृहस्पति की स्मृतियों में पाए जानेवाले पाठातारीय वचनों से लेखित होते हैं। गोपालक (चरवाहे) की मजदूरी के विषय में शातिपर्व में कहा गया है कि यदि वह दूसरों के लिए छह गायों का पालन करता है तो उसे मजदूरी में एक गाय का दूध मिलना चाहिए।⁴⁵ यह भी कहा गया है कि एक सौ गायों के पालन के लिए गोपालक को एक जोड़ा पशु मिलना चाहिए।⁴⁶ नारद ने इससे कम मजदूरी बताई है। एक सौ गाय चरणे के लिए प्रति वर्ष एक बछिया दी जाएगी, दो सौ गाय चरणे के लिए एक धेनु (दुष्पार गाय) और दोनों दशाओं में चरवाहे का हर आठवें दिन सभी गायों का दूध दिया जाएगा।⁴⁷ नारद के इस वचन से उन्हीं का वह पूर्वोक्त वचन बहुत कुछ बाधित हो जाता है, जिसमें चरवाहे के लिए धी का दसवाँ हिस्सा परपरागत दर बताया गया है। समसामयिक जैन स्रोतों से ज्ञात होता है कि व्यवहार में इन नियमों का भोटे तौर पर ही पालन होता था। उदाहरणार्थ, एक चरवाहे की चर्चा आई है जिसे हर आठवें दिन गाय या भैंस का सारा दूध मिलता था।⁴⁸ एक दूसरे उदाहरण में पारिश्रमिक की दर इससे अधिक है, एक गोपालक को पारिश्रमिक के स्वप्न में दूध का घौथा हिस्सा दिया गया था।⁴⁹ इससे प्रकट होता है कि चरवाहे की मजदूरी में निश्चित रूप से वृद्धि हुई। इतना ही नहीं इस बात से कि मजदूरी में पशु दिया जाता था, पता चलता है कि अपेक्षाकृत चरवाहे की अपनी स्वतत्र हैसिद्धत भी थी, जिसका अपना घर होता था और घोरे के लिए कुछ जमीन भी रहती थी।

कर्वकों के पारिश्रमिक की दरें शातिपर्व और वृहस्पति स्मृति में उनसे अधिक विहित की गई हैं जो इस काल के आसपास के अन्य ग्रन्थों में विहित हैं। यथा, शातिपर्व के अनुसार यदि कर्वकों को धीज आदि दिए जाएं तो उन्हें उपज का सातवाँ भाग मिल सकता है।⁵⁰ वृहस्पति तो और भी उदार है। उनके अनुसार खेती के काम में तगाए गए मादूरों

(सीरवाहकों) को, यदि उन्हें अब्र और वस्त्र दिया गया हो, तो उपज का घौथाई भाग मिलेगा।⁵¹ यदि अब्र और वस्त्र ऐसे बिना उनसे काम कराया जाए तो उन्हें उपज का तीसरा भाग दिया जाना चाहिए।⁵² स्पष्टतया ये नियम खेती के मजदूरों के लिए हैं न कि ऐसे बटाईदारों के लिए जो खेती के लिए बीज बैल और औजार अपनी ओर से लगाते हैं। यह मुक्तिसंगत नहीं है कि यहाँ की सीर भूमि वही है जो बौद्धित्व की सीता भूमि।⁵³ सीता राजा की भूमि होती थी लेकिन सीर भूमि व्यक्ति विशेष के कब्जे में रहती थी जिसमें वह खेती के लिए मजदूरों को लगाता था।⁵⁴

वृहस्पति द्वारा विहित पारिश्रमिक की दरों से विदित होता है कि गुप्तकाल के अदिम भाग में कृषकों की मजदूरी दूनी हो गई। इतना ही नहीं यह सच्च कि वे अब्र और वस्त्र के बिना काम करते थे सूचित करता है कि एक नवीन कोरि के कर्दकों का उदय हुआ था जो अपना भरण पोषण आप करने के साथनों से सप्त होते थे और इसलिए अपने नियोजकों पर कम आश्रित रहते थे। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में पशुपालकों और कृषि मजदूरों के पारिश्रमिक में निश्चित रूप से वृद्धि हुई और इसके फलस्वरूप शूद्रों के एक विशाल वर्ग की आर्थिक रिथति में सुधार हुआ।

भूत्यों (परेतु चाकरों) की रिथति के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है। शूद्रमूल्य में कहा गया है कि भूत्यों को खाने पीने के अलावा पासिक या वार्षिक वेतन मिलना चाहिए।⁵⁵ शांतिपर्व में जोर देकर कहा गया है कि शूद्र सेवकों का भरण पोषण करना ऊपर के तीनों वर्णों का कर्तव्य है।⁵⁶ किंतु इसमें वही पुराना नियम दुहराया गया है कि द्विज अपने सेवकों को पुराना छाता पगड़ी बिस्तार व आसन जूते और पखे तथा फटे हुए कपड़े दे।⁵⁷

शातिपर्व इस सिद्धात की सूचिटि करता है कि शूद्र की सूचिटि प्रजापति ने अन्य तीनों वर्णों के दास के रूप में की।⁵⁸ इसलिए उसे दाससर्यम् के पालन का उपदेश दिया गया है।⁵⁹ परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि शूद्र दास थे। दासप्रथा प्रचलित थी।⁶⁰ इसलिए हो सकता है कि कुछ शूद्र दास रहे हों। किंतु वे उत्पादन कार्यों में लगाए जानेवाले दास नहीं थे। यद्यपि नारद ने पद्म प्रकार के दासों का उल्लेख किया है।⁶¹ तथापि वे और वृहस्पति दोनों यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे केवल अपवित्र कर्मों में लगाए जाते थे।⁶² वे अपवित्र कर्म हैं प्रवेशद्वार शोचालय और सड़क की सफाई उचित भोजन भल मदिरा आदि हटाना मालिक का हाथ पांव मलना और गुद्धागों की मालिश करना।⁶³ इसके विपरीत जो लोग उत्पादन संबंधी कार्यों में अर्थात् कृषि या भारवाहन के काम में लगाए जाते थे वे पवित्र कर्म करनेवाले समझे जाते थे।⁶⁴ इसलिए इस बात का शायद ही सास्य मिलता है कि राजा द्वारा या प्रजाजन द्वारा ऐसे दास उत्पादन कर्म में लगाया गया हो जबकि मौर्यपूर्व और

मौर्यकाल में ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं।

इस काल में ऐसी कई अन्य बातें भी दिखाई पड़ती हैं, जिनसे प्रकट होता है कि दासप्रथा सामान्यतया कमज़ोर पड़ती गई है और दास के रूप में काम करने की बाध्यता से शूद्रों को अधिकाधिक छुटकारा मिलता गया है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कौटिल्य का दासमुक्ति सबसी नियम केवल उन दासों पर लागू था जो आर्य सत्तान हों या स्वय आर्य हों। किंतु याङ्गवल्क्य ने बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया कि कोई भी आदमी अपनी मर्जी के बिना गुलाम नहीं बनाया जा सकता, ऐसे व्यक्तियों को मुक्त कर देना होगा।⁶⁵ याङ्गवल्क्य तर्क पदानन की टीका के अनुसार इसका यह अर्थ है कि जो कोई शूद्र, क्षत्रिय या वैश्य अपनी सम्पत्ति के बिना दासकर्म में नियोजित किया गया हो उसे मुक्त कराना राजा का कर्तव्य है।⁶⁶ इस प्रकार उपर्युक्त व्यवस्था ने मनु की उस मान्यता को एकदम उलट दिया, जिसके अनुसार शूद्र को बलपूर्वक दास बनाया जा सकता था।⁶⁷

पहले के ग्रंथों के अनुसार किसी भी उच्च वर्ण (द्विज) को या शूद्र से उत्पन्न द्विज के पुत्रों को दास नहीं बनाया जा सकता था किंतु गुप्तकाल की सृतियों में द्विजों के लिए ऐसा कोई विशेषाधिकार संक्षित नहीं होता है। याङ्गवल्क्य नारद और कात्यायन कहते हैं कि दास अनुलोप क्रम से बनाया जाए, न कि प्रतिलोप क्रम से, अर्थात् दास मालिक के वर्ण से नीचे के वर्ण का होना चाहिए।⁶⁸ किंतु कात्यायन का दावा है कि दासता निवाले तीन वर्णों के लिए है, न कि ब्राह्मणों के लिए।⁶⁹ किर भी इन नियमों से यह अर्थ निकलता है कि दासता शूद्रों तक ही सीमित न रही।

नारद और वृहस्पति ने ऐसे अधम व्यक्ति की घोर निंदा की है जो स्वतंत्र होते हुए भी अपने को बेघ ढालता है।⁷⁰ अनुशासनपर्व में कहा गया है कि कितनी ही सताने व्यों न हों, किसी को मनुष्य का विकल नहीं करना चाहिए।⁷¹ यद्यपि कौटिल्य ने दासों की खासकर आर्यजाति के दासों की मुक्ति के नियम दिए हैं तथापि दासमुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद ने किया है।⁷² इन सब बातों से दासप्रथा अवश्य कमज़ोर हुई होगी।

नारद ने कहा है कि स्थानीय विवादों में एक वर्गविशेष के लोग जो 'वर्गिन्' कहलाते हैं, अपने अपने वर्गों के मामलों में गवाह के रूप में बुलाए जा सकते हैं।⁷³ कात्यायन के अनुसार जिनके लिए वर्गिन् शब्द का प्रयोग होता है उनमें दासों के नायक भी हैं।⁷⁴ इस प्रकार दासों में संगठन होने से दासप्रथा में और भी कमज़ोरी आई होगी।

दासियों के अस्तित्व का भी पर्याप्त प्रमाण मिलता है। ये दासियाँ धनी लोगों के घरों में धेरियों का काम करती थीं। अश्वत्थार्थ में समूहवादक शब्दों के उदाहरणों में दासीसम्पूर्ण (दासियों का दत) शब्द भी आया है।⁷⁵ इस काल के जैनग्रन्थों का अध्ययन करने से इस

बात का स्पष्ट रूप से सकेत मिलता है कि आदिम जातियों से बहुत सी दासियाँ और चेरियाँ बहाल की जाती थीं।⁷⁶

अन्य विषयों में गुप्तकाल में दासों की सामान्य स्थिति अपरिवर्तित रही। उन्हें पीटा जा सकता था और बेड़ियों में बौंधा जा सकता था।⁷⁷ वे अविश्वसनीय समझे जाते थे।⁷⁸ विधि में उनके लिए कोई स्थान नहीं था।⁷⁹ वे सपत्ति की एक इकाई समझे जाते थे और तदनुसार साझे (सामूहिक स्वामित्व) में रखे जा सकते थे⁸⁰ तथा साझेदारों के बीच बौंटे जा सकते थे।⁸¹ नारद और कात्यायन दोनों ने मनु के उस वचन को दुहराया है कि जिसके अनुसार दास को सपत्ति में कोई अधिकार नहीं है,⁸² किंतु कात्यायन ने यह भी कहा है कि लोगों के बीच अपने को बेवकर दास जो मूल्य पाता है, उस पर भालिक का हक नहीं है।⁸³

इन सारी बातों के होते हुए भी इतना तो स्पष्ट है कि गुप्तकाल में दासप्रथा सामान्यतया शिथिल हो गई थी। ऐसा लगता है कि वर्ण व्यवस्था ही कमज़ोर पड़ गई थी और इस कारण दासप्रथा में भी कमज़ोरी आई। वर्ण प्रथा का नियम था कि शूद्र को दास बनाना चाहिए। पर गुप्तकालीन पुराणों में जो कलि का वर्णन मिलता है उससे पता चलता है कि वैश्य और शूद्र अपने वर्ण धर्म का पालन नहीं करते थे। अर्थात् किसान के रूप में अन्न पैदा कर वैश्य कर नहीं देते थे और शूद्र दिल्जीों की सेवा करने को तैयार नहीं थे। घोर वर्णसंकट की स्थिति पैदा हो गई थी। इसके लिए सोचा गया कि राज्य के अधिकारियों तथा पुरोहितों को गाँव दान में दिए जाएँ ताकि वे अपनी जीविका चलाएँ और प्रदत्त क्षेत्र में शांति बनाए रखें। मजदूरी बढ़ाकर और कुछ जपीन देकर शूद्रों को सतुष्ट करने की चेष्टा भी गई।

दासप्रथा के कमज़ोर होने का प्रमुख कारण था बैंटवारों और दानों के फलस्वरूप भूमि का टुकड़ों में बैंटते जाना। धर्मसूत्रों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में तथा याज्ञवल्य सूत्रि में भी दायभाग (सपत्ति के बैंटवारे) की जो विधियाँ हैं उनमें भूमि के बैंटवारे की चर्चा नहीं है। इसकी चर्चा सर्वप्रथम नारद⁸⁴ और बृहस्पति⁸⁵ की सूत्रियों में पाई जाती है। इससे यह ध्वनित होता है कि गुप्तकाल के बीच या अत में बड़ी बड़ी जोत रखनेवाले बड़े बड़े समुक्त परिवार छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होने लगे। जब भूमि के बैंटवारे का सिद्धात मान्य हो गया तब एक द्वार लोगों की आबादियों के बस जाने के बाद उत्तर भारत की उर्वर नदी घाटियों में धनी होती जा रही आबादी कृषियोग्य भूमि के विधानीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाए विग्रह कैसे रह सकती थी? भूमि पर आबादी का भार किस प्रकार बढ़ रहा था इसका सकेत पाँचवीं शताब्दी ई के एक पराभिलेख से मिलता है। इसमें कहा गया है कि उत्तर बगाल (बागला देश) में छेढ़ कुल्यवाप भूमि एक जगह मिलना सभव नहीं है अत इतनी भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में चार भिन्न भिन्न जगह में

खरीदनी पड़ी⁸⁶ यह खरीद दान देने के लिए की गई थी, इसके उदाहरण हमें इस कान्त में बहुत अधिक मिलते हैं। ब्राह्मणों और देवालयों को किए गए भूमिदानों से भूमि खड़न की प्रक्रिया में और भी मदद मिली। भीर्यपूर्व काल में जो पाँच पाँच सौ करीय के बड़े-बड़े प्लाट या मोर्य काल में जो बड़े बड़े राजकीय कृषिसेत्र थे, वे अब नहीं दिखाई पड़ते हैं। पुरामिलेखों में जो एक कुल्यवाप या चार दो और एक द्वोणवाप के खेतों की चर्चा है उन्हें बड़े प्लाट नहीं कह सकते हैं।⁸⁷ पार्जिटर के अनुसार एक कुल्यवाप एक एकड़ से कुछ बड़ा होता था।⁸⁸ किंतु यदि असम के कछार जिते में प्रचलित भूमिमाप कुल्यवाप को कुल्यवाप का पर्याय समझें,⁸⁹ तो कुल्यवाप का मान 13 एकड़ के लगभग हो जाएगा। एक कुल्य आठ द्वोण के बराबर होता है इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरबगाल में खेतों का विस्तार सात एकड़ से लेकर तीन एकड़ तक था। इसी काल में यदि गुजरात के अतर्गत वलभी के भैत्रक राजाओं के भूमि दानों (अश्वहारों) का सर्वेशण किया जाए तो उससे प्रकट होता है कि खेतों का विस्तार दो तीन एकड़ से अधिक नहीं था।⁹⁰ स्वभावतया जोत का रकवा क्षम रहने के कारण भूस्वामियों का परिवार अपने खेतों को स्वयं संभाल मिलता था स्थायी रूप से भारी सञ्चय में शूद्र दास और मजदूर रखने की जरूरत नहीं थी। अत अधिकाश दासों को छाँट दिया गया होगा और एक एक कृषिसेत्र में दो-तीन दास से अधिक न लागते होंगे।

बताया गया है कि गुप्तकाल में ब्राह्मणों को अश्वहार (भूमिदान) दिए जाने से निजी उद्यम द्वारा ग्रामव्यवस्था को बढ़ावा मिला होगा,⁹¹ यह बात मध्य और दक्षिण भारत के अधिकसित क्षेत्रों में सभव रही होगी, किंतु उत्तर बगाल में जहाँ एक जगह भूमि प्राप्त करना कठिन था अथवा गुजरात में नहीं। या तो केवल परती और अधिकसित फ़जिल भूमि शूद्र जनों के हाथ बद्धोबस्त भी गई होगी क्योंकि पुराने किसान अपनी आबाद जमीन को छोड़ना न चाहते होंगे अथवा आदिवासी कर्बकों को ही ब्राह्मणीय समाज व्यवस्था में अतर्भुक्त कर लिया गया होगा। कृषि उत्पादन में लगाए जानेवाले दासों और श्रमिकों की धीरे-धीरे छैटनी हो जाने से उन्हें स्वतन्त्रता तो मिली ही साथ ही बटाईदारों या स्वतन्त्र किसानों के रूप में अपना कायापलट करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने में मदद भी मिली।

वैश्य कर्यक थे यह परपरगत विचार इस काल के साहित्य में भी दुरुराया गया है।⁹² अमरकौश में कर्यक के पर्याय वैस्य वर्ग में गिनाए गए हैं।⁹³ किंतु यह मानने का भी आधार है कि शूद्र भी कर्यक हो जाते थे। मनु की भौति विष्णु और यानवत्क्य से भी प्रकट होता है कि आपनी उपज पर शूद्रों को खेत दिया जाता था।⁹⁴ इससे यह सिद्ध होता है कि पट्ट्य देने की परिपाटी जोर पकड़ती जा रही थी। धीरे धीरे उन्होंने भूमि पर स्थाई कब्जा पा लिया। इस काल (250-350 ई. सन) में पल्लवों के, जिनका शासन दक्षिण आष्ट्र प्रदेश और

उत्तर तमिलनाडु पर था, एक दानपत्र से ज्ञात होता है कि जब भूमि ब्राह्मणों को दे दी गई तब भी उस पर चार बटाईदार (आर्थिक) बने रहे।⁹⁵ इस दानपत्र में दो कोलियों के हस्तातरण का भी उल्लेख है,⁹⁶ जो कोल जाति के कृषक या कृषि मजदूर रहे होंगे।⁹⁷ इसी काल के एक दूसरे पल्लव दानपत्र में कहा गया है कि अतुकु⁹⁸ नामक व्यक्ति द्वारा आबाद किया हुआ चार निवार्तनों का एक प्लाट हस्तातरित किया गया। यह अतुकु भी बटाईदार रहा होगा। इससे यह घनित होता है कि अविकसित इलाकों में भूमि का हस्तातरण हो जाने पर भी बटाईदार उस भूमि से बेदखल नहीं किए जा सकते थे वे सभवतया शूद्र की कोटि में थे। नारद ने कीनाश (किसान) की मणना उन लोगों में की है जो साक्षी बनाने के पात्र नहीं हैं।⁹⁹ सातवीं शताब्दी के एक टीकाकार असलाय¹⁰⁰ ने इस 'कीनाश' शब्द का अर्थ शूद्र किया है।¹⁰¹ यह व्याख्या ठीक प्रतीत होती है, क्योंकि कीनाश के बाद शूद्रा स्त्री से उत्पत्र पुत्र के बारे में भी नारद ने कहा है कि वह साक्षी होने का पात्र नहीं है।¹⁰² इससे लक्षित होता है कि शूद्र सभवतया किसान समझे जाते थे। वृहत्सती स्तूपि से भी इसकी पुष्टि होती है। खेतों के सीमा विवाद में आगे रहनेवाले शूद्र के लिए उसमें कठोर शारीरिक दड का विधान है।¹⁰³ यह स्पष्ट है कि वे ऐसे विवादों में खेत के मालिक के रूप में ही अगुआ हो सकते थे। शर्करांडेर पुराण में ग्राम उस बस्ती को कहा गया है जहाँ बहुत से शूद्र जन हो और कृषक लोग समृद्ध हो।¹⁰⁴ इन कृषकों में कुछ शूद्र भी रहे होंगे। कात्यायन का विधान है कि यदि कोई ऋण न चुका सके तो उससे काम कराकर ऋण वसूला जाए और यदि वह काम करने योग्य भी न हो तो उसे जेल भेज दिया जाए। इन्तु यह विधान निधने तीन वर्णों के फ़िसांों पर लागू है ब्राह्मण पर नहीं।¹⁰⁵ वृहत्सतीता में कहा गया है कि दक्षिण में आग लगने से उग्रों और दैश्यों को कष्ट होगा और पश्चिम में आग लगने से शूद्रों और कृषकों को।¹⁰⁶ इससे घनित होता है कि शूद्र और कृषक एक दूसरे के बड़े करीब माने जाते थे। इस प्रकार उपर्युक्त निर्देशों से यह प्रकट होता है कि शूद्र धीरे धीरे किसान होते जा रहे थे।

मथ्य भारत के एतत्कालीन दानपत्रों में कर चुकानेवाले कुटुबिन् और कारु लोगों का बार बार उल्लेख है।¹⁰⁷ इसमें कोई संदेह नहीं कि कारु कामगार होने के नाते शूद्र थे इन्तु उत्तरी ही दृढ़ता के साथ कुटुबिन् के विषय में नहीं रुहा जा सकता है। कुटुबिन् न अर्थ कृषक¹⁰⁸ या धरेतू धाकर¹⁰⁹ किया गया है। ऐसा भी बताया गया है कि सभवतया कुटुबिन् पेशेवर कारीगरों के ऐसे वर्ग के लोग कहलाते थे जो जीविता के गाण साधन के रूप में खेती करते थे।¹¹⁰ विनु प्रतीत होता है कि कारु के विपरीत कुटुबिन् लोग कृषिकर्मी गृहस्थ होते थे। प्राचीन पालि ग्रन्थों में ये धनदान गृहस्थ¹¹¹ प्रतीत होते हैं और सभवतया ये वैश्य रहे होंगे। कोटिल्य के अर्थभास्त्र में गणपति शास्त्री ने बटाई खेती करनेवाले

कुटुंबिन् लोगों को शूद्र माना है।¹¹² ऐसा लगता है कि कुनबी जो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं और कुमीं जो बिहार में पाए जाते हैं, कुटुंबिन् से ही सबध रखते हैं। आजकल ये दोनों शूद्र माने जाते हैं पर यह परिवर्तन सभवतया गुप्तकाल में प्रारम्भ हुआ। अतएव यह असभव नहीं कि गुप्तकाल के करदाता कृषक परिवारों में शूद्र भी शामिल थे।

पुनश्च, यदि 'उपरिकर' शब्द का अर्थ अस्थाई किसानों से लिया जानेवाला कर विशेष माना जाए¹¹³ तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती काल में जो दास और कर्मकर राज्य के या वैयक्तिक स्वामियों के कृषि क्षेत्रों में काम करते थे, उन्हें इस काल में अस्थाई रूप से खेत मिलने लगा था।

सभवतया कृषकों की सच्चा बढ़ने भूमि पर आबादी का भार अधिक होने ओर ऊँची दर पर कर दुकाने में नए किसानों के असमर्थ होने के कारण ही भूमि-राजस्व उपज के चतुर्थांश से घटाकर पष्ठाश कर दिया गया।¹¹⁴ वृहस्पति का ववन है कि राजा खेती के स्वरूप और उसकी उपज को देखते हुए पष्ठाश अष्टमाश या दशाश उपज ले सकता है।¹¹⁵

सातवी शताब्दी ई के पूर्वार्द्ध में हुआन चाड ने शूद्रों को खेतिहरों के वर्ग के रूप में वर्णित किया है।¹¹⁶ नुसिंह पुराण से इस वर्णन की पुष्टि होती है। वहाँ कृषि को शूद्र का कर्म बताया गया है।¹¹⁷ किंतु प्रतीत होता है कि यह महत्वपूर्ण परिवर्तन गुप्तकाल में हुआ होगा। कृषक वर्गों में बहुत बड़ा भाग शूद्र का है,¹¹⁸ यह पारणा गुप्तकाल के विषय में जितनी सही होगी उतनी शायद पूर्ववर्ती काल के विषय में नहीं।

अपरिपक्व सुझाव के तौर पर ऐसा विवार पेश किया जा सकता है कि इस महापरिवर्तन के आगमन में लोहे के प्रयोग का व्यापक प्रचलन भी सहायक हुआ होगा। अमरकलेश में लोहे के सात नाम और लोहे के विकार (जग) (आपरन रस्ट) के दो नाम आए हैं¹¹⁹ और इस काल के एक बौद्ध ग्रथ में यातुओं का सविस्तार वर्णकरण किया गया है।¹²⁰ अमरकलेश में फाल के भी पाँच नाम दिए गए हैं¹²¹ जिससे यह अर्थ निराला जा सकता है कि ये परम महत्वपूर्ण कृषि उपकरण सदा तैयार मिलते थे और खेती गहन रूप से की जाती थी। इस औजार की प्रद्युम मात्रा में उपलब्धि के बिना पहले जमाने के दास कर्मकर और आदिवासी जन तथा उच्च वर्णों के अधिकाधिक परिवार—ये सब लोग खेती के काम में नहीं लग पते। दुर्भाग्यवश, उत्तर भारत वी ग्रामीण बस्ती के विविध सानारों के उत्खनन की ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है जिससे यह पता घलता है कि पूर्वाल में लोहे के कृषि उपकरणों का प्रयोग किस हद तक होता था। यो स्मृतिकारों ने बताया है कि मजदूरों को औजार दिए जाते थे जो काम के बाद वापस कर देने पड़ते थे।¹²² किंतु कृषि मजदूर स्वयं अपने औजार रखे बिजा काशतकार नहीं बन सकते थे। ये

औंजार उन्हें इस काल में विकासोन्मुख लौह उद्योग की बदौलत ही मिलते होंगे।

इस काल में शूद्र कारीगरों के महत्व में वृद्धि हुई। पूर्ववर्ती काल के स्मृतिकारों ने शूद्रों को शिल्पकर्म की अनुमति उसी दशा में दी है जब वे द्विज की सेवा करके अपनी जीविका न घला सकें। इस काल में आकर यह शर्त हटा ली गई¹²³ और शिल्पकर्म शूद्रों के सामान्य कर्तव्यों में जा गया।¹²⁴ वृहस्पति ने शिल्प का जर्य किया है सोने हीन धातु, काठ, धागे, पत्तर और चमड़े का काम।¹²⁵ अमरकोश में शिल्पियों की सूची शूद्र वर्ग में है, इसमें सामान्य शिल्पियों उनके सप्त (श्रेणी) के प्रधानों, मालियों थोड़ियों, राजमिस्त्रियों, जुनाहों दर्जियों विभक्तारों, शस्त्रकारों चर्मकारों, लुहारों, शब्द शिल्पियों और ठठेरों में प्रत्येक के दो नाम हैं।¹²⁶ इस सूची में स्वर्णकार के चार नाम और बढ़ई के पाँच नाम हैं।¹²⁷ अमर ने ढोत बजानेवाले पानीवाले, दशी और बीणा बजानेवाले¹²⁸ अभिनेता, नर्तक और कलाजग्ज इन सभी का समावेश भी शूद्र वर्ग नामक प्रकरण में किया है।¹²⁹ इस सूची से सिद्ध होता है कि शूद्र सभी प्रकार के शिल्पी और कलाओं का व्यवसाय करते थे।¹³⁰

यह पुराना नियम कि शिल्पी लोग मास में एक दिन राजा का काम करेंगे, वृहस्पति ने भी दुहराया है।¹³¹ यह नियम धातु था क्योंकि पश्चिम भारत में मिले छठी शताब्दी ई के एक उल्कीर्ण लेख में कहा गया है कि ग्रामब्रेष्ट (वारिक) सुनारों, रथकारों, नापितों और कुम्हारों से बेगारी (विद्वित) है।¹³² विस्तृत का विषय है कि शिल्प द्वारा अर्जित धन पर करारोपण नहीं किया जाना चाहिए।¹³³ यौर्योत्तर काल में केवल बुनकरों पर कर लगाया गया था।¹³⁴ भगव इस काल में शिल्पियों पर कर लगाने की परिपाटी चल पड़ी। शांतिपर्व में यह विषय है कि शिल्पियों और व्यापारियों के उत्पादन की स्थिति और शिल्प के प्रकार को देखते हुए उन पर कर लगाया जाना चाहिए। करनिर्धारण उत्पादित वस्तुओं की सम्या के आधार पर किया जाए और उसकी वस्तुली जिन्स के रूप में की जाए।¹³⁵ इसमें कोई सदैह नहीं कि शिल्पी राजा को कर दुकाते थे क्योंकि यह बात इस काल के उल्कीर्ण लेखों में बार बार आई है। दक्षिण भारत में प्राप्त 446 ई के एक पत्तव अभिलेख से ज्ञात होता है कि लुहार चमार, बुनकर और नाई तक राजा को कर देते थे।¹³⁶ इन सारी बातों से यह प्रपाणित होता है कि इस काल में शूद्र शिल्पियों की आधिक स्थिति सुधरी थी और समाज में उनका महत्व बढ़ा था। काम्भूत्र के एक सदर्भ की टीका से प्रकट होता है कि शूद्र भी शिल्पी अभिनेता आदि के व्यवसाय से धन अर्जित करके नागरिक अर्थात् सम्पानित एवं प्रतिष्ठित नागरिक बन सकते थे।¹³⁷

करारोपण सबसी विधानों से प्रकट होता है कि कारीगर लोग जिस प्रकार मोर्यकाल में राज्य द्वारा नियोजित और नियंत्रित रहते थे उस प्रकार इस काल में नहीं रह गए थे। शायद राजशाही में रहनेवाले कारीगर¹³⁸ राजाक्रित रहते होंगे। किंतु गोदों के कारीगरों

का जो बार बार उत्तेष्ठ मिलता है, उससे प्रकट होता है कि जनपदों में उनकी सख्त्या कहीं अधिक थी, जहाँ वे कुछ न कुछ स्वतंत्रता के साथ रह सकते थे और काम कर सकते थे।

सधों के सुदृढ़ होने से कारीगरों का महत्व बढ़ता गया। ये सध (श्रेणियाँ) राजधानियों और नगरों के सगाठन का अग माने जाते थे।¹³⁹ ये स्पष्टतया कारीगरों और व्यापारियों के सध थे।¹⁴⁰ जहाँ प्राचीन विधिश्रथों और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा वो सधों के रीति रिवाजों (श्रेणियमि) का आदर करना चाहिए,¹⁴¹ वहीं गुप्तकाल के विधिश्रथों में राजा को उपदेश दिया गया है कि वह सधों में प्रवलित रीति रिवाजों (स्फ़ियों) का पालन कराए।¹⁴² वृहस्पति ने कहा है कि सधों के प्रधान अन्य लोगों के प्रति विहित नियमों के अनुसार जो कुछ भी करे, राजा को उसका समर्थन करना होगा, क्योंकि वे कार्य व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त घोषित हैं।¹⁴³ उन्होंने चेताया भी है कि यदि देशाचार, जात्याचार और कुलाचार का पालन न किया जाएगा तो प्रजा असतुष्ट होगी और उससे सपति पटेगी।¹⁴⁴ इससे प्रतीत होता है कि सध जैसा चाहे वैसा करने के लिए स्वतंत्र थे और राजा को उनका निर्णय मानना पड़ता था।¹⁴⁵ दूसरे शब्दों में सध उत्पादन की बहुत कुछ स्वतंत्र इकाइयों के रूप में काम करनेवाले और राजकीय नियन्त्रण से परे प्रतीत होते हैं। वे पूर्ववत् निषेप के रूप में यन प्राप्त करते थे, उस पर ब्याज चुकाते थे और स्पष्टतया उस यन को अपने व्यापार में लगाते थे जैसा कि इदौर में स्थापित तैलिक सध के पाँचवीं शताब्दी ई के एक उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है।¹⁴⁶ ऐसे कार्यकलापों के सहारे वे स्वभावतया समृद्धिशाली हो जाते थे, जैसा कि पाँचवीं शताब्दी ई में मदसीर के रेशमी दस्त्र दुनकरों द्वारा किए गए एक सूर्यमंदिर के निर्माण और मरम्मत से सिद्ध होता है।¹⁴⁷ यह समझना गनत होगा कि ब्राह्मण पुरोहितों की शक्ति के बढ़ने पर सधों का पतन होने लगा।¹⁴⁸ ब्राह्मण सूतिकारों ने सधों को मान्यता दी है। इतना ही नहीं, बल्कि गुप्तकाल के पुण्यमित्रों में दो सधों को या तो ब्राह्मणों का सपोषण प्राप्त था या ब्राह्मण भी उससे सबद्ध थे।¹⁴⁹

नियोजकों और कर्मकरों के पारस्परिक सबूष के विषय में जो नियम मिलते हैं उनसे प्रकट होता है कि शूदर्वा से बहाल किये जानेवाले कई कोटि के कर्मकरों की स्थिति में सुधार हुआ। बताया जा चुका है कि अगीकृत कार्य पूरा न करने पर कौटिल्य ने 12 यन जुर्माना विहित किया है, जो उनके द्वारा विहित मजदूरी का पाँच गुना से बीस गुना तक है।¹⁵⁰ बिंतु गुप्तकाल के अधिकाश सूतिकारों ने यह नियम बनाया है कि यदि कर्मकर मजदूरी लेकर काम न करे तो उससे मजदूरी का दुना जुर्माना लिया जाए।¹⁵¹ सकिन वृहस्पति ने ऐसी स्थिति में कर्मकर की क्षमता के अनुसार अतिरिक्त जुर्माने का विषयन किया है।¹⁵² विष्णु का वचन है कि कोई कर्मकर अपना काम पूरा न करे तो वह अपनी पूरी

मजदूरी नियोजक को चुकाने के साथ साथ सौ पण जुर्माना राजा को छुकाए।¹⁵³ परतु इस विधान को उन्होंने एक और नियम बनाकर प्रतिसत्तुलित कर दिया है, जिसमें काम पूरा न कराने पर नियोजक के लिए भी वैसा ही दड विहित किया गया है।¹⁵⁴ इस सबव्य में वृहस्पति ने कुछ ऐसे नियम दिए हैं जो इस काल के अन्य विधिग्रन्थों में नहीं मिलते। एक नियम में वृहस्पति ने किसी विवेचना के दिना ही मनु का वह वचन उतार लिया है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई कर्मकर शारीरिक रूप से स्वस्य होते हुए भी केवल दर्पवश अगीकृत कर्म पूरा न करे तो वह अपनी मजदूरी से विचित होगा और साथ ही आठ कृष्णल के दड का भी भागी होगा।¹⁵⁵ किंतु आगे उन्होंने यह भी कहा है कि यदि कर्मकर अपना काम पूरा न करे तो वह अपनी मजदूरी से विचित होगा और उस पर न्यायालय में मुकदमा घलाया जाएगा।¹⁵⁶ वृहस्पति ने कर्मकर के हित की रक्षा के लिये नियम बनाया है कि यदि नियोजक किसी कर्मकर को काम पूरा कर देने पर भी मजदूरी न दे तो उसे राजा उचित दड देगा।¹⁵⁷ नारद ने यह भी कहा है कि ऐसी स्थिति में नियोजक से आजासहित मजदूरी दिलाई जाएगी।¹⁵⁸ यह स्पष्टतया उस नियम के प्रवर्तन के लिए कहा गया है, जिसके अनुसार नियोजित सेवक को प्रतिज्ञात मजदूरी नियमित रूप से देते रहना नियोजक का कर्तव्य है।¹⁵⁹ इनके एक अन्य नियम का उल्लेख पहले किया जा चुका है जिसमें इन्होंने कहा है कि यदि भारवाहक नियोजक के दोष से काम अपूरा रह जाए तो उसे उतने ही काम का पारिश्रमिक मिलेगा, जितना उसने पूरा किया हो।¹⁶⁰ यह नियम सम्भवतया अन्य प्रकार के कर्मकरों पर भी सागू किया गया होगा।

चरवाहों के बारे में जो विधान हैं, उनमें इस बात पर जोर दिया गया है कि चरवाहों को सोपे गए पशुओं की रक्षा करना उनका कर्तव्य है,¹⁶¹ किंतु पशुओं के नष्ट होने पर मृत्युदण्ड का विधान, जोकि कौटिल्य ने किया है नहीं पाया जाता है। फिर भी वृहस्पति ने कहा है कि चरवाहों के जिम्मे लगाया गया पशु यदि फसल को नुकसान पहुँचाए तो चरवाहों को पीटना चाहिए।¹⁶²

इस प्रकार कुल मिलाकर, काम न करने का दड जितना कठोर भौर्यकाल में था उतना इस काल में न रहा और कुछ ऐसे नियम बने जिनसे नियोजक की ओर से मजदूरी न छुकाए जाने या बुरा बर्ताव किए जाने की स्थिति में कर्मकरों के हितों की रक्षा हो। फिर इस काल के स्मृतिग्रन्थों में कर्मकरों के लिए प्रेरणादायक पारितोषिक का भी विधान किया गया है। कौटिल्य ने केवल दुनकरों के लिए पारितोषिक की सिफारिश की है¹⁶³ किंतु याज्ञवल्य ने कहा है कि कर्मकर आशा से अधिक काम करे तो उसके लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाए।¹⁶⁴ अत गुतकाल में नियोजकों और कर्मकरों के पारस्परिक सबव्य के विषय में जो व्यवस्था दिखाई पड़ती है उससे यह धारणा बनती है कि पूर्व काल की

तुलना में इस काल में नियोज्य-नियोजक सबध अधिक सदय और उदार था, और परिणामस्वरूप यह अनुमान किया जा सकता है कि भगदूरी पर खटनेवाले शूद्र वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।

गुप्तकाल में वाणिज्य को भी शूद्रों का कर्तव्य माना जाने लगा। यानवल्क्य कहते हैं कि यदि शूद्र द्विजाति की सेवा से अपनी जाजीविका चलाने में असमर्थ हो तो वह वाणिज्य कर सकता है।¹⁶⁵ वृहस्पति कहते हैं कि हर प्रकार की वस्तुओं की विक्री करना शूद्रों का सामान्य कर्तव्य है।¹⁶⁶ पुराणों में भी कहा गया है कि शूद्र क्रय विक्रय¹⁶⁷ और व्यापारिक लाभ से जीवननिर्वाह कर सकता है।¹⁶⁸ सम्प्रिलित व्यापार का साझेदार यदि शूद्र हो तो राजा को अपने लाभ का पठाश देगा, वैश्य हो तो नवमाश, क्षत्रिय हो तो दशाश और ब्राह्मण हो तो बीसवाँ अश।¹⁶⁹ इससे प्रकट होता है कि शूद्रों के लिए व्यापार की शर्तें उतनी अनुकूल नहीं थीं, जितनी उच्च वर्णों के लिए। इतना ही नहीं, भले शूद्र कुछ वस्तुओं के क्रय विक्रय से परहेज रखते थे, जैसे भूविक्रय,¹⁷⁰ किंतु इतना तो निश्चित है कि शूद्र व्यापार कर सकते थे और इस विषय में ब्राह्मण स्मृतिकारों ने न केवल शूद्रों और वैश्यों के बीच अपितु शूद्रों और दो उच्चतम वर्णों के बीच भी भेदभाव छातम कर दिया है। सामान्यतया शूद्र लोग पैकार (विदेहक) का काम करते थे। इस काल के स्मृतिकारों ने अर्थस्त्र के इस नियम को दुःहराया है कि पैकार की विक्रयागम का दसवाँ भाग मिलना चाहिए।¹⁷¹ किंतु शातिपर्व में इसे बढ़ाकर सातवाँ भाग कर दिया गया है।¹⁷² शायद यह परिवर्तन गुप्तकाल की स्थिति का सूचक है।

व्यापार और वाणिज्य की तीसरी शताब्दी में भारी उत्तरि हुई,¹⁷³ और इनकी तरफ़ी में शिल्पी और व्यापारी के रूप में शूद्रों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। सभवतया गुप्तकाल में किसान के रूप में भी शूद्रों ने प्रगति की और देश के कृषिमूलक अर्थस्त्र को सुदृढ़ बनाए रहे।

किंतु उच्च वर्णों के लोगों की तुलना में शूद्रों का जीवनस्तर पूर्ववत् निम्न बना रहा। वराहमिहिर ने गृहनिर्माण के बारे में जो नियम दिये हैं उनके अनुसार ब्राह्मण के घर में पाँच कमरे क्षत्रिय के घर में चार वैश्य के घर में तीन और शूद्र के घर में दो होने चाहिए। हर स्थिति में मूल्य कमरे की लबाई औडाई चारों वर्णों की हैसियत के अनुसार भिन्न भिन्न होनी चाहिए।¹⁷⁴ ऐसे नियमों का पालन तो शायद कद्दर ब्राह्मण लोग ही करते होंगे, फिर भी इनसे प्रकट होता है कि निम्न वर्णों के लोगों के बारे में ऐसा नहीं सोचा जा सकता कि वे अच्छे भवनों में रहते हों।

इस काल में भी हमें शूद्र राजाओं की चर्चा मिलती है जैसे सीराष्ट्र अवति, अबुर्द और भालदा के। इनके साथ साथ परपरागत शूद्र आधीर¹⁷⁵ और म्लेच्छ राजाओं का भी

उत्तेषण मिनता है, जो सभी सिंगु और काश्मीर प्रैशो में शासन करनेवाले थताएं गये हैं। पार्टिटर ने इनका समय घौसी शताब्दी ई सन् बताया है।¹⁷⁶ परतु इन्हें जो शूद्र कहा गया है इसका कारण यह नहीं है कि वे शूद्र वक्त के थे, बल्कि इन्होंने कहा गया है कि इन जनजातीय या विदेशी शासकों ने ब्राह्मणों को विशेष सरकार नहीं प्राप्त किया था और वे ब्राह्मणर्थ के अनुयायी नहीं थे।¹⁷⁷ किंतु एक नाटक में एक घरवाहे के राजा हो जाओ की कथा आई है।¹⁷⁸ याज्ञवल्म्य ने प्राचीन धर्मदिशा दुहराया है कि स्नातक को ऐसे राजा से दान नहीं सेना चाहिए, जो क्षत्रिय न हो। उनके प्यान में उस समय ऐसे ही राजा लोग (या तो जनजातीय या शूद्र) रहे होंगे।¹⁷⁹ किंतु कालक्रमेण इन शासकों को ब्राह्मणों ने मान्यता देकर सम्मान्य क्षत्रिय बना दिया।

मरियों की नियुक्ति के विषय में याज्ञवल्म्य और कापदक ने उसी पुराने भत की दुहराया है कि वे कुतीन और वेदन हों।¹⁸⁰ जिससे शूद्रों के मरी बाने की सभावना ही नहीं रह जाती। किंतु शातिर्पर्व में नई व्यवस्था स्यापित की गई है, जिसके अनुसार आठ व्यक्तियों की मत्रिपरिषद में चार ब्राह्मण, तीन राजभक्त, शिष्ट और विनीत शूद्र और एक सूत रखे जाएं।¹⁸¹ हमें ज्ञात नहीं कि इस व्यवस्था का कहाँ तक पालन हुआ। किंतु यह शूद्रों के प्रति ब्राह्मण समाज के छव भें महत्वपूर्ण परिवर्तन का सूचक तो है ही।

न्यायाधीशों और सभ्यों (कौसिनिरों) की नियुक्ति में ऐसी उदारता के विळ नहीं मिलते। याज्ञवल्म्य ने कहा है कि राजा विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से न्याय करे जहाँ राजा न्याय न्याय करने में असमर्थ हो यहाँ वह इन ब्राह्मणों से न्याय कराए।¹⁸² कात्यायन ने यह भी कहा है कि ब्राह्मण न मिले तो क्षत्रिय या वैश्य न्यायाधिकारी बनाया जाए, लेकिन शूद्र का सर्वथा परिहार किया जाए।¹⁸³ नीक यही वियार वृहस्पति ने सभ्यों की नियुक्ति के बारे में व्यक्त किया है।¹⁸⁴ उन्होंने मनु की उस धेतावनी को भी दुहराया है कि जो राजा शूद्र (वृश्ल) की सहायता से राजकाज करेगा, उसके राज्य के बल और कोष का क्षय होगा।¹⁸⁵

किंतु विषय (जिना) स्तर पर प्रशासन के कार्य में शिल्पियों के मुखिया का कुछ हाथ रहता था और वह शूद्र होता था। दामोदरपुर में मिले 433 और 438 ई के दो लाप्रपत्रों से ज्ञात होता है कि प्रथमकुलिक धृतिमित्र कोटिवर्ष (उत्तर बगाल स्थित) की जनपद सभा का सदस्य था जो कुमारामात्य के अधीन था।¹⁸⁶ कुलिक शब्द का अर्थ कोई नार न्यायाधीश प्रवर (सीनियर टाउन जज) लगाने हैं¹⁸⁷ तो कोई वर्णिक।¹⁸⁸ किंतु ऐसा अर्थ पूर्वकलौन ग्रथों से समर्थित नहीं है। सभव है कि यह कुलिक शब्द अमरकोश का कुलक हो। जिसका अर्थ है शिल्पियों का प्रधान और यह उक्त ग्रथ में शूद्र वर्ग में आया है।¹⁸⁹ लगता है, यह शब्द शिल्पी के अर्थ में नारद स्मृति में भी आया है। जहाँ कुलिक वी गणना

असत् साक्षियों में की गई है।¹⁹⁰ अत प्रथमकुलिक का अर्थ होगा कुलिकों में प्रथम,¹⁹¹ अर्थात् शिल्पिसंघ का अध्यक्ष, और इसी नाते वह उत्तर भगात् रिति कौटिवर्ष जिले की सभा में स्था गया होगा। शायद वैशाली जिला मुख्यालय में भी यही परिपाटी रही होगी, जहाँ दो प्रथमकुलिकों की अलग अलग मुद्राएँ पाई गई हैं।¹⁹² शिल्पियों के प्रश्न को जनपदीय प्रशासन में जो स्थान दिया गया है, वह इस काल में उनके बढ़ते हुए महत्व के अनुरूप ही है। इसका आभास हमें इस काल के एक जैन ग्रन्थ में भी मिलता है, जिसमें बढ़ई अर्थात् वास्तुकार को चनुर्दश रत्नों में गिनाया गया है।¹⁹³ इन सब बातों से प्रकट होता है कि शूद्र शिल्पियों की नागरिक प्रतिष्ठा में कुछ सुधार हुआ।

सामान्यतया शूद्र स्नाटे छोटे प्रशासनिक कार्य करते रहे। कामदक ने कौटिल्य के इस विचार को दुहराया है कि घरेलू सेवकों से राज्य के ऊँचे अधिकारियों की गतिविधि के सबथ में जानकारी प्राप्त करने का काम तिथा जाए।¹⁹⁴ नारद ने कहा है कि चड़ालों जल्लानों (वधिकों) और इस तरह के अन्य लोगों से गाँव के भीतर घोरों का पता लगाने का काम निया जाए और गाँव के बाहर रहनेवाले गाँव के बाहर घोरों का पता लगाए।¹⁹⁵

न्यायप्रशासन में पुराने भेदभाव पूर्ववत् बने रहे। वृहस्पति ने नियम बनाया है कि साक्षी कुलीन हों और नियमपूर्वक वेदों और स्मृतियों में विहित पार्थिक क्रम करनेवाले हों।¹⁹⁶ इनसे शूद्र स्वत् बहिष्कृत हो जाते हैं। शूद्र शूद्रों के लिए ही साक्षी हो सकते हैं, इस नियम को इस काल के स्मृतिकारों ने भी दुहराया है।¹⁹⁷ कात्यायन कहते हैं कि किसी मुकदमे में अभियुक्त के खिलाफ गवाही दी ही दे सकता है जो जाति में उसके समकक्ष हो। निम्न जाति का वारी उच्च जाति के साक्षियों से अपना दाद प्रमाणित नहीं करा सकता है।¹⁹⁸ नारद ने जो अस्तु साक्षियों की सूची दी है उसमें जादूगर, नट, भयविकल्पी, तेली, महावत, चर्मकार चड़ाल शूद्र किसान (कीनाश) शूद्रापुत्र और जानि बहिष्कृत (पतित) लोग समाविष्ट हैं।¹⁹⁹ नारद ने साम्य देने में पुरानी वर्णभेदमूलक व्यवस्था में कुछ सुधार लाते हुए कहा है कि सभी वर्णों के बाद में सभी वर्णों के साक्षी लिए जा सकते हैं।²⁰⁰ व्यभिचार घोरी अवमानन, और हमते के मामलों में कोई भी साक्षी हो सकता है।²⁰¹ घरों और घेतों के सीमाविवाद में वृहस्पति के अनुसार, कृषक शिल्पी मजदूर चरवाहा शिकारी उन्छक (सिल्ला बीननेवाला) कद खोनेवाले और कैवर्त (मछुवा) नैसर्गिक साक्षी हो सकते हैं।²⁰² यह महत्वपूर्ण परिवर्तन है क्योंकि यानवल्क्य ने यह प्रतिष्ठा केवल खेतों के सीमाविवाद में, मात्र घरवाहों किसानों और बनघारियों को दी है।²⁰³ मनु ने तो इस विषय में इससे भी अधिक अनुदारता बरती है क्योंकि उन्होंने केवल ग्रामसीमा के विवाद में ही शिकारियों, बहेलियों, घरवाहों मधुओं कद खोनेवालों सपेरों सिल्ला बीननेवालों और बनघारियों को साक्षी बनाने की अनुना दी है और वह भी वहाँ जहाँ दो चार पडोसी गाँवों में साक्षी न

मित्र²⁰⁴ वृहस्पति ने जो साथी गिनाए हैं वे अधिकाशतया शूद वर्ण के हैं, अत उनकी इस व्यवस्था से शूद्रों की प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जो किसान और कारीगर के स्वप्न में इनकी नई हैसियत के अनुरूप है। यह महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि सीमाविवाद स्वभावतया अच्युत प्रसार के फिरी भी विग्रह से अधिक मात्रा में उठते रहे होंगे।

फिर भी इस काल के स्मृतिकारों ने पूर्ववत, गवाही सेतो समय दी जानेवाली घेतावनी को, मित्र मित्र वर्णों के लिए मित्र मित्र बाए रखा है। इसमें शूद्रों को दी जानेवाली घेतावनी सबसे कही है।²⁰⁵

दिव्यों में (दीवी साधनों से दोष पता लगाने में) वर्णमूलक भेद व्यवहार, जो भनु में नहीं पाया जाता है,²⁰⁶ इस काल के स्मृतिकारों ने स्थापित किया है²⁰⁷ यानवत्स्य ने कहा है कि अग्नि जल और विष का दिव्य केवल शूद्र से कराया जाए और ब्राह्मण से तुला दिव्य कराया जाए।²⁰⁸ इस सबथ में उन्होंने शत्रिय और वैश्य का उल्लेख नहीं किया है, किंतु अन्य स्मृतिकारों ने कहा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से की जाए, शत्रिय की अग्नि से वैश्य की जल से और शूद्र की विष से।²⁰⁹ किंतु यहाँ भी वृहस्पति ने यह विकल्प रख दिया है कि सभी वर्णों से सभी दिव्य कराए जा सकते हैं, सिर्फ विषवाला दिव्य ब्राह्मण से न कराया जाए।²¹⁰ नारद का भी वैकल्पिक नियम है कि विष दिव्य शत्रिय, वैश्य और शूद्र से कराया जा सकता है।²¹¹ विष्णु ने कहा है कि यह दिव्य ब्राह्मण से नहीं कराया जा सकता है²¹² जैसा कि नारद और कात्यायन का भी मत है।²¹³ विष्णु ने नकारे गए नियोग या घोरी या लूट के माल के मूल्य के अनुसार शूद्रों के लिए विभिन्न प्रकार के शाश्वत और अधिमनित जल पिलाकर दिव्य कराने का विधान किया है।²¹⁴ यदि मूल्य आये सुवर्ण से अधिक हो तो न्यायाधीश शूद्र से तुला अग्नि जल और विष वारों में से कोई भी दिव्य करा सकता है।²¹⁵ किंतु विष्णु ने इन वारों दिव्यों के प्रयोग के बारे में विस्तृत नियम बताते हुए भी।²¹⁶ अन्य स्मृतिकारों की भाँति वर्णभेद से दिव्यभेद का विधान नहीं किया है। शायद ब्राह्मणों के विषय में कुछ विशेष अनुग्रह दिखाया गया है, जिनसे विषदिव्य नहीं कराया जा सकता है। इसके सिवा दिव्य के विषय में वर्णमूलक व्यवहार भेद नहीं होता था। जल का दिव्य तीसरी शताब्दी ई. में सभवतया सातवाहनों के राज्य में चलता था।²¹⁷ परन्तु यह किसी खास वर्ण में ही चलता था। इसका कोई प्रमाण नहीं है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि जो कबीले और विदेशी जन ब्राह्मण समाज में लीन होने की प्रक्रिया में थे उनके बीच मित्र मित्र प्रकार के दिव्य प्रचलित रहे होंगे। इसलिए कात्यायन ने कहा है कि अस्वृद्धों, अधमों, दासों और म्लेच्छों के जो अपने दिव्य हैं उनसे वे ही दिव्य कराए जाएँ।²¹⁸

भनु का विधान है कि न्यायालय में अर्जी वर्ण के क्रम से सुनी जाए।²¹⁹ किंतु इस काल के स्मृतिकारों ने शायद इस नियम का उल्लेख नहीं किया है। फिर भी

व्यवहार-विधियों में वर्णमूलक भेदभाव चलता रहा। जिन वादों में प्रतिभूति देने की आवश्यकता है, वहाँ कात्यायन ने द्विजों और शूद्रों के बीच भेद का विषयन किया है। प्रतिभूति न देने पर द्विज को केवल प्रहरियों की देखभाल में रख देना चाहिए, शूद्र और अन्य लोगों को बेड़ी लगाकर कैदखाने में रखना चाहिए।²²⁰ परतु उन्होंने बधन तोड़कर भागनेवाले सभी लोगों के लिए, चाहे वे किसी भी वर्ण के हों, समान रूप से आठ पर्ण जुमनि का विषयन किया है।²²¹ उन्होंने यह भी कहा है कि बधन में रहते समय किसी भी वर्ण के दैनिक नियमों के अनुष्ठान पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए।²²²

दाय विधि (लॉ ऑफ इनहेरिटेंस) में यह नियम पूर्वपत बना रहा कि उच्च वर्ण के शूद्रपुत्र को दाय में सबसे कम अश मिलेगा।²²³ विष्णु ने विविध परीस्थितियों में ब्राह्मण के शूद्रपुत्र का अश निर्धारित करते हुए²²⁴ उदारतापूर्वक यह नियम बनाया है कि द्विज पिता और शूद्र माता से उत्पन्न पुत्र अपने पिता के आये धन का उत्तराधिकारी होगा।²²⁵ किंतु वृहस्पति ने उसी पुरान नियम का दुहराया है कि शूद्र के गर्भ से उत्पन्न पुत्र पिता के अन्य पुत्र न होने पर भी केवल भरणपोषण पाने का अधिकारी होगा।²²⁶ कहा गया है कि द्विज पिता और शूद्र माता से उत्पन्न पुत्र भूमि सपति में अश पाने का हकदार नहीं है।²²⁷ किंतु एक जगह अनुशासनपर्व में जोर देकर कहा गया है कि शूद्रपुत्र को सपति अवश्य मिलनी चाहिए।²²⁸ इस विषयन की इस काल के अन्य स्मृतिग्रन्थों से भी पुष्टि होती है।

ऐसा नियम है कि शूद्र की सपति उसके पुत्रों के बीच समान अशों में बाँटी जाएगी।²²⁹ यानवल्क्य ने कहा है कि शूद्र पिता और दासी माता से उत्पन्न पुत्र को सपति में तभी हिस्सा मिलेगा जब पिता चाहे।²³⁰ अनुशासनपर्व में इतना ओर जाड़ा गया है कि यह अश सपति का दसवाँ भाग ही होगा।²³¹

चारों विभिन्न वर्णों के लिए व्याज की भित्र भित्र दरें निर्धारित करनेवाला प्राचीन नियम इस काल के दो स्मृतिग्रन्थों में भी दुहराया गया है।²³² परतु यानवल्क्य ने इसको सुधारते हुए बताया है कि करार से जो भी तथ दो वही व्याज दुकाया जा सकता है।²³³

निखात नियि सबधी नियम वर्णभेद पर आधित है। स्मृतिकारों के अनुसार यदि ब्राह्मण निखात नियि (गडा खजाना) पाए तो वह उसे पूर्णतया ले सकता है।²³⁴ विष्णु ने इसमें यह भी जोड़ा है कि यदि ब्राह्मण नियि पाए तो उसको एक एक चोथाई राजा और ब्राह्मण को देगा और आथा स्वयं रख लेगा यदि वैश्य पाए तो एक चोथाई राजा का देगा, आथा ब्राह्मण को देगा और एक चोथाई स्वयं रखेगा और शूद्र पाए तो उसे बारह भागों में बाँटकर पाँच पाँच भाग राजा और ब्राह्मण को देगा और दो भाग स्वयं रखेगा। यद्यपि निखात नियि में शूद्र का अश सबसे कम है फिर भी यह कोटिल्य के अनुसार मजदूर (भूतक) को मिलने वाले अश का दूना है।²³⁵ यह कहना कठिन है कि निखात नियि सबधी

यह नियम कहाँ राक प्रदत्तन में था। एक जैन ग्रंथ में ऐसा उल्लेख है कि जब निष्ठात निर्गि एक वर्णिक को मिली तब राजा ने उसे जब्त कर लिया किंतु जब इसी तरह ब्राह्मण को ऐसी निधि मिली, तब राजा ने उसे पुरस्कृत किया।²³⁷

सामान्यतया ब्राह्मण के विरुद्ध किए गए अपराध कर्म के लिए शूद्रों को कूर शारीरिक दड देने के विषयान को, नारद ने, और कुछ मामलों में वृहस्पति ने भी, दुहराया है।²³⁸ वृहस्पति ने कहा है कि शूद्र को आर्थिक दड नहीं दिया जाए, बल्कि ताडन, बधन और निंदन का दड दिया जाए।²³⁹ वृहस्पति विशेष रूप से प्रतिलोमो (अर्थात् उच्च वर्ण की माता और निम्न वर्ण के पिता की सतानों) और अत्यो (असूतों) के प्रति कठोर हैं, जिन्हें वे समाज का मल समझते हैं। यदि वे ब्राह्मण का अपराध करें तो उन्हें पीटना चाहिए और अर्थदड कभी नहीं देना चाहिए।²⁴⁰ यही विषयान नारद ने श्वप्नों में, चढ़ालों, हस्तियों (महावतों) दासों जादि के लिए किया है।²⁴¹ नारद ने इतना और कहा है कि इन मामलों में अपराध से पीड़ित व्यक्ति स्वयं अपराधी को दड़ दें, क्योंकि अपराधी को दिए जानेवाले दड से राजा को कोई मतलब नहीं है।²⁴² यह राजकीय शक्ति के द्वास का महत्वपूर्ण सकेत है। यदि कोई ब्राह्मण शूद्र का दुर्व्यवन कहे तो उसे साढ़े बारह पण का दड दिया जाए। यह नियम इस काल की स्मृतियों में भी दुहराया गया है।²⁴³ किंतु वृहस्पति ने यह भी कहा है कि यह नियम गुणवान शूद्रों के विषय में ही लागू होता है, गुणहीन शूद्रों का दुर्व्यवन कहने के लिए ब्राह्मण दड़नीय नहीं है।²⁴⁴ सम्भवतया यह अस्मृश्य शूद्रों के विषय में कहा गया है जिनके लिए ऐसे विषयों में विधि में कोई परिनाम नहीं है। किंतु इस विषय में शूद्रों के अन्य वर्गों को उच्च वर्ण के लोगों द्वारा किए गए अपराध के विरुद्ध कानूनी भुरकाप्राप्त थी।²⁴⁵

यद्यपि यह कहा गया है कि शूद्रों को शारीरिक दड दिया जाए, तथापि वृहस्पति ने वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण को दुर्व्यवन कहने के लिए विहित दडों की जो तालिका दी है उसमें इसका कोई सकेत नहीं मिलता है।²⁴⁶ फाहियान ने लिखा है कि मध्य देश में राजा मृत्युदड या अन्य शारीरिक दड दिए बिना ही शासन करता था।²⁴⁷ यह अत्युक्ति हो सकती है, किंतु भी इससे यह व्यनित होता है कि शारीरिक दड का प्रचलन पूर्व की तुलना में कम हो गया था जिससे शूद्रों का कल्याण हुआ। याजवल्य वर्जमूलक विद्यान का सिद्धात तो भानते हैं,²⁴⁸ फिर भी उन्होंने शूद्र अपराधियों के लिए मनु के कूर दडविधान को दुहराया नहीं है। उनके हमला सबधी एक ग्रन्थ में वर्णभेद का आभास नहीं है। उन्होंने कहा है कि यदि दोनों पक्ष अस्वप्रहार की घमकी दें तो सबको समान दड पिलेगा।²⁴⁹ किंतु यदि कोई अब्राह्मण ब्राह्मण को पीड़ित करे तो उसका अग काट लिया जाएगा।²⁵⁰ यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह नियम ब्राह्मण पर हमला करनेवाले शूद्रों पर भी लागू था या नहीं।

विष्णु ने अपनी जाति की परस्त्री का संग करने पर उत्तम कोटि के दड का और निम्नतर जाति की परस्त्री का संग करने पर मध्यम कोटि के दड का विधान किया है।²⁵¹ परतु यह अदभुत बात है कि उन्होंने अत्यज स्त्री से संभोग करने पर सीधे मृत्युदण्ड का विधान कर दिया है²⁵² (बशर्ते कि वहाँ 'वध' शब्द पिटाई के अर्थ में 'मृत्यु न माना जाए)। परतु यह उनके अपने ही एक दूसरे विधान के विरुद्ध है, जिसके अनुसार यदि कोई ब्राह्मण चड़ाल स्त्री से एक रात संभोग करे तो तीन वर्षों तक भिक्षाटन पर जीने और निरतर गायत्री जपने से शुद्ध होगा।²⁵³ किंतु यह द्रष्टव्य है कि द्विजाति स्त्री का संग करने पर शूद्र के लिए भनु ने जो कठोर दड विहित किया है, वह इस काल की किसी भी विधि सहित में नहीं पाया जाता।

इस काल के विधिश्रथों में विभिन्न वर्णों के वय के लिए प्रतिकार का भित्र भित्र मानदण्ड विहित नहीं किया गया है। फिर भी विष्णु ने हत्या के पाप के लिए प्रायशिचत के भित्र भित्र मानदण्ड विहित किए हैं। ऐसे, ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की हत्या के पाप की शुद्धि के लिए क्रमशः 12, 9 और 3 वर्ष महाव्रत नामक तप करना है।²⁵⁴ इसका कोई प्रमाण तो नहीं मिलता है कि ऐसे प्रायशिचत वस्तुतः कराए जाते थे, किंतु इससे प्रकट होता है कि घारों वर्णों के जीवन का आपेक्षिक महत्व क्या था। परतु विष्णु और याज्ञवल्क्य क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के वय को चतुर्थ कोटि का अपराध (उपपातक) मानते हैं,²⁵⁵ और विष्णु के अनुसार अपराधी को चाद्रायण या पराक नामक व्रत या गोमेय यज्ञ करना चाहिए।²⁵⁶ इस तरह के उपवय से शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय एक कोटि में आते हैं और ब्राह्मण को उन सबों से विशिष्ट स्थान मिलता है। शातिर्पव के एक हस्तलेख में पाए जानेवाले एक सदर्भ से भी यह वित्तदृष्टि लक्षित होती है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र ब्रह्महत्या करे तो या तो उसकी ओर्हें निकाल ली जाएँ या उसे मार दिया जाए, किंतु यदि कोई ब्राह्मण ऐसा अपराध करे तो देश से निष्कासित कर दिया जाए।²⁵⁷ उसी हस्तलेख के एक दूसरे सदर्भ में कहा गया है कि जो ब्राह्मण पापकर्म करनेवाला हो और हत्यारा हो या विद्रोह के दीप चोर हो तथा जो क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र ब्राह्मण की हत्या का अपराधी हो, उसकी ओर्हें निकाल ली जाएँ।²⁵⁸ इस प्रकार यहाँ दड में वर्ण भेद नहीं किया गया है।

प्रतीत होता है कि दडविधान में वर्णभेद गुप्तकाल में कमज़ोर हो चला था। पश्चिम भारत के छठी शताब्दी के एक उत्कीर्ण लेख में मानवानि हमला और हिंसा के लिए वर्णनुसार दडों का उल्लेख नहीं है।²⁵⁹ फाहियान ने बताया है कि मध्य देश में हर अपराधी को उसके अपराध के गुरुत्व के अनुसार दड दिया जाता था,²⁶⁰ जिससे घनित होता है कि अपराधी को उसके वर्ण के अनुसार दड नहीं दिया जाता था। हो सकता है कि दडविधान में ब्राह्मणों के प्रति कुछ अनुग्रह किया जाता हो, किंतु जिस प्रकार पूर्वकाल में

कठोर दड केवल शूद्रों के लिए थे, वैसा इस काल में हम नहीं पाते हैं।

नारद ने इस पुराने पत को अपनाया है कि घोरी करने पर ब्राह्मण का अपराध सबसे अधिक और शूद्र का अपराध सबसे कम माना जाएगा।²⁶¹ यह शामद इस सिद्धात पर आधारित है कि ब्राह्मण को वर्ष के चारों चरणों (पूरी मात्रा) का पालन करना है, क्षत्रिय को तीन चरणों का, वैश्य को दो चरणों का और शूद्र को एक चरण का। चारों वर्णों के प्राप्यशिवत के लिए पाप का गुण्ठन या लपुत्र इसी सिद्धात पर निर्धारित किया जाना चाहिए।²⁶² कात्यायन ने जो यह कहा है कि शूद्र के लिए जो दड है, क्षत्रिय या ब्राह्मण को उसका दूना दड मिलना चाहिए,²⁶³ उसका भी तात्पर्य घोरी से ही रहा होगा। यहाँ वैश्यों का उल्लेख न होना इस बात का सूचक है कि वे शूद्रों में समाविष्ट होते जा रहे थे। किंतु इन सबों से यह लक्षित होता है कि शूद्र स्वभावतया चोर समझे जाते थे, और इस अनुमान का समर्थन अमरकोश से भी होता है जहाँ घोरों और दस्युओं के पर्याय शूद्र वर्ग में गिनाए गए हैं।²⁶⁴

दस्युओं का उल्लेख शातिपर्व में राजा के शत्रु और प्रजा की सुख शाति पर खतरा पहुँचानेवाले के रूप में बारबार किया गया है।²⁶⁵ सभवतया इसका संकेत राज्य के बाहरी शत्रुओं की ओर है, न कि शूद्रों की ओर, क्योंकि कहा गया है कि यदि दस्युओं के उत्पात से वर्णों के मिश्रण की आशका हो तो ब्राह्मण वैश्य और शूद्र सभी शस्त्र ग्रहण कर सकते हैं।²⁶⁶ यह तर्क दिया गया है कि शूद्र हो या और कोई वर्ण जो सेतुहीन धारा में सेतु का काम करे, पार होने के साथनों के अभाव में तरणि का काम करे वह अवश्य ही सर्वत्र पूजनीय है।²⁶⁷ जो व्यक्ति दस्युओं से असहायों की रक्षा करे वह स्वजनवत् सबके लिए आदरणीय है।²⁶⁸ शत्रुर्द सहिता²⁶⁹ में कहा गया है कि तीन ऊँचे वर्णों के लोग सामान्यतया शस्त्र ग्रहण कर सकते हैं, किंतु शूद्र केवल आपतकाल में ही ऐसा कर सकता है।²⁷⁰ लेकिन उसमें आगे यह भी कहा गया है कि ब्राह्मण शत्रुष का प्रयोग करें, क्षत्रिय तत्त्वावार का वैश्य वर्छे का और शूद्र गदा का।²⁷¹ इस प्रकार उपर्युक्त सदभौं से सिद्ध होता है कि शूद्रों को शस्त्र ग्रहण करने का अधिकार दे दिया गया था। इससे शूद्रों की नागरिक प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण परिवर्तन की सूचना मिलती है क्योंकि पूर्व काल के सृतिकारों ने उन्हें शस्त्र ग्रहण की अनुमति नहीं दी थी। यह नवीन परिवर्तन शूद्रों के कृषक वर्ग के रूप में परिणत होने के साथ साथ हुआ और यह सिद्ध करता है कि वर्णव्यवस्था के अनुयायियों के हृदय में अब पहले की यह आशका नहीं रही कि शूद्र उनके कावृ से कहीं बाहर हो जाएँगे। मातृम होता है कि शूद्र सेना में भरती किए जाते थे। इस काल के एक गाटक में दो सैनिक पदाधिकारी क्रमशः नाई और बधार जाति के हैं।²⁷²

परतु शूद्रों के प्रति किए गए इन अनुग्रहों के बावजूद इन वर्णों के बीच भीतरी संघर्ष

का अत न हुआ। शातिपर्व में कम से कम भी ऐसे श्लोक हैं जिनमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच मेलभिलाप की आवश्यकता पर जोर दिया गया है²⁷³ जिससे शायद यह सूचित होता है कि वैश्य और शूद्र वर्ग समुक्त रूप से विरोध के लिए सज्जद्ध थे। कहा गया है कि एक बार शूद्रों और वैश्यों ने जान बूझकर ब्राह्मणों की स्त्रियों का सग करना शुरू किया।²⁷⁴ कई ऐसे प्रसंग आए हैं, जिनसे घटित होता है कि शूद्र विशेष रूप से वर्तमान समाजव्यवस्था के विरोधी थे। अनुशासनपर्व में कहा गया है कि शूद्र राजा के नाशक होते हैं, इसलिए चतुर राजा को इस खतरे के प्रति लापरवाह नहीं रहना चाहिए।²⁷⁵ अश्वमेधिक पर्व के एक तबे परिच्छेद में जो अशत वस्तिष्ठ शर्मशास्त्र से उद्धृत है, शूद्रों को शत्रु, हिंसक, अहकारी क्रोधी मिथ्याभावी परम लोभी, कृतधन, नास्तिक, आलसी और अपवित्र कहा गया है।²⁷⁶ इसी प्रकार, मनु की भाँति शातिपर्व में कहा गया है कि वृपल (अर्थात् शूद्र) वह है जो धर्म (स्थापित समाज व्यवस्था) का विरोध करे।²⁷⁷ शूद्रों के विरोधी रूख का आभास नारद सृष्टि के एक श्लोक में भी भिनता है। इसमें कहा गया है कि यदि राजा दड़ का प्रयोग न करे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी अपना अपना कर्तव्य त्याग देंगे किंतु इसमें शूद्र तो सबसे आगे बढ़ जाएंगे।²⁷⁸ याज्ञवल्य ने कौटिल्य के इस वचन को दुहराया है कि यदि शूद्र दूसरों की आँखें निकाले,²⁷⁹ ब्राह्मण होने का पाखड़ करे और राजविरोधी कार्य करे तो उस पर 800 पण जुर्माना किया जाए।²⁸⁰ नट, जुआरी, जुआघर घलाने वाले आदि शूद्र राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न करनेवाले माने जाते थे क्योंकि वे भद्र नागरिकों (भद्रिका प्रजा) का अपकार करते थे।²⁸¹ शातिपर्व में कहा गया है कि दासों और म्लेच्छों के साथ निषटने की जिम्मेदारी एक ही प्रकार के अधिकारी को दी जाए और चढ़ालों व म्लेच्छों के प्रति बतप्रयोग किया जाए।²⁸² इन बातों से घनित होता है कि शूद्रों और शासक वर्गों के बीच पुराना सर्वधर्म किसी न किसी रूप में बना रहा, पर इसकी पुरानी तीव्रता जाती रही। सभवतया इन कारणों से—शूद्र क्षत्रियों का रखा जाना, जिला प्रशासन के कार्यों में शिल्पियों के प्रथानों को सहयोगित करना न्याय में वर्णमूलक भेदभाव में न्यूनता आना और अत में सकट की घड़ी में शूद्रों को हथियार उठाने का अधिकार मिलना।

चारों वर्णों की उत्पत्ति की पुरानी कहानी²⁸³ तो पूर्ववत् दुहराई जाती रही किंतु न कु और ब्रह्माड प्रत्याणां में मनु के इस कथन का समर्थन किया गया है कि शूद्रों के मूल पुरुष वसिष्ठ थे²⁸⁴ जिसका अर्थ हुआ कि उनकी सुधरी सामाजिक प्रतिष्ठा की मान्यता कायम रही।

सफेद लाल, पीला और काला—इन चार रंगों का सबध जो क्रमशः ब्राह्मणादि चार वर्णों से जोड़ा गया है वह वर्णों की सापेक्षिक सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक है।²⁸⁵ नटों अर्थात् अभिनेताओं का वर्णन करते हुए नारदशास्त्र में कहा गया है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय

के लिए तात परिधान होना चाहिए²⁸⁶ और वैस्य व शूद्र के लिए काला या श्याम²⁸⁷ इस ग्रथ में यह भी कहा गया है कि प्रेषागृह में ब्राह्मणों का स्थान सूचित करने के लिए एक श्वेत स्तम्भ घड़ा किया जाए, शत्रियों का स्थान सूचित करने के लिए तात स्तम्भ वैस्यों का स्थान सूचित करने के लिए पीला स्तम्भ और शूद्रों का स्थान सूचित करने के लिए श्याम स्तम्भ।²⁸⁸ ब्राह्मण स्तम्भ के तल भाग में सोने के आभूषण ढाले जाएं, शत्रिय स्तम्भ के तल भाग में ताप के, वैश्यों के स्तम्भ के तल भाग में धाँदी के, और शूद्र स्तम्भ के तल भाग में लोहे के।²⁸⁹ यह कल्पना स्लेटो द्वी उस कल्पना से मिलती है जिसमें कहा गया है कि दार्शनिकों का निर्माण स्वर्ण से हुआ, सैनियों का धाँदी से तथा मृद्युकों और शिल्पियों का पीतल और लोहे से।²⁹⁰

शूद्रों का ही उपनाम दास होना चाहिए²⁹¹ इस नियम का अनुसरण शायद नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ रविकीर्ति नामक ब्राह्मण के एक पूर्वज का नाम दराहदास था,²⁹² और चद्रगुप्त द्वितीय के सामत सनकारिकों के एक शाराक का नाम महाराज विष्वुदास था।²⁹³ नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि नाटक में ब्राह्मणों और शत्रियों के नाम अपने गोप और कर्म के सूचक, दणियों के नाम उनकी उदारता के सूचक और सेवकों के नाम विभिन्न पुर्णों के सूचक होने चाहिए।²⁹⁴ मालूम नहीं शूद्रों का नाम फूल पर क्यों रखा जाता था।

कुशल पूछने में विभिन्न वर्णों के विषय में विभिन्न शब्द के प्रयोग का जो नियम था उस पर इस काल में जोर दिया गया नहीं जान पड़ता। किंतु नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि दासी दासों, शिल्पियों और यात्रियों के साथ बातचीत करने में उन्हें आज्ञावादक शब्दों से सबोधित किया जाना चाहिए।²⁹⁵ इससे यह सूचित होता है कि निम्न जाति के लोग अनादरपूर्वक सबोधित किए जाते थे। मृद्युक्लटिक नाटक में अधम वर्ग के लोगों के सबोधन में 'दासी के बेटे', 'रहैत के बेटे', 'जार के बेटे आदि गालियों का प्रयोग किया गया है।²⁹⁶

नाट्यशास्त्र में भी मदस्थ नीच पात्रों का वित्रण करते हुए उनके लिए भिन्न प्रकार के पद संघार और अग संघार का विधान किया गया है। इस विधान के अनुसार ऐसे पात्रों के शरीर का कोई भाग या भाषा या हाथ अथवा पाँव झुका रहना चाहिए और उनकी नजर विभिन्न वस्तुओं पर फिरती रहनी चाहिए।²⁹⁷ ऐसी भगिमाओं से उनमें आत्मबल का अभाव झलकता है और यह सिद्ध होता है कि उन्हें अपने प्रभुओं के समस सिर ऊपर उठाने की गुस्ताखी नहीं करने दी जाती थी।

ब्राह्मवल्मीय ने कहा है कि वयोवृद्ध शूद्रों का आदर करना चाहिए।²⁹⁸ पूर्व के स्मृतिकारों की भाँति इन्होने इस बात पर जोर नहीं दिया है कि यदि वैश्य और शूद्र अतिथि

होकर जाएँ तो उनसे काम कराया जाए और उर्हे शूद्रों के साथ खिलाया जाए। फिर भी इन्होंने यह विधान किया है कि अतिथियों का सत्कार और उनका भोजन उनके वर्ण के अनुरूप होना चाहिए²⁹⁹ परंतु इन्होंने जो कहा है कि शाम के समय आए अतिथि को जाने नहीं दिया जाए और जो भी कुछ समव बो, उससे उसका सत्कार करना चाहिए³⁰⁰ वह किसी वर्ण विशेष तक ही सीमित नहीं है। वेश्वदेव अनुष्ठान के बाद चडालों को खिलाने का जो नियम शर्मसूत्र में या वह इस युग में भी दुहराया गया है,³⁰¹ और इसमें चडाल के साथ दास शवाक और भिखारी का भी उल्लेख है³⁰²

इस बाल के ग्रन्थों में बार बार कहा गया है कि ब्राह्मण को शूद्र का अत्र नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे ब्रह्मवर्चस् (आध्यात्मिक बल) घटता है³⁰³ शातिपर्व में बढ़ई, चर्मकार, धोबी और रजक का अत्र ब्राह्मण के लिए निषिद्ध बताया गया है³⁰⁴ याज्ञवल्य के अनुसार शूद्रों और पतितों का अत्र स्नातकों के लिए अज्ञाद्य है³⁰⁵ उन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि स्नातक को राजीवी, बाँस का काम करनेवाले, स्वर्णकार, शस्त्रविक्रेता शिल्पी, दर्जी, रगेज, कुत्तों से जीविका चलानेवाले, कसाई, धोबी या तेली का अत्र नहीं ग्रहण करना चाहिए³⁰⁶ कई शूद्रों के अत्र को शत्रिय के लिए भी अज्ञाद्य करने की परपरा चली। कहा गया है कि जो शूद्र कुमारांगामी और सर्वभक्षी हों उनका अत्र शत्रिय के लिए भी वर्जनीय है³⁰⁷ अनुशासनपर्व घोषित करता है कि जो शूद्र का अत्र खाता है, वह धरती का मत खाता है, शरीर का विकार पीता है और समस्त संसार के कलुष का भागी होता है³⁰⁸ शायद ऐसा इसलिए कहा गया है कि ब्राह्मण ढरकर ऐसा करने से विरत रहे। जो ब्राह्मण शूद्र का अत्र ग्रहण करे या वैश्य और शत्रियों की पागत में खाए उसके लिए प्रायशित्त का विधान किया गया है³⁰⁹

शूद्रात्र के वर्जन सबसी नियम बहुत सीमित भात्रा में लागू होते हैं। वे या तो ब्राह्मणों पर लागू हे या स्नातकों पर, जो अधिकतर ब्राह्मण होते होंगे। ब्राह्मण को भी शूद्र के पर से दूष और दही लेने की अनुज्ञा है³¹⁰ यदि ब्राह्मण द्विजों से अत्र प्राप्त कर अपनी जीविका चलाने में असमर्थ हो तो वह शूद्र का अत्र भी ग्रहण कर सकता है³¹¹ याज्ञवल्य ने भनु के इस नियम को दुहराया है कि शूद्रों के बीच स्नातक अपने चरवाहे का परिवार के मित्र का दास का नाई का बटाईदार का, और भरण पोषण के लिए शरणापत्र व्यक्ति का अत्र ग्रहण कर सकता है³¹² वृहस्पति ने भी दासों और शूद्रों का अत्र ग्राद्य बताया है³¹³ शूद्र का उच्छिष्ट खाना या सूना द्विज के लिए धोर कुकर्म समझा जाता था और इसके लिए समुद्दित प्रायशित्त का विधान किया गया है³¹⁴

कोई प्रमाण नहीं मिलता कि चडालों और अन्य अछूतों बो छोड़कर कुछ शूद्र जातियों का पानी पीना निषिद्ध था। मृद्युलितिक में कहा गया है कि ब्राह्मण और शूद्र एक ही कुरैं

से पानी भरते थे³¹⁵

याज्ञवल्य ने कुछ वस्तुओं को द्विजों के लिए अखाद्य बताया है। द्विज को मध्य पीने वी अनुमा नहीं है। इस नियम का उल्लंघन करनेवाली ब्राह्मणी के लिए प्रायशिक्षण का विषयान है³¹⁶ किंतु विनानेश्वर के अनुसार यदि शूद्र की स्त्री मध्यपान करे तो उसके लिए कोई प्रायशिक्षण नहीं है³¹⁷ तगता है नशादोरी की बुराई शूद्रों में खास तौर से थी क्योंकि मध्यो उनके निर्माण की प्रक्रियाओं और नशा के वाघक शब्द अमर ने शूद्रवर्ग में ही गिनाए हैं,³¹⁸ और जुआ सबपी शब्द भी इसी वर्ग में परिगणित हैं³¹⁹ एवतन्न में एक मदमत जुलाहे का वित्रण है³²⁰ जो अपनी स्त्री को पीटता है। यानवल्य ने ऐसी गाय के दूष को अखाद्य बताया है जो गरमाई हुई या दस दिन के भीतर व्याई हुई हो या जिसका बछड़ा या बछिया भर गई हो उन्होंने ऊँट एक खुरवाले पशु, मठिला जगती पशु, या भेड़ के दूष का भी नियेष किया है³²¹ देवताओं के लिए अभिप्रेत वति (उपहार), हव्य (यज्ञ के लिए बना खाद्य) अनुत्सृष्ट (देवताओं को न समर्पित) मास कवक (फकूँद) मासभक्षी पशु, तथा कई पक्षी जैसे तोता हस वक चकवा इत्यादि द्विजों के लिए अखाद्य घोषित किए गए हैं³²² और कुछ विषयों में इस नियम के उल्लंघन के पाप को दूर करने के लिए प्रायशिक्षणों का भी विषयान है³²³ यानवल्य ने यह भी कहा है कि पचनन्धों (पाँच पजोवाले जानवरों) में साही घडियाल गोह, ककुआ और खरहा द्विजों के लिए भस्य है³²⁴ उन्होंने मूली, प्याज, सहसुन परेलू सूअर, कुकुरमुत्ता और गदना (धम्मोक्लन) खाना भी वर्जित किया है और इसका उल्लंघन करनेवालों के लिए चाद्रायण व्रत का प्रायशिक्षण बताया है।³²⁵ काहियान ने कहा है कि प्याज और सहसुन केवल चडाल खाते थे³²⁶ याज्ञवल्य कहते हैं कि जो व्यक्ति शूद्र को अखाद्य वस्तु खिलाए वह प्रथम कोटि के दड के आधे दड का पात्र होगा, और यह अपराध यदि उच्च वर्ण के लोगों के प्रति किया जाए तो दड और अधिक होगा।³²⁷ इससे ध्वनित होता है कि कुछ वस्तुएँ शूद्रों के लिए भी अभाद्य थीं किंतु इनका नामोल्ख्य याज्ञवल्य ने नहीं किया है। दूसरी ओर यह तो स्वतं सिद्ध है कि द्विजों के लिए जो वस्तुएँ अखाद्य बताई गई हैं उन्हें शूद्र खा सकते थे। द्रुहस्ति स्तुति में कहा गया है कि मध्य देश में कर्मकर (मजदूर) आर शिल्वी लोग गोमास खाते थे³²⁸ जिससे यह प्रकट होता है कि गोवध के विरुद्ध प्रबल ब्राह्मण भावना भी जनसाधारण में प्रचलित गोमास भक्षण की पुरानी प्रथा को रोकने में सदा समर्थ न हुई। इसका अनुमान एक उपदेशात्मक कथा से भी लगाया जा सकता है, जो सभवतया आलोच्य काल में वायुपुरुष में प्रक्षिप्त की गई है। कथा है कि एक बार मनु वैवस्थत के पुत्र पृथग्न ने अपने गुह की गाय का मास या लिया और इस पर व्यवन ने शाप दिया कि तुम शूद्र रो जाओ।³²⁹ इस आख्यान से प्रकट होता है कि

भोजन परिपाठी द्विजों की भोजन परिपाठी से कुछ मिल थी।

पारिवारिक जीवन के नियम शूद्रों के लिए भी ऐसे ही हैं, जैसे अन्य वर्ण के लोगों के लिए।³³⁰ किंतु शूद्रों में विवाह की अपनी यास परिपाठी पूर्ववत् बीच रही³³¹ अनुशासनवर्ष में कहा गया है कि द्विजों का विवाह मत्रपूर्वक पाणिग्रहण से समत्र होता है, किंतु शूद्रों का विवाह समोग से³³² एक जैन ग्रथ में चर्चा आई है कि तोसती में एक स्वपदर भवन में एक दासकन्या ने दासकुमारों की एक जमात से अपने पति का वरण किया।³³³ कई सदमों से व्यनित होता है कि शूद्रों के बीच उच्च वर्णों की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। यात्रालक्ष्य के एक श्लोक की व्याख्या करते हुए विश्वस्त्रप ने यह मत व्यक्त किया है कि सृष्टि ग्रथों में जो नियोग का विषयान है वह केवल शूद्रों के लिए है,³³⁴ और अपने इस मत के समर्थन में उसने वृद्ध मनु के दो श्लोक और लक्ष्मीष्वर की एक गाया उद्घृत की है।³³⁵ पति के दूर देश चले जाने पर विवाह विच्छेद करके दूसरा पति कर तेना शूद्र स्त्री के लिए अन्य वर्णों की स्त्री की अपेक्षा अधिक आसान था। ऐसी दशा में अनुशासनवर्ष ने शूद्र स्त्री के लिए प्रतीक्षा की अवधि केवल एक वर्ष विटित की है।³³⁶ परतु वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए प्रतीक्षा की अवधि विहित करते हुए नारद ने कहा है कि विदेश गए शूद्र की स्त्री के लिए प्रतीक्षा की कोई अवधि निर्धारित नहीं है।³³⁷ यह उम्बव जो दुहराया गया है कि गोपालक तेली सूडी आदि की स्त्रियाँ अपने पति ढारा किए गए ब्राह्मण की अदायगी के लिए उत्तरदायी होती हैं।³³⁸ उससे प्रकट होता है कि ये शूद्र रितयाँ अपने जीवननिर्वाह के लिए हमेशा अपने मनों पर ज्ञानित नहीं रहती थीं।

विष्णु ने कहा है कि यदि युक्ती दो जाने के बाद भी कन्या विवाहित न हो तो वह पतित स्त्री समझी जानी चाहिए।³³⁹ टीकाकार नदराज ने कहा है कि यह नियम केवल निम्न वर्णों की युक्तियों के लिए है।³⁴⁰ किंतु मूल ग्रथ में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि ऐसा माना जाए।

उच्च वर्णों के लोग निम्न वर्णों से कन्या ले सकते हैं यह मत इस काल के ग्रथों में भी व्यक्त किया गया है।³⁴¹ किंतु यह भावना भी बनी रही कि अंगम वर्ण अर्थात् शूद्र जाति की स्त्रियों केवल आनन्द के लिए व्याही जाती है।³⁴² क्षत्रियालक्ष्य ने कुभदासिमो (पनहारिनों या वैश्याओं) तथा धोबी और जुलाहे की स्त्रियों को वैश्याओं से मिल नहीं माना है।³⁴³ इस ग्रथ के अनुसार शूद्र स्त्री के साथ समोग करना मना तो नहीं है लेकिन उसे बहुत अच्छा भी नहीं माना जाता।³⁴⁴ वात्यायन ने अपने ही वर्ण में विवाह को प्रशासनीय बताया है।³⁴⁵ इस काल के ग्रथों में विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए शूद्रा से विवाह करना या उसके साथ

सभोग करना या उससे पुत्र उत्पन्न करना परम निदनीय बताया गया है ।³⁴⁶ परंतु इस नियम के उल्लंघन के कई उदाहरण मिलते हैं। मृच्छकटिक नाटक में चाठदत्त नामक ब्राह्मण ने वसन्तसेना नामक वैश्या से विवाह किया है, हालांकि यह विवाह राजा की विशेष अनुमा से हुआ है ।³⁴⁷ इसी नाटक में शर्वितक नामक ब्राह्मण का विवाह मदनिका नाम की दासी से कराया गया है ।³⁴⁸ इस काल के साहित्य में ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहाँ सत्रियों ने शूद्रा से विवाह किया है ।³⁴⁹

विभिन्न उच्च वर्णों के बीच आपस में विवाह की परिपाटी पूर्णतया समाप्त नहीं हो गई थी, यह बात वर्णसकरों की उत्पत्ति के पुराने सिद्धात के आवर्तन से घनित होती है ।³⁵⁰ अनुशासनपर्व में पद्म पुरानी सकर जातियों गिनाई गई है ।³⁵¹ और चार नई जातियों का उल्लेख किया गया है —भस, स्वादुकर शौद्र और सौण्य जो मागधी माता और क्रमशः चार वर्णों के दुष्ट पिता से उत्पन्न बताए गए हैं ।³⁵² इर्मे एक मद्रनाभ जाति का भी उल्लेख है और कहा गया है कि ये लोग निषाद से उत्पन्न हैं और ग्रन्थों की गाड़ी पर घडने हैं ।³⁵³ द्रात्य का उल्लेख अपने कमों से च्युत द्विजों के रूप में नहीं किया गया है बल्कि यह कहा गया है कि सत्रिय स्त्री और शूद्र पुरुष से उत्पन्न सतान द्रात्य है, ।³⁵⁴ और उसे चढ़ालों की कोटि में रखा गया है ।³⁵⁵ यह भी कहा गया है कि दैय का जन्म वैश्य माता और शूद्र पिता से हुआ है। पूर्व काल में दिक्षितसकों की इज्जत कितनी कम थी यह इसका एक अचल उदाहरण है। अमरकोश में एक नवीन जाति माहिष का उल्लेख है, जो वैश्य स्त्री (अर्पी) से उत्पन्न सत्रिय की सतान बताया गया है ।³⁵⁶ सभवतया वे महिलाओं के समान ये जिन्हें द्रविड़, कर्त्तेग, पुलिन्द उशीनर, कोलिसर्प, शक यवन और काम्बोज के साथ पतित शूद्र बताया गया है ।³⁵⁷ यद्यपि वर्णों के मिश्रण से जातियों की उत्पत्ति की कहानी मनगढ़त है, तथापि इस काल में आकर इस अनुश्रुति ने सामाजिक विकास की दिशा को प्रभावित किया है, क्योंकि वर्तमान काल में भी असर्वण विवाह के उदाहरण पूर्वी नेपाल में पाए जाते हैं। इस काल के स्मृतिग्रन्थों में शूद्रों और अशूद्रों के बीच पूर्ववत् अतर रखा गया है, यथा याज्ञवल्क्य कहा है कि चडाल स्त्री के साथ सभोग करने से शूद्र चडाल हो जाता है ।³⁵⁸ शूद्रों और श्वप्नाकों का पृथक रूप में उल्लेख कई ग्रन्थों में मिलता है ।³⁵⁹ किंतु अमरकोश में वर्णसकरों और अस्पृश्यों को शूद्र जाति का ही अग माना गया है। इस ग्रन्थ के शूद्रवर्ग में दस सकर जातियों गिनाई गई हैं, जैसे करण, अच्छल उद्ग्र (सभवतया उग्र) मागध, महिष कन्तु, सूत, वैदेहक रथकार और चडाल ।³⁶⁰ सेकिन वैदेहक (व्यापारी) का उल्लेख वैश्यवर्ग में भी किया गया है ।³⁶¹

अमर ने चढ़ालों के दस नाम दिए हैं— उनमें प्लव दिवाकीर्ति जनगम आदि कई जातियों का उल्लेख पूर्व काल के ग्रन्थों में विरत है, ।³⁶² जिससे प्रकट होता है कि चडाल

जाति की जनसंख्या बढ़ी। इसका अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि चडालों का उल्लेख पूर्व काल के ग्रीक लेखकों ने नहीं किया, जबकि इस और फाहियान का व्यान विशेष रूप से आकृष्ट हुआ।³⁶³

डोम्ब, जिस जाति के लोग परवर्ती काल में उत्तर भारत में बहुत बड़ी तादाद में असूत माने गए, सभवतया गुप्तकाल में जाति के रूप में आविर्भूत हुए। जैन स्रोत उन्हें उपेक्षित वर्ग का मानते हैं।³⁶⁴ शायद ये एक आदिवासी कबीले (जन) के लोग थे, जो ब्राह्मणीय समाज के निवाले वर्गों में मिला लिए गए। किरात, शबर और पुलिद, ये वन्य जातियाँ घोट्ठों के साथ साथ अमरकृष्ण में शूद्र वर्ग में समाविष्ट की गई हैं।³⁶⁵ जिससे प्रकट होता है कि आदिवासी जनसमुदाय बड़ी संख्या में शूद्र समुदाय में लीन होते जा रहे थे।

प्रतीत होता है कि इस काल में न केवल अस्पृश्यों की संख्या में वृद्धि हुई, बल्कि अस्पृश्यता की प्रथा भी कुछ दृढ़ हुई। वृहस्पति ने चडालों के स्पर्श से होनेवाली अपवित्रता (पाप) को दूर करने के लिए प्रायशित्य का विधान किया है।³⁶⁶ फाहियान ने बताया है कि जब कोई चडाल किसी नगर या बाजार के भीतर प्रवेश करता था तो वह एक लकड़ी को पीटता चलता था, ताकि लोग पहले ही समझ जाएं कि चडाल आ रहा है और उसके स्पर्श से बचने की कोशिश करें।³⁶⁷ मार्कण्डेय पुराण में ऐसे व्यक्तियों के लिए भी प्रायशित्य कर्म का दिपान है, जिनकी तजर किसी अत्यंत या अत्यावसायिन पर जाए।³⁶⁸ किंतु इस अस्पृश्यता नियम का पालन मुख्यतया चडाल के विषय में किया जाता था। ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है कि डोम्ब अस्पृश्य माने जाते थे। इसी प्रकार इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि चर्मकार, जो परवर्ती काल में असूत समझे जाने लगे, इस काल में भी वैसा माने जाते थे।

इन सकर जातियों और असूतों की आजीविका के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। मनु का यह नियम कि इन जातियों की पहचान इनके पेशों से की जाए, अनुशासनपर्व में भी दुहराया गया है।³⁶⁹ चडालों का पेशा सड़कों गलियों की सफाई करना शमशान का काम करना, अपराधियों को फाँसी पर लटकाना और घर में चोरों का अनुसंधान करना पूर्ववत जारी रहा।³⁷⁰ शिकार निष्पत्तीय शूद्रों का एक प्रमुख पेशा था। बड़े कौटूहल की बात है कि अमरकृष्ण में शूद्रवर्ग में न केवल बाजों और शिकारियों के पर्याप्त ही नहीं गए हैं,³⁷¹ बल्कि साधारण कुत्ते शिकार के लिए प्रशिक्षित कुत्ते घरेलू सूअर और दाहिनी और घायल हिरण के भी पर्याप्त आए हैं।³⁷² इसी वर्ग में विडियों को फैसाने के फदे जान रस्ती और पिंतरे का भी उल्लेख किया गया है।³⁷³ फाहियान ने बताया है कि चडाल लोग मधुवे और शिकारी होते थे तथा मास बेवते थे।³⁷⁴ किंतु कलिनास ने चडालों का उल्लेख बहेत्रियों और मधुओं से मित्र रूप में किया है, हानौकि ये

सब एक ही वर्ग के हैं 375 इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में घड़ाल मूलतया शिकारी नहीं होते थे, किंतु शिकार उनका एक गौण व्यवसाय रहा होगा। एक जैन ग्रथ में बताया गया है कि भेद जन दिन रात तीर घनुम से शिकार करते रहते थे 376 यह भी पता चलता है कि श्वपाक कुत्तों का मास पकाते थे और घनुम की तांत बेकते थे 377

इन वर्णणकर्तों और खासकर घड़ालों के दीति दिवाजों और पर्मिक विश्वासों के विषय में कुछ जानकारी मिलती है। ये सकर जातियाँ गाँव के बाहर बसती थीं और इनमें लोहे के गहनों का प्रबलन था 378 एक घड़ाल का वर्णन कुत्तों और गधों द्वारा उड़ाई गई धूलि से पूर्सरित रूप में किया गया है 379 फाहियान ने बताया है कि घड़ाल ही मध्य पीते थे और लड़सुन प्याज खाते थे, 380 जिससे सूचित होता है कि वे यासतीर से इन वस्तुओं के व्यसनी होते थे। बहेनिया और शिकारी होने के कारण स्वभावतया वे मासभारी होते थे 381 एक बोद्ध ग्रथ में कहा गया है कि जो मास खाता है, वह पुन पुन घड़ालों पुक्कुसों, और ढोम्बों के कुल में जन्म लेता है 382 आगे पुन कहा गया है कि जब कोई कुत्ता मास खाने के इच्छुक पुठों को दूर से भी देखता है तो वह ऐसा सोचकर आतंकित हो उठता है कि ये मुझे भी मार डालेंगे 383

प्रतीत होता है कि लोगों के मनोरजन के लिए गीत गाना सभवतया डोम्बो का महत्वपूर्ण पैशा था 384 वे गीत गा गाकर और डगार, सूप आदि बेचकर अपनी जीविका चलाते थे 385 अमृतकोश में शूदरवर्ग में एक प्रकार की ग्राम्य वीणा, घड़ालिका का उल्लेख है, 386 जिससे सूचित होता है कि सार्वजनिक मनोरजन में घड़ालों का भी हाथ रहता था।

डोम्बो और मातगों के अपने देपता होते थे जो यश (जश्व) कहलाते थे 387 मातगों के जक्खों का पूजास्थल सद्य मृत मनुष्यों की हड्डियों पर बनाया जाता था 388 यह परिपाटी शायद इसलिए चली कि घड़ाल प्राय श्शशानों से अनुबद्ध रहते थे।

अमूर्तों और खासकर घड़ालों का वर्णन बड़े नियम स्वरूप में किया गया है। कहा गया है कि अपविनता (अशुद्धि), असत्य, चोरी, नास्तिकता, निरर्थक कलह, काम, ब्रोथ और लोभ अत्मावसायिनों के लक्षण हैं 389 घड़ता (अर्थात उप्रता) घड़ालों के घरित्र की विशेषता है। मुख्यकल्पिक में घड़ाल कहते हैं कि हम घड़ाल कुल में उत्पन्न होकर भी घड़ाल नहीं ह क्योंकि घड़ाल और पापिठ वे हैं जो निरपराप का गता काटते हैं 390 एक बोद्ध ग्रथ में कहा गया है कि यदि कोई ब्राह्मण सत्य सन्यास, दम (इत्रिय निग्रह) और भूत दया से रहित हो तो वह घड़ाल के तुल्य है 391 ऐसे ही आशय से यह भी कहा गया है कि गादों और ब्राह्मणों की सेवा करने से, अकूरता दया सत्यवादिता और क्षमा का जाचरण करने से और अपनी जान लगाकर दूसरों की जान बचाने से अत्यज भी सिद्धि पा सकते हैं 392 393

सर्वप्रथम शालिपर्व में घोषणा की गई है कि चारों वर्णों को वेद सुनाना चाहिए 394 और शूद्र से भी जान प्राप्त करना चाहिए 394 यह विद्यान मनु के विधानों के निलात विन्द्य

है जिन्होने ऐसे मामलों में कठोर दड़ बताया है। शांतिपर्व का यह उपदेश शूद्रों के वेद पढ़ने के अधिकार के दिरुद्ध बद्धमूल पारणा के कारण अनसुना कर दिया गया होगा,³⁹⁵ परंतु इतिहास पुण्य पढ़ने के द्वार शूद्रों के लिए वस्तुत खोल दिए गए। भागवतपुराण में कहा गया है कि स्त्रियों और शूद्रों के लिए महाभारत ही वेद है³⁹⁶ यहाँ यह स्पष्ट नहीं कहा गया है कि शूद्र महाभारत पढ़ भी सकते थे या केवल सुन सकते थे। लेकिन पुराणों के विषय में भविष्यपुराण बताता है कि शूद्र इन्हें पढ़ नहीं सकते हैं, केवल सुन सकते हैं³⁹⁷ सतुर्पदेश और मोक्ष के लिए सभी वर्गों के लोगों को पुराण और रामायण महाभारत की कथा सुनाने की धार्मिक परिपाठी शायद गुप्तकाल से ही चली है।

विद्या की दूसरी शाखा है नाट्यशास्त्र जिसका द्वार शूद्रों के लिए खुला हुआ था। यह पद्यम वेद कहा गया है, जो चारों देवों के सार से रचा गया है और जिसका उपयोग सभी जातियों के लोग कर सकते हैं³⁹⁸ इतना ही नहीं योग³⁹⁹ और सात्य⁴⁰⁰ दर्शन भी जो सभवतया गुप्तकाल में ही अपने चरम रूप में विकसित हुए थे, शूद्रों के लिए वर्जित नहीं थे।⁴⁰¹ यह तथ्य कि सात्यदर्शन के अनुसार चार प्रमाणों में एक प्रमाण वेद भी है, उस दर्शन की दृष्टि से असंगत नहीं मातृपूर्ण पड़ता है क्योंकि वह सभी जातियों के लिए सुलभ है। इसी तरह वैदिक उद्धरणों से भरे इतिहास (रामायण-महाभारत) भी शूद्र समान रूप से सुन सकते हैं⁴⁰²

गुप्तकाल में भी कई शिक्षित शूद्रों के उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। मानवलक्ष्य के एक श्लोक से प्रकट होता है कि शूद्रकों के लिए भी अध्यापक होते थे⁴⁰³ मृव्यज्ञानिक में न्यायाधीश शकार को फटकारता है—‘अरे नीच, तुम वेद भी बात कर रहे हो और तब भी तुम्हारी जीभ नीचे न गिरी।’⁴⁰⁴ विद्वान् शूद्रों का अस्तित्व वद्वाद्वी से भी प्रमाणित होता है जिसमें वेद व्याकरण भीमासा, सात्य, वैरेणिक तथा आदि शास्त्रों के भाता शूद्रों की घर्या है।⁴⁰⁵ यह सदर्थ बौद्ध धर्मावलंबियों के बारे में नहीं बल्कि शूद्रों के बारे में है क्योंकि ब्राह्मणीय मुहावरे में बौद्धों को निर्दास्यरूप शूद्र कहा जाता था, बौद्धों के मुहावरे में नहीं। जायसदान ने कहा है कि बौद्ध ग्रंथों में विद्वान् और सकृद बोलनेवाले जिन शूद्रों की घर्या है वे शूद्र के गर्भ से उत्पन्न ब्राह्मणों के पुत्र थे।⁴⁰⁶ यह सम्बत है, फिर दो सकृता है कि शूद्रों के कुछ उप्रत वर्गों ने शिशा प्राप्त की हो और अपने बपु वर्गों के उत्थान के लिए धार्य किया हो।

फिर भी इसमें कोई संहेनहीं कि उच्च वर्णों की तुलना में शूद्रों का सास्कृतिक स्तर नीचे था। उदाहरण्य नाटकों में स्त्रियों और निन्न जाति के पात्र गेवारों की भाषा प्राकृत देतते थे जबकि उच्च घर्णों के पात्र शिक्षितों की भाषिकृत भाषा सकृद देतते थे।⁴⁰⁷ लेकिन नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि रानियों, वेश्याएँ और कलासार महिलाएँ परिदिश्यति के अनुसार सकृद बोल सकती हैं।⁴⁰⁸ कभी वभी प्राकृत द्वारा दिनिय बोत्तियों के प्रयोग में

भी जातीय स्तर का विचार किया जाता था, नाटकों में ऊँची हैसियत के पात्र सौरक्षेनी बोलते थे और नीच पात्र मागधी प्राकृत !⁴⁰⁹ नाट्यशास्त्र में घडालों पुल्कसों आदि विभिन्न जातियों और पेशों के पात्रों के लिए विभिन्न स्थानीय बोलियाँ (विभाषाएँ) विहित की गई हैं !⁴¹⁰ इन सबों से पता चलता है कि निम्न वर्गों को लिखने पढ़ने की शिक्षा नहीं दी जाती थी जिससे वे परिमार्जित भाषा संस्कृत बोल सकें।

कहा जाता है कि धनुर्वेद के आत्र के स्पष्ट रूप में शूद्र का वैदिक मत्रपूर्वक उपनयन संस्कार होता था,⁴¹¹ किंतु धनुर्वेद संहिता में इस संस्कार की घर्ता नहीं है। कारीगर के स्पष्ट में शूद्रों को व्यावसायिक और शिल्पिक प्रशिक्षण अपने ही परिवार में या किन्हीं बाहरी विशेषज्ञों से मिलता रहा होगा किंतु इस प्रशिक्षण में लिखने पढ़ने का कोई स्थान नहीं था। किर भी इतना स्पष्ट है कि गुटकाल के प्रथों में शूद्रों के विषय में न केवल उदार दृष्टिकोण ही आया है, बल्कि कुछ शिक्षित शूद्रों के अस्तित्व का प्रमाण भी मिलता है।

शूद्रों को धर्म कर्म का अधिकार नहीं है, यह पुरानी मायता इस काल में भी दुड़ाई गई है।⁴¹² इसमें यह तर्क दिया गया है कि उपर के तीन वर्णों की सेवा ही शूद्रों के लिए यत्न कर्म है।⁴¹³ इसी दृष्टि से नारद ने कहा है कि अभिषेक जल नास्तिनी ब्रात्यों और दासों को न दिया जाए⁴¹⁴ परतु विष्णु ने कहा है कि कुछ परिस्थितियों में शूद्र का अभिषेक द्वारा दिव्य करना पड़ता है।⁴¹⁵ शूद्रों की धार्मिक हैसियत में परिवर्तन के अन्य आभास भी मिनते हैं। शार्कण्डित पुराण ने दान देना और यज्ञ करना शूद्र का कर्तव्य कहाया है।⁴¹⁶ इसमें संदेह नहीं कि शूद्रों को पव यज्ञायन करने की छूट दी गई है।⁴¹⁷ भनु न तो स्पष्टतया ऐसा नहीं कहा है किंतु याज्ञवल्क्य ने साफ कर दिया है कि शूद्र (ओकार के बन्ते) 'नप का प्रयोग करते हुए पव यज्ञायन कर सकते हैं।'⁴¹⁸ हापिंस का यह कथन सही है कि यह घब्बन शूद्र के लिए नहीं है,⁴¹⁹ क्योंकि इस बात की अन्य स्रोतों से भी पुष्ट होती है।⁴²⁰ भनु ने यज्ञ दीक्षा को द्विज का एक जन्म माना है,⁴²¹ किंतु याज्ञवल्क्य के समानातर श्लोक में द्विजों के इस विशेषाधिकार का उल्लेख नहीं है।⁴²² यह याज्ञवल्क्य की उदार भनोवृत्ति के अनुसर ही है, जो शूद्रों को यज्ञ करने की अनुमति देते हैं। शालिष्वर्व में मुक्त कठ से कहा गया है कि ब्रह्मी (विद्वा) के अनुसार स्वाहाकार और नमस्कार मत्र शूद्र के लिए विहित है और वह औपचारिक स्पष्ट से दीक्षित होकर प्रथम दो मत्रों से पाकयज्ञ कर सकता है।⁴²³ इस सुधार के समर्थन में शूद्र पैज्यवन ने एक पाकयज्ञ किया और एक दिन में पूरा होनेवाले ऐद्वादिन नामक यज्ञ के नियमानुसार उसने सौ रुजार पूर्णपात्र (यावत से भरे कलश) दक्षिणास्त्रस्त्र दिए।⁴²⁴ यह हमें आधुनिक युग के समाजिक सुशारों की उस परिषट्टी की याद दिलाता है, जिसमें विषदा विवाह, तलाक आदि के भर्मर्थन में इसी तरह के प्राचीन उदाहरण ढूँढ निकाले गए। शूद्रों के लिए गृह्ण यज्ञ की छूट देते हुए शालिष्वर्व ने

यह महत्वपूर्ण बात कही है कि सभी वर्णों को यन करने का अधिकार है, बशर्ते उनमें श्रद्धा हो।⁴²⁵

शूद्रों को यन करने का अधिकार दिए जाने के एक महत्वपूर्ण उपाग के स्वरूप में उन्हें व्रतानुष्ठान का भी अधिकार दिया गया। याज्ञवल्क्य ने चान्द्रायण व्रत शूद्रों के लिए विहित किया है, जो स्पष्टतया इनके द्वारा प्रयुक्त भवकृष्ट शब्द के अर्थ के अतार्गत है।⁴²⁶ यह वचन प्रक्षिप्त माना जाता है,⁴²⁷ किंतु यह याज्ञवल्क्य की उदार मनोवृत्ति के अनुसूच ही है और इसी तरह का वचन वृहत्स्यति स्मृति में भी आया है जिसमें ब्राह्मण के यन्त्रोपवीत को तोड़ने के अपराधी शूद्र के लिए प्राजापत्य व्रत का प्राप्यश्वित बताया गया है।⁴²⁸

वृहत्स्यति स्मृति में शूद्रों के लिए कणविधन⁴²⁹ और चूडाकरण⁴³⁰ सत्कार विहित हैं। इनमें प्रथम का उल्लेख गृहसूत्रों में नहीं है, किंतु द्वितीय का विधान इनमें किया गया है।⁴³¹ मनु ने इसे केवल द्विजों के लिए विहित किया था,⁴³² जिसका विस्तार अब शूद्रों तक हो चला था।

कई ग्रंथों में सन्यास आश्रम शूद्रों के लिए वर्णित है। कालिदास ने रामायण में किए गए शूद्र तपस्वी शबूक के निंदन को दुहराया है।⁴³³ राम ने जो शबूक को प्राणदण्ड दिया इसकी उन्होंने प्रशासा की है और बताया है कि इस भृत्युदण्ड के परिणामस्वरूप उसने जो पुण्यत्साहों का पद प्राप्त किया उसे वह अपनी उग्र तपस्या से नहीं पा सकता था, क्योंकि तपस्या तो वह अपने दर्णधर्म के विरुद्ध कर रहा था।⁴³⁴ किंतु आश्रमों के साथ वर्णों के सदय के विषय में शातिपर्व की मनोवृत्ति कुछ भिन्न है। इसके अनुसार ब्राह्मण के लिए चारों आश्रम अनिवार्य हैं, किंतु अन्य वर्णों के लिए नहीं।⁴³⁵ अन्य तीन वर्णों के लिए सन्यास आश्रम वर्णित है।⁴³⁶ इसका अर्थ हुआ कि शूद्र यदि चाहे तो प्रथम तीन आश्रमों में प्रवेश कर सकता है और चतुर्थ का द्वारा न केवल शूद्र के लिए अपितु वैश्य और क्षत्रिय के लिए भी दद है। किंतु कात्यायन ने कहा है कि यदि शूद्र सन्यासी सन्यासाश्रम का परित्याग करे तो वह राजा द्वारा दण्डनीय है।⁴³⁷ याज्ञवल्क्य ने देवों और पितरों के निमित्त शूद्र सन्यासी को वित्ताना वर्णित किया है।⁴³⁸ इसका तात्पर्य या तो जैन या बौद्ध भिसुओं से हो सकता है या शूद्र वर्ण के सन्यासियों से।

शूद्रों की धार्मिक प्रतिष्ठा में सुधार का बड़ा संकेत मूर्तिस्थापन सद्वर्थी नियमों में मिलता है। मूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त वस्तुओं की गिनती करते हुए एक वैज्ञाव ग्रंथ में कहा गया है कि सभी जटियों के लोग मूर्ति बना सकते हैं।⁴³⁹ इससे प्रकट होता है कि शूद्र भी मूर्तियाँ बनाकर उन्हें पूज सकते थे और इनकी मूर्तियाँ भी उत्ती वस्तु मी होती थीं जिसकी अन्य वर्णों के सोगों की। लेकिन इस काल के एक अन्य ग्रंथ में मूर्ति बानाने के लिए उपयुक्त सकड़ी धुनने में वर्णपूनक प्रिमेद विहित किया गया है और सन्तुगार घार वर्णों के नियम-

क्रमशः चार प्रकार की सूक्ष्मी बताई गई है।⁴⁴⁰ एक गुप्तोत्तरकालीन वैष्णव उपपुराण में इसी तरह का नियम आया है जिसमें कहा है कि मदिर और मूर्ति बनाने में श्वेत काष्ठ ब्राह्मणों के लिए शुभ है ताल क्षत्रियों के लिए पीला वैश्यों के लिए और काला शूद्रों के लिए।⁴⁴¹ मूर्ति बनाने में इसी ग्रथ में चारों वर्णों के लिए क्रमशः इन्हीं चार वर्णों के पत्थर विहित किए गए हैं।⁴⁴² लकड़ी और पत्थर के चुनाव में वर्णविभेद के रहते हुए भी, प्रतिमाविज्ञान विषयक ग्रंथों के अवलोकन से इसमें कोई सदिह नहीं रह जाता है कि शूद्र भी मूर्ति बना सकते थे और उसकी पूजा कर सकते थे।

कहा गया है कि शूद्र की अर्थी में ब्राह्मण शामिल नहीं हो सकता है, यदि वह ऐसा करेगा तो वह स्नान करके आग को सूकर और धी पीकर शुद्ध होगा।⁴⁴³ वह पुण्यने नियम जिसमें शूद्र के मरने पर उसके परिवार के नोंगों के लिए अशौच की सबसे लब्दी अवधि बताई गई है इस काल के कई ग्रंथों में भी पूर्ववत् बना रहा।⁴⁴⁴ लेकिन इस विषय में याज्वल्यक्य ने सामान्य शूद्रों के लिए एक मास लक और थार्मिक (न्यायवर्ती) शूद्रों के लिए 15 दिन तक अशौच बताया है। इस प्रकार थार्मिक शूद्र को वैश्य का दर्जा दिया है।⁴⁴⁵ ब्रतों के अनुष्ठान में भी वैश्य और शूद्र समान कोटि में रखे गए हैं। कहा गया है कि वैश्य और शूद्र केवल एक रात के लिए ब्रत करें।⁴⁴⁶ यदि मूर्खतावश वे द्विरात्र या त्रिरात्र ब्रत करें तो उससे उनका अप्युदय न होगा।⁴⁴⁷ फिर भी विशेष अवसरों पर वे दो रातों तक ब्रत कर सकते हैं।⁴⁴⁸ लेकिन कभी कभी इस बात पर भी जोर दिया गया है कि उपवास ब्रत केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय कर सकते हैं।⁴⁴⁹

वृहस्पति ने कहा है कि मेरे बच्चे का जन्म (जन्म हानि) होने पर ब्राह्मण इस दिनों में शुद्ध होता है शक्त्रिय सात दिनों में, वैश्य पाँच दिनों में और शूद्र तीन दिनों में।⁴⁵⁰

कर्मनुष्ठानों के अवसर के सदर्भ में महिलाओं और शूद्रों की अपवित्रता का विशान इस काल के ग्रंथों में भी सुरक्षित है।⁴⁵¹ कई दशाओं में शूद्रों और पतितों (अत्पज्जों) को जो कुन्ते के समान अपवित्र माने जाते थे देखने पर प्रायशिच्छत विहित किया गया है।⁴⁵² यह भी विशान है कि यदि शक्त्रिय ब्रह्मचारी को वैश्य या शूद्र स्पर्श करे और वैश्य ब्रह्मचारी को शूद्र तो उसे प्रायशिच्छत करना होगा।⁴⁵³

गृहसूत्रों के अनुसार श्राद्ध कर्म शूद्रों के लिए विहित नहीं है⁴⁵⁴ किंतु इस काल के ग्रंथों में यह कर्म शूद्रों के लिए भी स्पष्टतया विहित किया गया है।⁴⁵⁵ शूद्र साधारण श्राद्ध तो कर ही सकता है⁴⁵⁶ असाधारण (वृद्धि) श्राद्ध भी कर सकता है, जिसमें पुत्रप्राप्ति आदि के विशेष अवसर पर पितारों की अर्चना की जाती है।⁴⁵⁷ यह भी बताया गया है कि मरने पर कर्मनुष्ठान करनेवाले ब्राह्मण को प्राजापत्य लोक मिलता है, रण से न भागनेवाले क्षत्रिय को ऐन्द्रलोक मिलता है, अपने कर्तव्यों का पातन करनेवाले वैश्यों को पठतलोक

मिनता है, और शूद्य कर्म में रत शूद्रों को गार्थवर्लोक मिलता है।⁴⁵⁸

शूद्र अपने पितरों को, जो पुराणों में सुकालिन सज्जा से अभिहित हैं⁴⁵⁹ और काले रग के बताए गए हैं,⁴⁶⁰ जलाजलि और अन्य उपहार चढ़ा सकते थे। किंतु जहाँ ऋषियों की सत्तान के रूप में वर्णित द्विजों के प्रवर नहीं होते थे,⁴⁶¹

इस काल की उल्लेखनीय धार्मिक घटना है शूद्रों के दान देने के अधिकार पर जोर।⁴⁶² दान शूद्रों के लिए सर्वोत्तम साधन माना गया है, इसके द्वारा वह सारी सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है।⁴⁶³ जो शूद्र सत्य और ईमानदारी पर चत्तता है मत्र और ब्राह्मण का आदर करता है और दान देता है, वह स्वर्ग जाता है और अगले जन्म में ब्राह्मण होता है।⁴⁶⁴ वेश्याओं के लिए विहित अनगदान नामक विशेष व्रत में यह विधान किया गया है कि वेश्या से जो सामान्यतया शूद्र जाति की मानी जाती थी गोदान लेते समय ब्राह्मण वैदिक मत्र पढ़े।⁴⁶⁵ आगे हम यह भी पाते हैं कि लीलावती नामक शैव वेश्या और एक शूद्र सुनार ने दान दिए जिसके फलस्वरूप भूत्यु के बाद वेश्या को शिव लोक (शिव मंदिर) मिला और सुनार भूर्ति नामक सप्त्राट हुआ।⁴⁶⁶ इस्वी सन् की पांचवीं शताब्दी के एक बौद्ध टीका ग्रथ में ऐसे कम से कम एक दर्जन उदाहरण आए हैं जहाँ निम्न वर्णों के लोगों ने दुर्द मिथुओं, या सघ को दान देने के फलस्वरूप स्वर्ग का आनंद और बोद्ध विमानों का सुखभोग प्राप्त किया।⁴⁶⁷ इस प्रकार दान का सिद्धात बोद्ध और ब्राह्मणीय दोनों दर्वाजे में समान था।

ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है जिससे यह सिद्ध हो कि यानवल्ल्य सृति से पहले दान धर्म की लोकप्रिय बनाने के लिए जोरदार प्रचार किया गया।⁴⁶⁸ वृहस्पति सृति की रचना के बाद तो दान द्वारा मोक्षप्राप्ति का सिद्धात पराकाष्ठा पर पहुँच गया।⁴⁶⁹ दान दी यह महिमा जो शूद्रों के सबथ में ही उदात्त स्वर में गाई गई है यह सिद्ध करती है कि शूद्र वर्ग दान देने की स्थिति में था और यह स्थिति उसकी आर्थिक अवस्था में हुए परिवर्तन के अनुरूप ही है।

यन व्रत श्राद्ध तथा अन्य कर्मों का अनुष्टान जो शूद्रों के लिए विहित किया गया है उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इन कर्मों में वे ब्राह्मणों की नियोजित करते होंगे, जा इन अवसरों पर किया गया दान ग्रहण करते होंगे।⁴⁷⁰ शूद्रों द्वारा किए जानेवाले इन कर्मों में पुरोहित का काम करनेवाले ब्राह्मणों (शूद्र याजकों) की जो बार बार निदा की गई है⁴⁷¹ उससे इन पुरोहितों के विरुद्ध परपरागत पूर्वग्रह तो प्रकट होता ही है साथ ही यह भी व्यनित होता है कि इन कर्मों में ब्राह्मणों की नियोजित करने की प्रथा अधिकार्यिक प्रवत्तित होती जाती थी। मनु ने जिस तरह शूद्र पुरोहितों (ऋत्विजों) की निदा की है,⁴⁷² वैसा यानवल्ल्य ने नहीं किया है। वज्रसूक्ष्मी में दृढ़तापूर्वक कहा गया है कि ब्राह्मण कैवल्यों

रजकों, और चडालों के परिवार में भी मिलेंगे, जिनके भीव बूझाकरण मुज दड और काढ आदि सस्कार किए जाते हैं।⁴⁷³ इससे ज्ञात होता है कि ब्राह्मण निमनातम कोटि के शूद्रों के यहाँ भी याजक होते थे। कब्रहृदयी में यह भी कहा गया है कि सत्रिय वैश्य और शूद्र यत्न करते और करते हुए, अध्ययन और अध्यापन करते हुए तथा दान लेते हुए देखे जाते हैं।⁴⁷⁴ यदि यह परिवर्तन वस्तुतया हुआ हो तो इससे प्रकट होता है कि याजन (पोरोहित्य) कर्म पर ब्राह्मणों का जो एकाधिकार था उसके विरुद्ध कुछ वर्गों के लोगों में चेतना जग गई थी। इस तरह के कई आदेतन हाल में भी हुए हैं।

इधर बौद्ध धर्म के महारथी जन्ममूलक वर्णभेद का खड़न करते रहे,⁴⁷⁵ और उपर कई सुधारवादी विचारधाराओं विशेषकर वैष्णव सप्रदाय का उदय हुआ जिससे बहुत हद तक शूद्रों को पार्मिक समता प्राप्त हुई। वैष्णव धर्म गुरुकाल में विकास की ओटी पर पहुँच गया था, जब न केवल उत्तर भारत में अपितु दक्षिण और पश्चिम भारत के कई भागों में इस सप्रदाय के अद्वितीय प्रभाव को प्रमाणित करनेवाले पुरालैखिक, मुद्रात्मक और मूर्ति सबणी अभिलेख भारी संख्या में मिलते हैं।⁴⁷⁶ महाभारत और पुराणों में इस सप्रदाय के जो सिद्धान्त प्रतिपादित है, उनसे प्रकट होता है कि ब्राह्मण धर्म की प्राचीन कट्टरपथी परपरा की भाँति इस वैष्णव सप्रदाय ने शूद्रों और असूश्रयों के लिए अपना द्वार बद नहीं रखा, बल्कि उन्हें भी ईश्वर को जानने और मास प्राप्त करने का अधिकार दिया।⁴⁷⁷ वैष्णव ग्रंथों में इस बात पर हमेशा जोर ढाला जाता रहा कि कृष्ण, नारायण या वासुदेव की भक्ति के द्वारा स्त्रियाँ और शूद्र भी मुक्ति पा सकते हैं।⁴⁷⁸ भगवान् को यह घोषित करते हुए विनित किया गया है कि ब्राह्मण से लेकर श्वपाक तक सभी मेरी भक्ति से पवित्र हो जाते हैं।⁴⁷⁹ श्रद्धालु और भक्त श्वपाक भी मुझे उस ब्राह्मा से अधिक प्रिय हैं जो अन्य गणों से समन्वित रहने पर भी भगवान का भक्त नहीं है।⁴⁸⁰ यदि अत्यज एक बार भी ईश्वर का नाम लेता है तो वह जन्म मरण के बधन से मुक्त हो जाता है।⁴⁸¹ यह कहा गया है कि 'वैश्न ब्राह्मण पुण्यवान् शूद्र' को विश्व के दीरिमान देव विष्णु जैसा ही मानते हैं और ससार में सर्वोत्तम भी मानते हैं।⁴⁸² जो व्यक्ति विष्णु भक्त शूद्र का अपमान करता है, वह करोड वर्ष तक नरक भोगता है।⁴⁸³ इसलिए ज्ञानवान् व्यक्ति को विष्णुभक्त चडाल का भी अपमान नहीं करना चाहिए।⁴⁸⁴ विष्णुभक्ति के छाता राजन्य विजय पाते हैं ब्राह्मण विद्या पाते हैं, वैश्य यन पाते हैं और शूद्र आनंद पाते हैं।⁴⁸⁵

इसी प्रकार का मतव्य चारों वर्गों के ऐसे लोगों के लिए अभिव्यक्त किया गया है जो महादेव की ऋचाओं का पाठ करते हैं।⁴⁸⁶ जो वैश्य स्त्रियाँ और शूद्र ब्राह्मण के मुँह से दस शिव धुम की कथा सुनते हैं, वे रुद्रलोक में स्थान पाते हैं।⁴⁸⁷ द्विजों की भाँति शिवभक्त शूद्र भी गणपति की कोटि में पहुँच सकता है, बशतें वह मद्यपायी न हो।⁴⁸⁸ इस

प्रकार यह प्रकट होता है कि शैव सप्रदाय का द्वारा भी शूद्रों के लिए समान रूप से खुला था।

तत्र में भी जा वैष्णव और शैव दोनों सप्रदायों से सबूत है, धर्म के विषय में वर्णभेद नहीं माना गया है। इस तत्र की पांचवीं शताब्दी के एक तत्रप्रथा जयाख्य लालेता⁴⁸⁹ में कहा गया है कि चारों वर्णों के लोग ब्राह्मण से दीक्षा ले सकते हैं।⁴⁹⁰ यदि ब्राह्मण न मिले तो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण के योग्य व्यक्ति अपने अपने वर्ण के लोगों के लिए और अपने से निम्न वर्ण के लोगों के लिए गुरु का काम कर सकते हैं।⁴⁹¹

गुप्तकाल में शासक वर्ण के बहुत से लोग वैष्णव और कुछ लोग शैव थे। किंतु निवले वर्णों में इन सप्रदायों का कैसा प्रभाव था, यह जानने का साधन हमारे पास नहीं के बाबर है। कहा गया है कि वैशाली में शिल्पियों का वर्ग वैष्णव धर्म से बहुत प्रभावित था क्योंकि दो शिल्पियों (कुलिकों) के नाम 'हरि' पाए गए हैं।⁴⁹² यह रिक्ति अन्य स्थानों पर भी रही होगी।

सुधारवादी सप्रदायों के प्रभाव के फलस्वरूप इस काल के धार्मिक ग्रन्थों का आग्रह कर्मकालों और सस्कारों से हटकर सदाचार पर आ गया, जो व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा का नियमक है। कहा गया है कि न अग्निहोत्र सार्थक है, न वेद का ज्ञान,⁴⁹³ क्योंकि श्रुति के अनुसार देवता केवल सदाचार से सतुष्ट होते हैं। जो ब्राह्मण शीलवान नहीं है, वह शूद्रवत् माना जाए⁴⁹⁴ और उसका आदर नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत यदि शूद्र भी धर्मात्मा हो तो वह आदरणीय है।⁴⁹⁵ जो शूद्र शुद्ध हृदयवाला और मन वश में रखनेवाला है वह न केवल (यजोपवीत सस्कार के बिना ही) द्विज हो जाता है, बल्कि वह द्विजों की भाँति पूजनीय भी हो सकता है,⁴⁹⁶ क्योंकि न कोई जन्म से सस्कृत होता है न सस्कार से न विद्या से और न सन्ति से अपितु केवल शील से होता है।⁴⁹⁷ महाभारत और पुराणों के उपदेशात्मक भागों में बार बार कहा गया है कि आद्यारवान शूद्र अगले जन्म में ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है⁴⁹⁸ और यह बात वज्रसूक्ष्मी में भी दुहराई गई है।⁴⁹⁹

उपर्युक्त मत के समर्थन में सम्मुचित उपाख्यान उद्भूत किए गए हैं। वनपर्व में एक कहानी आई है कि कोशिक का एक धर्मज्ञ व्याध ने विभिन्न वर्णों के धर्म और आचार सिखाए।⁵⁰⁰ निधिला के धर्मव्याध ने दावा किया है कि वह गुरुजनों और बड़ों की सेवा करता रहा सदा सत्य बोला कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की विभवानुसार दान करता रहा तथा देवों अतिथियों और आश्रितों के परितोषण के बाद बनी वस्तुओं से जीवननिर्वाह करता रहा। उसने न किसी की निंदा की और न किसी से पृणा।⁵⁰¹ ऐसा मत व्यक्त किया गया है कि यह कहानी बोल्द सप्रदाय की है।⁵⁰² किंतु धर्मव्याध ने जो प्रतिपादन किया है उसका तत्व वैष्णव सिद्धांतों के अनुकूल ही है और उसे बोल्द से प्रभावित मानना आवश्यक नहीं जैवता है। वज्रसूक्ष्मी में जो बादों ने यह तर्क दिया है कि व्यास कोशिक विश्वापित्र

और वसिष्ठ सभी जन्मत अपम होते हुए भी इहलोक में अच्छा आचरण करने के कारण ब्राह्मण भाने गए,⁵⁰³ वह भी स्पष्टतया पुराणों में वर्णित पुणी परिपाठी से निकला प्रतीत होता है।

परतु सुधारवादी सप्रग्रामी को अधिक महत्व देना ठीक न होगा। शासक वगों ने वैश्वदर्थ का उपर्योग वर्जितेद्यूतक समाज व्यवस्था के भूलायार को बनाए रखने के लिए ही किया था। वैश्य, हिन्दू और शूद्र जन्मत अपम भाने जाते थे⁵⁰⁴ कहा गया है कि द्विजों की सेवा करना और विश्वु की भक्ति करना, इन दोनों के सिवा शूद्र के उद्धार का कोई अन्य उपाय नहीं है⁵⁰⁵ यह पारणा बहुत हद तक कर्मवाद के सिद्धात का ही अग है और इस सामान्य विश्वास पर आधारित है कि जिस वर्ण में जो उत्पन्न हुआ है, उसके लिए उसी वर्ण के कर्तव्यों का पालन अनिवार्य है। जान पड़ता है कि ब्राह्मणवादी आदर्श ने शिष्य वगों के लोगों के बीच भी इस मत में आस्था उत्पन्न कर दी थी।⁵⁰⁶ मृद्घज्ञानिक में एक गाड़ीवान वस्तसेना को मार डालने के अपने मालिक के आरेश को इसलिए अस्तीकार करता है कि भाष्य ने और पापकर्मों ने मुझे जन्म से दास बना डाला है मैं पुन उसी दुर्गति में पड़ना नहीं चाहता इसलिए मैं यह पापकर्म करो से इकार करता हूँ।⁵⁰⁷ निष्पवगों के लोगों में जो ऐसा विश्वास था इससे अधिकाश लोगों के मन में यह जिज्ञासा कभी नहीं उठ सकी कि उनकी दुर्वरस्था के मानवकृत कारण क्या है।

लेकिन इसपें सदिह नहीं कि गुप्त काल में शूद्रों के धार्मिक अधिकारों में वृद्धि हुई और कई कर्मनुष्ठानों के विषय में उन्हें तीनों उच्च वर्णों की समकक्षता मिली। ऐसा मत व्यक्त किया गया है कि शूद्रों के आध्यात्मिक उत्थान के पीछे ब्राह्मणों का स्वार्थ काप कर रहा था क्योंकि वे चाहते थे कि अधिक से अधिक लोग ब्राह्मणीय कर्मों का अनुष्ठान करें।⁵⁰⁸ किंतु पूर्वकाल में भी तो ब्राह्मणों का ऐसा स्वार्थ रहा होगा जबकि ऐसी प्रवृत्ति का आभास बहुत कम मिलता है। यास्तव में शूद्रों के धार्मिक अधिकारों में वृद्धि उनकी भीतिक स्थिति में भी परिवर्तन के कारण हुई। इसकी बदौलत वे पुरोहितों को समुचित दक्षिणा देकर सस्कार और यज्ञ कराने में समर्थ हुए, क्योंकि यज्ञ कराने की योग्यता व्यवहन समता के साथ निकट सबद्ध मानी जाती थी जो स्वामाविक ही है।⁵⁰⁹ मोटे तौर पर कह सकते हैं कि गुप्तकाल में शूद्रों की धार्मिक प्रतिष्ठा में जो सुधार हुआ उसकी तुलना हम मिष्ठ के मिह्ल किंगडम के आरभ में हुए घटनाक्रमों से कर सकते हैं, जब केवल फेरो और सामतों में प्रवर्तित कई अतिम सस्कार सबव्यी कर्म सापारण जनों में भी प्रवर्तित हुए।⁵¹⁰ इसके साथ उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ था⁵¹¹ जो बात गुप्तकाल में शूद्रों की स्थिति के विषय में भी सही प्रतीत होती है।

गुप्तकाल में शूद्रों की हैसियत में कई भारी परिवर्तन हुए। यही नहीं कि मजदूरों,

कारीगरों और भारवाहकों की मजदूरी की दरें बढ़ीं, बल्कि दास और मजदूर लोग धीरे-धीरे बटाईदार और किसान होते जा रहे थे। सातवीं सदी तक पहले-पहल शूद्र बड़े पैमाने पर किसान के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। यह परिवर्तन शूद्रों की राजनीतिक सहविधिक स्थिति में व्यापक रूप से प्रतिफलित हुआ है। शांतिपर्व में शूद्र भट्टी नियुक्त करने का जो उपदेश दिया है,⁵¹² उसको तो अधिक महत्व नहीं भी दिया जा सकता है, किंतु इसमें सदैह नहीं कि शिल्पी संघों के प्रधान जिला प्रशासन के कार्य से जुड़े थे, और सकट की घटियों में शूद्रों को शस्त्र उठाने का अधिकार मिल गया था। वर्णविषयक कानूनों में कुछ छिलाई आई और शूद्रों के प्रति बरते जानेवाले कई नियम रद्द किए गए। शूद्रों के धार्मिक अधिकार में काफी वृद्धि हुई। हाँ, अस्यूश्यों की सामाजिक स्थिति पहले से भी अधिक बुरी हुई। यद्यपि वे सिद्धाततया शूद्र माने जाते थे, किंतु सभी व्यावहारिक विषयों में वे पृथक समुदाय ही थे। फिर भी ऐसा सोचना गलत होगा कि गुप्तकाल में शूद्रों का कोई अन्य वर्ग भी सामाजिक दृष्टि से अयोग्य था,⁵¹³ भोजन और विवाह के रियाज के बारे में इसका कोई सास्थ नहीं मिलता है। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है, शूद्रों को राजायण महाभारत और पुराण सुनने का और कभी कभी वेद सुनने का भी अधिकार निस्सदैह रूप से मिल गया था। सभी बातों पर विचार करते हुए कह सकते हैं कि गुप्तकाल में शूद्रों की रियति में जो आर्थिक, राजनीतिक सहविधिक सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन हुए वे उक्त समुदाय की बदलती हुई सामाजिक स्थिति के सूचक हैं।

सदर्भ

- 1 बाणे हिन्दू औफ धर्मशास्त्र II चाप 1 पृ XI बाणे ने इन सूतियों की लिखियाँ इस प्रकार बताई हैं—विष्णु 100 300 हैं याजावल्य 100 300 हैं नारद 100 400 हैं दृहस्ति 300 500 हैं कात्यायन 400 600 हैं यद्यपि विष्णु और याजावल्य सूतियों कुछ पूर्व की प्रतीत होती हैं यद्यपि भोटे सौर पर वे सभी सूतियाँ गुप्तकाल के सबथ में प्रामाणिक मानी जा सकती हैं
- 2 याजावल्य II 270 विष्णु, V 3 हायकिस म्युख्यम रितेशस औफ दि फोर कास्ट्स इन मनु पृ 31 हायकिस क्य मत है कि यह याजावल्य के विषय में क्यावित ही सम्बद्ध हो सकता है किंतु कई विषयों में याजावल्य का जैसा जनरिय रुख देखते हैं तदनुसार यह सगत ही तगता है
- 3 हायकिस फैब्रिज हिन्दू औफ इडिया I पृ 279
- 4 वही पृ 280
- 5 गायकनाड ओरिएटल रिटैज सं LXXV इट्रोडक्शन पृ 118 शृहस्ति सूति अपने भूल रूप में मनु सोहिता की अनुशासी दैक्षा जैसी रही होगी

- 6 हापर्किस 'दि ग्रेट एपिक ऑफ इडिया' पृ 397 98
- 7 वही तुलनीय 'कैरिज हिस्ट्री ऑफ इडिया' I पृ 258
- 8 हाजरा पुराणिक रैकर्स ऑन हिंदू राष्ट्रस ऐड कस्टम्स' पृ 5
- 9 वही पृ 175
- 10 वही पृ 174
- 11 वही पृ 188
- 12 वही पृ 177 सम्बतया छठी शताब्दी ई का पूर्वार्थ
- 13 'ग्रामकवाद ओरिएटल सिरीज अक LXXXV इंडोइंडियन' पृ 173
- 14 हाजरा- पूर्व निर्दिष्ट पृ 19
- 15 वही पृ 51 ब्राह्मण पुराण में कुछ अध्याय हैं जिनसे वैष्णव प्रभाव का सकेत प्रिलता है वही पृ 18
- 16 हापर्किस 'इष्टिक्स ऑफ इडिया' पृ 241 तुलनीय
- 17 दासगुप्त और डे हिस्ट्री ऑफ सस्कृत लिटरेचर भूमिका पृ XXX
- 18 कहा जाता है कि शूक महान ब्राह्मण पत्री था तुलनीय चार्पेटर (जाल ऑफ दि रायल प्रशिपाटिक सोसायटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऐड आयरलैंड लडन 1923) पृ 596 7
- 19 सुजुकी लकावतार सूत्र, इंडोइंडियन पृ XLIII
- 20 एस के डे हिस्ट्री ऑफ सस्कृत लिटरेचर पृ 71
- 21 दासगुप्त और डे पूर्व निर्दिष्ट पृ 532 पाद टिप्पणी कीथ इनका समय सातवीं शताब्दी ई बताते हैं कीथ हिस्ट्री ऑफ सस्कृत लिटरेचर, प्रीकेस पृ XXII
- 22 मोतीचंद्र भारतीय वैक्षभूता अध्याय IX मोतीचंद्र ने इनका उपयोग गुप्तकालीन वैशम्पाता का वर्णन करने के लिए किया है
- 23 भगुपदार और पुसलकर दि एज ऑफ इंडीपियल यूनिटी पृ 270 तीसरी शताब्दी ई इस प्रथ का संभाव्य रचनाकाल प्रतीत होता है तुलनीय द्वितीय शताब्दी ई एम धोप नाट्यशास्त्र, अनुवाद इंडोइंडियन पृ LXVXVI और दासगुप्त और डे पूर्व निर्दिष्ट पृ 522
- 24 दासगुप्त और डे पूर्व निर्दिष्ट पृ 645 पर उद्दृत स्थित इसका काल द्वितीय शताब्दी ई पूर्व रखते हैं और हापर्किस शास्त्री प्रथम शताब्दी ई किंतु बनर्जी शास्त्री चक्रतादार जाती और विटरनिज इसे तीसरी ढाई शताब्दी ई का घोनते हैं चक्रतादार सोशल लाइफ इन एन्शिएट इंडिया पृ 33 37 चक्रतादार का मत है कि वात्स्यायन पाठ्यवाच भारत में हुए थे (वही पृ 96)
- 25 वराहभिर का काल 505 587 ई माना जाता है और इनकी सभी कृतियाँ छठी शताब्दी के मध्य की मानी जाती हैं
- 26 बनर्जी डेवलपमेंट ऑफ हिंदू आइकनैशन्सी पृ 28 9
- 27 कामदक नीतिसार II 21 'सर्व एडिशन ऑफ दि महाभारत शांतिपर्व' 60 26 92 2 अनुशासनपर्व 9 18 भागवत पुराण XI 17 19 भविष्य पुराण 1 44 27 भाकंडेप पुराण 28 3 8 विष्णु पुराण IIJ 8 32 और 33

- 28 सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत आश्वमेधिक पर्व 97 29
 29 वही शांतिपर्व अध्याय 78 17
 30 वही अनुशासन पर्व 208 34
 31 वही 208 33
 32 अमरकोश II 10 38 39
 33 अमरकोश II 10 15 18
 34 नारद V 23 वृहस्पति XV 12 और 13
 35 वही
 36 विष्णु V 155 6 याज्ञवल्क्य II 197 नारद VI 9
 37 नारद VI 6 7
 38 वही VI 3
 39 याज्ञवल्क्य II 198
 40 वही
 41 नारद VI 7
 42 जाली सेकेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट XXXIII पृ 140 1
 43 वही VI 6 मी पाद टिप्पणी
 44 अर्थशास्त्र III 13 याज्ञवल्क्य II 194 नारद VI 2 3 कात्यायन ख्लोक 656
 45 सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत शांतिपर्व अध्याय 60 24
 46 वही
 47 नारद VI 10 इसके अनुसार आठ गार्हे घटने का पारिश्रमिक एक गाय का दूष होता है
 48 पिठ निर्मुकि पृ 368 369
 49 वृहत्संख्या 2.358
 50 शांतिपर्व, 60 25 शांतिपर्व के नियम वैश्य गोपताको और कर्त्तव्यों के प्रशंग में हैं किंतु ये नियम दूरे पर भी ल्याए रहे होने
 51 वृहस्पति XVI 1 2
 52 वही
 53 प्राणनाय इशनपिक कडीशन इन एनरिएट इंडिया पृ 158
 54 तुवनीय वित्सन ए स्लासरी आक लुडिनियल ऐंड रेवेन्यू टर्फ पृ 485
 55 कामसूत्र IV 1 33 और 42, दीक्षा सहित
 56 इनीवर्व 60 31 " अवस्थभर्तीयो हि वर्णाना शूद्र उच्चने
 57 वही 60 32 33
 58 वही 60 27
 59 हार्न एडिशन ऑफ दि महाभारत अनुशासन पर्व 208 34
 60 दर्दस इरेम्प्यान्स इंडियोर्स III सं 6 दैनं 2 गुत्तशाल के एक उत्कीर्ण सेक्ष में दसों के बाय विश्व की उपमा अई है वृहस्पति ने दर्दस इरेम्प्यान्स अर्द्धत दास की विश्वी के दस्तवेज़ का

उत्तेष्ठ किया है (VI 7) मूर्छवटिक में दास मुक्ति राजा द्वारा अनुशासन एक प्रथा के रूप में वर्णित है (डीट्रियन हिस्टोरिकल क्वार्टर्स कलकत्ता V) पृ 307

- 61 नारद V 26 28 इन दासों में कुछ को दास कहना विवादार्थ सेतु के एक उदारण के अनुसार जो बृहस्पति का भाना गया है ठीक नहीं है एवं ये कोलबुक ए डाइनेस्ट आफ हिंदू ला II 12 एतत्कलीन जैन प्रथों में उप्रकार के दासों का उत्तेष्ठ प्रतीत होता है जैन लाइक ऐज डिपिटेड इन जैन कैनन्स, पृ 107
- 62 नारद V 5 बृहस्पति XV 15 16
- 63 नारद V 6 7
- 64 वही V 23 25
- 65 याज्ञवल्क्य II 182 बलाद्यासीकृतश्वौरेत्विकीतश्वापि मुख्यते
- 66 कोलबुक पूर्व निर्दिष्ट II पृ 25
- 67 कात्यायन श्लोक 722 इस मान्यता को कात्यायन ने दुहराया है
- 68 याज्ञवल्क्य II 182 3 नारद V 39 कात्यायन श्लोक 716
- 69 स्नोक 715 तुलनीय विष्णु, V 154
- 70 नारद V 37 बृहस्पति XV 243 विशीर्णिते स्वतन्त्रो य स्वभासान नरार्थं स जवेष्यन्यतमस्त्वा सोऽपिदास्यात्र मुख्यते
- 71 अनुशासन पर्व 45 23 काणे पूर्व निर्दिष्ट II भाग I पृ 182 में उद्धृत
- 72 नारद V 42-43 तुलनीय कात्यायन में दास मुक्ति सबसी नियम श्लोक 715 सेकिन नारद ने कहा है कि कुछ कोटियों के दास स्वामी के अनुग्रह के बिना मुक्त मर्ही हो सकते थे (V 29)
- 73 घर्मकोश I भाग I पृ 299 में उद्धृत
- 74 कात्यायन श्लोक 350
- 75 अमरकोश III 5 27
- 76 जैन पूर्व निर्दिष्ट पृ 362 65 बृहत्कथाभाष्य गाया में तीन नापित वासियों की चर्चा है (6094)
- 77 धोशाल दि क्लासिकल एम पृ 553 कात्यायन श्लोक 962 63 शूक्र मूर्छवटिक' VIII 25
- 78 शूक्र मूर्छवटिक (करमाकर सस्करण पृ 309)
- 79 कात्यायन श्लोक 92
- 80 विष्णु, XVIII 44
- 81 कात्यायन श्लोक 882 बृहस्पति (सेकेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट) XXV 82 83
- 82 नारद V 41 कात्यायन श्लोक 724
- 83 श्लोक 724 यह विकाय स्वामी की अनुपत्ति के बिना सभव नहीं रहा होगा काणे ने विवाद वितामणि के पाठ को अच्छा माना है कात्यायन पृ 267 पार टिप्पणी श्लोक 724 पर
- 84 नारद XIII 38
- 85 बृहस्पति XXVI 10 28 43 53 और 64

- 86 (एपिग्राफिया इंडिया कलकत्ता और दिल्ली XX) उल्लील सेब स 5 पृष्ठे 5 11 एस
 के मैटी दि इकानामिक साइइ ऑफ नार्दी इंडिया इन दि गुरु धीरियड़,
 पृ 50-51
- 87 (एपिग्राफिया इंडिया कलकत्ता और दिल्ली XX) उल्लील सेब स 5 पृष्ठे 5 11
- 88 (डिप्लोम एटीक्वेटी बन्वर्स, XXXIX) पृ 215 16
- 89 भारतवर्ष 1349 थान I पृ 384 (हिन्दी ऑफ बगाल, I 652 में उद्धर)
- 90 कृष्णकुमारी जे विज्ञी एनशिएट हिन्दी ऑफ सोहन्द्र' पृ 246-47 267 और
 आगे
- 91 बोहमनी (जर्नल ऑफ अमेरिकन ऐरिएटल सोसायटी बाल्टीमोर, '1xxv) पृ 237
- 92 हांडिपर्व 60 24 26 92.2
- 93 अपरख्येत II 9 6
- 94 मनुस्मृति IV 253 और विष्णु, LVII 16 में अधिक शब्द का प्रयोग है जिन्हें यात्रावलम्ब I
 166 में अर्थात् अधिक शब्द कह
- 95 (एपिग्राफिया इंडिया कलकत्ता और दिल्ली, I) उल्लील सेब स 1 पृष्ठे 39 गुहल ने
 अपिक शब्द क्य अनुवाद लेवरार' या मजदूर किया है जो गलत है वही पृ 9
- 96 (एपिग्राफिया इंडिया कलकत्ता और दिल्ली XXIX) उल्लील सेब स 1 पृष्ठे 39
 कुलिको को शूहस्त्री (संस्करा 404) ने एक 'जन' बताया है ये 11वीं शताब्दी के पात
 उल्लील सेब में भी जनों की शूक्री में गिनाया गए हैं
- 97 बोल छेत्र नागपुर के मुठा समुदाय का एक महत्वपूर्ण अदिवासी कर्म है
- 98 (एपिग्राफिया इंडिया कलकत्ता और दिल्ली, VII) उल्लील सेब स 12, पृष्ठे 6
- 99 नारा, I 181
- 100 मनुष्यदार और पुस्तकर दि एज ऑफ इंडीयन यूनिवेर्सिटी पृ 299
- 101 नारा I 181 की दौद्य शैक्षण शूद कर्मों वा
- 102 नारा I 181
- 103 शूहस्त्री XIX 6 क्यों शूद्ये नेता स्वत्
- 104 शार्कोदेव पुष्टा 49 47 वदा शूजनप्रय स्वसमृद्धिकर्त्तव्या गुननीय अनुष्टासनवर्द्ध
 कथ्यम् 68 में शू इन्हों क्य दर्शन वयोरप्याय 'इवरनामिक सदक दैड प्रोप्रेस इन
 एनटिरेट इंडिया' पृ 329 में उद्धर
- 105 वारपन शर्ट्स 479 80 'कर्त्तव्य वर्तिदूर्दूर समृद्धिदाता यापेत् यहीं प्रसंग से सिद्ध
 होता है कि 'कर्त्तव्य' वर्तिदूर्दूर' क्य विदेता है क्यों ने कर्त्तव्य क्य अनुष्टासन वसे स्वतंत्र
 संस्कृत यानदार किया है (शर्ट्स 479-80 क्य अनुष्टास) जो संस्कृत के अद्यत के अनुशूलन नहीं सामा
 हे कर्त्तव्य के यह वर्णन और वर्तिदूर् इन देतों व्यों के बीच में आया है गुननीय,
 वारपन शर्ट्स 546
- 106 शूहस्त्री सम्पाद, 31.3.4
- 107 'कर्त्तव्य वर्तिदूर् इंडिया' III उपर्योग सेब स 60, एके 12, चं 27 एके 6
 चं 26, एके 6

- 108 फ्लीट कार्पस हैरिक्सनम हैंडकेरम III पृ 123
 109 बीलहार्न (एपिग्राफिया हैंडिका III) पृ 314
 110 प्राणाश पूर्व निर्दिष्ट पृ 157
 111 पालि इगलिश डिवशनरी देखे कुटुंबिक शब्द
 112 अर्धशास्त्र I 130
 113 फ्लीट पूर्व निर्दिष्ट, III पृ 98 पोशल 'हिंदू रेवेन्यू सिस्टम पृ 191 210 अन्य भवों
 के लिए देखें, चार्मेंट (अर्नल ऑफ दि रायल एजेंसियाटिक सोसायटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऐड
 आयरलैंड लडन 1931) पृ 165 सरकार सेलेक्ट इसक्रिप्शन्स I पृ 266 पाद
 टिप्पणी 5
 114 रघुवा XVII 65 नारद XVIII 48 वृहस्पति आपद्यर्थ 7
 115 वृहस्पति I 43-44 मूल ग्रन्थ में कीनाक शब्द का प्रयोग है जिसका अर्थ नारद I 131 की
 असलाय कृत दीका के अनुसार शुद्ध होता है
 116 बाटरी आन सुआन चुआह्स ट्रैवल्स इन हैंडिया I पृ 168 चतुर्थ वर्ष शून्ये या छेतिहारी
 का है ये खेत को आचार करने का वाप करते हैं और बोने व काटने के समय बड़े उद्घमशील
 रहते हैं
 117 नृसिंह पुराण 58 10 15 यह पुराण अनबस्तु को ज्ञात था (साँवी I 130) इसलिए
 इसके नवीनतम संकलन का काल दसवीं शताब्दी है रखा जा सकता है
 118 हापर्किस बैंब्रिज हिस्ट्री ऑफ इडिया I पृ 268 हापर्किस शायद शुद्ध के बदले स्लेव
 शब्द का प्रयोग करते हैं
 119 अमरकोश II 9 98 और 99
 120 विभूत् अदृष्टकथा पृ 63 पालि इगलिश डिवशनरी में 'तौह शब्द पर उद्धृत जैसा कि
 चढ़ा के मेहरौली लैंहस्तम से प्रकट होता है लोडा बनाने भी कला इस काल में उत्पत्ति की घोटी
 पर पहुंच गई थी
 121 अमरकोश II 9 13
 122 याज्ञवल्य II 193 नारद V 4
 123 किंतु यह विवार भागवतपुराण XI 18 49 में भी आया है
 124 कामदक नीतिसार II 21 हुलनीय IV 54 56 मार्वण्डेय पुराण 28 3 8 विष्णु पुराण
 III 8 32 33 याज्ञवल्य I 120 विष्णु III 5 शूद्रस्य सर्व जिल्यानि वृहस्पति
 सस्तार, स्लोक 530
 125 वृहस्पति XIII 33
 126 अमरकोश II 10 5 10
 127 वही II 10 8 और 9
 128 वही II 10 13
 129 वही II 10 12
 130 इनमें से कुछ शिल्पियों की चर्चा कामसूत्र (I 4 28 V 2 12 VI 1 9) में भी आई है
 जो सभ्यतया 'नागरक' के विलासार्थ अपेक्षित होते थे जैसे भानाकार स्वर्णकार धोटी

अभिनेता नर्तक आदि

- 131 गौतम धर्मसूत्र X 31 33 वसिष्ठ धर्मसूत्र XIX 28 मनुसृति, VII 138 विष्णु, III 32
- 132 (जर्नल ऑफ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बगाल कलकत्ता सीरीज III २५ पृ 121 ला न 72 यह स्पष्ट नहीं है कि यह बेग़ारी राजा के लिए ली जाती था। के ग्रामपड़तरों के लिए
- 133 वसिष्ठ धर्मसूत्र XIX 37
- 134 पीछे देखें अध्याय VI
- 135 शांतिपर्व 88 1 12 में इनोक 12 पर टिप्पणी रुजपर्म के आलोचनात्मक संस्करण के श्लोक 12 पर टिप्पणी भाग II अनुलिपि 19 पृ 668 तुलनीय 87 16 77
- 136 (एपिग्राफिया इंडिका XXIV) उल्लीर्ण लेख स 43 पक्ति 18 19 इस अभिलेख में विदाह कर का भी उल्लेख है जो प्रथा हाल तक उत्तर भारत में प्रवलित थी
- 137 कामसूत्र I 4 1
- 138 वृहस्पति I 34 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी यह चात है
- 139 अमरकोश II 8 18
- 140 शिल्पसंप का उल्लेख रघुवश XI 38 में आया है तथा पवतत्र पृ 45 में प्रधान राजमिस्त्री के अर्थीन कई राजमिस्त्रियों की चर्चा है
- 141 गौतम XI 21 22 मनुसृति VIII 41 और 46 मुख्यों सोकल गवर्नर्मेंट इन एनक्रिएट इंडिया, पृ 125 131
- 142 नारद X 2 तुलनीय विष्णु, V 168 में संविद् शब्द का प्रयोग है तेथा वृत्ति पालयेत् याहवल्य II 192 तुलनीय I 361
- 143 वृहस्पति XVII 18
- 144 वही I 126
- 145 मनुषदार कार्पोरेट लाइफ इन एनक्रिएट इंडिया पृ 62
- 146 कार्पेंट इंडिकेशनम इंडिकेपम II स्कदगुत का इदौर ताप्रपत्र (465 ई)
- 147 वही उल्लीर्ण लेख स 18 पृ 80 85
- 148 नरसू एसेंस ऑफ चुट्टिङ्स' पृ 141
- 149 स्कदगुत के इदौर ताप्रपत्र के अनुसार इदौर की दैतिक श्रेणि (तेली संघ) में एक ब्राह्मण ने यन निषेप किया था उसी प्रकार भद्रसीर प्रस्तार अभिलेख के अनुसार रैशम के बुनकरों ने ब्राह्मणों के देवता सूर्य का भवित्व बनवाया था
- 150 अर्थशास्त्र III 14 ऊर देखें पृ 155
- 151 याहवल्य II 193 ना, VI 5 वृहस्पति XVI 5 6
- 152 वृहस्पति XVI 5
- 153 विष्णु, V 153-4
- 154 वही V 157 8
- 155 मनुसृति VIII 215 वृहस्पति XVI 4 और 8 इसके एक पादान्तर में आठ वृत्तात की

जग 200 पर आया है (सेकेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट XLIII 345 वृहस्पति XVI 15 पर पाद टिप्पणी)

- 156 वृहस्पति XVI 3
157 वही XVI 11
158 नारद नेशाती पाठ सेकेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट XXXIII 140 1 VI 7 पर पाद टिप्पणी
159 वही VI 2
160 वही पृ 140 1 VI 7 पर पाद टिप्पणी
161 नारद VI 11 17 वृहस्पति XVI 10 12 17
162 वृहस्पति XVI 17
163 अर्यशास्त्र II 23
164 याज्ञवल्य II 195
165 वही I 120
166 वृहस्पति संस्कार श्लोक 530 विक्रम सर्वपण्यानन्द शूद्रपर्व उदाहरण
167 मार्कण्डेय पुराण 28 3 8
168 विष्णु पुराण III 8 32 33
169 वृहस्पति XIII 16
170 अविष्ट पुराण L 44.32
171 अर्यशास्त्र III 13 याज्ञवल्य II 194 नारद VI 2 3 कात्यायन श्लोक 656
172 शत्रिपर्व 60 25 यथपि शत्रिपर्व में भजदूरी की व्यवस्था वैस्य पैकारों के लिए है तथापि यह शूद्रों पर भी लागू रही होगी
173 यह बात साम्रेदारी (सम्भू समुदाय) के विषय में इए गए विस्तृत नियमों से मिछ लोटी है जो नियम सर्वप्रथम याज्ञवल्य में आए हैं यह प्रेषणीय है कि कौटिल्य और मनु (XI 206 210) का अनुसरण न करते हुए, याज्ञवल्य (II 265) ने साम्राज्यवाची नियम प्रथमत बनियों और विदेश व्यापारियों के लिए दिया है और आगे कहा है कि ये ही नियम पुणेहिनों भी और कृषकों एवं क्षिलियों की साम्रेदारी में लागू होते हैं इसी प्रकार इस काल में जो विदेश व्यापार बढ़ता जा रहा था उसके बलते नारद को यह नियम भी देना पड़ा कि विदेशी में किए गए क्रान्ति के करारों के स्थान में प्रबलित नियम ही लागू होंगे नारद I 105 106 तुलनीय जायसवाल मनु ऐंड याज्ञवल्य पृ 198 और 211 गुणाद्य की वृहत्या में जो लाग्नम 500 ई की कृति है (वीय हिस्ट्री ऑफ सर्कूल लिटरेचर, पृ 268) राजा महाराजाओं की उतनी कहानियाँ नहीं हैं जितनी बनियों व्यापारियों समुदायियों और शिल्पकारों की (वही) पर सभव है कि ये कहानियाँ दूसरी तीसरी सदी की हैं जब वाणिज्य व्यापार पराक्रम्य पर था
174 वृहस्पति 52 12 13
175 अमरकोश II 6 13 अपरकोश में शूद्री और शूना का अर्थ भिन्न भिन्न हिया गया है शूद्री का अर्थ है शूद्र की पत्नी किंतु शूना का अर्थ है शूद्र जाति की महिला आधीर जाति की महिला को

महात्मा कहा गया है

- 176 पार्टिटर डायनेस्टीज ऑफ दि कलि एज पृ 55
177 वही
178 आर्यक जिसे गोपालदारक कहा गया है (भृष्टकटिक VI 11) इसमें कुछ संदेह है क्योंकि ही सकता है कि गोपाल व्यक्ति विशेष का नाम हो
179 याज्ञवल्य I 141
180 मनुसृति VII 54 कामदक नैतिसार, IV 25 याज्ञवल्य, XIII 312 तुलनीय कामदक नैतिसार V 68 70 कात्यायन स्लोक 11 में कहा गया है कि अमात्य ब्राह्मण होना चाहिए
181 शांतिपर्व 85 7 10 परतु शांतिपर्व के आलोचनात्मक संस्करण में वह भाग नहीं है जिसमें कहा गया है कि 37 के अमात्य मडल में वार ब्राह्मण आठ अंगिय इक्षीस वैश्य तीन शूद्र और एक सूत रहने चाहिए (शांतिपर्व, कलकत्ता 85 7 11)
182 याज्ञवल्य II 1 3 तुलनीय वृहस्पति I 67
183 कात्यायन श्लोक 67
184 वृहस्पति I 79
185 वही I 72
186 (एपिग्राफिया इंडिका XV) पृ 130
187 जायसवाल हिंदू पालिटी भाग I पृ 53 भाग II पृ 105
188 टी ब्लाक आर्कोलोजिकल सर्वे (ऑफ इंडिया) रिपोर्ट्स, 1903-4 पृ 104
189 अमरकोश II 10 5 कुलक स्पात् कुलश्रेष्ठ दीक्षितार इस अर्थ को मानते हैं गुप्त पलिटी पृ 257
190 नारद I 187 लगता है शूद्र साधियों के विषय में पुरुषा दुराप्रङ्ग इस काल में भी बना रहा
191 ब्लाक पूर्व निर्दिष्ट पृ 11416 कुनिको (शिल्प संपर्कों के प्रधानों) वी अठारह मुद्राएं बसान (विशाली) में मिले हैं
192 वही पृ 117 इसा की दसर्वा ग्यारहवीं ज्ञाताद्वयों में चना रुप्य में कुलिको का उन्नेख शौलिक गौत्यिक आदि के साथ ओटे अधिकारी के रूप में हुआ है फोगेल एटिविटीज ऑफ बना स्टडी भाग I उल्कीर्ण लेख स 15 पृक्ति 8 9 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मिले 1031 ई के एक उल्कीर्ण लेख में शौलिक गौत्यिक आदि के साथ महापापाकुलिक का भी उल्लेख है (एपिग्राफिया इंडिका VII उल्कीर्ण लेख स 9 पृक्ति 34) सम्बद्धया कुलिक और महापापाकुलिक शिल्पसंघों से कर तहसीलनेवाले अधिकारी थे
193 जबुदीवपत्रि 3.55 (पृ 229)
194 कामदक XII 44-45
195 नारद XIV 26
196 वृहस्पति V 38
197 याज्ञवल्य II 69 कात्यायन श्लोक 341 नारद I 154 उन्होंने अंगिय शूद्र शब्द का प्रयोग किया है
198 कात्यायन श्लोक 348

- 199 नारद I 178 181 185
 200 वही I 154
 201 याज्ञवल्क्य II 72
 202 वही XIX 26 27
 203 वही II 150
 204 मनु VIII 258 260
 205 विष्णु VIII 20 23 नारद I 199
 206 मनु VIII 114 116
 207 याज्ञवल्क्य II 98 वृहस्पति VIII 12 कात्यायन श्लोक 422
 208 याज्ञवल्क्य II 98
 209 नारद I 334 335 वृहस्पति VIII 12 कात्यायन श्लोक 422
 210 श्लोक 422 कात्यायन ने अपने जल और विष वाले दिव्य उन सौगों के लिए भी बर्जित किए हैं जो इनका कारबाह करते हैं (श्लोक 421)
 211 नारद I 322
 212 विष्णु, IX 27
 213 नारद I 335 कात्यायन श्लोक 422
 214 विष्णु, IX 3 10
 215 वही IX 11
 216 वही IX X XI और XII
 217 जोहान्स स्ट्रावाये (500 ₹) द्वारा उद्यत बार्डसन ऐक्सिल एनडिएट इंडिया ऐज डिव्याइन्ड इन क्लासिकल लिटरेचर पृ 172-4
 218 कात्यायन, श्लोक 433
 219 मनु VIII 24
 220 कात्यायन श्लोक 118 द्विजाति प्रतिभूतीनो रथ्य खाद्य वाश्वराएषि शूद्रादीन प्रतिभूतीनाम् बन्धयत्रिगडेन तु
 221 वही, श्लोक 119
 222 वही
 223 याज्ञवल्क्य II 125 वृहस्पति XXVI 41-42 अनुशासनपर्व (सर्वन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 82 18 और 21 (नार्दन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 47 18 और 21
 224 विष्णु, XVIII 38 39
 225 वही XVIII 32
 226 वृहस्पति XXVI 125 तुलनीय अनुशासनपर्व (सर्वन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 85 15 (नार्दन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 47 15
 227 वृहस्पति XXVI 122
 228 अनुशासनपर्व (सर्वन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 19 82 (नार्दन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 47 19

- 229 वही (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 82.57 (नार्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 47 56
- 230 याज्ञवल्य II 133
- 231 अनुशासनपर्व, (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 84 18
- 232 याज्ञवल्य II 37 विष्णु VI 15
- 233 वही II 38
- 234 विष्णु, II 58 याज्ञवल्य II 34 35 नारद VII 6 7
- 235 विष्णु, III 59 61
- 236 अर्थशास्त्र IV 1 द्वादशांशे भृतक
- 237 निशीथ चूर्णि 20 पृ 281 जैन पूर्व निर्दिष्ट पृ 62 पर उद्धृत
- 238 नारद XV और XVI 22 23 25 26 28 इट्रोडक्शन टु प्लेट II 37
- 239 बृहस्पति IX 20 ताडन बधन चैव तथैद च विडत्रकम् एष दण्डो हि शूद्रस्य नार्थ दण्डो बृहस्पति भारुका 1 का पाठ विडम्बनभ्यु, जो रागस्वामी अय्यगर ने अपने वर्गीकरण में दिया है विडत्रकम् की अपेक्षा अच्छा अर्थ देता है
- 240 वही IX 18
- 241 नारद XV XVI 11 14
- 242 वही XV XVI 13
- 243 मनुसूति VIII 267 9 नारद XV और XVI 16 बृहस्पति XX 12
- 244 बृहस्पति XX 13
- 245 वही XX 10
- 246 वही XX 16
- 247 जे लैंगि ए रेकार्ड ऑफ नुड्डिस्टिक किंगडम्स पृ 43
- 248 याज्ञवल्य II 206
- 249 वही II 216 परस्पर तु सर्वेषां फले मध्यमसाहस
- 250 वही II 215 इस सदर्न में पीडनम् का अर्थ विज्ञानेश्वर ने ताङ्नादि किया है
- 251 विष्णु, V 40-41
- 252 वही V 41 अत्यागमने वध्य
- 253 वही LIV 9
- 254 वही L. 6 और 12 14
- 255 वही XXXVII 13 34 याज्ञवल्य II 236
- 256 विष्णु, XXXVII 35 शोभेय का विषयन स्पष्टतया बहुत प्राचीन है और ऐसा नहीं क्षाना जा सकता है कि यह गुप्तकाल में प्रचलित रहा होगा। निस्तदेह विष्णु ने दिव्य #५३५ निन्हे इस विषयन को प्राचीन घोत से सेकार रख दिया है
- 257 हस्तलेख ढी 7 एस (आलोचनात्मक सत्कारण के वर्गीकरण के अनुलाल) #५४ 45 सूक्ष्मदेव (IX 39) में न्यायपीठ ने ब्राह्मण चाठदत बो प्राणदह से मृत है दो शिरों की है दो सूट के लिए कात्यापन, फ्लोक 483 भी देखें

- 258 छत्तेष्व दी 7 एस (आलोचनात्मक संस्करण के बर्गीकरण के अनुसार) श्लोक 55
- 259 (जर्नल ऑफ दि रायन एशियाटिक सोसायटी ऑफ बगात कलकत्ता सीरीज III XVI) पृ 118
- 260 एस बील ट्रैवेल्स ऑफ फाहियान पृ 54 55 जाइल्स ने भी ऐसा ही अनुवाद किया है (ट्रैवेल्स ऑफ फाहियान पृ 21) किंतु लेंगि ने इस प्रकार अनुवाद किया है 'अपराधियों को (हर केस की) परीक्षितियों के अनुसार दड मिलता था' ए रेकार्ड ऑफ बुद्धिस्टिक लिंगडम्स पृ 43 जिससे वर्णभेद ध्वनित होता है
- 261 मनुसूति VIII 337 और 8 नारद परिशिष्ट (स्तेव) परिशिष्ट 51 और 52
- 262 शांतिपर्व 36 28 29
- 263 कात्यायन श्लोक 485
- 264 अमरकोश II 10 25 26 तुलनीय अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 143 21 (नार्दन एडिशन आफ दि महाभारत) 94 21
- 265 शांतिपर्व 12 27 25 11 67 2 76 5 88 26 90 8 98 8 101 3
- 266 शांतिपर्व 79 17 18 अम्बुषिते दस्युबले हत्रार्थे वर्णसकरे ब्राह्मणो यदि वा वैश्य शूद्रो वा राजसतम। दस्युभ्योऽथ पूजा रखेदू दण्ड घर्मेण धारयन् वही 79 34 36
- 267 शांतिपर्व 78 37
- 268 वही 78 38
- 269 यद्यपि इसके रचयिता वसिष्ठ कहे जाते हैं किंतु इसकी शैली वसिष्ठ वर्षसूत्र की शैली से नहीं मिलती है किंतु भी इसमें तीरदानी पर जो बहुत जोर दिया गया है उससे लक्षित होता है कि इसका सकलन गुप्तकाल के बाद नहीं हुआ होगा
- 270 धनुर्वेद सहिता श्लोक 3
- 271 वही श्लोक 8
- 272 मृध्यकटिक में वीरक और खदनक के दृष्टाता VI 22 और 23
- 273 शांतिपर्व 73 9 74 4 5 8 10 28 32 75 13 22
- 274 वही 49 60 61
- 275 अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 214 58 शूद्र पृथिव्या बहवो राजा बहुविरोधका तथात प्रगाद सुश्रोणि न कुर्यात् पणिष्ठते नृप
- 276 वसिष्ठ वर्षसूत्र IV 24 आश्वमेधिक पर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 118 17 20 अमरकोश (II 10 9) में शूद्रों को आलसी और दक्ष बताया गया है
- 277 शांतिपर्व 91 12 13
- 278 नारद XVIII 14 16
- 279 वीरमित्रोदय के अनुसार
- 280 याज्ञवल्य II 304 मनुसूति (IX 224) में दिजलिंगी (ब्राह्मण का स्वींग रचनेवाले) शूद्र के लिए प्राणदण्ड का विद्यान है किंतु इस प्रसंग में राजा के विरोध की चर्चा नहीं है
- 281 शांतिपर्व 89 13 14 कौटिल्य ने ऐसे लोगों के लिए नई बस्ती में प्रवेश वर्जित किया है अर्यजासत्र II 1

- 282 पादुलिपि छी 7 एस (आलोचनात्मक सत्करण के वर्गीकरण के अनुसार) श्लोक 20
 283 याजवल्यम् III 126
 284 वायु पुराण II 11 90 ब्रह्माड पुराण III 10 96
 285 वायु पुराण परिचय स 818 पाटिल कल्परल हिंदू प्रेषण दि वायु पुराण पृ 304 में
 उद्भृत यह विभेद शास्त्रपर्व में भी आया है
 286 एक अन्य हस्तलेख में 'गौर दर्ज विहित किया गया है
 287 नाट्यशास्त्र XXI 113 पचाली शूरसेनो मानवों अगों और कलिगों के लिए कलता भी
 विहित किया गया है (वही XXI 112)
 288 वही II 49 52
 289 वही II 55
 290 द्वादो दि रिपब्लिक (जावेट का अनुवाद) पृ 126 7
 291 विष्णु पुराण XXVII 6-9
 292 कार्पस इंस्क्रिप्शनम् इंडिकेरम् III स 35 (समयक 533 34 ई) पंक्ति 9 12
 293 वही स 3 (समयक 401 2) पंक्ति 1 2 तुलनीय फ्लीट पूर्वोदयपृ 11 पाद टिप्पणी
 1
 294 नाट्यशास्त्र XVII 95 99
 295 वही XVII 73
 296 मृच्छकाटिक अक 1 पृ 5 अक 2 पृ 63 64 इनमें से कुछ गणियाँ, जैसे
 'छिण्णालिङ्गा' पुत्र बिहार में आज भी प्रचलित है
 297 नाट्यशास्त्र XII 146 8 नीचादि वेटादिनाम्
 298 याजवल्य I 116 गौतम की भौति इन्होने इसके लिए 80 दर्ढ की वय सीमा नहीं निर्धारित
 की है
 299 वही I 107
 300 वही
 301 आपसत्र एम्सूत्र II 4 9 5 द्वैपायन एम्सूत्र II 3.5 11
 302 याजवल्य I 103 अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 154 22 250
 15
 303 आस्थेयिक एवं (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 110 17 20 61 44-45 दृहस्पति
 श्राद्धखण्ड श्लोक 43
 304 शास्त्रपर्व 37 22 23 रणजीवन शब्द का अर्थ रणोज या अभिनेता किया जा सकता है
 305 याजवल्य I 160
 306 वही I 161.5 घाकिक शब्द का अर्थ तेली भारवाहक या गाड़ीवान हो सकता है
 307 अनुशासनपर्व (नार्दन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 135 2 3 (सदर्न एडिशन ऑफ दि
 महाभारत) 198 2 3
 308 वही (नार्दन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 135.5 (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 198.5
 309 वही (नार्दन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 136 20 22 (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत)

- 199 20 22
- 310 आश्वमेपिक पर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 110 24
- 311 वही 110 32
- 312 याज्ञवल्य । 166
- 313 वृहस्पति XV 19
- 314 वृहस्पति प्रायरिचित श्लोक 34 86 88 आचार श्लोक 87
- 315 मृच्छकटिक I 32
- 316 याज्ञवल्य III 255 6
- 317 वही III 255 6 थी ईका
- 318 अमारकोश II 10 39-43
- 319 वही II 10 44-46
- 320 पवतत्र पृ 15
- 321 याज्ञवल्य I 170
- 322 वही I 171 173
- 323 वही I 175 6
- 324 वही I 177 8
- 325 वही I 176
- 326 लेणि पूर्व निर्दिष्ट पृ 43
- 327 याज्ञवल्य II 296
- 328 वृहस्पति पृ 21 श्लोक 128 मध्यदेशी कर्मज्ञा शिलिनश्व न्याशिन अवेडकर का लक्ष है कि गोपासभाषण अस्युश्मता के उद्घाव का एक मूल कारण था अवेडकर दि अनटदेवन्सु अप्याय 9 मिन्तु यह सिद्ध करने का कोइ आधार नहीं है कि ये मजदूर और कारीगर आपूर्ति माने जाते थे
- 329 पाटिल पूर्व निर्दिष्ट पृ 18 में वायु पुराण से उद्धृत
- 330 भार्कांडेय पुराण 69 72 हाजरा पूर्व निर्दिष्ट पृ 232 म उद्धृत
- 331 अनुशासनपर्व (नारदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत 44 9 सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत 79 9) में यह पुराणा नियम दुर्लभता गया है कि भासुर और पैशाच विवाह शायद दिनों के लिए श्रेयस्कर नहीं हैं
- 332 अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 249 9 उत्तमाना तु वर्णना मन्त्रवत्पाणिसप्राप्त विवाहकरण वायु शूद्राणा सम्प्रयोगत
- 333 वृहत्यत्पाण्य 2.3446 जैन पूर्व निर्दिष्ट पृ 159 में उद्धृत
- 334 याज्ञवल्य । 69 एव तात्कूराणा नियोगाधिकार उक्त काणे पूर्व निर्दिष्ट II भाग । 604
- 335 काणे पूर्व निर्दिष्ट II भाग I पृ 604 5 में मूल उद्धृत
- 336 अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 149 15 16
- 337 नारद XII 100

- 338 यात्रवल्य I 48 कात्यायन श्लोक 568
 339 विष्णु XXIV 41
 340 जाती सेकेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट VII 109 पाद टिप्पणी 41
 341 नारद XII 4-6 अनुशासनपर्व (नार्दन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 44 11 (सदन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 79 11
 342 अनुशासनपर्व (नार्दन एडिशन ऑफ दि महाभारत), 44 12 और 13
 343 कात्यायन VI 6 54 दीका सहित
 344 वही I 5 3
 345 वही III 1 1
 346 यात्रवल्य I 56 7 बृहस्पति आपद्यम श्लोक 47 सस्तार श्लोक 375 7 अनुशासनपर्व (सदन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 44 13 47 8 9 आश्वमेधिक पर्व (सदन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 117 10 यदि कोई व्यक्ति पुकासी के साथ सम्मेलन करे तो पराक्रियता उसका प्रायशिच्छत है बृहस्पति प्रायशिच्छत श्लोक 70
 347 मृत्युकटिक अक 10
 348 (एपिग्राफिया इंडिया XV) पृ 301 इसी सन की आठवीं शताब्दी के एक पुरातत्व से इसे पता चलता है कि भासक सौकान्य के पातृकीय पूर्वज को जीवन दे, यह पत्नी से एक पुत्र (पारेश) था
 349 यात्रविरागिभित्र अक I पृ 10 जैन पूर्व निर्दिष्ट पृ 155 6
 350 यात्रवल्य I 91 94 नारद XII 108 111 और 113 अमरकोश II 10 1 4
 351 अनुशासनपर्व (नार्दन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 48 5 27 (सदन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 83 5 27 (सदन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 84 17
 352 वही (नार्दन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 47 22, (सदन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 83 22
 353 वही (नार्दन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 47 23 (सदन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 83 23
 354 वही (सदन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 49 9
 355 वही पृ 84 28
 356 वही (नार्दन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 49 9
 357 वही (कल) 33 21 23
 358 यात्रवल्य II 294
 359 कात्यायन श्लोक 351 आश्वमेधिक पर्व (सदन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 116 19
 360 अमरकोश II 10 1 4
 361 वही II 9 78
 362 वही II 10 20
 363 लेणि पूर्व निर्दिष्ट पृ 43
 364 अद्वार भाष्य 3 92 निरीय पूर्व 11 पृ 747 जैन पूर्व निर्दिष्ट पृ 360 में उद्धृत

- 365 अपरकोश II 10 21
 366 वृहस्पति प्रायशिचत् श्लोक 49 50 यदि रजस्वला क्य स्वप्नाक से स्वर्ण हो जाए, तो उसके लिए भी प्रायशिचत् बताया गया है (वही प्रायशिचत् श्लोक 87)
 367 लेणि पूर्व निर्दिष्ट पृ 43
 368 मार्कण्डेय पुराण 25 34 36
 369 अनुशासनपर्व (नार्दन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 47 29 30 (सर्वन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 83 29 39
 370 महाबंस X 93 व्यवहार भाष्य 7 449-462 पृ 79 मारव XIV 26
 371 अपरकोश II 10 14
 372 वही II 10 22 24
 373 वही II 10 26 27
 374 लेणि पूर्व निर्दिष्ट पृ 43 जाइल्स ने घडात शब्द वा अनुवाद 'काउल मैन (लेपर)' किया है जाइल्स पूर्व निर्दिष्ट पृ 21
 375 उपाध्याय होडिया इन कालिदास पृ 170
 376 वृहत्कल्पमाण्ड्य गाया 2766
 377 व्यवहार भाष्य 3 92 निशीष चूर्ण 11 पृ 747 जैन पूर्व निर्दिष्ट पृ 360 में उद्धृत
 378 अनुशासनपर्व (नार्दन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 47.32, (सर्वन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 83.32
 379 वही (नार्दन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 101 3 (सर्वन एडिशन ऑफ दि महाभारत)
 158 4
 380 लेणि पूर्व निर्दिष्ट पृ 43
 381 तुलनीय मृच्छकटिक X
 382 लभावतार सूत्र पृ 258
 383 वही पृ 246
 384 जैन पूर्व निर्दिष्ट पृ 360 डोब अथव गायकों की जाति है जो उत्तर भारत की प्राचीन जातियों में एक है
 385 जैन पूर्व निर्दिष्ट पृ 144 5
 386 अपरकोश II 10 31 32
 387 जैन पूर्व निर्दिष्ट पृ 220 22 जट जट्ठी के गीत आज भी विहार में निम्न जातियों के लोगों में प्रचलित हैं
 388 आवश्यक चूर्ण II पृ 294 जैन पूर्व निर्दिष्ट पृ 222 में उद्धृत
 389 भागवत पुराण XI 17 20 तुलनीय VII 11 30
 390 मृच्छकटिक X 22
 391 वज्रसूत्री (एस) श्लोक 16 पृ 5
 392 अनुशासनपर्व (नार्दन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 47 33 35 (सर्वन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 83 33 5

- 393 महाभारत XII 328 49 श्राव्येच्च चतुरो वर्णान् हापकिस दि रैलिजन्स ऑफ इंडिया
 पृ 425 में उद्धृत
 394 महाभारत XII 319 87 और आगे उद्धृत वही प्राप्य ज्ञानम् शूद्रादपि
 395 मार्कण्डेय पुराण XXI 31 नाट्यशास्त्र I 14
 396 भागवत पुराण I 4 25 I 4 29 स्वीशूद्रदिनबन्धुना ब्रह्मी न शुदिगोचरा कर्मचरेयसि
 भूदाना श्रेय एव भवेदिह, इति भारतमाज्यान कृपया मुनिना कृतम्
 397 भविष्यत् पुराण I 1 72 श्रोतव्यमेव शूद्रेण नाथ्येतव्य फदाच्चन्
 398 नाट्यशास्त्र I 12 और 13
 399 वीथ दि सांख्य सिस्टम पृ 57 पतञ्जलि का योगसूत्र समवतया तीसरी शताब्दी है से
 पहले का नहीं है
 400 वही पृ 57 चीनी साल्प के अनुसार सांख्यकारिका के रवयिता ईश्वरकृष्ण वसुबधु के पूर्व
 समकालीन थे और वसुबधु समवतया 300 है के लगभग हुए थे
 401 वही पृ 100
 402 वही पृ 100
 403 यज्ञवल्मीय I 233 भूतकार्यापक
 404 मृद्गवटिक IX 21 वैरार्थ्यन् प्रापृतस्त्व दर्शसि न च ते जित्वा निपतिता
 405 वद्रसूची (एम) पृ 4
 406 जायसदात् मनु ऐड यज्ञवल्मीय पृ 241
 407 नाट्यशास्त्र XVII 37
 408 वही XVII 39
 409 वीथ निस्ट्री ऑफ सस्कृत निटरेवर पृ 31
 410 नाट्यशास्त्र XVII 54 56
 411 मुयजी एनरिएट इंडियन एन्जिनियर पृ 347
 412 यज्ञवल्मीय III 262 अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 149 13 तुलनीय
 शर्तेष्वर्व 70 5
 413 अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 147 I शूद्रा परिमाण तुलनीय ब्रह्माद
 पुराण II 29.55
 414 नारद I 332
 415 विज्ञु IX 10
 416 मार्कण्डेय पुराण 28 7 8
 417 ब्रह्माद पुराण III 12 19 यह दोनों हैं — ब्राह्मण विद्या देवा, वनि और नृपा
 मनुष्मृति III 69 70
 418 यज्ञवल्मीय I 121
 419 हार्षीस मुख्यमन रिनेश्स ऑफ कोर कास्ट्स इन मनु' पृ 36 ॥ ३२ ॥
 420 ब्रह्माद पुराण III 12 19

- 421 मनुसृति II 169
- 422 याज्ञवल्क्य I 39
- 423 शातिपर्व 60 36 स्वाहाकारनमस्कारी मन्त्र शूद्रे विधीयते ताम्या शूद्र पाकयौर्यगेतु ब्रतवान् स्वप्यम् सर्वाधिक महत्यापूर्ण हस्तलेखों में यह विभेद किया गया है कि कौन यज्ञ शूद्र कर सकता है और कौन द्विन् इसमें स्वाहाकार नमस्कार और मन्त्र का प्रयोग शूद्र के लिए वर्जित किया गया है किंतु दीशाव्रत के बिना ही पाकयज्ञ करने की अनुमति दी गई है आलोचनात्मक टिप्पणी शातिपर्व 60 राजपर्य भाग II खण्ड 19 पृ 660 661 पाकयज्ञ सभी दस्युओं के लिए भी विहित है (शातिपर्व 65 21 22) जिससे सूचित होता है कि ये मध्य ब्राह्मणिक समाज की परिधि से बाहर भी फैलते जा रहे थे तुलनीय वृहस्पति सस्कार श्लोक 529
- 424 शातिपर्व 60 37 38
- 425 शातिपर्व 60 39-43 तुलनीय 51 52 यहो मनीषया तात सर्ववर्णेषु भारत तस्मात् सर्वेषु वर्णेषु श्रद्धायहो विधीयते दीका सी एन (आलोचनात्मक सस्करण के वर्णाकरण के अनुसार) में सर्ववर्ण शब्द का अर्थ त्रैवर्णिक किया गया है पुर्लिंदा 19 पृ 660 61
- 426 याज्ञवल्क्य III 262
- 427 गैर्पट डाई सुहनेजेर्मेनियन इन डैर अल्टिनडिस्चेन रेष्टलिटरेदर पृ 94
- 428 वृहस्पति प्रायशित श्लोक 60
- 429 वृहस्पति सस्कार श्लोक 101 किंतु कान घेने के अकुश की धातु विभिन्न वर्णों के बच्चों के लिए भिन्न बताई गई है (वही)
- 430 वही सस्कार श्लोक 154(a)
- 431 आर बी पाटेय हिंदू सस्कार, पृ 161
- 432 मनुसृति II 35 चूडाकर्म द्विजातीना सर्वामेव शर्मत
- 433 सम्बवत राम के हाथ से शबूक के दय की कहानी जिसमें मनु की मनोवृत्ति का आभास मिलता है रामायण (उत्तरकांड अध्याय 74 76) में धौर्योंसर काल में प्रविष्ट की गई है
- 434 रघुवंश XV 53 तुलनीय अनुकासनपर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 270 11
- 435 शातिपर्व 63 9 11 63 9 पुर्लिंदा 19 पृ 662 पर आलोचनात्मक टिप्पणी
- 436 वही 63 12 14
- 437 कात्यायन श्लोक 496 मार्विष्टेय पुराण में भी शूद्रसन्न्यासी का उल्लेख है (22.19) किंतु उनके हाथ के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है
- 438 याज्ञवल्क्य II 235
- 439 हरिभक्ति विलास के 18वें विलास में गोपालभृ द्वाय हयशीर्ष पचात्र से उद्धृत और वहाँ से बनर्जीकृत डेवलपर्मेंट आप हिंदू आइकोनोग्राफी पृ 227 पाद टिप्पणी 1 में पत्तुदृत
- 440 वृहस्पति (तुथाकर द्विवैदी सस्करण) 89 5 6
- 441 विष्णुप्रमोत्तर महापुराण III 89 12
- 442 वही III 90 2 शुद्धा शस्ता द्विजातीना सत्रियाणा च लौहिता, विषा पीताहिता कृष्णा शूद्राणा च हितप्रदा
- 443 याज्ञवल्क्य III 26

- 444 ब्रह्मांड पुराण III 14 86 87 विष्णु पुराण III 13 19 बृहस्पति अशोच श्लोक 39
 445 याज्ञवल्मीय III 23
 446 अनुशासनपर्व (नारदने एडिशन ऑफ दि महाभारत) 101 11 12 (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 163 11 12
 447 वही
 448 वही (नारदने एडिशन ऑफ दि महाभारत) 101 13 (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 163 12.
 449 वही (नारदने एडिशन ऑफ दि महाभारत) 106 2, (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 163 2.
 450 बृहस्पति अशोच श्लोक 34 35 कुछ वर्ग के लोग सभा शुक्रि भाने जाते हैं जैसे किल्पी कृषक वैद्य दास दासी नापित राजा और वेदम् ब्राह्मण याज्ञवल्मीय III 28 29 बृहस्पति अशोच श्लोक 9
 451 शास्त्रिपर्व 36 35
 452 बृहस्पति आचार श्लोक 37
 453 बृहस्पति प्रायशिक्षण श्लोक 74 75
 454 पठेय- पूर्व निर्दिष्ट पृ 439
 455 याज्ञवल्मीय I 121 वायु पुराण II 13 49
 456 भरतपुराण 17 63 64
 457 वही 17 70
 458 मार्कण्डेय पुराण 49 77 81 विष्णु पुराण I 6 34 35
 459 ब्रह्मांड पुराण III 10 96 99 वायु पुराण II 11 90 मार्कण्डेय पुराण 96 23
 460 मार्कण्डेय पुराण 96 36
 461 ब्रह्मांड पुराण II 32 90 121 122
 462 मार्कण्डेय पुराण 28 3 8
 463 भरतपुराण 17 71 दानेन सर्वेकामातिरस्य सजायते
 464 अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 217 13 15 याप की शुद्धि के लिए दान की परिमा के बारे में देखें हाजरा पूर्व निर्दिष्ट पृ 250
 465 भरतपुराण 69 51 54 के इद कस्माद्याप्ति वैदिक मन्त्रपीरेषेत् हाजरा ने जीवनद के संस्कारण के अध्याय 70 71 के सम्बन्धातर अध्याय 69 72 का कल संगमग 550 650 ही रखा है हाजरा पूर्व निर्दिष्ट पृ 176
 466 भरतपुराण 91 23 32.
 467 वौ सौ सा हेवन ऐड हेल पृ 36-45 में प्रस्तुत विभानवल्मु दीक्षा के सार के आधार पर संग्रहित
 468 हाजरा पूर्व निर्दिष्ट, पृ 247
 469 के वौ रंगवासी अध्यार बृहस्पति इट्रोउस्कन, पृ 162.
 470 बृहस्पति संस्थार, श्लोक 288
 471 विष्णु LXXXII 14 और 22, शास्त्रिपर्व वायुशिष्यि दी एस 5 ब्रह्मांड पुराण III 15 44

- 472 अनुसृति XI 42
 473 वज्रसूची (बी बी) पृ 7
 474 वही (ओ) पृ 4
 475 वही (ई ई) और (जी आई) पृ 8 और 9
 476 के जी गोस्वामी वैष्णविन्यम (इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टली कलकत्ता XXXI)
 पृ 132
 477 रायबौपटी दि अर्ली हिस्ट्री ऑफ दि वैष्णव सेक्ट पृ 117
 478 मगवद्गीता IX 32 भागवत पुराण VII 7 54 55 XI 5 4
 479 भागवत पुराण III 16 6
 480 वही III 33 7
 481 वही V 1 35 दैर्घ्य आश्वमेधिक पर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 117 2.
 482 शांतिपर्व (कल) 296 28 वैदेहक शूद्रमुदाहरन्ति द्विजा महाराज शुद्रोपरत्र अह हि
 पश्यामि नरेन्द्र देव विश्वस्य विष्णु जगत् प्रथानम् यहाँ शूद्र के विशेषण के रूप में 'वैदेहक
 शब्द का प्रयोग विचित्र है
 483 आश्वमेधिक पर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 116 21
 484 वही 116 22
 485 वही 116 31
 486 अनुशासनपर्व (नार्दन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 18 81 (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत)
 49 81
 487 वायुपुराण I 30 18
 488 वही II 39 352 4 वायुपुराण के परिशिष्ट में दी गई वहानी के अनुसार नव नाम के नापित
 ने वाराणसी में गणेश क्षेत्र की मूर्ति स्थापित की पाटिल पूर्व निर्दिष्ट पृ 38
 489 भी मट्टवार्य जाय्यसहिता फोरवर्ड पृ 34 शिलालेखीय प्रमाणों से यह पुस्तक 450
 ई के आस पास की मानी गई है
 490 जाय्यसहिता 18 3 5
 491 वही 6 9 सु (स ?) जातीयेन शूद्रेण तादृजेन महायिया अनुग्रहाभिषेकीव कार्या शूद्रस्य
 सर्वदा
 492 के जी गोस्वामी पूर्व निर्दिष्ट (इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टली कलकत्ता XXXI)
 पृ 125
 493 फिर भी कई वचनों में विशेषतया ब्राह्मणों के लिए कर्मकाड़ों के अनुष्ठान वी आवश्यकता पर
 जोर दिया गया है यदि ब्राह्मण सप्तावदन या अग्निहोत्र न करे और वाणिज्य वृत्ति या
 कृषि वृत्ति अपनाए तो वह शूद्र या वृषल की कोटि में जा जाएगा अनुशासनपर्व (नार्दन
 एडिशन ऑफ दि महाभारत) 104 19 20 (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 161 20
 (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 217 10 12 आश्वमेधिक पर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि
 महाभारत) 116 11 12 तुलनीय शांतिपर्व XII 63 3 5 अग्निहोत्र उपनयन व्रत आदि
 पार्मिक वर्णों और सस्कारों का अनुष्ठान न करना अवाजर्णों के यहाँ यज्ञ करना तथा शूद्रों वी

सेवा करना ब्राह्मणों के लिए उपरातक बताए गए हैं याजवल्क्य, III 234 242

- 494 आश्रमेशिक पर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 116 5 6
- 495 अनुशासनपर्व, (नार्दन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 48 48 (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 83 47
- 496 वनपर्व (कल) 215 13 यस्तु दसै सत्ये धर्मेच सतत रिथत त ब्राह्मणपठ मन्ये वृत्तेन हि भवेद् द्विन
- 497 अनुशासनपर्व (कल) 143 46 50 तुलनीय वनपर्व (कल) 181 42-43 न योनिनामिपि सस्तारो न अतु न च सत्ताति
- 498 अनुशासनपर्व (कल) 143 51 शांतिपर्व (कल) 18¹ 8 वनपर्व (कल) 180 25 26 तुलनीय 35 36 भविष्य पुराण I 44.31 तुलनीय भागवत पुराण VII 11 35
- 499 वद्वसूची (के के), श्लोक 43 पृ 10
- 500 वनपर्व (कल) 205 44 206 10 25
- 501 वही 206 20 22
- 502 हापनित रैनिजन्स ऑफ इडिया पृ 425 में उद्वत होल्ट्समैन न्यूजेन बूबेर पृ 86
- 503 वद्वसूची (जी) श्लोक 9 और 10 पृ 2 तुलनीय (वाई) श्लोक 27 पृ 7
- 504 गीता IX 32 धर्मव्याय का भी ऐसा विस्तास है कि सेवा ही शूद्रों का धर्म है (कर्म शूद्रे)
- 505 द्विनशुश्रूपण धर्म भक्तिमयि आश्रमेशिक पर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 118 15 16
- 506 मनुसूति IX 335
- 507 मृच्छकटिक VIII 25 करमाकर का अनुवाद पृ 232 जेण थि गव्यदासे विणिमिदे भाअथेअदोसोहि अहिअ च न विणिस्स पलिहलामि
- 508 मुर्वे 'वास्ट एंड क्लास पृ 95
- 509 अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 164 2 4 (नार्दन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 107 2 3
- 510 मोरे दि स्लेड डैट वाज इंजिन पृ 185
- 511 मोरेट और डेवी फ्राम ट्राइब दु इम्पायर पृ 222
- 512 शांतिपर्व 85 7 10
- 513 मुर्वे पूर्व निर्दिष्ट पृ 94 मुर्वे ऐसा ही सोचते हैं उनकी राय है कि 300 £ से 1000 £ तक शूद्र सामाजिक दृष्टि से और भी अधोगत हुए

सारांश ओर निष्कर्ष

आरंभिक काल से लेकर लगभग पाँच सौ ई तक शूद्रों की स्थिति में हुए परिवर्तन के प्रमुख घरणों का विवरण भोटे तौर पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा जान पड़ता है कि आयों और अनायों के पराजित और बेदखल कर दिए वर्ग शूद्र बना दिए गए और विजेता उसे अपनी सामूहिक सत्पति मानने लगे। चूंकि अधिकाश शूद्र मूलत आर्य समुदाय के ही अग थे, इसलिए परवर्ती वैदिक समाज में भी उनके अनेक जनजातीय अधिकार खासकर धार्मिक अधिकार बने रहे। किंतु जब प्राकृतीर्थ काल (लगभग ४ सौ ई पूर्व से तीन सौ ई पूर्व तक) में वर्णांश्रित समाज पूर्णतया स्थापित हो गया तब उन्हें इन अधिकारों से विचित कर दिया गया और तमाम आर्थिक, राजनीतिक एवं कानूनी और सामाजिक तथा धार्मिक अशक्तताएँ उन पर लाद दी गईं। शूद्र को दास समझा जाने लगा हालांकि कानूनन शूद्रों का केवल एक वर्ग ही दास रहा होगा। शूद्र शब्द को दास का पर्याय मानना गलत है, यद्यपि हार्पिंस ने ऐसा ही भाना है।¹ इसी प्रकार शूद्र को कृषि दास (सर्फ) कहना भी टीक नहीं है जैसा कि वैदिक इडेक्स² में कहा गया है, क्योंकि कृषि दास वह है जो भूमि के साथ दैध्य रहकर सेवा करता हो और उसके साथ हस्तातरित किया जा सकता हो। भोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि बहुत दिनों तक शूद्र शब्द का प्रयोग उन बहुविषय भजदूर वर्णों के लिए सामूहिक रूप में किया जाता रहा जो तीन उच्च वर्णों की तावेदारी करते थे। इस दृष्टि से उसकी तुलना सामान्यतया स्पार्टा के गुलामों से की जा सकती है। शूद्रों की चाकरी कई प्रकार थी थी। वे परेतू नौकरों और दासों कृषि दासों भाड़े के मजदूरों और शिल्पियों के रूप में काम करते थे। हाल के एक लेखक ने निंदा भरे शब्दों में बताया है कि वे कोई रचनात्मक कार्य करने योग्य नहीं थे।³ किंतु यह दृष्टा के साथ कहा जा सकता है कि शूद्रों के श्रम और दौशल तथा वैश्य किसानों द्वारा किया गया अतिरिक्त उत्पादन प्राचीन भारतीय समाज के भौतिक आधार थे।

मोर्यकाल में शूद्र से कृषि भजदूर का काम लेने की प्रवृत्ति पराकाष्ठा पर थी और उसके पहले या पश्चात किसी भी समय दासों भाड़े के मजदूरों और कारीगरों पर राज्य का इतना

अधिक नियत्रण नहीं रहा। कहा गया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य माना गया है और वे गुलाम नहीं बनाए जा सकते थे। किंतु सबद्ध परिच्छेदों के सूखम विवेचन से इस मत की पुष्टि नहीं होती।⁴ अशोक ने न्याय-प्रशासन में वर्ण-विभेदों को दूर करने का जो प्रयास किया उससे प्राय ब्राह्मण नाराज हो गए और निम्न वर्णों को भी लाभ नहीं पहुँचा।

मोर्योत्तर काल (लगभग दो सौ ई पू से दो सौ ई सन) में शूद्रों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मनु का कहर शूद्रविरोधी रुख और ब्राह्मणविरोधी कार्यों के लिए पुराणों में की गई शूद्रों की भर्त्तानाएँ तीव्र वर्णसंघर्ष का संकेत देती हैं और यह संघर्ष शूद्रों के हक में सभवतया विदेशियों द्वारा किए गए हस्तक्षेप से तीव्रतर हो गया था। सभवतया इस संघर्ष के फलस्वरूप और प्रबल मोर्य साम्राज्य के पतन तथा नए-नए कला कौशल के विकास के कारण शूद्रों की स्थिति में परिवर्तन के आसार दिखाई पड़ने लगे और गुप्तकाल (लगभग दो सौ ई पू से पाँच सौ ई सन) में ये परिवर्तन अधिक स्पष्ट हो गए।

इस काल में शूद्रों ने कुछ धार्मिक और नागरिक अधिकार प्राप्त किए और कई दृष्टियों से वे वैश्यों के समकक्ष बन गए। वैश्यों और शूद्रों का समुक्त उल्लेख तो प्राचीन ग्रन्थों में भी मिलता है, किंतु मोर्योत्तर काल और गुप्तकाल के ग्रन्थों में ऐसा उल्लेख अधिकाधिक सज्जा में मिलने लगता है। अन्यान्य विकासों की रोशनी में, गुप्तकाल में ऐसे उल्लेखों का अपना एक अलग और नया महत्व है। स्पष्ट है कि वैश्यों की हैसियत घटाकर उन्हें पराधीनता की ओर ढकेल दिया गया और शूद्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वाधीनता की ओर अग्रसर किया गया। इनमें पहली प्रक्रिया का अनुमान विकसित शेत्रों में ब्राह्मणों को दिए गए अनेकानेक भूमिदानों से किया जा सकता है, जिनके चलते पुराने किसानों और राजा के बीच एक भव्यवर्ती सत्ता कायम होने से इन किसानों की स्थिति छासोन्मुख हो गई।⁵ बेगार (विद्धि) वी प्रथा जो मौर्यकाल में दासों और कर्मकारों तक ही सीमित प्रतीत होती है, अब किसानों पर भी लागू कर दी गई और इससे वैश्यों तथा शूद्रों के बीच की असमानता और भी कम हो गई। शूद्रों का वैश्यों के दर्जे में पहुँचना किसान के रूप में उनके रूपातरण और शिल्पियों तथा व्यापारियों के रूप में उनके बढ़ते हुए महत्व से भी स्पष्ट होता है। मातृम होता है कि अविकसित शेत्रों में ब्राह्मणों को दिए गए भूमिदानों से शूद्र किसानों की सज्जा बढ़ी थी। ऐसे किसान आदिवासी जनजातियों से ब्राह्मणिक सामाजिक संगठन में आत्मसात किए जा रहे थे। प्राचीनकाल में शूद्रों का काम था उच्च वर्णों के लिए श्रम की आमूर्ति करना किंतु गुप्तकाल के बाद अब उनका काम था शिल्पी व्यापारी और विशेषकर किसानों के रूप में उत्पादन कर्म द्वारा सामानों की आमूर्ति। उनकी पुराने ढग की

परायीनता अब भी बनी हुई थी किंतु ऐसी रिति में पड़े शूद्रों की सच्चा इस काल के नए ढंग के शूद्रों की अपेक्षा कम थी।

गुरुकाल से पहले की शूद्र समुदाय की परायीन हैसियत और दयनीय स्थिति के बावजूद शूद्रों के विद्रोह का कोई प्रमाण शायद ही मिलता है। हाँ, मौर्योत्तर काल में इनके घोर ब्राह्मणविरोधी कार्यकलापों के प्रसंग मिलते हैं। रोम के दासों द्वारा की गई क्रतियों की तुलना में शूद्रों के सायोगिक और छिपुट राज्यविरोधी कार्यकलाप महत्वपूर्ण नहीं हैं। उत्तर भारत की सामाजिक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (उसी ई पू से दो सौ ई रान) सबपी एक रचना में बताया गया है कि निम्नवर्गीय वैश्य मध्यमवर्ग (हीन मध्यमवर्ग) के थे⁶ और शूद्र एवं द्विज वर्णों के बीच सतुलन बनाए हुए थे।⁷ 'द्विज वर्णों (द्विज कलासेज) शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है वर्योकि वैश्वों को भी द्विज माना जाता था। किंतु यह तथ्य भी कि वैश्य एक और प्रथम दो वर्णों और दूसरी ओर शूद्रों के बीच सतुलन का काम करते थे केवल ई सन के आरभ होने के पहले तक के काल के लिए ही सधी हो सकता है क्योंकि मोटे लोर पर उसी समय से दोनों निम्न वर्ण एक दूसरे के निकट पहुँचने लगे थे और गुप्तकाल आते आते उनका अलग अलग अस्तित्व समाप्त सा हो चुका था।

किंतु प्राचीन भारतीय समाज में शूद्रों की आपेक्षिक शातिप्रियता को स्पष्ट करने के लिए कुछ अन्य कारण भी बताए जा सकते हैं। भारत में सभवताया मुद्रामूलक अर्थव्यवस्था उस हद तक विकसित नहीं हुई थी जिस हद तक वह ग्रीस⁸ और रोम में थी। अत शूद्रों की सैद्धांतिक दासता के बावजूद उनमें से बहुत कम को ही ऋण की अदायगी नहीं करने के कारण दास बनाया जाता था। ग्रीस में दासता का यह प्रमुख साधन था।⁹ मौर्यपूर्व काल और मौर्यकाल को छोड़कर कृषि दासों से काम लेने के बहुत कम प्रमाण मिलते हैं। दास अधिकतर घरेलू कार्यों के लिए रखे जाते थे। इस व्यवस्था में मालिक के साथ उनका घनिष्ठ सबय रहता था तथा घरेलू सोषण पक्ति में दास को सर्वथा एक भिन्न वर्ग का नहीं माना जाता था बल्कि उसे सदस्यों के बीच ही सबसे नीचे रखा जाता था।

हो सकता है कि जोर जबर्दस्ती किए जाने की रिति में शूद्र मजदूरों ने स्वतंत्र जनजातियों के पास शरण ली हो¹⁰ अथवा वे एक राज्य को छोड़कर दूसरे में चले गए हों। इतना ही नहीं ब्राह्मणों और धत्रियों की तुलना में शूद्र कोई सुसांगठित, रुद्धद्वार समुदाय नहीं था जो अपने मालिकों के विरुद्ध कोई समुक्त कार्रवाई करने में सक्षम हो। ज्यों ज्यों समय बीतता गया शूद्र विभिन्न तरह की सामाजिक प्रतिष्ठा वाली अनेक उपजातियों में दिखार गए और अनेकानेक जनजातियों के अत प्रवेश से तो इन उपजातियों की सख्त्या और भी बढ़ती गई। कहा गया है कि अमरकलश में मालाकार कुभकार राज कारीगर जुलाहा दर्जी, रगसाज आदि को उत्तरोत्तर अपरूपता के क्रम से रखा गया

है।¹¹ इसमें कोई संदेह नहीं कि शूद्रों के बीच घरेलू नौकरों, बटाईदारों, चरवाहों और नापितों की अधिकाश अन्य प्रकार के शूद्रों की अपेक्षा, समाज में ऊँचे दर्जेवाला माना जाता था, क्योंकि उनके मालिक भी उनका अत्र ग्रहण कर सकते थे।¹² निचली जातियों की इससे भी बड़ी कमज़ोरी थी, शूद्रों और अशूद्रों के रूप में उनका विभाजन जो पाणिनि के समय में प्रकट हुआ बाद में भी रहा और गुप्तकाल में तीव्र हुआ। शूद्रों ने न केवल अपने को उच्च वर्णों की बरात्री में लाकर, बल्कि अपने को अशूद्रों से श्रेष्ठ बताकर अपना ओहदा बढ़ाया, ताकि ब्राह्मणिक समाज की सोपान पक्कि में वे अपने से नीचे की जाति के प्रति मिथ्या अभिमान कर सकें।

कदाचित् असतुष्ट शूद्र लघियार न उठा लें इसके लिए विधिनिर्माताओं ने हमेशा उन्हें नि शस्त्र रखने की नीति बनाई जिसमें सभवतया गुप्तकाल में परिवर्तन हुए।

वर्णव्यवस्था के बुनियादी ढाँचे को बनाए रखने और शूद्रों को अथव बनाकर रखने में जो एक बात बहुत सहायक हुई वह है आम जनता को कर्म के सिद्धात में विश्वास करा देना और यह समझा देना कि ईश्वर द्वारा निर्धारित वर्ण या जाति के कर्तव्यों का पालन नहीं करने के कुपरिणाम भोगने पड़ेंगे। कहा जाता है कि चूँकि आम जनता व्यापक रूप में शिशिरित थी और वह गुण दोष का विचार करने में समर्थ थी अत वह उच्च वर्णों की स्वामीविक श्रेष्ठता में विश्वास नहीं कर सकी।¹³ किंतु ऐसे दावे का कोई आधार नहीं है। इसके विपरीत भजदूर वर्गों का दिभाग ब्राह्मणिक आदर्श से इस तरह ज़कड़ा हुआ था कि शूद्रों को प्रत्यक्ष रूप से दबाने सताने अथवा शूद्रों द्वारा उग्र विद्रोह की गुजाइशा बहुत कम थी।

किंतु ब्राह्मणिक सिद्धातों को मानने वाले हमेशा अपने सिद्धातों के गुलाम नहीं थे। ✓ आदिवासी और विजातीय शासकों के लिए उपयुक्त क्षत्रिय वशावली गढ़ लेने में उन्हें उनके वास्तविक जन्म की भावना बाया नहीं पहुँचा सकी।¹⁴ प्रायः कुछ साहसी शूद्र, जो समय समय पर अपनी धाक जमा सके होंगे ब्राह्मणिक प्रणाली में बखूबी क्षत्रिय के रूप में अपना लिए गए होंगे ताकि वे नवर्धमान्तरित व्यक्ति के समान पूरे उभग और उत्साह से उच्च वर्णों की प्रमुखता की रेखा कर सकें। ब्राह्मण कौटिल्य द्वारा शूद्र कुलजात चद्रगुप्त को समर्थन देने का जो परपरागत वृत्तात् मिलता है उससे स्पष्ट है कि ऐसी घटनाएँ असम्भव नहीं थीं। ✓

बौद्ध जैन शैव और वैष्णव इन सुधारवादी धार्मिक आदेशों में कर्मकलवाद पर जोकि ब्राह्मणिक समाज व्यवस्था का सैद्धांतिक आधार था कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। इन आदेशों ने अन्य प्रकार की समानता के बदले धार्मिक समानता का आश्वासन देकर नीव जाति के लोगों द्वारा वर्तमान सामाजिक ढाँचे के अनुकूल बनाया। सामाजिक विषयताओं

के प्रति विरोध की भावना, जो आरभिक अवस्था में इन आदोलनों का प्रमुख सक्षण थी, कालक्रम से विलीन हो गई और वे अपने को वर्णाश्रम व्यवस्था का अभिन्न अग मानने लगे। इस प्रकार इन सारे तथ्यों के समुक्त प्रभाव से शूद्र अपेक्षाकृत शात बने रहे और उनकी पराधीनता स्थाई बन गई।

संदर्भ

- 1 दापर्किंस कॉर्प्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया I पृ 268
- 2 वैदिक इंडेक्स II पृ 389
- 3 यत्वलकर निंदू सोशल इस्ट्रियूशन्स पृ 327 8
- 4 कौटिल्य अर्धशास्त्र III 13
- 5 सरकार सेलेक्ट इसकिजास I पृ 188 उत्तीर्ण लेख स 82 पंक्ति 11 भूमिदान का प्राचीनतम शिलालेखीय साक्ष्य ई पृ प्रथम शताब्दी का कहा जा सकता है किंतु गुत्तकाल में ऐसे भूमिदान अधिक प्रचलित पाए जाते हैं
- 6 तकनीकी इृष्टि से यह शब्द मध्यवर्गीय दुकानदारों के लिए प्रमुख होता था किंतु इस काल में वैश्य मुद्र्यतया विसान थे
- 7 बोस पूर्व निर्दिष्ट II पृ 486 87
- 8 टापसन स्टडीज इन एनशिएट ड्रीक सोसायटी II पृ 194 6
- 9 सोलन्स फैट लाज दुवाइस दि बिारिंग ऑफ दि सिक्स्टी सेंसुरी बी सी तुलनीय
- 10 पीडित प्रजा द्वारा पावाल राज्य छोड़ने का एक उद्धरण जातक में खिलता है
- 11 कोसबी (जर्नल ऑफ ओरिएंटल रिसर्च भ्राता XXIV 61)
- 12 याज्ञवल्य I 166
- 13 के वी रासामी अव्यग्र आस्पेस्टस ऑफ दि सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मनुस्मृति, पृ 134
- 14 सेन्सेस ऑफ इंडिया 1891 13 (भ्राता) पृ 213 (साइटिंग्स डेर डोयूवेन मेर्गनलैंडिशेन गेनेलशाफ्ट बर्लिन 1 510 में उद्धृत) यह प्रक्रिया हाल तक चलती रही है

परिशिष्ट एक

मनुसृति का काल अथ्याय दस के विशेष सदर्भ में

बहुतर ने मनुसृति के लिए ई पू 200 से ई 200 तक के कालखड़ का जो सुझाव दिया है उसमें 400 वर्ष आ जाते हैं।¹ जायसवाल ने इस कालखड़ को काफी सीमित करके मनु को शुग वश के काल में होनेवाली ब्राह्मण 'प्रतिक्रांति' का समकालीन माना है।² लेकिन नारद के विधि-ग्रथ (पाँचवीं छठी सदी) का सावधानी से अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि इस विधिकार ने ब्राह्मणों को अधिक महत्वपूर्ण नहीं तो समान महत्वपूर्ण विशेषाधिकार अवश्य दिए हैं। मनु द्वारा प्रयुक्त कुछ पारिभाषिक शब्दों की तुलना शिलालेखों में प्राप्त शब्दों से करने पर भी इस सृति के काफी बाद में लिखे जाने का सकेत मिलता है।

मनु ने जिन यवनों का उल्लेख किया है और जो भारतीय-यूनानी लोगों के समस्य हैं, उनका महत्व यद्यपि इसवी सन् की आरंभिक सदियों में कम होने लगा था भगव यही बात शकों पहलवों और आभीरों के बारे में सही नहीं है जो इस काल में पश्चिमोत्तर भारत में अपना वर्द्धन बनाए रहे। शिलालेख नि सदैह पहली सदी ई के बाद से पार्थियों का उल्लेख नहीं करते, भगव इनसे चौथी सदी के अत तक शकों का अस्तित्व प्रमाणित है और दूसरी से चौथी सदी तक आभीरों का भी। अजीब बात यह है कि मनु ने मैत्र³ नामक एक सकर जाति का उल्लेख किया है। इनकी बलभी के मैत्रक माना जा सकता है जिनका उल्लेख पाँचवीं सदी के शिलालेखों में मिलता है, यद्यपि सभव है कि पहले एक कवीते के रूप में उनका अस्तित्व रहा हो।

मनुसृति के दसवें अथ्याय में⁴ मेद और अग्र नामक दो सकर जातियों का एक साथ उल्लेख मिलता है और पाल शिलालेखों में भी उनका उल्लेख इसी प्रकार हुआ है।⁵ अष्टव्यों का उल्लेख पहले के विधि ग्रथों में सकर जाति के रूप में मिलता है भगव मनु ने उनका उल्लेख विकित्सकों के रूप में किया है यह व्यवसाय उनके साथ आरंभिक मध्यकाल में ही सबद्ध हुआ था।⁶ मनुसृति के दसवें अथ्याय के बारे में सबसे स्पष्ट बात यह है कि पहले के विधि ग्रथों में सकर जातियों की संख्या 20 थी तो वह इसमें एकाएक बढ़कर 60 से अधिक हो गई है। चूंकि ऐसा किसी अन्य सृति में नहीं है इसलिए मनुसृति का दसवां अथ्याय संहास्पद हो जाता है। दूसरी ओर परवर्ती ग्रथों जैसे स्त्रदधुराण और अद्यपर्वत पुण्य में सकर जातियों की संख्या बढ़ी है। अगर हम ब्रह्मदैवत पुण्य में दी गई सकर जातियों की सूची को जोड़ सें तो मनु की संख्या 100 से ऊपर पहुँच जाती है।⁷

इन सबसे सकेत मिलता है कि शुत्रसूति का दसवाँ अध्याय बहुत बाद की रचना है वयोंकि इनमें से कोई भी पुराण लगभग 700 ई से पहले नहीं रचा गया था।⁸

शुत्रसूति के घोये अध्याय में भूमि दान की जो व्यवस्था है उससे यह सकेत मिलता है कि यह सूत्रियों और ईसा की आरभिक सदियों के शिलालेखों के समकालीन होगा। मनु ने भूमि दान की अनुशस्ता की है और इसके पुण्य बतलाए हैं⁹ जिस पर केवल कुछ धर्मसूत्रों में ही थोड़ा बहुत कहा गया है। लेकिन यह शाति पर्व विष्णु¹⁰ यानवल्त्य¹¹ और बृहस्पति¹² की शिराओं के अनुकूल है। अनुशासन पृष्ठ¹³ में भूमिदान प्रशस्ता शीर्षक से एक खट ही मिलता है। इस पाठ में और विष्णु शर्मोत्तर पुण्य¹⁴ (आठवीं सदी) में भूमि दान को सर्वोत्तम दान कहा गया है। लेकिन मनु का विचार भिन्न है। उनका विचार है कि वेद या ज्ञान का दान (ब्रह्मदान) भूमि दान समेत शेष सभी दानों से श्रेष्ठ है।¹⁵ मनु ब्राह्मण द्वारा भूमि दान स्वीकार किए जाने के पश्च में इस आपार पर नहीं है कि इस प्रकार के प्रतिग्रह से प्राप्तकर्ता के पुण्य नष्ट हो जाते हैं।¹⁶ स्पष्टत इससे ऐसी रिथिति का पता चलता है जिसमें ऐसे दान प्रचलित हो चुके थे और एक शुद्ध ब्राह्मण की मनु की धारणा के लिए खतरे पैदा हो गए थे। लेकिन चौंकि यह प्रथा बहुप्रचलित हो चुकी थी इसलिए मनु ब्राह्मण को इस शर्त पर भूमि दान स्वीकार करने की अनिच्छापूर्वक छृट देते हैं कि विन जुती (अकृत) जमीन को जुती हुई (कृत) जमीन पर वरीयता दी जाए।¹⁷ भूमि दान के छिटपुट आरभ के अभिलेखीय सदर्श तो सभवत पहली सदी ई पू में ही मिलते हैं मगर इसका स्पष्ट साध्य दूसरी सदी में सातवाहनों द्वारा शासित महाराष्ट्र में मिलता है। लेकिन शुत्रसूति का व्यवहार तो आर्यवर्त में होता था और वहाँ ईसा की पहली दो या तीन सदियों में भूमि दान का शायद ही कोई साध्य मिलता हो। ऐसा लगता है कि चौथी सनी के आस पास तक यह प्रथा इतनी सामान्य हो चली थी कि मनु का ध्यान इसकी ओर गया। अकृत भूमि स्वीकार करने सबथी उनकी अनुशस्ता हमें भूमिचिद्रन्याय¹⁸ के सिद्धात पर ब्राह्मण को खिल या अप्रहत भूमि दान दिए जाने की याद दिलाती है। इस प्रथा का सबसे पहले उत्तेख पांचवीं सदी के शिलालेखों में मिलता है। नकली भूमि दान के लिए मनु ने कूट शासन शब्द का प्रयोग किया है¹⁹ इस शब्द का प्रयोग गुप्तकालीन विधि ग्रंथों में और हर्षवर्धन के एक भूमि दान पत्र में हुआ है।²⁰ इन सबसे हमें शुत्रसूति के काल की न्यूनतम सीमा निर्धारित करने में मदद मिल सकती है।

यद्यपि मनु ने हीनतर वर्गों के घाकरों को नकद या पण में भुगतान किए जाने की अनुशस्ता की है लेकिन वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकारियों को भूमि के स्वप में भुगतान करने की अनुशस्ता करनेवाले वे पहले विधिकार हैं।²¹ इस व्यवस्था को बृहस्पति ने भी दोहराया है।²² इससे भी हमें ऐसी स्थिति का पता चलता है जिसमें धार्मिक और धर्मतर,

दोनों प्रकार के अधिकारियों को भूमि के रूप में भुगतान किया जाता था। अर्थार्थिक दानों के प्रत्यक्ष अभिलेखीय प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इनको कपड़े या भीजवृक्ष की छाल जसे अटिकाऊ पदार्थों पर लिखा गया था, लेकिन पाँचवीं सदी में पार्थिव भवत्ववाले व्यक्तियों को भूमि दान दिए जाने के कुछ दृष्टात हर्में प्राप्त हैं।²³ लेकिन कौटिल्य द्वारा प्रयुक्त शब्द दशग्रामी तथा मनु द्वारा प्रयुक्त दशग्रामपति²⁴ का उल्लेख सबसे पहले नवीं सदी के एक पाल शिलालेख में ही हुआ है।²⁵

उत्तराधिकार सबधी अपने नियमों में मनु ने अनुशस्ता की है कि कीनाश या काश्तकार ब्राह्मण के ज्येष्ठ पुत्र को ही भिलना चाहिए।²⁶ इससे संकेत भिलता है कि कुछ काश्तकार या बटाईंगर पारिवारिक भूमियों से सबद्ध थे। यद्यपि मनु ने भूसपति के विभाजन की स्पष्ट अनुशस्ता नहीं की है, लेकिन काश्तकारों की कल्पना उनके द्वारा जोती-बोई जमीनों से अलग करके कर सकना कठिन है। ई 250-350 के आसपास के एक पत्त्व व्राकृत वामपद में बटाईदारों को भी भूमि के साथ ही एक लाभार्थी को हस्तातरित किया गया है।²⁷ इसलिए मनु के यहाँ इससे संबंधित व्यवस्था इससे पहले के काल की नहीं रही होगी।

पिछे शेषों में दो से पाँच गाँवों तक के लिए गुल्म नामक एक सैनिक इकाई की स्थापना का विवार मनु के यहाँ ही भिलता है।²⁸ इसके प्रमुख को घायी सरी के मध्य में एक पत्त्व व्राकृत शिलालेख में उल्लिखित गुल्मिक या गुल्मिक का स्वरूप माना जा सकता है।²⁹ लेकिन विहार और बगान में पाँचवीं सदी के शिलालेखों में गुल्मिक का स्पष्ट उल्लेख³⁰ है और परवर्ती चब पाल आर सेन दानपत्रों में इसका बार द्वारा उल्लेख हुआ है।³¹

शासकों का दैवी धरित्र मुरुरुक्ति की एक सुस्पष्ट विशेषता है इसमें आठ देवताओं के समान शासक पर आरोपित किए गए हैं।³² कुथाण और सातवाहन शिलालेखों में शासक के दैवत का विदार भिलता है।³³ लेफिन मनु के विवारों का एक अधिक पिरमनीय प्रतिरूप गुरुकालीन अभिलेखों में भिलता है। समुद्रगुल्म के इलाटाग्राद वाले शिलानेत्र में जो सम्बद्ध घौषी सरी के मध्य का है, शासक द्वी तुन्ता चार देवताओं से थी गई है।³⁴ इससे संकेत भिलता है कि मनु के यहाँ आठ देवताओं का जो विवार पाया जाता है वह सम्बद्ध बाद का भिस्त है। इसी तरह मनु ने ब्राह्मण के लिए जिस दैवत शब्द का प्रयोग रिया है।³⁵ उत्तरा परमदैवत रूप में सबसे पहला प्रयोग गुरु शासकों के निए बगान के पाँचवीं सरी के शिलानेत्रों में हुआ है।³⁶ इससे मुरुरुक्ति के अध्याय 7, 9 और 11 के शिर्में दे विदार व्यक्त हुए हैं कान्दी बार की रक्षनार्थी होने या संकेत भिलता है। दूसरी और रथवी क्षेत्र के अर्थ में मनु ने शिर्म अरादनीय शब्द का प्रयोग रिया है।³⁷

वह कुण्डाणों और सातावाहनों के दूसरी सदी के शिलालेखों³⁸ में और बाद में जनेक भूमि धानपत्रों में भी अक्षयनीयि करके मिलता है।

मनु के यहाँ मुद्राओं का जो उल्लेख है उसके आधार पर इसकी तिथि का कुछ सकेत किया जा सकता है। विभिन्न अपरायों के लिए मनु ने पण रूप में अर्थदड का आदेश दिया है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि कुण्डाण और गुप्त कालों में मुद्राओं का व्यापक प्रयोग होता था। कुण्डाणों की मानक स्वर्णमुद्रा का भार 144 ग्राम था यह मनु द्वारा एक स्वर्ण (मुद्रा) के लिए बतलाए गए भार 80 कृष्णत या रत्ती के बराबर लगता है³⁹ लेकिन मनु ने ऐस न्यायदर की अनुशासा की है वह नासिक के दूसरी सदी के एक शिलालेख में उल्लिखित दर से ऊँची है⁴⁰

गीतामीमुनि सातकर्णी तथा रघुदामन के दूसरी सदी के शिलालेखों में शासक के एक प्रभुय वार्य के रूप में वर्ण व्यवस्था की रक्षा पर बत दिया गया है। मनु ने भी इस पक्ष पर बत दिया है क्योंकि वे वर्णसंकर से बदने के प्रति बहुत विनियत हैं। इन सबसे मनुस्मृति के आरंभिक भागों को 200 ई के आस पास का माना जा सकता है। लेकिन मनुस्मृति के कुछ अन्य भागों की अभिलेखीय परीक्षा करने पर वे पाँचवीं सदी के या उससे भी बाद के घटहरते हैं। इस कारण हम सन् 220-400 ई के सशोधित कालखड का सुझाव रख सकते हैं। इसका मेल शाति पर्व के तिथि निर्धारण से भी बैठता है जिसमें मनु के कुछ श्लोक ठीक उसी रूप में मिलते हैं यह कहना कठिन है कि इन्हें किसने किससे लिया था। लेकिन पाँच दर्जन से अधिक सकर जातियों की विवेचना करनेवाला दसवाँ अध्याय सभव है कि पर्वतीय गुप्त वाल या उसके बाद के काल का हो।

सदर्भ

1 टीकेड तुक्त आफ दि हैट 25 प्रस्तावना पृ CXIV CXVIII

2 मनु एड यान्नवल्ल पृ 25 32 तुलना करें काणे हिन्दू आफ वर्षशासन 2 पृ XI से।
केतकर (हिन्दू आफ वर्ष 66) का तर्क है कि यह वृत्ति 272 320 ई की है।

3 मैत्रयों का सबसे एहत शिलालेख ५ ५०२ का है लेकिन वे पाँचवीं सदी में गुप्त शासकों ने सामर रहे प्रतीत होते हैं।

4 X 49 50

5 एशियन इंडिया 3 मार्च 36 पर्ल 5 6 22 23

6 डी सी सरकार स्टडीज इन दि सोसायटी एड एडमिनिस्ट्रेशन आफ एक्सिएट एड बैडिल इंडिया 1 107 8

7 ब्रह्म खड X 14 136

8 आर सी हाजरा स्टडीज इन पुस्तकिक रिकवर्ट आफ लिंग राइट एड कास्टम्स (द्वितीय संस्करण दिल्ली 1975) पृ 165 67

- 9; IV 230
 10 विष्णु सूति अध्याय 91 92, सैकेंड कुक्स आर्क दि ईंस्ट 25 पृ 165 की पादटिप्पणी में
 उद्घृत
 11 I 210 11
 12. I 8
 13 एटिकल एडिशन आर्क दि मलभारत अध्याय 61
 14 III 93 13
 15 IV 233
 16 IV 188 89
 17 X 114
 18 कर्पर्ट इंस्क्रिप्शन इंडिकेशन 3 संख्या 31 पैक्टि 7 11 13
 19 IX 232
 20 एपिग्राफिक इंडिक्शन, 7 संख्या 22 पैक्टि 10
 21 VII 115 20
 22 ब्रवलहर मूल्य (अनु पी वी काणे तथा एस जी पटवर्धन द्वारा उद्घृत) पृ 25 27
 23 इंडियन मूल्यतान्त्रिक पृ 13 14
 24 VII 115
 25 एपिग्राफिक इंडिक्शन 29 संख्या 13 पैक्टि 28 29 प्रयुक्त शब्द वशशामिक है।
 26 IX 150
 27 एपिग्राफिक इंडिक्शन 1 संख्या 1 पैक्टि 39
 28 VII 114
 29 सैकेंड इंस्क्रिप्शन 1 प्रथ 3 सं 65 पैक्टि 5 प्रयोग शब्द गूमिक का हुआ है। सुन्दरकर ने
 तीसरी संवी के पूर्वार्थ के एक सातवाहन शिलालेख में आए शब्द गामिक को गूमिक पढ़ा है
 उपरोक्त पृ 212 पादटिप्पणी 6
 30 कर्पर्ट इंस्क्रिप्शन इंडिकेशन 3 संख्या 12, पैक्टि 29
 31 एन जी मजुमदार इंस्क्रिप्शन आर्क बगाल 3 (राजशाही 1929) 184
 32 VIII 4 8
 33 सैकेंड इंस्क्रिप्शन 1 प्रथ 2 संख्या 40 41 44 आदि तुलना करें संख्या 86 से
 34 पैक्टि 26
 35 IX 317 XI 84
 36 सैकेंड इंस्क्रिप्शन 1 प्रथ 3 संख्या 18 19
 37 VII 83
 38 सैकेंड इंस्क्रिप्शन 1 प्रथ 2 संख्या 49 1 11 संख्या 58 1 1
 39 VIII 134
 40 VIII 139-42 सैकेंड इंस्क्रिप्शन 1 प्रथ 2 संख्या 58 पैक्टि 1 3

परिशिष्ट दो

भूत्य एव कृपक जातियों की सच्च्या में वृद्धि

परवर्ती वैटिक ग्रंथों में घार वणों निशानों और अधों जैसे कुछ अनार्य कबीलों और कोई एक दर्जन हस्तशिली समूहों की बात की गई है। इन सभी को मनुष्य ग्रंथों में वर्णित पुठ्यमेष्ट में स्थान दिया गया है। इस दलिताओं का उद्देश्य पशुगानन तथा हतों की खेती पर जीवनपापन कर रहे पुठ्यसत्तात्मक आयों, तथा आखेट और कुदालों की खेती में लगे भारूसत्तात्मक जनायों के बीच किसी प्रकार का तालमेल स्थापित करना था। स्पष्ट है कि पुठ्यमेष्ट विभिन्न समूहों व्यवसायों तथा अनार्य जनगण को एक ही व्यवस्था में लाने का एक पार्मिक उपाय था। लेकिन इन कबीलों और व्यवसायों ने द्वाहमणवारी अद्यों में जातियों के लक्षण नहीं अपनाए। द्वाहमणवारी व्याप्रथा में अनार्य जनगण को समाहित करने के लिए परवर्ती वैटिक काल में जो दूसरा उपाय अपनाया गया वह ब्रात्य का सिद्धात था। बार में कोटिल्य तथा मनु द्वारा की गई व्याप्रयाओं के अनुसार ब्रात्य मूलत द्विज थे जो आगे चलकर ब्रत का पालन न करने के कारण दूसरे दर्जे के नागरिक माने जाने लगे। मागथ जो मूलत मगथ में बसनेवाले एक जनगण थे इसी श्रेणी में आते थे और परवर्ती वैदिक ग्रंथों में उनके शासक को ब्रात्य शासक कहा गया है। लेकिन अनेक अन्य जनगण भी ब्रात्य की श्रेणी में आते थे। यह एक ऐसा बहुअर्थी शब्द था जिसका प्रयोग द्वाहमण पूर्वी क्षेत्र के उन आदिवासी लोगों के लिए करते थे जो कुदालों की खेती पर निर्भर थे और गवेषुक¹ नामक कोई आदिम किस्म का मझा पैन करते थे जो उनका भोजन और उनके मरविशयों का चारा था। ये लोग भारूसत्तात्मक जनगण रहे लगते हैं। पशु देवता रुद्र ब्रात्यों का देवता था जो न तो हन धत्ताना जानते थे और न व्यापार करना। ब्रात्य सभवत काली और लाल भाण्ड वाले जनगण थे जो पूर्वी उत्तर प्रैन बिहार और बगाल में लौह पूर्व काल में सूभ्याश्यों (माइक्रोलिथ्स) का और कुछ ताप्र उपकरणों का प्रयोग करते थे और मछली तथा चावन पर निर्भर थे। लेकिन उनकी भौतिक सामग्रियों से गणा की वारी के धने वनों से ढके प्रातों में बड़ी बस्तियों का सकेत नहीं मिलता। स्पष्ट है कि ब्रात्य यीं श्रेणी में नियाद पुजिष्ठ और ऐसे अनेक अन्य कबीले शामिल थे जिनके नामों का उल्लेख नहीं हुआ है। किसी कुल के सदस्य अपने मुखिया के नेतृत्व में छ पीढ़ियों तक एक साथ रहते होंगे और किसी समय उनकी सच्च्या 200 रुपी होंगी² परवर्ती वैदिक कृपक समाज में किसी वश को सामूहिक रूप से ब्रात्यष्टीम नामक कर्मकाड के द्वारा ग्रहण किया जाता था और

धीरे धीरे वह हतों की खेती करने लगता तथा एक जाति बन जाता था। मनु के यहाँ प्राप्त कुछ नाम सम्बन्ध है कि बहुत पहले के युगों के लगते हों, मगर यह सब कल्पना भाव है।

लोहे के हतों पर आधारित एक पूर्णसूप्रेण कृपक अर्थव्यवस्था की स्थापना के बाद 'आर्य समाज विजय-अभियानों' के द्वारा प्रसार करता रहा और और्य-पूर्व काल में कबीलों के परस्परक्षणीयता की समस्या महत्वपूर्ण हो उठी। इस काल में हम उत्तरी भारत में कम से कम 16 बड़े क्षेत्र आधारित राज्य देखते हैं जिनमें चारों मानक वर्णों के तथा अनेकों नए कबीलों के लोग रहते थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में लोह-प्रौद्योगिकी के प्रसार, व्यापार और वाणिज्य के आरम्भ, मुद्राओं के उपयोग तथा गण की बादी में नगरों के उदय से अनेक हस्तशिल्पों का जन्म हुआ जिसके कर्ताओं को ब्राह्मणवादी सामाजिक ढंगे में स्थान दिया जाना आवश्यक था। इसलिए धर्मसूत्रों में अनुलोम और प्रतिलोम के सिद्धात का विकास किया गया। इसका अर्थ यह उच्चतर वर्णों के पुढ़ियों और निम्नतर वर्णों की द्वियों के बीच या इसके विपरीत प्रकार के समोग से उत्पत्र सकर जातियाँ। धीरे धीरे इन जातियों की संख्या में वृद्धि होती गई। धर्मसूत्रों में 24 सकर जातियों का उल्लेख है जबकि क्लैटिल्म के यहाँ इनकी संख्या 16 है ये सभी ब्रात्य को छोड़कर धर्मसूत्रों की सूची में भी हैं। ब्रात्य को जोड़ लेने पर सकर जातियों की संख्या 25 हो जाती है। स्पष्ट है कि इस सूची में सभी हस्तशिल्पी शामिल नहीं हैं जिनमें से 28 का उल्लेख दीय निकाय में हुआ है और जिनमें से 18 लगता है कि गिन्डों में सगाठित थे जिनमें आर्यिक पानि ग्रथों में अन्याशा श्रेणी दश गया है³ हस्तशिल्पियों के ये गिल्ड तब तक कठोर नियमों से मुक्त जातियों में विकसित नहीं हुए जब तक कि मुद्रा का भरपूर उपयोग होता रहा, फूते-फूते नगर और उनके ग्रामीण पृथक् क्षेत्र एक दूसरे की आवश्यकताएँ पूरी करते रहे और पौंचवीं सारी ई पू से पौंचवीं सदी ई तक व्यापार और वाणिज्य का प्रसार जारी रहा। अर्थात् व्यवस्था में हस्तशिल्पियों तथा द्वियों के लिए पर्याप्त गतिशीलता के अवसर बने रहे और उनके निए घान पान और विचाहारि के नियमों में दीन दी जाती रही।

लेकिन जब हम भृगुसूति के दसवें अध्याय तक आते हैं जिसे परदर्शी गुरु कान का भाना जा सकता है तो 61 सकर जातियों का उल्लेखनीय दृश्य देखने द्वारा निरल है जिनमें से अधिकारा प्रतिलोम विद्याहों की उपलब्धि। यां में हैननसाग ने इतनी सकर जातियों पाई कि उनमें वर्णन कर सकना भी उसे कठिन प्रतीत हुआ। इनकी उन्नति के निए मनु ने दो कारण बताएँ हैं। प्रथम वे ब्रात्य मिदांन वा सहाय सेने हैं जिनमें क्षेत्रक्षेत्र कान में संरक्षा किया गया। द्वेष्यन ने ब्रात्य को वर्णसकर के समान माना है और क्लैटिल्म के अर्द्धताव का दूसीय प्रय इस विद्यार वा पूरी तरह समर्दन करता है⁴ क्लैटिल्म के अनुगार द्वार वर्णों में से द्वियों के भी अग्रुद व्यंजन द्वारा द्वियों नीच जूँच दी रखी गयी है।

उत्पन्न सतान ही ब्रात्य है⁵ मनु ने भी ब्रात्य को सकर जाति कहा है मगर ब्रात्य उत्पन्न करने की प्रक्रिया से वे शूद्रों की बाहर रखते हैं। ब्रात्यों को सकर मूल का भानते हुए कोटिल्य तथा मनु उनको स्थापित धार्मिक आचारों से भ्रष्ट भी बतलाते हैं। मनु के अनुसार एक द्विजाति पुरुष सर्वर्ण स्त्री से ऐसी सनान उत्पन्न करता है जो धेत का पालन नहीं करती (अप्रतान) और ये व्यक्ति जो उपनयन सत्स्वार के योग्य नहीं होते, ब्रात्य कहलाते हैं।⁶ ब्राह्मण स्त्री से ब्राह्मण ब्रात्य होता उत्पन्न सतानों में भूर्जकटक, आवत्य, वाटधान, पुर्ष्य और शैख आते हैं।⁷ किसी क्षत्रिय स्त्री से राजन्य ब्रात्य की उत्पन्न सतानों में झल्ल, मल्ल निच्छदी नट करण खस और द्रविड आते हैं।⁸ वैश्य स्त्री से वैश्य ब्रात्य होता सुग्रामा आचार्य, कस्य विजन्म मैत्र और सात्वत की उत्पत्ति होती है।⁹ इस प्रकार मनु ने कुल 18 ब्रात्य सकर जातियों की सूची दी है। यद्यपि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की तीन श्रेणियों में विभाजित हैं मगर इन्हें उपनयन और फलस्वरूप वैदिक अध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया है और उस सीमा तक ये शूद्रों के समकक्ष ला लिए गए हैं। इन ब्रात्य जातियों के अलावा मनु ने ऐसी 12 क्षत्रिय जातियाँ भी गिनवाई हैं जिन्हें कर्मकाढ़ों को छोड़ देने—या ब्राह्मणों से सर्पक न रखने के कारण शूद्र के बराबर माना गया है।¹⁰ ये हैं—पोण्ड्रक औद्र, द्रविड, काबोज, यवन, शक, पारद, पह्लव धीन, किरात दरद और खस।¹¹ इनकी भी स्थिति ब्रात्यों के समान है क्योंकि इन्हें भी उपनयन का अधिकार नहीं है। धौंक दूसरी सूची में उल्लिखित दो मकर जातियाँ पहली सूची में पाई जाती हैं। इसलिए ब्रात्य और अर्द्धब्रात्य जातियों की कुल संख्या 28 आती है।

उपसास्कृतिक भाषाई भौगोलिक और व्यावसायिक दृष्टि से इन सभी 28 जातियों की पहचान कर सकना कठिन है। आवत्य (अवति का जनगण) तथा वाटधान (झल्लशरत में एक जनगण के रूप में उल्लिखित) निश्चित रूप से कबीलों और जनगणों की श्रेणी में आते हैं और कम से कम प्रथमोक्त मालवा क्षेत्र में रहता था। सात्यत कबीला भी पश्चिमी भारत का रहनेवाला था और अगर हम मैत्र को मैत्रक मानें (मैत्र व्याकरण की दृष्टि से मैत्रक का लघुतर रूप है) तो मैत्र गुजरात के काठियावाड क्षेत्र में वलभी के रहनेवाले थे। मल्ल प्राचीन काल में हिमालय की तराई में रहते थे और गुस्त काल में लिघ्वियों ने नेपाल में अपना शासन स्थापित किया था जहाँ उन्होंने ब्राह्मणों को भूमियों के दान दिए थे। झल्ल सभवत उनके पछोती रहे होंगे और वे सभवत एक कबीले के अवशेष थे। झल्ल की उपायि आज भी प्रचलित है और राजस्थान में आलवाड नामक एक जिला ही है। पोण्ड्रक उत्तर बगात के औद्र उडीसा के तथा द्रविड दक्षिण भारत के रहनेवाले थे और मनु ने इन तीनों का उल्लेख भी इसी भौगोलिक क्रम में किया है। इसी प्रकार विदेशी जनगणों के एक समूह (यवन शक पारद और पह्लव) का उल्लेख भी एक सटीक भौगोलिक और कालिक

क्रम में हुआ है जिसमें सीमावर्ती काबोज भी शामिल हैं, ये सभी पश्चिमोत्तर भारत के रहने वाले थे। हम उत्तरी और पूर्वी भारत के स्थानीय और विदेशी जनगण का एक और समूह भी देखते हैं। इनको धीन, किरात दरद और खस कहकर एक साथ रखा गया है, इनमें अेक का उल्लेख महाभारत में हुआ है और खसों का उल्लेख एक जनगण के रूप में हूण और कुलिक के साथ, पाल शिलालेखों में भी हुआ है। कस्तुर को विहार के सासाराम और पलामू जिलों के जगली क्षेत्रों का एक जनगण माना जा सकता है। कुल मिलाकर, मनु की 20 सकर जातियों में 19 देसी या विदेशी कबीले थे जो अधिकाशत आर्यवर्ती या ब्रह्मावर्ती की सीमाओं पर रहते थे, मनु के अनुसार आर्य सत्कृति का क्षेत्र यही था। इस प्रकार ब्रात्य स्थिति या कर्मकाण्डों के अ पालन से उत्पन्न हीन स्थिति का मिथक स्थानीय या विदेशी कबीलों को अद्विज सदस्यों के रूप में समाज में लाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए किया गया। फिर भी, पतित ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों और शूद्रों के रूप में इन सदस्यों को भिन्न भिन्न मात्रा में सम्मान प्राप्त होता रहा।

मनु द्वारा उल्लिखित शेष नी ब्रात्य जातियों में भूर्जकटक पुष्ट्य¹² शैख और आचार्य पतित या विभिन्न धार्मिक सप्रदायों के अनुयायी लगते थे जो जातियों के रूप में विकसित होने लगे थे। नट और करण व्यावसायिक समूह हैं सुषन्वा धनुषधारियों का कोई समूह रहा होगा जबकि विजन्म का शाब्दिक अर्थ अवैध सतान है। इस प्रकार मनु ने बड़े पैमाने पर ब्रात्य के सिद्धात का उपयोग सभी उपसात्कृतिक व्यावसायिक और क्षेत्रीय समूहों को जातियों के रूप में ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था में लाने के लिए किया। यह सभव है कि शुनुस्तृति का जो दसवाँ अध्याय इन जनगणों को जातियों के रूप में वैयक्ति प्रदान करने का सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत करता है, वह पाँचवाँ सदी के आस पास की रवना हो जबकि ये सभी कबीले जातियों के रूप में ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था में समाहित हो चुके थे।

अनेकानेक जातियों की उत्पत्ति के बारे में मनु की दूसरी व्याख्या अनुलोम और प्रतिलोम के सिद्धात का विस्तार है, यह विचार ब्रात्य के सिद्धात का भी अग है। इस सिद्धात के सहारे 30 स अधिक जातियों की व्याख्या की गई है। इनमें से अनेक की उत्पत्ति की व्याख्या वर्षसूत्रों में की गई है और अनेक मामलों में मनु का वर्णसकर का सिद्धात इस व्याख्या के विपरीत है। मनु समेत विभिन्न विधिकारों ने एक ही जाति के वर्णसकर उद्गम की जो भिन्न व्याख्याएँ दी हैं उनकी असमानियों को एक लेख में स्पष्ट किया गया है।¹³ इनसे पता चलता है कि यह सिद्धात मनगढ़त था। चाहे निर्दिष्ट वर्णयर्थ से विचलन हो या विभिन्न वर्णों के बीच सम्भाग हो या दोनों हों चार भूल वर्णों का निष्ठुर तर्क इन सभी जातियों पर लागू किया जाता रहा है। मगर लगता है कि अनेक सकर

जातियों का चार बर्जों से, किसी भी अर्थ में, कुछ भी लेना देना नहीं था। इसकी व्याख्या कुछ ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में दृढ़ी जानी चाहिए।

इनमें अनेकों सकर जातियों के असस्कृत नामों के तथा विभिन्न स्थानों पर कबीलों या व्यवसायों के रूप में उनके दर्णन से संकेत मिलता है कि वे पहले कबीले या व्यवसाय समूह रहे होंगे जो जातियों के रूप में स्वीकार किए गए। सकर जातियों के बारे में मनु की सूची में हम सभवत पुराने कबीलों के 18 अवशेषों की पहचान कर सकते हैं। ये हैं— आभीर, आहिंडक, अबष्ठ अध्र, चडाल चुचु, दाश कैवर्त, मदगु, माधुक, मागथ, मार्व, मेद निपाद, पुकुस, सौर्यि, वैदेहक और वैण। शेष 13 अर्धात् आवृत, आयोगव, चर्मकार धिग्वण कुकुटक, कारावर, करण, शता भैत्रेयक, पाण्डु सोपाक पाराशव सूत, श्वपाक और उग्र सभवत व्यवसाय सूचक हो।¹⁴ यद्यपि अत्यावसायिन को वशिष्ठ और मनु ने एक अलग सकर जाति माना है भगव सभी अस्मृत्यों के लिए प्रमुक एक सर्वग्राही शब्द रहा है।

मनु ने जिन द्वात्य और सकर जातियों का उल्लेख किया है उनकी कुल संख्या 61 आती है और अगर हम इनमें चार प्रमुख बर्जों को जोड़ें तो यह 65 हो जाती है। इस सूची में घर्मसूत्रों तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित लगभग सभी सकर जातियों आ जाती हैं। ये हैं— अबष्ठ, अत्यावसायिन आयोगव, भृज्यकठ, चडाल, करण, शता, कुकुटक मागथ निपाद, पाराशव पुकुस या पौत्रकस, सूत, श्वपाक, उग्र वैदेहक या वैदेह, वैण या वैन, और यवन। दीपभत, धीवर कृत कुशीतव, महिष्य और मूर्धादवित्त ऐसी सकर जातियों हैं जिनका उल्लेख पहले की सूचियों में तो है भगव मनु की सूची में नहीं है, हालाँकि मनु के नट कौटिल्य के कुशीतव के समरूप हो सकते हैं। द्वात्य कौटिल्य के यहाँ एक सकर जाति है भगव बौधायन और मनु इसे एक जातिवादक शब्द मानते हैं और मनु ने 28 सकर जातियों को इस श्रेणी में रखा है। भगव ध्यान देने की बात यह है कि मनु के यहाँ सकर जातियों की संख्या दोगुनी से भी अधिक है। प्राचीनतर विधि ग्रन्थों में उनकी कुल संख्या 25 है भगव मनुस्मृति के दसवें अध्याय में यह बढ़कर 60 से ऊपर हो जाती है। किसी भी मापते में इनकी सूची पूर्ण नहीं है लेकिन इनसे जातियों की संख्या में वृद्धि का निश्चित पता चलता है।

गुन्त-पश्चात् काल में 'सकर जातियों की संख्या में निरतर वृद्धि होती रही और संख्या की दृष्टि से मनु की सूची ब्रह्मवैतर्य पुराण के ब्रह्मखड के दसवें अध्याय में दी गई सूची से बहुत भिन्न नहीं है। इस पुराण को दसवीं सदी का माना जा सकता है। इसमें 72 सकर जातियाँ गिनाई गई हैं जिनमें अनेक मनु की सूची में भी हैं। लेकिन इस पुराण

में उल्लिखित अतिरिक्त जातियों में लगभग 50 कबीले और हस्तशिल्पी-समूह आते हैं जिनका मनु के यहाँ उल्लेख नहीं मिलता।

स्पष्ट है कि जातियों की सछ्या की वृद्धि के लिए न तो हम मनु की व्याख्या को स्वीकार कर सकते हैं और न ही परवर्ती काल में इसके प्रसेप को। फिर यह सछ्या बढ़ी कैसे? चूंकि अनेक सकर जातियाँ भूलत कबीले थीं इसलिए हमें उन दशाओं का पता लगाना होगा जिनमें ये कबीले जाति-व्यवस्था के अनु बने। जैसाकि कठा गया है, विजय और क्षेत्रीय प्रसार के कारण जाति या वर्ण में विश्वास रखनेवाले शासक पूरे देश में कबीलाई आदिम जनगणों के सपर्क में आए। चूंकि शासक वर्ग की भाषा न समझनेवाले कबीलाई जनगण सपत्ति सामाजिक श्रेणियों और पिरुस्तात्मक परिवार सभ्यों स्थापित मूल्यों में विश्वास नहीं रखते थे इसलिए पुरानी जीवन शैली से विपक्षे रहकर उन्होंने इन शासकों के लिए परेशानियाँ खड़ी कीं। अशोक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसने इनमें थर्म के सिद्धांतों का प्रचार कराकर उनसे सम्पूर्ण जीवन स्वीकार कराने का प्रयास किया। उसने सफलता पाने का दावा तो किया है, मगर उसकी भात्रा के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।

मनु के पहले कबीलों को अपनानेवाला समाज तथा उसके द्वारा इस कार्य के लिए प्रयुक्त विधियाँ, दोनों में मनु के बाद परिवर्तन आए। यद्यपि पहले का समाज वर्णों में विभाजित अवश्य था लेकिन उसमें भूसपति के वितरण की वैसी स्पष्ट असमानता नहीं पाई जाती थी जिसके कारण भूमि में जर्बर्दस्त निजी अधिकारों की स्थापना हुई। स्वतंत्र कृषक उस समाज की रीढ़ थे जिसमें पर्याप्त व्यापार और दाणिज्य, अनेक फ़लते फूलते नगर तथा हस्तशिल्प और शात्विक मुद्रा का व्यापक प्रयोग भी पाए जाते थे। इस कारण चतुर्वर्णीय समाज में कबीलों का आधिग्रहण हुआ और उनमें से अनेक क्षत्रियों और वैश्यों के रूप में इसमें अवशोषित हो गए। मनु की ब्रात्य सूची में किसी विशिष्ट शूद्र जाति का उल्लेख नहीं मिलता। दूसरी ओर, इसमें दोषम दर्जे की 12 क्षत्रिय जातियों (जिनमें सभी भूलत देशी या विदेशी कबीलाई जनगण थीं) और 6 वैश्य जातिय कबीलों की निनती दी गई है। ब्राह्मण ब्रात्य जातियों की सछ्या पाँच है जिनमें केवल दो ही आदिम कबीलों के अवशेष लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मणवादी समाज में अधिगृहीत कबीलों की मान्यता देने की दृष्टि से ब्रात्य सिद्धात काफी पहले से प्रचलित था और अगर मनु के ब्रात्यों के उगाहरण को प्राचीन प्रक्रिया का धरमोत्कर्ष मानें तो प्रतीत होगा कि अधिकाश कबीलाइयों को समाज की दूसरी और तीसरी अर्थात् क्षत्रिय और वैश्य श्रेणियों में स्थान दिया गया था।

कबीलों को अवशोषित करने की इस प्रणाली के लिए ब्राह्मण पुजारी वर्ग तथा बौद्ध भिशुओं का समर्थन आवश्यक था, जिन्हें नकद यह तथा भूमि दानों के रूप में उपहार मिलते रहते थे। यह बात परिवर्ती महाराष्ट्र तथा सौंची और भरतुत क्षेत्रों से प्राप्त अभिनेत्रीय सास्थों के आधार पर कही जा सकती है। उपहार की प्रकृति का निर्धारण लगभग 200 ई. पू. से 200 ई. तक विनिमय के प्रवलित भाष्यम से होता था। अशोक के धर्ममहामात्रों जैसे बौद्ध धर्मप्रचारकों ने कबीलाई जनगण के बीच बोद्ध सामाजिक नैतिकता के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य निभाई होगी। इस नैतिकता में पिठौरातामक परिवार के मूल्यों, निजी सपत्नि, बड़ी, भिशुओं पुजारियों आदि के प्रति सम्मान, पशुपति की रक्षा, सत्रियों और ब्राह्मणों के सम्मान पर जोर दिया जाता था क्योंकि परवर्ती बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध का यन्म पुनर्जन्म केवल दो उच्च वर्णों में हुआ था। यही समय है जब महाराष्ट्र और गुजरात के एक अच्छे खासे भाग का उत्सङ्कृतकरण हुआ और चतुर्वर्ण प्रथा की शक्ति के कारण इन क्षेत्रों में लगभग सभी घारों दणों की स्थापना हुई।

नकद धन के दान के पूरक रूप में भूमि दान किए जाते थे जो परिवर्ती महाराष्ट्र में अधिकाशत राजकीय सपत्नि (राजक खेतम्) से दिए जाते थे यही वह क्षेत्र है जहाँ से प्राचीनतम अभिनेत्रीय सास्थ उपलब्ध हैं। ग्राम दानों का भी आरम्भ हुआ भगव इनमें हस्तातरण, दान दिए गए क्षेत्रों से प्राप्त राजकीय राजस्व का होता था न कि उनके स्वामित्व का। दहरहाल गुप्त और गुर्जर पश्चात् कालों में दान देने की पद्धति में भारी परिवर्तन आए। नकद धन की जगह मुख्यत भूमि के दान दिए जाने तरे आर बौद्ध लाभार्थियों की जगह ब्राह्मण लाभार्थियों ने ले ली।

परवर्ती शासकों ने धर्ममहामात्र या अतमहामात्र भेजने वी जगह भूमि दान के द्वारा कबीलाई क्षेत्रों में ब्राह्मणों को बसाने की प्रथा अपनाई। दूसरी और पाँचवीं सदियों के बीच दक्ष (आग्रप्रेश और महाराष्ट्र) में बड़ी सख्ता में ब्राह्मणों को भूमियों के दान दिए गए। मध्य प्रदेश में चौथी पाँचवीं उडीसा में पाँचवीं से सातवीं, परिवर्ती बगाल में तथा बगलाश में इन्ही असम में सातवीं तथा हिमाचल प्रेश और नेपाल में पाँचवीं से सातवीं सदियों में ब्राह्मणों को पर्याप्त बड़े पैमाने पर भूमि दान दिए गए। छठी सातवीं सतीयों में गुजरात में घलभी के मैत्रक नरेशों ने ब्राह्मणों को अच्छी खासी सख्ता में भूमि दान दिए थे। सभीप में चौथी से सातवीं सदी के बीच पुजारी वर्ग के सदस्यों को आग्रप्रदेश असम बगाल गुजरात, हिमाचल प्रेश मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और नेपाल के बाहरी सीमात पिछड़े (और कुछ मामलों में पहाड़ी) तथा आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भूमि दान किए गए। कुछ मामलों में भूमि का लाभ पानेवालों की सख्ता काफी बड़ी थी। पाँचवीं सदी में प्रवरसन

द्वितीय के एक आदेश द्वारा 1000 ब्राह्मणों को एक ही जिले में भूमि दान किए गए।¹⁵ सातवीं सदी में असम में मात्र एक आदेश के द्वारा 205 ब्राह्मणों को और बगलादेश के टिप्परा जिले के जगली इलाकों में एक ही आदेश के द्वारा 100 ब्राह्मणों को भूमि दी गई। उसी सदी में कट्टक सेत्र में एक मामले में 23 ब्राह्मणों को और एक और मामले में 12 ब्राह्मणों को भूमि दी गई। जगली सभी में उडीसा के बालासोर जिले में 200 ब्राह्मणों को भूमि दान किए गए।¹⁶

चौंक पुजारी वर्ग के लाभार्थियों को ऐसे लगभग सभी वित्तीय अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होते थे जिनका उपभोग शासकगण करते थे, इस्तिए उनके सामने उपज में अपना नियमित भाग प्राप्त करने भोजन, ईथन, घास और इमारती लकड़ी आदि के रूप में जबरन वसूली करने तथा विश्विया पीड़ा नामक बेगार कराने की समस्या खड़ी होती थी। आवश्यकता होने पर वे पट्टे पर अपनी भूमि और वित्तीय अधिकार दूसरों को दे देते थे और कुछ किसानों को हटाकर दूसरों को ले जाते थे। परिवार और सपत्नि के प्रति किए गए अपराधों के लिए दड़ देने का अधिकार भी उन्हें होता था। यद्यपि अनेक मामलों में ग्रामदासियों को निर्देश होते थे कि वे इन लाभार्थियों के आदेश का पालन करें और कुछ मामलों में ये ग्रामदासी स्वयं इन लाभार्थियों को हस्तातरित कर दिए जाते थे, लेकिन जगर इन व्यवस्थाओं की लगतार लागू नहीं किया जाता तो अपने आपमें इन ब्राह्मणों को कोई खास सहायता नहीं मिलनेवाली थी। लेकिन इन सभी वित्तीय आर्थिक रिआयतों का उपभोग करने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन ब्राह्मणों के पास कोई प्रशासन तत्र न था। एक तरह से वे उपज के एक अच्छे खासे भाग के उपभोगकर्ता लगते थे ये मगर उत्पादन के लिए किसानों और दस्तकारों को बाध्य करने की कोई प्रणाली उनके पास न थी। उनके पास मुख्यतः जो चीज़ थी वह थी—परिष्कृत कर्मकाड़ों की शक्ति तथा वर्ण विवारणारा का प्रधार करने और लोगों से इन्हें स्वीकार कराने की योग्यता। विभिन्न दीवानी और फौजदारी अपराधों के लिए स्मृतियों में न केवल ऐस अर्धदड़ और दड़ की व्यवस्थाएँ दी गई थीं जिन्हें शासन लागू करता, बल्कि प्रायरिचत के विस्तृत कर्मकाड़ों की व्यवस्था भी थी जिन्हें स्पष्टत ब्राह्मण ही लागू करते थे। लेकिन वर्ण व्यवस्था और उसके मूल्यों को न माननेवाले कबीलों के लिए ये सब अर्थहीन थे। इसलिए ब्राह्मणों ने अपने स्थापित सामाजिक ढाँचे में कबीलों को जातियाँ बनाकर समाहित कराने की प्राचीन पद्धति यी गति को और भी तेज़ किया। यही कारण है कि मनु और बाद के पुराणों की सूचियों में ऐसी सकर (सभी शूद्र) जातियों की बड़ी संख्याएँ मिलती हैं जिनके कर्बलाई उद्गम को बिना कठिनाई के पढ़वाना जा सकता है।

पिछड़े क्षेत्रों में भूमि दानों की अर्थव्यवस्था के कारण अनेक कट्टीलों का वर्णसकर शून्यों के रूप में रूपातरण हुआ और आबाद क्षेत्रों में इसके कारण निचले स्तरों पर गतिशीलता कम हुई। विदेशी व्यापार के कम होने के कारण गतिशीलता में और भी कमी आई। इसा की पहली दो सदियों में व्यापार के फलने फूलने का एक कारण हान, कुपाण और ईरानी (आर्कासी) साम्राज्यों के फलस्वरूप बाही बड़े क्षेत्र में स्थायित्व का आना था, ये सभी साम्राज्य आपस में और रोम साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे। तीसरी सदी के पश्च में इनमें प्रथम तीन साम्राज्य नष्ट हो गए,¹⁷ और एक सदी बाद रोम साम्राज्य का भी पतन आरम्भ हो गया। गुप्त काल में पूर्वी रोम साम्राज्य के साथ व्यापार कम परिमाण में जारी रहा, क्योंकि भारत में पाँचवीं छठी सदी की कुछ बाइजेंटीनी मुद्राएँ पाई गई हैं। लेकिन छठी सदी के बाद इस व्यापार में भारी कमी आई। इसका एक कारण था बाइजेंटीन द्वारा रेशम की जानकारी पा लेना जिसके चलते वे सातवीं सदी से रेशम के लिए भारत पर निर्भर नहीं रह गए। पश्चिमी भारत में इसके पहले भी रेशम के उत्पादन में भारी कमी आने के संकेत मिलते हैं क्योंकि पाँचवीं सदी के पश्च में रेशम के बुनकरों का एक गिल्ड गुजराती बदरगाहों के पृष्ठस्थेत्र में स्थित नौसरी भट्टौद क्षेत्र से देशातर करके मालवा स्थित भदसौर चला गया था, जहाँ उन्होंने अपना पुण्या धथा छोड़ दिया और धनुषनों कथावाचकों, धर्मगुरुओं, ज्योतिषियों, सैनिकों और सन्यासियों के काम अपना लिए।¹⁸ ये सभी धर्ये स्पष्टत अनुत्पादक थे। धर्ये की माँग में कमी आने के कारण छोटे पैमाने पर मालों के उत्पादन में लगे अन्य हस्तशिल्पी गिल्डों के साथ भी सम्बन्ध ऐसी ही बातें हुई हैं।

पश्चिमी जगत और पश्च में एशिया से होनेवाले व्यापार के पतन की क्षति पूर्वी चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ होनेवाले व्यापार से न हो सकी, ये क्षेत्र तीसरी चौथी सदियों में भारत को सम्बन्धित किरोजा, सूती कपड़ों और शक्त के बदले सोना भेजते थे। वेद राजवश के शासनकाल (ई 220-265) में चीनियों ने भारतीयों से पत्थर से रणीन काँच बनाना सीखा जिन्हें किरोजा कहकर चलाया जा सकता था।¹⁹ छठी सदी के कुछ ही समय बाद उन्होंने कपास की खेती और कपड़ों की बुनाई भी पश्च एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से सीखी जहाँ भारतीयों के सपर्क के कारण इनका प्रचार हुआ था।²⁰ ताग सप्राट तईसाग के शासन काल (ई 627-649) में उन्होंने मगथ से शक्त बनाने की कला भी सीखी।²¹ इसके कारण सातवीं सदी के आस पास तक चीन और दक्षिण पूर्व एशिया शक्त, सूती वस्त्रों और कीमती पत्थरों के लिए भारत पर निर्भर नहीं रह गए। इसलिए इन क्षेत्रों में भारतीय व्यापार को धक्का लगा। बाद में भारत से मुख्यत इत्र और हाथीदाँत का निर्यात होता था।

व्यापारिक पतन का इससे भी संकेत मिलता है कि कुण्डाओं की तुलना में गुप्त शासकों की स्वर्णमुद्राओं में शुद्ध स्वर्ण की मात्रा में अधिकाधिक कमी आती गई। वासुदेव की मुद्राओं में शुद्ध स्वर्ण की मात्रा 118 रुप्ती, चंद्रगुप्त कुमारदेवी की मुद्राओं में 109 रुप्ती, समुद्रगुप्त की कुछ मुद्राओं में 105.04 रुप्ती, समुद्रगुप्त की अन्य और चंद्रगुप्त द्वितीय की मुद्राओं में 99.98 रुप्ती, कुमारगुप्त प्रथम की पनुर्धरवाली मुद्राओं में 92 रुप्ती, सकदगुप्त की इसी प्रकार की मुद्राओं में 79.67 रुप्ती तथा नरसिंह गुप्त के अधिकारियों की मुद्राओं में 73.54 रुप्ती थी।²² इस प्रकार पाँचवीं सदी के मध्य तक गुप्तकालीन मुद्राओं में शुद्ध स्वर्ण की मात्रा कुण्डाण मुद्राओं की तुलना में लगभग आधी हो चुकी थी। छठी सदी के अंत तक स्वर्ण मुद्राएँ लगभग तुल्त हो गई और कोई चार सौ वर्षों तक दुलभ बनी रही। शकों और गुप्त शासकों के काल में पश्चिमी भारत में रजत मुद्राओं की अच्छी खासी सख्त्या मिलती है जो प्रतीत होता है कि, उस काल में व्यापार के लिए प्रयुक्त होती थीं, मगर गुप्त पश्चात् काल में वे लगभग पूरी तरह तुल्त हो गई। इन सबके कारण भारी व्यापारिक लेन देन को भारी घक्का लगा होगा।

मझोले और मामूली दर्जे का लेन देन, खापकर आतंरिक लेन देन ताप्र मुद्राओं के कारण जारी रहा। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के बाद की ताप्र मुद्राएँ भी बहुत कम मिलती हैं। देश के कुछ भागों में कुण्डाणों की ताप्र मुद्राओं की नकलें पाई गई हैं, मगर कुण्डाण मुद्राओं की तुलना में इनकी सख्त्या सीमित है। इसलिए मुद्राओं की दुर्लभता से पाँचवीं सदी के मध्य के बाद आतंरिक बाजार में भारी सिकुड़न का संकेत मिलता है।

गुप्त काल में नगरीय बस्तियों के पतन और गुप्त पश्चात् काल में उनके वीरान होने से भी व्यापार और छोटे पैमाने के माल उत्पादन में आए छास का संकेत मिलता है। उत्तर भारत में खुदाइयों में मिले नगरीय केंद्रों में इ पूरे पाँचवीं से ईसा की तीसरी सदी तक भवनों की सरचना में निरतर सुधार का पता चलता है। इनमें कुण्डाण काल के स्तरों से समृद्धतम चरण का संकेत मिलता है। पाकिस्तान में कुण्डाण काल इतना समृद्ध भरा था कि उसे उस देश का स्वर्णकाल कहा जाता है। लेकिन उत्तरी भारत में गुप्तकालीन स्तरों तक जब हम पहुंचते हैं तो पाते हैं कि उनके भवनों में कुण्डाणकालीन ईंटों का पुनर्घपयोग हुआ है। गुप्त पश्चात् काल में खुदाई में मिले अधिकाश स्थान वीरान हो चुके थे, क्योंकि वहाँ आदादी के लगभग नहीं के बराबर होने का संकेत मिलता है। यह बात ह्वेनत्साङ से भी पुष्ट होती है। यद्यपि उसकी टिप्पणियाँ बौद्ध नगरों के द्वास तक सीमित हैं मगर इनकी सख्त्या पर्याप्त है और अनेक मामलों में उसके वक्तव्यों की पुष्टि पुरातत्व से भी हो चुकी है।²³ इस तरह नगरों के पतन का अर्थ हस्तशिल्पों और व्यापार की गतिविधियों में कमी है।

भूमि दानों की प्रथा और साथ में व्यापार के पतन से ऐसी दशाएँ उत्पन्न हुई जिनमें माल-उत्पादन पर अशत आधारित व्यवस्था भिट गई और एक प्रकार की नैसर्जिक अर्थव्यवस्था फिर से स्थापित हुई जिसमें लोग मुख्यतः भूमि से सबद्ध थे और सभी पारिश्रमिक भूमि के रूप में या उपज में भाग के रूप में दिए जाते थे। यद्यपि भूमि पाने के लिए ब्राह्मण स्थान परिवर्तन करते थे, मगर हस्तशिलियों और वणिकों को कहीं जाने की जरूरत न थी। ब्याह और भोज के रूप में सामाजिक संसारा एक छोटे से दायरे तक सीमित था और यह निर्दिष्ट किया गया है कि ब्राह्मण वो अपनी बेटी किसी दूर रहनेवाले का नहीं देनी चाहिए। गतिशीलता में कमी आने के कारण एक शुद्धत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में निवले स्तरों पर हस्तशिलियों के व्यवसाय आधारित गिल्ड जातियों के रूप में जड़ीभूत होने लगे। यह बात पहले से आबाद क्षेत्रों के बारे में विशेषकर सत्य रही होगी।

व्यापार और हस्तशिलियों के पतन के कारण व्यापारियों और हस्तशिलियों का महत्व कम हुआ और उनके प्रति भूत्यामी वर्गों (ब्राह्मणों और क्षत्रियों) के दृष्टिकोण में कठोरता आई। बाँस और चमड़े का काम करनेवाले हस्तशिलियी अस्पृश्य जातियों की श्रेणी में रख दिए गए। लेकिन सकर, शूद्र जातियों की सभ्या में वृद्धि का बुनियादी कारण आदिवासी जनगणों के रूपातरण में और हस्तशिलियों के जड़ीभूत होने में भी कार्यरत था। यह भूमि दान की अर्थव्यवस्था का विस्तार और सामती स्थानवाद का आरभ या जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमि अपने ग्राम स्वामी या जगमान से दियके रहना पड़ता था। जगमान और स्वामी बदल भी जाते थे मगर उनके हस्तशिलियी और कृषक नहीं बदलते थे। यह परिवर्तनहीनता छोटे पैमाने के माल उत्पादन को व्यवहारत बद कर देनेवाले समाज का परिणाम थी और इसके कारण जातियों के स्थायित्व और उनकी सञ्चात्मक वृद्धि का बातावरण तैयार हुआ।

ऐसा प्रतीत होता है कि पहले के कालों में हस्तशिलियी अपने उत्पादों को बाजार में बेचते और नकद रूप में भुगतान पाते थे। लेकिन छठी सौ के आरभ में उपज का एक भाग देने के अलावा भूमि दान भी उनको भुगतान करने का महत्वपूर्ण ढंग हो गया। बगलादेश के राजशाही जिले से प्राप्त सन् 507 के एक ताप्रपत्र पर एक बिक्रीनामा दर्ज है जिसमें सेवाओं के बदले दिए गए भुगतान का अप्रत्यक्ष संकेत मिलता है। ब्राह्मणों को दान में दिए जानेवाले भूमाणों की सीमा बताते हुए इसमें पड़ोसी काश्तकारों की जमीनों का विस्तृत व्योरा भी दिया गया है। इस सूची में अनेक हस्तशिलियी भी शामिल हैं। इसमें कालाक के खेत का उल्लेख मिलता है²⁴ जिसे कौलिक (बुनकर) माना जा सकता है। विष्णुवर्द्धकि नामक एक काष्ठकार की²⁵ तथा एक वैद्य की²⁶ भूमियों का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। भूमि के ऐसे तीन टुकड़ों का भी उल्लेख मिलता है जिनके स्वामी तीन व्यक्ति थे

और उनमें से प्रत्येक के नाम के अत मैं विलाल आता था,²⁷ समझा जाता है कि वे काष्ठकार की तरह किसी यत्रकर्मी जाति के रहे होंगे। इसके अलावा, ज (जो) लारी क्षेत्र का उल्लेख है जो समवत एक दुनकर का रहा होगा। इसी तरह, शब्द वि (द्वि) गुरिक क्षेत्र का अर्थ समवत किसी वाणुरिक (आखेटक) का क्षेत्र हो सकता है। यद्यपि इनमें से कुछ मामलों में हस्तशिल्पियों की पहचान सदिग्य है, लेकिन इसमें सदैह नहीं कि हस्तशिल्पियों और अन्य लोगों को सेवाओं के बदले भूमि दान दिए जाते थे। इसके तथा वस्तु रूप में सेवाओं के पारिश्रमिक के भुगतान की प्रथा के कारण वे अपनी भूमि से बैंध जाते थे और उनकी गतिशीलता कठिन हो जाती थी। इससे हस्तशिल्पियों के जातियों में रूपातरण की प्रक्रिया त्वरित हुई होती और जजमानी प्रथा के विकास में सहायता²⁸ मिली होगी।

सदर्भ

५५६४

- 1 के पी चट्टोपाध्याय दि लैशिएट इंडियन कल्चर कॉर्ट्स एड माइग्रेशन (कलकत्ता 1970) पृ 28
- 2 उपरोक्त पृ 25 26
- 3 18 वीं सद्या का व्यवहार आगे चलकर तीव्रों (सैटिल अर्थशाल्व के अधिकारियों) परिहारों (उन्मुक्तियों) महाभारत के पवीं और असौलिष्णियों पुराणों इत्यादि के लिए किया गया है। इसके गुणक 36 का उपयोग आरभिक मध्य काल में वर्णों की सद्या जिनवाने के लिए किया गया है।
- 4 अर्थशाल्व III 7
- 5 अर्थशाल्व III 7 के बागते कृत अनुवाद के अनुसार द्वात्यों की उत्सति उच्चतर वर्णों के अशुद्ध पुष्टों द्वारा उसी वर्ण की स्त्री से होती है।
- 6 X 20
- 7 X 21
- 8 X 22
- 9 X 23
- 10 X 43 44
- 11 उपरोक्त
- 12 समझ है कि भूजंकटर का कुछ सबध घोजक से हो जिनका प्रथम उल्लेख लैतरेश ब्राह्मण में हुआ है।
- 13 विवेकानन्द ज्ञा वर्णाकर इन दी थर्मसूत्रान् घौरी एड प्रेस्टिस जर्नल आफ दि इन्डोनेशियन एड सोलल हिन्दू आफ / जोरिएट 13 (1970) 273 88
- 14 व्यावसायिक अस्तुष्य जातियों की समस्या की विवेकना विवेकानन्द ज्ञा ने पटना विश्वविद्यालय से पी एच डी वी उपर्युक्त के लिए जमा लिए गए शोध प्रबन्ध अन्यौक्तिस इन अर्ली इंडिया अध्याय 3 में थी है।
- 15 दी सी सरकार (स) लैतरेश इंडियन 1 ग्रन्थ 3 सद्या 62 पृष्ठ 19 20

- 16 और भी दृष्टियों के लिए देखें वी पी मजुमदार, "कलेनिक्स लैंडशाफ्ट्स इन अर्ती मेडिवल इंस्क्रिप्शन जर्नल आफ दि एसियाटिक सोसायटी 10 (1968) 7 17
- 17 माइकेल लोव एसेक्ट्स आफ बर्ल्ड ट्रेड इन दि फस्ट सोविन सेंगुरीज आफ दि क्रिकियन एवं जर्नल आफ दि रायत एसियाटिक सोसायटी आफ ड्रेट लिटरेचर एड आयरलैंड अक 2 (1971) 172
- 18 रोलेक्ट फ्लॉटिक्स 1 ग्रथ 3 सभ्या 24 पय 16-19
- 19 बन चाग एशेट चाइनाज ब्येस्ट फॉर इंडिपन प्राइक्स दि लड़े स्ट्रेटसर्स पत्रिका घड 6 अप्रैल 1969.
- 20 उपरोक्त
- 21 उपरोक्त
- 22 एस के ऐती इकोनोमिक लाइफ आफ नार्दन इंडिया इन गुप्त पीरियड (कलकत्ता 1957) परिशिष्ट 3 पृ 202 एवं तालिका 1(स) पृ 205 पर आधारित साथ में देखें मेहर सेख इंडियन फ्लॉडलिम्ज रिटच्च दि इंडियन डिस्ट्राइब्ल रिव्यू 1 (1974) 322 23
- 23 आर एस झर्मा दिके आफ गैंगेटिक टाउस इन गुप्त एड पोस्ट गुप्त टाइम्स' जर्नल आफ इंडियन हिन्दू स्वर्ण जपती अक 1973 पृ 135 50
- 24 लैंटरेक्ट फ्लॉटिक्स 1 ग्रथ 3 सभ्या 37 पीक्स 25
- 25 उपरोक्त प 19
- 26 उपरोक्त प 22
- 27 उपरोक्त प 19 21 22 28
- 28 उपरोक्त पृ 345 पाद टिप्पणी 1
- 29 उपरोक्त प 24
- 30 उपरोक्त प 26

ग्रथ सूची

(एक से अधिक अध्यायों में प्रयुक्त सदर्भ ग्रथ)

अ शूल

महाकाव्य

(कलकत्ता सस्करण) सपादक एन शिरोमणि और अन्य, बिल्डिंगोथेका इंडिका, कलकत्ता 1834 39 अनुवादक के एम गागुली । पी सी राय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित, 1884 96

(कुभकोनम सस्करण) सपादक टी आर कृष्णचार्य और टी आर व्यासचार्य बबई, 1905 10

(आलोचनात्मक सस्करण) सपादक विभिन्न व्यक्ति, पूना, 1927 64 । जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो निर्देश इसी सस्करण के हैं ।

रामायण, वाल्मीकिकृत,

सपादक काशीनाथ पाहुरण 2 खड़, बबई 1888

पुराण

जीर्ण पुराण अनुवादक एम एन दत्त 2 गिल्ड कलकत्ता 1903-4

दि पुराण टेक्स्ट ऑफ दि डायनेस्टीज ऑफ दि कलि एज अनुवादक एफ ई पार्सिटर
ऑक्सफोर्ड 1913

ब्रह्माड पुराण बबई 1913

भविष्य पुराण बबई 1910

भागवत पुराण बबई 1905

मत्स्य पुराण सपादक जीवानद विद्यासागर कलकत्ता 1876

मार्कंडेय पुराण सपादक माननीय के एम बनजी बिल्डिंगोथेका इंडिका कलकत्ता

1862 अनुवादक एफ ई पार्सिटर कलकत्ता 1904

वायु पुराण सपादक आर एल मित्र 2 गिल्ड बिल्डिंगोथेका इंडिका कलकत्ता,
1880-88

विष्णु पुराण श्रीपरस्वामी टीका सहित सपादक जीवानद विद्यासागर कलकत्ता 1882

अनुवादक एवं एच विल्सन 5 गिल्ड लदन 1864 70

हिन्दूर्धन लंबे

दी सी सरकार सेलेक्ट इसक्रियास विवरित आन इडियन हिस्ट्री एंड रिकिलाइब्रेरेशन ,
कलकत्ता 1942

आ शब्दकोश और निर्देश ग्रन्थ

ए ए मैकडानल एंड ए बी कोथ बैटिक इडेक्स ऑफ नेम्स एंड सबजेक्ट्स 2 जिल्ड
लदन 1912

एव एव विल्सन ए ग्लासरी आफ जुडीशियल एंड रेवेन्यू टर्म्स लन, 1885

एव जी लिडेल और आर स्काट ए ग्रीक इग्लिश लेनिसकन 2 जिल्ड आक्सफोर्ड
1925-40

जी पी मलसेकेप ए डिक्षनरी ऑफ पानी प्राप्तर नेम्स 2 जिल्ड लन 1937 8

जे घूर ओरिजिनल सस्कृत टेक्स्ट्स । लदन 1872

टी डब्ल्यू रीज डेविड्स और डब्ल्यू स्टीड पाती इग्लिश डिक्षनरी पी टी एस ,
लन 1921

डब्ल्यू एय गिलबर्ट कास्ट इन इडिया (प्रथ सूची) खड 1 चकमुद्रित प्रति वार्षिकट्टन
1948

मोनियर विलियम्स ए सस्कृत इग्लिश डिक्षनरी आक्सफोर्ड 1951

लम्बणशास्त्री जोशी धर्मकोश जिल्ड 1 (तीन खड़ों में) वई जिला सतारा 1937 41

इ भारतीय साहित्य के इतिहास

ए बी कीथ ए हिस्ट्री ऑफ सस्कृत लिटरेचर, ऑक्सफोर्ड 1928

एम विंटरनिज (I) ए हिस्ट्री ऑफ इडियन लिटरेचर जिल्ड 1 श्रीमती केतकर छारा जर्मन से
अनूषित कलकत्ता । (II) गेसिस्टे डेर इडिश्वेन लिटरेटुर जिल्ड II III लिपणिंग 1920
एल्ब्रेक्ट वेबर, दि हिस्ट्री आफ इडियन लिटरेचर जे भन्न एंड टी जकराया छारा द्वितीय
जर्मन सस्करण का अनुवाद लदन 1876

एस एन दासगुप्त और एस के डे ए हिस्ट्री ऑफ सस्कृत लिटरेचर (क्लासिकल
पीरियड) जिल्ड 1 कलकत्ता 1947

बी सी ला ए हिस्ट्री ऑफ पाती लिटरेचर जिल्ड 1 लन 1933

ई सामान्य ग्रन्थ

आर सी मनुमदार एव सी राधोपाधी और के क दत एन एन्वाल्ड हिस्ट्री
ऑफ इडिया लन 1948

- आर सी मजुमदार और डॉ पुस्तकार (I) दि वेदिक एज, लदन, 1951 (II) दि
एज आफ इपीरियल थूनिटी चबई, 1951
- ई जे रैसन दि कैब्रिज हिस्ट्री ऑफ इडिया, जिल्ड । कैब्रिज, 1922
- ए एल बाशम दि वडर डैट वाज इडिया लन्न, 1954
- एच सी रायवीष्वरी पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एनशिएट इडिया छठा संस्करण कलकत्ता,
1953
- एल डॉ बार्नेट, एटिमिवटीज ऑफ इडिया, लन्न 1913
- के ए नीलकृष्ण शास्त्री, दि भौर्याज ऐड सत्याहनाज, चबई 1957
- फ्रिशिपन सैसेन इडिश्वे अल्टरपुम्पकुडे, 4 जिल्ड लिपजिग 1847 1861
- गुवार लैटभैन दि ओरिजिन ऑफ दि इनिक्वेलिटी ऑफ दि सौशल क्लासेज लदन 1938
- डॉ डॉ कोसदी एन इट्रोडक्शन दु दि स्टडी ऑफ इडियन हिस्ट्री चबई 1956
- वान्टर रूबूरेन एनफुरां इन डी इडियाकुडे बर्लिन 1954
- वी ए स्मिथ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इडिया, चतुर्थ संस्करण एस एम एडवडर्स द्वारा
संशोधित आवस्फोर्ड 1924
- उ प्राचीन भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर गोण कृतियाँ
- अर्तीक्रनाथ बोस सौशल ऐड रुरल इकानभी ऑफ नार्देन इडिया (लगभग छ सी ई पू -दो सो
ई पू) 2 भाग कलकत्ता 1945
- आर के मुख्य (I) एनशिएट इडियन एहुक्षन लदन 1940 (II) लोकल गवर्नर्मेंट इन
एनशिएट इडिया आवस्फोर्ड 1920
- आर सी मजुमदार कारपोरेट लाइफ इन एनशिएट इडिया कलकत्ता 1922
- आर सी हाजरा स्टडीज इन पुराणिक रेक्ट्रस ऑन हिंदू राइस ऐड कस्टम्स ढाका
1940
- ई डल्च्यु हायकिस पाजिशन ऑफ दि स्विंग कास्ट इन एनशिएट इडिया जर्नल ऑफ दि
अमेरिकन ओरिएटल सौसायटी बाल्टीमोर XIII 57 376
- ए एस अल्टेकर, एहुक्षन इन एनशिएट इडिया बनारस 1934
- एच रिजले, दि पीपुल ऑफ इडिया लन्न 1915
- एल के दत्त ओरिजिन ऐड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इडिया, जिल्ड । (लगभग दो हजार ई
पू तीन सी ई) लदन 1931
- ए बैन्स एथनोग्राफी स्ट्रैसबर्ग 1912
- एमिल सेनार्ट कास्ट इन इडिया क्रेच संस्करण लेस कास्टस दा ल इडे (पेरिस 1896) का
डेनिसन रास द्वारा अनुवाद लन्न 1930
- एस ए डाग इडिया प्रैम प्रिमिटिव कम्प्युनिट्स दु स्लेवरी चबई 1949

एस बी केतकर दि हिन्दी ऑफ कास्ट इन इंडिया, न्यूयार्क 1909
 के एम शरण सेवर इन एनशिएट इंडिया बवई, 1957
 के एल इफतारी दि सोशल इंस्ट्र्यूशन्स इन एनशिएट इंडिया नागपुर, 1947
 के बी जायसवाल (I) हिन्दू पालिटी, 2 खड कलकत्ता, 1924 (II) मनु ऐड याज्ञवल्य
 कलकत्ता 1930
 के बी रगस्वामी अम्बार सम आस्पेक्ट्स ऑफ दि हिन्दू यू ऑफ लाइफ अकाडिंग दु
 धर्मशास्त्र, बड़ीदा 1952
 जगनीशचंद्र जैन लाइफ इन एनशिएट इंडिया ऐज डिपिक्टेड इन दि जैन केन्स बवई 1947
 जी एस धुर्व कास्ट ऐड वलास इन इंडिया, बवई 1950
 जे एच हटा कास्ट इन इंडिया ऑक्सफोर्ड 1951
 जे जाली हिन्दू सा ऐड कस्टम कलकत्ता, 1928 एस के दास द्वारा 1896 के जर्मन
 संस्करण से अनूदित
 देवराज घानना स्तेवरी इन एनशिएट इंडिया, पाडिच्चेरि, 1957
 नारायणचंद्र बद्योपाध्याय इकनामिक लाइफ ऐड प्रोप्रेस इन एनशिएट इंडिया कलकत्ता 1945
 पी एच वल्लफर, हिन्दू सोशल इंस्ट्र्यूशन्स लद्दन 1939
 पी बी कामे, हिन्दू ऑफ धर्मशास्त्र, जिल्ड II पूना 1941
 प्राणनाथ ए स्टडी इन दि इकनामिक कठीशन ऑफ एनशिएट इंडिया लद्दन 1929
 बी आर अबेडकर, (I) हू वेयर दि शूदाज ? (हाउ दे केम दु बी दि फोर्थ वर्ष इन दि
 इडो एरिया सोसायटी ?) बवई 1946 (II) दि अनटवेबुल्स (हू वेयर दे ? ऐड हाउ दे
 बिकेम अनटवेबुल्स ?) नई दिल्ली, 1948
 बी ए सैलेटोर दि बाइल्ड ट्राइब्स इन इंडियन हिन्दू लाहौर 1935। बी सी ला
 द्राइव्स इन एनशिएट इंडिया पूना 1943
 भूपदनाथ दत्त स्टडीज इन इंडियन सोशल पालिटी कलकत्ता, 1944
 यू एन घोषाल काट्रिब्यूशन्स दु दि हिन्दू रेवन्यू सिस्टम कलकत्ता, 1929
 रामशरण शर्मा प्राचीन भारत के राजनीतिक विचार एव सत्याएँ मैकमिलन दिल्ली 1977
 बाल्ट द्यूबेन डी लाग डर स्कैलैवेन इन डेर आल्टनडिस्चेन गेजेलशाफ्ट, बर्लिन 1957
 सतोष्कुमार दास दि इकनामिक हिन्दू ऑफ एनशिएट इंडिया कलकत्ता 1944

1 भूमिका

अलफ्रेड हिलब्राट ब्राल्फोन उड शूदाज फेस्टस्क्रिप्ट फुर कार्त विनहोल्ड पृ 53 57 ब्रेसली
 1896

आर जी भट्टारकर, फ्लैक्टेड वर्स्स, सपादक एन बी उत्तिकर और वी जी पराजे, 4 जिल्ह पूना 1927 33

एय टी कोलद्रुक मिसलेनस एसेज सपादक ही कावेत 2 जिल्ह, लदन, 1873 एन बी हैलहेड, ए कोण ऑफ जैंटू लाज लदन 1776.

जैम्स मिल दि हिस्ट्री ऑफ इडिया, जिल्ह 1 और 11, द्वितीय सस्करण, लदन, 1820

जे सी घोष ब्राह्मणिज्म ऐड दि शूद्र कलकत्ता 1902

माउटस्टुअर्ट एलफिस्टन दि हिस्ट्री ऑफ इडिया, लदन 1841

राजा रामपोहन राय दि इगलिश वर्क्स, 3 जिल्ह, सपादक जे सी घोष कलकत्ता, 1901

विलियम जोन्स इस्टीट्यूट्यूट्स ऑफ हिंदू ला आर दि आर्डर्नेसेज ऑफ मनु, (अनुवाद) कलकत्ता 1794

वी एस भट्टाचार्य दि स्टैटस ऑफ दि शूद्राज इन एनशिएट इडिया, विश्वभारती बैमासिक, 1924

स्वामी दयानन्द सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश अजमेर सवत 1966

2 उत्पत्ति

मूल ग्रन्थ

अथर्ववेद (पैथलार्ने का) सपादक रघुबीर लाहौर, 1936-41

अथर्ववेद संहिता (शैनक मनावलेदियों का) सपादक सी आर लनमन अनुवाद डॉ छिट्ठने ओरिएटल सीरीज VII और VIII हार्ड बूनिवर्सिटी 1905। सपादक आर रैथ ऐड डॉ छिट्ठने बर्तन 1856। साधारण की टीका संहित सपादक एस पाहुरण पढ़ित 4 जिल्ह बड़ई 1895 98। अनुवादक आर टी एच ड्रिफिय 2 जिल्ह बनारस 1916 17। जब तक अन्यथा न बताया गया हो निर्देश शैनक सस्करण के माने जाए।

ऋग्वेद संहिता साधारण की टीका संहित, 5 जिल्ह, वैदिक सशोधन मठल पूना 1933 51 प्रथम 6 भडतो का अनुवाद, एय एय वित्सन सन् 1950 7। के एक गेल्टनर ईडिजन ऐच्यूटोट्स 1951

जे डॉ छिट्ठन (i) एनशिएट इडिया एज डिस्ट्राइब बड़ई टालेनी कलकत्ता 1885। (ii) दि इनवेन आफ इडिया बड़ई अनेश्वार दि प्रेट बेस्टमिस्टर, 1893

परिम्मुख्या सेप्यक घनात सपादक सी डी दनन और दी डी गुने एस्ट्रेड ऑरिएटल सीरीज 11 एडैग 1923

वेदांतसूत्र बादरायणकृत, शकाचार्य की टीका सहित, 2 जिल्ड विद्विजोथेस्त्र इडिका, कलकत्ता,
1863। अनुवाद जार्ज थीबो, सेक्रेट बुक्स ऑफ दि ईस्ट, XXXIV आक्सफोर्ड
1890

गौण रचनाएँ

आर ई भार्टमर व्हीलर दि इडस सिविलाइजेशन (सल्सीर्मट वाल्यूम दु फ्रिज हिस्ट्री ऑफ
इडिया, I) फ्रिज 1953

आर रीय ब्रद उड डाइ ब्राह्मनेन साइटशृष्ट डेर डोयूचेन मार्गेनलैंडेशन गेजेलशाप्ट, बर्लिन,
1, 66 86

आर गिर्सन, ईचन (पिलिकन सीरीज) 1954

ई एल स्टीर्वेशन ज्याशफी ऑफ क्लाडियस टालेमी, न्यूयार्क 1932

ई ऐके, अर्ली इडस सिविलाइजेशन द्वितीय सस्करण सदन, 1948

एन एन धोष, दि ओरिजिन ऐड डैवलपमेंट ऑफ कास्ट सिस्टम इन इडिया इडियन कल्चर
कलकत्ता, XII 177 191

एक ई पार्जिटर, इडियन हिस्टोरिकल ट्रेडीशस लदन 1922

जार्जेज इयुप्रेजिल (I) फ्लामेन ब्राह्मण, पेरिस, 1935 (II) ला प्रिहिस्ट्रायरे इडो इरानियेन
डेस कास्ट्स, जर्ल एशियाटिक (पिरिस) CCXVI 109 130

जार्ल चारपेटियर, ब्राह्मण उपसला 1932

जी जे हेल्ड, दि महाभारत एन एथनलाजिकल स्टडी, लदन और एम्स्टरडम, 1935

जे वैकरनेगेल इड्वायरेनिसेज सिजुग्सवैरिसे डेर कानिग्लिच मुसिस्चेन अवाडेमी डेर
विसेनशैकेन 1918, पृ 380 411

टी बरो दि सस्कृत लैंग्येज लदन 1955

ठक्क्यू रघुवेन इद्राज फाइट ऑर्गेट वुत्र इन दि महाभारत एस के बेल्लकर (फिलिस्टिशन
वाल्यूम बनारस 1957) 113 26

डी डी कोसवी (I) अर्ली ब्राह्मनिस्म जर्नल ऑफ दि बाब्बे ब्राच ऑफ दि रायल
एशियाटिक सोसायटी बर्ड न्यू सीरीज XXIII 39-46 (II) ऑन दि ओरिजिन ऑफ
ब्राह्मन गोत्राज जर्नल ऑफ दि बाब्बे ब्राच ऑफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी बर्ड न्यू
सीरीज XXVI 21 80 (III) अर्ली स्टेजेज ऑफ दि कास्ट सिस्टम इन नार्दर्न इडिया
जर्नल ऑफ दि बाब्बे ब्राच ऑफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, बर्ड न्यू सीरीज XII
32 48

पी दी काणे दि वर्ड ब्रत इन दि ऋषेव जर्नल ऑफ दि बाब्बे ब्राच ऑफ रायल एशियाटिक
सोसायटी बर्ड न्यू सीरीज XXIX 1 28

भी लाल प्रोटोहिस्टोरिक इनवेस्टिगेशन एनशिएट इडिया दिल्ली स 9

एबर्ट शेफर, एपनोग्रामी औफ एनशिएट इंडिया (महाभारत के आधार पर), विस्टैडन 1954
 एबर्ट हेन गेल्डर्न, जार्कियोलोजिकल ट्रैसेज औफ दि ऐदिक एरियन्स, जर्नल ऑफ दि इंडियन
 सोसायटी ऑफ ओरिएटल जार्ड (कलकत्ता), vi 87 115
 सुद रन्द्रू ऐदिक इंडिया कलकत्ता, 1957
 वी एस भट्टाचार्य शास्त्री, 'शूद', एनशिएट इंडिया, दिल्ली ii 137 9
 वी गौड़न चाहल, दि एरियन लदन 1926
 वी गौड़न चाहल, न्यू लाइट ऑन दि भोस्ट एनशिएट इस्ट, लदन 1954
 सुर्पकात, कीकट, पलिंग ऐड दणि एस के बैल्वलर फैलिसिटेशन वाल्यूम 43-44
 हायन प्रासपन, वोर्टरनुक जुम ऋष्येद लिपिगिग, 1873

3 जनजाति से वर्ण की ओर

(लगभग 1000 ई पू से लगभग 600 ई पू तक)*

मूर भोव

आपसान श्रौतसूत्र उद्दरत की दीक्षा सहित सपादक रिचर्ड गार्डे 3 जिल्ड कलकत्ता, 1882
 1902। संपादक और अनुवादक डस्ट्यू कैर्सेंड 3 जिल्ड, गौटिजेन लिपिगिग
 एसार्ट्टन, 1921 1928.
 क्लेर ब्राह्मण ऐतरेय ऐड कौशीतकि ब्राह्मणाज अनुवादक ए वी कीय हार्वर्ड ओरिएटल
 सीरीज xxv हार्वर्ड, 1920
 ऐत्रेय ब्राह्मण स्थापन की दीक्षा सहित सपादक थी डेवर, बान, 1879 अनुवादक मार्टिन
 डग बर्बर 1863
 कृष्ण सौहिता शुभन पत्रुवीदीय सपादक माधव शास्त्री बनारस 1915
 कर्निटत कठ सौहिता सपादक रमेश्चन, लहोर 1932
 कृष्ण सौहिता, सपादक लियोपाल कन ब्रेडर लिपिग 1900-1910
 कृष्णपन श्रौतसूत्र कर्काचार्य की दीक्षा सहित, सपादक मदनमोहन पाठक बनारस, 1904

* ये रचन निवृत्त वर्त वाले के लिखीते हैं वर्त नहीं हैं अतसक नहीं कि वह उनी वाले थे ही अब वह केवल
 उनी वाले का लिखन छान्हा करती है।

कृष्ण यजुर्वेदीय तैतिरीय ब्राह्मण साधण की टीका सहित, सपादक आर एव मित्र 3जिल्ड,
कलकत्ता , 1859 70

गोपय ब्राह्मण सपादक डिएके गास्ट्रा, लेडेन 1919

धार्योग्य उपनिषद मूल अनुवाद और टीका, एमिल सेनार्ट, पेरिस 1930

जैद अवेस्ता, खड 1 वैदीदाद अनुवादक जेम्स डर्मस्टेटर , सेक्रेट बुक्स ऑफ दि ईस्ट, IV
आक्सफोर्ड, 1880

जैमिनीय या तत्त्वकार उपनिषद ब्राह्मण सपादक रामदेव लाहौर, 1921

जैमिनीय श्रीतसूत्र, सपादक और जर्मन भाषा में अनुवाद, डी गास्ट्रा, लेडेन 1906

तैतिरीय सहिता सपादक ए वेदर, इंडिश्यैन स्टुडियैन बैंड 11 और 12, लिपशिंग,

1871 2। अनुवादक ए बी कीथ , हावर्ड ओरिएटल सीरीज XVIII और XIX हार्वर्ड, 1914

दि धर्मीन प्रिसिपल उपनिषद्, अनुवादक आर ई हयूम आक्सफोर्ड 1931

ठस जैमिनीय ब्राह्मण इन औसताल सपादक और जर्मन भाषा में अनुवादक डब्ल्यू कैलेंड
एस्टर्डम 1919

प्राह्यायण श्रीतसूत्र, पनवेन की टीका सहित सपादक जे एन रेपूटर लदन, 1904

निघटु ऐंड निरुक्त सपादक और अनुवादक लेस्मण सर्सप ! मूल पजाब विश्वविद्यालय 1927 ,
अग्रेजी अनुवाद और टिप्पणियों ऑक्सफोर्ड, 1921

वृहदार्थक उपनिषद शकरायार्य की टीका सहित अनुवादक स्वामी माधवान् अल्मोड़ा
1950

वृहद्देवता सभवत शीनककृत सपादक और अनुवादक ए ए मैकडानल हार्वर्ड ओरिएटल
सीरीज V और VI हार्वर्ड 1904

मैत्रायणी सहिता सपादक लियोपाल्ड फान ओडर लिपशिंग 1923

लात्र्यायण श्रीतसूत्र अग्निस्वामी की टीका सहित सपादक आनद वद्र वेदातररागेश, बिल्डिंग्झोथेज़
इंडिका कलकत्ता 1872

वाजसनेयि सहिता (माध्यदिन पाठ), उच्चट और महीघर की टीका सहित सपादक वासुदेव लस्मण
शास्त्री परिकर बबई 1912

वाराह श्रीतसूत्र सपादक डब्ल्यू कैलेंड ऐंड रपुवीर लाहौर 1933

शतपथ ब्राह्मण, (माध्यदिन पाठ) सपादक दी शर्मा गौड एव सी डी : शर्मा काशी सवत
1994 7

शाखायन ब्राह्मण आनदाश्रम सस्कृत सीरीज भ 35 1911

शाखायन श्रीतसूत्र सपादक ए हिलार्ट बिल्डिंग्झोथेका इंडिका कलकत्ता 1888

सत्यायाठ (हिरण्यक्षेशिन)श्रीतसूत्र महादेव की टीका सहित आनदाश्रम सस्कृत सीरीज 1907

सामवेदीय जैमिनीय ब्राह्मण सपादक रपुवीर एव लोकेश चद्र नागपुर 1954

गौण रचनाएँ

- जार जी कौविस, मेटलर्जी इन एनटिकवीटी, लेडेन, 1950
ए ए मैकडानल, ए वेदिक ग्रामर फार स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड, 1916
एव एम चैडविक, दि हिरोइक एज, कैब्रिज, 1912
एम ब्यूमफ़ील्ड, दि अथविद स्ट्रैसबर्ग, 1899
ए वेबर, (I) कलेक्टानिया उदर ही क्लेनवेर-हालिनिसे इन डेन ब्राह्मण उड सूत्र इडिस्ये
स्टूडियेन X 1 160 (II) डेर अस्ट्रै अध्याय डेस अस्टेन बुवेस डेस शतपथ ब्राह्मण
त्साइटिश्ट डेर डोयूवेन भेरेनलैंडिशे गेजेलशाप्ट, बर्लिन IV 289-304
ए जी बनर्जी स्टडीज इन दि ब्राह्मणाज पी एच डी थीमिस लदन विश्व
विद्यालय 1952
ए हितकाट, जूर वेडिस्चेन माइशालजी उड वाल्करबेवेन्गुग लिपजिग बैड 3 लिपजिग, 1925

जार्न टामसन स्टडीज इन एनशिएट श्रीक सोसायटी, 1 लदन 1949

जी सी पाडे स्टडीज इन दि ओरिजन्स ऑफ बुद्धिज्ञ्य इलाहाबाद 1957

जे घूर रिलेशन ऑफ दि प्रिस्ट्स दु दि अदर क्लासेज ऑफ इडियन सोसायटी इन दि वेदिक
एज जर्नल ऑफ दि रायत एशियाटिक सोसायटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऐड आयरलैंड लदन
न्यू सीरीज 11 (1866) 257 302

विनहेम पाइगर सिविलाइजेशन ऑफ दि ईस्टर्न इरानियन्स इन एनशिएट टाइम्स डी डी
पोस्टन सजाना द्वारा जर्नल भाषा से अनूष्ठित जिल्द 1 लदन 1885

हेनरीक तिस्मर अर्टिंटडिस्चेस लेदेन बर्लिन 1879

4 दासता और अशक्तता

(लगभग छ सौ ई पू से लगभग तीन सौ ई पू तक)

मूल ग्रन्थ

अ ब्राह्मण

आमार धर्मसूत्र साम्प्रदायी बुल्लर वर्द्द 1932

आस्तायन गृह्यसूत्र, हरदत्ताधार्य की टीका सहित सपादक थी गणवति शास्त्री त्रिवेद्य,

1923

गीतम् पर्वसूत्र, सपादक ए एता स्टैंजलर, संदर्भ 1876, मस्करी की टीका सहित
सपादक एत श्रीनिवासाधार्य मैसूर, 1912

पाणिनि सूत्र पाठ ऐड परिशिष्टाग, शब्द सूची सहित, सकलनकर्ता एस पठक और एस
वित्तयष पूना, 1935

पारस्कर गृह्यसूत्र, बर्वई 1917

शौपायन गृह्यसूत्र सपादक आर शामा शास्त्री मैसूर 1927

शौपायन पर्वसूत्र सपादक ई हुल्ला लिपणिंग 1884

वसिष्ठ पर्वशास्त्र, सपादक ए ए कुहर, बर्वई, 1916

शाखायन आश्वलायन पारस्कर, खटिर गोभित हिरण्यकेशिन् और आपस्तव के गृह्यसूत्र का
अनुवाद एव ओल्डेनबर्ग, सेकेड बुक्स आफ दि ईस्ट xxix और xxx आवस्फोर्ड
1886 92

शाखायन गृह्यसूत्र सपादक एव ओल्डेनबर्ग, इंडिस्ट्री स्टूडियेन xv पृ 13 आदि।

आपस्तव गौतम वसिष्ठ और शौपायन के पर्वसूत्र का अनुवाद जी हुल्लर सेकेड बुक्स ऑफ
दि ईस्ट 11 और XIV ऑक्सफोर्ड, 1879 82

आ बौद्ध

अगुत्तर निकाय सपादक आर भौरिस एव ई हार्डी, 5 जिल्ड, पाती टेक्स्ट सोसायटी लद्दन
1885 1900 जिल्ड 1 11 और v का अनुवाद एव एल उडवर्ड छाए और 111

एव IV का अनुवाद ई एम हेआर छाए, पाती टेक्स्ट सोसायटी लद्दन 1932 36
जातक टीका सहित सपादक वी फासबाल 7 जिल्ड (जिल्ड 7, अनुक्रमणी, छी ऐडरसन
छाए) लद्दन 1877 97 अनुवाद विभिन्न व्यक्तियों छाए 6 जिल्ड लद्दन
1895 1907

दीप निकाय सपादक टी डब्ल्यू रीज डेविड्स और जे ई कारपेट 3 जिल्ड पाती
टेक्स्ट सोसायटी, लद्दन 1890-1911 अनुवाद टी डब्ल्यू रीज डेविड्स 3 जिल्ड
सेकेड बुक्स ऑफ दि बुक्स्ट्रॉस लद्दन 1899 1921। मण्ड्रम निकाय सपादक वी
ट्रैक्कर एव आर चामर्स पाती टेक्स्ट सोसायटी 3 जिल्ड लद्दन 1888 1896

अनुवाद लाई चामर्स 2 जिल्ड सेकेड बुक्स ऑफ दि बुक्स्ट्रॉस 1926 27
विनयपिटक सपादक एव ओल्डेनबर्ग, 5 जिल्ड लद्दन 1879 83। अनुवाद आई वी
हैर्नर 5 खड सेकेड बुक्स ऑफ दि बुक्स्ट्रॉस लद्दन 1938 52

इ जैन

अध्यात्मसुत, श्वेताबर जैन, सपादक एवं जैकोबी पाती टेक्स्ट सोसायटी, लद्दन 1882
 उत्तराध्ययनसूत्र सपादक जार्ल चार्पेटियर उप्पसला, 1922
 उवासगदसाव सपादक ए एक छड़ाल्फ हार्नने कलकत्ता 1890
 औवाइय (पा औपपातिक सूत्र) अभयदेव की टीका सहित, सपादक मुनि हेमसागर आगमोदय
 सनिति प्रकाशन
 अत्यंड दसाव ऐड अणुत्तरोवाइय दसाव सपादक पी एल वैय, बर्ड, 1932 अनुवादक
 एत ही बार्नेट, लद्दन, 1907
 कल्पसूत्र भद्रबाहु का, सपादक एवं जैकोबी, लिपिग्रन, 1879
 सूयगडम्, सपादक पी एल वैय, बर्ड, 1928
 स्थानाग सूत्र, अभयदेव की टीका सहित सपादक वैष्णवद सुरचंद्र 2 जिल्ड, बर्ड 1918 20

गोण रघुनारें

आइवर फाइजर दि प्राक्तम ऑफ दि सेट्रिंग इन बुद्धिस्ट जातकाज आर्किय ओरिएटलानी प्राग
 xxii 238 265

आर एन भेदता प्री बुद्धिस्ट इंडिया बर्ड 1939
 ए एल वैशम हिस्ट्री ऐड डाक्ट्रिनस ऑफ दि आजीविकाज, लद्दन 1951
 एन सी बैनर्जी स्लेवरी इन एनशिएट इंडिया दि कलकत्ता रिव्यू (अगस्त 1930) पृ
 249 265
 एफ मैकसम्पूलर दि हिबर्ट लेक्चर्स 1878 लद्दन 1880
 जे जे मेयर उबर डस वैसेन डा अस्ट्रिन डिस्चेन रेष्टसकिफ्टेन उड जेर वरहाल्टनिस
 आइनेंडर उड सू कॉटिल्य लिपिग्रन 1927
 टी डब्ल्यू रीज डेविल्स बुद्धिस्ट इंडिया लद्दन 1903
 डब्ल्यू एल वेस्टरमन्ड दि स्टेव सिस्टम्स ऑफ ग्रीक ऐड रोमन एटीक्यटी फिलाडेल्फिया
 1955
 ढी ढी कोसम्बी एनशिएट कोशल ऐड मगाय जर्नल ऑफ दि बाबे झाच ऑफ दि रायत
 एग्रियाटिक सोसायटी बर्ड न्यू सीरिज xxvii
 श्री सी ला इंडिया ऐज डिस्काइड इन अर्नी टेक्स्ट्स ऑफ बुद्धिज्य ऐड जैनिज्म लद्दन
 1941
 यू० एन० धोशाल दि स्टेटस ऑफ शूद्राज इन दि धर्मसूत्राज इंडियन कल्घर कलकत्ता xiv
 21 27

रिचर्ड फिक, दि सोशल आरेनाइजेशन इन नार्थ ईस्ट इंडिया इन बुद्धाज टाइप कलकत्ता
1920

गेडाल्क भाडाल्को, ग्रीक ऐटिच्यूड दु मैनुअल सेवर पास्ट ऐड प्रेर्नेट, स 6

वी एम आर्टे, सोशल ऐड रेलियस लाइफ इन दि गृहयस्त्राज, बबई 1954

वी एस अप्रवाल इंडिया ऐज नोन दु पाणिनि, लखनऊ 1953

शिवनाथ बसु, स्नेहरी इन दि जातकाज, जर्नल ऑफ दि बिहार ऐड उडीसा रिसर्च सोसायटी,
पटना ix 369 375

5 मौर्यकालीन राज्य-नियन्त्रण और सेवि वर्ग

(लगभग तीन सो ई पू से लगभग दो सो ई पू तक)

पूल खोत

प्रथ

कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सपादक आर शामा शास्त्री तृतीय सस्करण मैसूर 1924 (जब तक अन्यथा न बताया गया हो इस पुस्तक में जो निर्देश आए हैं वे इसी श्रेष्ठ के हैं) अनुवादक आर शामा शास्त्री तृतीय सस्करण मैसूर 1929। दीका सहित सपादित टी गणपति शास्त्री 3 जिल्द, व्रिंदावन 1924 25। सपादक जे जाली और आर स्मिदूत जिल्द। लाहौर, 1924। अनुवादक आर शामा शास्त्री तृतीय सस्करण मैसूर 1929। अनुवादक डस अल्टिनडिस्ट्री बुक फाम वैल्ट उड सैटस्लेचेन जे जे मेपर लिपिजिङ 1926

दीकाएं

जयमगला (अर्थशास्त्र के खड I के अंत तक है पर कहीं कहीं सूटा भी है), सपादक जी हरिहर शास्त्री जर्नल ऑफ ओरिएंटल रिसर्च मद्रास xx xxiii

नव धर्मिका यायव यज्व (खड VII XII पर), सपादक उदयवीर शास्त्री लाहौर 1924
प्रतिपद पधिका भद्रस्यामिन् रघित (खड II पर भक्तण 8 से) सपादक के पी जायसवाल
और ए बनजीं शास्त्री जर्नल ऑफ दि बिहार ऐड उडीसा रिसर्च सोसायटी पटना
xi xii

उत्कीर्ण सेस

अशोक के शिलालेख सपादक ई हुत्या cII । आमसफोर्ड, 1925

विदेशियों के विवरण

जे डब्ल्यू मैकिल (i) एनशिएट इंडिया ऐज डिस्क्रिप्ट इन कलासिकल लिटरेचर, वेस्टमिस्टर 1901. (ii) एनशिएट इंडिया ऐज डिस्क्रिप्ट बाई मेमस्थनीज ऐड एरियन, कलकत्ता 1926 (iii) एनशिएट इंडिया ऐज डिस्क्रिप्ट बाई टेसिपाज दि निडिपन, सदन 1882

गौण रचनाएँ

आई जे सोरादगी सप नोट्स ऑन दि अध्ययन प्रचार कौटिल्य अर्थशास्त्रम का खड 11, इनाहावाद 1914

एन सी बघोपाध्याय कौटिल्य आर एन एक्सपोजिशन ऑफ हिंज सोशल ऐड पोलिटिकल थोरी कलकत्ता 1927

के यी रगस्तानी अव्यगर इंडियन कैमरैलिज्म मद्रास, 1949

पी एल नरसु, दि इसेन्स ऑफ बुद्धिज्ञ, मद्रास 1912

बर्नहार्ड ब्रोतर कौटिल्य सुडियैन 3 जिल्ला बान 1927 34

6 प्राचीन व्यवस्था का कमज़ोर पड़ना

(लगभग दो सौ ई पू से लगभग दो सौ ई सन तक)

मूल स्रोत

ग्रन्थ

द्वाष्टान औक भास अविनारक चात्वरित पचरात्र और प्रतिमानाटक, सपादक टी गणपति शास्त्री शिवेन्द्रम 1912 15

निष्वावद्यन सपादक ई बी कौवेल और एफ ए नील कैंडिज 1886
पत्रवणा सूत्र (महायगिरि की टीका सहित) 2 जिल्ड बनारस 1884

मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र, सपादक वी एन माडलिक बद्द 1886,
 अनुवादक जी बुहलर, सेकेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट xxv ऑक्सफोर्ड 1886
 महाभाष्य ऑफ पतञजलि, सपादक एक किलहार्न 3 जिल्द बद्द 1892 1909
 महाबन्धु, सपादक ही सेनार्ट, 3 जिल्द, पेरिस 1882 97
 मितिदध्यो, सपादक वी ड्रैकनर, लदन 1928, अनुवादक टी डब्ल्यू रीज डेविस
 सेकेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट xxxv xxxvi ऑक्सफोर्ड, 1890-4
 मुग्गुराण, सपादक डी आर मनकद, वल्लभविद्यानगर, 1951
 ललितविस्तार, सपादक एस लेफमन्न 2 जिल्द हैते 1902 1908
 सद्गुरुपुड्डीकसूत्र जिसमें सेंद्रल एशिया की पाहुलियियों के पाठ भी हैं एन डी मिरोनोव के
 सपादक एन दत कलकत्ता 1952 अनुवादक एव कर्न सेकेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट
 xxi ऑक्सफोर्ड, 1884।

उत्कीर्ण सेष्ट

ल्यूटर की उत्कीर्ण लेखों की सूची, एपिग्राफिया इडिका X

गौण रचनाएँ

आर ही एम बीलर, रोम बियाड दि इपीरियल फ्रटियर्स पेलिकन सीरीज 1955
 ही एव वार्मिंगटन दि शान्ति बिटविन दि रोमन एपायर ऐड इडिया बैंडिज 1928
 ही डब्ल्यू हारकिस दि भ्युधुअल रिलेशन ऑफ दि फोर कास्ट्स एकाडिंग दु दि भानव
 धर्मशास्त्र, लिपिज्ञ 1881
 ए डी पुसलकर, भास—ए स्टडी, लाहौर 1940
 के पी जायसवाल हिस्ट्री ऑफ इडिया ही सन 150 से ही सन 350 लाहौर
 1933
 के वी रगस्वामी अव्यगर, (i) आसेक्स ऑफ दि सोशल ऐड पालिटिकल सिस्टम ऑफ
 मनुस्मृति लखनऊ 1949 (ii) राजपर्व मद्रास 1941
 जी एफ इलियन शूष्राज उड स्लोवेन इन डेन अर्लिंट-डिस्वेन नेसेसेडुचर्न साउजे
 तिसेनरैफ्ट (बर्लिन) 1952 स 2, पृ 94 107
 डब्ल्यू डब्ल्यू टार्न दि ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया ऐड इडिया बैंडिज 1938
 डी ए सुलेक्षन फडामेटल प्राक्लम्स ऑफ दि पीरियडाइजेशन ऑफ एनशिएट इडिया, मेडीइवल
 इडिया क्वार्टर्स (बर्लिन) : स 3 4 46 58
 वी एन पुरी सम आसेक्स ऑफ इकनामिक लाइफ इन दि कुपाण पीरियड इडियन
 कल्चर कलकत्ता XII

7 रूपतरण की प्रक्रिया

(लगभग दो सौ से पाँच सौ ईं सन)

मूल स्रोत

प्रथ

- अमरकृत या अमरकृत नामितगानुशासन भट्ट शीरस्वामी की टीका सहित, सपादक ए डी शर्मा और एन जी सरेसाई पूना, 1941
काल्पन रूपि व्यवहार विधि एवं प्रक्रिया सबसी नए पाठ सहित सपादन अनुवाद टिप्पणी
और प्रस्तावना पी बी कर्णे बदई 1933
दामन्कीय नीतिसार सपादक आर एल मित्र, बिलिओथेका इडिका कलकत्ता, 1884
अनुवादक एम एन दत्त, कलकत्ता 1896
कामसूत्र वात्स्यायनकृत, यशोपर की जयमण्गला टीका सहित सपादक गोस्वामि दामोदर शास्त्री
बनारस, 1929
जबूदीप प्रझापि शातिचार की टीका सहित बदई, 1920
जयायम सहिता सपादक एवर कृष्णाचार्य, गायकवाड ओरिएटल सीरीज Iv बड़ौदा 1931
धैरणाथ अट्टकच्छा (परम्परादीपनी) धर्षपाल की टीका, सपादक एक एल बुडवाई 2
जिल्द पाली टेक्स्ट सोसायटी लदन 1940 52
नर्हस्त्रि पुराण हितीय सत्स्करण बदई 1911
नाट्यशास्त्र भारत मुनि कृत अभिनव गुप्त की टीका सहित सपादक मनवल्लि रामकृष्ण कवि 3
जिल्द गायकवाड ओरिएटल सीरीज, बड़ौदा, 1926 54 अनुवादक भनमोहन घोष
कलकत्ता 1950
नारद रूपि असदाय की टीका के उद्धरण सहित सपादक जे जाली कलकत्ता, 1885
अनुवाद जे जाली सेकेड हुक्स ऑफ द ईस्ट xxxiii, ऑक्सफोर्ड 1889
पद्यतत्र प्राचीनतम पाठ, कश्मीरी जिसका शीर्षक है तात्राञ्छादिका सपादक जे हॉटेल हार्वर्ड
ओरिएटल सीरीज xiv हार्वर्ड 1915 । ग्रथ अपने प्राचीनतम रूप में सपादक
एक एडगर्टन पूा 1930 (निर्देश इसी ग्रथ के दिए गए हैं)
पिंडिनिर्मुक्ति भद्रबाहु स्वामी कृत बदई, 1918
दृष्टु फलसूत्र और स्थदिर आर्य भद्रबाहु स्वामिन् की मूल निर्मुक्ति तथा संपादन शृणि क्षमाश्रमण
का भाष्य और टीका जिसका आरभ मलयालित ने और संपादन हेयकीर्ति ने किया 6
जिल्द भाबनगर 1933 42
दृष्टु संहिता धराहरिदिकृत हिंदी अनुवाद सहित दुर्गाप्रसाद लखनऊ, 1884

वृहत् सहिता वराधमिहिरकृत, भट्टोत्पत्त की टीका सहित 2 खड़, सपादक सुपाकर द्विवेदी
बनारस 1895 7

दृष्टिस्त्री सूति (इस प्रथ का अनुसरण किया गया है) सपादक के दी रणस्त्रभी अध्यगर
गायत्रीवाड ओरिएटल सीरीज 1xxxv बड़ौदा 1941 अनुवादक जे जाती सेकेंड
बुक्स ऑफ दि ईस्ट XXXIII ऑक्सफोर्ड 1889

मालविकाम्निमित्र, कालिदासकृत सपादक पी एस सने जी एव गोडबोले एंड एव
एस० उरसेकर बड़ै 1950

मृच्छकटिक शूद्रक कृत सपादक और अनुवादक आर डी करमारकर पूना 1937।
अनुवादक आर पी आलिबर एलिनाय 1938

याजवल्य सृति वीरभित्रोदय एव मितासरा सहित चौखबा सस्कृत सीरीज, बनारस सवत
1986 ।

रम्यवश, कालिदासकृत सपादक रम्यनाथ नदर्गिकर बड़ै 1891

लक्ष्मणतार सूत्र सपादक बुनियु नानियो क्योटो 1923। अनुवादक डी दी सुनुकी
लन्न 1932

वज्रसूधी अक्षयोषकृत सुनितकुमार मुखोपाध्याय शातिनिकेतन 1950

विषानवस्थु अद्वक्या (पद्मपालकृत परमत्यदीपनी का खड़ IV) सपादक ई० हार्डी पाली टेक्स्ट
सोसायटी लदन 1901

दिष्णुघर्भतर महापुराण बड़ै विक्रम सवत 1969

विष्णुमृति या वैष्णव पर्मशास्त्र (नद पडित की टीका के उद्धरण सहित)

सपादक जे जाती बिक्सिओथेका इडिका कलकत्ता 1881 अनुवादक जे जाती, सेकेंड
बुक्स ऑफ दि ईस्ट VII ऑक्सफोर्ड 1880

चीनी प्रथ

एव ए जाइल्स दि ट्रैवेल्स ऑफ फाहियान आर ए रेकार्ड ऑफ बुद्धिस्तिक किंगडम्स
(अनुवाद) फैब्रिज 1923

जेम्स लेंग ए रेकार्ड ऑफ बुद्धिस्तिक किंगडम्स (चीनी शिक्ष्यु फाहियान की यात्रा का विवरण)
(अनुवाद) ऑक्सफोर्ड 1886

टी वाल्टर्स आन युएन सार्स ट्रैवेल्स इन इंडिया सपादक टी डब्ल्यू रीज डेविल्स एव
एस डब्ल्यू बुरोल, 2 जिल्ड लदन 1904 5

सेमुअल चील ट्रैवेल्स ऑफ फाहियान एंड सुग यग (अनुवाद) लदन 1869

अन्य प्रथ

एडवर्ड सी सची अलबेर्नीज इंडिया (अनुवाद एव सपादन), लदन 1888

उल्कीर्ण सेत्र

जे एक फ्लॉट इसकिंशस ऑफ दि अर्ली गुप्त किंग्स, CII III लदन 1888

गौण रचनाएँ

आर एन सेलेटोर लाइफ इन दि गुप्त एज बदई 1943

आर जी बसाक इडियन सोसायटी ऐज पिक्चर्ड इन दि मृद्घकटिक इडियन हिस्टोरिकल क्वार्ट्स कलकत्ता, V

आर जी भडारकर वैष्णविज्ञ शैविज्ञ ऐड माइनर रेनिजस सेक्ट्रस स्ट्रेसर्स 1913

आर सी मजुमदार एवं ए एस अल्टेकर दि गुप्त वाकाटक एज लाहौर 1946

आर सी मजुमदार एवं ए डी पुसनकर दि क्लासिकल एज बदई 1954

ई डब्ल्यू हापर्किंस (I) दि रेलिजन्स ऑफ इडिया लदन 1895, (II) दि प्रेट एपिक ऑफ इडिया न्यू हैवेन 1901

ई पी ओ भरे दि एनशिएट वर्कर्स ऑफ वेस्टर्न धानभूम जर्नल ऑफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी ऑफ बगाल कलकत्ता III क्रम vi 79 104

एवं सी चक्रतादार सोशल लाइफ इन एनशिएट इडिया कलकत्ता 1929

एवं सी रायधीथी अर्ली हिस्ट्री ऑफ दैव्याव सेक्ट कलकत्ता 1920

ए थी कीय दि साथ सिस्टम आक्सफोर्ड 1919

एम ए भरे दि स्टॉलर डैट वाज इजिन्झ लदन 1949

एस के फैती दि इकानामिक लाइफ ऑफ नार्दन इडिया इन दि गुप्त पॉरियड कलकत्ता 1957

के एस रामस्वामी शास्त्री स्टडीज इन रामायण बड़ीदा 1944

के जे विरजी एनशिएट हिस्ट्री ऑफ सौराष्ट्र बदई, 1952

जी एफ इलियन ओसोबेत्रोस्टी रावस्त्वा व ड्रेवनीयइनीये वेस्तनिक ड्रेवनीय इस्तोरी (मास्को लेनिनग्राद) 1951 स I प 33 52

जे एन बनर्जी दि डेवलपमेंट आफ हिंदू आइडेन्टियाफी कलकत्ता 1941

झी आर पाटिल कल्चरल हिस्ट्री फ्राम दि वायु पुराण पूना 1946

झी थी कोसदी दि वर्किंग क्लास इन दि अभरकोश जर्नल ऑफ औरिएटल रिसर्च मद्रास xxiv प 57 69

एमशरण शर्मा भारतीय साभतवद राजक्यत प्रकाशन लिली 1973

थी एस उपाध्याय इंडिया इन क्लिनिस इन्डियाद 1947

थी सी ला हैवेन ऐड हैत इन बुद्धिस्ट पासप्रिकेटव कलकत्ता एवं शिमला 1925

थी आर आर दीक्षितार दि गुप्त पलिटी मद्रास 1952

अनुक्रमणिका

(स्स्कृत, पालि और प्राकृत शब्द)

अ

अमृत 226
अन 121
अतमहामात्र 294
अतावसायिन् 121 158 165 199
अ-य 121 198 238
अत्यव 187 189 199 239 247-8 252 254
अल्योनि 121
अत्यावसायिन् 197 8 247-8 292
अवृत्त 284
अद्वत 17
अद्वत् 17
अशयनीषि 285
अशयनीवि 286
अग्न्याधानम् 58
अनगदान द्वृत 253
अनाम 19
अनेह 18
अनत्सृष्ट 244
अनसोम 113 289 291
अनटम् 78 58 64 71
अनुवृत्त 54
अन्तरी परम 99
अ-यवन 18 76
अन्यस्य ग्रेय 60
अणम 161
अणगा स्य 162
अनेहि दिश 19
अन्निंश 291
अणम 117 242, 245 256
अण्णाधम् 118 174

अध्यर्य 55 58
अपकृष्ट 182
अपकृष्टज 187
अपात्र 110 199
अपद्रव 18 26
अपहृत 20
अपि 177
अपृष्ठत 21
अपहृत 284
अभिज्ञ 156
अभिज्ञात तत्र 127
अभिवेक जल 250
अमात्य 156 166
अमानय 109
अयज्ञान् 17
अयज्ञान 17
अयनात् कर्य 70
अयात्र 166
अयात्रायज्ञानाध्यापने 166
अयधाम् 21
अर्हात्म 98
अर्द्धमीठिक 205
अर्द्धि 205
अर्द्धवा 180
अर्द्धवाच्य 290
अर्य 57 62 70
अर्या 246
अवकृष्ट 251
अडन 18
अवृत्तान 290
अर्हाचि 194 245

- अथर्वान् 17
 अस्तविद्य कर्म 178
 अष्टादशा श्रेणिया 179 289
 अमद्युत 200
 अमद्यु 235
 अमिक्षनीविश्वा 18
 अम्पुश्य 121 123 198 238 246-7 254
 257 292
 अम्पुश्यता 118 121 122 3 128 247
 आग्निरथ 64
 आणीहि 65
 आजीविक 127 130 166
 आत्मनिप्रह 124
 आच्चाव 65
 आधाव 65
 आभिजात्य 156
 आरोग्य 109
 आर्यकूल 103
 आर्यत्वम् 161
 आर्यप्राग 160 161
 आर्यविश् 18 120
 आर्येन्द्र 16 116-17 161 2 203
 आदमी 126
 आमुरी मेना 19
 आहन 98
 आहतक 98
 आहिनक 160 162
 आहून 98
- इ**
 इतरा 63
 इपुकार 72
 इहसोक 256
- उ**
 उच्चतभयग 99
 उच्छिष्ट 95
 उच्छुक 235
 उत्कृष्ट 187
 उत्कृष्ट 182
 उत्थापन 61
- उत्सम्बूतकरण 294
 उमीच्य 88
 उपद्युष्ट 68
 उपगम 128
 उपनीत 67 73
 उपणात्व 239
 उपरिकर 229
- ऋ**
 ऋतिवज् 154 200 252
- ए**
 एवजानि 200
 एशाह 52
 एथमानान्दि 21
 एँहि 65
- ओ**
 ओमनसव 70
- फ**
 फूलयाम् 64
 फंबालभयग 99
 फम्भवर 93 98 101 106 122 176-27
 179 30
 फम्मी 52
 फरीष 227
 फरीसा 95
 फणविधन 251
 कर्षकर 50 129 147 150 151 52 155 167
 178 180 182 222 229 231 32 244
 279
 कर्मार 29 54-55 71
 कर्दी 156 206
 कर्षक 151 223 24 227
 कल्प 146
 कल्पाणीवाक् 65
 कषक 244
 कवि 30
 कामोत्पात्य 60-61
 कारु 228
 कारुक 151

- वा**
 वार्त्करताणम् 153
 वार्त्पिण 182
 वीनाश 228 235 285
 कम्भकर 51 71 91 93 96 117 125 127
 179 280
 कुमकरी 91
 कुमदासी 245
 कटीबिन 151 228
 कृदय 183
 कलाचार 231
 कीलिक 234-35 235 291
 कल्याप 226-27
 कृच्छ्र 194
 कृत 284
 कृषक 154 157
 कृष्ण (शाला) 18
 कृष्णयोनि दासी 19
 कृष्णरूपा असरसेना 19
 कृष्णल 183 232 286
 वैवर्ते 235
 वौदतक 92
 व्रशाहत 125
- ख**
 खानु 113
 खर 37
- ख**
 खतिय 101
 खिल 284
 खोरिस 100
- ग**
 गण 17 193
 गणिका 63 193
 गर्भदास 53
 गव्य 17
 गहपति 12 91 92 95 99 101 103 129
 130 183
 गायत्री 58
 गुप्तिक 285
- गुलम 285
 गुलिमक 285
 गृहदास 117 125
 गृहपति 191
 गृह्यकर्म 115
 गाहूर्ण्य 65
 गोप 151 52
 गोपालक 223 245
 गोरक्षक 151
 गोविवर्तन 54 72
 घामधी 29
 घामतक 92
 घामभृतक 149 155
 घामभोजक 94
 घामशिल्पिन् 92
 घाम शूवर 110
 घामयेष्ट (वारिक) 230
 घाम्य कुटीबिन 151
 घाम्य वीणा 248
- च**
 चहालिका 248
 चक्रवा 244
 चतुष्पद 155
 चम्भवार 117 123
 चम्मोदन 244
 चर्मकर 28 91 120 230 235 243 247
 चर्मम् 29
 चर्मविवर्तिन 193
 चूडाकरण मस्तकर 251 254
 चोरथालक 119
- ज**
 जवत्त 248
 जगती 58
 जन 22
 जनपद 150 231 234
 जनपदनिवेश 149 150 162
 जाम हाँन 252
 जाय 58
 जादमित्र 58

- जलाजलि 253
 जाति बहिर्भूत 235
 जानपदोभिजात 156
 जातीभयग 99
 जात्याचार 231
 जेत्यक 92
- त**
 तनुवाय 117
 तकमन् 32
 तम्पक 68
 तस्त् 29 54-55 74 76
 तच्छक 120
 तत्त्वाकृष्ण 194
 त्वचमसिकनीम् 18
 तुन्द्यार 92
- ऋ**
 ऋषी 250
 ऋत्रि द्रव 252
 ऋष्टम् 58
 ऋवर्णिक 69 107
- थ**
 थेर 124
 थेरि 124
 थेरिगाया 124
- द**
 दम 248
 दरिद्रवीथी 183
 दर्भ (याम) 30
 दशाग्रामपति 285
 दशाग्रामी 285
 दश 25
 दस्यहत्या 26
 नास (उपाधि) 193
 दासदम्मकर्पोरित 99
 दामत्व 126
 दाम परिमोग 96
 दामप्रवर्ष 26
 दासमोग 103
- दास विरा 26
 दामीसम्म 225
 दामहत्या 17 26
 दास्या पत्र 63
 दास्या रादश 193
 दिग्दिवजय 32
 दिवमधयग 99
 दिव्य 236
 दग्धनिवेश 151 153
 दविनियोग 154 159 167
 देशाचार 231
 द्विज 102 104 115 148 177 187 190-91
 194 96 199 200 224 26 230 237
 243-46 250-51 253 55 280 288
 द्विजाति 239
 द्विपद 155
 द्विरात्र व्रत 252
 द्र 36
 द्र 36 37
 द्रोगवाप 227
- घ**
 घनिन 17
 घनकार 72
 घम्म 166
- न**
 नम 115 250
 नमस्कार मत्र 250
 नलकार 117
 नहपित 117
 नपित 125 281
 निकृष्ट जाति 19
 निकृष्टलाम 155
 निम्नकल 104
 निर्वाण 97
 निर्वासन 61
 निवर्तन 228
 निष्क 182 188
 निष्वासन 61 220

प
पचासना 69
पचनद्यु 244
पण (एक जनजाति) 119
पण (मुद्रा) 97 154-55 158-60 162 167
182-83 186-89 191 92 232 237 38
241 284 286
परिचरणकर्मण 51
परिचारक 160 161 200
परिचारिक 160
पर्ण दहे 22
पल 179
पाठ्यक 30
पाणिप्रहण 245
पाल्पीयतावीज 29
पादावनेकता 93
पार्वद 103
पालगली 64
पालागल 54
पीड़ा 295
परिम 99 101
पटम् 56
पूर्ण 50 56
पूर्णद् 71
पेमकार 117 123
पेस्म 97 101 106
पोषक 50 56
पोषयिष्य 50
प्रधन 95 147 150 205
प्रतिप्रह 60 284
प्रतिनोम 113 238 289 291
प्रवर 253
प्रवर्ग्य 73
प्रस्थ 155
प्रेष्य 106
फ
फलम् 56
य
यात्रा (वर) 28

यहपशु 50
बालखिल्य 26
बाह्य 121 197 199
बेकनाट 21
झहमचर्य 66 107 124
झहमचर्यायम् 65
झहमचारिन् 66
झहमदान 284
झहमवर्चस् 193 243
झहमवादिन् 63 200
भ
भगोस 130
भटक 98 101 178
भटमयम् 158
भर्त्तिका प्रजा 241
भाडागारिक 103
भागिन्लभागिक 106
भिरवा 124-26 130 190
भिरवनी 124
भिषव 30
भृजीस 162
भूत दया 248
भूति 193
भूमिच्छुद्रव्याय 284
भूमिपुरुपवर्जम् 52
भूमिशूटवर्जम् 52
भूतक 98 99 182-83 237
भूतकवीथी 183-84
भूति 98
भृत्य 157 58 222, 224 243 253
भृत्यक (वेतनार्जक) 222
भो 192
भोग 149
म
मवस्थानि गासाल 140
मध्यमा तामसी गति 204
माय 20
महाब्रत 70
महामान 101

शूदर्कर्यक प्राप्तम् 149
शूद्र भूयिष्ठ 203
शूद्रोनि 63
शूद्रवर्जनम् 110
शौभिकी 193 197
श्यादाय 24
श्वनि 71
श्वप्नक 159 243 246 254
श्वी 37

अ

योग 187
योगिधर्म 231
यमण 123-24
स
सद्गीतु 71
सद्यगग 103
स्वातु 55
सर्पिह 166 15°
सभा 17 103 234
सभाम् 57
सम्य 234
समानस्थानवामी 104
समाहर्ता 156
समिति 17

सर्पग्राहादिका 150
सिष्य 118
सीताघ्यका 150
सीता भूमि 224
सीर भूमि 224
सीरवाहक 224
सुकालिन 253
सूत 89
सद् 37
सदा वा सह दामा वा 94
सेटिंड 12 92 94-95 98 101 103 118
सांट्रिट्ट 103
सावाग 24
स्थपति 68-69
स्नातक 110 193 198 199 234
स्नापक 125
स्वाहाकार 250
ह
हरि 255
हृषिष् 69 71
हृष्यकृत 65
हृष्य 22 244
हीनकर्मजातिम् 167

आपस्तव 88 102 105 107 10 113-14
118 122

आपस्तव धर्मसूत्र 67 95 96 99 105 109
10 114 121 147 182

आपस्तव शौतमूत्र 49 69 73 93 107

आभीर 32 33 196 233

आभीरी (बाली) 33

आयागव 57 159 165 196-98

आस्थण 51 66

आय (आर्यवन) 16-17 19 25 27 30 33 35
36 38 39 53 62 72 75 88 102 109
111 12 116 155 56 160 163 181
203 225

आर्यकृत 123

आर्य ममाज 118

आयावर्ण 88 197

आर्य (विवाह) 195

आडव 196

आश्वदनायन गृह्यसूत्र 115

आश्वदनायन शौतमूत्र 52 68

आथर्व 65 116 251

आमर (विवाह) 164 195

आमरी मेना 19

आमिठक 197

इ

इन्हैंड 10

ई 16-21 24 71

इग्निग जे 67

ईन्हास पग्ग 249

ईन्स्ट्रु 221

ईन्स ज एक 12

ईमारी 94

ईगन 34 68

ईगनी 66

ईश्वरस्व विदासार 10

ईंग ईश्वर वर्षनी 9

उ

उप 113-14 171 196-97 2-8 745-46

उण्डिमत्र 37

उत्तर तमिलनाडु 228

उत्तर पश्चिमी भारत 23 32 34 37

उत्तर पूर्वी भारत 91 92

उत्तर बंगाल (बांगला दश) 226 227

उत्तर भारत 27 148 226 229 254

उन्न्य 246

उदय (बांधमत राजा) 97 109

उपाल 117

उपनिषद (यज्ञोपवीत) सस्कार 34 36 65-68

114 120 250

उयट (टीवाकार) 57

उशिज 25 63

उशीनर 246

ख

खम्बद 17 19 32 38 49 67 69 71 75

ए

एज ऑफ क्सेंट बिन 10

एथनालाजिकल कलार्मिपिक्षन 33

एरियन 31 150 158 165

एनरिस्टन एम 9

ऐ

ऐच्य 95

ऐनरेप बाह्यण 31 49 51 57 60-63

ऐट्सोक 252

ऐन्सिन यज्ञ 250

ओ

ओनीर्विनाज 163

ओमेनसर्व 2 91 94

क

यज्ञ 227

वर्ष 24
 कविताना॒द 63
 कृपि॒तवस्तु 30-31
 प्रपि॒ष्टन महिता 3
 वरण 113 246
 वलिंग 118
 वलिंग (जाति) 246
 वनि (वलिंया) 176 184 201-02 204
 ववर्ण 63
 ववर्ण एन्युथ 70
 वशीर 234
 वाति 56
 वार्षीवन 25 63
 वाठक श्रद्धालय 70
 वाठक सहिता 70 73
 वाण पी बी 21 88
 वात्यायन 223 225 26 228 234 37 240
 251
 वात्यायन औतमन 49 52
 वात्यायन स्मर्ति 220
 वामदक 221 234 35
 वामदेव 119
 वामशास्त्र 245
 वामसूत्र 221 224 230
 वारावर 197
 वालिदास 21 247 251
 वासी 95
 विरात 51 247
 वीकर (एक जनजाति) 17
 वीच ए बी 23 51 54 60 75
 कृष्णकटक (कटक वौवक्तिक) 113 165
 196-97
 कटब 53
 कदांस 31 34
 कुमारामात्य 234
 करु 176
 कलपाचाल (दिश) 49
 कर्माती 27
 कल शपापण 60

कुलाम 71
 कल्पक (टीकामार) 177 78 185-87 191
 194 96 199 200
 कृपाण 176 184 206
 कपाण शासक 184 203 207
 कूर्मपगण 201-02
 कृष्ण (एक योद्धा) 18 19
 कृष्णगर्भा 19
 वर्षा पञ्चवें सहिता 49 55 56
 कृष्ण कवि 24
 घेतकर एस बी 11
 केन्द्र (भारतीय जाति) 54
 कंगाइट 26 27
 वैचित्र हिस्ट्री आफ इंडिया 90
 वैवर्त 196 97
 वौटिवर्ष 234 35
 वोल (जाति) 228
 कालबक 9
 कम्भितक 128
 वौतिसर्व 146
 घोशल 101
 ईटिल्य 89 101 146 67 181 183 190 91
 203 205 221 25 6 228 23 235
 237 241
 वौशिक 255
 वौषीतिक आहमण 49
 ब्रीटवारी 163

क्ष

क्षतु 54 196-98 246
 क्षेत्र 56 59 60
 क्षत्रिय (योद्धा) राजन्य 11 12 पर्व वैदिक काल
 में 22 29 32 34 35 उत्तर वैदिक वाल म
 36 38 51 55-65 67 68 73 75 पूर्व
 मौर्यकाल में 90-91 93 94 100 103 107
 13 116 122 124-25 128 130 मौर्यकाल
 में 157 159-60 मौर्योंतर काल में 177
 181 184 87 189 90 192 195 96

गप्ताल म 225 233 34 236-37 239 — श्रीम 34 93 102-04 107-08 130 150 153
47 251 52 254 55

कन्व 192

क्षेत्र 63

कौर 246

क्षैत्रिय 192

ग

गणमान जातक 97

गणमान हजार 109

गगा धारी 23 103

गगा के मैनन 129

गगा के निचले मैदान 94

गधर्व (जाति) 67

गधवलीक 253

गणपाठ 121

गणपति शास्त्री टी 151 52 228

गाधर्व (विवाह) 112, 164 195

गाधार 118

गाइर डब्ल्यू 66

गायत्री (मत्र) 239

गुरुरात 227

गृह्य यज्ञ 250

गृह्य सूत्र 67 76 88 90 120 251 52

गलडनर के एफ 19 21

गानन 253

गोपथ ब्राह्मण 51

गोमेघ यज्ञ 239

गौड 118

गौतम (धर्मसूत्र विधिग्रन्थ) 88 91 95 98

100 103-05 107 10 113 14 116 122

147 182 184 187

गौतम चुद (चुददेव) 35-37 49 89 91 94
118 123 125-28 147 197 253

गोतमीपुत्र शातकर्णी 192 206

ग्रीक (जन) 206

ग्रीक नागरिक 102

ग्रीक शासक 184

ग्रीक समाज 122

घ

घोगल यूएन 12 59 150

च

चढ़ाल परवर्नी दैटक समाज में 64-65 75 76
89 109 113 14 मौयपूर्व समाज में उनकी
क्रियता 117 18 उत्पत्ति 118 ब्राह्मणप्रधान
समाज में उनकी स्वीकृति 119 नियार्दों क
साथ तलना 119 12 23 बौद्ध और जैन
ग्राम में उनका स्थान 123 24 बैटिंग वी
टटिंग में 156 158 59 165 मौयोत्तर समाज
में 194 196-200 गप्त काल म 235 238
241 243-44 246 248-49 254

चढ़गप्त (मौर्य समाट) 156

चढ़गप्त द्वितीय 242

चाढ़ायण द्रत 188 194 201 239 244 251

चारुदत्त 246

चिल्डर्स 95

चीनी 33

चच 197 98

चैत्य (कब्दगाह) 198

चैलाशक 203

च्यवन (ऋषि) 244

छ

छत्ता 159 165

छादोग्य उपनिषद 52 65-67 76

ज

जगन्नाथ उर्कपचानन 225

जनक (राजा) 35 53

जयमगला 166

जयालय सहिता 255

जानक 89 94 118 120 130

जातिप्रथा 10-11

जानश्रीति 36-37 52 66-67

- जायसवाल के पी 55 56 58 103 104 181 — दधीति 17
 182 249
 जासी जे 195
 जुआ (खेल) 55
 जैन शूद्र 187
 जैमिनी 115
 जैमिनी ज्ञात्मण 49 50 58
- झ**
- झल्ल 197
- ट**
- टी गणपति शास्त्री 151 152
- ड**
- डिपोडोरस 31
 डोम्ब 247-48
- त**
- तक्षशिला 115
 तमस् गण 204
 तस्थ 25 27
 तर्वसग्रह 101
 ताम्रयग 23
 तिलक बाल गगाधर 10
 तखार 32
 तुर्वशस् 21
 तैत्तिरीय ज्ञात्मण 67 71 73
 तैत्तिरीय सीहिता 49 58 59 72 73
 तासली 245
 त्रयी 250
 त्रसदस्यु 19 25
 त्रेता युग 28
- द**
- दक्ष शिव यदु 254
 दक्षिण आध प्रदेश 227
 दक्षिण भारत 89 100 148 227 230 254
 दत्त एन के 11
- दम्भोन्नभव 57
 दरद 32
 दर्भशशातानीक 58 71
 दलपति 29
 दशपूर्णमास यज्ञ 59
 दसकर्मवरकल्प 161
 दस्य 65 196 240
 दहे 33
 दानस्तति 23
 दामोदरपर के ताम्रपत्र 234
 दाशराज यदु 21
 दाशा 196-97
 दास (गलाम) 9 11
 दास 16 20 दास और दस्य 21 24 ज्ञावद में
 दात 30 34 38 ऋग्वेद में दास (गलाम) 26
 38 39 परवर्ती वैदिक काल में 51 पूर्व
 मौर्यकाल में 94 98 101-03 106 122
 127 28 मौर्यकाल में 150 152 157
 आहितक और दस्य म अतर 160 62
 मौर्योंतर काल में 180 191 92 195 96
 गुप्तकाल में 220 26 241-42
 दामप्रथा 23
 दास व्यापार 23
 दासी 23 25 32
 दास वर्ण 22 30
 दिवाकीर्ति 246
 दिव्य 236
 वि एज ऑफ इंडियल यूनिटी 90
 वि हिस्ट्री ऑफ इंडिया (जे मिल) 9
 दिन (देव) 72
 दिवोदास 27
 दिव्यावदान 176
 दीर्घतमस् 24 25 26 63
 दीप निकाय 89 117 125 126 180
 दीप्ति 56
 दैव (विवाह) 195
 दघन्ती 33 176
 द्वाविद 33 118 122 246

- दाह्यायन भौतसूत्र 49
 द्रव्य 21
ध
 धनुर्वेद सहिता 240 250
 धर्मशीर्ति 221
 धर्मव्याधि 255
 धर्मशास्त्र 10 12 13 29 58 90 93 148
 163
 धर्मसूत्र 12 61 76 88 90-91 93 95 99
 100 104-08 109 110 112 11 115
 118 120 122 126 130 146-49 156
 158 160 163-64 168 199 206 210
 226 243
 धानशर्म 29
 धिक्षण 196-98
 धर्म जी एम 11
 धूनिमित्र 214
न
 नराज (टोकाशर) 245
 नद वश 103 146
 नमचौर्णवा 149
 नामधय संस्कार 207
 नाट्यशास्त्र 221 241-42 249
 नारा 220 222 34 225 26 228 232 234
 38 240 245 250
 नारदसूत्र 220 223 234 241
 नार्थ बैक पालिशड वेयर 89
 नामिक के उत्तर्वीर्ण नेत्र 180
 निकाय 53
 निवृट जाति 19
 निखान निधि 237
 निष्ठ द्वाह्यमण 51
 निरुत्त (ग्रथ) 61 69
 नियोग 195
 नियाम (नेमाद) 51 67-69 71 74 108 113
 14 मध्याज में उनका स्थान 120 21 123
 नियाद गाव 121 22 औटिल्य वी दीट में
 159 165 अ-य जानियो ५ माथ तनना
- 196-98
 नीतिसार 221
 नपाल 220
 नसिंहपुराण 229
 न्यायसूत्र 13
ष
 पच महायज्ञ 250
 पचतप्र 244
 पचम चद 249
 पचाल (दिशा) 71
 पजाव 88
 पञ्च 21
 पञ्चविंश द्वाह्यमण 49 63
 पनजलि 176 178 180 182 83 192 94
 196 199
 पाण 22
 पन्नवणा 176
 परशराम 35
 पराशर 63
 परिपत्र 157
 पर्णक 51
 पर्णमणि 29
 पर्ण 27
 पर्यायन शामक 184
 पत्तव 221
 पन्नलव लानपत्र 228
 पर्विचम भारत 210 239 254
 पर्वद 54
 पत्तव 202
 परिचमी दक्कन 179
 पर्वत 32 33
 पाचाल 176
 पाहमोपाक 196-97
 पाणिप्रहण 245
 पाणिनि 37 92 96 98 121 165 192 93
 पारश्रव 113 159 165-67 196
 पार्विटर एफ ए 227 234
 पार्धियन 176 206
 पाति नीम्बरा डिवशनरी 98

- पालि ग्रन्थ 29 91 93 94 97 109 112 117 — प्रार्थनाचतुर्कांड 220
 118 119 121 150 162 228
 पार्वित धर्मग्रन्थ 124
 पीता मृतभ 242
 पीजल 71
 पहुँच 65
 परवर 197
 पराग 28 29 176 201 220 254 55
 परम्परात्मा 19 25
 परम्पराध यज्ञ 52 64
 परम्परा मूलन 25 29 31 62
 पूर्णिमा (रात्री नमी) 21
 पराहित 22 23 24 30 31 35 64 129 154
 166-67 182 184 203 226 253 255
 पराहित प्रथा 24
 पनिं 33 65 158 246-47
 पट्टि 56
 पूर्ण 21
 पूर्णी उत्तर प्रस्त्रे 92
 पूर्णी नेपाल 246
 पूर्णध 244
 पेस्म 97
 पैकार 223 233
 पैखवन 12 34 36 250
 पैख्ताद इशाखा 32
 पैशाच (विवाह) 112 164 195
 पौलकस (पलवन यत्कर्म पुकर्त सद्वन्न)
 51 64 76 113 118 20 122 23 159
 165 196 198 248 250
 प्रतापति 50 66 70-71,224
 प्रतर्दन दैवादासि 25
 प्रतिमादिज्ञान 221 252
 प्रतिमोम 238
 प्रमिति 204
 प्रवाहण जैवलि 35
 प्राजापत्य (विवाह) 195
 प्राजापत्य ब्रत 251
 प्राजापत्य लाक 252
 प्राणायाम 111
- प्रार्थनाप्रथा 180
 प्रेतागृह 242
 प्रवद 246
 प्र्लेग 242
 फ
 फारम 26
 पर्वियन 218 39 244 247-48
 पिंड आर 11 91 97 119 124
 प्रिजियन (भारतीय जाति) 54
 पेरो 256
 घ
 घणाल 9
 घनारम 118 19
 घर्नेल ए मी 107
 घनबूष 25 27
 घनि (राजा) 63
 घनिक 32
 घानरायण 36-37
 घाल विवाह 10
 घियिसार 125
 घिहार 88 92
 घृहदारण्यक उपनिषद् 71 74 76
 घृहदेवता 63
 घेघीलोनिया 26
 घैं 51
 घैवटेरियन ग्रीक 176
 घौढ़ (जन) 37 101 120 123 127 28 176
 181 185 197 207 255
 घौढ़ धर्म (महादाय) 123 125 26 127 184
 207 255
 घौढ़ भिष्म, भिषणी 117 18 1 3 24 126
 178 181 190 206 251
 घौढ़ शूद्र 187
 घौढ़ संघ 118 126-27 181 253
 घौढ़ितत्त 91
 घौघायन 88 100 104 107-08 111 16 120
 122

बौद्धायन धर्मसूत्र 113
बौद्धायन भौतसूत्र 49 107

चहम 56 59
चहमर्पि 35
चहमपिण्डा 176
चहमलाक 76
चहमाक्षरण 202, 241
चहमा 27
चहमादर्त 176
चहम (विवाह) 195
चाहमग (पजारी) 11 12 पूर्व वैदिक काल में
22 24 29 31 34 36 उत्तर वैदिक काल
में 51 55 58-60 62 73 75 पूर्व मौर्यकाल
में 90-91 93 95 100-01 103 105 107
13 116-30 मौर्यशाल में 157 159-60
164 166 168 मौर्योत्तरकाल में 176-77
180-206 ग्रुप्तकाल में 220-22 227 28
231 233 34 236-49 251 56 279 शूद्रों
म विरोध 280-81

आहमण ग्रथ 10 13 49 50 59 63-64 66
75 88 90 108 120 146-47

क्रिटेन 9

भ

भद्राकर ढी आर 199

भद्राकर सर आर जी 10

भट्टस्वामिन् 151 52

भरत (भग्नि) 221

भरहत 89

भनानम् 21

भविष्य पुराण 63 221 249

भागव्य 71

भागवत पुराण 221 249

भारत 9 10 16 26 27 34 148 206

भारत जनजाति 21 36

भारत यद्ध 33

भारतवर्ष 146

भास 176

भृगु 196

म

मम 246
मगध 94 101 125
माइक्रो नियाय 89 93 105
माइक्रो पर्याप्ति 147
मत्स्य 176
मत्स्य पराण 202 221
मधरा 179 181
मदनपाल (मनि) 63
मनिका 246
मदगु 197 98
मद्वाभ 246
मध्यपर्क ममारोह 67 115
मध्य देश 238 39 744
मध्य भारत 227 28
मध्यात विभग 147
मनिसक्स 197
मनु 90 114 159 176-78 180-85 188 98
200-01 203-07 222 225 27 232 234-
35 241 243 245 248 251
मनु वैदेशस्वत 244
मनुस्मृति 9 100 176 179 200 205 220-
21 226
मयू 20
मरुत (देव) 18 57 71
मरुत आविक्षित 57
मरुतलोक 252
मल्ल 197
महरिन 114
महाभारत 27 32 34 36 50 57 63 69 71
74 220-21 249 254-55 257
महाभाष्य 176 199
महायज विष्णवादास 242
महादस्तु 176 178 79 188
महाबृष 32 37 66
महाब्रत (तप) 239
महिष 246
महिषक 246

- महीनास 63
 महीधर 57
 मागध 113 159 197 246
 मारधी पाकूत 250
 मातग 119 124 248
 माधव 204
 मामतय 25
 मार्कंडेयपुराण 221 278 247 250
 मार्गव 196-97
 मालदा 88 192 233
 मालव्य 192
 मार्हिप 246
 मिहल विगडम 256
 मिन-नी 27
 मिथिला 210 255
 मिल जे 9
 मिलिदपश्चो 176 80 184 85
 मिय 203 256
 मीमांसा 249
 मजबत 32
 मनिब 65
 मूर्ति (सग्राट) 253
 मृद्घुकर्तिक 242-43 246 248-49 256
 मगास्थनीज 147-48 150 51 153 157 58
 163
 मट 197 8 238 248
 मेधातिथि 63 178
 मैत्रज्ञ राजा 227
 मैत्रायणि सहिता 73
 मैत्रेयक 196 97
 मोरिय वर्ष 156
 मौर्य शामक 177
 मौर्य मास्त्राज्य 89 149 50 203 205-06
 मौरिटक 197
 मौरिकैनो देश 163
 म्यां जे 10 11 21
 म्लच्छ 177 202 204 233 236 241 247
य
 यजमान 23
- यजुर्वेद 62 67 71
 यज्ञ दीक्षा 250
 या 21
 यवन 88 103 113 246
 याजवल्न्य 220 222 24 227 232-40 242
 46 249 50
 याजवल्न्य स्मृति 220 226 253
 यादव 19
 यास्क 69
 युग पुराण 177 207
 यीधिठर 33 51 56 74
 यूनान 102
 यूनानी राजतत्र 148
 यूरोप 90
 यूरोपवासी 11
र
 रजक 254
 रजस् युग 204
 रथकार 29 54 55 57 67-68 71 73 75 113
 समाज मे उनका स्थान 117 120 122
 159 अन्य जातियों से तलना 165 230 246
 रविर्वति 242
 राष्ट्रस (एक जनजाति) 27
 राष्ट्रस (विवाह) 164 195
 राधवानद 188 198
 राजगृह 89 179 183
 राजमिस्त्री 230
 राजसूय यज्ञ 33 54 60 62
 राजा 28 29 107 121 125 166 201 233
 34 237 38
 राज्याभिषेक यज्ञ 51 60
 रात (दिव) 72
 राम 251
 राम मार्गविय 60
 रामायण 249 251 257
 राय रामगोहन 10
 रीज डेविडस टी डब्ल्यू 91 120
 रीज डेविडस (श्रीमती) 130
 रुद्रदामन 206

- रह पशुपति 69 71 72
 रहनोक 254
 रैख 37 52
 रेम 93 102-03 130 150 153 206
 रेमन नागरिक 33 89
 रेमन राजा 24
 रम सामाज्य 203
 रीय आर 16
ल
 लकादतारसूत्र 221
 लग्न (शास्त्र) 249
 माटूथायन धोतसूत्र 49
 लाल स्तैष 242
 लीलावती 253
 लैटिन फ्लामेन 24
 लैसिटिमोनिया 163
य
 यज्ञसूची 221 249 253-55
 यत्स 63
 यराहदास 242
 यराहमिहिर 221 233
 यहण 20 21 31
 यहण यज्ञ 64
 यद्यमान महाबीर 35 90 124
 यण 58 64-66 70 71 90 104 109 112
 131 158 59 176-77 237 245 251
 यर्ण प्रथा 226
 यर्ण (विभाजन और व्यवस्था) 29 30 31 114
 127 129 30 165 176 192 197 206-
 07 226 240 ।
 यर्णाथम 221
 यत्तमी 227
 यस्तमेना 246 256
 यस्तिष्ठ 21 63 88 100 104 107 110 113
 14 116 121 131 164 190 200-01
 207 230 241 256
 यस्तिष्ठ धर्मशास्त्र 241
 यस्तिष्ठ धर्मसूत्र 129 147
 यस्तोघार्या वर्म 58
 यागूरिक 158
 याजपेय यज्ञ 59
 याज्ञसनेपि सीहिता 58 65 70 73
 यात्स्यायन 221 245
 यायुपुराण 202 204 241 245
 यिघ्वा विवाह 10-11
 यिन्य पिटक 89 96 98 117 120 130 147
 यित्यियम जोस सर 9
 यित्सन, एच एच 9
 यिश्वजित् यज्ञ 69
 यिश्वदद 57 71
 यिश्वतर सौपद्मन 60
 यिश्वमित्र 35 65 194 255
 यिपाणिन 21
 यिष्णु (स्मृतिवार) 227 236-37 239,245
 यिष्णुधर्मोत्तर पुराण 221
 यिष्णुपुराण 69 184 204 207 221
 यिष्णुस्मृति 220-21
 यिज्ञानेरवर 244
 युहृत् सीहिता 221 228 244 251
 युहस्पति 18 222 26 229 30 232 38 243
 247 252
 यहस्पनिस्मृति 220-21 223 228 253
 यृत्र 24
 येदात सूत्र 36
 येवर ए 10 72
 येण 120 22 165 196-98
 यणी 120
 येणुकार येनुकार 120
 यैविक इडेनस 22 51 62 76
 यैदेहक 120 149 196-97 233 246
 यैदेहक (यायापारी) 151
 यैण 120
 यैण्य 165
 यैद्य 246
 यैराली 235 255
 यैशोधिक (शास्त्र) 249
 यैश्य प्रारंभिक यैदिक वाल में 28 29 परवती

- वैदिक काल में 51 55 56 58 59 62 64
 65 67-68 70 71 73 75 मौर्यपूर्व काल में
 88 91 93 100 103 105 107 109 111
 113 115 16 121 125 127 28 130
 मौर्यकाल में 149 51 157-60 164 मौर्योत्तर
 काल में 177 78 180 181 183 185 87
 189 90 193 195 96 201 204 गुप्तकाल
 में 225 27 233 34 236-42 245-46
 251 52 254 57
- वैश्वदेव अनस्त्रान 243
 वैश्वदेव यज्ञ 109 111
 वैष्णव उपपुराण 252
 वैष्णव ग्रंथ 251
 वैष्णव धर्म 184 255 56
 व्याकरण (शास्त्र) 249
 व्याकरण (पाणिनि) 37 88 92 103
 व्यास 63 255
 विहंने इच्छा ही 30 31
- श**
- शकर (टीकाकार) 36-37
 शब्दक 251
 शक 176 206 246
 शक शास्त्रक 184 203
 शकार 249
 शतपथ यात्मण 49 54 57 59 60 62 65
 67 73 74
 शतरुद्रीय 71
 शब्दर 33 65 118 158 247
 शर्विलक 246
 शाश्वायन भौतसूक्ष्म 70
 शाहखायन यात्मण 49 52
 शास्त्रि यर्व 12 34 36 270 222 24 230
 231 34 239-41 243 48 51 257
 शास्त्र्य 110
 शामा शास्त्री 151 161 166
 शास्त्री ही एम 12
 शिर्पी जग्नवैदिक काल में 28 29 यग्वर्ती
 वैदिक काल में 51 53 54 71 75 पूर्व
 मौर्यकाल में 91 92 101 106 127 129
- 130 मौर्यकाल में 148 150 55 मौर्योत्तर
 काल में 179 81 206 गुप्तकाल में 228
 230 31 244
- शिव (एक जनजाति) 21
 शिवलोक 253
 शिवि 36
 श्रुत यजुर्वेद 55 56
 श्रुत यजुर्वेद सहिता 49
 शून शोप 64-65
- शू** 9 13 16 24 शूद जनजाति 29 35 शूद
 जनजाति के सैनिक वार्य 36 शूदों की
 स्थिति 49 57 66-88 90 91 जनसंख्या 93
 95 97 98 सेवा नहीं करने वाले शूद
 शूदपत्रों तथा आच में भेद 93 95 उनकी
 विभिन्न भूमिकाएँ 97 98 पूर्व मौर्यकाल में
 उनकी राजनीतिक यानूनी स्थिति 102
 106 उनकी सामाजिक अव्याप्तता 106-107
 उनका पेशा और भोजन 109 111 विवाह
 के नियम 112 114 उनकी शिक्षा के प्रकार
 114 15 उनके थार्डकर्म 116 पाच प्रकार
 के नियम पेशे 117 पाच हीन जातियाँ 11,
 18 शूद और अत्ययोनि 121 बौद्ध धर्म में
 उनका प्रवेश 122 126 जैन लोगों का
 दीट्टिकोण 126 127 वैश्य और शूदों को
 समान मानना 128 29 निचले तबके का
 विरोध 130 वैटिल्य ही दीट में 148
 वैटिल्य की मायता 150 56 158 59 शूद
 और गुलाम 160-163 मौर्योत्तर काल में
 उनकी स्थिति 176-178 180-182 183
 196 198 207 गुप्तकाल में उनकी स्थिति
 220-22 224-25 227 247 249 57
- शूद्रक 221
 शूरसन 36 176
 शैव सप्तरात्म 255
 शौदिक 197
 शौनिक 196
 श्याम स्तभ 242
 श्रमिक 12 परवर्ती वैदिक काल में 75 पर्व
 मौर्यकाल में 93 99 110 111 29

- मौर्यकाल में 149 51 153-55 158 मौर्योत्तर — साम्राज्य 67
 काल में 181-84 गणकाल में कृषि श्रमिक 222 24 231 32
 श्रीशात्रिणि 179
 अति 202 255
 इवपच 239
 इवपाक 63 165 196-98
 इवेतकेतु 51 66
 इवेत स्तम्भ 242
 श्रीतस्त्र 49 67 74
स
 सकरी 197
 स-यासाथम 251
 मस्कारवाड 220
 संप्रति निषाय 89
 चाहिला 22 25 38 59 66 72 73 75
 सांख्य वर्णन 249
 साध्य (शास्त्र) 249
 मिथि 31
 मिथु 234
 मिथु चाटी वी सम्पत्ति 23
 मिहवर्णन 202
 मूढ़ी 245
 मजातीय विवाह 10
 मेडि 12
 मती प्रथा 10
 सत्यार्थ प्रकाश 10
 सत्यार्था औतस्त्र 49
 सत्य गुण 204
 सहस्रपुत्र 91
 सद्गमपुष्टिरीक 176 188 197
 गटाना 27
 मनवरनीको 242
 सरस्वती (ज्ञान की देवी) 27 189
 मरस्वती ननी 33 176
 सर्वमेघ यज्ञ 52
 साची 89
 सानवाहन 89 181 192, 206-07 236
 सामन्द्रफलसूत्र 125
- सामविद्यान आहमण 107
 सायण 18 19 24 32, 54 61 63 65 72
 सावत्यी 89
 सिक्षदार 31 148
 सिद्धि 253
 सीधिभन जनजाति 22 26
 सुकृष्टि 53
 सुक्रातिन् 201
 सुत (वार्तालाप) 89
 मूर्यधियन धीमि 63
 मूर्याईन भीन 206
 मूदाम् 21 36
 मूमेर 23
 मूत 29 71 159 197 234 246
 सूपरात्म 106
 मेनाट इ 11 22 68
 मलग 67
 मैवमन (मातोरीय जाति) 54
 मैरघ 196-97
 शोम (नेवता) 18 19
 शोम यज्ञ 73
 मोमरम 60 69 70
 मोर्दि 31
 मौगध 246
 सौरमेनी 250
 सौयाद् 233
 सृष्टि 147-48 150 158 163
 स्यार्नन 66
 स्यार्थि 53
 स्वैरिमयोनर्दि 163
 स्मृति 146 201
 स्मृतिकार 220-22 229 236 240 242
 स्मृतिप्रथ 10 221 225 232 234-35 237
 38 245-46
 स्वात्मकर 246
 स्वामी दयान 10
ह
 हड्ड्या 23

रामशारण शर्मा

जन्म 1 नितवर 1920 बहुनी (विहर) एवं ए पी एच डी (लन्न) बाय भास्कर और पट्टना क कर्तिजों में प्राप्तापन (1959 तक) पट्टना विश्वविद्यालय में इतिहास के विभागाध्यक्ष (1958-73) पट्टना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर (1959) शिल्प विश्वविद्यालय में प्राप्तमर तथा विभागाध्यक्ष (1973-78) बदहून नहर फैलागिर (1969) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद क अध्यक्ष (1972-77) भारतीय इतिहासमंडल के सभापति (1975-76) दूनस्को के इतिहासानन एसानीशन फर्रर स्टॉड्ड ऑफ कल्चन ऑफ मेटल रिंग्स के उपाध्यक्ष (1973-78) बब्ड एंगिलर्टिक सानाइटी के 1983 के वैपवन स्वान प्रक्रम सम्बन्धित (नववर 1987) अनक मिसितिजों और बालगों क मरम्मत मन्त्रि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद क नगरनम फैलो और संग्रह सामग्री प्राविष्ठाक सरकार क महन क बध्यक है।

प्रमुखत प्रथम विश्व इतिहास की सूचिया पट्टना 1951
52 शूद्राज इन एंगेट ईंटिया फूर्नीज अप्पल्स 1960,
बाल्मीकी ऑफ पार्निटिक्स बार्डियान एड इन्डियूस्ट्रीज
इन एंगेट ईंटिया फैस 1968, नाइट ऑन कर्नी ईंटियन
मानाइटी एड इतिहासी 1966 ईंटियन प्रूर्वानन्म,
फिस 1980 एंगेट ईंटिया फैस 1970 इन हिसेंस
ऑफ 'एंगेट ईंटिया' ने मर्ही आवृति सोगर चैंबर्क इन
कर्नी महिएवन ईंटिया चौर्थी आवृति 1987 मैट्रिगियल
कल्चर एड मागन पर्मेंगम इन एंगेट ईंटिया, मुमरी
आवृति पर्मिक्टिव इन मागन एड इतिहासिक रिस्ट्री
ऑफ कर्नी ईंटिया, 1983 बबन हिस इन ईंटिया (भागमा
300 इ म नगमा 1060 इ) 1979 बर्गियन ऑफ इ
स्ट इन ईंटिया, 1929 मर्हित ए मर्हे ऑफ गिर्व इन
सागन एड इतिहासिक हिस्ट्री ऑफ ईंटिया 1987
हिसी और वद्वारी क अर्निगिक्स प्रा गोदा वी पास्ट्री अन्नक
भारतीय सामाजिक और जातीय, प्रदर्शी उपन तथा सर्व
अंडे विश्वी भासाओं में सी एंगेशन इहुँ है।